भारत में शिक्षा
(1959–60)

खण्ड–I–रिपोर्ट

सत्यमेव जयते

शिक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

NIEPA - DC
G1967

अनुवादक
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
शिक्षा मंत्रालय

Price: (Inland) *Rs.* 10·50 (Foreign) 24*s.* 6*d.* *or* $3 78 *Cents.*

©

शिक्षा
ED. 330. 60. I
700

372.954031
BHA-59-5

प्रकाशन संख्या 799

G-1967

सन् 1959-6(
ला गया है। यह
धारित है। इस
छले पांच वर्षों के अ
या गया है।

इस रिपोर्ट में
दिये गये हैं जो
सकते हैं।

राज्यों और सं
ंकलन के लिए आ
भारी हूं।

दिल्ली :
म्बर, 1962

शिक्षा
ED. 330. 60. 1
700

आमुख

सन् 1959-60 में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उस पर इस रिपोर्ट में प्रकाश ला गया है। यह रिपोर्ट, राज्यों के शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों पर धारित है। इस प्रकार यह रिपोर्ट मुख्यतः तथ्यों पर आधारित है। केवल अन्तिम अध्याय में छले पांच वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं और विकास की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत देने का प्रयास या गया है।

इस रिपोर्ट में शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा की गयी है और ऐसे विस्तृत आंकड़े दिये गये हैं जो आयोजकों, शिक्षाविदों और अनुसंधानकर्ताओं के लिए रुचिकर और उपयोगी सकते हैं।

राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के शिक्षा निदेशालयों तथा अन्य शिक्षा प्राधिकारियों ने इस रिपोर्ट संकलन के लिए आंकड़े एकत्र कराने में जो सहयोग और सहायता दी है उसके लिए मैं उनका भारी हूं।

प्रेम कृपाल,
शिक्षा सलाहकार,
भारत सरकार।

दिल्ली :
म्बर, 1962

विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन/व्याख्याएं		x
अध्याय		
पहला अध्याय :	सामान्य सर्वेक्षण	1
दूसरा अध्याय :	शिक्षा का संगठन और कर्मचारीगण	42
तीसरा अध्याय :	प्राथमिक शिक्षा	51
चौथा अध्याय :	बुनियादी शिक्षा	93
पांचवां अध्याय :	माध्यमिक शिक्षा	124
छठा अध्याय :	विश्वविद्यालय-शिक्षा	199
सातवां अध्याय :	अध्यापकों का प्रशिक्षण	258
आठवां अध्याय :	वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा	286
नवां अध्याय :	समाज शिक्षा	347
दसवां अध्याय :	विविध विषय	362
	1—पूर्व-प्राथमिक शिक्षा	362
	2—सौन्दर्यबोध की शिक्षा	368
	3—हीनांगों की शिक्षा	375
	4—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा	382
	5—लड़कियों की शिक्षा	388
	6—शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद	396
	7—युवक कल्याण	400
	8—स्काउट और गाइड	402
	9—राष्ट्रीय और सहायक कैडेट कोर	403
	10—स्कूलों में दोपहर का खाना	407
	11—विस्थापित छात्रों की शिक्षा	408
	12—विदेशों में पढ़नेवाले भारतीय छात्र	409
ग्यारहवां अध्याय :	सांख्यिकीय सर्वेक्षण	427

रेखाचित्र

	सामने की पृष्ठ संख्या
1.—विभिन्न प्रकार की सभी संस्थाएं	18
2.—मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या स्तरों के आधार पर .	24
3.—आयस्रोतों के अनुसार शिक्षा पर किया गया व्यय . . .	28
4.—प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार स्कूलों का विभाजन . . .	58
5.—प्राथमिक, मिडिल और हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का प्रतिशत . . .	76

सारणियां

सामान्य सर्वेक्षण

	पृष्ठ
I—विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की संख्या . .	12
II—प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार मान्यता-प्राप्त संस्थाओं की संख्या	16
III—विभिन्न राज्यों में शिक्षा-संस्थाओं की संख्या . .	17
IV—विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की संख्या .	20
V—विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं की मान्यता-प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की संख्या	24
VI—शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की संख्या का स्तर-वार विवर्ण	25
VII—छात्रों की राज्यवार संख्या . . .	26
VIII—आय-स्रोतों के अनुसार शिक्षा-व्यय . . .	29
IX—खर्च की मदों के अनुसार शिक्षा-व्यय . .	30
X—विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार शिक्षा पर किया गया परोक्ष व्यय	31
XI—प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार शिक्षा-संस्थाओं पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	32
XII—सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गये व्यय का विभाजन .	33
XIII—शिक्षा का राज्यवार व्यय	36

शिक्षा का संगठन और कर्मचारीगण

XIV—शाखाओं के अनुसार राज्य शिक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की संख्या	43
XV—राज्य शिक्षा सेवा – प्रथम और द्वितीय श्रेणी . .	44
XVI—निदेशन और निरीक्षण पर व्यय . . .	48

प्राथमिक शिक्षा

XVII—प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-पद्धति . .	57
XVIII—प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या .	59
XIX—प्राथमिक स्कूलों की राज्यवार संख्या . .	60

सारणियां—(जारी)

XX—प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या . .
XXI—प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या . .
XXII—छह से ग्यारह वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं . . . . .
XXIII—प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या . .
XXIV—एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों और उनमें भर्ती छात्रों की संख्या . . . . . .
XXV—राज्यों के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आंकड़े . .
XXVI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या . .
XXVII—सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान . . . .
XXVIII—आयस्रोतों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों पर किया प्रत्यक्ष खर्च
XXIX—प्राथमिक स्कूलों पर प्रत्यक्ष खर्च . . .

बुनियादी शिक्षा

XXX—बुनियादी स्कूलों की संख्या . . .
XXXI—बुनियादी स्कूलों में छात्रों की संख्या . . .
XXXII—बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या . .
XXXIII—बुनियादी स्कूलों पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्च का आय स्रोतों के अनुसार विभाजन . . . .
XXXIV—बुनियादी स्कूलों पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्च का राज्यवार विभाजन . . . . .
XXXV—बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े . .
XXXVI—बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के आंकड़े .

माध्यमिक शिक्षा

XXXVII—माध्यमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-पद्धति . .
XXXVIII—सरकारी मिडिल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान . . . .
XXXIX—सरकारी हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान . .
XL—सार्वजनिक परीक्षाएं . . . .

सारणियाँ—(जारी)

	पृष्ठ
XLI—हिन्दी का शिक्षण	141
XLII—अंग्रेजी का शिक्षण	144
XLIII—प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या	146
XLIV—मिडिल स्कूलों की राज्यवार संख्या	149
XLV—मिडिल स्कूलों में छात्रों की संख्या	154
XLVI—मिडिल कक्षाओं में छात्रों की संख्या	156
XLVII—ग्यारह से चौदह वर्ष के वयोवर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं	158
XLVIII—मिडिल स्कूलों में लड़कियों की संख्या	160
XLIX—मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	164
L—विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	163
LI—राज्यों द्वारा मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	168
LII—विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	172
LIII—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की राज्यवार संख्या	174
LIV—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या	177
LV—हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या	178
LVI—हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों की संख्या	180
LVII—14 से 16/17 वर्ष के वयोवर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं	183
LVIII—हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या	185
LIX—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	186
LX—आयस्रोतों के अनुसार हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	189
LXI—विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाए जानेवाले हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय	190
LXII—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर राज्यवार प्रत्यक्ष व्यय	192
LXIII—मैट्रिक या उसके बराबर की परीक्षाओं का परीक्षाफल	197

1(b)—5 M. of Edu./65

सारणियाँ—(जारी)

पृष्ठ

विश्वविद्यालय शिक्षा

LXIV—भारत के विश्वविद्यालय (अधिकार, प्रकार और संकाय) . . . 208

LXV—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार कालेजों की संख्या . . . 219

LXVI—कालेजों की राज्यवार संख्या . . . 220

LXVII—विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों की संख्या . . . 224

LXVIII—विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य, वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या . . . 226

LXIX—विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों का विभाजन . . . 232

LXX—उच्च शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या . . . 234

LXXI—विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों की राज्यवार संख्या . . . 237

LXXII—विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में अध्यापकों के वेतनमान 239

LXXIII—सायंकालीन कालेजों के आंकड़े . . . 244

LXXIV—विभिन्न आयस्रोतों से विश्वविद्यालयों और कालेजों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय . . . 245

LXXV—विश्वविद्यालयों और कालेजों पर होने वाला राज्यवार प्रत्यक्ष व्यय . . . 246

LXXVI—विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की राज्यवार संख्या . . . 254

अध्यापकों का प्रशिक्षण

LXXVII—अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या . . . 263

LXXVIII—अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्रों की संख्या . . . 266

LXXIX—अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च . . . 270

LXXX—अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या . . . 274

LXXXI—अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में छात्रों की संख्या . . . 276

LXXXII—विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार प्रशिक्षण कालेजों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च . . . 280

LXXXIII—अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च . . . 282

वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा

LXXXIV—विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों के आंकड़े . . . 299

LXXXV—विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों के आंकड़े . . . 302

सारणियाँ—(जारी)

		पृष्ठ
LXXXVI	कृषि विद्यालयों के आंकड़े	306
LXXXVII	वाणिज्य विद्यालयों के आंकड़े	308
LXXXVIII	इंजीनियरी विद्यालयों के आंकड़े	309
LXXXIX	वनविज्ञान विद्यालयों के आंकड़े	310
XC	नौप्रशिक्षण विद्यालयों के आंकड़े	311
XCI	आयुर्विज्ञान विद्यालयों के आंकड़े	312
XCII	शारीरिक शिक्षा विद्यालयों के आंकड़े	313
XCIII	तकनीकी, औद्योगिक, पॉलीटेक्नीक और कला व शिल्प विद्यालयों के आंकड़े	314
XCIV	पशुचिकित्सा विज्ञान विद्यालयों के आंकड़े	318
XCV	विभिन्न प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के आंकड़े	319
XCVI	वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के राज्यवार आंकड़े	322
XCVII	कृषि कालेजों के आंकड़े	327
XCVIII	वाणिज्य कालेजों के आंकड़े	330
XCIX	इंजीनियरी कालेजों के आंकड़े	332
C	वनविज्ञान कालेजों के आंकड़े	335
CI	विधि कालेजों के आंकड़े	336
CII	आयुर्विज्ञान कालेजों के आंकड़े	338
CIII	शारीरिक शिक्षा कालेजों के आंकड़े	341
CIV	औद्योगिकी कालेजों के आंकड़े	342
CV	पशुचिकित्सा विज्ञान कालेजों के आंकड़े	345
	समाज शिक्षा	
CVI	समाज शिक्षा के आंकड़े	354
	विविध	
CVII	पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के आंकड़े	363
CVIII	पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े	367
CIX	संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के स्कूलों के आंकड़े	373
CX	संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के कालेजों के आंकड़े	374
CXI	हीनांगों के स्कूलों के आंकड़े	377

सारणियाँ—(जारी)

		पृष्ठ
CXII	—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा के आंकड़े	384
CXIII	—मान्यताप्राप्त संस्थाओं में छात्राओं और छात्रों का विभाजन	390
CXIV	—राष्ट्रीय कैडेट कोर के आंकड़े	404
CXV	—सन 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षार्थियों की विषयवार संख्या	412
CXVI	—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्यों व देशों के अनुसार संख्या	413
CXVII	—तारीख 1-1-1960 को विदेशों में भारतीय छात्रों/प्रशिक्षार्थियों का देशवार तथा विषयवार विवरण	425

सांख्यिकीय सर्वेक्षण

CXVIII	—सन् 1954-60 की अवधि में पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या	427
CXIX	—सन् 1954-60 की अवधि में 6–14 वर्ष के वयोवर्ग के छात्रों के लिए शैक्षिक सुविधाएं।	428
CXX	—सन् 1954-60 की अवधि में प्राथमिक स्कूलों की संख्या	429
CXXI	—प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या (1954-60)	430
CXXII	—6 से 11 वर्ष के वयोवर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं	430
CXXIII	—पहली से पाँचवीं कक्षाओं के उन विद्यार्थियों की संख्या जो 6–11 वर्ष के वयोवर्ग में नहीं आते (1954-60)	431
CXXIV	—पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले और अग्रिम कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्रों की संख्या (1954-60)	432
CXXV	—विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले छात्रों के आंकड़े	433
CXXVI	—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या	434
CXXVII	—आयस्रोतों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों का व्यय (1954-60)	435
CXXVIII	—प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन (1954-60)	435
CXXIX	—मिडिल स्कूलों की संख्या (1954-60)	436
CXXX	—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या (1954-60)	437
CXXXI	—छठी से आठवीं तक की कक्षा में छात्रों की संख्या (1954-60)	438
CXXXII	—मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1954-60)	439

सारणियां—(जारी)

		पृष्ठ
CXXXIII	—विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों का प्रत्यक्ष व्यय (1954-60)	439
CXXXIV	—मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर होने वाला व्यय (1954-60)	440
CXXXV	—बुनियादी स्कूलों की संख्या (1954-60)	441
CXXXVI	—अवर और प्रवर बुनियादी स्कूलों का अनुपात (1954-60)	442
CXXXVII	—बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या (1954-60)	443
CXXXVIII	—बुनियादी स्कूलों पर व्यय (1954-60)	444
CXXXIX	—बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1954-60)	445
CXL	—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या (1954-60)	445
CXLI	—नवीं-दसवीं/ग्यारहवीं कक्षाओं में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या (1954-60)	446
CXLII	—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1954-60)	447
CXLIII	—विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर व्यय (1954-60)	447
CXLIV	—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन (1954-60)	448
CXLV	—मैट्रिक और समकक्ष परीक्षाओं के परीक्षाफल (1954-60)	449
CXLVI	—उच्च शिक्षा-संस्थाओं की संख्या (1954-60)	449
CXLVII	—विश्वविद्यालय स्तर पर दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या (1954-60)	450
CXLVIII	—शिक्षा स्तर के अनुसार सामान्य शिक्षा के विभिन्न कालेजों में छात्रों की संख्या (1954-60)	451
CXLIX	—कालेज स्तर पर वृत्तिक विषयों के छात्रों की संख्या (1954-60)	452
CL	—उच्च शिक्षा-संस्थाओं पर व्यय (1954-60)	453
CLI	—विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार विश्वविद्यालयों व कालेजों का व्यय (1954-60)	453
CLII	—परीक्षाफल (1954-60)	454
CLIII	—व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों की संख्या (1954-60)	454
CLIV	—व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों में छात्रों की संख्या (1954-60)	455

1 (c)—5 M. of Edu./65

व्याख्याएं

1 **शैक्षिक वर्ष** :—एकरूपता की दृष्टि से इन सारणियों में शैक्षिक वर्ष की अवधि वित्त-वर्ष के अनुरूप रखी गयी है; अर्थात् 1 अप्रैल, 1959 से 31 मार्च, 1960 तक।

2 **मान्यता-प्राप्त संस्थाएं** :—वे संस्थाएं हैं जिनमें सरकार द्वारा, या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या किसी माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अथवा मान्यता-प्राप्त पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और जिनके संबंध में उक्त प्राधिकरणों में से यथास्थिति एक या अधिक प्राधिकरण सन्तुष्ट हैं कि इन संस्थाओं की कार्यकुशलता उपयुक्त स्तर की है। इन संस्थाओं का निरीक्षण किया जा सकता है और इनके छात्र सामान्यतः सरकार या विश्वविद्यालय या शिक्षा परिषद् की सार्वजनिक परीक्षाओं या परीक्षणों में बैठ सकते हैं।

3 **अमान्य संस्थाएं** :—वे हैं जो मान्यता-प्राप्त संस्थाओं की उपर्युक्त परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आतीं।

4 **दाखिल छात्रों की संख्या** :—निश्चित संख्या जानने के लिए केवल उन्हीं छात्रों की संख्या पर विचार किया गया है जो आलोच्य वर्ष में 31 मार्च तक विभिन्न संस्थाओं में दाखिल हो चुके थे।

5 **व्यय** :—सरकार, ज़िला परिषद या नगरपालिकाओं की निधियों से किये गये खर्च का हिसाब लगाते समय उस रकम को घटा दिया गया है जो फीस और अन्य आयस्रोतों से प्राप्त हुई और उक्त निधियों में जमा की गयी।

6 **स्थानीय परिषदें या मंडल** :—इनमें जिला मंडल, नगरपालिकाएं और छावनी मंडल और साथ ही नगर क्षेत्र समितियां और जनपद सभाएं, जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें भी शामिल हैं।

7 **परीक्षाफल** :—इसका संबंध उन छात्रों से है जिन्होंने चालू वर्ष में शिक्षा प्राप्त की है। इसमें प्राइवेट छात्रों का भी परीक्षाफल शामिल है।

8 **अप्रत्यक्ष व्यय** :—इसमें वह रकम दिखाई गयी है जो निदेशन, निरीक्षण, इमारतें, फर्नीचर, छात्रवृत्ति, छात्रावास तथा अन्य विविध मदों पर खर्च की गयी है। अप्रत्यक्ष व्यय कुछ इस प्रकार का है कि हरेक प्रकार की संस्था पर खर्च की गयी रकम अलग-अलग नहीं दिखायी जा सकती।

9 सभी आंकड़ों का संबंध केवल मान्यता-प्राप्त संस्थाओं से है।

10 **लड़कियों की संस्थाएं** :—वे ही मानी गयी हैं जो केवल या मुख्यतः लड़कियों के ही लिए थीं। शेष संस्थाओं को लड़कों की संस्था माना गया है।

पहला अध्याय

सामान्य सर्वेक्षण

केन्द्रीय स्तर पर विकास-कार्य

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में देश में मुख्य कार्यक्रम यह था कि 11 साल तक के सभी बालक-बालिकाओं को आम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की तैयारी शुरू कर दी जाए। यह कार्यक्रम मुख्यतया तभी सफल हो सकता था जबकि प्रशिक्षित अध्यापक काफी संख्या में मिलते रहें। अतः शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक योजना बनाई। योजना में वर्तमान संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों की संख्या बढ़ाने और जहां कहीं आवश्यक हो वहां अतिरिक्त प्रशिक्षण स्कूल खोल कर आवश्यक सीमा तक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने की व्यवस्था की गयी और साथ ही राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने के लिए संसद में एक विधेयक भी पेश किया गया।

इलाहाबाद में 11 से 13 मई, 1959 तक प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों का रूप देने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी (सेमिनार) का आयोजन किया गया। इसमें राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के जन-शिक्षा निदेशकों तथा अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में नव-शिक्षण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया और इस संबंध में सुझाव दिये गए कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अंत तक या तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के शुरू होने तक इस कार्यक्रम को कैसे पूरा किया जा सकता है। इस सिलसिले में अध्यापकों के लिए अल्प-कालीन प्रशिक्षण क्रम चलाने की सिफारिश की गई।

बुनियादी शिक्षा के विकास के लिए दूसरी आयोजना में सम्मिलिति केन्द्रीय राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाएं आलोच्य वर्ष में भी चालू रहीं। बुनियादी शिक्षा से संबंधित साहित्य और अन्य सामग्री तैयार करने के काम के लिए बजट में जो व्यवस्था की गयी थी, उसमें कटौती होने पर भी कुछ उपयोगी पुस्तकें आदि खरीदी गयीं। उदाहरणार्थ, बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिए संदर्शिकाए बुनियादी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की तुग्राएं (मोनो ग्राम), सामान्य विज्ञान की पुस्तकें बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के लिये आकर-पुस्तकें (सोर्स-बुक्स) आदि। नेशनल इंस्टीटयूट आफ बेसिक एजूकेशन (राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान) भी अनुसंधान, प्रशिक्षण और साहित्य-प्रणयन आदि का काम करता रहा।

दूसरी जिस महत्वपूर्ण समस्या पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने ध्यान दिया वह लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा थी। इस संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए आलोच्य वर्ष में नेशनल काउन्सिल फॉर वीमेन्स एजूकेशन (राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद्) की स्थापना की गई। परिषद् की सलाह पर शिक्षा मंत्रालय ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में एक निदेशक या संयुक्त निदेशक नियुक्त किया जाए और लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित विशेष कार्यक्रम उसी की देखरेख में बनाये जाएं और उन पर अमल किया जाए। इसके अतिरिक्त परिषद् ने अपनी 16 अक्तूबर 1959 की पहली बैठक में तीसरी आयोजना के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी तैयार किया और दूसरी आयोजना की अवधि में सभी स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के लिए दस करोड़ रुपये मंजूर करने की सिफारिश की।

22—5 M of Edu/65

लड़कियों की शिक्षा और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के विस्तार से संबंधित केन्द्र द्वारा चलाई गयी योजना में और भी प्रगति हुई। इस योजना के अन्तर्गत व्यय की राशि का 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में दिया गया। शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकारों के अंशदान से पूरा किया जाना था। लेकिन कुछ राज्य-सरकारों ने इस योजना के लिए साधन जुटाने में कठिनाई का अनुभव किया। अतः भारत सरकार ने निश्चय किया कि राज्य सरकारों से अनुदान लेने की प्रतीक्षा न की जाए और केन्द्रीय अनुदान का शेष भाग भी दे दिया। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 70.30 लाख रुपये की सहायता दी गई।

प्राक्कलन समिति (58वीं रिपोर्ट) की सिफारिशों पर यह निर्णय किया गया कि त्रिपुरा और मनिपुर के सभी सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में आठवीं श्रेणी तक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए। यह निर्णय भी किया गया कि संघ राज्य-क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के वास्तविक विद्यार्थीयों को विश्वविद्यालयों और परिषदों (बोर्डों) की परीक्षाओं का परीक्षा-शुल्क देने से छूट दी जाए। पहली बार यह छूट 1959–60 से लेकर पांच वर्ष के लिए दी जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय स्तर पर किए गए विकास-कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् का निर्माण था। यह परिषद केवल सलाह देने का काम करती है। इसका कार्यकारी काम शिक्षा मन्त्रालय के विस्तार कार्यक्रम निदेशालय को सौंपा गया है। पुनर्गठित परिषद् की पहली बैठक नई दिल्ली में जुलाई 1959 को हुई। इस बैठक में जिन समस्याओं पर विचार किया गया उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं इस प्रकार हैं :—

(हाई) स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें उच्चतर माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक बहुद्देशी विद्यालयों में बदलना और माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या पर विचार करना।

सितम्बर 1959 में हुए माध्यमिक शिक्षा परिषदों के सचिवों के सम्मेलन में भी माध्यमिक स्कूल की परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या पर विचार किया गया और परीक्षा-पद्धति में सुधार करने के लिए साधन व उपाय सुझाए गए। सम्मेलन के निर्णय के अनुसार एक केन्द्रीय परीक्षा एकक की स्थापना की गई। एकक ने इस विषय के मूल्यांकन के लिए कई कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया और बहुत-सी परीक्षण-सामग्री एकत्र की। साथ ही, लगभग एक सौ से अधिक नव शिक्षण कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया और इनमें लगभग 2000 अध्यापकों को मूल्यांकन की नई धारणाओं से परिचित कराया गया।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के अध्यापक प्रशिक्षण कालेज में एक नए केन्द्र के खुलने से आलोच्य वर्ष में विस्तार सेवा विभागों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। ये विभाग अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते रहे और इनके क्रियाकलापों से अध्यापकों के दृष्टिकोण और कक्षा में अध्यापन की तकनीक पर भी विशेष प्रभाव पड़ा। इस दिशा में आलोच्य वर्ष में कुल 8,90,813 रुपये की राशि व्यय की गई।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण की जो योजनाएं शामिल की गयीं थीं उन पर राज्यों में तेजी से काम होता रहा। इस कार्य के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को 4.38 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये।

आलोच्य वर्ष में विज्ञान क्लब आन्दोलन में और भी प्रगति हुई। 183 नए विज्ञान-क्लब खोले गए। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ कर 313 हो गई। प्रत्येक क्लब को माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय से 1,200 रुपये की सहायता दी गई। विज्ञान क्लबों के प्रायोजकों (स्पौन्सर्स) के तीन सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इनमें क्लबों के संगठन और संचालन तथा माध्यमिक स्कलों में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के भावी कार्यक्रम के निर्माण के संबंध मे सौ से अधिक विज्ञान, अध्यापकों को मार्गदर्शन दिया गया।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली स्वैच्छिक शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 20 शिक्षा-संस्थाओं को कुल 2,95,419 रुपये सहायता के रूप में दिए गए। छात्रावासों के निर्माण से संबंधित एक अन्य योजना के अन्तर्गत विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर को देने के लिए राजस्थान सरकार को 4.0 लाख रुपये दिये गए और अन्य 11 राज्य सरकारों को 39 शिक्षा-संस्थाओं को देने के लिए 8.60 लाख रुपये दिए गए।

माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर अनुसंधान-कार्य को आगे बढ़ाने की योजना भी जारी रही। इस योजना के अन्तर्गत 24 अनुसंधान परियोजनाओं (प्रोजेक्ट्स) के लिए 21 अध्यापक प्रशिक्षण-कालेजों और विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों को 1,03,399 रुपये की राशि सहायता के रूप में दी गई। इसी योजना में चार अनुसंधान परियोजनाएं भी अनुमोदित की गईं।

विश्वविद्यालय-शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार का काम करता रहा। आलोच्य वर्ष के अंत तक 22 विश्वविद्यालयों ने तीन साल का पाठ्यक्रम लागू कर दिया था और शेष विश्वविद्यालयों ने भी इसे सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया था।

शिक्षा मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में 'सामान्य शिक्षा' के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए उनमें से कुछ इस प्रकार है :— भारतीय और अमरीकी शिक्षा-विदों की टोलियों का परस्पर विनिमय, विश्वविद्यालय के आचार्यों (प्रोफेसरों) के सम्मेलन और संगोष्ठियां कराना, पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कराना और भारत गेहूं ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकों और साज-सामान के मिलने की व्यवस्था करना।

कस्तूरबा सेवामन्दिर राजपुरा में एक और ग्राम संस्थान खोला गया। इस प्रकार इन संस्थानों की संख्या 11 हो गई। भारत-अमरीकी तकनीकी सहकारिता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम संस्थानों को सहायता देने की परियोजना को और विस्तृत किया गया तथा विस्तार और अनुसंधान प्रक्रियाओं के उच्च प्रशिक्षण के लिए 20 भारतीय अध्यापक अमेरिका भेजे गए। राष्ट्रीय ग्राम उच्च शिक्षा परिषद् की एक बैठक 28 जुलाई, 1959 को हुई, जिसमें यह विचार किया गया कि गांवों से संबंधित आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा करने की दृष्टि से ग्राम संस्थानों को किस प्रकार चलाया जाये ताकि वे ग्राम समुदाय के विकास में सहायक सिद्ध हो सकें। बैठक में यह निर्णय किया गया कि जिन विस्तार-कार्यों के लिए सम्यक् आयोजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाई जाएं और ग्राम सेवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में एच्छिक वर्गों की संख्या बढ़ाई जाए।

केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया था कि तकनीकी शिक्षा का विकास, सभी स्तरों पर, तेजी से किया जाए। इस निर्णय के अनुसार प्रदेशों में उच्चतर औद्योगिकी संस्थान खोले गए थे। इनमें से तीसरे औद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यट ऑफ टेकनोलोजी (भारतीय औद्योगिकी संस्थान), मद्रास में जुलाई 1959 में काम शुरू हो गया। सारे देश के चुने हुए विद्यार्थीयों को सिविल, यांत्रिक, विद्युत्, इंजीनियरी तथा धातुकर्म और रसायन इंजीनियरी के पांच वर्ष के समेकित पाठ्यक्रमों में दाखिल किया गया। अन्य दोनों संस्थानों (भारतीय औद्योगिकी संस्थान, बम्बई और भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर) का और विस्तार किया गया।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने रसायन इंजीनियरी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया। ये पाठ्यक्रम देश के आठ चुने केन्द्रों में चलाए जाएंगे। इंजीनियरी और औद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने की एक अन्य योजना भी अनुमोदित की गयी। अनुसन्धान कार्य देश के ग्यारह केन्द्रों में होगा। परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने प्रोफेसर एम० एस० ठाकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इसका कार्य इंजीनियरी और औद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्य की प्रगति की वर्तमान स्थिति की जांच करना और स्नातकोत्तर शिक्षा के भावी विकास के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति के बारे में सिफारिश करना था।

आलोच्य वर्ष में पूर्व-प्रस्तावित 8 इंजीनियरी कालेजों और 48 पॉलीटेकनिक संस्थाओं में से सात इंजीनियरी कालेज और 37 पॉलीटेकनिक खोले गयें। शेष कालेज व संस्थाएँ खोलने के लिए प्रयत्न जारी थे। नई तकनीकी संस्थाएँ खोलने पर होने वाले व्यय का आधा-आधा भाग देने की केन्द्रीय और राज्य सरकारों की योजना के अंतर्गत 100 लाख रुपये की राशि राज्य सरकारों को सहायता के रूप में दी गई।

आलोच्य वर्ष में चुने हुए इंजीनियरी कालेजों और पॉलीटेकनिकों का विस्तार करने की योजना में भी काफी प्रगति हुई। डिग्री पाठ्यक्रमों में 2473 और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 4033 अतिरिक्त विद्यार्थियों के दाखिले की व्यवस्था की गई। अब तक जिन विभिन्न विकास योजनाओं पर काम हुआ था, उनके अनुसार इन संस्थाओं में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या डिग्री पाठ्यक्रमों में 11,000 और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 20,670 तक पहुंच गई। केन्द्रीय सरकार ने इंजीनियरी और औद्योगिक संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को योग्यता व निर्वाह साधनों के आधार पर छात्रवृत्तियां देने की भी एक योजना बनाई और उसे लागू भी किया। आलोच्य वर्ष की अवधि में कुल 1039 छात्रवृत्तियाँ दी गईं जिनमें से 692 डिग्री पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को और 347 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को दी गयी थीं।

समाज शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 30 लाख वयस्कों को साक्षरता कक्षाओं में दाखिल किया गया। राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र का काम भी पहले की तरह जारी रहा। केन्द्र विशेषतः प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करता है। अनुसंधान के क्षेत्र में केन्द्र ने "ग्राम चौपालों" अर्थात् गांवों के मिलन-स्थलों और "मेहरौली खण्ड में सामुदायिक केन्द्रों" की दूसरी परियोजना को पूरा किया। जामिया मिलिया के अनुसन्धान, प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र ने भी वयस्कों के स्कूलों की पाठ्य-विवरण, पाठ्य-पुस्तक और अनुपूरक पाठ्य-सामग्री संबंधी अनुसन्धान की योजना को चालू रखा। वयस्कों के विभिन्न स्कूल-स्तरों के लिए अनुपूरक पाठ्य-सामग्री के मुल्यांकन और श्रेणी-करण के कार्य में भी प्रगति हुई। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की समाज शिक्षा संबंधी आवश्य-कताओं की पूर्ति के लिए एक प्रायोगिक सायंकालीन कर्मचारी शिक्षा संस्थान खोलने की व्यवस्था की गई।

राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्थान ने आलोच्य वर्ष से कार्य करना आरम्भ किया। फिल्में और फिल्म-पट्टियां बनाने के अतिरिक्त इसका मुख्य कार्य, श्रव्य-दृश्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था करना भी था। राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा परिषद की चौथी बैठक दिसम्बर 1959 में हुई थी। मण्डल की तीसरी बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति की स्थापना की गई।

शारीरिक शिक्षा और युवक कल्याण से संबंधित कार्यकलापों को आलोच्य वर्ष में भी उत्साह-पूर्वक पूरा किया जाता रहा। इस वर्ष की सबसे उल्लेखनीय घटना 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा अभियान' का शुरू किया जाना था यह विचार किया गया कि पूरे देश भर में राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं आदि द्वारा, शारीरिक सामर्थ्य की परीक्षाएं ली जाएँ। इस संबंध में एक सचित्र विवरणिका भी प्रकाशित की गई जिसमें कार्मिक सूचियां और अभियान का ब्योरा दिया गया। इस क्षेत्र में किये गये अन्य महत्वपूर्ण विकासकार्य इस प्रकार थे : शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रशिक्षण-क्षमता बढ़ाना, व्यायामशालाओं के लिए अनुदान देना, और शारीरिक शिक्षा में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देने की योजना को लागू करना।

लोकसभा की प्राक्कलन समिति और केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार परिषद् की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पं० एच० एन० कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की। इस समिति का कार्य शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के समन्वय और एकीकरण की समस्या पर विचार करना

था। समिति ने पहले, जांच की कार्यप्रणाली का निश्चय किया और तब हाई स्कूलों और उच्च-स्तर के स्कूलों के प्रमुखों के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली भेजी। एक अन्य समिति भी स्थापित की गई जिसका कार्य यह विचार करना था कि क्या विभिन्न क्षेत्रों के शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए मानक वेतन-मानों को निर्धारित करने के संबंध में सिफारिश करना उचित रहेगा?

आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों को उनकी मनोरंजन परियोजनाओं के लिए, उदाहरणार्थ, व्यायाम शालाएं, क्रीड़ास्थलियाँ, मण्डप (पवेलियन) आदि बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई। इन परियोजनाओं में विद्यार्थियों और अध्यापकों ने कुशल और अकुशल दोनों ही प्रकार का श्रमदान किया आलोच्य वर्ष के अंत तक लगभग 507 परियोजनाओं की स्वीकृती दी गई और व्यय के रूप में 91.20 लाख रुपये दिए गए।

देश के नवयुवकों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना चालू की गई। इस योजना में शारीरिक, मानसिक और प्रशासन एवं संगठन संबंधी प्रशिक्षण पर बल दिया गया। आलोच्य अवधि में यह योजना 554 स्कूलों में चालू की गई और लगभग 2.75 लाख बच्चे इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण पा रहे थे।

देश में खेल-कूद आदि को बढ़ावा देने के लिए आलोच्य अवधि में बहुत-सी योजनाएं चल रही थीं। इनमें से शिक्षा संस्थाओं के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना सबसे अधिक उल्लेखनीय है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षा संस्थाओं को बांटने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों को 9.33 लाख रुपये दिए गए।

शिक्षा के लोकतंत्रीकरण के लिए दी जाने वाली पिछली बहुत-सी छात्रवृत्ति योजनाएं आलोच्य वर्ष में भी चालू रखी गईं। ये योजनाएं छात्रों को देश तथा विदेश में अध्ययन का अवसर देने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों और अधिवृत्तियों से संबंधित थीं। साथ ही, इन योजनाओं में ये विदेशी छात्रवृत्तियां भी शामिल थीं: विदेशी सरकारों, संगठनों, संस्थाओं, यू० एन० ओ० और यूनेस्को की छात्रवृत्तियां, अधि-वृत्तियां तथा कोलम्बो आयोजना और चार-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियां। इसके अतिरिक्त भारत और दूसरे देशों के बीच अध्येताओं (स्कालर्स) के विनिमय के भी अनेक कार्यक्रम थे। इसी प्रकार विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए भी बहुत-सी छात्रवृत्तियां दी जाती थीं। देश में अध्ययन के लिए जो छात्रवृत्ति योजनाए चल रही थीं, उनमें, पब्लिक स्कूलों की योग्यता छात्रवृत्तियां, उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, मानव-विद्या की अनुसन्धान-वृत्तियां तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं।

आलोच्य वर्ष में विकलांग बच्चों की स्थिति में सुधार के प्रयास जारी रहे। आदर्श अंध विद्यालय (माडल स्कूल), प्रौढ़ अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र और उसके महिला विभाग का काम सन्तोषजनक रहा। अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां भी दी गई। राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंग के रूप में बम्बई में विकलांगों के लिए एक विशिष्ट रोजगार कार्यालय खोला गया विकलांगों की विशिष्ट आवश्यकताओं और उनकी संख्या का निर्धारण करने के लिए दिल्ली और कानपुर में स्थली-पुलाक सर्वेक्षण किए गए।

सांस्कृतिक क्षेत्र में, साहित्य अकादमी, संगीत-नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के अपने-अपने विशिष्ट कार्यकलाप जारी रहे। देश के संग्रहालयों में जनता का आकर्षण भी पूर्ववत् बना रहा। भारतीय संग्रहालय निर्देशिका (डाइरेक्टरी आफ म्युजियमस इन इण्डिया) भी प्रकाशित की गई। ता० 15 अक्तूबर, 1959 को 'प्राचीन इमारतें और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम' और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम भी लागू हो गए। इसी दिन नई दिल्ली में एक पुरातत्व विद्यालय (स्कूल आफ् आर्कियालोजी) भी खोला गया।

आलोच्य वर्ष में भारत और दूसरे देशों के बीच मैत्री और सद्‌भावना बढ़ाने के लिए बहुत से भांति-भांति के सांस्कृतिक कार्यकलाप हुए।

आलोच्य वर्ष में सिक्किम, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के छात्र/शिक्षक प्रतिनिधि मंडल हमारे देश में आए। जनवरी 1960 में सोवियत संघ के छः शिक्षाविदों का एक शिष्ट-मंडल भी भारत आया। माध्यमिक स्कूलों और प्रशिक्षण कालेजों के 40 विज्ञान अध्यापकों की एक टोली ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजी गयी।

चेकोस्लोवाकिया गणराज्य और सोवियत संघ के साथ सांस्कृतिक करार किए गए। दूसरे देशों के साथ घनिष्ट सांस्कृतिक संबंध रखने वाली 18 समितियों को आर्थिक सहायता दी गई। भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद् के मुख्यालय 'आजाद भवन' के पहले भाग का निर्माण-कार्य लगभग पूरा हो चुका था।

आलोच्य वर्ष में हिन्दी के प्रसार और विकास के काम में पर्याप्त प्रगति हुई। सूचीकरण (इन्डैक्सिंग और प्रकाशन-कार्य) में विशेष रूप से प्रगति हुई। वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली मण्डल के अधीन 21 विशेषज्ञ समितियों ने विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया। सन् 1959 के अंत तक विभिन्न विषयों के लगभग 1,91,000 पारिभाषिक शब्द तैयार किए गए। जिनमें से 40,898 शब्दों को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया।

भारत सरकार और 'यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारत का राष्ट्रीय आयोग', देश में यूनेस्को के शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत और जनसंपर्क संबंधी कार्यक्रमों में उसके साथ सहयोग करते रहे। यूनेस्को के दसवें महा अधिवेशन की सिफारिशों के अनुसार इस संगठन ने एशियाई देशों की प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का सामान्य सर्वेक्षण किया। इसके बाद कराची में एक प्रादेशिक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें इस समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। अन्य देशों के अतिरिक्त भारत के भी चार शिक्षा-विदों के एक शिष्ट-मण्डल ने इस अधिवेशन में भाग लिया।

राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में विकास-कार्य

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण विकासकार्य हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :—

आन्ध्र प्रदेश

सभी गैर-सरकारी प्रबन्ध-समितियों के स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों को बढ़ाया गया और पहली बार उनका वेतनमान सरकारी स्कूलों के वेतन-मान के बराबर और उसके एकरूप कर दिया गया।

पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक स्कूलों की पुस्तकों की छपाई सरकार द्वारा करवाने के लिए जोरदार प्रयास किए। परिणाम-स्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की सारी तेलुगु पुस्तकें राष्ट्रीयकरण योजना में शामिल कर ली गई इस योजना में तीसरी कक्षा की पाठमाला (रीडर) और पहली एवं चौथी कक्षाओं की विषय पुस्तकें शामिल नहीं की गई।

माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी-शिक्षण का स्तर ऊंचा करने के लिए अनन्तपुर, गुन्टूर, काकीनाडा, खम्मेमठ और हैदराबाद में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। माध्यमिक स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली के चुनाव और वर्गीकरण के लिए जो समिति बनाई गयी थी, उसने आवश्यक शब्दों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया।

आसाम

गैर-सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाकर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान के बराबर कर दिया गया। गोहाटी विश्वविद्यालय में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए वैज्ञानिक विषयों का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इस पाठ्यक्रम का आयोजन ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में किया गया ताकि अध्यापक उसमें अधिक कठिनाई के बिना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

बिहार

15 मई, 1959 से प्रत्येक उपमण्डल मुख्यालय में अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिए डेढ़ महीने की अवधि का एक अल्पकालीन प्रशिक्षण क्रम शुरू किया गया।

गैर-सरकारी हाई स्कूलों और बहु-उद्देशी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए एक प्रतिमान (मॉडल) वेतन-मान निर्धारित किया गया। आलोच्य वर्ष में मिडिल और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान को बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को साज-सामान व उपकरण की खरीद और इमारतों के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए दिए गए। राजकीय बहुद्देशी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को उपकरण, साज-सामान, पुस्तकें, चार्ट और नक्शे आदि खरीदने के लिए 4 लाख रुपये की सहायता दी गई।

बम्बई

राज्य सरकार ने निदेश दिया कि नये नियमों के अनुसार कम पैसा कमाने वाले सभी वर्गों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इन नियमों के अनुसार 900 रु० वार्षिक से कम धन कमाने वाले सभी लोगों को 'अन्य पिछड़े वर्गों के लोग' माना गया।

राज्य सरकार ने आलोच्य वर्ष में माध्यमिक शिक्षा समेकन समिति की कुछ मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। ये सिफारिशें गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मान को बढ़ाने, समी गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों को सहायक अनुदान देने की पद्धति को एकरूप देने तथा निचली कक्षा से लेकर सबसे ऊंची कक्षा तक के लिए मानक शिक्षा शुल्क निर्धारित करने के विषय में थीं।

जम्मू और कश्मीर

माध्यमिक शिक्षा को अखिल भारतीय पद्धति के अनुरूप बनाने के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षापद्धति लागू की गई। इस नीति के अनुसार दस हाई स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना दिया गया। इसके अतिरिक्त, इन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बहुमुखी पाठ्यक्रम भी लागू किए गए।

मध्यप्रदेश

देवास के गैर-बुनियादी पद्धति के प्रशिक्षण कालेज को बुनियादी कालेज में परिवर्तित किया गया। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा का तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

मद्रास

आलोच्य वर्ष में सभी गैर-बुनियादी प्रारम्भिक स्कूलों के चौथे स्टैंडर्ड में और माध्यमिक स्कूलों की चौथी कक्षा में (जिसका नाम बदल कर चौथा स्टैंडर्ड कर दिया गया था) पहले से सातवें स्टैंडर्ड के समेकित प्रारम्भिक पाठ्यक्रम की संशोधित पाठ्यचर्या लागू की गई। पुनर्गठित

योजना के अनुसार जबतक बुनियादी स्कूलों के लिए बनाई जाने वाली पाठ्यचर्चा को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक के लिए तदर्थ रूप से निदेशक ने बुनियादी स्कूलों के प्रथम पांच स्टेंडर्डों में उन अतिरिक्त विषयों का शिक्षण चालू करने के लिए कदम उठाए जिनकी सिफारिश तमिलनाड बुनियादी शिक्षा समाज ने की थी। एक तदर्थ समिति भी स्थापित की गई जिसका कार्य उत्तर-बुनियादी स्कूलों के अन्तिम वर्ष के छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना और उत्तीर्ण छात्रों को उत्तर-बुनियादी पाठ्यक्रम के प्रमाणपत्र प्रदान करने के विषय में सिफारिश करना था।

मैसूर

आलोच्य वर्ष में राज्य में एक समिति बनाई गयी, जिसका कार्य राज्य में पूर्व-प्राथमिक स्तर की शिक्षा की वर्त्तमान सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उन्हें बढाने के उपायों और साधनों के विषय में सुझाव देना था। शिक्षितों की बेरोजगारी दूर करने और प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए भारत सरकार ने राज्य के नये स्कूलों को 880 अध्यापक दिए। जिन स्कूलों में आवश्यकता से अधिक छात्र थे और जिन स्कूलों को समुन्नत किया गया था, उनकी अध्यापक संख्या को बढाने के लिए भी 5000 अध्यापक दिए गए। इनमें से अधिकांश अध्यापक राज्य के शिक्षा में पिछड़े हुए क्षेत्रों (जैसे हैदराबाद और कर्नाटक) में भेजे गए।

सभी स्कूलों के पहले और दूसरे स्टेंन्डर्ड में प्राथमिक स्कूलों की नयी पाठ्यचर्या लागू कर दी गयी। नयी पाठ्यचर्या में बुनयादी शिक्षा की सभी आवश्यक विशेषताएं सम्मिलित हैं। हाई-स्कूलों का निरीक्षण करने की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई पद्धति अपनाई गई। इसके लिए चित्रदुर्ग और गुलबर्ग के दो मंडलों में प्रयोग के रूप में अंग्रेजी, कन्नड, गणित, विज्ञान और सामाजिक शिक्षा के विषय-निरीक्षकों की व्यवस्था के लिए मंजूरी दी गई।

उड़ीसा

राज्य के सभी बुनयादी और गैर-बुनियादी स्कूलों में संशोधित पाठ्य-चर्या लागू की गई। इसमें दस्तकारी और सामुदायीक रहन-सहन पर विशेष बल दिया गया था। इन स्कूलोंमें अंग्रेजी के शिक्षण में सुधार करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण स्कूलों के शिक्षार्थी-अध्यापकों को अंग्रेजी शिक्षण-विधि का प्रशिक्षण दिया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक स्तर पर बुनियादी और गैर-बुनियादी शिक्षा के बीच की खाई को पाटने के लिए और बुनियादी शिक्षा को उच्च शिक्षा-संस्थाओं के लिए अधिक ग्राह्य बनाने के लिए प्रयास किए और उत्तर-बुनियादी और उच्चतर माध्यमिक बहुद्देशी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया।

अधिकाधिक लड़कियों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने उपस्थिति-छात्रवृत्तियां देने की योजना शुरू की। यह छात्रवृत्ति प्राथमिक स्कूलों की वर्दियों के रूप में दी जाती थी। सरकार ने अध्यापिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्वार्टर भी बनवाए।

राज्य में हिन्दी के प्रचार के लिए हाई स्कूलों में 80 अतिरिक्त हिन्दी अध्यापक नियुक्त किए गए। यह संख्या गत तीन वर्षों में नियुक्त किए गए 130 अध्यापकों की संख्या के अतिरिक्त है।

पंजाब

राज्य में भाषाओं के विकास से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य में भाषा सलाहकार परिषद स्थापित की गयी। प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी-पंजाबी का प्रयोग यथाशीघ्र कराने की दृष्टि से भाषा विभाग ने नियम पुस्तकों (मैनुअल) संहिताओं, अधिनियमों आदि महत्वपूर्ण प्रलेखों के 4000 से भी अधिक पृष्ठों का हिन्दी पंजाबी में अनुवाद किया, प्रशासन और दैनिक व्यवहार के लगभग 15,000 अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी-पंजाबी पर्याय निर्धारित किए या उन्हें

हिन्दी-पंजाबी में ग्रहण किया, 25000 से भी अधिक शब्दों का पंजाबी में अनुवाद किया, हिन्दी-पंजाबी कोश के 7532 शब्द, पंजाबी-हिन्दी कोश के 2273 शब्द, संस्कृत-हिन्दी-पंजाबी कोश के 22032 शब्द और उर्दू-हिंदी-पंजाबी कोश के 2531 शब्दों को अन्तिम रूप दिया। विभाग ने हिन्दी और पंजाबी की विभागीय परीक्षाएं भी ली।

आलोच्य वर्ष में मण्डल और जिला स्तर के निरीक्षणालय का पुनर्गठन किया गया। उन स्कूलों का स्तर भी निश्चित किया गया जिनका निरीक्षण प्रत्येक जिला निरीक्षक/निरीक्षिका, उप-निरीक्षक / उपनिरीक्षिका और अवर निरीक्षक/निरीक्षिका को करना था।

पंजाब विश्वविद्यालय ने एक विशेष संकल्प द्वारा उन छात्रों को किसी भी संबद्ध कालेज की दूसरी वर्ष की कक्षा में दाखिल होने की अनुमति दे दी, जो 1958–59 में उत्तर-बुनियादी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। पंजाब सरकार ने यह भी घोषणा की कि जो उम्मीदवार उत्तर-बुनियादी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, हों, उन्हें सरकारी नौकरी के लिए, मैट्रिक / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के समकक्ष समझा जाएगा।

सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में सातवीं श्रेणी तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। अध्यापिकाओं के लिए मकान आदि बनाने के लिए 2.99 लाख रुपये व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी कालेजों को सहायता के रूप में 8.61 लाख रुपये की राशि दी गई ताकि वे तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ कर सकें।

राजस्थान

2 अक्तूबर, 1959 के लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण होने के फलस्वरूप वे सभी प्राथमिक स्कूल पंचायत समितियों के अधीन कर दिये गए जो 8000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थित थे। इन स्कूलों के साथ ही इनके अध्यापक-वर्ग और पर्यवेक्षक-वर्ग को भी पंचायतों को सौंप दिया गया। कालेजों में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए पूर्व-विश्वविद्यालय कक्षाओं और तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की पहले वर्ष की कक्षाओं में उपशिक्षण व्यवस्था शुरू कर दी गयी।

उत्तर प्रदेश

आलोच्य वर्ष की सबसे उल्लेखनीय घटना इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1958 का लागू किया जाना था। यह अधिनियम राज्य की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए बनाया गया था। साथ ही इसका उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों की दुर्व्यवस्था की रोकथाम करना और अध्यापकों की नियुक्ति, पद-वृद्धि और दण्ड आदि के मामलों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करना भी था।

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1959 भी बनाया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के कुछ निकायों का पुनर्गठन करना था।

पश्चिमी बंगाल

अध्यापकों के वेतन-मान में संशोधन किया गया इससे माध्यमिक स्कूलों के 28000 अध्यापकों को, सामान्य शिक्षा के 92 कालेजों के अध्यापकों को और एक संगीत कालेज के अध्यापकों को लाभ हुआ। राज्य सरकार ने जिला विद्यालय मंडलों के अधीनस्थ प्राथमिक स्कूलों के सभी अनुमोदित अध्यापकों के लिए वेतन के $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत के आधार पर अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि की योजना भी शुरू कर दी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

एक हाई-स्कूल का स्तर बढ़ाकर उसे उच्चतर माध्यमिक बहुद्देशी स्कूल बना दिया गया। एक प्रवर बुनियादी स्कूल और एक मिडिल स्कूल को समुन्नत करके उच्चतर माध्यमिक स्तर का बना दिया गया और 16 नये प्राथमिक स्कूल एवं नौ अवर बुनियादी स्कूल खोले गए। लड़कियों के एक स्कूल का स्तर बढ़ा कर उसे उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना दिया गया।

दिल्ली

सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों और बिना सहायता वाले प्राइवेट स्कूलों पर अधिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निरीक्षणालय-व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया गया। पूरे राज्य-क्षेत्र को तीन इलाकों में बांटा गया और प्रत्येक इलाके में स्थित हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की देख-रेख के लिए एक निरीक्षक/निरीक्षिका की नियुक्ति की गई। प्रत्येक निरीक्षक-निरीक्षिका की देखरेख में औसतन 50 स्कूल रखे गए। इसी प्रकार दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र को चार इलाकों में बांट दिया। प्रत्येक इलाके का प्रभारी अधिकारी सहायक शिक्षा अधिकारी होता था और उसके काम में सहायता देने के लिए चार निरीक्षक नियुक्त थे। हर इलाके को फिर चार हल्कों में विभाजित किया गया। प्रत्येक हल्के के कार्य की देख रेख एक विद्यालय निरीक्षक करता था।

हिमाचल प्रदेश

आलोच्य वर्ष में सिरमूर जिले को रेणुका तहसील में आम प्राथमिक शिक्षा की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। जुलाई, 1959 में सोलन में शिक्षा अधिकारियों, मुख्याध्यापकों/मुख्याध्यापिकाओं और निरीक्षण अधिकारियों की एक संगोष्ठी की गयी, जिसमें प्रारम्भिक स्कूलों के अनुस्थापन (ओरिअेन्टेशन) की योजनाओं को अंतिम रूप देने पर विचार किया गया। अनुस्थापन-कार्यक्रमों के लिए दो शिक्षिक-प्रशिक्षण संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह

आलोच्य वर्ष में एक हाई स्कूल और लड़कियों के तीन स्कूल खोले गए। अगाथी के प्राथमिक स्कूल को बुनियादी स्कूल का रूप दे दिया गया।

मणिपुर

सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों में आठवीं श्रेणी तक शिक्षा नि:शुल्क कर दी गयी। अनुसूचित जातियों और कबीलों के छात्रों की शिक्षा सभी कक्षाओं में नि:शुल्क कर दी गयी।

त्रिपुरा

आठवीं श्रेणी तक शिक्षा नि:शुल्क कर दी गयी। लेकिन कबीलाई छात्रों की शिक्षा सभी कक्षाओं में नि:शुल्क कर दी गयी।

सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में छठी श्रेणी से आठवीं श्रेणी तक हिन्दी शुरू कर दी गयी।

पांडिचेरी

बीस अतिरिक्त कक्षाएं और तीस नये प्राथमिक स्कूल खोलने की दो नयी योजनाओं पर कार्य हो रहा था। इन कक्षाओं और स्कूलों की इमारतों के निर्माण-कार्य में भी प्रगति हुई। पहले 15 अतिरिक्त कक्षाएं, 20 नये प्राथमिक-स्कूल और 30 एक अध्यापक स्कूल खोलने की जो योजनाएं बनायी गयी थी, उनका काम पूरा हो चुका था। इसके अतिरिक्त एक मिडिल स्कूल का स्तर बढ़ा कर उसे हाई स्कूल का रूप दे दिया गया, 6 अपूर्ण हाई स्कूलों में एक-एक उच्चतर कक्षा और बढ़ायी गयी जिससे उनमें से एक स्कूल पूर्ण हाई स्कूल बन गया।

संस्थाएं

आलोच्य वर्ष में देश भर की मान्यता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की संख्या में 26,083 अर्थात् 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार इन संस्थाओं की संख्या बढ़ कर 4,39,711 हो गई। गत वर्ष यह वृद्धि 4.8 प्रतिशत थी। इनमें सबसे अधिक वृद्धि प्राथमिक स्कूलों की

संख्या में हुई। इनकी संख्या 319,070 हो गई जो कुल स्कूलों का 72.6 प्रतिशत थी। दूसरा स्थान मिडिल स्कूलों का था, जिनकी संख्या 41,921 या कुल संख्या का 9.5 प्रतिशत थी। हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या 15,703 अर्थात् 3.6 प्रतिशत थी। शेष संस्थाओं का विभाजन इस प्रकार था, विश्वविद्यालय 40, माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद 12, अनुसंधान संस्थाएं 42, कला और विज्ञान के कालेज 946, वृत्तिक शिक्षा के कालेज 725, विशिष्ट शिक्षा के कालेज 180, पूर्व-प्राथमिक स्कूल 11,349, व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल 3,837 और विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 55,886। इस सिलसिले में अधिक ब्योरे और पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े सारणी I में दिए गए हैं।

आलोच्य वर्ष में कृषि स्कूलों, वन-विद्यालयों और सामाजिक कार्य कर्त्ताओं के स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं की पिछले वर्ष की संख्या में कुछ वृद्धि हुई। बम्बई में कृषि स्कूलों और मद्रास तथा उड़ीसा में सामाजिक कार्य के स्कूलों की संख्या में कमी हो गई। विश्वविद्यालयों, माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषदों, अनुसंधान संस्थाओं, वाणिज्य, वन और पशुचिकित्सा के कालेजों, और नौ-प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के विद्यालयों और सुधारालयों की संख्या गत वर्ष की संख्या के बराबर ही रही। कालेज स्तर की संस्थाओं में 263 की वृद्धि हुई। इस वृद्धि का 3/5 भाग अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में हुआ जो मध्यप्रदेश और मद्रास के अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों को पूर्व-स्नातक अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों का स्वरूप देने के कारण था। इसके बाद, क्रमशः कला और विज्ञान के कालेजों और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों की संख्या बढ़ी। स्कूलों में 17,665 की सर्वाधिक वृद्धि प्राथमिक स्कूलों की संख्या में हुई। मिडिल स्कूलों की संख्या 2,324 से बढ़ गयी और हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की 1,377 से। विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों में 4181 की वृद्धि हुई जबकि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूलों में 274 की।

प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वृद्धि वृत्तिक शिक्षा के कालेजों की संख्या में 33.8 प्रतिशत की हुई। इसके बाद क्रमशः इनके नाम आते हैं: विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 8.1 प्रतिशत, कला एवं विज्ञान के कालेज और व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के स्कूल-प्रत्येक 7.7 प्रतिशत, विशिष्ट शिक्षा के कालेज 7.1 प्रतिशत, और सामान्य शिक्षा के स्कूल 6.0 प्रतिशत।

प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार संस्थाओं का विभाजन सारणी—II में दिखाया गया है।

सारणी II—प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार संस्थाओं की संख्या

प्रबन्ध-संस्था	1958–59		1959–60	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सरकार . .	1,05,933	25.6	94,100	21.4
ज़िला परिषद् . .	1,61,022	38.9	1,91,863	43.6
नगरपालिका . .	11,220	2.7	12,140	2.8
गैर-सरकारी संस्थाएं .				
सहायता प्राप्त . .	1,23,363	29.9	1,28,927	29.3
जो सहायता-प्राप्त नहीं हैं .	12,090	2.9	12,681	2.9
जोड़ .	4,13,628	100.0	4,39,711	100.0

सारणी —विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की संख्या

प्रकार	लड़कों की संस्थाएं 1958–59	लड़कों की संस्थाएं 1959–60	लड़कियों की संस्थाएं 1958–59	लड़कियों की संस्थाएं 1959–60	जोड़ 1958–59	जोड़ 1959–60	वृद्धि (+) कमी (–)
1	2	3	4	5	6	7	8
विश्वविद्यालय	39	39	1	1	40	40	..
माध्यमिक इंटरमिडिएट शिक्षा परिषद	13	12	..	..	13	12	— 1
अनुसंधान संस्थाएं	42	42	..	..	42	42	..
कला और विज्ञान के कालेज	744	796	134	150	878	946	+ 68
वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेज							
कृषि	29	32	..	..	29	32	+ 3
वाणिज्य	35	35	..	..	35	35	..
शिक्षा (अध्यापक प्रशिक्षण)	194	315	40	86	234	401	+ 167
इंजीनियरी	54	55	..	..	54	55	+ 1
वन-विज्ञान	3	3	..	..	3	3	..
विधि	32	34	..	..	32	34	+ 2
आयुर्विज्ञान	108	116	2	2	110	118	+ 8
शारीरिक शिक्षा	14	15	1	1	1	16	+ 1
औद्योगिकी	9	10	..	..	9	10	+ 1
पशु-चिकित्सा विज्ञान	17	17	..	..	17	17	..
अन्य	4@	4@	..	..	4	4	..
जोड़	499	636	43	89	542	725	+ 183

@इसमें व्यावहारिक कला और वास्तु कला की दो संस्थाएं तथा सहकारिता एवं डेरीविज्ञान की एक-एक संस्था भी शामिल हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
विशिष्ट शिक्षा के कालेज :							
गृह विज्ञान . . .	..	..	3	4	3	4	+ 1
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाएं .	39	42	6	7	45	49	+ 4
प्राच्य विद्या . . .	94	99	8	9	102	108	+ 6
समाज शास्त्र . . .	7	8	..	..	7	8	+ 1
अन्य	11	11	..	..	11	11	.. ..
जोड़ .	151	160	17	20	168	180	+ 12
सामान्य शिक्षा के स्कूल :							
हाईस्कूल उच्चतर माध्यमिक . .	12,223	13,422	2,103	2,281	14,326	15,703	+ 1,377
मिडिल . . .	35,835	37,865	3,762	4,056	39,597	41,921	+ 2,324
प्राथमिक	2,84,829	3,00,270	16,735	18,800	3,01,564	3,19,070	+ 17,506
पूर्व-प्राथमिक . . .	1,026	1,169	164	180	1,190	1,349	+ 159
जोड़ .	3,33,913	3,52,726	22,764	25,317	3,56,677	3,78,043	+ 21,366

सारणी I—विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की संख्या—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूल :							
कृषि	101	99	1	1	102	100	— 2
वाणिज्य . . .	965	1,092	1	3	966	1,095	+ 129
इंजीनियरी . . .	118	124	..	..	118	124	+ 6
वन-विज्ञान . . .	5	4	..	..	5	4	— 1
नौ-प्रशिक्षण	5	5	..	..	5	5	..
आयुर्विज्ञान और पशु चिकित्सा .	47	45	87	116	134	161	+ 27
शारीरिक शिक्षा . . .	37	37	1	1	38	38	..
अध्यापक प्रशिक्षण . .	735	805	239	229	974	1,034	+ 60
तकनीकी और औद्योगिक एवं कलाएं और शिक्षा . . .	801	833	406	428	1,207	1,261	+ 54
अन्य	14	15	..	..	14	15	+ 1
जोड़ .	2,828	3,059	735	778	3,563	3,837	+ 274

1	2	3	4	5	6	7	8
विशिष्ट शिक्षा के स्कूल :							
हीनांगों के लिए . . .	122	125	6	6	128	131	+ 3
समाज सेवकों के लिए . .	45	43	6	6	51	49	— 2
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाएं .	152	151	57	58	209	209	. .
प्राच्य विद्या . . .	3,350	3,372	24	24	3,374	3,396	+ 22
सुधारालय . . .	35	36	9	8	44	44	. .
समाज शिक्षण (प्रौढ़ों के लिए) .	41,554	44,635	6,032	7,101	47,586	51,736	+ 4,150
अन्य	280	287	33	34	313	321	+ 8
जोड़ .	45,538	48,649	6,167	7,237	51,705	55,886	+ 4,181
कुल जोड़ .	3,83,767	4,06,119	29,861	33,592	4,13,628	4,39,711	+ 26,083

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि लगभग आधी संस्थाओं का नियंत्रण स्थानीय परिषदों, लगभग एक-तिहाई का स्वैच्छिक संस्थाओं और शेष का नियंत्रण सरकार के अधीन था। इसके अतिरिक्त गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में स्थानीय परिषदों की शिक्षा-संस्थाओं में 18.4 प्रतिशत और गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सरकारी संस्थाओं की संख्या में 11.2 प्रतिशत की कमी हो गयी। कुछ राज्यों में शिक्षा का लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण होना इसका मुख्य कारण था।

सन् 1958-59 और 1959-60 में मान्यता-प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं का राज्यवार विभाजन सारणी-III में दिखाया गया है। सभी राज्यों की शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई, जो बिहार में सबसे अधिक 4,451 थी। इसके बाद क्रमशः राजस्थान 3,908, बम्बई 3,779, मध्यप्रदेश 2,690, उड़ीसा 2,087, उत्तर प्रदेश 1,863, पश्चिमी बंगाल 1,558, आसाम 1,541, आन्ध्र प्रदेश 1,195, और मद्रास 1,071 के नाम आते हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में इन संस्थाओं की संख्या में 595 (पंजाब) से लेकर 4 (पांडिचेरी) तक की वृद्धि हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता-प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं की संख्या में 22,202 की वृद्धि हुई। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़कर 3,76,923 हो गई, जो देश भर की मान्यता-प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं का 85.7 प्रतिशत थी। गत वर्ष यह संख्या 85.8 प्रतिशत थी। विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं का विभाजन इस प्रकार है :—

संस्था का प्रकार	1958-59	1959-60	वृद्धि (+) या कमी (—)
1	2	3	4
विश्वविद्यालय . . .	3	3	..
अनुसंधान संस्थाएं . . .	3	3	..
कालेज	137	215	+78
माध्यमिक स्कूल . . .	38,939	41,854	+2,915
प्राथमिक स्कूल (पूर्व-प्राथमिक स्कूलों सहित)	2,72,145	2,88,222	+16,077
व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल .	716	803	+87
समाज शिक्षा केन्द्र . . .	40,507	41,557	+1,050
विशिष्ट शिक्षा के अन्य स्कूल . .	2,271	4,266	+1,995
जोड़ .	3,54,721	3,76,923	+22,202

सारणी =विभिन्न राज्यों में शिक्षा संस्थाओं की संख्या

राज्य	लड़कों की संस्थाएं		लड़कियों की संस्थाएं		जोड़		वृद्धि (+) कमी (—)
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	34,564	35,718	724	765	35,288	36483	+ 1,195
आसाम	15,633	17,125	965	1,014	16,598	18,139	+ 1,541
बिहार	40,124	43,896	4,508	5,187	44,632	49,083	+ 4,451
महाराष्ट्र	66,703	44,136	6,148	4,989	72,851	49,125	+ 3,779
गुजरात	*	25,038	*	2,467	*	27,505	+ *
जम्मू और कश्मीर . . .	2,554	2,806	508	634	3,062	3,440	+ 378
केरल	9,707	9,702	211	228	9,918	9,930	+ 12
मध्य प्रदेश	28,329	30,788	2,178	2,409	30,507	33,197	+ 2,690
मद्रास	28,140	29,202	329	338	28,469	29,540	+ 1,071
मैसूर	30,880	31,504	2,036	1,845	32,916	33,349	+ 433
उड़ीसा	21,997	23,929	600	755	22,597	24,684	+ 2,087
पंजाब	13,037	13,597	2,988	3,023	16,025	16,620	+ 595

सारणी III—[illegible] (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	13,355	17,217	995	1,041	14,350	18,258	+ 3,908
उत्तर प्रदेश	38,628	40,705	4,607	5,393	44,235	46,098	+ 1,863
पश्चिमी बंगाल	33,232	34,490	2,359	2,659	35,591	37,149	+ 1,558
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	65	83	1	1	66	84	+ 18
दिल्ली	756	781	461	506	1,217	1,287	+ 70
हिमाचल प्रदेश	1,229	1,419	28	44	1,257	1,463	+ 206
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह	15	21	1	5	16	26	+ 10
मणिपुर	1,784	1,907	102	176	1,886	2,083	+ 197
नेफा	128	138	..	..	128	138	+ 10
त्रिपुरा	1,608	1,612	62	65	1,670	1,677	+ 7
पाण्डिचेरी	299	305	50	48	349	353	+ 4
जोड़	3,83,767	4,06,119	29,861	33,592	4,13,628	4,39,711	+ 26,083

*इसके आंकड़े महाराष्ट्र में शामिल हैं।

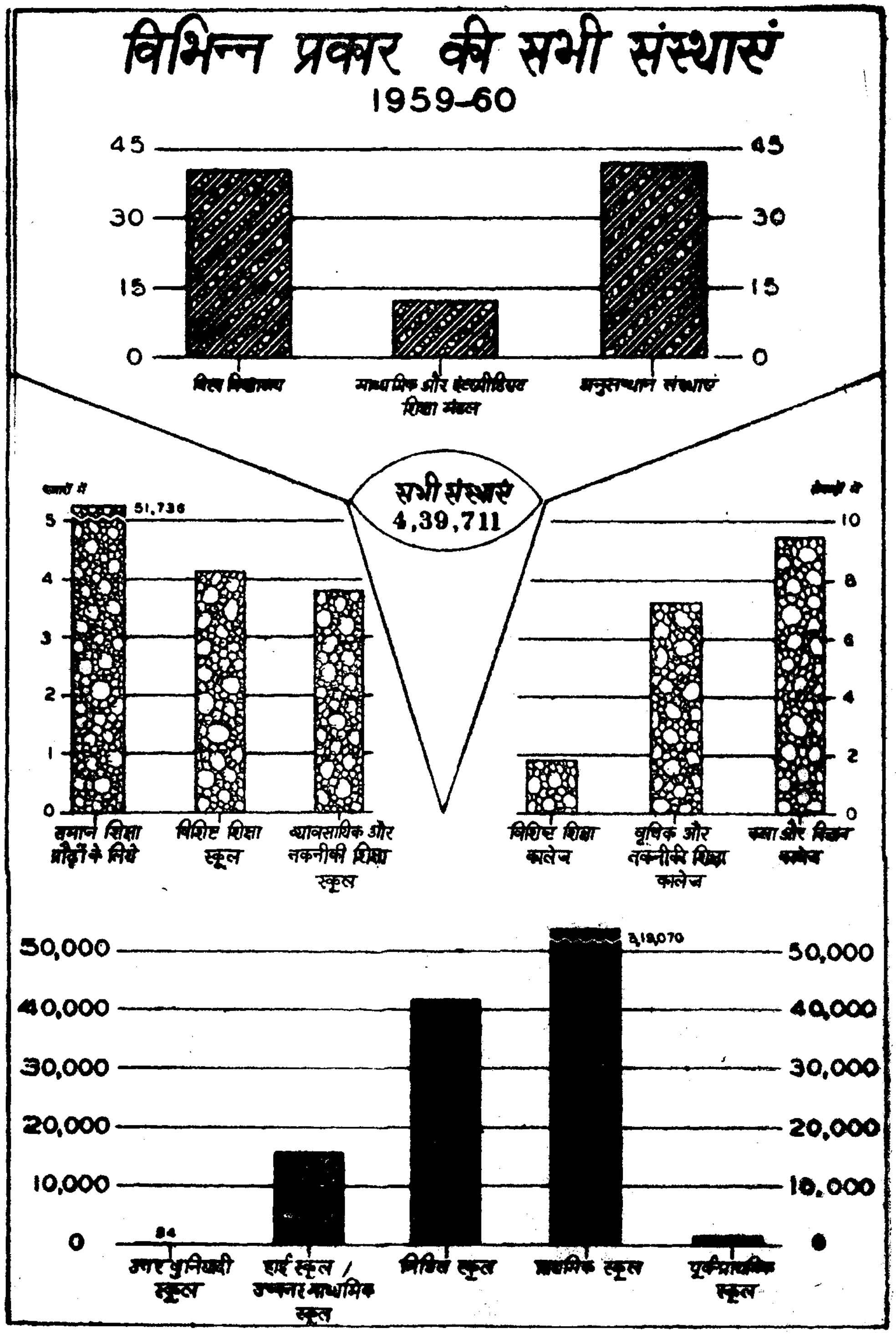

विभिन्न प्रकार की सभी संस्थाएं
1959-60
45
30
15
0
सभी संस्थाएं
4,39,711
51,736
विशिष्ट शिक्षा स्कूल
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा स्कूल
विशिष्ट शिक्षा कालेज
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
84
हाई स्कूल / उच्चतर माध्यमिक स्कूल

5 M. of Edu./65

छात्रों की संख्या

आलोच्य वर्ष में सभी प्रकार की संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले छात्रों की कुल संख्या में 30,98,840 की वृद्धि हुई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या बढ़कर 4,45,31,764 हो गयी। इसमें 3,15,68,849 लड़के थे और 1,29,62,915 लड़कियां। वृद्धि की यह दर 7.5 प्रतिशत (लड़कों की 6.9 प्रतिशत और लड़कियों की 9.0 प्रतिशत) थी, जबकि गत वर्ष की वृद्धि की दर 9.0 प्रतिशत (8.1 प्रतिशत लड़के और 11.4 प्रतिशत लड़कियां) थी।

व्यावहारिक और तकनीकी शिक्षा के कुछ स्कूलों (अर्थात् वन विद्यालयों, नौ-प्रशिक्षण स्कूलों चिकित्सा और पशु-चिकित्सा-विज्ञान और शारीरिक शिक्षा के स्कूलों) और कुछ विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों (अर्थात् सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के स्कूलों, संगीत और नृत्य के स्कूलों और सुधारालयों) को छोड़ कर शेष सभी प्रकार की संस्थाओंमें छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या सबसे अधिक अर्थात् 15,49,506 से बढ़ गयी, परन्तु प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि वृत्तिक शिक्षा के कालेजों की संख्या में हुई। इनकी संख्या 23.7 प्रतिशत बढ़ गयी। इनके बाद क्रमश: पूर्व प्राथमिक स्कूल (15.8 प्रतिशत), व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूल (11.1 प्रतिशत), हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल (9.6 प्रतिशत), मिडिल स्कूल (8.8 प्रतिशत), प्रौढ़ों के सामाजिक शिक्षा-स्कूलों के समेत विशिष्ट शिक्षा के स्कूल (8.3 प्रतिशत), विशिष्ट शिक्षा के कालेज (6.6 प्रतिशत), प्राथमिक स्कूल (6.3 प्रतिशत) और अनुसंधान संस्थाओं और विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों के समेत कला और विज्ञान के कालेजों (5.4 प्रतिशत) के नाम आते हैं। सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का विस्तृत ब्योरा सारणी IV में दिया गया है।

सारणी IV—विभिन्न प्रकार

संस्था का प्रकार	लड़के		लड़कियां
	1958–59	1959–60	1958–59
1	2	3	4
कला और विज्ञान के कालेज (अनुसंधान संस्थाएं और विश्वविद्यालयों के विभाग भी शामिल हैं) .	5,92,601	6,22,404	1,21,714
वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेज .			
कृषि . . .	7,885	9,333	82
व्यावहारिक कला एवं वास्तु कला . .	466	865	20
वाणिज्य . . .	23,674	26,382	552
शिक्षा (अध्यापक प्रशिक्षण) .	14,105	28,087	7,355
इंजीनियरी . . .	32,770	34,357	90
वन-विज्ञान . . .	518	563	..
विधि . . .	13,593	14,589	577
आयुर्विज्ञान . .	24,912	27,435	5,633
शारिरिक शिक्षा .	920	1,030	248
औद्योगिकी . .	1,192	1,395	93
पशु चिकित्सा . .	4,845	4,967	29
अन्य . . .	317	268	..
जोड़ .	1,25,197	1,49,271	14,679
विशिष्ट शिक्षा के कालेज .			
गृह विज्ञान . .	..	..	1,283
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाएं . .	3,426	3,428	4,659
प्राच्य विद्या . .	8,255	8,347	2,017
समाज शास्त्र . .	780	787	157
अन्य . . .	1,484	1,733	62
जोड़ .	13,945	14,295	8,178
सामान्य शिक्षा के स्कूल .			
हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल . .	47,51,766	51,58,144	14,19,773
मिडिल . . .	56,44,638	61,00,907	25,24,866
प्राथमिक . .	1,68,77,753	1,78,68,006	74,94,428
पूर्व-प्राथमिक . .	44,671	50,962	37,642
जोड़ .	2,73,18,828	2,91,78,019	1,14,76,709

... शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की संख्या

लड़कियाँ	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (–)	प्रतिशत
1959–60	1958–59	1959–60		
5	6	7	8	9
1,30,654	7,14,315	7,53,058	+ 38,743	+ 5.4
90	7,967	9,423	+ 1,456	+ 18.3
28	486	893	+ 407	+ 83.7
630	24,226	27,012	+ 2,786	+ 11.5
15,268	21,460	43,355	+ 21,895	+ 102.0
95	32,860	34,452	+ 1,592	+ 4.8
..	518	563	+ 45	+ 8.7
619	14,170	15,208	+ 1,038	+ 7.3
6,590	30,545	34,025	+ 3,480	+ 11.3
285	1,168	1,315	+ 147	+ 11.2
71	1,285	1,466	+ 181	+ 12.3
33	4,874	5,000	+ 126	+ 2.6
1	317	269	— 48	—15.1
23,710	1,39,876	1,72,981	+ 33,105	+ 23.7
2,005	1,283	2,005	+ 722	+ 56.3
4,959	8,085	8,387	+ 302	+ 3.7
2,078	10,272	10,425	+ 153	+ 1.5
175	937	962	+ 25	+ 2.7
79	1,546	1,812	+ 266	+ 17.2
9,296	22,123	23,591	+ 1,468	+ 6.6
16,04,402	61,71,539	67,62,546	+ 5,91,007	+ 9.6
27,84,883	81,69,504	88,85,790	+ 7,16,286	+ 8.8
80,53,681	2,43,72,181	2,59,21,687	+ 15,49,506	+ 6.3
44,388	82,313	95,350	+ 13,037	+ 15.8
1,24,87,354	3,87,95,537	4,16,65,373	+ 28,69,836	+ 7.4

सारणी IV—विभिन्न प्रकार की

संस्था का प्रकार	लड़के		लड़कियां
	1958–59	1859–60	1958–59
1	2	3	4
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूल			
कृषि	7,358	7,564	53
वाणिज्य	84,659	97,408	13,469
इंजीनियरी	31,760	37,383	113
वन-विज्ञान	237	154	..
नौ-शिक्षण	1,951	1,867	..
आयुर्विज्ञान और पशु चिकित्सा विज्ञान	5,049	4,126	5,2[illegible]5
शारीरिक शिक्षा	2,837	2,392	3[illegible]5
अध्यापक प्रशिक्षण	61,904	67,191	22,2[illegible]5
तकनीकी और औद्योगिक	61,573	69,012	25,2[illegible]0
अन्य	1,503	2,025	44
जोड़	2 58,831	2,89,122	66,831
विशिष्ट शिक्षा के स्कूल			
हीनांगों के लिए	5,311	5,801	1,736
सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए	4,036	3,728	489
संगीत, नृत्य आदि	6,820	6,702	8,407
प्राच्य विद्या	1,19,575	1,24,861	12,081
सुधारालय	7,359	7,034	1,547
(प्रौढ़) समाज शिक्षा	10,80,070	11,61,371	1,77,690
अन्य	5,511	6,241	4,779
जोड़	12,28,682	13,15,738	2,06,729
कुल जोड़	2,95,38,084	3,15,68,849	1,18,94,840

शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की संख्या—(जारी)

लड़कियां	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (−)	
1959-60	1958-59	1959-60	संख्या	प्रतिशत
5	6	7	8	9
75	7,411	7,639	+ 228	+ 3.1
17,161	98,128	1,14,569	+ 16,441	+ 16.8
187	31,873	37,570	+ 5,697	+ 17.8
..	237	154	− 83	− 35.0
..	1,951	1,867	− 84	− 4.3
6,004	10,304	10,130	− 174	− 1.7
370	3,162	2,762	− 400	− 12.7
21,785	84,199	88,976	+ 4,777	+ 5.7
27,069	86,853	96,081	+ 9,228	+ 10.6
17	1,544	2,042	+ 498	+ 32.3
72,668	3,25,662	3,61,790	+ 36,128	+ 11.1
1,881	7,047	7,692	+ 645	+ 9.2
646	4,525	4,374	− 151	− 3.3
7,793	15,227	14,495	− 732	− 4.8
14,050	1,31,656	1,38,911	+ 7,255	+ 5.5
1,531	8,906	8,565	− 341	− 3.8
2,08,440	12,57,760	13,69,811	+ 1,12,051	+ 8.9
4,882	10,290	11,123	+ 833	+ 8.1
2,39,233	14,35,411	15,54,971	+ 1,19,560	+ 8.3
1,29,62,915	4,14,32,924	4,45,31,764	+ 30,98,840	+ 7.5

प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में छात्रों की संख्या का विभाजन सारणी V में नीचे दिखाया गया है।

सारणी V—विभिन्न प्रबन्ध-संस्थाओं की शिक्षा-संस्थाओं में छात्रों की संख्या

प्रबन्ध-संस्था	1958–59		1959–60		वृद्धि (+) या कमी (-)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
सरकार .	95,78,241	23.1	90,80,015	20.4	−4,98,226	−5.2
जिला परिषद	1,49,02,961	36.0	1,75,15,113	39.3	+26,12,152	+17.5
नगरपालिका	29,81,121	7.2	32,71,348	7.4	+2,90,227	+9.7
गैर-सरकारी संस्थाएं						
सहायता-प्राप्त	1,26,20,197	30.5	1,32,43,397	29.7	+6,23,200	+4.9
जो सहायता-प्राप्त नहीं हैं .	13,50,404	3.2	14,21,891	3.2	+71,487	+5.3
जोड़ .	4,14,32,924	100.0	4,45,31,764	100.0	+30,98,840	+7.5

ऊपर दी गई सारणी से ज्ञात होगा कि भर्ती होने वाले छात्रों में से लगभग आधे छात्र स्थानीय परिषदों की संस्थाओं में, लगभग एक-तिहाई गैर-सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में और शेष (पांचवां भाग) सरकारी शिक्षा-संस्थाओं में पढ़ रहे थे। ज्ञात आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी शिक्षा-संस्थाओं को छोड़कर अन्य सब प्रकार की प्रबन्ध-संस्थाओं की शिक्षा-संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी। सहायता-प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में 4.9 प्रतिशत और जिला परिषदों की संस्थाओं में 17.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

सन् 1958–59 और 1959–60 में मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के छात्रों का स्तरवार विभाजन सारणी VI में दिखाया गया है। अनुसंधान (सामान्य शिक्षा) स्तर के छात्रों को छोड़ कर सभी स्तरों के कक्षाक्रमों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। छात्रों की कुल संख्या में से 71.6 प्रतिशत छात्र प्राथमिक शिक्षा और 21.3 प्रतिशत छात्र माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अन्य छात्रों की संख्या का विभाजन इस प्रकार था:— पूर्व प्राथमिक स्तर 0.3 प्रतिशत, स्कूल-स्तर की व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा 4.4 प्रतिशत, कालेज स्तर की सामान्य-शिक्षा 1.8 प्रतिशत और वृत्तिक और कालेज स्तर की विशिष्ट शिक्षा 0.6 प्रतिशत।

मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में भर्ती होने वाले कुल छात्रों में से 3,15,85,893 छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के थे। इनकी संख्या कुल छात्र संख्या का 70.9 प्रतिशत थी। गत वर्ष की यह संख्या क्रमशः 2,91,87,399 और 70.4 प्रतिशत थी। विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं में इनका अनुपात इस प्रकार था : पूर्व-प्राथमिक स्कूल 0.1 प्रतिशत, प्राथमिक स्कूल 65.5 प्रतिशत, माध्यमिक स्कूल 29.0 प्रतिशत, वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 4.3 प्रतिशत और कालेज व विश्वविद्यालय 1.1 प्रतिशत।

विद्यार्थियों का स्तरवार विभाजन

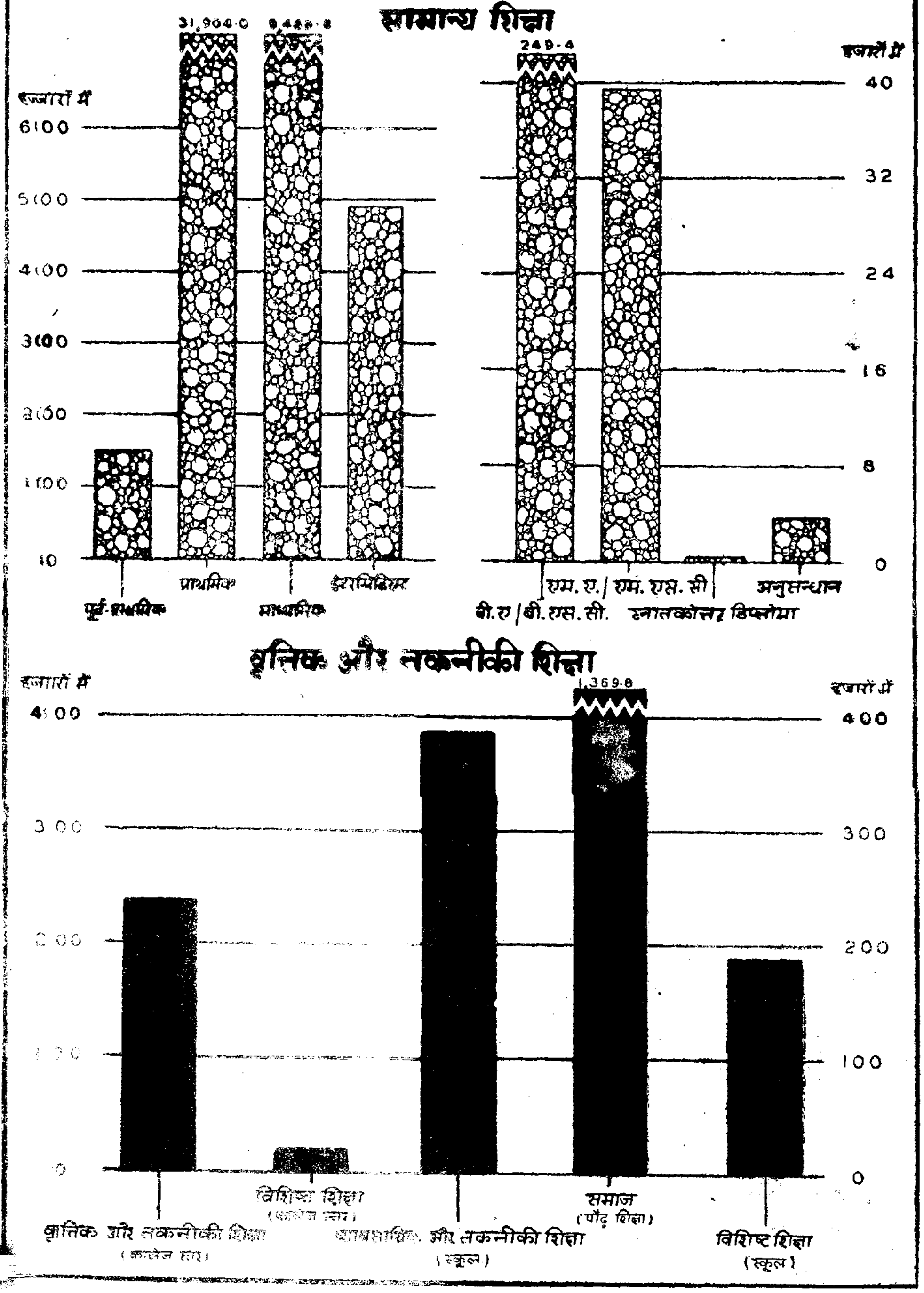

सारणी VI— शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की कक्षावार संख्या का स्तर-वार विवरण

शिक्षा स्तर कक्षा	लड़के 1958–59	लड़के 1959–60	लड़कियां 1958–59	लड़कियां 1959–60	जोड़ 1958–59	जोड़ 1959–60	वृद्धि (+) या कमी (–)
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य शिक्षा							
पूर्व प्राथमिक	75,093	80,520	62,605	70,493	1,37,698	1,51,013	+ 13,315
प्राथमिक	2,04,80,488	2,16,38,115	95,60,763	1,02,65,920	3,00,41,251	3,19,04,035	+18,62,784
माध्यमिक	66,69,130	73,48,891	18,46,369	21,40,719	85,15,499	94,89,610	+ 9,74,111
इंटर मिडियेट	4,11,700	4,16,036	75,166	76,643	4,86,866	4,92,679	+ 5,813
बी० ए०/बी० एस सी०	1,65,814	1,96,927	42,260	52,439	2,08,074	2,49,366	+ 41,292
एम० ए०/एम० एस सी०	29,176	31,828	6,688	7,664	35,864	39,492	+ 3,628
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	..	257	..	15	..	272	+ 272
अनुसंधान	3,225	3,021	608	657	3,833	3,678	– 155
जोड़	2,78,34,626	2,97,15,595	1,15,94,459	1,26,14,550	3,94,29,085	4,23,30,145	+29,01,060
वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा (कालेज स्तर)	1,85,784	2,15,740	15,905	22,343	2,01,689	2,38,083	+ 36,394
विशिष्ट शिक्षा (कालेज स्तर)	15,353	14,857	5,972	6,491	21,325	21,348	+ 23
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा (स्कूल)	2,72,331	3,05,626	70,117	78,365	3,42,448	3,83,991	+ 41,543
प्रौढ़ समाज शिक्षा	10,80,070	11,61,371	1,77,690	2,08,440	12,57,760	13,69,811	+ 1,12,051
विशिष्ट शिक्षा (स्कूल)	1,49,920	1,55,660	30,697	32,726	1,80,617	1,88,386	+ 7,769
कुल जोड़	2,95,38,084	3,15,68,849	1,18,94,840	1,29,62,915	4,14,32,924	4,45,31,764	+30,98,840

सारणी VII—छात्रों की

राज्य	लड़कों के लिए		लड़कियां के लिए	
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश .	31,82,516	33,58,518	1,33,498	1,48,224
आसाम . .	12,20,804	13,39,351	96,226	1,00,00[illegible]
बिहार . .	33,24,256	37,79,042	2,67,026	3,21,944
बम्बई { महाराष्ट्र .	64,92,958	45,57,054	8,52,933	5,95,51[illegible]
बम्बई { गुजरात .	*	23,66,890	*	3,50,79[illegible]
जम्मू और कश्मीर .	2,13,341	2,20,302	48,149	63,394
केरल . .	29,63,113	30,48,057	1,16,835	1,24,55[illegible]
मध्य प्रदेश .	19,64,717	21,55,863	2,28,718	2,50,42[illegible]
मद्रास . .	38,22,567	40,31,108	1,21,490	1,30,59[illegible]
मैसूर .	23,82,112	24,71,274	2,93,425	2,93,01[illegible]
उड़ीसा . .	10,89,947	12,97,428	35,633	40,075
पंजाब . .	15,75,415	16,19,631	3,93,508	4,07,89[illegible]
राजस्थान . .	10,13,612	12,69,805	1,16,890	1,27,772
उत्तर प्रदेश .	44,65,769	47,46,024	5,38,135	5,96,66[illegible]
पश्चिमी बंगाल .	33,43,468	34,84,135	3,41,892	3,68,60[illegible]
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	4,197	5,210	101	140
दिल्ली . .	2,57,041	2,89,537	1,36,423	1,55,862
हिमाचल प्रदेश .	86,547	94,399	5,843	6,599
लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपसमूह .	2,822	3,255	65	469
मनिपुर . .	1,25,946	1,33,272	14,602	16,698
उपूसी (नेफ़ा) .	5,633	6,462	..	..
त्रिपुरा . .	1,06,913	1,07,538	7,288	6,071
पाण्डिचेरी .	32,032	33,471	8,518	8,806
भारत .	3,76,75,726	4,04,17,626	37,57,198	41,14,138

*इसके आंकड़ें महाराष्ट्र में शामिल हैं।

राज्यवार संख्या

जोड़		वृद्धि (+) या कमी (–)		अनुमानित जनसंख्या की तुलना में छात्रों की संख्या का प्रतिशत
1958-59	1959-60	संख्या	प्रतिशत	
6	7	8	9	10
33,16,014	35,06,742	+1,90,728	+ 5.8	10.0
13,17,030	14,39,360	+1,22,330	+ 9.3	12.4
35,91,282	41,00,986	+5,09,704	+14.2	9.0
73,45,891	51,52,573	+5,24,371	+ 7.1	13.3
*	27,17,689	*	*	13.5
2,61,490	2,83,696	+ 22,206	+ 8.5	8.1
30,79,948	31,72,616	+ 92,668	+ 3.0	19.2
21,93,435	24,06,285	+2,12,850	+ 9.7	7.6
39,44,057	41,61,705	+2,17,648	+ 5.5	12.6
26,75,537	27,64,290	+ 88,753	+ 3.3	12.0
11,25,580	13,37,503	+2,11,923	+18.8	7.8
19,68,923	20,27,529	+ 58,606	+ 3.0	10.2
11,30,502	13,97,577	+2,67,075	+23.6	7.1
50,03,904	53,42,684	+3,38,780	+ 6.8	7.4
36,85,360	38,52,740	+1,67,380	+ 4.5	11.3
4,298	5,350	+ 1,052	+24.5	8.9
3,93,464	4,45,399	+ 51,935	+13.2	17.2
92,390	1,00,998	+ 8,608	+ 9.3	7.7
2,887	3,724	+ 837	+29.0	18.6
1,40,548	1,49,970	+ 9,422	+ 6.7	19.7
5,633	6,462	+ 829	+14.7	N.A.
1,14,201	1,13,609	– 592	– 0.5	10.1
40,550	42,277	+ 1,727	+ 4.3	N.A.
4,14,32,924	4,45,31,764	+30,98,840	+ 7.5	10.4

सन् 1958-59 और 1959-60 में मान्यता-प्राप्त संस्थाओं में छात्रों की संख्या राज्यवार विभाजन सारणी VII में दिखाया गया है। त्रिपुरा को छोड़कर अन्य सब राज्यों संघ राज्य-क्षेत्रों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। त्रिपुरा में इनकी संख्या आधे प्रतिशत हो गयी। सभी राज्यों से बम्बई में सबसे अधिक 5,24,371 की वृद्धि हुई। दूसरा स्था 5,09,704 की वृद्धि बिहार में हुई। सबसे कम वृद्धि 22,206 जम्मू और कश्मीर में हुई। राज्य-क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दिल्ली में 51,935 और सबसे कम लक्कादीव, मिनिकाय अमीनदीवी द्वीप समूह में 837 की वृद्धि हुई। प्रतिशत के आधार पर भर्ती होने वाले छा संख्या में सबसे अधिक वृद्धि 23.6 प्रतिशत राजस्थान में हुई और सबसे कम 3.0 प्र केरल में। जिन राज्यों में इनके बीच वृद्धि हुई, वे थे उड़ीसा 18.8 प्रतिशत, बिहार 1 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 9.7 प्रतिशत, आसाम 9.3 प्रतिशत और बम्बई 7.1 प्रतिशत। राज्य-क्षेत्रों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में 4.3 प्रतिशत (पांडिचेरी) से लेकर 2 प्रतिशत (लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह) वृद्धि हुई।

विभिन्न राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या और कुल अनुमानिक जन का अनुपात सारणी VII के दसवें खाने में प्रतिशत के रूप में दिया गया है। इससे ज्ञात होता विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं में भर्ती होने वाले छात्रों का अनुपात मनिपुर में सबसे 19.7 प्रतिशत था। इसके बाद क्रमश: केरल 19.2 प्रतिशत, लक्कादीव, मिनिकाय अमीनदीवी द्वीपसमूह 18.6 प्रतिशत, दिल्ली 17.2 प्रतिशत, बम्बई 13.4 प्रतिशत, 12.6 प्रतिशत, आसाम 12.4 प्रतिशत और मैसूर 12.0 प्रतिशत के नाम आते हैं। राज्यों में यह अनुपात 7.1 प्रतिशत (राजस्थान) से लेकर 11.3 प्रतिशत (पश्चिमी बं तक रहा।

व्यय

शिक्षा-संबंधी व्यय का वर्गीकरण प्रत्यक्ष और परोक्ष व्यय में किया गया है। प्रत्यक्ष कर्मचारियों का वेतन, फुटकर व्यय, साजसामान पर होने वाला आवर्ती व्यय, इमारतों की म पर होने वाला व्यय आदि शामिल है, और परोक्ष व्यय में निदेशन तथा निरीक्षण, छात्रवृत्ति, इ का निर्माण, अनावर्ती साज-सामान और छात्रावासों आदि पर होने वाला व्यय शामिल है। 1959-60 में मान्यता-प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष और परोक्ष, कुल मि 3,00,39,69,023 रुपये खर्च हुए। इसमें परोक्ष व्यय 72,76,62,349 रु० था। पिछ ये ही रकमें क्रमश: 2,66,15,23,068 रुपये और 62,89,38,600 रुपये थीं। इस कुल व्यय में 12.9 प्रतिशत (प्रत्यक्ष व्यय में 12.0 प्रतिशत और परोक्ष व्यय में 15.7 प्र की वृद्धि हुई। शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में होने वाली 6.3 प्रतिशत वृद्धि और भर्ती हो छात्रों की संख्या में होने वाली 7.5 प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से व्यय की उक्त वृद्धि ठीक ही कुल व्यय में से 30,28,78,891 रुपये (10.1 प्रतिशत) लड़कियों की शिक्षा-संस्थाओं प किए गए।

आय-स्त्रोतों के अनुसार कुल व्यय का विभाजन सारणी VIII में दिखाया गया है।

विभिन्न आयस्त्रोतों द्वारा शिक्षा पर व्यय
1959-60

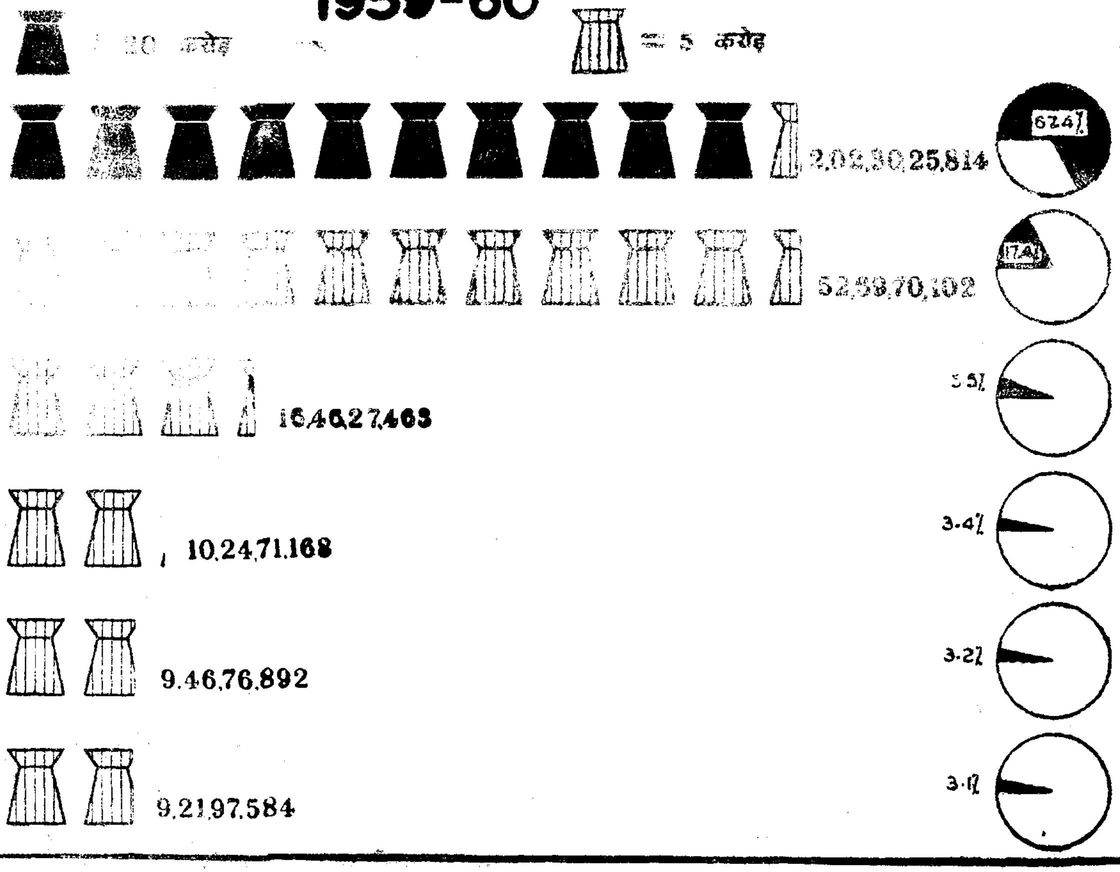

सारणी VIII—आय-स्रोतों के अनुसार शिक्षा-व्यय

आय-स्रोत	1958-59		1959-60	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
	रु०		रु०	
सरकारी निधियां . .	1,77,55,53,272	66.7	2,02,30,25,814	67.3
जिला परिषदों की निधियां .	8,53,84,366	3.2	10,24,71,168	3.4
नगारपालिकाओं की निधियां .	7,96,49,278	3.0	9,46,76,892	3.2
फ़ीस . .	48,42,23,062	18.2	52,69,70,102	17.5
धर्मस्व . .	7,85,98,745	3.0	9,21,97,584	3.1
अन्य आय-स्रोत .	15,81,14,345	5.9	16,46,27,463	5.5
जोड़ .	2,66,15,23,068	100.0	3,00,39,69,023	100.0

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होगा कि (क) विभिन्न आय-स्रोतों से पूरे किए गए व्यय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कुल व्यय का लगभग दो-तिहाई भाग सरकारी निधियों से और लगभग छठा भाग फीस से प्राप्त हुआ। शेष छठा भाग स्थानीय परिषदों और अन्य आय-स्रोतों (तथा धर्मस्व) से प्राप्त हुआ। (ख) आलोच्य वर्ष में विभिन्न आय-स्रोतों द्वारा पूरे किए जाने वाले खर्च की राशि में वृद्धि हुई, जो इस प्रकार थी : सरकारी निधियां 13.9 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों का योगदान 19.5 प्रतिशत, फीस 8.8 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 8.5 प्रतिशत।

सन् 1958-59 और 1959-60 में खर्च की मदों के अनुसार प्रत्यक्ष और परोक्ष खर्च का ब्योरा सारणी IX में दिखाया गया है। आलोच्य वर्ष में कुल प्रत्यक्ष व्यय में 24 करोड़ रुपये की वृद्धि होने से इसकी रकम बढ़कर 227.63 करोड़ रुपये हो गयी। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर इस व्यय का विभाजन इस प्रकार रहा : विश्वविद्यालय और कालेज 21.0 प्रतिशत, माध्यमिक और/या इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषदें 1.0 प्रतिशत, माध्यमिक स्कूल 41.8 प्रतिशत, प्राथमिक और पूर्व-प्राथमिक स्कूल 30.8 प्रतिशत, व्यावहारिक और तकनीकीस्कूल 4.1 प्रतिशत और विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 1.3 प्रतिशत। इन सभी संस्थाओं पर परोक्ष व्यय की रकम में से भी कुछ व्यय हुआ। सारणी से ज्ञात होगा कि कुल प्रत्यक्ष व्यय में सामान्य शिक्षा के स्कूलों पर सबसे अधिक रकम खर्च की गयी। प्रत्येक चार रुपये में से तीन रुपये केवल इन स्कूलों पर खर्च किए गए। परोक्ष व्यय में 9.87 करोड़ रुपये की वृद्धि होने से यह रकम बढ़ कर 72.77 करोड़ रुपये हो गई। विभिन्न मदों पर इनका विभाजन इस प्रकार रहा : निदेशन और निरीक्षण 8.9 प्रतिशत, इमारतें 46.5 प्रतिशत, छात्रवृत्तियाँ 21.2 प्रतिशत, छात्रावास संबंधी व्यय 6.0 प्रतिशत और विभिन्न व्यय 17.4 प्रतिशत।

सारणी IX से ज्ञात होगा कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं के अलग-अलग प्रत्यक्ष व्यय में भी भिन्न-भिन्न मात्रा में वृद्धि हुई। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वृद्धि 17.2 प्रतिशत,

सारणी IX—खर्च की मदों के अनुसार शिक्षा-व्यय

खर्च की मदें	1958-59	1959-60	वृद्धि (+) या कमी (—) रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	रु०	रु०	रु०	
प्रत्यक्ष :				
विश्वविद्यालय	11,55,84,305	12,81,08,673	+1,25,24,368	+10.8
माध्यमिक और/या इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद	2,04,71,614	2,37,07,799	+ 32,36,185	+15.8
अनुसंधान संस्थाएं	2,53,13,396	2,84,47,544	+ 31,34,148	+12.4
कला और विज्ञान के कालेज	16,84,05,957	19,15,50,775	+2,31,44,818	+14.8
वृत्तिक शिक्षा के कालेज	11,19,25,693	13,11,84,212	+1,92,58,519	+17.2
विशिष्ट शिक्षा के कालेज	70,30,117	77,15,026	+ 6,84,909	+ 9.7
हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	52,61,55,365	60,00,31,253	+7,38,75,888	+14.1
मिडिल स्कूल	31,83,47,104	35,15,94,059	+3,32,46,955	+10.4
प्राथमिक स्कूल	63,57,07,214	69,71,42,290	+6,14,35,076	+ 9.7
पूर्व-प्राथमिक स्कूल	45,19,081	51,14,187	+ 6,95,106	+13.4
व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के स्कूल	8,21,00,403	9,20,13,868	+1,98,13,465	+12.2
समाज (प्रौढ़) शिक्षा	72,36,578	75,32,744	+ 2,96,166	+ 4.1
विशिष्ट शिक्षा के स्कूल	2,07,98,641	2,22,63,244	+ 14,64,603	+ 7.1
जोड़ (प्रत्यक्ष)	2,03,25,84,468	2,27,63,06,674	+24,37,22,206	+12.0
परोक्ष :				
निरीक्षण और निर्देशन	5,68,48,886	6,44,08,382	+ 75,59,496	+13.3
इमारतें	28,63,25,992	33,86,66,578	+5,23,40,586	+18.3
छात्रवृत्तियां	12,87,64,685	15,40,93,789	+2,53,29,104	+19.7
छात्रावास संबंधी व्यय	4,08,35,237	4,36,13,512	+ 27,78,275	+ 6.8
विविध	11,61,63,800	12,68,80,088	+1,07,16,288	+ 9.2
जोड़ परोक्ष	62,89,38,600	72,76,62,349	+9,87,23,749	+15.7
कुल जोड़	2,66,15,23,068	3,00,39,69,023	+34,24,45,955	+12.9

वृत्तिक कालेजों के व्यय में हुई। इसके बाद क्रमशः माध्यमिक और/या इण्टरमीडिएट शिक्षा परिषद 15.8 प्रतिशत, कला और विज्ञान कालेज 14.6 प्रतिशत, हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल 14.1 प्रतिशत, पूर्व-प्राथमिक स्कूल 13.4 प्रतिशत, व्यावसायिक एवं तकनीकी स्कूल 13.2 प्रतिशत और अनुसंधान संस्थाएं 12.4 प्रतिशत आती हैं। अन्य संस्थाओं पर 11.0 प्रतिशत से कम व्यय हुआ। सबसे कम व्यय 4.1 प्रतिशत प्रौढ़ों के समाज शिक्षा स्कूलों पर हुआ। परोक्ष व्यय में सबसे अधिक वृद्धि 19.7 प्रतिशत छात्रवृत्तियों की रकम में हुई। इसके बाद व्यय की निम्नलिखित मदों में वृद्धि हुई : इमारतें 18.3 प्रतिशत, निर्देशन और निरीक्षण 13.3 प्रतिशत, विविध मदें 9.2 प्रतिशत और छात्रावास 6.8 प्रतिशत।

सन् 1958-59 और 1959-60 में आय-स्रोतों के अनुसार विभिन्न मदों के परोक्ष व्यय का विभाजन सारणी X में नीचे दिखाया गया है।

सारणी X—विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार शिक्षा पर किया गया परोक्ष व्यय

आय-स्रोत	1958-59		1959-60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	रु०		रु०	
सरकारी निधियां .	48,33,68,383	76.9	57,51,52,779	79.0
स्थानीय परिषदों की निधियां .	2,05,38,400	3.3	2,38,54,118	3.3
फीस . .	4,10,33,230	6.5	3,99,22,170	5.5
धर्मादा . .	2,97,45,321	4.7	3,47,63,923	4.8
अन्य आय-स्रोत .	5,42,53,266	8.6	5,39,69,359	7.4
जोड़ .	62,89,38,600	100.0	72,76,62,349	100.0

कुछ परोक्ष व्यय ऐसा है कि उसका विभाजन न तो विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं के अनुसार किया जा सकता है और न विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं की शिक्षा संस्थाओं पर। अतः सारणी XI में सन् 1958-59 और 1959-60 में प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार शिक्षा-संस्थाओं के प्रत्यक्ष व्यय का ही विभाजन दिखाया गया है।

सारणी XI—प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार शिक्षा-संस्थाओं पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय

प्रबन्ध-संस्था	1958-59		1959-60		प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (—)
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6
	रु०		रु०		
सरकार . .	60,13,31,656	29.6	64,73,73,579	28.4	+ 7.7
जिला परिषदें .	40,12,19,044	19.7	48,39,82,029	21.3	+20.6
नगरपालिकाएं .	12,34,80,310	6.1	14,20,78,671	6.2	+15.1
गैर सरकारी संस्थाएं :					
सहायता-प्राप्त .	82,10,32,637	40.4	91,16,62,425	40.1	+11.0
जो सहायता-प्राप्त नहीं हैं . .	8,55,20,821	4.2	9,12,09,970	4.0	+ 6.7
जोड़	2,03,25,84,468	100.0	2,27,63,06,674	100.0	+12.0

इससे ज्ञात होगा कि सरकारी स्कूलों और कालेजों पर (जिनकी संख्या शिक्षा-संस्थाओं की कुल संख्या का 21.4 प्रतिशत थी) कुल प्रत्यक्ष व्यय का 28.4 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों की संस्थाओं पर (जो कुल संस्थाओं की संख्या का 46.4 प्रतिशत थीं) 27.5 प्रतिशत और गैर-सरकारी प्रबंध-संस्थाओं की शिक्षा-संस्थाओं (जो शिक्षा संस्थाओं की कुल संख्या के 32.2 प्रतिशत थीं) पर कुल प्रत्यक्ष व्यय का 44.1 प्रतिशत व्यय हुआ।

जैसा कि पहले बताया गया है, मान्यता-प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं पर होने वाला 202.30 करोड़ रुपये का व्यय सरकारी निधि से पूरा किया गया था। विभिन्न प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं के लिए इसका विनिधान सारणी XII में दिखाया गया है। तुलना को सरल बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़े भी दे दिये गये हैं। इस सारणी से ज्ञात होगा कि सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय की गई कुल राशि का सबसे अधिक अंश (27.8 प्रतिशत) प्राथमिक स्कूलों के हाथ आया। इसके बाद क्रमशः माध्यमिक स्कूल 27.0 प्रतिशत, इमारतें 13.0 प्रतिशत, विश्वविद्यालय, शिक्षा परिषदें और कालेज 12.1 प्रतिशत और छात्रवृत्तियां 7.0 प्रतिशत आदि आते हैं। शेष रकम पूर्व-प्राथमिक स्कूलों, व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों तथा निदेशन व निरीक्षण आदि पर खर्च की गयी।

सारणी XII : सरकार द्वारा शिक्षा पर किये गये व्यय का विभाजन

मद	1958-59		1959-60	
	रकम	कुल व्यय का प्रतिशत	रकम	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	रु०		रु०	
पुरुषों की संस्थाएं . .	1,61,83,55,174	91.1	1,84,14,69,392	91.0
महिलाओं की संस्थाएं .	15,71,98,098	8.9	18,15,56,422	9.0
जोड़ .	1,77,55,53,272	100.0	2,02,30,25,814	100.0
विश्वविद्यालय . .	5,68,50,811	3.2	5,68,34,812	2.8
माध्यमिक और/या इण्टरमीडएट शिक्षा परिषद . .	4,00,144	0.0	2,81,561	0.0
अनुसंधान संस्थाएं . .	2,33,46,546	1.3	2,41,93,177	1.2
कला और विज्ञान के कालेज .	5,56,71,319	3.1	6,81,48,022	3.4
वृत्तिक शिक्षा के कालेज .	7,59,51,854	4.3	9,14,96,442	4.5
विशिष्ट शिक्षा के कालेज .	40,60,862	0.2	43,99,323	0.2
हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल . . .	24,12,32,444	13.6	28,79,88,797	14.2
मिडिल स्कूल . .	23,35,13,918	13.2	25,83,75,406	12.8
प्राथमिक स्कूल . .	51,77,74,892	29.2	56,31,20,637	27.8
पूर्व-प्राथमिक स्कूल . .	12,37,387	0.1	12,30,439	0.1
व्यावसायिक स्कूल . .	6,29,94,002	3.5	7,16,17,245	3.5
विशिष्ट शिक्षा के स्कूल .	1,91,50,710	1.1	2,01,87,174	1.0
निर्देशन और निरीक्षण .	5,51,17,207	3.1	6,20,06,396	3.1
छात्रवृत्तियां . .	11,74,97,802	6.6	14,09,88,913	7.0
छात्रावास संबंधी व्यय .	1,25,37,385	0.7	1,33,01,977	0.7
इमारतें . . .	21,00,53,836	11.8	26,39,67,150	13.0
विविध . . .	8,81,62,153	5.0	9,48,88,343	4.7
कुल जोड़ . .	1,77,55,53,272	100.0	2,02,30,25,814	100.0

सन् 1958-59 और 1959-60 में शिक्षा पर किए गए कुल व्यय के राज्यवार ब्योरे सारणी XIII में दिखाये गये हैं। पिछले वर्ष की तरह ही शिक्षा पर सबसे अधिक 57.77 करोड़ रुपये की राशि बम्बई में खर्च की गयी। इसके बाद इन के नाम आते हैं: उत्तर प्रदेश 35.87 करोड़ रुपये, पश्चिमी बंगाल 32.01 करोड़ रुपये, मद्रास 28.39 करोड़ रुपये और आन्ध्र प्रदेश 22.30 करोड़ रुपये। अन्य राज्यों का शिक्षा-व्यय प्रत्येक राज्य में 19 करोड़ रुपये से कम रहा। सब से कम व्यय 6.22 करोड़ रु० उड़ीसा में किया गया। संघ राज्य-क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय 8.97 करोड़ रुपये दिल्ली में हुआ और सबसे कम 0.03 करोड़ रुपये लक्कादीव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में।

उपूसी (नेफ़ा) को छोड़कर बाकी सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के शिक्षा-व्यय में किसी न किसी मात्रा में वृद्धि हुई। उपूसी (नेफ़ा) के शिक्षा-व्यय में कमी होने का कारण यह था कि वहां आलोच्य वर्ष में इमारती सामान की कमी और यातायात की कठिनाइयों के कारण इमारतों के निर्माण पर कम राशि व्यय की गयी। प्रतिशत के आधार पर व्यय में सबसे अधिक वृद्धि 20.0 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में हुई। इसके बाद राजस्थान 18.3 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर 17.4 प्रतिशत, बम्बई 16.8 प्रतिशत, पंजाब 15.3 प्रतिशत और बिहार 15.1 प्रतिशत के नाम आते हैं। अन्य राज्यों में 7.2 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश) से लेकर 11.9 प्रतिशत (मैसूर) तक वृद्धि हुई। संघ राज्य-क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि 57.7 प्रतिशत मनिपुर में हुई। इसके बाद अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 42.6 प्रतिशत, लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह 34.4 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 26.3 प्रतिशत और दिल्ली 23.9 प्रतिशत के नाम आते हैं। सबसे कम वृद्धि पांडिचेरी (14.4 प्रतिशत) में हुई।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में विभिन्न आय-स्रोतों से पूरे किये गये शिक्षा-व्यय का प्रतिशत सारणी XIII के खाना 10 से खाना 14 तक में दिखाया गया है। जम्मू और कश्मीर में सरकार का योगदान सबसे अधिक 93.6 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 56.3 प्रतिशत रहा। शेष राज्यों में से तीन राज्यों में यह 80 और 95 प्रतिशत के बीच, अन्य तीन राज्यों में 70 से 80 प्रतिशत के बीच और 6 राज्यों में 60 से 70 प्रतिशत के बीच रहा। पूरे देश का औसत 67.3 प्रतिशत रहा। स्थानीय परिषदों द्वारा जम्मू और कश्मीर में कुछ व्यय नहीं किया गया और अन्य राज्यों में वह 0.1 प्रतिशत (केरल) से लेकर 15.6 प्रतिशत (आन्ध्र प्रदेश) तक रहा। पश्चिमी बंगाल में फीस से पूरा किया जाने वाला व्यय सबसे अधिक (26.6 प्रतिशत) था और सबसे कम योगदान 3.8 प्रतिशत जम्मू और कश्मीर में था। धर्मस्व और अन्य स्रोतों से प्राप्त रकम 2.6 प्रतिशत (जम्मू और कश्मीर) से लेकर 12.5 प्रतिशत (पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों में अलग अलग) के बीच रही। संघ राज्य क्षेत्रों में अन्डमान और निकोबार द्वीप-समूह, लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह और उपूसी (नेफ़ा) में सरकार ने शत-प्रतिशत व्यय किया, त्रिपुरा में 94.5 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 94.3 प्रतिशत, पांडिचेरी में 89.4 प्रतिशत, दिल्ली में 60.7 प्रतिशत और मनिपुर में 30.6 प्रतिशत (सबसे कम) व्यय पूरा किया। स्थानीय परिषदों का योगदान केवल तीन संघ राज्य-क्षेत्रों में ही प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार हैं: मनिपुर 55.4 प्रतिशत, दिल्ली 16.7 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश 1.9 प्रतिशत। फ़ीस द्वारा पूरे किये गय व्यय का भाग 2.4 प्रतिशत (हिमाचल प्रदेश) से लेकर 16.5 प्रतिशत (दिल्ली) के बीच रहा। संघ राज्य-क्षेत्रों में धर्मस्व और अन्य साधनों से प्राप्त आय का भाग बहुत ही कम रहा और उनका अनुपात 1.4 प्रतिशत (हिमाचल प्रदेश) से लेकर 6.7 प्रतिशत (मनिपुर) के बीच रहा।

प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च 64.2 रुपये से बढ़ कर 67.5 रुपये हो गया। राज्यों में यह औसत बंगाल में सबसे अधिक 83.1 रुपये और बिहार में सबसे कम 46.3 रुपये था। संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रतिछात्र अधिकतम और न्यूनतम वार्षिक व्यय 308.3 रुपये (उपूसी) और 48.4 रुपये (मनिपुर) के बीच रहा।

विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति औसत शिक्षा-व्यय के आंकड़े सारणी XIII के खाना संख्या 17 में दिखाये गये हैं। इसका अखिल भारतीय औसत 7.0 रुपये रहा और पांच राज्यों व पांच संघ-राज्य क्षेत्रों में यह इस से अधिक था। राज्यों का प्रति व्यक्ति औसत खर्च 3.6 रुपये (उड़ीसा) से लेकर 10.3 रुपये (केरल) के बीच रहा। संघ राज्य-क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय 34.6 रुपये दिल्ली में और सबसे कम 6.4 रुपये हिमाचल प्रदेश में रहा।

सारणी XIII : शिक्षा का राज्यवार व्यय

राज्य	लड़कों की संस्थाओं पर व्यय		लड़कियों की संस्थाओं पर व्यय	
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
1	2	3	4	5
	रु०	रु०	रु०	रु०
आंध्र प्रदेश	17,36,00,716	20,79,98,298	1,21,60,204	1,49,62,327
आसाम	6,40,40,305	6,98,23,934	54,53,846	57,59,229
बिहार	15,32,02,451	17,67,96,306	1,15,35,679	1,28,93,325
बम्बई { महाराष्ट्र	44,19,71,846	36,18,79,297	5,26,16,795	4,65,54,733
बम्बई { गुजरात	*	15,15,64,229	*	1,76,91,880
जम्मू और कश्मीर	1,32,03,183	1,56,18,796	24,98,300	28,13,155
केरल	14,96,60,635	16,07,71,512	83,92,819	99,94,439
मध्य प्रदेश	13,80,45,271	15,26,96,939	1,77,20,530	1,79,47,655
मद्रास	23,86,70,762	25,93,56,488	2,17,43,062	2,45,22,079
मैसूर	13,08,21,385	14,84,24,750	1,42,72,346	1,39,03,841
उड़ीसा	5,50,61,562	5,93,36,594	26,55,202	28,89,526
पंजाब	12,28,06,413	14,09,81,077	2,09,56,156	[illegible]
राजस्थान	7,53,87,277	8,99,96,110	84,44,605	91,71,070
उत्तर प्रदेश	30.22.77.418	32.25.39.245	3.24.57.341	[illegible]

1	2	3	4	5
पश्चिमी बंगाल . .	25,47,47,462	28,00,61,863	3,51,30,562	4,00,10,464
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,63,010	6,57,027	24,396	1,80,855
दिल्ली . . .	5,49,21,738	6,95,31,316	1,74,75,920	2,01,84,503
हिमाचल प्रदेश . .	63,59,897	79,95,514	3,02,714	4,16,769
लक्का दीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीपसमूह .	2,50,526	3,30,357	..	6,325
मनिपुर . . .	43,49,227	67,29,824	2,53,126	5,28,334
त्रिपुरा . . .	1,06,18,052	1,23,66,980	9,77,147	9,07,542
उपूसी (नेफा) . .	22,40,923	19,92,028	..	..
पाण्डिचेरी . .	31,62,466	36,41,648	4,89,793	5,36,168
जोड़ .	2,39,59,62,525	2,70,10,90,132	26,55,60,543	30,28,18,891

*महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी XIII : शिक्षा का राज्यवार व्यय—(जारी)

राज्य	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (—)	
	1958-59	1959-60	रकम	प्रतिशत
1	6	7	8	9
	रु०	रु०	रु०	
आंध्र प्रदेश . . .	18,57,60,920	22,29,60,625	+3,71,99,705	+20.0
आसाम . . .	6,94,94,151	7,55,83,163	+ 60,89,012	+ 8.8
बिहार . . .	16,47,38,130	18,96,89,631	+2,49,51,501	+15.1
बम्बई { महाराष्ट्र . .	49,45,88,641	40,84,34,030	+8,31,01,498	+16.8
बम्बई { गुजरात . .	*	16,92,56,109	*	*
जम्मू और कश्मीर . .	1,57,01,483	1,84,30,951	+ 27,29,468	+17.4
केरल . . .	15,80,53,454	17,07,65,951	+1,27,12,497	+ 8.0
मध्य प्रदेश . .	15,57,65,801	17,06,44,594	+1,48,78,793	+ 9.6
मद्रास . . .	26,04,13,824	28,38,78,567	+2,34,64,743	+ 9.0
मैसुर . . .	14,50,93,731	16,23,28,591	+1,72,34,860	+11.9
उड़ीसा . . .	5,77,16,764	6,22,26,120	+ 45,09,356	+ 7.8
पंजाब . . .	14,37,62,569	16,57,97,649	+2,20,35,080	+15.3
राजस्थान . .	8,38,34,882	9,91,67,180	+1,53,35,298	+18.3
उत्तर प्रदेश . .	33,47,34,759	35,87,28,345	+2,39,93,586	+ 7.2

1	6	7	8	9
पश्चिमी बंगाल . ..	28,98,78,024	32,00,72,327	+ 3,01,94,303	+10.4
अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	5,87,406	8,37,882	+2,50,476	+42.6
दिल्ली . . .	7,23,97,658	8,97,15,819	+ 1,73,18,161	+23.9
हिमाचल प्रदेश . .	66,62,611	84,12,283	+ 17,49,672	+26.3
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन-दीवी द्वीपसमूह	2, 50,526	3,36,682	+ 86,156	+34.4
मनिपुर . . .	46,02,353	72,58,158	+ 26,55,805	+57.7
त्रिपुरा . . .	1,15,95,199	1,32,74,522	+ 16,79,323	+14.5
उपूसी (नेफ़ा)	22,40,923	19,92,028	— 2,48,895	—11.1
पाण्डिचेरी . .	36,52,259	41,77,816	+ 5,25,557	+14.4
जोड़ .	2,66,15,23,068	3,00,39,69,023	+34,24,45,955	+11.4

*महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं ।

सारणी XIII : शिक्षा का राज्यवार व्यय—(जारी)

राज्य	नीचे लिखे आय-स्रोतों से पूरे किये गये व्यय का प्रतिशत					प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय		प्रति छात्र व्यय
	सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फीस	धर्मस्व	अन्य स्रोत	1958–59	1959-60	
1	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश . .	65.5	15.6	11.6	4.4	2.9	56.0	63.6	6.3
आसाम . .	75.6	0.4	18.3	4.1	1.6	52.8	52.5	6.5
बिहार . .	67.7	2.3	20.9	1.5	7.6	45.9	46.3	4.2
बम्बई { महाराष्ट्र . .	60.7	8.6	22.3	0.6	7.8	67.3	79.3	10.6
बम्बई { गुजरात . .	67.3	8.3	17.1	1.4	5.9	..	62.3	8.4
जम्मू और कश्मीर . .	93.6	..	3.8	0.5	2.1	60.0	65.0	5.3
केरल . .	85.9	0.1	10.4	0.1	3.5	51.3	53.8	10.3
मध्य प्रदेश . .	80.7	5.0	8.2	1.7	4.4	71.0	70.9	5.4
मद्रास . .	61.4	11.9	14.7	11.3	0.7	66.0	68.2	8.6
मैसुर . .	74.5	5.2	12.9	0.6	6.8	54.2	58.7	7.0
उड़ीसा . .	79·3	0.8	10.5	4.6	4.8	51.3	46.5	3.6
पंजाब . .	67.6	0.4	19.5	8.7	3.8	73.0	81.8	8.3

1	10	11	12	13	14	15	16	17
राजस्थान . . .	85.5	0.4	8.2	4.4	1.5	74.2	71.0	5.0
उत्तर प्रदेश . .	56.3	7.8	23.4	1.2	11.3	66.9	67.1	5.0
पश्चिमी बंगाल . .	62.6	2.9	26.6	2.4	5.5	78.7	83.1	9.4
अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	100.0	..	..	..	..	136.7	156.6	14.0
दिल्ली . . .	60.7	16.7	16.5	1.2	4.9	184.0	201.4	34.6
हिमाचल प्रदेश . .	94.3	1.9	2.4	0.3	1.1	72.1	83.3	6.4
लक्कादीव, मिनिकाय अमीनदीवी द्वीपसमूह . .	100.0	..	..	..	..	86.8	90.4	17.0
मनिपुर . . .	30.6	55.4	7.3	5.8	0.9	32.7	48.4	9.6
त्रिपुरा . . .	94.5	..	3.9	0.8	0.8	101.5	116.8	11.8
उपूसी (नेफा) . .	100.0	..	..	..	..	397.8	308.3	N.A.
पाण्डिचेरी . .	89.4	..	8.6	1.6	0.4	90.1	98.8	N.A.
जोड़ . .	67.3	6.6	17.5	3.1	5.5	64.2	67.5	7.0

दूसरा अध्याय

शिक्षा का संगठन और कर्मचारीगण

आलोच्य वर्ष में केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के (क) शिक्षा संगठन (ख) शिक्षा सेवाओं और (ग) शिक्षा निदेशालयों और निरीक्षणालयों के काम में जो मुख्य प्रगति हुई है उसका सर्वेक्षण इस अध्याय में किया गया है।

शिक्षा संगठन

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना पर अमल करने का जो निर्णय किया था उसके अनुसार शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत 15 सितम्बर, 1959 को एक राष्ट्रीय अनुशासन योजना निदेशालय खोला गया। निदेशालय को एक अधीनस्थ कार्यालय का दर्जा दिया गया है। 1 दिसम्बर, 1959 से राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान को भी एक अधीनस्थ कार्यालय का दर्जा देकर नये संगठन के रूप में स्थापित किया गया। अब तक यह संस्थान शिक्षा मंत्रालय के एक एकक के रूप में काम कर रहा था। यह भी निश्चय किया गया कि मंत्रालय के हिन्दी-प्रभाग के कार्यों को करने के लिए हिन्दी निदेशालय नामक अलग संगठन बनाया जाए और उसे भी एक अधीनस्थ कार्यालय का दर्जा दिया जाए।

आंध्र-प्रदेश, बिहार और केरल को छोड़ कर अन्य किसी राज्य में शिक्षा संगठन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में शिक्षण-इकाइयों के रूप में ज़िलों को फिर से संगठित किया गया और ज़िला-शिक्षा-अधिकारियों के चार नए कार्यालय खोले गए। इन के मुख्यालय विजयनगरम्, तानुकु, अदोनी और कनीगिरि में हैं। बिहार में मण्डलीय विद्यालय निरीक्षक के पदके स्थान पर फिर से क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक का पद आरम्भ कर दिया गया। 1 फरवरी, 1960 से केरल में जन-शिक्षा निदेशक के कार्यालय को फिर से संगठित किया गया है ताकि प्रशासन कार्य और भी सुचारु रूप से चलाया जा सके। अपर जन-शिक्षा निदेशक, पाठ्य-पुस्तक और परीक्षा निदेशक तथा कालेज-शिक्षा के उप-निदेशक के पदों को समाप्त कर दिया गया और संयुक्त एक शिक्षा-निदेशक तथा जन-शिक्षा उप निदेशक (समाज और सामान्य) के नए पद बनाए गए। पाठ्य-पुस्तक और परीक्षा शाखा को जन-शिक्षा निदेशक के अधीन कर दिया गया। अब तक यह एक अलग निदेशक के अधीन थी।

शिक्षा-सेवाएं

पिछले वर्षों की तरह लगभग सभी राज्यों में शिक्षा-सेवाओं के दो मुख्य वर्ग रहे, अर्थात् (i) राज्य शिक्षा सेवाएं—जिनमें प्रायः प्रथम और द्वितीय—ये दो श्रेणियां थीं और (ii) अधीन शिक्षा सेवाएं—जिनमें विभिन्न श्रेणियां और वेतन-मान थे।

सन् 1959–60 में सभी राज्यों की शिक्षा सेवाओं के अधिकारियों की कुल संख्या 10,064 से बढ़ कर 11,682 हो गई (जिन राज्यों में ये शिक्षा-सेवाएं नहीं थी उनके समकक्ष पदों को इस संख्या में शामिल कर लिया गया है)। इन में से 1,204 पद प्रथम श्रेणी के और 10,478 पद द्वितीय श्रेणी के थे। कुल पदों में से 1,550 पद (13.3 प्रतिशत) स्त्रियों के लिए थे, जिनमें

प्रथम श्रेणी के 83 (6.9 प्रतिशत) और द्वितीय श्रेणी के 1467 पद (14.0 प्रतिशत) थे। इन पदों का विस्तृत विभाजन नीचे की सारणी xiv में दिया जा रहा है :—

सारणी XIV—शाखाओं के अनुसार राज्य शिक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की संख्या

शाखाएं	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		जोड़
	पुरुष	स्त्रियां	पुरुष	स्त्रियां	
निर्देशन और निरीक्षण . .	263	24	937	121	1,345
कालेज	752	52	5,905	865	7,574
स्कूल	50	7	1,882	467	2,406
अन्य	56	..	287	14	357
जोड़ . .	1,121	83	9,011	1,467	11,682

प्रथम श्रेणी के 1,204 पदों में से 372 पद सीधी भर्ती द्वारा, 660 पदोन्नति द्वारा और 95 स्थानापन्न नियुक्तियों द्वारा भरे गए। 77 पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की गई। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी के पदों का विभाजन भी क्रमशः 4,436, 4,707, 818 और 517 रहा।

सारणी XV से यह भी स्पष्ट होगा कि अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश की शिक्षा-सेवा में सबसे अधिक कर्मचारी थे। यहां दोनों श्रेणियों के 2,581 पद थे। इसके बाद क्रमशः राजस्थान (1,677 पद), केरल (1,245 पद), बम्बई (1,128 पद) और पश्चिमी बंगाल (1,000 पद) के नाम आते हैं। बिहार और उड़ीसा की शिक्षा-सेवा में क्रमशः 681 और 515 पद थे तथा अन्य राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में शिक्षा-सेवा के कर्मचारियों की संख्या प्रत्येक में 500 से कम थी। लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह में शिक्षा-सेवा की कोई व्यवस्था नहीं थी।

शिक्षा-सेवा के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक (220 पद) रही। बम्बई में इससे कुछ ही कम (212) पद थे। सारे देश में शिक्षा-सेवा के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या शिक्षा-सेवाओं के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 10 प्रतिशत थी। इस सम्बन्ध में आसाम का स्थान (प्रथम श्रेणी के 35.3 प्रतिशत पद) सर्वप्रथम रहा। इसके बाद क्रमशः मैसूर (27.0 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (22.6 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (18.9 प्रतिशत), बम्बई (18.8 प्रतिशत), मद्रास (17.5 प्रतिशत) और पंजाब (15.0 प्रतिशत) का स्थान आता है। अन्य राज्यों में से बिहार (14.8 प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (11.1 प्रतिशत), और उपूसी (नेफ़ा 10.0 प्रतिशत) ही ऐसे प्रदेश हैं जो राष्ट्रीय औसत के निकट रहे।

निर्देशन और निरीक्षण

पंचवर्षीय आयोजनाओं में जो-जो शिक्षा सम्बन्धी विकास हुए हैं, उनके कारण शिक्षा-संस्थाओं की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। संस्थाओं की संख्याओं के बढ़ने के साथ ही लगभग सभी राज्यों में शिक्षा निदेशालयों और निरीक्षणालयों के कर्मचारियों की संख्या भी भिन्न-भिन्न मात्राओं में बढ़ ही गयी। विभिन्न राज्यों में निदेशन और निरीक्षण से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या, इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, वेतन-मानों और उनको सौंपे गये कार्यों का विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण के दूसरे खंड के परिशिष्ट 'ए' में दिया गया है।

सारणी XV—राज्य शिक्षा सेवा

राज्य		पदों की कुल संख्या			पदों की संख्या सीधी भर्ती से		
		पुरुष	स्त्रियां	जोड़	पुरुष	स्त्रियां	जोड़
1		2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	I	25	5	30	1	..	1
	II	307	59	366	30	4	34
आसाम	I	53	1	54	7	..	7
	II	97	2	99	78	1	79
बिहार	I	96	5	101	27	1	28
	II	514	66	580	257	30	287
बम्बई — महाराष्ट्र	I	169	12	181	67	5	72
	II	651	70	721	358	30	388
बम्बई — गुजरात	I	30	1	31	16	1	17
	II	176	19	195	25	5	30
जम्मू और कश्मीर	I	1	..	1	..	..	..
	II	396	80	476	12	..	12
केरल	I	102	8	110	14	1	15
	II	861	274	1,135	372	133	505
मध्य प्रदेश	I	208	12	220	53	3	56
	II	2,109	252	2,361	670	71	741
मद्रास	I	46	4	50	7	1	8
	II	195	40	235	26	5	31
मैसूर	I	123	5	128	51	3	54
	II	310	36	346	64	9	73
उड़ीसा	I	37	2	39	2	..	2
	II	440	36	476	363	24	387
पंजाब	I	42	12	54	7	1	8
	I	252	55	307	42	12	54
राजस्थान	I	2	..	2	..	..	..
	II	1,454	221	1,675	909	143	1,052
उत्तर प्रदेश	I	69	8	77	35	4	39
	II	225	38	263	108	9	117
पश्चिमी बंगाल	I	104	7	111	50	5	55
	II	742	147	889	416	91	507

प्रथम और द्वितीय श्रेणी

पदों की संख्या						रिक्त पदों या उन पदों की संख्या जिन पर अभी नियुक्ति नहीं हुई		
पदोन्नति प्राप्त अधिकारी			स्थानापन्न					
पुरुष	स्त्रियां	जोड़	पुरुष	स्त्रियां	जोड़	पुरुष	स्त्रियां	जोड़
8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	5	28	..	..	..	1	..	1
263	54	317	..	..	..	14	1	15
44	1	45	..	..	..	2	..	2
5	1	6	1	..	1	13	..	13
55	4	59	2	..	2	12	..	12
144	20	64	11	1	12	102	15	117
57	4	61	18	3	21	27	..	27
214	38	252	38	2	40	41	..	41
12	..	42	..	..	..	2	..	2
133	14	147	..	..	..	18	..	18
1	..	1	..	..	..	..	..	..
384	80	464	..	..	..	..	..	..
81	7	88	7	..	7	..	..	..
427	128	555	36	1	37	26	12	38
118	6	124	22	3	25	15	..	15
,027	102	1,129	267	61	328	145	18	163
22	1	23	15	2	17	2	..	2
107	21	128	53	14	67	9	..	9
51	2	53	12	..	12	9	..	9
172	27	199	40	..	40	34	..	34
32	2	34	2	..	2	1	..	1
57	12	69	7	..	7	13	..	13
33	11	44	..	..	..	2	..	2
188	42	230	..	..	..	22	1	23
2	..	2	..	..	..	..	..	..
545	78	623	..	..	..	..	..	..
29	4	33	2	..	2	3	..	3
63	10	73	50	18	68	4	1	5
48	2	50	5	..	5	1	...	1
252	42	294	70	13		4	1	5

सारणी XV—राज्य शिक्षा सेवा

1		2	3	4	5	6	7
अंडमान और निकोबर द्वीप समूह।	I	..	..	..	..	..	..
	II	1	..	1	..	..	..
दिल्ली .	I	1	..	1	1	..	1
	II	99	62	161	20	18	38
हिमाचल प्रदेश	I	7	..	7	5	..	5
	II	29	1	30	7	1	8
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह।							nil
मनिपुर .	I	2	..	2	2	..	2
	II	63	3	66	38	2	40
उपूसी (नेफ़ा)	I	1	1	2	1	..	1
	II	17	1	18	8	1	9
त्रिपुरा .	I	3	..	3	1	..	1
	II	70	5	75	40	4	44
पांडिचेरी .	I	..	..	..	..	..	..
	II	3	..	3	..	..	..
भारत ..	I	1,121	83	1,204	347	25	372
	II	9,011	1,467	10,478	3,843	593	4,436

आलोच्य वर्ष में निर्देशन और निरीक्षण का व्यय 75.59 लाख रुपये बढ़ गया। इस प्रकार कुल मिलाकर यह व्यय 6.44 करोड़ रुपये हो गया। यह व्यय शिक्षा पर होने वाले कुल व्यय का 2.1 प्रतिशत था जैसा कि पिछले वर्ष था। निर्देशन और निरीक्षण के काम पर किए गए कुल खर्च की 96.3 प्रतिशत राशि सरकारी निधियों से, 3.3 प्रतिशत राशि स्थानीय परिषदों की निधियों से, 0.2 प्रतिशत राशि फीस से और 0.2 प्रतिशत राशि अन्य आय-स्रोतों से प्राप्त हुई।

सन् 1959-60 के दौरान विभिन्न राज्यों में निर्देशन और निरीक्षण पर किए गए खर्च का ब्योरा सारणी XVI में दिया गया है। मध्य-प्रदेश को छोड़कर, जहां कि इस व्यय में कुछ कमी हो गयी, शेष सभी राज्यों में निर्देशन और निरीक्षण पर होना वाला खर्च बढ़ गया। इस काम पर सब से अधिक व्यय (18.18 लाख रुपये) बिहार ने किया। इसके बाद क्रमशः केरल (11.44 लाख रु०), आंध्र प्रदेश (10.92 लाख रुपये), पश्चिमी बंगाल (8.12 लाख रुपये) उत्तर प्रदेश (5.86 लाख रु०), मद्रास (4.60 लाख रु०), आसाम (3.45 लाख रुपये) पंजाब (2.44 लाख रुपये) और मैसूर (2.26 लाख रुपये) के नाम आते हैं। अन्य राज्यों में तो यह रकम एक लाख रुपये से भी कम थी। संघ राज्य-क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि (3.66 लाख रु०) दिल्ली में हुई। इसके बाद त्रिपुरा (2.01 लाख रुपये) तथा मनिपुर (1.69 लाख रुपये) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तमाम आंकड़ों को ध्यान में रख कर यह कहा जा सकता है कि सभी राज्यों की अपेक्षा निर्देशन और निरीक्षण पर सबसे अधिक व्यय पहले की ही तरह उत्तर प्रदेश में (90.17 लाख रुपये) और सबसे कम व्यय (7.42 लाख रुपये) जम्मू और कश्मीर में हुआ। संघ राज्य-क्षेत्रों से सबसे अधिक व्यय (8.52 लाख रु०) दिल्ली में और सबसे कम व्यय (0.15 लाख रु०) लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह में हुआ।

प्रथम और द्वितीय श्रेणी—(जारी)

8	9	10	11	12	13	14	19	16
..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	1	..	1
..	..	..	..	..	..	..	..	..
1	2	3	78	42	120	..	..	..
..	..	..	2	..	2	..	..	..
8	..	8	12	..	12	2	..	2
..	..	..	..	..	..	..	..	..
21	1	22	..	..	..	4	..	4
..	1	1	..	..	..	..	..	..
8	..	8	..	..	..	1	..	1
2	..	2	..	..	..	..	..	..
12	1	13	3	..	3	15	..	15
..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	..	3	..	..	..	..	..	..
610	50	660	87	8	95	77	..	77
4,034	673	4,707	666	152	818	468	49	517

सन् 1959–60 के दौरान शिक्षा पर हुए कुल व्यय की तुलना में निर्देशन और निरीक्षण पर हुए खर्च का प्रतिशत सारणी XIV के आठवें खाने में दिखाया गया है। राज्यों में यह रकम 4.0 प्रतिशत (जम्मू और काश्मीर व बिहार) से लेकर 1.1 प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) तक रही, और संघ राज्य-क्षेत्रों में 14.3 प्रतिशत (उपूसी) (नेफ़ा) और 0.9 प्रतिशत (दिल्ली) के बीच रही।

उक्त सारणी के 9 वें से लेकर 12 वें तक के खानों में निदेशन और निरीक्षण पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न आय-स्रोतों से पूरे किये गये खर्च का विवरण दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होगा कि आंध्र-प्रदेश आसाम, बिहार, बम्बई, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली और मनिपुर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में सारा खर्च सरकारी निधियों से

[illegible] निर्देशन और

राज्य	निर्देशन 1958–1959	निर्देशन 1959–60
1	2	3
	रु०	रु०
आंध्र प्रदेश	7,95,794	10,25,301
आसाम	4,28,400	4,75,440
बिहार	4,82,553	6,76,331
बम्बई — महाराष्ट्र	15,10,912	12,56,840
बम्बई — गुजरात	*	4,99,816
जम्मू और कश्मीर	1,96,600	2,02,950
केरल	9,75,526	18,75,864
मध्य प्रदेश	9,80,076	12,02,799
मद्रास	11,80,362	9,97,868
मैसूर	7,93,234	8,48,504
†उड़ीसा	3,07,705	3,81,099
पंजाब	8,38,450	17,57,126
राजस्थान	7,84,365	12,14,181
उत्तर प्रदेश	30,25,126	35,79,094
पश्चिमी बंगाल	4,22,447	10,60,301
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25,566	25,461
दिल्ली	5,64,894	4,18,278
हिमाचल प्रदेश	17,206	37,355
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	3,336	4,380
मनिपुर	2,69,230@	4,38,306@
उपूसी (नेफ़ा)	2,00,962	2,21,110
त्रिपुरा	2,07,687	2,72,596
पांडिचेरी	75,639	76,982
भारत	1,38,87,070	1,87,39,565

@इस में निरीक्षण
†ये आंकड़े निरीक्षण
*इनके आंकड़े

निरीक्षण पर व्यय

निरीक्षण		जोड़	
1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
4	5	6	7
रु०	रु०	रु०	रु०
33,59,702	42,22,255	41,55,496	52,47,556
17,43,060	20,41,078	21,71,460	25,16,518
51,99,697	66,32,974	56,82,250	75,00,305
56,12,822	36,80,468	71,23,734	49,37,308
*	17,79,265	*	22,79,081
5,33,000	5,39,400	7,29,600	7,42,350
23,53,417	26,00,338	22,31,943	44,76,202
30,61,425	28,16,687	40,41,501	40,19,486
34,14,663	40,57,450	45,95,025	50,55,318
28,19,304	29,90,117	36,12,538	38,38,621
12,08,172	11,72,242	15,15,877	15,53,341
29,23,534	22,49,676	37,61,984	40,06,802
19,68,590	16,29,632	27,53,955	28,43,813
54,05,188	54,37,216	84,30,314	90,16,910
23,98,890	25,72,646	28,21,337	36,32,947
5,834	844	31,400	26,305
1,20,626	4,33,543	4,85,520	8,51,821
3,41,615	2,05,077	3,58,821	2,42,435
4,913	10,579	8,249	14,939
..	..	2,69,230	4,38,306
98,597	63,545	2,99,559	2,84,655
3,73,496	5,09,545	5,81,183	7,82,141
12,271	24,240	87,910	1,01,222
4,29,61,816	4,56,68,817	5,68,48,886	6,44,08,382

निरीक्षण का व्यय भी शामिल है।
से सम्बंधित है।
महाराष्ट्र में शामिल हैं।

सारणी XVI—निदेशन और निरीक्षण पर राज्यवार व्यय—(जारी)

राज्य	1959-60 में किए गये कुल खर्च का प्रतिशत	नीचे लिखे आयस्रोतों से निदेशन और निरीक्षण पर (1959-60) किए गए व्यय का प्र० श०			
		सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फ़ीस	अन्य आयस्रोत
1	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	2.4	97.3	..	2.7	..
आसाम	3.5	99.9	0.1	..	..
बिहार	4.0	97.1	1.3	..	1.6
बम्बई { महाराष्ट्र . .	1.2	99.5	0.5	..	..
बम्बई { गुजरात . . .	1.3	99.6	0.4	..	..
जम्मू और कश्मीर . . .	4.0	100.0	..	..	..
केरल	2.6	100.0	..	..	..
मध्यप्रदेश . . .	2.4	100.0	..	..	..
मद्रास	1.8	81.4	18.6	..	..
मैसूर	2.4	100.0	..	..	..
उड़ीसा	2.5	100.0	..	..	..
पंजाब	2.4	100.0	..	..	..
राजस्थान . . .	2.9	100.0	..	..	..
उत्तर प्रदेश . . .	2.5	93.2	6.8	..	0.0
पश्चिमी बंगाल . . .	1.1	98.9	1.1	..	..
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह .	3.1	100.0	..	..	..
दिल्ली	0.9	61.5	38.5	..	..
हिमाचल प्रदेश . . .	2.9	100.0	..	..	..
लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह।	4.4	100.0	..	..	..
मनिपुर	6.0	81.8	18.2	..	..
उ०पू०सी० (नेफ़ा) . . .	14.3	100.0	..	..	..
त्रिपुरा	5.0	100.0	..	..	..
पांडिचेरी . . .	2.4	100.0	..	..	..
भारत .	2.1	96.3	3.3	0.2	0.2

तीसरा अध्याय

प्राथमिक शिक्षा

आलोच्य वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। शिक्षा संबंधी सुविधाओं में वृद्धि हुई और शिक्षा का स्तर भी प्रत्यक्ष रूप में उन्नत हुआ। शिक्षा संबंधी सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से मुख्यतया उन स्थानों में नये स्कूलों के लिए जगह की व्यवस्था की गई जहां स्कूलों के लिये काफ़ी जगह नहीं थी या जहां स्कूल नहीं थे। इन स्कूलों की छात्र संख्या को बढ़ाने के लिए भी जोरदार प्रयत्न किए गए। शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये अच्छे अध्यापक रखे गये, पाठ्य विवरणों और पाठ्य पुस्तकों में सुधार किया गया तथा स्कूलों के लिये इमारत, साज-सामान और दोपहर का भोजन, आदि कल्याण सेवाओं की व्यवस्था की गई।

पिछले वर्ष आयोजना आयोग के शिक्षा विशेषज्ञ दल (एजूकेशनल पैनल) ने इस विषय पर गहन विचार किया था कि 1960 तक 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बालकों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के बारे में संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार काम करने में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि अनिवार्य शिक्षा के पहले चरण के रूप में 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को ही लिया जाए और यह पहला चरण 1965-66 तक पूरा कर लिया जाये। राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने भी इस सिफारिश को स्वीकार किया और अंत में भारत सरकार ने भी सिद्धांततः इसका अनुमोदन किया। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए प्राक्कलनों के अनुसार तीसरी आयोजना की अवधि में इस कार्यक्रम पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।

इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रारंभिक उपाय के रूप में शिक्षा मंत्रालय ने तीसरी आयोजना के दौरान प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई। इस योजना में वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशार्थियों की संख्या बढ़ाने और आवश्यकता के अनुसार कुछ स्थानों में अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने की व्यवस्था की गई थी। इस काम के लिये राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने की भी व्यवस्था की गयी थी। आलोच्य वर्ष के अंत तक राज्यों को लगभग 2.74 करोड़ रुपये के खर्च के लिए प्रशासकीय अनुमोदन भी दिया जा चुका था।

अनिवार्य शिक्षा के लिये एक आदर्श-विधान तैयार किया गया और उसे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद् के सामने विचार-विमर्श के लिए पेश किया गया। भारत सरकार ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिये संसद् में एक विधेयक पेश करने का निश्चय किया क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन भारत सरकार ही करती है। विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया और उसे अंतिम रूप भी दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के तेजी से बढ़ने के कारण और तीसरी आयोजना की अवधि में किये जाने वाले अत्यधिक विस्तार-कार्य को देखते हुए स्कूलों की इमारत का भी महत्व बढ़ गया है। अतएव सस्ती परंतु स्कूल के कामों के लिए उपयुक्त इमारतें बनाने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए लगभग दो वर्ष पहले एक प्राविधिक टोली बनाई गई थी। इस टोली में एक अमरीकी विशेषज्ञ एक भारतीय वास्तुविद् और एक शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। इस टोली ने समस्या का बारीकी से अध्ययन करने और राज्य सरकारों से विचार विमर्श करने के बाद आलोच्य वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। टोली ने कुछ फ्लिप पुस्तिकाएं आदि भी प्रकाशित की हैं। इसमें यह बताया

गया है कि उक्त समस्या के संबंध में टोली जिस समाधान को अपनाने की सिफ़ारिश करती है उसका आधारभूत विचार क्या है। ये पुस्तिकाएं पूरे देश भर में बांटी गयीं, ताकि स्कूलों की इमारतें बनाने के संबंध में लोगों की रुचि जाग्रत हो और वे इन इमारतों का निर्माण सोच विचार कर और योजनाबद्ध तरीके से करने के महत्व को जान सकें। उक्त पुस्तिकाओं में सुझाए गए सिद्धान्त लोगों को बताने के लिए, उनके आधार पर फ़िल्म-पट्टियां तैयार की गई और उनकी प्रतियां प्रदर्शन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गई। इसके अलावा, लोगों को इस संबंध में जानकारी देने के लिए राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में केन्द्रभूत पुस्तकालय खोले गए। इन पुस्तकालयों को उक्त विषय की पुस्तकें और सामग्री विदेशों से उपहार के रूप में प्राप्त हुई।

मुख्य विकास

राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो-जो मुख्य विकास हुए हैं उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

आन्ध्र प्रदेश—सहायता-प्राप्त प्रारम्भिक (elementary) स्कूलों को सरकार के अधीन करने की योजना के अनुसार आन्ध्र क्षेत्र के सभी ज़िलों के ऐसे स्कूलों को सरकार के अधीन कर दिया गया।

राज्य सरकार ने एक ऐसी विशिष्ट योजना को भी मंजूर किया जिसके अनुसार सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को नियुक्त करने और दण्ड देने की शक्तियां प्रबंधकों से छिन गई और जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंप दी गई। प्रयोग के रूप में पहले-पहल यह योजना राजमंड्री के शैक्षिक ज़िले पर लागू की गई।

राज्य के शिक्षा विभाग के सफ़ल प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तकों की छपाई सरकार करने लगी। और अब तेलगु की प्राथमिक कक्षाओं की सभी पुस्तकें (तीसरी पाठमाला को छोड़कर) और पहली और चौथी कक्षा की सभी विषयों की पुस्तकें राष्ट्रीयकरण योजना के अंतर्गत आ गई हैं।

शिक्षितों की बेरोजगारी को दूर करने की योजना के अधीन 1,600 अध्यापकों (आन्ध्र क्षेत्र में 880 और तेलंगाना क्षेत्र में 720) और 30 उपनिरीक्षकों (प्रत्येक क्षेत्र में पन्द्रह-पन्द्रह) की नियुक्ति की मंजूरी दी गई। आलोच्य वर्ष में राज्य में 1,482 प्राथमिक विद्यालय (आन्ध्र क्षेत्र में 1018 और तेलंगाना क्षेत्र में 464) भी खोले गए।

आसाम

प्राथमिक स्कूलों को यथाशीघ्र बुनियादी स्कूलों में बदलने के उद्देश्य से अध्यापकों की प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि कर दी गई। अध्यापकों की आर्थिक दशा को सुधारने का भी प्रयत्न किया गया।

बिहार

राज्य ने स्कूलों में प्रवेशार्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक आन्दोलन चलाया। आन्दोलन सफ़ल रहा। स्कूलों में जगहों की मांग बढ़ गई और उसे पूरा करने के लिए आलोच्य वर्ष में अनेक नये प्राथमिक स्कूल खोले गये।

प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार ने 50 लाख रुपयों की राशि मंजूर की।

स्कूल की इमारतें बनाने के लिए स्थानीय लोगों का अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से एक स्कूल के लिए कम से कम एक एकड़ के दान देने की पूर्व नियत मात्रा को 50 प्रतिशत घटा दिया गया। इसी प्रकार स्थानीय नकद अंशदान का अनुपात भी लागत के 50 प्रतिशत से घटा कर $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत (पिछड़े क्षेत्रों के लिये $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत) कर दिया गया।

जम्मू और कश्मीर

प्राथमिक स्कूल में नये भर्ती किए गए अध्यापकों के लिए दो नवप्रशिक्षण क्रमों तथा तीन पुनश्चर्याओं का आयोजन किया गया।

केरल

निचली प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर में भोजन देने की योजना अलेप्पी और कोझीकोड़े के राजस्व ज़िलों पर भी लागू कर दी गई। इस कार्यक्रम का 80 प्रतिशत खर्च सरकार ने पूरा किया और 20 प्रतिशत खर्च स्थानीय भोजन व्यवस्था समितियों के जरिए स्थानीय लोगों से चंदे के रूप में इकठ्ठा किया गया।

प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने की केन्द्रीय योजना के अधीन एक वैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई। त्रिवेन्ड्रम शहर से 5 मील तक की परिधि में आने वाले 1200 प्राथमिक स्कूल इस योजना के अधीन कर दिये गये। आलोच्य वर्ष में उक्त सलाहकार ने प्राथमिक अध्यापकों के लिए एक संगोष्ठी-व-पुनश्चर्या का आयोजन किया।

मद्रास

प्राथमिक स्तर पर लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा सुविधाएँ देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने आलोच्य वर्ष में लगभग 2,000 अतिरिक्त कक्षायें खोलीं। इस प्रकार इन कक्षाओं की संख्या निर्धारित लक्ष्य से भी 250 अधिक हो गयी। इन अतिरिक्त कक्षाओं में लगभग 1.20 लाख बच्चे दाखिल हुए। शिक्षितों की बेरोजगारी को कम करने की योजना भी चालू रही और आलोच्य वर्ष में इसके अधीन 2,384 अध्यापक और 24 निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए।

प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करने को केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना को राज्य में चालू किया गया और एक वैज्ञानिक सलाहकार की नियुक्ति की गई।

समेकित प्राथमिक पाठ्यक्रम के अनुसार पहली कक्षा से लेकर सातवीं कक्षा तक के लिए जो पुनरीक्षित पाठ्यविवरण तैयार किया गया था, उसे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की चौथी कक्षा (स्टैन्डर्ड) में लागू किया गया।

एल० टी० सहायकों के लिए एक पेंशन योजना पहली अप्रैल 1958 से लागू की गयी थी। अब उस योजना के लागू होने की तारीख को पीछे हटाकर 1-4-1955 कर दिया गया। परन्तु जो अध्यापक 1 अप्रैल 1955 और 31 मार्च 1958 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे उन्हें यह पेंशन 1 अप्रैल 1958 से ही दी गई। यह योजना उन अध्यापकों पर भी लागू कर दी गई जो निर्णय की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल 1955 को वार्धक्य निवृत्ति की उम्र पर पहुंच चुके थे, परन्तु जो इस तारीख को नौकरी पर थे—भले ही वार्धक्य निवृत्ति की तारीख के बाद उनकी नौकरी लगातार रही हो या न रही हो।

आलोच्य वर्ष में ज़िला परिषदों को प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान देने के नियमों में परिवर्तन किये गये। इसके पहले तक ज़िला परिषदों को प्राथमिक शिक्षा संबंधी खर्च के लिए अनेक प्रकार के अनुदान दिये जाते थे। परंतु 1959-60 वर्ष से सभी ज़िला परिषदों को प्राथमिक शिक्षा के निवल खर्च के बराबर का समेकित अनुदान दिया जाना था। इस अनुदान में वे रकमें शामिल नहीं हैं जो ज़िला परिषदों की (1) शिक्षा उपकर, (2) सामान्य लेखे से प्राप्त अंशदान और (3) केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती हैं। केवल तंजाऊर ज़िला परिषद को उक्त समेकित अनुदान नहीं दिया गया, क्योंकि वहां प्राप्त रकमों की तुलना में अधिक होनेवाले खर्च को केन्द्रीय लेखे से अतिरिक्त अंशदान लेकर या शिक्षा उपकर की दर को बढ़ाकर पुरा करना था।

प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी के शिक्षण को सुधारने के लिए प्रशिक्षण-क्रम चलाने की योजना मंजूर की गई। इस योजना के अधीन प्रत्येक हाई स्कूल के दो या तीन स्नातक अध्यापकों को 50–50 के समूहों में प्राथमिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उनसे प्राथमिक स्कूलों की पांचवीं कक्षा के अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण-क्रम आयोजित करने के लिए कहा गया।

मैसूर

राज्य के बुनियादी और दूसरे प्रकार के स्कूलों की पहली और दूसरी कक्षाओं में प्राथमिक स्कूलों के लिए सात वर्ष का समेकित पाठ्य विवरण लागू किया गया। अन्य बातों के साथ समेकित पाठ्यचर्या पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक ज़िले के मुख्यालय में और 50 शिक्षकों वाले प्रत्येक केन्द्र में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की संगोष्ठियाँ आयोजित करने की मंजूरी दी गई।

राज्य में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और शिक्षित बेरोजगारी दूर करने के लिए लगभग 1,400 अतिरिक्त अध्यापकों को नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान स्कूलों का स्तर बढ़ाने और भीड़ वाले प्राथमिक स्कूलों को अधिक सक्षम बनाने के लिए नये स्कूल खोले गए, वर्तमान स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया और जिन प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो गयी थी वहां अधिक अध्यापक भेजे गए। इसके अलावा राज्य में अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम को जारी रखने के लिए ज़िला विद्यालय परिषदों को 1,000 अतिरिक्त अध्यापकों की भी मंजूरी दी गई।

उड़ीसा

शिक्षितों की बेरोजगारी को दूर करने की योजना के अधीन एक अध्यापक वाले 2,000 प्राथमिक स्कूल खोले गये। इसके अलावा जिन वर्तमान प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों में अधिक वृद्धि हुई, उनमें 1,000 अध्यापक और नियुक्त किये गये। लड़कियों की शिक्षा के प्रसार के विशेष उपाय के रूप में लड़कों के उन प्राथमिक स्कूलों में 400 'स्कूल मदर्स' नियुक्त की गई जिनमें लड़कियों की संख्या काफ़ी अधिक थी।

प्राथमिक स्कूलों के लिए काफ़ी अध्यापिकाओं को प्राप्त करने की दृष्टि से, 'स्कूल मदर्स', मैट्रिकुलेट अवर-स्नातक, अध्यापिकाओं और प्रौढ़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई।

सामुदायिक विकास विभाग की "विस्तारित पोषण कार्यक्रम" नामक योजना के अधीन दिसम्बर 1959 में 16 राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के प्राथमिक स्कूलों के 80 अध्यापकों को एक मास का बागबानी का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया।

पंजाब

राज्य में शिक्षितों की बेरोजगारी को दूर करने और प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक अध्यापक वाले लगभग 600 प्राथमिक स्कूल खोले और एक अध्यापक वाले इतने ही स्कूलों को दो अध्यापक वाले स्कूलों में बदल दिया। सभी नये स्कूल मुख्यतः लड़कियों के लिए थे और उन्हीं गांवों में खोले गये जिनमें कोई स्कूल नहीं था। सभी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की अवधि बढ़ाकर पांच वर्ष की करने के विषय में जो निर्णय किया गया था उसके अनुसार आलोच्य वर्ष में चार वर्ष वाले 600 प्राथमिक स्कूलों में पांचवीं कक्षा भी बढ़ा दी गई।

राज्य में शिक्षा की सुविधाओं के बढ़ने से निरीक्षण कर्मचारियों का काम काफ़ी बढ़ गया। अतएव इस दृष्टि से कि प्राथमिक स्कूलों के अधीक्षण और निरीक्षण का काम अधिक कुशलता से हो सके, लड़कों के 55 प्राथमिक स्कूलों के प्रत्येक समूह के लिए एक सहायक ज़िला विद्यालय निरीक्षक और लड़कियों के 40 प्राथमिक स्कूलों के प्रत्येक समूह के लिए एक सहायक ज़िला विद्यालय निरीक्षका नियुक्त करने की योजना को पूरा किया गया।

राजस्थान

2 अक्टूबर 1959 से राज्य में प्रशासन का लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण शुरू किया गया। अतएव 8,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों के सभी प्राथमिक स्कूलों, उनके अध्यापकों और निरीक्षण कर्मचारियों को पंचायत समितियों को सौंप दिया गया।

राज्य में शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने और शिक्षितों की बेरोजगारी को दूर करने की योजना के अधीन देहाती क्षेत्रों में लगभग 1,100 प्राथमिक स्कूल खोले गये। इसके अलावा, वर्तमान प्राथमिक स्कूलों में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या के बढ़ते रहने के कारण अतिरिक्त कक्षाएं खोलनी पड़ीं और उनके लिए लगभग 1,000 और अध्यापक नियुक्त किये गये।

आलोच्य वर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण विकास यह था कि प्राथमिक अध्यापकों के उन सभी ग्रेडों को समाप्त कर दिया गया जो 50 रुपये से कम पर शुरू होते थे। इस का कारण यह नीति थी कि किसी भी अध्यापक को 50-80 रूपये के ग्रेड से कम वेतन पर नियुक्त नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतनों को बढ़ाने के उद्देश्य से मिडिल स्कूलों के लगभग 9,000 अप्रशिक्षित अध्यापकों के पदों को मैट्रिक के अप्रशिक्षित अध्यापकों के पदों में बदल दिया गया।

30 नायब उपनिरीक्षक भी नियुक्ति किये गये ताकि प्राथमिक स्कूलों के पर्यवेक्षण का काम प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सके।

राज्य में विज्ञान के शिक्षण के सुधार की केन्द्र संचालित योजना पर अमल किया गया। इसके अधीन बीकानेर में एक विज्ञान सलाहकार की नियुक्ति की गई।

उत्तर प्रदेश

नये खुलने वाले प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और तीसरी आयोजना की अवधि में राज्य को प्राथमिक शिक्षा के शीघ्र विस्तार के लिए तैयार करने की दृष्टि से आलोच्य वर्ष में अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधाएं काफी बढ़ा दी गई।

पश्चिमी बंगाल

प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों की सेवा की अवस्थाओं में सुधार करने के लिए जिला विद्यालय परिषदों के प्राथमिक स्कूलों के सभी अनुमोदित अध्यापकों के लिए राज्य सरकार द्वारा अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि चालू की गयी। निधि में वेतन का 6¼ प्रतिशत जमा करना होगा। सेवानिवृत्ति होने पर अथवा नौकरी करने की अवधि में मृत्यु होने पर अध्यापकों या उनके कानूनी वारिसों को उपदान देने के नियमों में भी संशोधित करने के लिए कार्रवाई की गई। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के संरक्षितों को माध्यमिक स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गयी। जिन गावों में स्कूल नहीं थे उन्हें शिक्षा संबंधी सुविधाएँ देने के लिए 240 प्राथमिक स्कूल खोले गये। इनमें 480 अध्यापक रखे गये। इसके अलावा 'प्राथमिक स्कूलों के लिए अच्छी इमारत' शीर्ष के अधीन लगभग 3,600 प्राथमिक स्कूल की इमारतों में सुधार करने की योजना मंजूर की गई। इस योजना पर कुल मिलाकर लगभग 36 लाख रु० की रकम खर्च होगी।

देहाती क्षेत्रों में अध्यापिकाओं की सेवाएँ प्राप्त करने में राज्य सरकार को बड़ी कठिनाई होती थी। अतः उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए "देहाती क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं के लिए अनिवार्य आवास-स्थान नामक योजना' बनाई गई। योजना के अधीन इन अध्यापिकाओं के लिए 4.6 लाख रुपयों की अनुमानित लागत पर 76 दुहरे क्वार्टरों का निर्माण मंजूर किया गया। इनके इस खर्च के लिए केन्द्र 50 प्रतिशत अंशदान देगा। इसके अलावा "लड़कियों की शिक्षा का विस्तार" नामक केन्द्र संचालित योजना के अधीन 50 लाख रुपयों की अनुमानित लागत पर अध्यापिकाओं के लिए भी 83 दुहरे क्वार्टरों का निर्माण मंजूर किया गया। इनके खर्च का 75 प्रतिशत भारत सरकार देगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

द्वीप समूह के बिखरे हुए क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 16 नये प्राथमिक स्कूल खोले गये। प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिये 63 शिक्षक भी नियुक्त किए गए।

हिमाचल प्रदेश

अनिवार्य आम प्राथमिक शिक्षा को लागू करने की दृष्टि से सिरमूर ज़िले की रेणुका तहसील में आजमाइश के लिए एक प्रायोगिक परियोजना चालू की गयी। इस परियोजना के अन्तर्गत पैंतालीस प्राथमिक स्कूल खोले गये।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह

इन द्वीपों में शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लड़कियों के तीन प्राथमिक स्कूल खोले गये।

मनिपूर

अनुसूचित जातियों वाले क्षेत्रों में शिक्षा की प्रगति की दृष्टि से एक अध्यापक वाले दो प्राथमिक स्कूल खोले गये। स्कूल के बच्चों की सफ़ाई संबंधी देखरेख करने के लिए आलोच्य वर्ष में पचास 'स्कूल मदर्स' नियुक्त की गईं।

प्राथमिक स्कूलों के बाह्य रूप को संवारने के लिए भी एक कार्यक्रम शुरु किया गया। अहातों के चारों ओर दीवार या बाड़ बनायी गयी, उनके चारों ओर हरी झाड़ियां लगायी गयी, उनके भीतर तरकारी, फलों के पौधे और छायादार वृक्ष लगाए गए, तथा भारत और मनिपुर के उभारदार नक्शे बनाए गए और इसी प्रकार के अन्य काम किए गए। बाद में इस कार्यक्रम के अधीन घाटी और पहाड़ियों के प्राथमिक स्कूलों के बीच प्रतियोगिता की गई। प्रतियोगिता में 9 विभिन्न परिमंडलों के 54 स्कूलों को 5400 रुपए के पुरस्कार दिये गये।

त्रिपुरा

'शिक्षित बेरोज़गारों की सहायता' योजना के अधीन 35 अध्यापकों और 2 नायब निरीक्षकों की नियुक्ति की गई।

क्षेत्रीय परिषद् ने एक परीक्षण-अध्ययन किया कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले और अगली कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्रों के कारण प्राथमिक शिक्षा को कितनी हानि पहुंचती है।

पाण्डिचेरी

इस राज्यक्षेत्र के अन्दरूनी भागों में शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक अध्यापक वाले 20 स्कूल खोले गये। इसके अलावा कुछ कक्षाओं को भागों में बांट दिया गया और छात्रों की भीड़-भाड़ दूर करने के लिए और अध्यापकों की नियुक्ति की गई। शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्कूलों में शिक्षण-साधनों, फर्नीचर और अन्य सामग्री की व्यवस्था की गई।

स्कूलों की कक्षा-योजना

सन् 1959–60 में स्कूलों की कक्षा योजना पिछले वर्ष के ही समान थी। प्राथमिक पाठ्यक्रम की अवधि सभी राज्यों में एक सी नहीं थी, बल्कि कहीं-कहीं तो एक ही राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में भी पाठ्यक्रम की अवधि भिन्न-भिन्न थी। इसके विशेष उदाहरण बम्बई, मैसूर और पाण्डिचेरी हैं। अधिकांशत: भारत के प्राथमिक स्कूलों में 5 कक्षाएँ थीं परंतु कुछ राज्यों में इस स्तर पर 4 कक्षाएँ थीं।

सारणी—XVII में प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-पद्धति

राज्य	कक्षाओं के नाम	अवधि (वर्ष)
1	2	3
आन्ध्र	I, II, III, IV और V	5
आसाम	ए, बी, I, II और III	5
बिहार	I, II, III, IV और V	5
महाराष्ट्र		
(1) भूतपूर्व बम्बई और भूतपूर्व मध्य प्रदेश का क्षेत्र (विदर्भ क्षेत्र) .	I, II, III और IV	4
(2) भूतपूर्व हैदराबाद का क्षेत्र (मराठवाड़ा क्षेत्र) बाल विहार, .	I, II, III और IV	5
गुजरात		
(1) भूतपूर्व बम्बई राज्य .	I, II, III और IV	4
(2) भूतपूर्व मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्र (विदर्भ क्षेत्र) और भूतपूर्व सौराष्ट्र राज्य . . .	I, II, III और IV	4
(3) भूतपूर्व कच्छ रियासत बाल विहार	I, II, III और IV	5
जम्मू और कश्मीर . . .	I, II, III, IV और V	5
केरल	I, II, III और IV	4
मध्य प्रदेश	I, II, III, IV और V	5
मद्रास	माध्यमिक स्कूलों में कक्षा I से लेकर V कक्षा तक और प्राथमिक स्कूलों में श्रेणी (स्टैण्डर्ड) I से लेकर V तक	5
मैसूर		
(1) भूतपूर्व मैसूर राज्य का क्षेत्र—		
(क) सिविल इलाके और बेलारी जिला . . .	I, II, III, IV और V	5
(ख) अन्य क्षेत्र . .	कक्षा I, II, III और IV	4
(2) भूतपूर्व बम्बई राज्य . .	I, II, III और IV	
(3) भूतपूर्व मद्रास और कुर्ग राज्यों के क्षेत्र . . .	I, II, III, IV और V	5
(4) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य का क्षेत्र .	I, II, III और IV	4

सारणी—XVIII में प्राथमिक स्तर पर स्कूलों की कक्षा-पद्धति—(जारी)

1	2	3
उड़ीसा	I, II, III, IV और V	5
पंजाब	I, II, III, IV और V	5
राजस्थान	I, II, III, IV और V	5
उत्तर प्रदेश	I, II, III, IV और V	5
पश्चिमी बंगाल . . .	I, II, III और IV	4
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	I, II, III, IV और V	5
दिल्ली	I, II, III, IV और V	5
हिमाचल प्रदेश . . .	I, II, III, IV और V	5
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	स्टैन्डर्ड I, II, III, IV और V	5
मनिपुर	ए, बी, I और II	4
उ०पू०सी० (नेफ़ा) . . .	ए, बी, I, II और III	5
त्रिपुरा	I, II, III, IV और V	5
पांडिचेरी	बालविहार स्टैंडर्ड I, II, III और IV	5

सारणी संख्या xvii में विभिन्न राज्यों के प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के नाम और उसके पाठ्यक्रम की अवधि दी गई है।

प्रशासन और नियंत्रण

आलोच्य वर्ष में भी प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन निम्नलिखित में से कोई अभिकरण करता रहा :

(क) केन्द्र या राज्य सरकार (ख) स्थानीय निकाय (देहाती क्षेत्रों में जिला परिषदें और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाएं, राज्य क्षेत्र परिषदें आदि) और (ग) सहायता प्राप्त और जिन्हें सहायता नहीं मिलती, ऐसी दोनों ही प्रकार की गैर सरकारी संस्थाएं। अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों का प्रबंध मुख्यतया सरकार और स्थानीय परिषदें करती थीं। लेकिन बिहार, केरल और उड़ीसा में स्कूलों का प्रबंध अधिकांशत: गैर-सरकारी संस्थाएं करती थीं।

स्कूल

अवर बुनियादी स्कूलों को मिलाकर प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या 3,01,564 से बढ़कर 3,19,070 हो गई। इस प्रकार इनकी संख्या में 5.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1958-59 में यह वृद्धि 1.4 प्रतिशत थी। इनमें से 3,00,270 स्कूल लड़कों के (या सह-शिक्षा वाले) थे और 18,800 लड़कियों के। नीचे की सारणी में विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों का विभाजन दिखाया गया है।

प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार सामान्य स्कूलों का विभाजन
1959-60

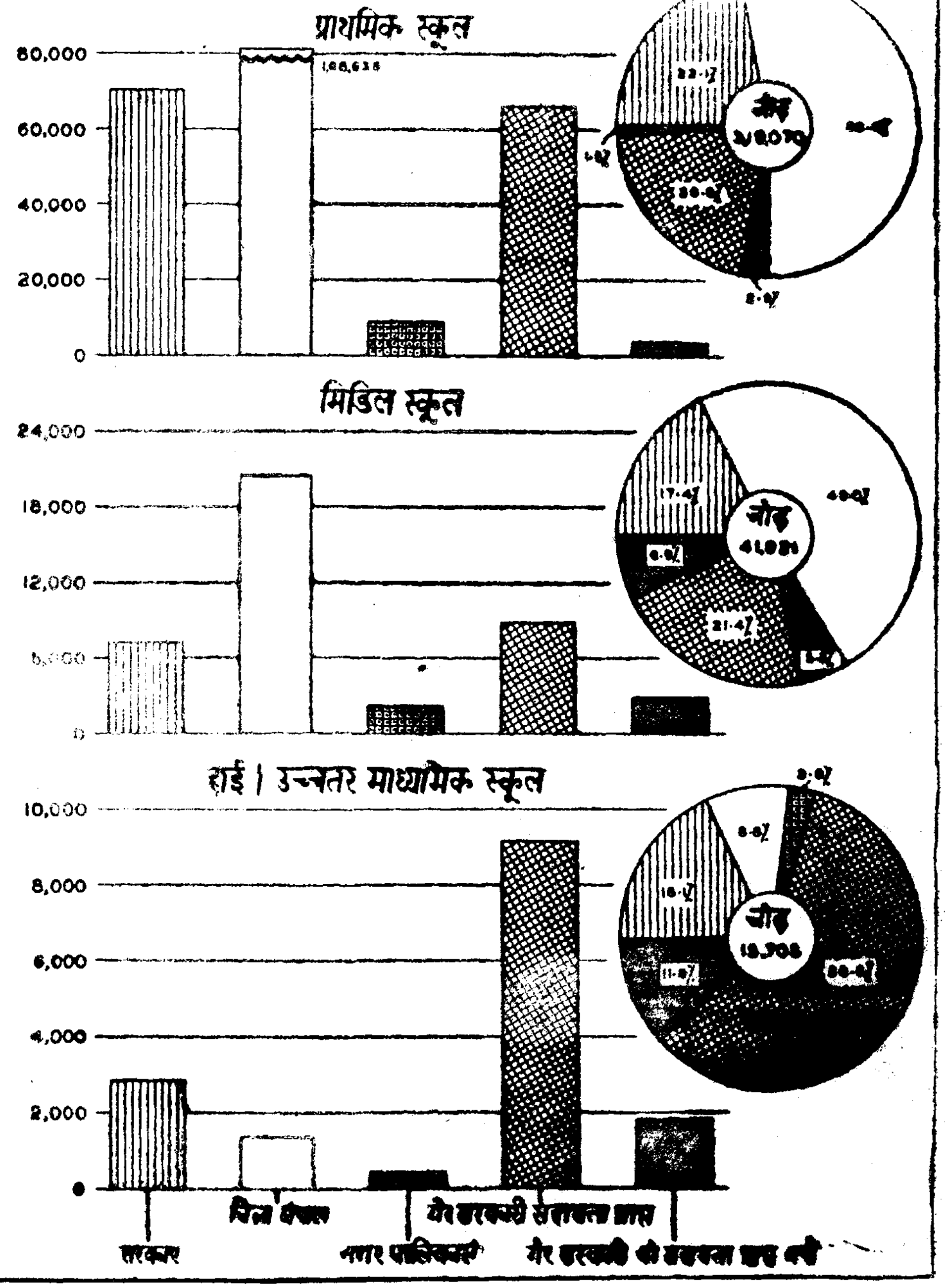

सारणी XVIII—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या

प्रबंध संस्था	1958–59		1959–60	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार . . .	81,939	27.1	70,533	22.1
जिला परिषदें . .	1,39,796	46.4	1,68,638	52.8
नगरपालिकाएं . .	8,342	2.8	9,217	2.9
गैर सरकारी संस्थाएं				
सहायता–प्राप्त . .	67,779	22.5	66,657	20.9
जो सहायता–प्राप्त नहीं थीं .	3,708	1.2	4,025	1.3
जोड़ . .	3,01,564	100.00	3,19,079	100.00

ऊपर की सारणी से यह स्पष्ट होगा कि आधे से ज्यादा स्कूलों का नियंत्रण स्थानीय परिषदें करती थीं और शेष स्कूलों में से लगभग आधे-आधे स्कूलों का नियंत्रण सरकार और गैर-सरकारी संस्थायें करती थीं। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में सन् 1959–60 में जिला परिषदों, नगरपालिकाओं, और बिना सहायता वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में चलने वाले स्कूलों की संख्या क्रमशः 20.6 प्रतिशत, 10.5 प्रतिशत, और 8.5 प्रतिशत बढ़ गयी। परन्तु सरकारी स्कूलों की संख्या 12.4 प्रतिशत तथा गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1.7 प्रतिशत घट गयी इस कमी का कारण यह था कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बहुत से सरकारी स्कूल जिला परिषदों, पंचायत समितियों और राज्यक्षेत्र परिषदें को हस्तांतरित कर दिये गये।

देहाती क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2,88,222 (2,74,587 लड़कों के स्कूल और 13,635 लड़कियों के स्कूल) थी और यह संख्या प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या का 90.3 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यही प्रतिशत 90.0 था।

सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न राज्यों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या का विभाजन सारणी संख्या xix में दिया गया है। इससे पता चलेगा कि सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्कूलों की संख्या बढ़ गई। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि राजस्थान में (16.2) और सबसे कम केरल में (0.7) हुई।

संघ राज्यक्षेत्रों में लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी दीपसमूह में सबसे अधिक (42.9 प्रतिशत) वृद्धि हुई। उसके बाद अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 30.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। सबसे कम वृद्धि त्रिपुरा में (0.2 प्रतिशत) हुई।

सारणी संख्या xix के (10) से (14) तक के खानों में दिए गए प्रतिशत से विभिन्न राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के सरकारी, स्थानीय परिषदें और गैर-सरकारी स्कूलों के अनुपात का पता चलता है। जिन राज्यों में लगभग आधे से ज्यादा स्कूलों का नियंत्रण सरकार करती थी, वे इस प्रकार थे: जम्मू और कश्मीर (99.6 प्रतिशत)

सारणी XIX—प्राथमिक स्कूलों की राज्यवार संख्या

राज्य	लड़कों के लिए		लड़कियों के लिए		जोड़	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	30,685	32,122	440	434	31,125	32,556
आसाम	12,921	14,344	672	671	13,593	15,015
बिहार	28,539	31,510	3,502	4,091	32,041	35,601
बम्बई { महाराष्ट्र	33,332	23,141	1,269	1,099	34,601	24,240
बम्बई { गुजरात	*	11,144	*	277	*	11,421
जम्मू और कश्मीर . . .	2,159	2,237	415	517	2,574	2,754
केरल	6,771	6,813	15	19	6,786	6,832
मध्य प्रदेश	24,639	25,678	1,733	1,801	26,372	27,479
मद्रास	22,511	23,516	..	..	22,511	23,516
मैसूर	21,871	22,416	1,393	1,227	23,264	23,643
उड़ीसा	17,953	20,150	223	234	18,176	20,384

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (-)		1959–60 में प्रबंध संस्थाओं के अनुसार स्कूलों की संख्या				
						गैर-सरकारी संस्थायें	
	संख्या	प्रतिशत	सरकार	जिला परिषद	नगरपालिका	सहायता प्राप्त	जिन्हें सहायता नहीं मिली
8	9	10	11	12	13	14	15
आन्ध्र प्रदेश	+1,431	+ 4.6	14.8	73.6	3.3	8.2	0.1
आसाम . . .	+1,422	+10.5	10.0	80.1	..	2.4	7.5
बिहार	+3,560	+11.1	0.2	28.0	2.8	66.9	2.1
बम्बई							
महाराष्ट्र . . .	+1,060	+ 3.1	22.0	61.7	5.1	10.5	0.7
गुजरात	*	*	3.4	86.8	2.7	4.7	2.4
जम्मू और कश्मीर . . .	+ 180	+ 7.0	99.6	..	..	0.4	..
केरल	+ 46	+ 0.7	42.0	0.1	..	57.4	0.5
मध्य प्रदेश	+1,107	+ 4.2	60.1	35.4	1.7	2.2	0.6
मद्रास	+1,005	+ 4.5	6.3	63.3	3.7	26.5	0.2
मैसूर	+ 379	+ 1.6	56.6	17.7	1.2	24.3	0.2
उड़ीसा	+2,208	+12.1	27.9	2.9	0.5	67.9	0.8

सारणी XIX—प्राथमिक स्कूलों की राज्यवार संख्या—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	10,533	10,494	1,748	2,206	12,281	12,699
राजस्थान	10,666	12,476	553	565	11,219	13,041
उत्तर प्रदेश	32,872	33,772	3,492	4,277	36,364	38,049
पश्चिमी बंगाल	25,351	26,242	939	967	26,290	27,209
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	55	72	..	..	55	72
दिल्ली	373	405	234	240	607	675
हिमाचल प्रदेश	966	1,055	13	12	979	1,067
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . .	6	6	1	4	7	10
मनिपुर	1,250	1,282	77	148	1,327	1,430
उ०पू०सी० (नेफ़ा)	112	120	..	..	112	120
त्रिपुरा	1,067	1,069	..	..	1,067	1,069
पाण्डिचेरी	197	206	16	12	213	218
भारत .	2,84,829	3,00,270	16,735	18,800	3,01,564	3,19,070

* इनके आंकड़े महाराष्ट्र में शामिल हैं।

1	8	9	10	11	12	13	14
पंजाब	+ 418	+ 3.4	97.5	0.1	0.1	1.1	1.2
राजस्थान	+1,822	+10.2	7.1	89.7	0.4	1.5	1.3
उत्तर प्रदेश	+1,685	+ 4.6	2.2	84.1	6.9	5.5	1.3
पश्चिमी बंगाल . . .	+ 919	+ 3.5	4.6	80.4	1.8	12.7	0.5
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . .	+ 17	+30.9	100.0	..	..	..	..
दिल्ली	+ 38	+ 6.2	0.3	..	92.3	7.4	..
हिमाचल प्रदेश . . .	+ 88	+ 9.0	..	90.3	0.4	9.1	0.2
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	+ 3	+42.9	100.0	..	..	..	..
मनिपुर	+ 103	+ 7.8	0.5	66.7	2.7	12.7	17.4
उ०पू०सी० (नेफ़ा) . . .	+ 8	+ 7.1	100.0	..	..	..	..
त्रिपुरा	+ 2	+ 0.2	0.2	84.6	4.6	9.1	1.5
पाण्डिचेरी	+ 5	+ 2.3	77.1	..	..	22.9	..
भारत— . .	+17,506	+ 5.8	22.1	52.9	2.9	20.9	1.2

पंजाब (97.5 प्रतिशत) मध्यप्रदेश (60.1 प्रतिशत) और मैसूर (56.6 प्रतिशत) अन्य राज्यों में सरकारी नियंत्रण का भाग 42.0 प्रतिशत (केरल) से लेकर 0.2 प्रतिशत (बिहार) तक था। जिन राज्यों में अधिकांश स्कूलों का प्रबंध स्थानीय परिषदें करती थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्तरप्रदेश (91.0 प्रतिशत), राजस्थान (90.1 प्रतिशत), आसाम (80.1 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (76.9 प्रतिशत), बम्बई (74.0 प्रतिशत) और मद्रास (67.0 प्रतिशत)। केवल तीन राज्यों में अर्थात् बिहार (69.0 प्रतिशत), उड़ीसा (68.7 प्रतिशत), और केरल (57.9 प्रतिशत) में अधिकांश स्कूल गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन थे।

संघ राज्य क्षेत्रों में, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह, तथा नेफ़ा के सभी स्कूलों का और पाण्डिचेरी के 77.1 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सरकार कर रही थी। जिन संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकांश स्कूल स्थानीय परिषदों के अधीन थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: दिल्ली (92.3 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (90.7 प्रतिशत), त्रिपुरा (89.2 प्रतिशत) और मनिपुर (69.4 प्रतिशत)।

छात्र

आलोच्य वर्ष में मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या 15,49,506 बढ़ गई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 2,59,21,687 हो गई। इस प्रकार पिछली वर्ष की 1.7 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 6.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। भर्ती हुए कुल छात्रों में 1,58,68,006 लड़के और 80,53,681 लड़कियाँ। विभिन्न प्रबंध -संस्थाओं के नियंत्रण के अनुसार इन प्राथमिक स्कूलों के छात्रों की संख्या का विभाजन इस प्रकार था :—

प्रबंध संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या

प्रबंध संस्था	1958–1959		1959–60	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार . .	58,33,088	23.9	53,03,801	20.5
जिला परिषदें . .	1,09,40,272	44.9	1,29,96,139	50.1
नगरपालिकाएँ . .	17,41,172	7.2	19,09,709	7.4
गैर सरकारी संस्थाएँ .				
सहायता प्राप्त . .	55,58,362	22.8	53,69,922	20.7
जो सहायता-प्राप्त नहीं थी	2,99,287	1.2	3,42,116	1.3
जोड़ .	2,43,72,181	100.00	2,59,21,687	100.00

ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की कुल संख्या 1,93,18,103 से बढ़कर 1,97,00,308 हो गई। यह संख्या प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होनेवाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का 76.0 प्रतिशत थी।

प्राथमिक स्कूलों के छात्रों का राज्यवार विभाजन सारणी संख्या XX में दिया गया है। केरल को छोड़कर शेष सभी राज्यों के स्कूलों में भर्ती होनेवाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि बिहार में (3.19 लाख) हुई। संघ राज्य

क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दिल्ली में (11,972) हुई। प्रतिशत के आधार पर राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि राजस्थान में (27.9 प्रतिशत) हुई। इसके बाद उड़ीसा (21.5 प्रतिशत), बिहार (14.6 प्रतिशत) और आसाम (10.1 प्रतिशत) के नाम आते हैं अन्य राज्यों में यह वृद्धि 9.1 प्रतिशत (जम्मू तथा कश्मीर) से लेकर 1.3 प्रतिशत (बम्बई) तक रही। संघ राज्यक्षेत्रों में से लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह में सबसे अधिक वृद्धि (28.7 प्रतिशत) हुई। उपूसी (नेफा) में 10.5 प्रतिशत वृद्धि हुई और सबसे कम वृद्धि पाण्डिचेरी में (0.7 प्रतिशत) हुई।

ऊपर केवल प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। प्राथमिक शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों की संख्या का सही अनुमान करने के लिए यह जरुरी है कि माध्यमिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती होनेवाले छात्रों की संख्या की भी गणना की जाए और इसमें से प्राथमिक स्कूलों से संबद्ध पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या घटा दी जाए। यह सारणी XXI में दिखाया गया है। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर छात्रों की कुल संख्या 18,62,784 बढ़ गयी। सन् 1958–59 में लड़कों की संख्या 2,04,80,488 और लड़कियों की संख्या 95,60,763 थी। सन् 1959–60 में ये संख्याएं बढ़कर क्रमश: 2,16,38,115 और 1,02,65,920 हो गई। प्रतिशत के आधार पर आलोच्य वर्ष में 6.2 प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि पिछले साल 9.8 प्रतिशत वृद्धि हुये थी। यह वृद्धि सभी राज्यों में हुई। सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सभी शिक्षा स्तरों में भर्ती होनेवाले विद्यार्थियों की कुल संख्या की तुलना में प्राथमिक स्तर पर भर्ती होनेवाले विद्यार्थियों के अनुपात में कुछ भी कमी अथवा वृद्धि नहीं हुई अर्थात् वह 72 प्रतिशत ही रहा। राज्यों में परस्पर तुलना करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कई राज्यों में प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा-अवधि दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम अधिक है।

सारणी संख्या XXII में यह दिखाया गया है कि छह से लेकर ग्यारह साल तक की उम्र के बच्चों की कुल अनुमानित संख्या की तुलना में पहली से लेकर पांचवीं कक्षा तक में भर्ती होनेवाले छात्रों की संख्या कितनी रही। इस प्रकार इस सारणी से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुई आम प्रगति का संकेत मिलता है। तुलना से प्राप्त प्रतिशत संख्या खाना (8) से (10) तक में दी गई है। सारणी से यह ज्ञात होगा कि 6–11 साल की उम्र के बच्चों की कुल अनुमानित संख्या में से स्कूलों की पहली से पांचवीं कक्षा तक में 61.5 प्रतिशत बच्चों के लिए ही शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध थीं।

सहशिक्षा

प्राथमिक स्कूलों में पढ़नेवाली लड़कियों की कुल संख्या 80,53,681 थी। इनमें से 65,43,435 अथवा 81.2 प्रतिशत लड़कियां, लड़कों के स्कूलों में पढ़ती थीं। पिछले साल 80.9 प्रतिशत लड़कियां, लड़कों के स्कूलों में पढती थीं। इनकी राज्यवार संख्या सारणी XXIII में दी गई है। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि प्राथमिक स्तर पर सारे देश में सह-शिक्षा काफी प्रचलित थी। मद्रास, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, नेफा तथा त्रिपुरा में लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं थे। अत: उनको छोड़कर अन्य राज्यों में लड़कों के स्कूल में पढ़नेवाली लड़कियों की सबसे अधिक संख्या (99.1 प्रतिशत) केरल में थी। इसके बाद क्रमश: आन्ध्र प्रदेश (96.6 प्रतिशत), उडीसा (94.5 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (92.8 प्रतिशत), आसाम (90.0 प्रतिशत), पाण्डिचेरी (87.2), पश्चिमी बंगाल (86.9 प्रतिशत), मैसूर (76.67 प्रतिशत) और बम्बई (76.5 प्रतिशत) आदि के नाम आते हैं। केवल तीन राज्यों में अधिकांश लड़कियाँ लड़कियों के ही प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रही थीं। ये राज्य जम्मू और कश्मीर, पंजाब और दिल्ली थे।

सारणी XX—प्राथमिक स्कूलों

राज्य	लड़कों के स्कूलों में		लड़कियों के स्कूलों में	
	1958–59	1959–1960	1958–1959	1959–1960
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	25,07,728	26,33,551	45,338	46,603
आसाम .	8,42,170	9,31,239	48,279	49,011
बिहार .	20,05,531	22,83,550	1,75,076	2,16,041
बम्बई { महाराष्ट्र	21,90,028	15,28,000	2,09,621	1,75,041
बम्बई { गुजरात	..	6,80,001	..	48,242
जम्मू और कश्मीर	1,09,452	1,10,197	20,080	31,142
केरल .	17,55,886	17,45,678	5,493	7,350
मध्य प्रदेश	13,61,304	14,62,442	1,33,884	1,44,372
मद्रास .	23,24,475	24,34,107	..	..
मैसूर .	16,44,735	16,87,923	1,84,308	1,73,603
उड़ीसा .	8,28,582	10,08,277	15,957	17,806
पंजाब .	7,66,773	7,76,448	1,74,936	1,83,862
राजस्थान	5,89,405	7,67,019	49,128	49,935
उत्तर प्रदेश	32,03,134	34,04,280	3,20,428	3,58,433
पश्चिमी बंगाल .	23,28,099	24,12,652	1,37,346	1,37,411
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,324	4,299	..	..
दिल्ली .	1,00,943	1,11,419	59,491	60,987
हिमाचल प्रदेश .	43,614	46,639	1,091	1,071
लंक्काद्वीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप-समूह .	1,440	1,482	65	455
मनिपुर .	88,284	88,806	10,679	12,060
उपूसी (नेफा)	3,805	4,203	..	..
त्रिपुरा .	68,453	72,146	..	..
पाण्डिचेरी	12,638	13,185	1,178	719
भारत	2,27,79,803	2,42,07,543	15,92,378	17,14,14

में विद्यार्थियों की संख्या

जोड		कमी (−) या वृद्धि (+)	
1958–1959	1959–1960	संख्या	प्रतिशत
6	7	8	9
25,53,066	26,80,154	+ 1,27,088	+ 5.0
8,90,449	9,80,250	+ 89,801	+ 10.1
21,80,607	24,99,591	+ 3,18,984	+ 14.6
23,99,649	17,03,041	+ 31,685	+ 1.3
..	7,28,243	..	..
1,29,532	1,41,339	+ 11,807	+ 9.1
17,61,379	17,53,028	−8,351	−0.5
14,95,188	16,06,814	+ 1,11,626	+ 7.5
23,24,475	24,34,107	+ 1,09,632	+ 4.7
18,29,043	18,61,526	+ 32,483	+ 1.8
8,44,539	10,26,083	+ 1,81,544	+ 21.5
9,41,709	9,60,310	+ 18,601	+ 2.0
6,38,533	8,16,954	+ 1,78,421	+ 27.9
35,23,562	7,62,713	+ 2,39,151	+ 6.8
24,65,445	25,50,063	+ 84,618	+ 3.4
3,324	4,299	+ 975	+ 2.9
1,60,434	1,72,406	+ 11,972	+ 7.5
44,705	47,710	+ 3,005	+ 6.7
1,505	1,937	+ 432	+ 28.7
98,963	1,00,866	+ 1,903	+ 1.9
3,805	4,203	+ 398	+ 10.5
68,453	72,146	+ 3,693	+ 5.4
13,816	13,904	+ 88	+ 0.6
2,43,72,181	2,59,21,687	+ 15,49,506	+ 6.4

सारणी XXI—प्राथमिक कक्षाओं

राज्य	लड़के		लड़-
	1958-59	1959-60	1958-59
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश . .	16,58,245	17,43,486	10,00,831
आसाम . . .	6,14,771	6,71,012	3,51,429
बिहार . . .	19,95,472	22,52,946	5,76,983
बम्बई { महाराष्ट्र . .	31,08,527	21,27,545	17,73,243
बम्बई { गुजरात . .	..	11,16,089	..
जम्मू और कश्मीर . .	1,37,276	1,43,856	29,628
केरल . . .	12,22,234	12,38,410	10,51,579
मध्य प्रदेश . .	14,11,040	14,92,967	3,65,168
मद्रास . . .	18,62,176	19,50,199	11,19,125
मैसूर . . .	12,86,747	12,00,056	7,52,439
उड़ीसा . . .	6,67,884	7,86,732	2,29,510
पंजाब . . .	9,58,465	9,67,496	4,12,112
राजस्थान . . .	6,77,817	8,31,099	1,52,928
उत्तर प्रदेश . .	29,22,135	30,86,779	7,09,938
पश्चिमी बंगाल . .	16,27,305	16,63,736	8,59,349
अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह . .	1,703	2,075	1,003
दिल्ली . . .	1,31,436	1,58,665	94,070
हिमाचल प्रदेश . .	57,491	61,080	12,854
लक्काद्वीव, मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	1,745	1,994	875
मनिपुर . . .	65,186	66,326	32,844
त्रिपुरा . . .	51,667	53,271	23,565
नेफ़ा . . .	4,362	4,9[illegible]	605
पाण्डिचेरी . . .	16,803	17,312	10,685
भारत .	2,04,80,488	2,16,38,115	95,60,763

में विद्यार्थियों की संख्या

स्त्रियाँ	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (—)	
1959-60	1958-59	1959-60	संख्या	प्रतिशत
5	6	7	8	9
10,62,965	26,59,076	28,06,451	+1,47,375	5.5
3,83,399	9,66,200	10,54,411	+88,211	9.1
6,84,601	25,72,455	29,37,547	+3,65,092	14.2
12,54,265	48,81,770	33,81,810	+2,34,800	4.8
6,18,671	*	17,34,760	*	*
40,061	1,66,904	1,83,917	+17,013	10.2
10,73,508	22,73,813	23,11,918	+38,105	1.7
4,11,770	17,76,208	19,04,737	+1,28,529	7.2
11,85,977	29,81,301	31,36,176	+1,54,875	5.2
7,25,027	20,39,186	19,25,083	—1,14,103	5.9
3,00,344	8,97,394	10,87,076	+1,89,682	21.1
4,22,541	13,70,577	13,90,037	+19,460	1.4
1,92,241	8,30,745	10,23,340	+1,92,595	23.2
7,96,757	36,32,073	38,83,636	+2,51,463	6.9
9,07,151	24,86,656	25,70,887	+84,231	3.4
1,172	2,706	3,247	+541	20.0
1,17,423	2,25,506	2,76,088	+50,582	22.4
14,375	70,345	75,455	+5,110	7.3
1,221	2,620	3,215	+595	22.7
34,540	98,099	1,00,866	+2,837	2.9
25,796	75,232	79,067	+3,835	5.1
606	4,967	5,590	+623	12.5
11,509	27,488	28,821	+1,333	4.8
1,02,65,920	3,00,41,251	3,19,04,035	18,62,784	6.2

सारणी XXII—6 से 11 वर्ष की आयु के

राज्य	पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक में भर्ती होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या	
	लड़के	लड़कियां
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	17,43,486	10,62,965
आसाम	6,71,012	3,83,399
बिहार	22,52,946	6,84,601
महाराष्ट्र	23,74,605	13,53,602
गुजरात	12,49,059	6,74,848
जम्मू और कश्मीर	1,43,856	40,061
केरल	12,38,410	10,73,508
मध्य प्रदेश	14,92,967	4,11,770
मद्रास	19,50,199	11,85,977
मैसूर	13,07,853	7,68,887
उड़ीसा	7,86,732	3,00,344
पंजाब	9,67,496	4,22,541
राजस्थान	8,31,099	1,92,241
उत्तर प्रदेश	30,86,779	7,96,757
पश्चिमी बंगाल	18,25,834	9,63,028
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,074	1,172
दिल्ली	1,58,665	1,17,423
हिमाचल प्रदेश	61,080	14,375
लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	1,994	1,221
मनिपुर	74,111	37,006
उपूसी (नेफ़ा)	4,984	604
त्रिपुरा	53,271	25,796
पाण्डिचेरी	17,312	11,509
भारत	2,22,95,825	1,05,23,637

के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधायें

जोड़	6 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की कुल संख्या की तुलना में पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक में भर्ती बच्चों की प्रतिशत संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
4	5	6	7
28,06,451	79.2	49.2	64.4
10,54,411	80.8	49.8	65.9
29,37,547	79.6	25.1	52.8
37,28,207	93.5	56.2	75.3
19,23,907	94.6	53.6	74.6
1,83,917	*	*	*
23,11,918	98.8	98.8	98.8
19,04,737	72.8	21.6	48.1
31,36,176	97.5	60.8	79.4
20,76,740	89.0	52.0	70.4
10,87,076	72.8	28.9	51.3
13,90,037	72.2	35.2	54.7
10,23,340	62.5	15.8	40.1
38,83,536	65.5	18.5	43.1
27,88,862	88.6	48.4	63.9
3,247	*	*	*
2,76,088	99.2	83.9	92.0
75,455	87.3	18.0	50.3
3,215	*	*	*
1,11,117	*	*	98.8
5,590	*	*	*
79,067	66.6	36.9	52.7
28,821	*	*	*
3,28,19,462	81.4	40.5	61.5

*जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

सारणी XXIII—प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या

राज्य	लड़कों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के स्कूलों में पढ़नेवाली लड़कियों की प्रतिशत संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश . .	9,78,380	34,741	10,13,121	96.6
आसाम . . .	3,19,959	35,546	3,55,505	90.0
बिहार . . .	4,35,622	1,61,413	5,97,035	73.0
बम्बई { महाराष्ट्र .	4,55,656	1,51,284	6,06,940	75.1
बम्बई { गुजरात .	1,87,521	45,985	2,33,506	80.3
जम्मू और कश्मीर . .	1,604	31,142	32,746	6.9
केरल . . .	8,09,086	6,972	8,16,058	99.1
मध्य प्रदेश . .	2,01,225	1,41,252	3,42,477	58.8
मद्रास . . .	9,00,712	—	9,00,712	100.0
मैसूर . . .	5,33,298	1,62,862	6,96,160	76.6
उड़ीसा . . .	2,72,485	15,894	2,88,379	94.5
पंजाब . . .	1,33,648	1,51,104	2,84,752	46.9
राजस्थान . . .	88,499	47,312	1,35,811	65.2
उत्तर प्रदेश . .	3,64,055	3,43,326	7,07,381	51.5
पश्चिमी बंगाल . .	7,82,340	1,17,667	9,00,007	86.9
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,596	—	1,596	100.0
दिल्ली	16,868	53,095	69,963	24.1
हिमाचल प्रदेश . .	6,694	518	7,212	92.8
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह .	512	455	967	52.9
मनिपुर . . .	25,487	9,053	34,540	73.8
त्रिपुरा . . .	23,537	—	23,537	100.0
उपूसी (नेफा) . .	384	–	384	100.0
पाण्डिचेरी . .	4,267	625	4,892	87.2
भारत .	65,43,435	15,10,246	80,53,681	81.2

पढ़ाई पूरी होने के पहले स्कूल छोड़ना

प्राथमिक स्तर पर बीच में स्कूल छोड़ देनेवाल और अगली कक्षा में न चढ़ पानेवाले छात्रों की संख्या काफी अधिक रही। सन् 1959–60 में पहली कक्षा में दाखिल होनेवाले हर सौ लड़कों में से केवल 34 लड़के ही चौथी कक्षा तक पहुंच पाये। इस प्रकार पढ़ाई पूरी होने के पहले स्कूल छोड़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या 66 प्रतिशत रही, जबकि 1958–59 में यह 60 प्रतिशत थी। स्पष्ट है, कि यह एक जटिल समस्या है और इसके कारणों तथा इसे दूर करने के उपायों की खोज करना जरूरी है। इस समस्या का विश्लेषण उड़ीसा राज्य में शिक्षा की प्रगति की 1959–60 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। यद्यपि यह विश्लेषण बहुत विस्तृत नहीं है फिर भी इससे हम थोड़ी बहुत सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस संबंध में देश अधिकांश क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है। इस रिपोर्ट का एक संक्षिप्त अंश नीचे दिया जा रहा है:—

"पढ़ाई पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ देना और छात्रों का अगली कक्षा में न चढ़ पाना आदि, प्राथमिक स्कूलों को जटिल समस्याएं है। असंख्य विद्यार्थी पढ़ाई पूरी होने के पहले स्कूल छोड़ देते हैं। इसके कई कारण हैं। कई बार बच्चों की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मां-बाप उन्हें स्कूलों से इसलिए हटा लेते हैं कि वे उन्हें कुछ कमा कर दे सकें।

प्राथमिक स्कूलों में और विशेषकर एक अध्यापक वाले स्कूलों में एक ही अध्यापक को एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है। फल यह होता है कि पढ़ाई में वह आकर्षण नहीं रहता कि बच्चों में वहां आकर पढ़ने की इच्छा जाग्रत हो। इससे बच्चे स्कूल से भागना और गैर हाज़िर रहना सीख जाते हैं। उसी कारण पढ़ाई पूरी होने के पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं और अगली कक्षा में भी नहीं चढ़ पाते।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है "पढ़ाई अधूरी छोड़ने और अगली कक्षा में न चढ़ पाने की शोचनीय अवस्था के रोकथाम का एक कारगर उपाय यह सोचा गया है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र को यथासंभव इतना अधिक बढ़ा दिया जाए, ताकि उस बच्चे की स्कूल में पढ़ाई की औसत अवधि बढ़ जाए।

एक अध्यापक वाले स्कूल

आलोच्य वर्ष में देश में एक अध्यापक वाले 1,38,993 स्कूल थे। पिछले वर्ष इनकी संख्या 1,29,193 थी। स्कूल की यह संख्या प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या का 43.6 प्रतिशत थी जबकि पिछले साल यह प्रतिशत अनुपात 100 : 42.8 था। इन स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों की कुल संख्या 52,68,693 थी; अर्थात् सारे प्राथमिक स्कूलों में भर्ती होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या की 20.3 प्रतिशत थी। पिछले साल इन स्कूलों में 50,56,074 विद्यार्थी थे और उनका उक्त प्रतिशत 20.7 था।

एक-अध्यापक वाले स्कूलों के राज्यवार आंकड़े सारणी संख्या 24 में दिये गये हैं। इससे पता लगेगा कि केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मनिपुर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इन स्कूलों की संख्या बढ़ गयी। उक्त राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में इन स्कूलों की संख्या में कमी होने का कारण यह था कि वहां इस स्कूलों को बहु-अध्यापक स्कूलों में बदल दिया गया। जहां तक प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या और इन स्कूलों की संख्या के अनुपात का प्रश्न है, सबसे अधिक अनुपात 69.4 प्रतिशत जम्मू और कश्मीर में था। आसाम, बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान आदि राज्यों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह तथा पण्डिचेरी में यह अनुपात 50 प्रतिशत से ऊपर था। अन्य राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों में बहु-अध्यापक स्कूलों की ही संख्या अधिक थी।

सारणी XXIV —एक अध्यापक वाले

1	स्कूलों की संख्या 1958-59 (2)	1959-60 (3)
आंध्र प्रदेश	11,309	12,597
आसाम	7,602	8,565
बिहार	19,998	22,896
बम्बई — महाराष्ट्र	22,256	15,182
बम्बई — गुजरात	*	8,183
जम्मू व कश्मीर	1,801	1,909
केरल	30	7
मध्य प्रदेश	14,217	14,354
मद्रास	5,788	5,964
मैसूर	10,546	12,007
उड़ीसा	9,956	11,703
पंजाब	4,702	4,943
राजस्थान	6,995	8,162
उत्तर प्रदेश	8,878	8,438
पश्चिमी बंगाल	3,773	3,066
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	34	45
दिल्ली	—	2
हिमाचल प्रदेश	202	151
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	—	—
मनिपुर	459	157
त्रिपुरा	490	497
उपूसी (नेफ़ा)	29	29
पाण्डिचेरी	128	136
भारत	1,29,193	1,38,993

* इनके आंकड़े महाराष्ट्र

प्राथमिक स्कूलों और उनमें भर्ती छात्रों की संख्या

छात्रोंकी संख्या		प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या में एक अध्यापक वाले स्कूलों का प्रतिशत		प्राथमिक स्कूलों में भर्ती कुल छात्रों की तुलना में एक अध्यापक वाले प्राथमिक स्कूलों में भर्ती छात्रों का प्रतिशत	
1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
4	5	6	7	8	9
3,97,026	4,54,609	36.3	38.7	15.6	17.0
3,22,497	3,75,104	60.7	57.0	32.8	38.3
9,11,979	10,71,685	62.4	64.3	41.8	42.9
8,23,054	5,62,146	64.3	62.6	34.3	33.0
*	2,85,195	*	71.6	*	39.2
83,265	89,471	70.7	69.3	64.3	63.3
1,735	276	0.4	0.1	1.0	0.0
4,32,332	4,40,962	53.9	52.2	28.9	27.5
2,47,896	2,50,552	25.7	25.4	10.7	10.3
4,88,479	4,08,974	45.3	50.8	26.7	22.0
2,97,205	3,82,778	55.9	57.4	35.2	39.3
1,98,852	1,84,466	38.0	38.9	21.0	19.2
2,37,498	2,70,285	62.3	62.6	37.2	33.1
4,13,689	3,36,552	24.4	22.2	11.7	8.9
1,54,230	1,22,876	14.4	11.3	6.3	4.8
1,051	1,401	61.8	62.5	31.6	32.6
–	99	–	0.3	–	0.1
7,204	4,378	20.6	14.2	16.1	9.2
–	–	–	–	–	–
17,759	3,813	34.6	11.0	17.9	3.8
13688	16,584	46.1	46.5	20.0	23.0
978	1,072	25.9	24.2	25.7	25.5
5,657	5,415	60.1	62.4	40.9	38.9
50,56,074	52,68,693	42.8	43.6	20.7	20.3

के आंकड़ों में शामिल हैं ।

अनिवार्यता

सन् 1959-60 में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, शेष सभी राज्यों के चुने हुये क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा लागू रही। संघ राज्यक्षेत्रों में वह केवल दिल्ली में ही लागू थी। जिन शहरों और गांवों में पूरी या आंशिक अनिवार्य शिक्षा लागू थी। उनकी संख्या सन् 1958-59 में क्रमशः 1,199 और 56,701 थीं। सन् 1959-60 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 1,219 और 60,478 हो गई। जिन शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा लागू थी वहां स्कूलों की कुल संख्या 14,173 से बढ़कर 15,423 हो गई और देहाती क्षेत्रों में उनकी संख्या 51,899 से बढ़कर 53,440 हो गई। इन स्कूलों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 79,81,007 थी। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में 31,93,577 और देहाती क्षेत्रों के स्कूलों में 47,87,430 छात्र थे। जिन क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा लागू थी वहां के स्कूलों में न आने वाले बच्चों के अभिभावकों के नाम 6,29,149 उपस्थिति विषयक नोटिस (एटेन्डेन्स नोटिस) जारी किये गये। इनमें से 1,97,109 विद्यार्थियों को उपस्थित होने के आदेश दिये गये। फलस्वरुप बच्चों को भर्ती न कराने के कारण 22,212 अभिभावकों पर और गैरहाजिर रहने के कारण 36,730 बच्चों के अभिभावकों पर मुकदमे चलाये गये। इन मुकदमों से जुर्माने के रूप में 12,932 रुपये वसूल किये गये।

अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिए नियुक्त किए गए उपस्थिति अधिकारियों की संख्या 698 थी। अनिवार्य शिक्षा के विस्तृत ब्योरे सारणी संख्या XXVI में दिये गये हैं।

अध्यापक

आलोच्य वर्ष में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या 7,31,474 थी, जबकि पिछले साल यह 6,94,784 थी। इस प्रकार इसमें 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अध्यापकों की कुल संख्या में अध्यापिकाओं की संख्या 17.1 प्रतिशत थी जब कि 1958-59 में यह 16.9 प्रतिशत थी। अध्यापकों की कुल संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों का अनुपात सन् 1958-59 के 63.7 प्रतिशत से बढ़कर 1959-60 में 63.8 प्रतिशत हो गया।

सारणी संख्या XXVI में विभिन्न राज्यों के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों की संख्या दी गई है। इससे पता चलता है कि बम्बई और पण्डिचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्यों में अध्यापकों की संख्या बढ़ गई। प्रशिक्षित अध्यापकों का अधिकतम प्रतिशत इस बार भी दिल्ली 99.9 में रहा। इसके बाद क्रमशः ये राज्य आते हैं: मद्रास 97.9, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह, 93.3 प्रतिशत, केरल 92.8 प्रतिशत, पंजाब 92.4 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 82.8, प्रतिशत उपूसी अर्थात् नेफा 81.0 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 76.6 प्रतिशत, बिहार 71.8 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 61.0 प्रतिशत, पाण्डिचेरी 59.1 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर 55.5 प्रतिशत। शेष राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र में प्रशिक्षित अध्यापक अल्प संख्या में थे। मनिपुर में उनका अनुपात सबसे कम 8.5 प्रतिशत था और बम्बई में सबसे अधिक 46.3 प्रतिशत था। सारणी संख्या XXVI के खाना (11) और (12) से यह पता लगता है कि केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह और उपूसी (नेफ़ा) को छोड़कर शेष सभी राज्यों के प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत बढ़ गया।

अध्यापकों और छात्रों का अनुपात

देश में छात्रों की प्रति अध्यापक औसत संख्या 35 रही, जो कि 1958-59 में भी यही थी। सारणी संख्या XXVI के खाना (13) और (14) में दिये गये आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होगा कि विभिन्न राज्यों में छात्रों की प्रति अध्यापक संख्या में कितना विस्तृत अंतर था। राज्यों में प्रति अध्यापक छात्र-संख्या सबसे कम (30) मध्य प्रदेश व उड़ीसा में और सबसे अधिक 44 (बिहार) में थी। संघ राज्य-क्षेत्रों में यह संख्या सबसे कम (21) उपूसी में, और सबसे अधिक (43) लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में थी।

प्राथमिक, मिडिल और हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या का प्रतिशत

5 M. of Edu./65

सारणी XXV—राज्यों के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आंकड़े

राज्य	अनिवार्यता वयोवर्ग		अनिवार्य के क्षेत्रों की संख्या		में जिन क्षेत्रों में अनिवार्यता लागू थी, वहां के स्कूलों की संख्या		अनिवार्य शिक्षावाले स्कूलों की संख्या जिन क्षेत्रों में अनि-वार्यता लागू थी वहां के स्कूलों में छात्रों की संख्या	
	शहर	गांव	शहर	गांव	शहर	गांव	शहर	गांव
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश . .	6–11,12	6–11,12	147	1,315	1,162	2,037	2,10,951	2,82,930
आसाम . . .	6–11	6–11	14	4,366	134	3,752	25,675	3,23,654
बिहार . . .	6–10	6–10 6–11 6–14	16	2,666	706	1,280	93,642	1,33,333
बम्बई { महाराष्ट्र . .	6–11,7–11	6–11, 7–11	230	15,374	2,975	15,722	7,49,409	11,55,583
बम्बई { गुजरात . .	6–11, 7–9,10,11	6–11, 7–10, 7–11	86	12,453	967	10,985	2,76,671	7,82,359
केरल . . .	5–10,11 6–11,12, 14	5–10,11 6–11,12, 14,16	18	186	221	1,055	81,598	3,20,537
मध्य प्रदेश . .	6–11, 6–14	6–11, 6–14	238	5,796	999	3,194	1,54,605	1,55,041

सारणी—XXV—राज्यों के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आंकड़े—जारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मद्रास . . .	5–10, 6–12	5–10, 6–12	229	1,719	3,060	1,949	6,71,986	3,91,694
मैसूर . . .	6–10, 6–11	6–10, 6–11	126	4,244	2,003	7,831	2,31,165	6,11,788
उड़ीसा . . .	6–11	6–11	2	8	19	6	1,898	835
पंजाब . . .	6–11	6–11	11	3910	173	1,009	56,399	1,36,985
राजस्थान . .	6–11	6–11	4	706	29	547	2,570	36,108
उत्तर प्रदेश . .	6–11	6–11	95	1,687	2,612	591	4,99,520	66,688
पश्चिमी बंगाल . .	6–10	6–11	2	5,743	68	23,100	8,219	3,41,642
दिल्ली . . .	6–11	6–11	1	305	295	382	1,29,269	48,253
भारत . .	..	..	1,219	60,478	15,423	53,440	31,93,577	47,87,430

राज्य	अनिवार्यता उम्र-समूह		जोड	किये गये अवपीड़क उपाय					अधिकारियों की उपस्थिति संख्या
				जारी किये गये नोटिसों की संख्या	दिये गये उपस्थित आदेशों की संख्या	कितने मुकदमे चलाये गये			
	शहर	गांव				दाखलन कराने के लिए	गैरहजेरी के लिए	वसूल किया गया जुर्माना	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
आन्ध्र प्रदेश .	6–11,12	6–11,12	4,93,881	36,207	20,615	7,142	14,479	1,100	..
आसाम .	6–11	6–11	3,49,329	19,657	8,554	2,112	1,406	115	80
बिहार .	6–10	6–10, 6–11, 6–14	2,26,975	6,742	37	..	..	..	39
बम्बई { महाराष्ट्र	6–11, 7–11	6–11, 7–11	19,04,992	2,10,196	28,172	2,157	1,262	851	8
बम्बई { गुजरात	6–11.7–9, 10,11	6–11, 7–10, 7–11	10,59,030	1,59,604	49,535	4,178	8,051	1,170	..
केरल .	5–10,11, 6–11,12, 14	5–10,11, 6–11,12, 14,16	4,02,135	..	..	..	..	..	..
मध्य प्रदेश .	6–11, 6–14	6–11, 6–14	3,09,646	17,436	5,116	390	1,026	1,385	129

सारणी XXV—राज्यों के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के आंकड़े–जारी

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मद्रास .	5–10, 6–12	5–10,, 6–12	10,63,680	2,413	80	..	..	..	..
मैसूर .	6–10, 6–11	6–10, 6–11	8,42,953	18,881	10,835	423	587	537	45
उड़ीसा .	6–11	6–11	2,733	171	166	..	50	50	1
पंजाब .	6–11	6–11	1,93,384	74	41	..	..	..	82
राजस्थान .	6–11	6–11	38,678	..	..	..	..	..	13
उत्तर प्रदेश .	6–11	6–11	5,66,208	1,56,263	73,949	5,810	9,869	7,714	291
पश्चिमी बंगाल	6–10	6–11	3,49,861	1,505	9	..	..	..	3
दिल्ली .	6–11	6–11	1,77,522	..	..	..	..	..	7
भारत .	..	...	79,81,007	6,29 149	1,97,109	22,212	36,730	12,932	698

सारणी XXVI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या

राज्य	अध्यापकों की संख्या						
	अध्यापक		अध्यापिकाएं		सभी अध्यापक-अध्यापिकाएं		
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश . . .	51,088	12,096	12,849	1,213	63,937	13,309	77,246
आसाम	8,165	13,476	1,105	2,178	9,270	15,654	24,924
बिहार	38,555	13,372	2,015	2,579	40,570	15,951	56,521
बम्बई } महाराष्ट्र . . .	17,319	20,665	7,215	2,821	24,534	23,486	8,020
बम्बई } गुजरात . . .	6,538	12,671	1,992	2,196	8,530	14,867	23,397
जम्मू और काश्मीर . . .	1,842	1,718	517	174	2,359	1,892	4,251
केरल	24,382	1,394	16,888	1,829	41,270	3,223	44,493
मध्य प्रदेश	20,654	28,004	2,903	2,780	23,557	30,784	54,341
मद्रास	45,045	1,313	21,799	136	66,844	1,449	68,293
मैसूर	20,295	26,107	5,388	3,994	25,683	30,101	55,784
उड़ीसा	12,711	19,408	334	385	13,045	19,793	32,838
पंजाब	17,893	1,532	6,053	475	23,946	2,007	25,953
राजस्थान . . .	11,064	11,436	1,212	1,264	12,276	12,700	24,976

7—5 M. of Edu/65

सारणी XXVI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	66,238	16,245	4,835	5,422	71,073	21,667	92,740
पश्चिमी बंगाल	27,503	46,376	3,828	4,747	30,331	51,123	81,454
अण्डामान और निकोबार द्वीपसमूह . .	34	77	10	11	44	88	132
दिल्ली	2,685	4	4,173	5	6,858	9	6,867
हिमाचल प्रदेश	1,150	763	138	61	1,288	824	2,11 2
लक्काद्वीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	36	..	6	3	42	3	45
मनिपुर	280	3,476	53	120	333	3,596	3,929
त्रिपुरा	416	1,765	85	311	501	2,076	2,577
उपूसी (नेफ़ा) . . .	156	34	6	4	162	38	200
पाण्डिचेरी	186	123	39	33	225	156	381
भारत .	3,74,235	2,32,055	92,443	32,741	4,66,678	2,64,796	7,31,474

सारणी-XXVI— प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (जारी)

राज्य	1958-59 में शिक्षकों की कुल संख्या	वृद्धि (+) या कमी (–)	शिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत		प्रति-अध्यापक विद्यार्थियों की औसत संख्या	
			1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
1	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	75,658	+ 1,588	81.8	82.2	34	35
आसाम	23,062	+ 1,862	36.7	37.2	39	39
बिहार	52,282	+ 4,239	73.1	71.8	42	44
बम्बई { महाराष्ट्र	73,787	–2,370	48.3	51.1	33	35
बम्बई { गुजरात	*	*	*	36.5	*	31
जम्मू और कश्मीर	3,866	+ 385	54.9	55.5	34	33
केरल	43,344	+ 1,149	93.2	92.8	41	39
मध्य प्रदेश	50,637	+ 3,704	40.6	43.4	30	30
मद्रास	65,347	+ 2,946	96.8	97.9	36	36
मैसूर	52,704	+ 3,080	43.0	46.0	35	33
उड़ीसा	30,341	+ 2,497	40.0	39.7	28	30
पंजाब	24,780	1,173	91.0	92.3	38	37
राजस्थान	20,252	4,724	48.5	49.2	32	33

सारणी XXVI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (जारी)

1	9	10	11	12	13	14
उत्तर प्रदेश	88,556	+ 4,184	78.5	76.6	40	41
पश्चिमी बंगाल	77,102	+ 4,352	37.0	37.2	32	31
अण्डामान और निकोबार द्वीप समूह	103	+ 29	24.3	33.2	32	33
दिल्ली	4,580	+ 2,287	99.1	99.9	35	25
हिमाचल प्रदेश	1,911	+ 201	64.1	61.0	23	23
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समह	40	+ 5	97.5	93.3	38	43
मनिपुर	3,299	+ 630	7.7	8.5	30	26
त्रिपुरा	2,510	+ 67	19.1	19.4	27	28
उपूसी (नेफ़ा)	200	..	81.5	81.0	20	21
पाण्डिचेरी	423	— 42	45.2	59.1	33	36
भारत	694,784	+36,690	63.7	63.8	35	35

*महाराष्ट्र के आकडों में शामिल हैं।

अध्यापकों के वेतनमान

आसाम, बिहार, और पंजाब को छोड़ कर शेष राज्यों के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमान में बहुत कम परिवर्तन हुआ। आसाम में निर्वाह खर्च को वृद्धि को घ्यान में रखकर अध्यापकों के वेतनमान बढ़ा दिये गये।' बिहार में, माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमानों को बढ़ाने के लिये कुल मिलाकर 50 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई। पंजाब में प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों की जितनी जगहें थीं, उनमें से 15 प्रतिशत का वेतनमान बढ़ाकर 120-5-175 रु० कर दिया गया। यह नया वेतन मान उन्हीं अध्यापकों को दिया गया जो वरीय (सीनियर) थे या जिन्हे पांच साल का अनुभव था। शेष 85 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतनमान 60-4-80-5-100-5-120 रुपए ही रहा। अध्यापकों की योग्यताओं और प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों द्वारा ब्योरा इस रिपोर्ट के दूसरे खंड के परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। परिशिष्ट से यह ज्ञात होगा कि यह अन्तर केवल एक ही राज्य के विभिन्न स्कूलों में ही नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों में भी था। राज्य सरकारों द्वारा सरकारी प्राथमिक स्कूलों के लिए नियत किए गए कम-से-कम और अधिक-से-अधिक वेतनमान-मानों की तुलना सारणी गयी है। विभिन्न राज्यों और संघराज्यों को उनमें दिये जाने वाले प्रारंभिक वेतन के अनुसार XXVII में दी वर्गीकृत किया गया है।

सारणी XXVII—सरकारी प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान

राज्य	निर्धारित न्यूनतम शिक्षा योग्यता	वेतनमान		अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने में कितने वर्ष लगते हैं
		न्यूनतम	अधिकतम	
1	2	3	4	5
1. (क) आन्ध्र	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित	30	60	16
(ख) मद्रास	उच्चतर प्राथमिक उत्तीर्ण और	30	50	20
(ग) पण्डिचेरी	प्रशिक्षित	30	50	20
2. उत्तर प्रदेश	जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित	35	65	15
3. (क) केरल	एस० एस० एल० सी० उत्तीर्ण और प्रशिक्षित	40	120	17
(ख) मैसूर	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित	40	80	15
(ग) उड़ीसा	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित	40	50	10
4. (क) बिहार	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित	45	75	15
(ख) मध्यप्रदेश		45	100	11
(क) आसाम	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित	50	65	15
(ख) गुजरात	प्राइमरी उत्तीर्ण और जूनियर प्रशिक्षित	50	90	20

1	2	3	4	5
(ग) जम्मू और कश्मीर	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित .	50	120	13
(घ) महाराष्ट्र .	प्राइमरी उत्तीर्ण और जूनियर प्रशिक्षित . .	50	70	12
(ङ) राजस्थान .	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित .	50	75	10
(च) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह		50	90	15
(छ) लक्कादीव, मिनि-काय और अमीन दीवी द्वीपसमूह	निचली प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण और प्रशिक्षित . .	50	90	15
(ज) मणिपुर .	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित .	50	65	15
6. (क) त्रिपुरा .	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित .	55	130	24
7. (क) पंजाब .	मिडिल उत्तीर्ण और प्रशिक्षित .	60	120	14
(ख) पश्चिमी बंगाल		60	85	10
(ग) दिल्ली .		60	130	19
(घ) हिमाचल प्रदेश		60	120	13
(ङ) उपूसी (नेफा)		60	100	18

खर्च

आलोच्य वर्ष में प्राथमिक स्कूलों का प्रत्यक्ष व्यय कुल मिलाकर 69,71,42,290 रुपये था। इसमें से 64,45,86,549 रुपये लड़कों के स्कूलों पर और बाकी 5,25,55,741 रुपये लड़कियों के स्कूलों पर खर्च किए गए। पिछले वर्ष इस खर्च के आंकड़े इस प्रकार थे – कुल खर्च 63,57,07,214 रुपये, लड़कों के स्कूलों का खर्च 58,56,84,133 रुपये और लड़कियों के स्कूलों का खर्च 5,00,23,081 रुपये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में यह खर्च लगभग 9.7 प्रतिशत बढ़ गया। प्राथमिक स्कूलों पर किये गये प्रत्यक्ष खर्च सभी शिक्षा संस्थाओं पर किये गये प्रत्यक्ष खर्च की कुल रकम का 38.6 प्रतिशत थी।

विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों पर किये गये खर्च का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

सारणी XXVIII—आयस्रोतों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

आयस्रोत	1958-59		1959-60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकारी . . .	51,77,74,892	81.4	56,31,20,637	80.8
जिला परिषदों की निधियाँ .	4,55,84,004	7.2	5,51,76,776	7.9
नगरपालिकाओं की निधियाँ .	3,80,72,769	6.0	4,40,90,667	6.3
फीस . . .	1,57,08,013	2.5	1,66,02,733	2.4
धर्मस्व . . .	58,27,962	0.9	63,28,592	0.9
अन्य आय-स्रोत . .	1,27,39,574	2.0	1,19,12,886	1.7
जोड़ .	63,57,07,214	100.0	69,71,42,290	100.0

सारणी XXVIII से पता चलता है कि सारे खर्च का लगभग 4.5 भाग केवल सरकारी निधियों से पूरा किया गया। यदि हम सभी सरकारी आय-स्रोतों को मिला कर देखें, तो उनका अंशदान 95.0 प्रतिशत तक होगा। शेष 5.0 प्रतिशत ही अन्य स्रोतों से पूरा हुआ है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष सरकार, स्थानीय परिषदों, फ़ीस और धर्मस्व द्वारा पूरा किया गया खर्च क्रमशः 8.5 प्रतिशत, 18.6 प्रतिशत, 5.7 प्रतिशत और 8.6 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि अन्य-स्रोतों से पूरा किया जानेवाला खर्च 6.4 प्रतिशत कम हो गया।

विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों के खर्च का विभाजन नीचे की सारणी में दिखाया गया है :—

प्रबंध-संस्था	1958–59		1959–60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
सरकार . . .	17,70,13,568	27.9	17,69,62,901	25.4
जिला परिषद . .	25,82,11,022	40.6	31,33,39,559	44.9
नगरपालिका . .	5,97,23,243	9.4	6,92,89,816	9.9
गैर-सरकारी संस्थाएं—				
सहायता-प्राप्त . .	13,24,31,635	20.8	12,79,54,760	18.4
जिन्हें सहायता नहीं मिलती	83,27,746	1.3	95,95,254	1.4
जोड़ .	63,57,07,214	100.0	69,71,42,290	100.0

कुल खर्च की उक्त रकम में से अधिकांश रकम (54.8 प्रतिशत) स्थानीय परिषदों की शिक्षा-संस्थाओं पर खर्च की गयी। इन शिक्षा संस्थाओं की संख्या, प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या का लगभग 55.7 प्रतिशत थी। सरकार के अधीन चलनेवाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या का केवल 22.1 प्रतिशत थी और उन पर कुल प्रत्यक्ष खर्च का 25.4 प्रतिशत खर्च हुआ जबकि कुल खर्च का शेष 19.8 प्रतिशत उन 22.2 प्रतिशत स्कूलों पर खर्च हुआ जो गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते थे।

विभिन्न राज्यों में प्राथमिक स्कूलों पर किये गये खर्च के राज्यवार आंकड़े सारणी संख्या XXIX में दिये गये हैं। इस सारणी में विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न आयस्रोतोंसे पूरे किये जानेवाले खर्च का प्रतिशत और उसका तुलनात्मक विवरण भी दिया गया है। पाण्डिचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यह खर्च बढ़ गया। पाण्डिचेरी में जो कमी (13,850 रुपये) हुई वह बहुत अधिक नहीं थी।

राज्यों में सबसे अधिक खर्च (84 लाख रुपये) बम्बई में और सबसे कम (3.53 लाख रुपये) आसाम में हुआ। संघ राज्यक्षेत्रों में सबसे अधिक खर्च (16.09 लाख रुपये की वृद्धि) दिल्ली में हुआ। लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह के खर्च में सबसे कम (5.85 रुपए) वृद्धि हुई। प्रतिशत के आधार पर राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि (16.3 प्रतिशत) जम्मू

सारणी XXIX—प्राथमिक स्कूलों पर

राज्य	लड़कों के स्कूलों पर	
	1958–59	1959–60
1	2	3
	रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश	6,63,87,660	7,11,17,459
आसाम	1,73,50,992	1,77,94,483
बिहार	3,15,94,533	3,55,35,434
बम्बई — महाराष्ट्र	7,22,65,617	5,72,63,405
बम्बई — गुजरात	*	2,27,96,752
जम्मू और कश्मीर	27,08,097	31,56,991
केरल	4,76,60,267	5,15,10,204
मध्यप्रदेश	4,50,46,676	5,01,40,230
मद्रास	6,31,57,094	6,81,32,836
मैसूर	4,72,58,450	5,63,91,034
उड़ीसा	1,65,71,870	1,70,09,516
पंजाब	2,42,57,701	2,75,50,435
राजस्थान	1,85,50,332	2,17,00,478
उत्तरप्रदेश	6,08,97,243	6,57,02,967
पश्चिमी बंगाल	5,86,66,975	6,25,28,097
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,91,106	2,76,665
दिल्ली	51,90,542	66,11,734
हिमाचल प्रदेश	22,92,908	28,12,190
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	49,999	44,433
मणिपुर	15,61,134	15,91,082
त्रिपुरा	30,05,903	39,04,470
उपूसी	4,61,025	4,73,269
पाण्डिचेरी	5,58,009	5,42,385
भारत/जोड़	58,56,84,133	64,45,86,549

*ये आंकड़े महाराष्ट्र

राज्य वार प्रत्यक्ष खर्च

लड़कियों के स्कूलों पर		जोड़	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
4	5	6	7
रु०	रु०	रु०	रु०
17,81,488	18,09,909	6,81,69,148	7,29,27,368
10,54,160	9,63,859	1,84,05,152	1,87,58,342
30,80,435	34,53,274	3,46,74,968	3,89,88,708
87,16,407	75,89,696	8,09,82,024	6,48,53,101
*	17,26,274	*	2,45,23,026
4,43,715	5,08,494	31,51,812	36,65,485
1,70,125	2,27,924	4,78,30,392	5,17,38,128
52,64,108	54,99,538	5,03,10,784	5,56,39,768
..	..	6,31,57,094	6,81,32,836
64,47,169	53,40,094	5,37,05,619	6,17,31,128
3,70,323	3,61,146	1,69,42,193	1,73,70,662
57,38,178	63,64,591	2,99,95,879	3,39,15,026
18,96,379	20,02,075	2,04,46,711	2,37,02,553
64,89,470	76,25,745	6,73,86,713	7,33,28,712
50,75,285	53,18,991	6,37,42,260	6,78,47,088
..	..	1,91,106	2,76,665
32,84,779	34,72,749	84,75,321	1,00,84,483
45,945	46,347	23,38,853	28,58,537
..	6,151	49,999	50,584
1,24,365	1,96,360	16,85,499	17,87,442
..	..	30,05,903	39,04,470
..	..	4,61,025	4,73,269
40,750	42,524	5,98,759	5,84,909
—,00,23,081	5,25,55,741	63,57,07,214	69,71,42,290

के आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी XXIX—प्राथमिक स्कूलों पर

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (—) रकम	प्रतिशत
1	8	9
	रु०	
आन्ध्र प्रदेश	+ 47,58,220	+ 7.0
आसाम	+ 3,53,190	+ 1.9
बिहार	+ 43,13,740	+12.4
बम्बई { महाराष्ट्र	+ 63,94,103	+10.4
बम्बई { गुजरात	*	*
जम्मू और कश्मीर	+ 5,13,673	+16.3
केरल	+ 39,07,736	+ 8.2
मध्य प्रदेश	+ 53,28,984	+10.6
मद्रास	+ 49,75,742	+ 7.9
मैसूर	+ 80,25,509	+14.9
उड़ीसा	+ 4,28,469	+ 2.5
पंजाब	+ 39,19,147	+13.1
राजस्थान	+ 32,55,842	+15.9
उत्तर प्रदेश	+ 59,41,999	+ 8.8
पश्चिमी बंगाल	+ 41,04,828	+ 6.4
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	+ 85,559	+44.8
दिल्ली	+ 16,09,162	+19.0
हिमाचल प्रदेश	+ 5,19,684	+22.2
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	+ 585	+ 1.2
मणिपुर	+ 1,01,943	+ 6.0
त्रिपुरा	+ 8,98,567	+29.9
उपूसी	+ 12,244	+ 2.7
पाण्डिचेरी	— 13,850	— 2.3
भारत	+6,14,35,076	+ 9.7

*ये आंकड़े महाराष्ट्र

राज्य वार प्रत्यक्ष खर्च–(जारी)

शिक्षा के कुल प्रत्यक्ष खर्च की तुलना में प्राथमिक स्कूलों के खर्च की प्रतिशत	विभिन्न आयस्रोतों से पूरा किये जाने वाले खर्च का प्रतिशत						प्रत्येक छात्र का औसत वार्षिक खर्च	
	सरकारी निधियां	जिला परिषदों की निधियां	नगर-पालिकाओं की निधियां	फ़ीस	धर्मस्व	अन्य स्रोत	1958–59	1959–60
10	11	12	13	14	15	16	17	18
42.7	67.0	28.3	4.0	0.3	0.4	0.0	26.7	27.2
34.3	92.5	0.6	0.2	0.0	5.8	0.9	20.7	19.1
29.8	89.7	4.1	1.9	0.2	0.1	4.0	15.9	15.6
21.2	66.1	5.7	11.8	11.3	0.5	4.6	33.7	38.1
18.2	78.6	6.4	6.3	4.6	0.6	3.5	*	33·7
24.4	99.8	..	..	0.1	..	0.1	24.3	25·9
36.6	98.8	0.0	0.0	0.0	0.1	1·1	27·2	29·5
39.2	89.1	4.1	4.1	0.5	1.1	1·1	33·6	34·6
34.0	78.6	8.3	9.8	0.4	2.8	0·1	27·2	28·0
47.3	87.8	5.9	3.1	0.4	0.0	2·8	29·4	33·2
42.1	94.5	0.6	1.0	0.1	2.1	1·8	20·1	16·7
27.4	96.0	0.4	0.2	0.3	1.5	1·6	31·9	35·3
28.9	95.0	0.7	0.5	1.8	1.4	0·6	32·0	29·0
26.2	73.0	14.7	9.1	0.3	0.2	2·7	19·1	19·5
30.0	80.3	4.8	6.1	7.9	0.6	0·3	25·9	2·6
55.8	100.0	..	..	..	..	··	57·5	64·4
13.8	0.0	..	90.2	8.2	0.1	1·5	52·8	59·9
39.1	99.0	..	..	..	0.2	0·8	52·3	60·3
49.3	100.0	..	..	..	..	··	33·2	26·1
37.6	6.2	88.1	..	..	5.7	··	17·0	17·7
50.1	99.1	..	..	0.1	0.6	0·2	43·9	54·1
45.2	100.0	..	..	..	..	··	121·2	112·6
20.9	97.6	..	..	1.8	0.6	··	43·3	42·1
30.6	80.8	7.9	6.3	2.4	0.9	1·7	26·1	26·0

के आंकड़ों में शामिल हैं।

और कश्मीर में, और सबसे कम वृद्धि (1.9 प्रतिशत) आसाम में हुई तथा संघ राज्यक्षेत्रों में अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में 44.8 प्रतिशत और लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह में 1.2 प्रतिशत हुई।

सारणी संख्या XXIX के खाना (11) से खाना (16) तक में प्राथमिक स्कूलों पर विभिन्न आयस्रोतों से होनेवाले खर्च आंकड़े दिए गए हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह और उपूसी (नेफा) के सभी प्राथमिक स्कूलों का सारा खर्च सरकार ने पूरा किया। जम्मू तथा कश्मीर में 99.8 प्रतिशत, त्रिपुरा में 99.1 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 99.0 प्रतिशत, केरल में 98.8 प्रतिशत, पाण्डिचेरी में 97.6 प्रतिशत, पंजाब में 96.0 प्रतिशत, राजस्थान में 95.0 प्रतिशत, उड़ीसा में 94.5 प्रतिशत, आसाम में 92.5 प्रतिशत, बिहार में 89.7 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 89.1 प्रतिशत और मैसूर में 87.8 प्रतिशत खर्च सरकार ने पूरा किया। अन्य राज्यों में यह प्रतिशत कुल मिलाकर 80.8 प्रतिशत से कम रहा। दिल्ली में यह प्रतिशत बहुत ही कम था। दिल्ली और मनिपुर में इस खर्च का अधिकांश भाग स्थानीय परिषदों ने पूरा किया जो क्रमश: 90.2 प्रतिशत और 88.1 प्रतिशत था। जहां तक अन्य राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का संबंध है स्थानीय परिषदों ने केरल में प्राय: कुछ भी खर्च नहीं किया, जब कि पंजाब में उन्होंने 0.6 प्रतिशत और आन्ध्र प्रदेश में 32.3 प्रतिशत खर्च पूरा किया। फीस से खर्च के पूरा होने के संबंध में केवल बम्बई (9.5 प्रतिशत), दिल्ली (8.2 प्रतिशत) और पश्चिमी बंगाल (7.9 प्रतिशत खर्च) ही उल्लेखनीय हैं। धर्मस्व और अन्यस्रोतों से पूरा किया प्राय: नहीं जानेवाला खर्च भी प्राय: नगण्य था। आसाम में यह 6.7 प्रतिशत था, जो जम्मू और कश्मीर में प्राय: नही के बराबर था।

सारणी XXIX के खाना (17) और (18) में प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक विद्यार्थी पर होने वाले औसत वार्षिक खर्च के बारे में जानकारी दी गयी है। कुल मिलाकर यह औसत खर्च 26.1 रुपये से बढ़कर 26.9 रुपये हो गया। विभिन्न राज्यों में यह रकम अलग-अलग थी। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में यह 64.4 रुपये थी, तो बिहार में यह 15.6 रुपये तक थी। केवल उपूसी (नेफा) ही इसका अपवाद था। वहां यह औसत खर्च 112.6 रुपये था। 15 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह औसत खर्च पूरे भारत के औसत खर्च (26.9 रुपय) से बढ़ गया। पूरे भारत में इस औसत खर्च को विभिन्न आय-स्रोतों से इस प्रकार पूरा किया गया: 21.7 रुपये सरकारी निधियों से, 3.8 रुपये स्थानीय परिषदों से, तथा 0.6 रुपये फीस और अन्य स्त्रोतों से 0.6 रुपय (इसमें धर्मस्व भी शामिल है)।

चौथा अध्याय

बुनियादी शिक्षा

दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप देश में बुनियादी शिक्षा की सुविधाएं काफी बढ़ी। अनेकों नए बुनियादी विद्यालय खोले गए और जो विद्यालय बुनियादी ढंग के नहीं थे उन्हें बुनियादी विद्यालयों का रूप देने के काम में तेजी आ गई। कुछ और प्रारंभिक स्कूलों में शिल्प की शिक्षा प्रारंभ कर दी गई ताकि अन्त में उन्हें बुनियादी विद्यालयों का रूप दिया जा सके। बुनियादी शिक्षा-पद्धति में प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नई प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई और कुछ विद्यमान प्रशिक्षण संस्थाओं में स्थान बढ़ा दिए गए। पुराने ढंग के प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए कुछ अल्पावधिक सेवाकालीन प्रशिक्षणक्रमों की भी व्यवस्था की गई।

सन् 1959–60 के दौरान बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

उत्तर-बुनियादी शिक्षा

उत्तर-बुनियादी विद्यालय खोलने और उनमें सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को (100 प्रतिशत) और स्वैच्छिक संगठनों को (60 प्रतिशत) अनुदान देने की योजना इस वर्ष भी जारी रखी गई। इस योजना के अधीन उन्हें 26,654 रु० दिए गए।

नव-प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राथमिक विद्यालयों को बनियादी विद्यालयों का रूप देने के विषय पर इलाहाबाद में 11 मई से 13 मई 1959 तक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। इसमें राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के जन शिक्षा निदेशकों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में नव-प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया और उसे अमल में लाने के उपाय सुझाए गए। संगोष्ठी में अन्य बातों के साथ यह भी सिफारिश की गयी कि इस कार्यक्रम को दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक या तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के शुरू-शुरू में पूरा हो जाना चाहिए। संगोष्ठी में यह विचार भी व्यक्त किया गया कि बुनियादी शिक्षा की कुछ प्रमुख बातों को विशेष रूप से नव-प्रशिक्षण के लिए चुने गये कार्यक्रम को लागू करने के लिए अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और इस विषय में लोगों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जाए। यह सुझाव भी दिया गया कि अध्यापकों और प्रशासकों के लिए अल्पकालीन नव प्रशिक्षण-क्रमों का आयोजन किया जाए।

बुनियादी शिक्षा के लिए साहित्य एवं अन्य सामग्री का निर्माण

इस कार्यक्रम के लिए बजट में 2.0 लाख रु० की जो व्यवस्था की गयी थी उसे आलोच्य वष में घटाकर 1.0 लाख रु० कर दिया गया। फिर भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ उपयोगी योजनाएं चालू की गईं। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल थीं :— पुरस्कार प्रतियोगिता के आधार पर छह संदर्शिकाएं चुनना, बुनियादी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर नौ एक-विषय पुस्तिकाएं (मोनोग्राफ) तैयार करना, बच्चों के लिए सहायक पठन-सामग्री के रूप में सामान्य विज्ञान

की 25 पुस्तकों का एक सेट तैयार करना और बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आकर-ग्रंथ तैयार करना। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न शिल्पों की शैक्षणिक उपायोगिताओं के विषय में पांच अनुसंधान परियोजनाएं भी प्रारंभ की गईं।

केन्द्रीय बुनियादी विद्यालय (सेंट्रल बेसिक स्कूल), नई दिल्ली

नई दिल्ली में एक उच्च माध्यमिक स्तर का शहरी बुनियादी विद्यालय खोलने का विचार किया गया। इस स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी गांधी स्मारक निधि को सौंपी गयी।

केन्द्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान (नेशनल इंस्टीटयुट आफ बेसिक एज्युकेशन)

नीचे संक्षेप में इस संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है :—

(1) **अनुसंधान**—नीचे दी गई परियोजनाओं से संबंधित अनुसंधान का काम पूरा किया गया और प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गईं :—

(क) बुनियादी विद्यालयों के सहसंबद्ध पाठ्य-विवरण की सामान्य रूपरेखा तैयार करना।

(ख) विभिन्न श्रेणियों के बुनियादी विद्यालयों के लिए शिल्प-कार्य का लक्ष्य निर्धारित करना।

(2) **प्रशिक्षण**—इस वर्ष निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, आदि का आयोजन किया गया :—

(क) सह-संबंधन की तकनीक के विषय पर दो सप्ताह की एक विचार कार्यगोष्ठी-व-पुनश्चर्या की व्यवस्था की गई। यह कार्य-गोष्ठी अवर-स्नातक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य (प्रिंसिपलों) और स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के प्राध्यापकों के लिए थी। कार्य-गोष्ठी में देश के विभिन्न भागों के 42 प्रतिनिधियों और प्रेक्षकों ने भाग लिया।

(ख) दिल्ली के 11 प्रस्तावित आदर्श बुनियादी विद्यालयों के मुख्याध्यापकों और निरीक्षण अधिकारियों का एक सप्ताह का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली नगर निगम की प्रार्थना पर किया गया था। इस में उक्त प्रस्तावित आदर्श बुनियादी विद्यालयों के काम को सफलता-पूर्वक चलाने के उपायों पर विचार किया गया।

(ग) 'शहरी क्षेत्रों में बुनियादी शिक्षा की प्रबन्ध-व्यवस्था' पर एक परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस में अनेकों संसद् सदस्यों, आयोजना आयोग, दिल्ली नगर निगम, अन्य संस्थाओं तथा शिक्षा-मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

(घ) बुनियादी शिक्षा के प्रशासकों के लिए एक राष्ट्रीय अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रम पन्द्रह दिन तक चलता रहा। इस में सभी राज्य सरकारों और संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(3) **साहित्य-रचना**—नीचे लिखी पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं :—

(क) बुनियादी तालीम—बुनियादी शिक्षा की त्रैमासिक पत्रिका (4 अंक)।

(ख) बेसिक एजूकेशन एक्सट्रैक्ट्स (बुनियादी शिक्षा सार) (एक अंक)।

(ग) तन्तु-शिल्प।

(घ) 'बेसिक एक्टिविटीज़ फॉर नॉन बेसिक स्कूल्स' का हिंदी अनुवाद।

(ङ) बुनियादी-शिक्षा—प्रशासकों के प्रथम पाठ्यक्रम की कार्यवाही की रिपोर्ट (मोमियोंग्राफ से तैयार की गई)।

(4) **वर्तमान कार्यपद्धतियों में सुधार**—दिल्ली के ग्रामीण बुनियादी विद्यालयों के लिए जो कार्यवाही-कार्यक्रम शुरू किया गया था उसे जारी रखा गया और एक साल का काम पूरा कर दिया गया। स्कूल के अध्यापकों की एक और कार्य-गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि पाठ्य-क्रमों को काम की इकाइयों में किस प्रकार विभाजित किया जाए और स्कूलों के अन्य कार्यों में सुधार कैसे किया जाए।

(5) **कला और शिल्प संबंधी परीक्षण**—कलाओं और शिल्पों के स्तर में सुधार करने के संबंध में सस्ती और कम दाम की सामग्री से काम लेने का परीक्षण चलता रहा। मिट्टी के खिलोने और बर्तन बनाने के काम को बुनियादी स्कूलों में शिल्प के रूप में विकासित करने से संबंधित परीक्षण कार्य भी चलता रहा।

संदर्शन और परामर्श

ईरान के एक यूनेस्को अधिछात्र (फेलो) को एक सप्ताह के लिए संस्थान में अध्ययन करने का अवसर दिया गया था ताकि वह 'प्रारंभिक विद्यालयों में गृह-विज्ञान के कार्यक्रम' का अध्ययन कर सके। इसी प्रकार कम्बोडिया से भी 16 शिक्षा अधिकारियों की एक टोली बुनियादी शिक्षा के स्वरूप, विधि और प्रगति को समझने के लिए संस्थान में आयी।

मुख्य विकास-कार्य

बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

आंध्र-प्रदेश

पुराने ढंग के स्कूलों को बुनियादी विद्यालयों में बदलने की सरकारी नीति का अनुसरण करते हुए आलोच्य वर्ष में 300 गैर-बुनियादी विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों का रूप दिया गया और 50 नए बुनियादी विद्यालय खोले गए। पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज (स्नातकोत्तर—बुनियादी प्रशिक्षण कालेज) पेंटापदु में बुनियादी शिक्षा के अध्यापकों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ निरीक्षण अधिकारियों ने भी भाग लिया।

असम

प्रारंभिक विद्यालयों को धीरे धीरे बुनियादी विद्यालयों में बदलने की योजना को ठीक रूप लागू करने का काम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को तेजी से पूरा करने के लिए अध्यापकों की प्रशिक्षण-सुविधाएं बढ़ायी गईं। इसके अलावा, इन दो पद्धतियों के बीच की खाई को मिटाने के लिए, अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए एक अल्पकालीन नव-प्रशिक्षणक्रम की भी व्यवस्था की गई।

बिहार

बुनियादी शिक्षा के गुण-लाभों को बढ़ाने के लिए यह तय किया गया कि राज्य के प्रत्येक बुनियादी विद्यालय में एक प्रशिक्षित इंटरमीडिएट अध्यापक नियुक्त किया जाए। राज्य में 500 से भी अधिक बुनियादी विद्यालय थे।

बम्बई

बुनियादी स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा के संबंध में अनेक सुधार किये गए। बुनियादी स्कूलों में शिल्पगृह बनाने के लिए मानक 'प्लान' और रूपरेखाचित्र बनाए गए। सरकार इस काम के लिए स्कूल मण्डलों को पूरा अनुदान दे रही है। आलोच्य वर्ष के अन्त तक 17 शिल्पगृह तैयार करने की मंजूरी दी गयी।

केरल

अध्यापकों और प्रशासकों के लिए विभिन्न स्थानों पर बुनियादी शिक्षा संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

मध्य-प्रदेश

इस वर्ष 'देवास' स्थित गैर-बुनियादी प्रशिक्षण कालेज को बुनियादी प्रशिक्षण कालेज का रूप दिया गया।

मद्रास

राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की योजना का नये सिरे से संगठन किया गया था और उसके लिए सात-वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर दी गयी थी। अतः सरकार ने तय किया कि बुनियादी शिक्षा के आठ-वर्षीय पाठ्यक्रम में संशोधन कर के उसे भी सात-वर्षीय पाठ्यक्रम का रूप दे दिया जाए। पाठ्य-विवरण तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गयी। परन्तु समिति को इस पाठ्य विवरण को अन्तिम रूप देने में देर हो सकती थी। अतः निदेशक से यह कहा गया कि जब तक उक्त पाठ्य-विवरण तैयार न हो जाए, केवल तबतक के लिए वे बुनियादी विद्यालयों की पहली पांच कक्षाओं में उन अतिरिक्त विषयों का शिक्षण आरंभ करवा दें, जिनकी सिफारिश तमिलनाड बुनियादी शिक्षा समाज की है।

आलोच्य वर्ष में चार-वर्षीय उत्तर-बुनियादी पाठ्यक्रम का एक उपयुक्त पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एक और समिति बनाई गई। एक और तदर्थ समिति बनाई गई जिसका काम उत्तर-बुनियादी विद्यालयों के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जांच करना था।

राज्य के 21 केन्द्रों में पुनः प्रशिक्षण-क्रमों की व्यवस्था की गई जिनमें आलोच्य वर्ष में 677 अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए ओरथनाड के पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज (स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज) में पांच महीने के पुनः प्रशिक्षण-क्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 66 स्नातक प्रशिक्षित अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षित किया गया।

गैर-बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों के लिए कुछ संगोष्ठियों का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें इस बात का आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया कि समेकित प्रारंभिक पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए संशोधित पाठ्य-विवरण कैसे तैयार किया जाए और गैर-बुनियादी विद्यालयों में बुनियादी विद्यालयों की शिक्षा-पद्धति कैसे लागू की जाए। कुछ अतिरिक्त व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन लोगों ने जिला और तालुका स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन किया। राज्य में 12,000 अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। इनमें से 11,384 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निरीक्षण अधिकारियों ने जिला-स्तर पर तीन संगोष्ठियों का आयोजन किया।

राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली ने शिक्षा प्रशासकों और निरीक्षण अधिकारियों के लिए बुनियादी शिक्षा से संबंधित दो सप्ताह के एक प्रशिक्षणक्रम का आयोजन किया जिसमें दो जिला शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसी संस्थान में 'सह-सम्बंधन' पर आयोजित एक कार्यगोष्ठी में इस विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। यह गोष्ठी चार सप्ताह तक चली। संस्थान ने 'बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षा-मनोविज्ञान' विषय पर भी एक संगोष्ठी की, जिसमें ओरथनाड के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रैजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, (राजकीय स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज) के मनोविज्ञान और समाज-शास्त्र के एक प्राध्यापक ने भाग लिया।

इस वर्ष दो प्रादेशिक बुनियादी शिक्षा सम्मेलन भी हुए। कोइम्बटूर मंडल का सम्मेलन 7 दिसम्बर से 10 दिसम्बर 1959 तक बेलूर में, और मदुराई मंडल का सम्मेलन 17 फरवरी से 19 फरवरी 1960 तक नागेरकोइल (जिला कन्याकुमारी) में हुआ। सुसंहत क्षेत्रों के बुनियादी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के लिए दो महीनों में एक बार होने वाले एक दिवसीय सम्मेलन भी पूर्ववत् किए जाते रहे।

मैसूर

इस वर्ष के दौरान 400 प्राथमिक बुनियादी विद्यालय खोले गए। वर्ष के अन्त तक 1743 स्कूलों को बुनियादी ढंग के विद्यालयों का रूप दिया गया। बुनियादी विद्यालयों में निदर्शन (डिमोंस्ट्रेशन) और व्यावहारिक कार्य के लिए 32 शिल्प-गृहों का निर्माण भी आरंभ किया गया।

उड़ीसा

पहली अप्रैल, 1959 से अवर बुनियादी विद्यालयों में संशोधित प्राथमिक विद्यालय पाठ्य-विवरण लागू कर दिया गया। संशोधित पाठ्य-विवरण बुनियादी पद्धति के अनुसार बनाया गया है।

विभाग से संबद्ध विशेष शिल्प अधिकारी को दिल्ली में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित बुनियादी शिक्षा की प्रशासन-व्यवस्था से संबंधित एक अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रम में भाग लेने के लिए भेजा गया। बारगढ़ और नौरंगपुर के बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों के बुनाई शिक्षकों को बुनाई का उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान), कौनी में भेजा गया।

बुनियादी शिक्षा की पुनर्गठित परिषद् ने 20 जुलाई, 1959 की अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ यह निर्णय किया कि (1) निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के लिए बुनियादी शिक्षा के अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रमों का तथा बुनियादी विद्यालयों के अंग्रेजी के अध्यापकों को रचनात्मक पद्धति से अंग्रजी के अध्यापन की विधि से परिचित कराने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षणक्रमों का आयोजन किया जाए। (2) बुनियादी विद्यालयों में अध्यापक और छात्रों का अनुपात 1:35 होना चाहिए। (3) बुनियादी विद्यालयों में बनाए गए सामान को बेचने के लिए बाजार में एक बिक्री-कक्ष (स्टाल) बनाया जाए। कुछ चुने हुए प्रवर बुनियादी विद्यालयों में साबुन बनाने की शिल्पिक शिक्षा शुरू की जाए और उसके लिए ग्राम उद्योग-परिषद् (विलेज-इंडस्ट्रीज बोर्ड) से वित्तीय सहायता प्राप्त की जाए।

पंजाब

एक सौ और कक्षाओं को बुनियादी ढंग में परिवर्तित कर दिया गया।

सन् 1957–58 में राजपुर और फरीदाबाद के दो उत्तर-बुनियादी विद्यालयों को राज्य सरकार ने हिन्दुस्तानी तालीमी संघ से लेकर अपनी देखरेख में ले लिया था। इन्हें अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के रूप में चलाया जा रहा है। इस वर्ष पंजाब विश्वविद्यालय ने अपने एक विशेष संकल्प द्वारा इन स्कूलों मे उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को किसी भी सम्बद्ध कालेज के द्वितीय वर्ष में प्रवश प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है की इन स्कूलों के छात्र उन सरकारी नौकरियों के पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता मैट्रिक्युलेशन या हायर सेकेंडरी का प्रमाण-पत्र है।

राजस्थान

चार सौ पचास प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी ढंग के विद्यालयों का रूप दिया गया। ग्यारह नए बुनियादी विद्यालय भी खोले गए।

उत्तर प्रदेश

इस वर्ष अवर बुनियादी विद्यालयों के लिए उपस्कर अनुदान (इक्विपमेंट ग्रान्ट) के लिए और प्रवर बुनियादी विद्यालयों में विज्ञान का शिक्षण आरंभ करने के लिए अनुदान मंजूर किए गए।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

नौ अवर बुनियादी विद्यालय खोले गए। जो अध्यापक प्रशिक्षित नहीं थे उन्हें स्थानीय अवर बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

दिल्ली

हिमाचल प्रदेश

दो सौ प्रारंभिक विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों का रूप दिया गया और 50 नए अवर बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए।

प्रारंभिक विद्यालयों में बुनियादी पद्धति की शिक्षा आरंभ करने के लिए जुलाई 1959 में, सोलन में शिक्षा अधिकारियों, मुख्याध्यापकों/मुख्याध्यापिकाओं और निरीक्षण अधिकारियों की एक संगोष्ठी की गयी। नव-प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में दो अध्यापक प्रशिक्षण संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह

अगाठी के एक प्राथमिक विद्यालय को बुनियादी विद्यालय का रूप दिया गया। सहायक शिक्षा अधिकारी ने ग्यारह अध्यापकों को नवप्रशिक्षण की जानकारी दी।

मनिपुर

एक अवर बुनियादी विद्यालय और एक बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान खोला गया। प्रारंभिक विद्यालयों को बुनियादी विद्यालयों के रूप देने का कार्य भी किया गया। सहायता-प्राप्त एवं गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

पैंतीस प्राथमिक विद्यालयों को अवर बुनियादी विद्यालयों का रूप दिया गया और 52 बुनियादी विद्यालय खोले गए। 40 प्राथमिक विद्यालयों मे शिल्प की शिक्षा आरंभ की गई।

पांडिचेरी

एक अवर बुनियादी विद्यालय खोला गया और एक अवर बुनियादी विद्यालय को समुन्नत करके उसे प्रवर बुनियादी विद्यालय बना दिया गया।

स्कूल

इस वर्ष अवर बुनियादी, प्रवर बुनियादी एवं उत्तर-बुनियादी विद्यालयों की कुल संख्या 69,838 से बढ़कर 75,345 हो गई। इस प्रकार इसमें 7.9 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष यह 9.3 प्रतिशत थी। कुल स्कूलों में से 61,757 स्कूल (56,526 लड़कों के और 5,231 लड़कियों के) अवर बुनियादी स्कूल थे, 13,554 स्कूल (12,252 लड़कों के और 1,302 लड़कियों के) प्रवर बुनियादी स्कूल थे, और 34 स्कूल (31 लड़कों के और 3 लड़कियों के) उत्तर-बुनियादी थे। गत वर्ष यही आंकड़े इस प्रकार थे—अवर बुनियादी विद्यालय 57,069 (इसमें 4,179 लड़कियों के थे)। प्रवर बुनियादी 12,739 (इसमें 1,221 लड़कियों के थे) और उत्तर-बुनियादी 30 (इन में 2 स्कूल लड़कियों के थे)।

तीन चौथाई से भी अधिक अवर बुनियादी विद्यालयों (73.3 प्रतिशत) का प्रबंध स्थानीय परिषदें करती थीं और शेष स्कूलों का प्रबंध सरकार एवं और गैर-सरकारी संस्थाएं लगभग समान अनुपात में (ठीक अनुपात क्रमश: 10.6 और 11.1 प्रतिशत) करती थीं। प्रवर बुनियादी विद्यालयों की प्रबंधव्यवस्था भी लगभग अवर विद्यालयों की व्यवस्था के समान ही थी, अर्थात् 73.4 प्रतिशत का स्थानीय परिषदें, 9.7 प्रतिशत का सरकार और 16.9 प्रतिशत विद्यालयों का प्रबंध सरकारी संस्थाएं करती थी। जहां तक उत्तर-बुनियादी शिक्षा का संबंध है, वह मुख्यत: अपने दूसरे पक्ष अर्थात् उच्चतर-माध्यमिक शिक्षा के समान ही गर-सरकारी संस्थाओं के अधीन थी। सरकार का योगदान केवल $\frac{1}{5}$ भाग से अधिक था। उत्तर-बुनियादी विद्यालय केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मद्रास उड़ीसा और पंजाब में थे।

सारणी XXX में बुनियादी विद्यालयों का राज्यवार विभाजन दिखाया गया है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में बुनियादी विद्यालय थे।

केरल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में अवर बुनियादी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। केरल में केवल एक स्कूल कम हुआ। राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि (1,685) उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद क्रमश: ये राज्य आते हैं:—बिहार (439), राजस्थान (427), मद्रास (375), आंध्र प्रदेश (359), मैसूर (358), आसाम (277), पश्चिमी बंगाल (219), मध्य प्रदेश (141), पंजाब (69), बम्बई (45) और उड़ीसा (1)। संघ राज्य-क्षेत्रों में सब से अधिक वृद्धि हिमाचल प्रदेश में (209) हुई। इसके बाद मनिपुर और त्रिपुरा (प्रत्येक में 41) तथा दिल्ली (3) के नाम आते हैं।

जिन-जिन राज्यों में प्रवर बुनियादी विद्यालय थे उनमें मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को छोड़-कर, इन (स्कूलों) की संख्या बढ़ गयी। मध्य प्रदेश में 4 और हिमाचल प्रदेश में 2 स्कूल कम हो गए। मध्य प्रदेश में तो यह कमी वास्तविक न होकर आभासी मात्र थी; क्योंकि वहां मिडिल स्तर पर गैर-बुनियादी शिक्षा वाले और प्राथमिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा वाले विद्यालयों को प्रवर बुनियादी विद्यालय न मानकर, मिडिल स्कूलों के अन्तर्गत दिखाया गया था। हिमाचल प्रदेश में दो प्रवर बुनियादी विद्यालयों को हाई स्कूल बना दिया गया, जिस से बुनियादी विद्यालयों की संख्या में कमी हो गई। अन्य राज्यों में यह वृद्धि 345 (बम्बई) से लेकर 14 (पंजाब) के बीच, और राज्यक्षेत्रों में 22 (दिल्ली) से लेकर 1 (पांडिचेरी) तक रही।

जहां तक उत्तर बुनियादी विद्यालयों का सम्बन्ध है, बिहार में एक स्कूल कम हो गया, क्योंकि उसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया था। शेष राज्यों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक-एक स्कूल की वृद्धि हुई।

छात्र

इस वर्ष बुनियादी विद्यालयों में शिक्षा पाने वाले छात्रों की कुल संख्या 90,08,633 थी, जब कि गत वर्ष यह संख्या 82,07,360 थी। इससे पता चलता है कि 1958-59 की 13.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में आलोच्य वर्ष में 9.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। अवर बुनियादी विद्यालयों में दाखिल छात्रों की संख्या 54,49,764 से बढ़कर 60,12,956 हो गयी, अर्थात् 10.3 प्रतिशत

सारणी XXX—

राज्य	अवर बुनियादी स्कूल			
	लड़कों के लिए		लड़कियों के लिए	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	2,109	2,466	4	6
आसाम	2,037	2,308	74	80
बिहार	2,152	2,385	107	313
बम्बई — महाराष्ट्र	2,725	1,182	96	28
बम्बई — गुजरात	*	1,587	*	69
केरल	441	440	..	..
मध्य प्रदेश	2,225	2,366	3	3
मद्रास	2,671	3,046	..	..
मैसूर	1,547	1,890	34	49
उड़ीसा	360	361	..	..
पंजाब	521	566	187	[illegible]
राजस्थान	1,287	1,699	89	102
उत्तर प्रदेश	32,872	33,772	3,492	4,277
पश्चिमी बंगाल	1,057	1,276	21	21
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	9	..	..
दिल्ली	163	170	62	58
हिमाचल प्रदेश	460	670	4	3
लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	..	..	..	..
मनिपुर	94	130	6	11
नेफ़ा	7	7	..	..
त्रिपुरा	153	194	..	..
पांडिचेरी	2	2	..	..
भारत	52,890	56,526	4,179	5,231

स्कूलों की संख्या

उच्च बुनियादी स्कूल				उत्तर बुनियादी स्कूल	
लड़कों के लिए		लड़कियों के लिए		लड़कों के लिए	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
6	7	8	9	10	11
275	306	2	2	1	2
144	192	13	19	..	..
722	759	7	9	21	21
4,640	2,380	434	119	..	..
*	2,593	*	322	..	..
123	123	..	..	2	2
301	297	..	..	..	..
471	546	..	..	2	2
1,121	1,189	105	108	..	..
23	23	..	..	2	2
41	50	18	23	..	2
36	51	7	11	..	..
3,462	3,540	618	644	..	..
87	112	7	21	..	..
..	..	..	..	..	..
39	48	10	23	..	..
9	7	..	..	..	..
1	1	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..
23	29	..	1	..	..
..	1	..	..	..	..
11,518	12,252	1,221	1,302	28	31

सारणी XXX—बुनियादी स्कूलों की संख्या—जारी

राज्य	उत्तर बुनियादी स्कूल लड़कियों के लिये 1958-59	उत्तर बुनियादी स्कूल लड़कियों के लिये 1959-60	जोड़ 1958-59	जोड़ 1959-60	वृद्धि(+) कमी(—)
1			12	13	14
आंध्र प्रदेश .	..	..	2,391	2,782	+391
आसाम .	..	..	2,268	2,599	+331
बिहार .	1	..	3,010	3,487	+477
बम्बई { महाराष्ट्र	..	..	7,895	3,709	+390
बम्बई { गुजरात	..	..	..	4,576	*
केरल .	..	..	566	565	—1
मध्य प्रदेश .	..	..	2,529	2,666	+137
मद्रास .	1	1	3,145	3,595	+450
मैसूर .	..	..	2,807	2,236	+429
उड़ीसा .	..	..	385	386	+1
पंजाब .	..	2	767	854	+87
राजस्थान .	..	..	1,417	1,863	+446
उत्तर प्रदेश .	..	..	40,444	42,233	+1,789
पश्चिमी बंगाल .	..	..	1,172	1,430	+258
अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह .	..	..	9	9	..
दिल्ली .	..	..	274	299	+25
हिमाचल प्रदेश .	..	..	473	680	+207
लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह .	..	..	1	1	..
मनिपुर .	..	..	100	141	+41
नेफ़ा .	..	..	7	7	..
त्रिपुरा .	..	..	176	224	+48
पांडिचेरी .	..	..	2	3	1
भारत .	2	3	69,838	75,345	+5,507

बढ़ गयी। प्रवर बुनियादी विद्यालयों की छात्र संख्या 27,54,790 से बढ़कर 29,91,283 हो गयी, अर्थात् 8.6 प्रतिशत बढ़ गयी; तथा उत्तर-बुनियादी विद्यालयों में दाखिल छात्रों की संख्या 2,806 से बढ़कर 4,394 हो गई, अर्थात् 56.6 प्रतिशत बढ़ गयी। परन्तु इन आंकड़ों में उन छात्रों की संख्या शामिल नहीं है जो गैर-बुनियादी स्कूलों की बुनियादी शिक्षा-कक्षाओं में अवर बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

बुनियादी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का राज्यवार विभाजन सारणी XXXI में दिखाया गया है। उत्तर-प्रदेश और उपूर्सी (नेफ़ा) को छोड़कर शेष सभी राज्यों में और संघ-राज्य क्षेत्रों में अवर- प्रवर और उत्तर-बुनियादी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्यों में सब से अधिक वृद्धि 2,64,870 उत्तर प्रदेश में 1,00,479 बम्बई में हुई, और इस के बाद क्रमश: मद्रास 83,599, राजस्थान 79,055, आंध्र प्रदेश 57,707, मैसूर 57,641 और बिहार 51,229 का स्थान रहा। अन्य राज्यों में यह वृद्धि 34,086 (आसाम) से लेकर 719 (उड़ीसा) तक रही। संघ राज्य-क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सब से अधिक वृद्धि (8,089) हुई, जबकि लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों में सबसे कम, अर्थात् केवल 43 छात्र बढ़े।

जहां तक अवर बुनियादी विद्यालयों में दाखिल छात्रों की संख्या का सम्बन्ध है, बम्बई, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उपूर्सी (नेफ़ा) को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इनकी संख्या बढ़ गयी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर शेष सर्वत्र प्रवर बुनियादी विद्यालयों में पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ गयी। जिन-जिन राज्यों में उत्तर बुनियादी विद्यालय थे, वहां सर्वत्र उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई।

अध्यापक

इस वर्ष बुनियादी विद्यालयों में 2,55,550 अध्यापक (1,94,303 अध्यापक और 61,247 अध्यापिकाएं) थे जबकि पिछले वर्ष 2,36,006 अध्यापक (1,81,389 अध्यापक और 54,617 अध्यापिकाएं) थे। इस प्रकार इनकी संख्या में 8.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। अवर बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या 1,48,361 से बढ़कर 159,751, प्रवर बुनियादी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 87,437 से बढ़कर 95,539 और उत्तर बुनियादी विद्यालयों में 208 से बढ़कर 260 हो गयी। इस प्रकार इनकी वृद्धि का प्रतिशत क्रमश: 8.4, 9.2, और 25.0 रहा।

सारणी XXXII में विभिन्न प्रकार के बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों का राज्य-वार विभाजन दिखाया गया है। सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में अध्यापक की संख्या में वृद्धि हुई।

सभी प्रकार के बुनियादी विद्यालयों के अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में प्रशिक्षित अध्यापकों की अखिल भारतीय औसत संख्या कुछ कम हो गई, अर्थात् 76.9 से घटकर 76.0 हो गई। अवर बुनियादी विद्यालयों, प्रवर बुनियादी विद्यालयों और उत्तर बुनियादी विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों का अनुपात क्रमश: 76.2 प्रतिशत, 75.8 प्रतिशत और 53.1 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष यही आंकड़े क्रमश: 77.6 प्रतिशत, 75.6 प्रतिशत, और 58.2 प्रतिशत थे। राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह तथा उपूसी (नेफ़ा) के बुनियादी विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या शत-प्रतिशत थी। अन्य 11 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में यह संख्या 100 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच थी, तथा 7 राज्यों में 75 और 50 प्रतिशत के बीच थी। शेष 3 संघ राज्य-क्षेत्रों में अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा और मनिपुर में अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या से अधिक थी। इनका प्रतिशत क्रमश: 63.3, 63.6 और 76.4 रहा।

अवर बुनियादी विद्यालयों में अध्यापक और छात्रों का अनुपात 1:38 और प्रवर बुनियादी विद्यालयों में 1:31 और उत्तर-बुनियादी विद्यालयों में 1:17 रहा।

सारणी XXXI—बुनियादी स्कूलों में

राज्य	अवर बुनियादी			
	लड़के		लड़कियां	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश . . .	1,42,043	1,72,410	77,295	94,543
आसाम . . .	1,16,191	1,30,774	67,724	76,349
बिहार . . .	1,22,986	1,45,211	27,995	44,246
बम्बई { महाराष्ट्र	1,71,767	81,112	66,550	31,202
बम्बई { गुजरात . .	*	86,958	*	37,866
केरल . . .	50,728	53,611	48,240	42,901
मध्य प्रदेश . .	1,45,877	1,56,800	18,940	22,705
मद्रास . . .	2,09,647	2,42,423	1,27,172	1,50,302
मैसूर . . .	90,637	1,12,404	40,106	54,053
उड़ीसा . . .	16,906	17,073	6,252	6,357
पंजाब . . .	51,372	48,140	24,557	26,277
राजस्थान . .	94,289	1,50,978	18,684	34,966
उत्तर प्रदेश . .	28,90,318	30,55,332	6,33,244	7,07,381
पश्चिमी बंगाल . .	78,668	93,157	36,745	43,823
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	888	1,033	584	708
दिल्ली . . .	17,181	17,563	7,822	7,239
हिमाचल प्रदेश . .	17,879	25,150	2,708	4,167
लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह . .	..	..	..	..
मनिपुर . . .	5,895	7,497	2,888	4,807
उपूसी (नेफ़ा) . .	194	171	27	22
त्रिपुरा . . .	12,257	16,024	6,323	8,944
पांडिचेरी . . .	146	234	39	43
भारत/जोड़ . .	42,35,869	46,14,055	12,13,895	13,98,901

*ये आंकड़े महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं ।

छात्रों की संख्या

प्रवर बुनियादी स्कूलों में लड़के		लड़कियां	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
6	7	8	9
49,295	56,918	16,812	19,227
16,621	23,122	8,703	13,080
1,10,791	1,20,304	18,043	20,708
9,95,372	5,72,697	4,40,911	2,27,490
*	4,95,326	*	2,42,428
26,542	30,221	18,246	20,640
65,389	62,295	5,166	6,410
92,513	1,10,341	64,401	74,272
2,00,146	2,13,798	83,322	91,597
3,066	3,388	726	835
10,662	14,887	4,186	5,428
7,767	11,876	1,765	3,740
3,99,216	4,11,248	89,104	1,02,701
6,741	7,504	1,309	2,150
..	..	..	..
10,152	13,048	1,973	6,559
1,694	1,131	254	176
215	306	68	20
..	..	..	..
..	..	..	..
2,593	3,783	1,116	1,522
..	107	..	..
19,98,775	21,52,300	7,56,015	8,38,983

*ये आंकड़े महाराष्ट्र के आंकडों में शामिल है ।

सारणी XXXI—बुनियादी स्कूलों

राज्य	उत्तर बुनियादी स्कूलों में लड़के		लड़कियां	
	1958–59	1959–60	1958-59	1959-60
1	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश . .	24	68	3	13
आसाम . . .	..	..	..	..
बिहार . . .	2,284	2,843	72	88
बम्बई { महाराष्ट्र . .	..	..	..	..
बम्बई { गुजरात . .	..	..	..	..
केरल . . .	121	140	15	..
मध्य प्रदेश . .	..	..	..	34
मद्रास . . .	119	119	99	..
मैसूर . . .	..	..	..	93
उड़ीसा . . .	69	85	..	..
पंजाब . . .	..	155	..	..
राजस्थान . . .	..	..	..	756
उत्तर प्रदेश . .	..	..	..	..
पश्चिमी बंगाल . .	..	..	..	..
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	..	..	..	..
दिल्ली . . .	..	..	..	..
हिमाचल प्रदेश . .	..	..	..	..
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह . .	..	..	..	..
मनिपूर . . .	..	..	..	..
उपूसी (नेफा) . .	..	..	..	..
त्रिपुरा . . .	..	..	..	..
पांडिचेरी . . .	..	..	..	..
भारत .	2,617	3,410	189	984

में छात्रों की संख्या—(जारी)

जोड 1958–59	जोड 1959–60	वृद्धि (+) कमी (–)
14	15	16
2,85,472	3,43,179	+57,707
2,09,239	2,43,325	+34,086
2,82,171	3,33,400	+51,229
16,74,600	9,12,501 }	+1,00,479
..	8,62,578 }	
1,43,892	1,47,547	+3,655
2,35,372	2,48,210	+12,838
4,93,951	5,77,550	+83,599
4,14,211	4,71,852	+57,641
27,019	27,738	+719
90,777	95,643	+4,866
1,22,505	2,01,560	+79,055
40,11,792	42,76,662	+2,64,870
1,23,463	1,46,634	+23,171
1,472	1,741	+269
37,128	44,409	+7,281
22,535	30,624	+8,089
283	326	+43
8,783	12,304	+3,521
221	193	—28
22,289	30,273	+7,984
185	384	+199
82,07,360	90,08,633	+8,01,273

सारणी XXXII—बुनियादी स्कूलों में

राज्य	अवर बुनियादी स्कूलों में			
	पुरुष		स्त्रियां	
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश . .	5,200	1,374	1,162	73
आसाम . . .	3,021	1,483	587	486
बिहार . . .	3,762	957	61	57
महाराष्ट्र . .	1,964	986	137	106
गुजरात . . .	1,433	1,549	427	344
केरल . . .	1,675	51	1,021	58
मध्य प्रदेश . .	3,484	2,326	61	50
मद्रास . . .	7,066	57	3,972	16
मैसूर . . .	2,920	1,877	389	220
उड़ीसा . . .	885	8	4	3
पंजाब . . .	1,344	12	612	31
राजस्थान . .	3,260	1,351	290	262
उत्तर प्रदेश . .	66,238	16,245	4,835	5,422
पश्चिमी बंगाल . .	3,403	1,042	370	133
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9	22	9	9
दिल्ली . . .	670	..	194	..
हिमाचल प्रदेश . .	730	427	68	44
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी समूह . . .	..	..	..	..
मणिपुर . . .	101	337	7	13
उत्तर-पूर्वी सीमान्त एजेंसी (नेफ़ा) . .	9	..	2	..
त्रिपुरा . . .	243	392	74	223
पांडिचेरी . .	5	1	..	..
भारत .	1,07,422	30,497	14,282	7,550

अध्यापकों की संख्या

प्रवर बुनियादी स्कूलों में				उत्तर बुनियादी स्कूलों में			
पुरुष		स्त्रियां		पुरुष		स्त्रियां	
प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
6	7	8	9	10	11	12	13
1,582	893	307	50	6	5	1	..
626	566	100	154	..	..	..	..
4,302	442	230	17	59	94	..	..
13,995	3,433	2,783	1,023	..	..	..	..
8,621	5,696	3,602	2,521	..	..	..	..
1,070	114	633	96	6	6	2	1
1,482	1,045	11	16	..	..	..	..
3,466	130	2,675	20	14	1	6	1
5,766	1,189	1,082	366	..	..	..	..
176	7	4	..	7	3	1	..
459	24	170	4	13	7	23	4
329	197	71	10	..	..	..	..
14,737	3,485	2,939	1,110	..	..	..	..
251	268	47	72	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
517	2	225	..	..	..	..	..
58	10	2	3	..	..	..	..
10	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..
107	127	21	36	..	..	..	..
5	2	..	..	..	..	..	..
57,559	17,580	14,902	5,498	105	116	33	6

सारणी XXXII बुनियादी स्कूलों

राज्य	सभी स्कूलों में		
	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित	जोड़
1	14	15	16
आंध्र प्रदेश . .	8,258	2,395	10,653
आसाम . . .	4,334	2,689	7,023
बिहार . . .	8,414	1,567	9,981
महाराष्ट्र . .	18,879	5,548	24,427
गुजरात . . .	24,083	10,110	24,193
केरल . . .	4,407	326	4,733
मध्य प्रदेश . .	5,038	3,437	8,475
मद्रास . . .	17,199	225	17,424
मैसूर . . .	10,157	3,652	13,809
उड़ीसा . . .	1,077	21	1,098
पंजाब . . .	2621	82	2,703
राजस्थान . .	3,950	1,820	5,770
उत्तर प्रदेश . .	88,749	26,212	1,14,961
पश्चिमी बंगाल . .	4,071	1,515	5,586
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18	31	49
दिल्ली . . .	1,606	2	1,608
हिमाचल प्रदेश . .	858	484	1,342
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह . .	10	..	10
मनिपुर . . .	108	350	458
उपूसी (नेफ़ा) . .	11	..	11
त्रिपुरा . . .	445	778	1223
पांडिचेरी . . .	10	3	13
भारत .	1,94,303	61,247	2,55,550

में अध्यापकों की संख्या--(जारी)

कुल अध्यापकों में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत				अध्यापक-छात्र अनुपात			
अवर	प्रवर	उत्तर		अवर	प्रवर	उत्तर	
बुनियादी स्कूलों में	बुनियादी स्कूलों में	बुनियादी स्कूलों में	सभी विद्यालयों में	बुनियादी स्कूलों में	बुनियादी स्कूलों में	बुनियादी स्कूलों में	
17	18	19	20	21	22	23	24
81.5	66.7	58.3	77.5	34	27	7	32
64.7	50.2	..	81.7	37	25	..	35
79.0	90.8	38.6	84.3	39	28	19	33
65.8	79.0	..	77.3	35	38	..	37
49.6	59.8	..	58.2	33	36	..	36
96.1	89.0	50.3	93.1	34	27	12	30
59.9	58.5	..	59.4	30	27	..	29
99.3	97.6	90.9	98.7	35	29	10	33
61.2	81.5	..	73.6	31	36	..	34
98.8	96.3	72.7	98.1	26	23	14	25
97.8	95.7	76.6	97.0	37	31	19	35
68.8	65.9	..	68.5	36	26	..	35
76.6	79.5	..	77.2	41	23	..	37
76.3	46.7	..	72.9	28	15	..	26
36.7	..	..	36.7	36	..	..	36
100.0	99.7	..	99.9	29	26	..	28
62.9	82.2	..	63.9	23	18	..	23
..	100.0	..	100.0	..	38	..	33
23.6	..	..	23.6	27	..	..	27
100.0	..	..	100.0	18	..	..	18
34.0	44.0	..	36.4	27	18	..	25
83.3	71.4	..	76.9	46	15	..	30
76.2	75.8	53.1	76.0	38	31	17	35

व्यय

बुनियादी विद्यालयों पर होने वाला कुल प्रत्यक्ष व्यय 22,81,48,337 रु० से बढ़ कर 25,08,35,227 रु० हो गया अर्थात् 9.9 प्रतिशत बढ़ गया। इस में से 14,04,32,001 रु० अवर बुनियादी विद्यालयों पर, 10,99,17,999 रु० प्रवर बुनियादी विद्यालयों पर तथा 4,85,227 रु उत्तर-बुनियादी पर खर्च किए गए। पिछले वर्ष के व्यय के आंकड़े इस प्रकार थे— अवर बुनियादी विद्यालय 12,50,32,828 रु० प्रवर बुनियादी विद्यालय 10,27,46,224 रु० और उत्तर बुनियादी विद्यालय 3,69,285 रुपए। सभी प्रकार की मान्यता-प्राप्त शिक्षा-संस्थाओं पर होने वाली कुल प्रत्यक्ष व्यय की 11.0 प्रतिशत रकम बुनियादी विद्यालयों पर खर्च हुई जबकि 1958-59 में यह व्यय 11.2 प्रतिशत था।

विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार बुनियादी विद्यालयों पर खर्च की गई रकम का विभाजन सारणी **XXXIII** में दिखाया गया है। इस खर्च का अधिकांश भाग अर्थात् 77.4 प्रतिशत खर्च भारत सरकार ने पूरा किया। पिछले वर्ष भी सरकारी योगदान लगभग इतना ही था। स्थानीय परिषदों का अंशदान 15.5 प्रतिशत से थोड़ा सा बढ़कर 15.9 प्रतिशत हो गया और धर्मस्व का अंशदान भी 0.6 प्रतिशत से बढ़कर 0.7 प्रतिशत हो गया। फीस से प्राप्त होने वाली राशि 4.1 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत हो गई। अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली राशि उसी प्रकार 2.3 प्रतिशत बनी रही।

बुनियादी स्कूलों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च इस प्रकार है :—

अवर बुनियादी विद्यालय	.	23.4 रु०
प्रवर बुनियादी विद्यालय	.	36.7 रु०
उत्तर-बुनियादी विद्यालय	.	110.4 रु०

बुनियादी विद्यालयों पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्च का,

—5 M of Edu/65

सारणी XXXIII—बुनियादी स्कूलों पर होने वाले प्रत्यक्ष खर्च का आस्त्रोतों के अनुसार विभाजन

आय स्रोत	अवर बुनियादी		प्रवर बुनियादी		उत्तर बुनियादी	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
	रु०		रु०		रु०	
सरकारी निधियां . .	11,07,62,523	78.9	8,31,15,106	75.6	3,33,699	68.8
स्थानीय परिषदों की निधियां	2,62,95,502	18.7	1,34,83,001	12.3	..	..
फ़ीस . . .	4,39,444	0.3	88,17,475	8.0	64,734	13.3
धर्मस्व . . .	5,99,802	0.4	10,54,527	1.0	42,470	8.8
अन्य स्रोत . .	23,34,730	1.7	34,47,890	3.1	44,324	9.1
जोड़ .	14,04,32,001	100.0	10,99,17,999	100.0	4,85,227	100.0

सारणी XXXIV–बुनियादी स्कूलों पर होनेवाले

राज्य	अवर बुनियादी स्कूलों पर	
	1958–59	1959–60
1	2	3
	रु०	रु०
आंध्र प्रदेश	59,82,896	67 04,459
आसाम	42,83,672	44,45,911
बिहार	26,43,947	29,71,968
बम्बई { महाराष्ट्र	86,90,929	38,90,912
बम्बई { गुजरात	*	48,32,124
केरल	30,07,445	32,51,398
मध्य प्रदेश	48,87,290	53,58,644
मद्रास	89,95,540	99,58,289
मसूर	42,18,561	50,77,039
उड़ीसा	9,78,806	21,04,380
पंजाब	22,56,999	25,44,515
राजस्थान	38,17,933	57,97,909
उत्तर प्रदेश	6,73,86,713	7,33,28,712
पश्चिमी बंगाल	38,64,500	46,93,714
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	68,367	94,336
दिल्ली	15,51,239	16,20,971
हिमाचल प्रदेश	11,60,208	17,97,527
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	..	..
मनिपुर	1,12,680	2,56,059
उपूसी (नेफ़ा)	43,781	49,250
त्रिपुरा	10,75,985	16,47,589
पांडिचेरी	5,337	6,298
भारत	12,50,32,828	14,04,32,001

*इनके आंकड़े महाराष्ट्र

त्यक्ष खर्च का राज्यवार विभाजन

प्रवर बुनियादी स्कूलों पर		उत्तर बुनियादी स्कूलों पर	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
4	5	6	7
रु०	रु०	रु०	रु०
24,67,838	29,92,249	12,867	23,716
7,58,560	10,77,105	..	..
51,75,486	56,52,863	2,60,480	2,20,728
4,49,51,141	2,40,14,530	..	..
*	2,49,03,117	..	..
20,06,568	22,98,859	19,667	21,061
26,96,377	22,41,276	..	..
53,77,832	60,16,984	62,512	65,769
1,13,87,951	95,96,079	..	..
1,84,422	2,32,318	13,759	11,337
7,49,764	11,06,386	..	1,42,616
8,82,132	11,16,146	..	..
2,41,12,806	2,54,31,556	..	..
6,42,463	94,31,588	..	..
..	..	..	..
8,15,080	15,26,613	..	..
87,121	73,305	..	..
12,920	13,850	..	..
..	..	..	..
..	..	..	..
4,37,763	6,77,725	..	..
..	3,850	..	..
27,46,224	10,99,17,999	3,69,285	4,85,227

आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी XXXIV–बुनियादी स्कूलों पर होने वाले

राज्य	जोड़ 1958–59	जोड़ 1959–60
1	8	9
	रु०	रु०
आंध्र प्रदेश	84,63,601	97,20,424
आसाम	50,42,232	55,23,016
बिहार	80,79,913	88,45,559
बम्बई — महाराष्ट्र	5,36,42,070	2,79,05,442
बम्बई — गुजरात	*	2,97,35,241
केरल	50,33,680	55,71,318
मध्य-प्रदेश	75,83,667	75,99,920
मद्रास	1,44,35,884	1,60,41,042
मैसूर	1,56,06,512	1,46,73,118
उड़ीसा	11,76,987	23,48,035
पंजाब	30,06,763	37,93,517
राजस्थान	47,00,065	69,14,055
उत्तर प्रदेश	9,14,99,519	9,87,60,268
पश्चिमी बंगाल	45,06,963	56,36,902
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	68,367	94,336
दिल्ली	23,66,319	31,47,484
हिमाचल प्रदेश	12,47,329	18,70,832
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	12,920	13,850
मनिपुर	1,12,680	2,56,056
उपूसी (नेफ़ा)	43,781	49,250
त्रिपुरा	15,13,748	23,25,314
पांडिचेरी	5,337	10,148
भारत	22,81,48,337	25,08,35,227

*इनके आंकड़े महाराष्ट्र

प्रत्यक्ष खर्च का राज्यवार विभाजन (जारी)

वृद्धि (+) या कमी (—)	शिक्षा पर होनेवाले कुल प्रत्यक्ष खर्च की तुलना में बुनियादी स्कूलों पर खर्च होने वाला प्रतिशत खर्च	खर्च की कितनी प्रतिशत रकम कहां से प्राप्त हुई: सरकारी निधियों से	स्थानीय परिषदों से	फ़ीस से	धर्मस्व से	अन्य स्रोतों से
10	11	12	13	14	15	16
रु०						
+ 12,56,823	5.7	70.8	28.4	0.4	0.3	0.1
+ 4,80,784	10.1	99.3	0.1	0.1	0.5	0.0
+ 7,65,646	6.8	94.3	0.6	2.0	0.5	2.4
+ 39,98,613	9.1	85.8	10.9	1.2	0.0	2.1
*	22.0	87.7	10.6	0.4	0.1	1.2
+ 5,37,638	3.9	98.6	..	0.1	0.0	1.3
+ 16,253	5.4	86.6	10.9	1.5	0.7	0.3
+ 16,05,158	8.0	78.3	15.8	0.4	5.1	0.4
— 9,33,394	11.3	81.9	14.1	0.8	0.0	3.2
+ 11,71,048	2.9	98.9	0.3	0.0	0.4	0.4
+ 7,86,754	3.1	98.3	0.1	1.0	0.5	0.3
+ 22,13,990	8.4	99.5	0.0	0.3	0.2	0.0
+ 72,60,749	35.3	65.7	21.3	8.0	0.6	3.9
+ 11,29,939	2.5	82.7	9.3	5.5	0.5	2.4
+ 25,969	20.4	100.0	..	..	..	..
+ 7,81,265	4.7	0.1	98.0	1.9	..	..
+ 6,23,503	25.6	100.0	..	..	..	..
+ 930	13.5	100.0	..	..	..	..
+ 1,43,376	5.4	2.4	97.6	..	..	..
+ 5,469	4.7	100.0	..	..	..	..
+ 8,11,566	29.8	99.6	..	..	0.1	0.3
+ 4,811	0.4	71.9	..	..	28.1	..
2,26,86,890	11.0	77.4	15.9	3.7	0.7	2.3

क आंकड़ों में शामिल हैं ।

शिक्षा पर होने वाले कुल प्रत्यक्ष खर्च की तुलना में बुनियादी स्कूलों पर होने वाले कुल प्रत्यक्ष व्यय का अनुपात सारणी 34 के 11 वें खाने में दिखाया गया है। आंकड़े I में इतना अधिक अन्तर इसलिए है कि इन स्कूलों में कक्षाओं की संख्या भी भिन्न-भिन्न थी।

विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार सभी बुनियादी विद्यालयों पर होने वाले खर्च का विभाजन-सारणी 34 के 12 वें से लेकर 16 वें तक के खानों में दिखाया गया है। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह, मनिपुर और उपूसी (नेफा) में बुनियादी विद्यालयों का शत-प्रतिशत खर्च, 12 अन्य राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र का 100 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के बीच खर्च, एक राज्य का 75 और 50 प्रतिशत के बीच खर्च, और दो संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली और मनिपुर का 50 प्रतिशत से कम खर्च पूरा किया। इन दोनों राज्यक्षेत्रों में व्यय का मुख्य भाग अर्थात् 98.8 प्रतिशत स्थानीय परिषदों से प्राप्त हुआ।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या 678 से बढ़कर 740 हो गयी। आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों में तथा अन्य शिक्षा-संस्थाओं से संबद्ध अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाओं में 82,700 प्रशिक्षार्थी अध्यापक (63,671 पुरुष और 19,029 स्त्रियां) दाखिल हुए, जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या 71,499 (54,283 पुरुष और 17,216 स्त्रियां) थी। इनमें से 45,533 प्रशिक्षार्थी अध्यापक (37,252 पुरुष और 8,281 स्त्रियां) बुनियादी शिक्षा की अध्यापक प्रशिक्षण डिप्लोमा परीक्षा या प्रमाणपत्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इन शिक्षा-संस्थाओं का कुल प्रत्यक्ष खर्च 2,45,27,720 रु० रहा, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 2,22,27,989 रु० थी। आलोच्य वर्ष में एक अध्यापक को प्रशिक्षित करने का औसत प्रशासनिक खर्च 331.8 रु० रहा।

बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों के राज्यवार आंकड़े सारणी 35 में दिये जा रहे हैं। राज्यों में इस प्रकार के सब से अधिक विद्यालय बम्बई में (159) थे। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश (155), बिहार (83), केरल (75), आंध्र प्रदेश (67) और मध्य प्रदेश (46) के नाम आते हैं। अन्य राज्यों में यह संख्या 39 (राजस्थान) से लेकर (9 जम्मू और कश्मीर) तक रही। संघ राज्यक्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और मनिपुर में प्रत्येक में दो-दो विद्यालय थे, और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, उपूसी (नेफ़ा) और त्रिपुरा में प्रत्येक में एक-एक विद्यालय था। मद्रास और मध्य प्रदेश में इन प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या कम हो गई, क्योंकि वहां नये वर्गीकरण में इन स्कूलों को कालेजों के रूप में दिखाया गया था।

आलोच्य वर्ष में 740 अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों के अलावा 185 स्नातकोत्तर और अवर-स्नातक बुनियादी प्रशिक्षण कालेज भी थे। पिछले वर्ष इस प्रकार के केवल 54 कालेज थे। परन्तु इन कालेजों की संख्या में यह असाधारण वृद्धि वास्तविक न हो कर आभासी मात्र है, क्योंकि इस वृद्धि का कारण मध्य प्रदेश और मद्रास में बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों को अवर-स्नातक बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के रूप में वर्गीकृत करना था। इन कालेजों तथा अन्य शिक्षा-संस्थाओं से सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं में दाखिल होने वाले प्रशिक्षार्थी अध्यापकों की संख्या 16,101 (11,629 पुरुष और 4,472 स्त्रियां) थी। पिछले वर्ष यह संख्या केवल 4,536 (3,789 पुरुष और 747 स्त्रियां) थी। इन कालेजों पर होने वाला कुल प्रत्यक्ष खर्च 35,10,798 रु० से बढ़कर 81,18,887 रु० (32,32,199 रु० स्नातकोत्तर कालेजों पर और 48,86,688 रु० अवर-स्नातक कालेजों पर) हो गया। प्रति छात्र औसत वार्षिक शिक्षा-व्यय स्नातकोत्तर कालेजों में 867.7 और अवर-स्नातक कालेजों

में 262.2 रु० रहा। पिछले वर्ष के यही आंकड़े क्रमश: 751.1 रु० और 490.9 रु० थे। सन् 1959-60 में 2,848 छात्र (2,150 पुरुष और 698 स्त्रियां) स्नातक परीक्षा में और 5,090 छात्र (3,552 पुरुष और 1,536 स्त्रियां) अवर-स्नातक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए।

बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के अधिक ब्योरेवार आंकड़े सारणी 36 में दिये गये हैं। मध्य प्रदेश और मद्रास में इन कालेजों की संख्या में अधिक वृद्धि होने का कारण ऊपर बता दिया गया है।

सारणी XXXV–अध्यापकों के बुनियादी

राज्य	बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या	छात्रों की संख्या*		
		पुरुष	स्त्रियां	जोड़
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश . .	67	6,404	1,257	7,661
आसाम . . .	20	1,206	259	1,465
बिहार . . .	83	9,382	1,621	11,003
महाराष्ट्र . . .	113	10,356	3,491	13,847
गजरात . . .	46	3,981	1,591	5,572
जम्मू और कश्मीर . .	9	408	164	572
केरल . . .	75	3,102	2,337	5,439
मध्य प्रदेश . .	46	5,088	494	5,582
मद्रास . . .	16	4,156	2,887	7,043
मसूर . .	19	1,991	477	2,468
पंजाब . . .	22	2,178	2,355	4,533
राजस्थान . .	39	1,018	197	1,215
उत्तर प्रदेश . .	155	9,613	1,470	11,083
पश्चिमी बंगाल . .	22	1,199	221	1,420
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	8	11	19
दिल्ली . . .	1	138	143	281
हिमाचल प्रदेश . .	2	175	25	200
मनिपूर . . .	2	154	5	159
उपूसी (नेफा) . .	1	20	–	20
त्रिपुरा . . .	1	94	24	118
भारत .	740	63,671	19,029	82,700

*इसमें संबद्ध कक्षाओं में

**इसमें प्राइवेट छात्र

प्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े

कुल खर्च	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र**		
		लड़के	लड़कियां	जोड़
6	7	8	9	10
22,40,072	260.2	2,735	360	3,095
4,73,570	323.3	1,006	236	1,242
30,04,874	273.1	3,369	396	3,765
37,37,072	269.9	5,778	1,556	7,334
15,45,302	277.3	2,755	837	3,592
5,89,391	1,030.4	367	158	525
8,40,587	161.4	961	688	1,649
29,06,466	520.7	6,744	873	7,617
1,93,764	134.1	2,436	1,180	3,616
11,73,014	491.0	948	232	1,180
6,70,453	378.6	695	518	1,213
20,94,526	511.1	4,007	195	4,202
44,37,870	398.6	3,495	537	4,032
2,80,069	205.9	1,509	401	1,910
12,205	642.4	7	9	16
74,549	392.4	43	51	94
79,134	395.7	146	23	169
51,943	326.7	143	5	148
1,02,658	5,132.9	12	3	15
20,201	420.9	96	23	115
2,45,72,720	331.8	37,252	8,281	45,533

दाखिल छात्रों की संख्या भी शामिल है ।

भी शामिल हैं ।

सारणी XXXVI—बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के आंकड़े

राज्य	बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों की संख्या		दाखिल छात्रों की संख्या*			खर्च	
	स्नातकोत्तर	पूर्व-स्नातक	पुरुष	स्त्रियां	जोड़	स्नातकोत्तर	पूर्व-स्नातक
1	2	3	4	5	6	7	8
						रु०	रु०
आंध्र प्रदेश . . .	1	–	45	11	56	42,409	–
आसाम . . .	1	–	17	–	17	58,798	–
बिहार . . .	3	–	437	42	479	2,37,295	–
महाराष्ट्र . . .	3	–	81	9	90	1,27,246	–
गुजरात . . .	2	–	62	11	73	89,434	–
मध्य प्रदेश . . .	4	31	2,731	571	3,302	7,43,479	15,19,068
मद्रास . . .	1	96	5,386	3,057	8,443	52,910	23,61,981
मैसूर . . .	1	9	689	140	829	71,162	3,06,083
उड़ीसा . . .	1	6	350	-	350	52,122	89,126
पंजाब . . .	10	–	470	456	926	8,14,273	–
राजस्थान . . .	4	–	418	62	480	5,28,918	–
उत्तर प्रदेश . . .	1	4	590	22	612	1,12,927	4,99,157
पश्चिमी बंगाल . . .	1	4	277	68	345	1,73,658	1,11,273
दिल्ली . . .	–	–	18	7	25	–	–
हिमाचल प्रदेश . . .	1	–	38	15	53	57,873	–
त्रिपुरा . . .	1	–	20	1	21	69,695	–
भारत . .	35	150	11,629	4,472	16,101	32,32,199	48,86,088

*इसमें सबंद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी XXXVI—बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के आंकड़े—(जारी)

राज्य	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च		उत्तीर्ण छात्र†					
			स्नातकोत्तर			पूर्व-स्नातक		
	स्नातकोत्तर	पूर्व-स्नातक	पुरुष	स्त्रियां	जोड़	पुरुष	स्त्रियां	जोड़
1	9	10	11	12	13	14	15	16
	रु०	रु०						
आंध्र प्रदेश . .	757.3	–	48	26	74	–	–	–
आसाम . . .	3,458.7	–	..	उपलब्ध नहीं हैं				
बिहार . . .	495.4	–	647	39	686	–	–	–
महाराष्ट्र . .	1,413.8	–	83	9	92	–	–	–
गुजरात . . .	1,225.1	–	..	उपलब्ध नहीं हैं				
मध्य प्रदेश . .	1,791.5	526.2	251	43	294	–	–	–
मद्रास . . .	1,556.2	182.2	33	–	33	3,168	1,495	4,663
मैसूर . .	2,093.0	350.2	26	–	26	118	43	161
उड़ीसा . . .	947.7	302.1	55	–	55	170	–	170
पंजाब . . .	520.6	–	486	472	958	–	–	–
राजस्थान . .	886.0	–	403	61	464	–	–	–
उत्तर प्रदेश . .	1,685.5	915.9	44	24	68	96	–	96
पश्चिमी बंगाल . .	1,736.6	481.7	..	उपलब्ध नहीं हैं				
दिल्ली . . .	–	–	18	8	26	–	–	–
हिमाचल प्रदेश . .	1,091.9	–	36	15	51	–	–	–
त्रिपुरा . . .	765.9	–	20	1	21	–	–	–
भारत . .	867.7	262.2	2,150	698	2,848	3,552	1,538	5,090

†इस में प्राइवेट छात्र भी शामिल हैं।

पांचवां अध्याय

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के पुनगठन का कार्यक्रम आलोच्य वर्ष में भी जारी रहा। इसके फलस्वरूप और अधिक हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक, बहुद्देशी पद्धति के विद्यालयों में बदल दिया गया। बहुमुखी पाठ्यक्रमों की संख्या काफी बढ़ गई और शिल्प-शिक्षण की सुविधाओं में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त अध्यापन-विधि में सुधार करने के लिए मुख्य अध्यापकों और विशिष्ट विषयों के अध्यापकों के अनेक संगोष्ठी-व-प्रशिक्षणक्रमों, शैक्षिक कार्यगोष्ठियों और विस्तार सेवा परियोजनाओं का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों को 4.33 करोड़ रुपए के अनुदान दिए गये। केन्द्रीय सरकार के इस क्षेत्र के मुख्य कार्यों की चर्चा नीचे के पैराओं में की जा रही है।

पहली अप्रैल, 1959 से अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन सलाहकार संस्था के रूप में कर दिया गया। अब तक परिषद जो-जो कार्यकारी कार्यकलाप करती थी उन्हें शिक्षा मंत्रालय के माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय के अधीन कर दिया गया।

अध्यापन प्रशिक्षण कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक नया केन्द्र खुल जाने से आलोच्य वर्ष में विस्तार सेवा विभागों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। ये विभाग अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते रहे और इनके कार्यकलापों का अध्यापकों के दृष्टिकोण और कक्षा-अध्यापन की रीति और तकनीक पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आलोच्य वर्ष में इस काम पर 8,90,813 रु० की रकम खर्च की गई।

माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय (डी० ई० पी० एस० ई०) ने एक योजना शुरू की जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के चुने हुए 26 बहुद्देशी विद्यालयों को, चुने हुए शिक्षा विषयों से संबंधित अधिक साज-सामान और विशेषज्ञों का संदर्शन प्राप्त कराने का विचार था। इस काम के लिए दो विद्यालय—एक जालंधर में और दूसरा बम्बई में चुने गये। आलोच्य वर्ष में बहुद्देशी विद्यालयों के प्रमुखों के पांच प्रादेशिक सम्मेलन हुए, जिनमें विद्यालयों को बहुद्देशी बनाने की समस्याओं पर विचार किया गया।

पुनर्गठित अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की पहली बैठक जुलाई, 1959 को नई दिल्ली में हुई। परिषद् ने जिन समस्याओं पर विचार किया उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्यायें हाईस्कूलों को समुन्नत करके उन्हें उच्चतर माध्यमिक या बहुद्देशी विद्यालयों में बदलने और माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं में विद्यार्थियों के फेल होने के कारणों पर विचार करना था।

माध्यमिक शिक्षा परिषदों के सचिवों का एक सम्मेलन सितम्बर 1959 में हुआ, जिसमें परीक्षा में सुधार करने और विद्यालय की अन्तिम परीक्षा में फल होने वाले छात्रों की बढती हुई संख्या को रोकने के लिए, की जा सकने वाली कारवाईयों पर विचार किया गया। केन्द्रीय परीक्षा एकक ने कई मूल्यांकन कार्यगोष्ठियों (एवेल्यूशन वर्कशाप्स) का आयोजन किया और काफी परीक्षण सामग्री इकट्ठी की। सौ से अधिक नवप्रशिक्षण कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 2,000 अध्यापकों को मूल्यांकन की नई संकल्पनाओं की जानकारी कराई

गई । विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए प्रारूप विवरणिकाएं तैयार की गई । नई दिल्ली में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन 8 और 9 अगस्त, 1959 को हुआ । सम्मेलन से अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों और कालेजों में खेल-कूद और शारीरिक अभ्यास-विकास, माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू करना, हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदलना और विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या सीमा निर्धारित करना आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया । सम्मेलन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में की गई कुछ महत्वपूर्ण शिफारिशें निम्नलिखित थीं :––

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना को अनिवार्य रूप में लागू करने के मामले पर उसी समय विचार किया जाए जबकि पहले कुछ वर्षों तक एक प्रायोगिक परियोजना चला कर इस संबंध में कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया जाए । इस प्रायोगिक परियोजना के ब्योरे तैय्यार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाए ।

(2) माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के काम को जल्दी ही पूरा करने के लिए दूसरी आयोजना के अन्त तक कम से कम 50 प्रतिशत हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदल देना चाहिए । तीसरी आयोजना में कोई भी नया हाई स्कूल नहीं खोला जाए और जो भी नया माध्यमिक विद्यालय खोला जाए उसे उच्चतर माध्यमिक पद्धति पर खोला जाए । नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए केन्द्रीय सहायता उसी दर से दी जानी चाहिए जितनी कि हाईकूस्लों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदने के लिए दी जाती है ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की 27 वीं बैठक 6 और 7 फरवरी 1960 को नई दिल्ली में हुई । कार्यसूची में रख गये अन्य विषय के साथ-साथ बैठक में धर्म और नैतिक शिक्षा संबंधी श्री प्रकाश समिति और विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्याओं तथा राष्ट्रीय सेवा से संबंधित चिन्तामणि देशमुख समिति की रिपोर्टों पर भी विचार किया गया । परिषद् की सिफारिश पर सरकार विचार कर रही थी ।

प्राक्कलन समिति की शिफारिश (58 वीं रिपोर्ट) पर यह निश्चय किया गया कि त्रिपुरा और मनिपुर के सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए । यह भी निश्चय किया गया कि इन संघ राज्यक्षेत्रों में वस्तुतः रहने वाले अनुसूचित जतियों और कबीलों के विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय परिषद द्वारा किया जाने वाला परीक्षा-शुल्क नहीं लिया जाय । यह छूट पहली बार 1959-60 से लेकर पांच वर्ष तक दी जाएगी ।

पिछले वर्ष शुरू किए गए विज्ञान क्लब अभियान ने आलोच्य वर्ष में काफी प्रगति की । स्कूलों में 183 नए विज्ञान क्लब खोले गए । प्रत्येक क्लब को 1,200 रु० की वित्तीय सहायता दी गई । विस्तार सेवा विभागों ने अपने कालेजों में कुछ और केन्द्रीय विज्ञान क्लब भी बनाए ।

सन् 1959-60 तक देश में कुल मिलाकर 313 विद्यालय विज्ञान क्लब थे । विज्ञान क्लब प्रायोजकों के तीन सम्मेलनों में विज्ञान के सौ से अधिक अध्यापकों को बनाने और उन्हें चलाने के बारे में जानकारी दी गई । भारत सरकार ने भारत में विज्ञान के शिक्षण को बढ़ाने के लिए 1958 में जो योजना बनाई थी उस के अन्तर्गत विज्ञान के 40 अध्यापकों को ब्रिटेन, अमेरिका और कनाड़ा भेजा गया ताकि वे इन देशों के विज्ञान-शिक्षण कार्यक्रम का अध्ययन करें । आलोच्य वर्ष में इन अध्यापकों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ताकि वे अपने अनुभवों पर पुर्नविचार कर सकें और माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षण की वृद्धि करने के संबंध में भावी कार्यक्रम तैयार कर सकें ।

स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 20 शिक्षा-संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए कुल मिलाकर 2,95,419 रु० अनुदान के रूप में मंजूर किए गए। छात्रावास बनाने के लिए ऋण देने की योजना के अन्तर्गत विद्या भवन समाज, उदयपुर के लिए राजस्थान सरकार को 4.0 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई। छात्रावास बनाने के संबंध में 11 और राज्य सरकारों को 8.60 लाख रुपए की रकम 39 संस्थाओं के लिए दी गई। अध्यापकों के राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना आलोच्य वर्ष में भी चालू रही। यह योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी। सन् 1959-60 के दौरान 71 पुरस्कार दिए गए। इनमें से 31 पुरस्कार माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को दिए गए। इस योजना पर 47,880 रुपए खर्च किए गए।

माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं से संबंधित अनुसंधान कार्यों को बढ़ाने की योजना आलोच्य वर्ष में भी जारी रही। इस योजना के अन्तर्गत 24 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 21 अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों को 1,03,399 रुपए के अनुदान मंजूर किए गए। आलोच्य वर्ष में चार नई अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकार की गई।

अन्तरराज्यीय सद्भावना को बढ़ाने के लिए जनवरी 1960 में गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में देश भर के माध्यमिक विद्यालयों से चुने गए लगभग 100 विद्यार्थियों का सामूहिक प्रदर्शन हुआ। इसके अतिरिक्त "गाइड टु वेस्ट बंगाल एण्ड आसाम" (पश्चिमी बंगाल और आसाम संदर्शिका) और "गाइड टु साउथ इण्डिया" (दक्षिण भारत संदर्शिका) नामक विवरणिकाओं की प्रतियां हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भेजने के लिए राज्य सरकारों को दी गई। इस योजना के लिए 26,000 रुपए की व्यवस्था की गई थी, जिसमें से 19,000 रुपए खर्च किए गए।

पिछले वर्षों की तरह, न्यूयार्क हेरल्ड, ट्रिब्यून, फोरम के प्रायोजकों के निमंत्रण पर हिन्दू कालेज, दिल्ली के पूर्व-चिकित्सा पाठ्यक्रम, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी श्री विमल प्रसाद जैन को राज्यों और विश्वविद्यालयों की सहायता से ली गई लिखित परीक्षा में और अन्तिम परीक्षण तथा समालाप में सफलता प्राप्त करने पर फोरम में भेजने के लिए चुना गया। वाक्पीठ (फोरम) जनवरी से मार्च, 1960 तक चलता रहा। अन्तिम परीक्षण और समालाप के लिए चुने गए उम्मीद्वारों को यात्रा खर्च देने के लिए 500 रुपए की व्यवस्था की गई थी।

'शैक्षणिक शिष्टमण्डलों के परस्पर विनिमय' की योजना के अन्तर्गत सिक्किम, नेपाल, सीलोन और पाकिस्तान से विद्यार्थियों/अध्यापकों के शिष्टमंडल भारत पधारे। भारत सरकार के निमंत्रण पर जनवरी, 1960 में रूस के 6 शिक्षाविदों का एक शिष्टमंडल भारत आया।

माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने के विषय में तकनीकी सहकारिता मिशन के साथ किए गए करार के अन्तर्गत 1959-60 के अन्त तक 9.4 लाख डालर का साज-सामान प्राप्त हुआ और उसमें से अधिकांश को बांट दिया गया। माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय और सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन (केन्द्रीय शिक्षण संस्था) में काम करने के लिए 10 शिल्पविद् भेजे गए। स्कूलों को दिए गए सामान की कीमत, उसे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने-लेजाने के खर्च और विशेषज्ञों के स्थानीय खर्च के समंजन पर 42.4 लाख रुपए खर्च किए गए। सन् 1959-60 के दौरान पब्लिक स्कूलों में नेशनल केडिट कोर के यूनिटों के खर्च को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अंशदान के रूप में 78,000 रुपए की रकम दी गई। वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर को अनुरक्षण के लिए 35,000 रु० दिए गए और सहायता अनदान के रूप में एंग्लो-इंडियन इंस्टीटूशन को 76,337 रुपए दिए गए।

हैदराबाद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश (केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान) में अंग्रेजी के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का काम जारी रहा। मई-जून, 1959 में उटकमंड में अंग्रेजी के अध्यापन से संबंधित एक सम्मेलन हुआ। संस्था को 4,70,000 रुपए की रकम देनी मंजूर की गई।

केंद्रीय शिक्षा संस्थान ने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखा। आलोच्य वर्ष में इसमें अप्रशिक्षित कला अध्यापकों के लिए कला के रीतिविज्ञान का त्रैमासिक गहन पाठ्यक्रम चालू किया गया।

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ् एजूकेशनल एण्ड वोकेशनल गाइडेंन्स (केन्द्रीय शिक्षा और व्यवसाय संदर्शन ब्यूरो) ने आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित कार्य किए :

(1) अनुसंधान : मनोवैज्ञानिक परीक्षण और उप-परीक्षणों का मानकीकरण किया गया और उनका प्रयोग किया गया।

(2) प्रशिक्षण : शैक्षिक और व्यावसायिक संदर्शन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम का एक सत्र जुलाई, 1958 से मई, 1959 तक चलाया गया। इसमें नौ उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पाया।

(3) क्षेत्रगत कार्यों की व्यवस्था : अपने विद्यार्थियों के लिए संदर्शन कार्यकलापों का आयोजन करने के संबंध में बहुत से उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों ने ब्यूरो की सहायता की। जिन विद्यार्थियों को 1955 में संदर्शन दिया गया था उनका अनुवर्ती कार्य उसके बाद तीसरे वर्ष में भी कराया गया।

(4) प्रकाशन : "योर चाइल्ड ऐट क्रौस रोड" नामक पुस्तिका का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया गया और उसकी प्रतियां राज्य ब्यूरो, शिक्षा निदेशालयों और प्रशिक्षण कालेजों को बांटी गईं। "गाइडेंस न्यूज" के तीन अंक तैयार किए गए और उसकी प्रतियां सरकारी और गैर-सरकारी संदर्शनालयों और दूसरी संस्थाओं को भेजी गईं।

सेन्ट्रल टेक्स्ट-बुक्स रिसर्च-ब्यूरो (केन्द्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो), नई दिल्ली ने तकनीकी सहकारिता मिशन के एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में लेखकों के लिए 9 मार्च से 18 अप्रैल, 1959 तक एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यगोष्ठी में आठ राज्यों के 15 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने दो पुस्तकें तैयार कीं—एक ग्रेड 6 के लिए सामान्य विज्ञान की और दूसरी ग्रेड–3 के लिए सामाजिक अध्ययन की। ब्यूरो ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के लिए एक समेकित, पाठ्य-विवरण तैयार किया, जो दिल्ली क्षेत्र के बुनियादी और गैर-बुनियादी दोनों ही प्रकार के स्कूलों के लिए था।

मुख्य विकास-कार्य

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

आंध्र प्रदेश

आलोच्य वर्ष में 17 हाईस्कूलों को बहुद्देशी या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिया गया। मूलभूत विषयों के अध्यापन में सुधार करने के लिए तैलंगाना क्षेत्र के 22 हाईस्कूलों को 2,20,000 रुपए की कीमत का फर्नीचर, साज-सामान और पुस्तकें आदि दी गयीं।

आंध्र और तैलंगाना क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों में एक कक्षा से दूसरी में तरक्की देने की पद्धति [illegible]संबंध में अलग-अलग नियम लागू थे। उन्हें संकलित करके उनके स्थान पर दोनों क्षेत्रों में नए [illegible]र सामान्य नियम लागू कर दिए गए। इन नियमों में यह व्यवस्था थी की अगली कक्षा में चढ़ते [illegible]मय छात्र द्वारा कक्षा में किया गया काम तथा उसकी वार्षिक परीक्षा का परिणाम, दोनों को [illegible]राबर महत्व दिया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 11 से 15 फरवरी, 1960 तक उस्मानिया विश्वविद्यालय में आयोजित बहुद्देशी विद्यालयों के मुख्याध्यापकों के प्रादेशिक सम्मेलन में नौ मुख्य अध्यापकों और मुख्य अध्यापिकाओं ने भाग लिया। फरवरी, 1960 में करनूल में एक राज्य सम्मेलन हुआ जिसमें उनतालीस मुख्यअध्यापकों, मुख्य अध्यापिकाओं और शैक्षिक अधिकारियों ने भाग लिया। विभाग की ओर से पैंतालीस अध्यापकों को विस्तार सेवा विभाग, शिक्षा कालेज (कालेज आफ् एजूकेशन), उस्मानियां विश्वविद्यालय द्वारा तारीख 15-10-1959 से आठ दिन के लिए आयोजित मिली-जुली कार्यगोष्ठी में भेजा गया। उच्चतर माध्यमिक और बहुद्देशी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के लिए काकीनाडे, कुडप्पा और हैदराबाद में विषय-संगोष्ठियां आयोजित की गईं।

तीसरी कक्षा (फार्म) तक निःशुल्क शिक्षा की योजना और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को शिक्षा-संबंधी रियायतें देने की योजना का और अधिक विस्तार किया गया। ये रियायतें आंध्र प्रदेश सरकार और स्थानीय निकायों के अराजपत्रित कर्मचारियों और सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के बच्चों को दी जाती हैं। आलोच्य वर्ष में रियायतों की ये योजनाएं तैलंगाना क्षेत्र में भी लागू कर दी गईं।

आसाम

हाईस्कूलों की उच्चतर माध्यमिक और बहुद्देशी विद्यालयों में बदलने का क्रमिक कार्यक्रम आलोच्य वर्ष में भी जारी रहा। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए अनेक कार्य किए गए, जैसे—वैज्ञानिक विषयों के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, मानव विद्याओं, विज्ञान, ललित कलाओं, कृषि और गृह-विज्ञान के उच्चतर अध्ययन के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाना और अध्यापकों को स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना।

माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने की योजना के अन्तर्गत बहुत से हाईस्कूलों और एम० ई० स्कूलों के पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने और शिक्षण-सामग्री खरीदने के लिए अनुदान दिए गए ताकि वे शिल्प संबंधी विषयों का अध्यापन चालू कर दें।

गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाकर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के बराबर कर दिया गया।

बिहार

गैर-सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतनमानों में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने 1.50 करोड़ रुपये मंजूर किए। गैर-सरकारी हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों और क्लर्कों के वेतनमानों को बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अपना 50 प्रतिशत अंशदान, अर्थात् 4 लाख रुपए भी दिए। गैर-सरकारी हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपकरण, साज-सामान आदि खरीदने के लिए 5 लाख का अनावर्ती अनुदान दिया गया, जबकि सरकारी बहुद्देशी विद्यालयों को इसी काम के लिए 4 लाख रुपए दिए गए।

सरकारी बहुद्देशी विद्यालयों के चार अध्यापकों को केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद में ध्वनिशास्त्र, अंग्रेजी की संरचना, अंग्रेजी पढ़ाने की विधि और साहित्यिक अर्थ-निर्णय का चार महीने का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया।

बम्बई

गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 1-11-1959 से अध्यापकों के लिए निम्नलिखित समान वेतनमान की मंजूरी दी गयी। राज्य के सभी क्षेत्रों के स्कूलों में यह वेतनमान लागू किया गया। यह मान माध्यमिक शिक्षा समेकन समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वीकार किया गया था।

अध्यापकवर्ग	संशोधित वेतनमान
1. प्रशिक्षित स्नातक (बी०ए०/बी०एस०सी० तथा बी०टी०)	120-5-170 द० रोक 8-250 द० ए० 10-300 रु०
2. प्रशिक्षित स्नातक (बी०ए०/बी०एस०सी०, एस०टी०सी० तथा टी०डी० या कण्डिंक्ली डी०पी०एड० सहित) और कला अध्यापक।	110-4-170 द० रोक 6-200 रु०
3. अप्रशिक्षित स्नातक . . .	100 रु० (नियत)
4. प्रशिक्षित मैट्रिक पास/इन्टरमीडीएट पास तथा ड्राइंग टीचर।	70-3-100 द० रोक 4-140-5-150 रु०
5. अप्रशिक्षित मैट्रिक पास/इन्टरमीडिएट पास	65 रु० (नियत)
6. एम०ए०/एम०एस०सी० (दूसरी श्रेणी) बी०टी०	150-7½-240 द० रोक 10-350 रु०

जम्मू व कश्मीर

उच्चतर माध्यमिक पद्धति शुरू करने की दिशा में, काम करने के लिए दस हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक पद्धति के स्कूलों में बदल दिया गया। प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बहुमुखी पाठ्यक्रम चालू किया गया। इसमें मानवविद्याएं, विज्ञान तथा कृषि, वाणिज्य, तकनीकी वर्ग तथा 'गृह विज्ञान' में से एक विषय वर्ग शामिल थे।

केरल

त्रिवेंद्रम, त्रिचूर और कालीकट में स्थित विस्तार विभागों द्वारा पुनश्चर्याओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन किया गया। आलोच्य वर्ष में शिक्षा-अधिनियम भी लागू किया गया। यह अधिनियम गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की नौकरी की दशाओं को सुधारने के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

मद्रास

माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, नई दिल्ली के सहयोग से मुख्य अध्यापकों, मुख्य-अध्यापिकाओं और अधिकारियों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आलोच्य वर्ष में (तमिल के) विषय-अध्यापकों के लिए एक संगोष्ठी भी की गई।

आठवीं से लेकर ग्यारहवीं कक्षा के उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए जो संशोधित पाठ्य-विवरण बनाया गया था उसे चौथे फार्म में लागू किया गया और उस कक्षा का नाम "फार्म" की जगह स्टैण्डर्ड VIII रख दिया गया। बहुमुखी पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत (I) कृषि (II) वस्त्र-प्राविधिकी और (III) इंजीनियरी के संशोधित पाठ्यविवरणों को भी आलोच्य वर्ष में सरकार ने स्वीकार कर लिया। संशोधित पाठ्य-विवरणों के आधार पर हिन्दी के अत्यन्त आवश्यक और बुनियादी शब्दों की सुची तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई।

विज्ञान के अध्यापन और मूलभूत विषयों के अध्यापन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्रमशः 8 और 54 स्कूलों को चुना गया। इसी प्रकार शिल्प का अध्यापन शुरू करने के लिए और पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने के लिए क्रमशः 36 और 108 स्कूल चुने गए। यद्यपि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम प्रायः प्रादेशिक भाषा ही थी, फिर भी कुछ विशेष मामलों में अंग्रेजी का प्रयोग हरेक कक्षा (फार्म) के एक या अधिक अनुभागों में या केवल एक ही विषय के माध्यम के रूप में करने के लिए विशष अनुमति दी गई थी।

मैसूर

माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को बहुमुखी बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत लड़कों का एक हाई स्कूल बहुद्दशी विद्यालय में बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त और हाई स्कूलों को साज-सामान खरीदने के लिए अनुदान देना भी मंजूर किया गया, ताकि वे बहुद्देशी विद्यालयों या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का रूप धारण कर सकें।

शिक्षा विभाग में एक "एजूकेशन एण्ड वोकेशनल गाइडेन्स ब्यूरो" (शिक्षा और व्यवसाय संदर्शन ब्यूरो) की स्थापना की गई।

उड़ीसा

पैंतीस हाईस्कूलों में शिल्प की शिक्षा शुरू की गयी। इन पैंतीस स्कूलों में से प्रत्येक को 3,200 रुपए शिल्प-गृह बनाने के लिए और 1,000 रुपए शिल्प-संबंधी सामान खरीदने के लिए दिए गए।

एक उत्तर-बुनियादी विद्यालय खोला गया और 26 हाई स्कूलों में नए अनुभाग खोल कर उनका विस्तार किया गया।

उड़ीसा की माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने एक 'एग्जामिनेशन रिसर्च ब्यूरो' (परीक्षा अनुसंधानालय) की स्थापना की। अनुसंधानालय को अनुसंधान करने तथा परीक्षा पद्धति में सुधार करने के संबंध में सिफारिशें करने का काम सौंपा गया।

सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी—इन तीनों विषयों की तीन पुनश्चर्याओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त एम०ई० स्कूलों के अध्यापकों के लिए अंग्रेजी के तीन नवप्रशिक्षण क्रमों का भी आयोजन किया गया। आर०एन० ट्रेनिंग कालेज में सामान्य विज्ञान की मूल्यांकन कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया।

पंजाब

तीस मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल स्तर में बदलने का लक्ष्य आलोच्य वर्ष में पूरा हुआ, और 33 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिया गया। हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान का साज-सामान, फर्नीचर तथा अन्य चीजें खरीदने के लिए अनुदान के रूप में 13,65,592 रुपए दिए गए। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या, साज-सामान और फर्नीचर में वृद्धि की गई। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों को कुल मिलाकर 3.46 लाख रुपए के अनुदान दिए गए।

राजस्थान

एक सौ सोलह प्राथमिक विद्यालयों को मिडिल स्कूलों में बदल दिया गया और 38 मिडिल स्कूलों को (जिन में लड़कियों के 2 स्कूल थे) समुन्नत करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदल दिया गया। चार स्कूलों को बहुद्देशी विद्यालयों में बदलने के लिए उन्हें 3,27,707 रुपए के अनुदान दिए गए। एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कृषि, तथा 3 उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों और 2 हाई स्कूलों में विज्ञान का शिक्षण शुरू किया गया इन विषयों के अतिरिक्त अध्यापक भी नियुक्त किए गए। जिन सात हाई स्कूलों में पिछले वर्ष दसवीं कक्षा शुरू की गई थी उनमें अधिक अध्यापकों की व्यवस्था की गई। वर्तमान हाईस्कूलों में से पांच की विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करने के लिए 10,000 रु० का अनुदान दिया गया। स्कूल पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने के लिए 20 हाई स्कूलों को 20,000 रुपए का अनुदान मंजूर किया गया।

व्यवसाय संदर्शन ब्यूरो में एक निदेशक की वियुक्ति की गई।

उत्तर प्रदेश

आलोच्य वर्ष में इंटरमीडियेट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1958 लागू किया गया। यह अधिनियम राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सुधार के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि इस में अध्यापकों के नौकरी की दशाओं को अच्छा करने और गैर-सरकारी स्कूलों के कु-शासन पर नियन्त्रण रखने की व्यवस्था थी।

हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परीक्षा परिषद् (बोर्ड) के परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों को परीक्षा अवधि में मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई। इसके फलस्वरूप अनुशासन बढ़ा और परिषद् की परीक्षाओं को शान्तिपूर्वक चलाने में सहायता मिली।

पांच सरकारी बहुद्देशी विद्यालयों में पांच योग्य और प्रशिक्षित स्कूल मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार इन मनोवैज्ञानिकों की कुल संख्या 20 हो गई। मनोविज्ञान केन्द्र (ब्यूरो आँफ साइकोलोजी) इलाहाबाद ने एक अनुसंधान परियोजना शुरू की जिसका उद्देश्य आठवीं कक्षा के पिछड़े हुए बच्चों पर ध्यान देना, उनके पिछड़े होने के कारणों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए अध्यापन-कार्यक्रम बनाना था।

पश्चिमी बंगाल

दसवीं कक्षा वाले चालीस स्कूलों को शुद्ध शैक्षिक (एकेडेमिक) विद्यालयों में बदल दिया गया और उनमें केवल मानव विद्याओं की कक्षाएं शुरू की गयीं। दसवीं कक्षा वाले 19 स्कूलों के लिए बहुमुखी पाठ्यक्रमों की मंजूरी दी गई। ग्यारहवीं कक्षा वाले 27 शुद्ध शैक्षिक विद्यालयों को बहुद्देशी विद्यालयों में बदल दिया गया। बहुमुखी पाठ्यक्रम वाले 24 बहुद्देशी विद्यालयों में और अधिक पाठ्यक्रम चलाने की मंजूरी दी गई। आलोच्य वर्ष में कुल मिलाकर 137 पाठ्यक्रमों के लिए मंजूरी दी गयी।

राज्य सरकार ने 'विज्ञान के शिक्षण के लिए सहायता' योजना के अन्तर्गत 54 स्कूलों के विकास के लिए और "मौजूदा स्कूलों में शिक्षण को सुधारने" की योजना के अन्तर्गत 95 स्कूलों के विकास के लिए कुल मिलाकर 36,09,375 रुपए के अनुदान मंजूर किए।

आलोच्य वर्ष में माध्यमिक स्कूलों के 28,000 अध्यापकों को संशोधित वेतनमानों का लाभ दिया गया। इस योजना पर कुल मिलाकर 24 लाख रुपए खर्च किए गए।

हाई स्कूलों के 45 मुख्य अध्यापकों ने आलोच्य वर्ष में आयोजित एक संगोष्ठी में भाग लिया।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

द्वीप के सरकारी हाई स्कूल को समुन्नत करके उसे उच्चतर माध्यमिक बहुद्देशी विद्यालय का रूप दे दिया गया और उसमें ग्यारहवीं कक्षा भी और जोड़ दी गई। लड़कियों के प्रवर बुनियादी विद्यालय (सीनियर बेसिक स्कूल) को समुन्नत करके उसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का रूप दे दिया गया और उसमें दसवीं कक्षा भी प्रारंभ कर दी गई। निकोबार के मिडिल स्कूल का स्तर बढ़ा कर उसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया।

दिल्ली

सोलह नये उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए। 4 मिडिल स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्तर का बना दिया गया तथा 33 (20 का प्रबंध सरकार तथा 13 का गैर-सरकारी संस्थाएं कर रही थीं) हाई स्कूलों की उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का रूप दे दिया गया। चालू स्कूलों में अनेक नये सेक्शन खोले गए ताकि छात्रों की बढ़ती हुई संख्या के अनुसार भर्ती करने की क्षमता भी बढायी जा सके।

हिमाचल प्रदेश

जिन 12 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के रूप में बदलने के लिए चुना गया था, उन्हें साज-सामान और विज्ञान के उपकरण दिये गए।

लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह

इस क्षेत्र के सर्व प्रथम हाई स्कूल में 1-6-1960 से काम शुरु हो गया। द्वीपसमूहों के विद्यार्थी भारत की मुख्य भूमि के स्कूलों में पहले की तरह पढ़ते रहे और उन्हें मिडिल स्कूलों, हाई स्कूलों में पढ़ने के लिए और शैक्षिक पाठ्यक्रमों तथा वृत्तिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए क्रमशः 30 रु०, 35 रु०, 50 रु० और 60 रु० की छात्रवृत्ति, और शिक्षाशुल्क दिए गए। आलोच्य वर्ष में इस प्रकार की छात्रवृत्तियां पाने वालों की संख्या 44 थी। इन विद्यार्थियों को 1959-60 से आगे मिडिल स्कूलों में पढ़ने के लिए 15 रु०, हाईस्कूल में पढ़ने के लिए 25 रु०, शैक्षिक (एकेडेमिक) पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए 35 रु० और वृत्तिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा पाने के लिए 45 रु० के एकमुश्त अनुदान भी दिए गए। इस पर कुल मिलाकर 29,203 रु० खर्च किए गए।

मणिपुर

सरकारी और सहायताप्राप्त स्कूलों में आठवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई।

लड़कियों के दो हाई स्कूलों और 61 मिडिल स्कूलों को क्षेत्रीय परिषद् के स्कूलों में बदल दिया गया। बीस हाई स्कूलों को फर्नीचर और साज-सामान खरीदने तथा इमारत बनाने के लिए दो लाख रुपये के अनावर्ती अनुदान दिए गए। एक हाईस्कूल और 18 मिडिल स्कूलों को 90 प्रतिशत के हिसाब से घाटा-पूर्ति अनुदान दिए गए।

माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों की सात अध्ययन यात्राओं और शैक्षिक पर्यटनों का आयोजन मनिपुर से बाहर के इलाकों में किया गया। आलोच्य वर्ष में छात्रवृत्तियों की संख्या करीब-करीब दुनी कर दी गयी।

त्रिपुरा

सामान्य शिक्षा के स्कूलों में आठवीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई।

आलोच्य वर्ष में लड़कियों के सात प्रवर बुनियादी विद्यालय (सीनियर बेसिक स्कूल) और एक हाई स्कूल खोले गए। एक मिडिल स्कूल में शिल्प की शिक्षा शुरू की गई।

बारह माध्यमिक स्कूलों को विज्ञान और वाणिज्य का साज-सामान खरीदने के लिए चौरासी हजार रुपए और सात स्कूलों को पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए 10,500 रुपए दिए गए। तीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अपनी इमारतों के नवीकरण के लिए 82,979 रुपए की रकम दी गई। पांच माध्यमिक स्कूलों को पांच रेडियो सेट दिए गए।

पांडिचेरी

पिछले वर्ष करिकल में जो मिडिल स्कूल खोला गया था उसे समुन्नत करके हाई स्कूल का रूप दे दिया गया और हाल ही में खोले गए 6 अधूरे हाई स्कूलों में एक उच्च कक्षा भी जोड़ दी गई। आलोच्य वर्ष में इनमें से एक स्कूल पूरे तौर पर हाई स्कूल बन गया।

स्कूलों की कक्षा-पद्धति

माध्यमिक शिक्षा के प्रायः दो स्तर होते हैं : मिडिल और हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक स्कूल। मिडिल शिक्षा मिडिल स्कूलों और हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की निचली कक्षाओं में दी जाती है और उच्च/उच्चतर शिक्षा हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और कुछ कालेजों की उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में दी जाती है।

सन् 1959-60 के दौरान मिडिल और हाईस्कूलों की कक्षाओं का अवधि-क्रम सभी राज्यों में एक जसा नहीं था। कुछ राज्यों में तो अलग-अलग क्षेत्रों में भी यह अवधि भिन्न-भिन्न थी। विभिन्न राज्यों में इन कक्षाओं के क्रमिक नाम और उनकी अवधि सारणी XXXVII में दिए गए हैं। मिडिल स्तर में प्रायः तीन कक्षाएं थीं। परन्तु कुछ राज्यों में इनमें दो और कुछ में चार कक्षाएं भी थीं। हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधिकांश राज्यों में चार कक्षाएं थीं। परन्तु एक राज्य में यह संख्या पांच थी और शेष कुछ राज्यों में दो या तीन भी थीं। माध्यमिक स्कूल का पूरा पाठ्यक्रम एक राज्य में आठ वर्ष का, आठ राज्यों में सात वर्ष का और 9 राज्यों में 6 वर्ष का था।

प्रशासन और नियंत्रण

माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध आलोच्य वर्ष में भी निम्नलिखित तीन में से एक संस्था कर रही थी, (1) सरकार—(केन्द्रीय और राज्य सरकारें), (2) स्थानीय परिषदें (क्षेत्रीय परिषदें और पंचायत तथा जिला परिषदों सहित) और (3) गैर-सरकारी संस्थाएं (सहायता-प्राप्त और जिन्हें सहायता नहीं दी जाती थीं)। अनेक हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का प्रबंध गैर-सरकारी (सहायता-प्राप्त) संस्थाएं कर रही थीं, जबकि अधिकांश मिडिल स्कूलों का प्रबंध स्थानीय परिषदें कर रही थीं। गैर-सरकारी स्कूलों पर भी किसी-न-किसी हद तक सरकारी संस्थाओं जैसे—राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, परिषदों (बोर्डों) आदि, का नियंत्रण था; अर्थात् शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देना, उनका निरीक्षण करना, उन्हें सहायता/अनुदान देना और सार्वजनिक परीक्षाएं कराना आदि काम उक्त शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालयों आदि के हाथ में था।

अध्यापकों के वेतनमान

आलोच्य वर्ष में आसाम के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान में वृद्धि की गयी; अर्थात् गैर-सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतनमान बढ़ाकर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन मान के बराबर कर दिया गया। बिहार में भी मिडिल और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमान को बढ़ाने के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए गए।

सारणी XXXVII—माध्यमिक स्तर पर स्कूल की कक्षा पद्धति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मिडिल स्तर		उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर		माध्यमिक स्तर की अवधि
	कक्षाओं के नाम	अवधि (वर्षों में)	कक्षाओं के नाम	अवधि (वर्षों में)	
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	VI, VII, VIII	3	IX, X, XI, XII	4	7
आसाम	IV, V, और VI	3	VII, VIII, IX और X	4	7
बिहार	VI और VII	2	VIII, IX, X और XI	4	6
बम्बई					
पुराना बम्बई क्षेत्र	V, VI और VII	3	VIII, IX, X और XI	4	7
पुराना मध्य प्रदेश	V, VI, VII और VIII	4	IX, X और XI	3	7
पुराना हैद्राबाद क्षेत्र (मराठवाडा प्रदेश)	V, VI और VII	3	VIII, IX और X	3	6
पुराना कच्छ क्षेत्र	V, VI और VII	3	VIII, IX, X और XI	4	7
जम्मू और कश्मीर	VI, VII और VIII	3	IX और X	2	5
केरल	स्टैण्डर्ड V, VI और VII	3	स्टैण्डर्ड VIII, IX, X और XI	4	7
मध्य प्रदेश	VI, VII और VIII	3	IX, X और XI	3	6
मद्रास	माध्यमिक विद्यालयों के फार्म I, II और III/उच्चतर प्रारंभिक विद्यालयो के स्टैण्डर्ड VI, VII और VIII	3	फार्म IV, V और VI	3	6

1	2	3	4	5	6
मैसूर					
पुराना मैसूर राज्य क्षेत्र					
सिविल क्षेत्रों और विलारी क्षेत्रों में	फार्म I, II और III	3	फार्म IV, V और VI	3	6
अन्य क्षेत्र	कक्षा I, II, III और IV	4	कक्षा I, II और III	3	7
पुराना बम्बई राज्य क्षेत्र	V, VI और VII	3	VIII, IX, X और XI	4	7
पुराना मद्रास राज्य और कुर्ग क्षेत्र	माध्यमिक विद्यालयों के फार्म I, II और III/उच्चतर प्रारंभिक विद्यालयों के स्टेन्डर्ड VI, VII और VIII	3	फार्म IV, V और VI	3	6
पुराना हैद्राबाद क्षेत्र	V, VI और VII	3	VIII, IX, X और XI	4	7
उड़ीसा	VI और VII	2	VIII, IX, X, XI, XII	5	7
पंजाब	VI, VII और VIII	3	IX और X	2	5
राजस्थान	VI, VII और VIII	3	IX, X और XI	3	6
उत्तर प्रदेश	VI, VII और VIII	3	IX और X	2	5
पश्चिमी बंगाल	V, VI, VII और VIII	4	IX, X और XI	3	7
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	VI, VII और VIII	3	IX, X, और XI	3	6
दिल्ली	VI, VII और VIII	3	IX, X और XI	3	6
हिमाचल प्रदेश	VI, VII और VIII	3	IX और X	2	5
लक्का-दीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	VI, VII और VIII	3	..	..	3
मनिपुर	III, IV, V, VI	4	VII, VIII, IX और X	4	8
उपूसी (नेफा)	IV, V और VI	3	VII, VIII, IX और X	4	7
पांडिचेरी	फार्म I, II और III	3	फार्म IV, V और VI	3	6
त्रिपुरा	VI, VII और VIII	3	IX, X और XI	3	6

सारणी XXXVIII—सरकारी मिडिल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकोंके न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान

राज्य संघ/राज्यक्षेत्र	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम वेतन पाने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या
1	2	3	4
उत्तर प्रदेश . .	25	45	20
उड़ीसा . .	34	44	10
केरल . .	40	120	17
मैसूर . .	40	80	15
आंध्र . .	45	120	25
बिहार . .	45	75	15
मध्य प्रदेश . .	45	80	17
मद्रास . .	45	90	20
महाराष्ट्र . .	45	80	17
पांडिचेरी . .	45	90	20
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	50	90	15
राजस्थान . .	50	75	10
गुजरात . .	52	130	22
जम्मू और कश्मीर .	55	120	12
पश्चिमी बंगाल .	55	130	24
आसाम . .	60	100	18
हिमाचल प्रदेश .	60	120	13
मनिपुर . .	60	115	13
पंजाब . .	60	120	14
दिल्ली . .	68	170	23
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह .	68	170	23
त्रिपुरा . .	70	130	19
उपूसी (नेफ़ा) .	75	125	15

सारणी XXXIX—सरकारी हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकोंके न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान

राज्यसंघ/राज्यक्षेत्र	न्यूनतम	अधिकतम	अधिकतम वेतन पाने के लिये आवश्यक वर्षों की संख्या
1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर .	70	90	4
गुजरात . .	75	200	21
महाराष्ट्र . .	75	200	21
केरल . .	80	165	14
मद्रास . .	85	175	13
मैसूर . .	85	200	16
पांडिचेरी . .	85	175	13
आंध्र . .	90	200	20
बिहार . .	100	190	16
त्रिपुरा . .	100	225	24
पश्चिमी बंगाल .	100	225	24
हिमाचल प्रदेश .	110	250	16
मध्य प्रदेश . .	110	200	20
पंजाब . .	110	250	16
राजस्थान . .	110	225	14
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	120	300	20
दिल्ली . .	120	300	20
उड़ीसा . .	120	250	17
उत्तर प्रदेश . .	120	300	20
मनिपुर . .	125	275	17
उपूसी (नेफा) .	125	275	17
मनिपुर . .	125	275	17
आसाम . .	140	275	15

केवल प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का वेतनमान दिखाया गया है।

सारणी XL—सार्वजनिक परीक्षाएं

संघ/राज्य क्षेत्र	उस अन्तिम कक्षा का नाम जिसके बाद सार्वजनिक परीक्षा होती है	सार्वजनिक परीक्षा
1	2	3
आंध्र प्रदेश . .	*कक्षा VIII	प्रारंभिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
पुराना आंध्र* .	,, XI	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
पुराना हैदराबाद .	,, XII	उच्चतर माध्यमिक और बहुद्देशी स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	,, XI	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	,, XII	उच्चतर माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	,, VI	मिडिल स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
आसाम . .	,, X	मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा
	,, XI	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
बिहार . .	,, XI	(विशिष्ट) उच्चतर माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
गुजरात . .	,, VII	प्राथमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना बम्बई .	,, XI	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	,, VII	शालान्त या प्राथमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना सौराष्ट्र .	,, XI	माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना कच्छ राज्य .	,, XI	माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
जम्मू व कश्मीर .	,, VIII	मिडिल स्कूल प्रमाणपत्र
	,, X	मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा
केरल . .	स्टेंडर्ड X	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
मध्य प्रदेश		
पुराना भोपाल राज्य .	कक्षा VIII	मिडिल स्कूल प्रमाणपत्र
	,, X	हाई स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना मध्य प्रदेश .	,, X	माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना विंध्य प्रदेश .	,, X	मिडिल स्कूल प्रमाणपत्र
मद्रास . .	,, VIII	प्रारंभिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	फार्म VI	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र

सारणी XL—सार्वजनिक परीक्षाएं (जारी)

1	2	3
महाराष्ट्र . .	कक्षा VIII	प्राथमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना बम्बई .	,, XI	माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना मध्यप्रदेश .	,, X	माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
	,, XI	उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना हैदराबाद .	,, X	माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
मैसूर		
पुराना मैसूर राज्य .	,, VI	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
पुराना बम्बई राज्य .	,, VII	प्राथमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पुराना मद्रास राज्य .	स्टैंडर्ड VIII	प्रारंभिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	फार्म VI	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
पुराना हैदराबाद राज्य	कक्षा X	माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
	फार्म III	कॉमन ऐंट्रेंस परीक्षा
पुराना कुर्ग राज्य .	,, VI	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
उड़ीसा . .	कक्षा VII	मिडिल स्कूल छात्रवृत्ति परीक्षा
	,, VII	मिडिल स्कूल कॉमन परीक्षा
	,, XI	हाई स्कूल प्रमाणपत्र
पंजाब . .	,, X	मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा
राजस्थान . .	,, X	मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा
	,, XI	उच्चतर माध्यमिक स्कूल परीक्षा
उत्तर प्रदेश . .	,, VIII	जूनियर हाईस्कूल प्रमाणपत्र
	,, X	हाई स्कूल प्रमाणपत्र और हाई स्कूल तकनीकी प्रमाणपत्र
पश्चिमी बंगाल .	,, VI	लड़कियों के लिए केन्द्रीय परीक्षा
	,, X	हाई स्कूल प्रमाणपत्र
	,, XI	उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कक्षा X	हाई स्कूल प्रमाणपत्र
दिल्ली . .	,, X	हाई स्कूल प्रमाणपत्र
	,, XI	उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
हिमाचल प्रदेश .	,, VIII	मिडिल स्कूल प्रमाणपत्र
	,, X	मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा

सारणी XL—सार्वजनिक परीक्षाएं (जारी)

1	2	3
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह		
मनिपुर . .	कक्षा VI	मिडिल स्कूल प्रमाणपत्र
	,, X	मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा
	,, VI	मिडिल स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
उपूसी (नेफ़ा) .	,, X	मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा
त्रिपुरा . .	,, X	हाई स्कूल प्रमाणपत्र
	,, XI	उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
पांडिचेरी . .	7वां स्टैण्डर्ड	प्राथमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	3 ईम एने (तमिल स्कूल)	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	7 ईम (फ्रेंच स्कूल)	प्राथमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	कक्षा 3 ईम (फ्रेंच स्कूल)	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
	फार्म VI (इंग्लिश स्कूल)	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र

अध्यापकों की योग्यताओं के अनुसार उनके वेतनमान का ब्योरा इस रिपोर्ट के खंड II के परिशिष्ट "ग" और "घ" में दिया गया है। सारणी 38 और 39 में सरकारी मिडिल और हाई स्कूल के प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम वेतनों का उल्लेख किया गया है। राज्यों का वर्गीकरण उनके द्वारा दिए जाने वाले प्रारम्भिक वेतन के आधार पर किया गया है।

सार्वजनिक परीक्षाएं

सारणी 40 में 1959-60 के दौरान विभिन्न राज्यों में ली गई माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षाओं और उन अन्तिम कक्षाओं के नाम आदि का ब्यौरा दिया गया है जिनके बाद ये परीक्षाएं होती थी। मोटे तौर-पर तीन सार्वजनिक परीक्षाएं थीं—(1) मिडिल स्कूल की अन्तिम प्रमाण-पत्र परीक्षा जो प्राय: आठवीं कक्षा (फार्म III) के बाद होती थी और कुछ राज्यों में सातवीं कक्षा के बाद होती थी, (2) माध्यमिक स्कूल की अन्तिम प्रमाणपत्र (लीविंग सर्टीफिकेट) परीक्षा (या मट्रिक्यूलेशन परीक्षा) जो दसवीं कक्षा (फार्म VI) के बाद और कहीं-कहीं ग्यारहवीं कक्षा के बाद होती थी, और (3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की अन्तिम प्रमाणपत्र परीक्षा, जो प्राय: ग्यारहवीं कक्षा के बाद होती थीं। अधिकांश क्षेत्र के माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों ने प्राय: दो ही प्रकार की परीक्षाएं दी—(1) मिडिल स्तर की और (2) हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्तर की।

हिन्दी का शिक्षण

आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों में हिन्दी के अनिवार्य और गौणविषय के रूप में पढ़ाये जाने की स्थिति सारणी 41 में दी गई है। सारणी से यह पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर और मद्रास को छोड़ कर शेष सभी राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती रही। इन तीनों राज्यों/राज्य-क्षेत्रों में हिन्दी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी।

सारणी XLI–हिन्दी का शिक्षण

राज्य संघ/राज्यक्षेत्र	उन कक्षाओं के नाम जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती है	
	अनिवार्य विषय के रूप में	ऐच्छिक विषय के रूप में
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
पुराने आंध्र राज्य का क्षेत्र	छठी से ग्यारहवीं तक	
पुराने हैदराबाद राज्य का क्षेत्र	(1) जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा हिन्दी है उनके लिए सभी कक्षाओं में	
	(2) अन्य विद्यार्थियों के लिए चौथी से बारहवीं कक्षा तक	
आसाम . .	चौथी से दसवीं तक	
बिहार . . .	(1) जिन स्कूलों में हिन्दी माध्यम है उन में पहली से ग्यारहवीं कक्षा तक	
	(2) अन्य स्कूलों में चौथी से ग्यारहवीं कक्षा तक	
गुजरात		
(1-5-1960 को) .	(1) जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है वहां सभी कक्षाओं में	
	(2) अन्य स्कूलों में कक्षा पांच से ग्यारह तक	छठी से आठवी तक
जम्मू व कश्मीर .	..	
केरल . .	छठे स्टैंडर्ड से ग्यारहवें तक	
मध्य प्रदेश . .	(1) जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है वहां पहली से ग्यारहवीं कक्षा तक	
	(2) अन्य स्कूलों में पांचवी से ग्यारहवीं कक्षा तक	

सारणी XLI—हिन्दी का शिक्षण (जारी)

1	2	3
मद्रास . .	..	I से VI तक
महाराष्ट्र (1–5–1960)		
पुराने बम्बई राज्य का क्षेत्र	(1) जिन स्कूलों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी है वहां सभी कक्षाओं में	
	(2) अन्य स्कूलों में कक्षा पांचवीं से ग्यारहवीं तक	
पुराने मध्य प्रदेश का क्षेत्र	(1) जिन स्कूलों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी है वहां सभी कक्षाओं में	
	(2) अन्य स्कूलों में कक्षा पांच से ग्यारह तक	
पुराने हैदराबाद राज्य का क्षेत्र (मराठवाड़ा प्रदेश)	(1) जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है उनके लिए तीसरी से दसवीं तक	
	(2) अन्य विद्यार्थियों के लिए सभी कक्षाओं में	
मैसूर		
असैनिक क्षेत्र और बेलारी जिला	फार्म III से VI (हाई स्टेज)	फार्म I से II (मिडिल स्टेज)
अन्य क्षेत्र . .	आठवीं से दसवीं कक्षा तक (हाई स्टेज)	छठी से सातवीं (मिडिल स्टेज)
पुराने बम्बई राज्य के क्षेत्र (कर्नाटक प्रदेश)	प्रादेशिक भाषा न लेने वालों के लिए पांचवी से सातवीं कक्षा तक	आठवीं से ग्यारहवीं तक
पुराने हैदराबाद प्रदेश के क्षेत्र (कर्नाटक)	तीसरी से दसवीं तक	
पुराने कुर्ग राज्य के क्षेत्र .	फार्म I से VI तक (मिडिल और हाई स्टेज)	
उड़ीसा . .	छठी से नवीं कक्षा तक	दसवीं और ग्यारहवी कक्षाएं
पंजाब		
हिन्दी प्रदेश .	(1) पहली से आठवीं कक्षा तक	नवीं और दसवीं कक्षाएं
पंजाबी प्रदेश .	(2) चौथी से आठवीं कक्षा तक	

सारणी XLI—हिन्दी का शिक्षण (जारी)

1	2	3
पुराना पेप्सू राज्य :		
हिन्दी प्रदेश .	(1) पहली से आठवीं तक .	नवीं और दसवीं कक्षाएं
पंजाबी प्रदेश .	(2) तीसरी से आठवीं कक्षा तक	
राजस्थान .	(1) जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा हिन्दी है उनके लिए सभी कक्षाओं में	
	(2) अन्य स्कूलों में तीसरी से ग्यारहवीं कक्षा तक	
उत्तर प्रदेश . .	(1) जिन स्कूलों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी है वहां सभी कक्षाओं में	
	(2) अन्य स्कूलों में छठीं से बारहवीं तक	
पश्चिमी बंगाल .	पांचवीं से छठीं तक	सातवी से ग्यारहवीं कक्षा तक
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह .	(1) जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा हिन्दी है उनके लिए सभी कक्षाओं में	नवीं से ग्यारहवीं कला
	(2) अन्य विद्यार्थियों के लिए तीसरी से आठवीं कक्षा तक	
दिल्ली . .	पहली से आठवीं कक्षा तक .	नवीं से ग्यारहवीं का। तक
हिमाचल प्रदेश .	सभी कक्षाओं में	
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	सातवीं कक्षा तक	
मनिपुर . .	तीसरी से आठवीं कक्षा तक	नवीं और दसवीं कक्षाएं
त्रिपुरा . .	छठी से आठवीं कक्षा तक	नवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक
उपूसी (नफ़ा) .	पहली से आठवीं कक्षा तक	नवीं और दसवीं कक्षाएं तक
पांडिचेरी . .	आठवीं से दसवी तक	फार्म I से III तक

हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों की सभी कक्षाओं में हिन्दी अनिवार्य विषय थी, जबकि दूसरे स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई प्राय: मिडिल स्तर पर शुरू कर के माध्यमिक स्तर के अन्त तक की जाती थी। परन्तु कुछ क्षेत्रों में हिन्दी हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में केवल वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी।

अंग्रेजी का शिक्षण

विभिन्न राज्यों में माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की स्थिति सारणी XLII में दी गई है। इससे ज्ञात होगा कि देश के विभिन्न भागों में इस संबन्ध में अलग-अलग स्थिति थी। उदाहरणार्थ, पूर्ण-विकसित माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी 3 से लेकर 7 या 8 वर्ष तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती थी। अंग्रेजी का अध्यापन प्राय: मिडिल कक्षाओं से शुरू किया जाता था।

मिडिल स्कूल

सन् 1959-60 में मिडिल स्कूलों की कुल संख्या बढ़कर 41921 (लड़कों के 37865 और लड़कियों के 4056) हो गई। 1958-59 में यह संख्या 39597 (लड़कों के 35835 और लड़कियों के 3762) थी। इस से पता चलता है कि आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों की संख्या में 5.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष यह 46.6 प्रतिशत थी। इनमें 13554 प्रवर बुनियादी विद्यालय भी शामिल हैं, जिनमें 12,252 लड़कों के लिए और 1302 लड़कियों के लिए थे। प्रबंध-संस्थाओं की दृष्टि से मिडिल स्कूलों का विभाजन नीचे सारणी XLII में दिया जा रहा है।

सारणी XLII—अंग्रेजी का शिक्षण

कक्षाओं का नाम जिसमें अंग्रेजी का अध्यापन अनिवार्य है	कक्षाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	
उच्चतर माध्यमिक स्कूल :	
छठी से बारहवीं कक्षा तक	7
आसाम	
चौथी से ग्यारहवीं कक्षा तक	8
बिहार	
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	
छठीं से ग्यारहवीं तक	6
गुजरात (1-5-1960)	
उत्तर बुनियादी स्कूल—नवीं से बारहवीं कक्षा तक . . .	4
पुराना बम्बई क्षेत्र—आठवी से दसवीं कक्षा तक . . .	3
पुराना कच्छ क्षेत्र—सातवीं से दसवीं कक्षा तक . . .	4
जम्मू व कश्मीर	
लड़कों के लिए	
छठी से ग्यारहवीं कक्षा तक	6
लड़कियों के लिए	
नवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक	3

सारणी XLII—अंग्रेजी का शिक्षण—(जारी)

1	2
केरल	
पांचवी से ग्यारहवी कक्षा तक	7
मध्य प्रदेश	
छठीं से ग्यारहवीं कक्षा तक	6
मद्रास	
माध्यमिक स्कूल—पहले से छठे फार्म तक	6
उत्तर-बुनियादी स्कूल—नवीं से ग्यारहीं कक्षा तक . . .	3
महाराष्ट्र (1–5–1960)	
पुराना बम्बई—आठवीं से दसवीं कक्षा तक . . .	3
पुराना मध्य प्रदेश क्षेत्र—पांचवीं से ग्यारहवीं तक . . .	7
पुराना हैदराबाद क्षेत्र—पांचवीं से दसवीं कक्षा तक . . .	6
मैसूर	
पुराना मैसूर—पहले से छठे फार्म तक	6
पुराना बम्बई—पांचवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक . . .	7
पुराना मद्रास—पहले से छठे फार्म तक (शुद्ध शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए ही)	6
पुराना हैदराबाद —पांच से दसवीं कक्षा तक . . .	6
पुराना कुर्ग—पहले से छठे फार्म तक	6
उड़ीसा	
माध्यमिक स्कूल—छठीं से ग्यारहवीं कक्षा तक . .	6
उच्चतर माध्यमिक स्कूल—आठवीं से बारहवीं कक्षा तक . .	5
राजस्थान	
छठीं से ग्यारहवीं कक्षा तक	
पंजाब	
माध्यमिक स्कूल—छठीं से दसवीं कक्षा तक . . .	5
उत्तर प्रदेश	
हाई स्कूल—नवीं से बारहवीं कक्षा तक	4
पश्चिमी बंगाल	
पांचवी से ग्यारहवीं कक्षा तक	7
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
उच्चतर माध्यमिक स्कूल—छठीं से ग्यारहवीं कक्षा तक . .	6
बुनियादी स्कूल—चौथी से पांचवीं कक्षा तक . . .	2

सारणी XLII—अंग्रेजी का शिक्षण—(जारी)

1	2
दिल्ली	
उच्चतर माध्यमिक स्कूल—छठी से ग्यारहवीं कक्षा तक (ग्रामीण क्षेत्र के सीनियर बुनियादी स्कूलों को छोड़कर)	6
हिमाचल प्रदेश	
छठी से दसवीं कक्षा तक	5
लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप-समूह	
छठी से सातवीं कक्षा तक	2
मणिपुर	
तीसरी से दसवीं कक्षा तक	8
उपूसी (नेफ़ा)	
चौथी से दसवीं कक्षा तक	7
त्रिपुरा	
पांचवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक	7
पांडिचेरी	
अंग्रेजी स्कूल—पहली से ग्यारहवीं कक्षा तक	11
फ्रेंच स्कूल—छठी से ग्यारहवीं कक्षा तक	6
तमिल स्कूल—पांचवीं से दसवें स्टैण्डर्ड तक . . .	6

सारणी XLIII—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या

प्रबंध-संख्या	1958-59		1959-60	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सरकार . .	7,314	18.5	7,307	17.4
जिला परिषद् .	18,980	47.9	20,547	49.0
नगरपालिका . .	2,011	5.1	2,209	5.3
गैर-सरकारी संस्थाएं :				
सहायता-प्राप्त .	8,623	21.8	8,958	21.4
बिना-सहायता प्राप्त .	2,669	6.7	2,900	6.9
जोड़ .	39,597	100.0	41,921	100.0

सरकारी स्कूलों मे 0.1 प्रतिशत कमी आ गयी। परंतु जिला परिषदों के स्कूलों में 8.3 प्रतिशत, नगर-पालिका के स्कूलों में 9.8 प्रतिशत, सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों में 3.9 प्रतिशत और बिना सहायता वाले गैरसरकारी स्कूलों में 8.7 प्रतिशत वृध्दि हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल स्कूलों की संख्या आलोच्य वर्ष में 32,182 से बढ़ कर 3,4050 हो गई। यह संख्या भारत के सभी मिडिल स्कूलों की कुल संख्या का 81.2 प्रतिशत थी, जबकि गत वर्ष यह 81.3 प्रतिशत थी।

सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न राज्यों में जितने मिडिल स्कूल थे, उनकी राज्यवार संख्या सारणी XLIV में दी गई है। इससे पता चलता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में मिडिल स्कूलों की संख्या बढ़ गई। राज्यों में, इन स्कूलों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि बम्बई में (532) हुई। इसके बाद क्रमशः इनके नाम आते हैं: बिहार (272), मध्यप्रदेश (258), जम्मू और कश्मीर (165), उड़ीसा (165), पश्चिमी बंगाल (159), राजस्थान (116), मद्रास (111) और उत्तर प्रदेश (104)। अन्य राज्यों में इनकी वृद्धि की संख्या 87 (मैसूर) और 4 (पंजाब) के बीच रही। संघ राज्य क्षेत्रों में मनिपुर में सबसे अधिक वृद्धि (128) हुई। इसके बाद क्रमशः दिल्ली (31), हिमाचल प्रदेश (15), और पांडिचेरी (4) के नाम आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मिडिल स्कूलों की संख्या में कमी हो जाने का कारण यह था कि वहाँ एक मिडिल स्कूल को समुन्नत करके उसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का रूप दे दिया गया था। त्रिपुरा की संख्या में कमी होने का कारण यह था कि वहां कुछ बिना सहायता वाले मिडिल स्कूलों को बंद कर दिया गया और एक मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना दिया गया। मनिपुर में इन स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि इसलिए हुई कि वहां उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नये सिरे से मिडिल स्कूलों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था।

सारणी XLIV में विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा चलाये जाये वाले मिडिल स्कूलों का अनुपात दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि लक्कादिव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह और उपूसी (नेफा) में सभी स्कूलों को और नीचे लिखे राज्यों के पचास प्रतिशत से अधिक स्कूलों को सरकार चला रही थी: जम्मू और कश्मीर (96.5 प्रतिशत), पंजाब (89.1 प्रतिशत,) राजस्थान (87.0 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (66.7 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (58.1 प्रतिशत), और पांडिचेरी (57.8 प्रतिशत)। जम्मू और कश्मीर, केरल, अन्डमाव और निकोबार द्वीपसमूह, ल० मि० और अ० द्वीपसमूह, उपूसी (नेफा) तथा पाण्डिचेरी में स्थानीय परिषदों का कोई भी मिडिल स्कूल नहीं था। किन्तु बम्बई (92.2 प्रतिशत) हिमाचल प्रदेश (84.6 प्रतिशत), दिल्ली (73.9 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (66.2 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (63.1 प्रतिशत), त्रिपुरा (58.9 प्रतिशत), मनिपुर (55.4 प्रतिशत), और मैसूर (50.0 प्रतिशत) में अधिकांश मिडिल स्कूल स्थानीय परिषदों द्वारा ही चलाये जा रहे थे। ऊपर विभिन्न राज्यों के नामों के आगे इन स्कूलों का प्रतिशत दे दिया गया है। आसाम, केरल, मद्रास, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में गैर-सरकारी स्कूलों की अधिकता थी।

छात्र

आलोच्य वर्ष में मिडिल स्कूलों (प्रवर बनियादी विद्यालयों सहित) में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में 7,16,286 की वृद्धि होने से, इनकी कुल संख्या 88,85,790 (61,00,907 लड़के और 27,84,883 लड़कियां) हो गई। इस प्रकार इनकी संख्या में 8.8 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष यह वृद्धि 61.5 प्रतिशत थी। इससे यह पता चलता है कि आलोच्य वर्ष में छात्रों की संख्या मिडिल स्कूलों की संख्या की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी। मिडिल स्कूलों की संख्या में केवल 5.9 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इन स्कूलों में कुल मिलाकर भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में से 29,91,284 छात्र (21,52,300 लड़के और 8,38,983 लड़कियां) प्रवर बुनियादी विद्यालयों में पढ़ रहे थे। इनके ब्योरेवार आंकड़े चौथे अध्याय में दिए गए हैं।

विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की छात्रों की संख्या का विभाजन नीचे दिया जा रहा है :—

प्रबंध-संस्था	1958–59 संख्या	1958–59 प्रतिशत	1959–60 संख्या	1959–60 प्रतिशत
सरकार .	16,25,091	19.9	16,59,025	18.7
जिला परिषद् .	35,74,531	43.8	40,04,372	45.1
नगरपालिका .	9,89,563	12.1	10,89,177	12.2
गैर-सरकारी संस्थाएं:—				
सहायता-प्राप्त	17,15,304	21.0	18,28,468	20.6
बिना सहायता वाली	2,65,015	3.2	3,04,748	3.4
जोड़ .	81,69,504	100.0	88,85,790	100.0

सभी प्रबंध-संस्थाओं के स्कूलों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। विभिन्न स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि इस प्रकार हुई: सरकारी स्कूल 2.1 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों के स्कूल 11·6 प्रतिशत और गैर-सरकारी स्कूल 7.7 प्रतिशत।

मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की संख्या 61,52,796 (45,07,095 लड़के और 16,45,701 लड़कियां) थी। यह संख्या कुल मिडिल स्कूलों में भर्ती छात्रों की संख्या का 69.2 प्रतिशत थी। सन् 1958-59 में मिडिल स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की संख्या 54,47,241 (40,30,576 लड़के और 14,16,665 लड़कियां) या मिडिल स्कूलों की कुल छात्र-संख्या का 66.8 प्रतिशत थी।

सन् 1958-59 और 1959-60 में मिडिल स्कूलों के छात्रों का राज्यवार विभाजन सारणी XLV में दिया गया है। इससे पता चलता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा त्रिपुरा को छोड़कर आलोच्य वर्ष में शेष सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के स्कूलों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा त्रिपुरा में छात्रों की संख्या के कम हो जाने का कारण वहां स्कूलों आदि की संख्या में कमी हो जाना था। राज्यों में, सबसे अधिक वृद्धि बम्बई (2,69,937) में हुई। इसके बाद बिहार (96,704) और मद्रास (58,656) के नाम आते हैं। शेष राज्यों में से प्रत्येक में छात्रों की संख्या में 50,000 से कम ही हुई। इस मामले में संघ राज्यों में दिल्ली में सबसे अधिक और उपूसी (नेफा) में सबसे कम वृद्धि हुई। प्रतिशत-आधार पर राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि उड़ीसा में (16.5 प्रतिशत) और सबसे कम जम्मू व काश्मीर में (3.9 प्रतिशत) हुई। संघ राज्य-क्षेत्रों में दिल्ली (48.0 प्रतिशत) में सबसे अधिक और उपूसी (नेफा) में क्रमशः सबसे कम (3·6 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

सारणी XLIV—मिडिल स्कूलों की राज्य वार संख्या

राज्य		लड़कों के लिए 1958-59	लड़कों के लिए 1959-60	लड़कियों के लिए 1958-59	लड़कियों के लिए 1959-60	जोड़ 1958-59	जोड़ 1959-60
1		2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश		661	711	83	106	744	817
आसाम		1,394	1,481	149	148	1,543	1,629
बिहार		3,675	3,922	193	218	3,868	4,140
बम्बई	महाराष्ट्र	13,139	8,148	1,225	634	14,364	8,782
	गुजरात	*	5,474	*	640	*	6,114
जम्मू और कश्मीर		242	386	50	71	292	457
केरल		1,876	1,904	22	19	1,898	1,923
मध्य प्रदेश		1,688	1,940	208	214	1,896	2,154
मद्रास		2,722	2,832	14	15	2,736	2,847

*महाराष्ट्र के आगे दिखाए गए आंकड़े में शामिल है।

सारणी XLIV—मिडिल स्कूलों की राज्यवार संख्या—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7
मैसूर	1,860	1,941	236	242	2,096	2,183
उड़ीसा	882	1,031	64	80	946	1,111
पंजाब	1,021	1,027	337	335	1,358	1,362
राजस्थान	971	1,064	169	192	1,140	1,256
उत्तर प्रदेश	3,462	3,540	618	644	4,080	4,184
पश्चिमी बंगाल	1,744	1,830	299	372	2,043	2,202
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	1	..	4	3
दिल्ली	75	83	47	70	122	153
हिमाचल प्रदेश	131	147	10	9	141	156
लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीप समूह	4	4	..	..	4	4
मनिपुर	171	293	15	21	186	314
उपूसी (नेफ़ा)	12	12	..	..	12	12
त्रिपुरा	78	68	5	5	83	73
पांडिचेरी	24	24	17	21	41	45
भारत	35,835	37,865	3,762	4,056	39,597	41,921

सारणी XLIV—मिडिल स्कूलों की राज्यवार संख्या—(जारी)

राज्य	(+) वृद्धि या (—) कमी		विभिन्न प्रबंध संस्थाओ के मिडिल स्कूलों की प्रतिशत संख्या				
	संख्या	प्रतिशत	सरकार	जिला परिषद	नगर-पालिका	गैर-सरकारी संस्थाएं — सहायता प्राप्त	गैर-सरकारी संस्थाएं — बिना सहायता वाली
1	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश	+ 73	9.8	15.8	62.9	3.3	16.4	1.6
आसाम	+ 86	5.6	7.6	33.6	0.2	47.3	11.3
बिहार	+272	+ 7.0	13.6	35.7	2.1	31.3	17.3
बम्बई { महाराष्ट्र	+532	+ 3.7	3.3	79.7	12.5	3.8	0.7
बम्बई { गुजरात	..	..	1.5	86.0	7.2	4.0	1.3
जम्मू और कश्मीर	+165	+56.5	96.5	..	..	3.5	..
केरल	+ 25	1.3	28·3	..	..	71.2	0.5
मध्य प्रदेश	+258	+13.6	58.1	35.0	0.6	4.9	1.4
मद्रास	+111	+4.1	3.3	37.0	6.4	53.1	0.2

सारणी XLIV—मिडिल स्कूलों की राज्यवार संख्या (जारी)

1	8	9	10	11	12	13	14
मैसुर	+ 87	+ 4.2	40.1	49.6	0.4	9.5	0.4
उड़ीसा	+165	+17.4	23.1	5.0	0.8	46.9	24.2
पंजाब	+ 4	+ 0.3	89.1	..	0.1	3.7	7.1
राजस्थान	+116	+10.2	87.0	..	0.2	10.1	2.7
उत्तर प्रदेश	+104	+ 2.5	4.5	58.7	4.4	7.9	24.5
पश्चिमी बंगाल	+159	+ 7.7	4.7	1.2	0.3	81.5	12.3
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	− 1	+25.0	66.7	..	..	33.3	..
दिल्ली	+ 31	+25.4	1.3	..	73.9	24.8	..
हिमाचल प्रदेश	+ 15	+10.6	..	84.0	0.6	15.4	..
लक्काडीव, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीप समूह	..	..	100.0	..	..	..	..
मनिपुर	+128	+68.8	..	50.3	5.1	14.7	29.9
उपूसी (नेफा)	..	..	100.0	..	..	..	..
त्रिपुरा	− 10	−12.0	6.9	45.2	13.7	34.2	..
पांडिचरी	+ 4	+ 9.8	57.8	..	..	42.2	..
भारत	+2,324	+ 5.9	17.4	49.0	5.3	21.4	6.9

*महाराष्ट्र के आगे दिखाए गए आंकड़ों में शामिल है।

मिडिल शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या की सही जानकारी पाने के लिए हमें कुल छात्र-संख्या में से मिडिल स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को घटा देना होगा और साथ ही इसमें ऐसे हाई स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट कालेजों की मिडिल कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थिओं की संख्या को शामिल करना होगा, जिनमें मिडिल कक्षाएं हों। सारणी XLVI के आकड़े इसी आधार पर तैयार किए गए हैं। इस से ज्ञात होगा कि 1958-59 में मिडिल स्तर के छात्रों की संख्या 58,19,656 (44,54,437 लड़के और 13,65,219 लड़कियां) थी, और 1959-60 में वह बढ़कर 64,83,019 (49,07,097 लड़के और 15,75,922 लड़कियां) हो गई, अर्थात् उसमें 11.4 प्रतिशत वृद्धि हो गई। इन आँकड़ों की राज्यवार तुलना करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों में मिडिल स्तर की कक्षाओं की संख्या एक-जैसी नहीं थी।

ऊपर छात्र संख्या का जो विवरण दिया गया है वह केवल छात्रों की संख्या निकालने के उद्देश्य से ही दिया गया है। अगर हम यह जानना चाहें कि इस छात्र-संख्या पर अधिक स्कूल खोलने का क्या प्रभाव पड़ा है, तो हमें इस संख्या की तुलना स्कूलों में जाने वाले छात्रों की संख्या से भी करनी पड़ेगी। इस दृष्टि से सारणी XLVII में सभी राज्यों के 11 से लेकर 14 साल की उम्र तक के कुल छात्रों की संख्या की तुलना में राज्यों की छठी से लेकर आठवीं कक्षाओं में दाखिल छात्रों की संख्या दी गयी है; राज्यों की कक्षा-प्रणाली पर इसमें कोई ध्यान नही दिया गया है। इस से यह पता चलता है कि पूरे भारत वर्ष की इस वयोवर्ग की कुल संख्या के 20.7 प्रतिशत छात्रों के लिए ही छठी–आठवीं कक्षाओं में पढ़ने की सुविधाएं विद्यमान थीं।

सारणी XLV—मिडिल स्कूलों

राज्य	लड़कों के स्कूलों में 1958-1959	1959-60	लड़कियों के स्कूलों में 1958-59
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1,46,944	1,60,480	21,676
आसाम	1,53,728	1,69,255	17,519
बिहार	5,86,046	6,75,312	38,249
बम्बई			
महाराष्ट्र	29,17,240	19,94,611	4,40,012
गुजरात	*	11,57,485	*
जम्मू और कश्मीर . . .	43,692	44,230	8,792
केरल	6,75,387	7,18,700	11,210
मध्य प्रदेश	3,54,577	3,99,215	45,648
मद्रास	8,77,945	9,36,351	4,552
मैसूर	3,79,652	4,07,978	59,881
उड़ीसा	77,318	89,812	4,789
पंजाब	2,16,754	2,29,181	71,833
राजस्थान	2,11,631	2,38,339	42,133
उत्तर प्रदेश	4,05,641	4,24,341	82,589
पश्चिमी बंगाल . . .	1,48,659	1,59,508	26,731
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . .	413	396	101
दिल्ली	23,898	28,977	13,889
हिमाचल प्रदेश	17,126	19,574	1,476
लक्का दीव, मिनिकाय और अमीन-दीवी द्वीप समूह	1,260	1,509	. .
मनिपुर	16,165	20,653	1,857
उपसी (नेफा) . . .	1,320	1,367	. .
त्रिपुरा	9,761	9,459	672
पांडिचेरी	7,170	7,814	3,568
भारत .	72,72,327	78,94,547	8,97,177

*महाराष्ट्र के आगे दिखाए

में छात्रों की संख्या

के लिये 1959–60	जोड़ 1958–59	जोड़ 1959–60	+वृद्धि या —कमी संख्या	+वृद्धि या —कमी प्रतिशत
5	6	7	8	9
25,461	1,68,620	1,85,941	+ 17,321	+10.3
18,826	1,71,247	1,88,081	+ 16,834	+ 9.8
45,687	6,24,295	7,20,999	+ 96,704	+15.5
2,51,056	33,57,252	22,45,667	+ 2,69,937	+ 8.0
2,24,037	*	13,81,522	*	*
12,243	52,484	56,473	+ 3,989	+ 7.6
9,683	6,86,597	7,28,383	+ 41,786	+ 6.1
48,665	4,00,225	4,47,880	+ 47,655	+11.9
4,802	8,82,497	9,41,153	+ 58,656	+ 6.6
66,438	4,39,533	4,74,416	+ 34,883	+ 7.9
5,802	82,107	95,614	+ 13,507	+16.5
70,624	2,88,587	2,99,805	+ 11,218	+ 3.9
50,137	2,53,764	2,88,476	+ 34,712	+13.7
89,608	4,88,230	5,13,949	+ 25,719	+ 5.3
32,937	1,75,390	1,92,445	+ 17,055	+ 9.7
..	514	396	— 118	—23.0
26,941	37,787	55,918	+ 18,131	+48.0
1,217	18,602	20,791	+ 2,189	+11.8
..	1,260	1,509	+ 249	+19.8
2,327	18,022	22,980	+ 4,958	+27.5
..	1,320	1,367	+ 47	+ 3.6
556	10,433	10,015	— 418	— 4.0
4,196	10,738	12,010	+ 1,272	+11.8
9,91,243	81,69,504	88,85,790	+7,16,286	+ 8.8

गए आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी XLV — **मिडल कक्षाओं**

राज्य	लड़के 1958-59	लड़के 1959-60	लड़कियाँ 1958-59
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश . . .	2,63,828	2,82,333	71,070
आसाम . . .	1,38,169	1,49,517	48,244
बिहार . . .	2,78,324	3,16,935	31,502
बम्बई—			
महाराष्ट्र . . .	8,78,657	6,54,232	3,17,057
गुजरात . .	*	3,19,341	*
जम्मू और कश्मीर . .	50,798	45,601	8,186
केरल . . .	3,10,376	3,16,561	2,23,441
मध्य प्रदेश . .	2,08,621	2,30,187	37,721
मद्रास . . .	3,95,325	4,30,974	1,70,438
मैसूर . . .	2,09,796	3,37,366	89,565
उड़ीसा . . .	52,818	61,713	6,357
पंजाब . . .	2,94,961	3,05,285	64,492
राजस्थान . .	1,39,978	1,64,806	19,110
उत्तर प्रदेश . .	6,40,361	6,76,743	95,331
पश्चिमी बंगाल . .	4,85,487	5,03,748	1,36,403
अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	271	272	111
दिल्ली . . .	59,013	57,531	33,491
हिमाचल प्रदेश . .	13,180	15,757	2,494
लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह .	135	215	10
मनिपुर . . .	20,907	24,629	5,925
उपूर्सी (नेफा) . .	408	461	45
त्रिपुरा . . .	8,234	7,728	2,543
पांडिचेरी . .	4,790	5,162	1,683
भारत . . .	**44,54,437**	**49,07,097**	**13,65,219**

*महाराष्ट्र के

में छात्रों की संख्या

लड़कियाँ 1959–60	जोड़ 1958–59	1959–60	+वृद्धि / — कमी संख्या	प्रतिशत
5	6	7	8	9
80,121	3,34,898	3,62,454	+ 27,556	+ 8.2
56,501	1,86,413	2,06,018	+ 19,605	+10.5
38,533	3,09,826	3,55,468	+ 45,642	+14.7
2,39,737	11,95,714	8,93,969	+ 1,47,093	+12.3
1,29,497	*	4,48,838	*	*
9,557	58,984	55,158	— 3,826	— 6.5
2,27,549	5,33,817	5,44,110	+ 10,293	+ 1.9
44,058	2,46,342	2,74,245	+ 27,903	+11.3
1,86,077	5,65,763	6,17,051	+ 51,288	+ 9.1
1,34,601	2,99,361	4,71,967	+ 1,72,606	+57.7
7,808	59,175	69,521	+ 10,346	+17.5
79,393	3,59,453	3,84,678	+ 25,225	+ 7.0
22,409	1,59,088	1,87,215	+ 28,127	+17.7
1,05,710	7,35,692	7,82,453	+ 46,761	+ 6.4
1,61,290	6,21,890	6,65,038	+ 43,148	+ 6.9
123	382	395	+ 13	+ 3.4
38,351	92,504	95,882	+ 3,378	+ 3.7
2,615	15,674	18,372	+ 2,698	+17.2
16	145	231	+ 86	+59.3
7,164	26,832	31,793	+ 4,961	+18.5
95	453	556	+ 103	+22.7
2,882	10,777	10,610	— 167	— 1.5
1,835	6,473	6,997	+ 524	+ 8.1
15,75,922	58,19,656	64,83,019	+6,63,363	+11.4

आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी XLVII—ग्यारह से चौदह वर्ष के वयोवर्ग के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं

राज्य	छटी से आठवीं तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले			11 से 14 वर्ष के वयोवर्ग के बच्चों की कुल संख्या की तुलना में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2,82,333	80,121	3,62,454	23.0	6.8	15.0
आसाम	1,49,517	56,501	2,06,018	29.3	15.3	26.4
बिहार	4,34,134	48,185	4,82,319	28·4	3.3	16.1
बम्बई						
महाराष्ट्र	4,96,754	1,71,390	6,68,144	35.5	13.4	24.9
गुजराथ	2,49,547	93,484	3,43,031	34.4	13.9	24.5
जम्मू व कश्मीर . . .	45,601	9,557	55,158	*	*	*
केरल	3,85,225	2,73,791	6,59,016	67.6	48.0	57.8
मध्य प्रदेश	2,30,187	44,058	2,74,245	20.7	4.4	13.0
मद्रास	4,30,974	1,86,077	6,17,051	38.1	16.9	27·7

1	2	3	4	5	6	7
मैसुर	2,45,280	94,600	3,39,880	29.9	12.0	21.1
उड़ीसा	79,142	9,702	88,844	13.6	1.8	7.9
पंजाब	3,05,285	79,393	3,84,678	41.3	12.2	27.7
राजस्थान	1,64,806	22,409	1,87,215	22.9	3.5	13.8
उत्तर प्रदेश	6,76,743	1,05,710	7,82,453	26.2	46.0	16.0
पश्चिमी बंगाल . . .	3,41,650	1,05,413	4,47,063	28.0	7.8	18.9
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह .	272	123	395	NA.	NA.	NA.
दिल्ली	57,531	38,351	95,882	57.5	47.9	53.3
हिमाचल प्रदेश . . .	15,757	2,615	18,372	39.4	6.5	23.0
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीपसमूह	215	16	231	*	*	*
मनिपुर	16,844	4,698	21,542	56.1	2.3	43.1
उपूसी (नेफ़ा) . . .	461	95	556	*	*	*
त्रिपुरा	7,728	2,882	10,610	19.3	7.2	13.3
पांडिचेरी	5,162	1,835	6,997	*	*	*
भारत . .	46,21,148	14,31,006	60,52,154	30.5	10.2	20.7

*उपलब्ध नहीं है।

सारणी XLVIII—मिडिल स्कूलों में लड़कियों की संख्या

राज्य	लड़कों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों की स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का प्रतिशत 1958–59	1959–60
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	32,381	20,514	52,895	61.6	61.2
आसाम	43,159	16, 605	59,764	70.4	72.2
बिहार	75,040	42,373	1,17,413	61.3	63.9
बम्बई—					
महाराष्ट्र	5,58,196	2,29,239	7,87,435	65.2	70.3
गुजरात	2,78,642	2,16,544	4,95,186	*	56.3
जम्मु और काश्मीर	640	12,243	12,883	4.2	5.0
केरल	3,12,856	7,384	3,20,240	97.1	97.7
मध्य प्रदेश	28,832	47,967	76,799	34.0	37.5

12—5 M of Edu/65

1	2	3	4	5	6
मद्रास	3,52,742	3,739	3,56,481	99.0	99.0
मैसूर	77,169	64,214	1,41,383	54.9	54·6
उड़ीसा	8,166	5,677	13,843	56.2	59·0
पंजाब	24,660	65,170	89,830	19.1	27·5
राजस्थान	16,110	47,973	64,083	24.1	25.1
उत्तर प्रदेश	20,356	82,345	1,02,701	14.5	19.8
पश्चिमी बंगाल	17,194	32,662	49,856	32.3	34.5
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	107	..	107	57.0	100.0
दिल्ली	3,647	22,883	36,530	19.5	13.7
हिमाचल प्रदेश	2,717	903	3,620	64.3	75.1
लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह	270	..	270	100.0	100.0
मनिपुर	3,199	2,157	5,356	62·1	59·7
उपूसी (नेफ़ा)	235	*	235	100·0	100·0
त्रिपुरा	2,409	521	2,930	78·4	82.2
पांडिचेरी	1,312	3,731	5,043	25.6	26.0
भारत/जोड़	18,60,039	9,24,844	27,84,883	66.7	66·8

*महाराष्ट्र में शामिल हैं।

सह-शिक्षा

मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाली कुल 27,84,883 लड़कियों में से आलोच्य वर्ष में 18,60,039 या 66.8 प्रतिशत लड़कियां लड़कों के स्कूलों में पढ़ रही थीं। गत वर्ष यह संख्या 66.7 प्रतिशत थी। विभिन्न राज्यों के मिडिल स्कूलों में सह-शिक्षा किस सीमा तक दी जाती थी, इसे सारणी XLVIII में दिखाया गया है। सारणी से ज्ञात होगा कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह तथा उपूसी (नेफ़ा) में लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं थे। केरल, मद्रास, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर और त्रिपुरा में 75 प्रतिशत से अधिक छात्राएं सह-शिक्षा वाले स्कूलों में पढ़ रही थीं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, मैसूर और उड़ीसा में 50 से लेकर 75 प्रतिशत तक लड़कियां, लड़कों के स्कूलों में पढ़ रही थीं। जम्मू व कश्मीर में सह-शिक्षा सबसे कम थी। वहां केवल 5 प्रतिशत लड़कियां, लड़कों के स्कूलों में थीं।

अध्यापक

आलोच्य वर्ष में मिडिल स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या 2,92,132 (2,22,108 अध्यापक और 70,024 अध्यापिकाएं) थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 2,65,681 (2,05,774 अध्यापक और 59,907 अध्यापिकाएं) थी। इससे मालूम होता है कि अध्यापकों की संख्या में 10 प्रतिशत (7.9 प्रतिशत पुरुष, और 16.9 प्रतिशत महिलाएं) वृद्धि हुई। पिछले वर्ष अध्यापकों की संख्या में 43.6 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। आलोच्य वर्ष में कुल अध्यापकों में अध्यापिकाओं की संख्या 24.0 प्रतिशत थी, जबकि गत वर्ष यह 22.5 प्रतिशत थी। प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 1,74,857 से बढ़कर 1,93,879 हो गयी। इसके साथ ही मिडिल स्कूलों के अध्यापक-वर्ग में अध्यापिकाओं का अनुपात भी 65.8 प्रतिशत से बढ़ कर 66.4 प्रतिशत हो गया। अतः इस अनुपात को ध्यान में रखकर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ही अध्यापन-वृत्ति का प्रशिक्षण अधिक दिया गया। आलोच्य वर्ष में प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की संख्या 73.9 प्रतिशत थी, जबकि गत वर्ष यह 74.8 प्रतिशत थी। ऊपर बताई गई अध्यापकों की कुल संख्या में 95,539 (75,139 पुरुष और 20,400 महिलाएं) अध्यापक प्रवर बुनियादी विद्यालयों के थे। इनका वर्णन चौथे अध्याय में किया गया है।

सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के मिडिल स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या का ब्योरा सारणी XLIX में दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में अध्यापकों की संख्या में वृद्धि हुई। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अध्यापकों की संख्या में कमी वहां की संस्थाओं की संख्या घट जाने के कारण हुई।

आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मध्यप्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के राज्यों, तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशत संख्या में वृद्धि हुई। लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह के सभी अध्यापक प्रशिक्षित थे। पिछले वर्ष भी इनकी यही स्थिति थी। प्रशिक्षित अध्यापकों की सबसे अधिक प्रतिशत संख्या दिल्ली (98.7) में थी। इसके बाद क्रमशः मद्रास (96.6 प्रतिशत), पंजाब (88.5 प्रतिशत), केरल (80.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (79.5 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (76.2 प्रतिशत), उपूसी (नेफ़ा) (68.0 प्रतिशत) और मैसूर (66.9 प्रतिशत) आते हैं। अन्य राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशत संख्या राष्ट्रीय औसत (66.4 प्रतिशत) से कम थी।

अध्यापकों और छात्रों का अनुपात

आलोच्य वर्ष में छात्रों की प्रति अध्यापक औसत संख्या 30 रही। पिछले वर्ष भी यही औसत थी। बम्बई, मैसूर, पंजाब, दिल्ली तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में इस औसत संख्या में वृद्धि हुई। सारणी XLIX के 13–14 खानों में सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न राज्यों के मिडिल स्कूलों के अध्यापकों और छात्रों का अनुपात दिया गया है।

व्यय

आलोच्य वर्ष में मिडिल स्कूलों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 31,83,47,104 रू० से बढ़ कर 35,15,94,059 रू० हो गया, अर्थात् उस में 10.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इसमें प्रवर बुनियादी विद्यालय भी शामिल हैं। कुल रकम में से 30,84,81,159 रू० लड़कों के स्कूलों पर और 4,31,12,900 रू० लड़कियों के स्कूलों पर व्यय किये गए। इन आंकड़ों में प्रवर बुनियादी विद्यालयों पर खर्च किए गए 10,99,17,999 रुपये शामिल हैं। इस खर्च का ब्योरा चौथे अध्याय में अलग से दिया गया है।

सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं पर किए गए कुल प्रत्यक्ष-व्यय की तुलना में मिडिल स्कूलों के खर्च का अनुपात पिछले वर्ष 15.7 प्रतिशत से घट कर 15.4 प्रतिशत हो गया।

मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष-व्यय जिन विभिन्न आय-स्रोतों से पूरा किया गया था उनके अनुसार उक्त व्यय का विभाजन नीचे सारणी L में दिया जा रहा है:—

सारणी L —विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलोंपर किया गया प्रत्यक्ष-व्यय

आय स्रोत	1958–59		1959–60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
1	2	3	4	5
	रु०		रू०	
सरकारी निधियाँ . .	23,35,13,918	73.3	25,83,75,406	73.5
जिला परिषदों की निधियां .	1,51,28,024	4.8	1,69,15,927	4.8
नगरपालिकाओं की निधियाँ .	2,28,48,784	7.2	2,53,33,071	7.2
फीस . .	2,74,74,301	8.6	2,92,16,245	8.3
धर्मस्व . . .	60,82,351	1.9	71,90,777	2.0
अन्य आय-स्रोत . .	1,32,99,726	4.2	1,45,62,633	4.2
जोड़ .	31,83,47,104	100.0	35,15,94,059	100.0

इससे ज्ञात होता है कि व्यय का विभाजन दोनों वर्षों में एक जैसा ही रहा क्योंकि व्यय का लगभग तीन-चौथाई भाग सरकारी निधियाँ से, आठवां भाग स्थानीय परिषदों की निधियों से बारहवां भाग फ़ीस से और शेष अन्य आय-स्रोत से पूरा किया गया था। गत वर्ष के व्यय की तुलना में आलोच्य वर्ष में विभिन्न आय-स्रोतों से पूरा किया जाने वाला व्यय इस प्रकार बढ़ गया। सरकारी निधियां 10.6 प्रतिशत, जिला परिषदों की निधियां 11.8 प्रतिशत, नगर पालिकाओं की निधियां 10.9 प्रतिशत और फीस, धर्मस्व तथा अन्य आय स्रोत क्रमशः 6.3 प्रतिशत, 18.2 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत।

सारणी XLIX—मिश्रित

राज्य	पुरुष 1958-59	पुरुष 1959-60	महिलाएं 1958-59
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5,621	5,997	1,464
आसाम	6,496	7,191	900
बिहार	19,266	21,052	1,567
बम्बई — महाराष्ट्र	65,101	46,071	18,134
बम्बई — गुजरात	*	23,882	*
जम्मू और कश्मीर	1,188	1,590	367
केरल	14,881	15,690	10,520
मध्य प्रदेश	15,992	17,668	2,172
मद्रास	18,038	18,837	11,751
मैसूर	10,357	11,484	2,590
उड़ीसा	4,019	4,610	256
पंजाब	6,853	6,987	2,436
राजस्थान	8,830	10,251	1,687
उत्तर प्रदेश	17,690	18,172	3,884
पश्चिमी बंगाल	8,233	8,682	1,185
अंडमान व निकोबर द्वीप समूह	11	12	20
दिल्ली	755	952	569
हिमाचल प्रदेश	903	1,027	135
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	29	33	7
मनिपुर	774	1,150	42
उपूसी (नेफ़ा)	87	99	1
त्रिपुरा	444	442	68
पांडिचेरी	206	229	152
भारत	2,05,744	2,22,108	59,907

*महाराष्ट्र में शामिल हैं।

स्कूलों में अध्यापकों की संख्या

महिलाएं	जोड़		वृद्धि(+) या कमी (−)	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	
1959–60	1958–59	1959–60		1958–59	1959–60
5	6	7	8	9	10
1,740	7,085	7,737	+ 652	4,361	4,967
1,020	7,396	8,211	+ 815	2,078	2,223
1,810	20,833	22,862	+ 2,029	12,460	14,132
13,691	83,235	59,762	+ 9,918	52,495	42,127
9,509	*	33,391	*	*	18,516
393	1,555	1,983	+ 428	950	1,196
11,523	25,401	27,213	+1,812	21,070	21,983
2,396	18,164	20,064	+1,900	8,020	9,375
12,963	29,789	31,800	+2,011	28,627	30,712
3,041	12,947	14,525	+1,578	8,417	9,711
303	4,275	4,913	+ 638	1,716	1,803
2,636	9,289	9,623	+ 334	8,348	8,515
2,021	10,517	12,272	+1,755	5,245	6,000
4,049	21,574	22,221	+ 647	16,934	17,676
1,472	9,418	10,154	+ 736	1,401	1,556
10	31	22	−9	10	9
946	1,324	1,898	+ 574	1,280	1,873
144	1,038	1,171	+ 133	844	892
5	36	38	+2	36	38
65	816	1,215	399	62	80
1	88	100	+ 12	63	68
96	512	538	+ 26	190	158
190	358	419	+ 61	250	269
70,024	2,65,681	2,92,132	26,451	1,74,857	1,93,879

*महाराष्ट्र में शामिल है ।

सारणी XLIX—मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (क्रमशः)

राज्य	अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशत संख्या		प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश . . .	61.6	64.2	23	24
आसाम . . .	28.1	27.1	23	23
बिहार . . .	59.8	61.8	29	32
बम्बई { महाराष्ट्र . .	63.1	70.5	40	38
बम्बई { गुजरात . .	*	55.5	*	41
जम्मू और कश्मीर . .	61.1	60.3	33	28
केरल . . .	82.9	80.8	27	27
मध्य प्रदेश . .	44.2	46.7	22	22
मद्रास . . .	96.1	96.6	29	30
मैसूर . . .	65.0	66.9	33	33
उड़ीसा . . .	38.8	36.7	21	19
पंजाब . . .	89.9	88.5	31	31
राजस्थान . .	49.9	48.9	24	24
उत्तर प्रदेश . .	78.5	79.5	22	23
पश्चिमी बंगाल . .	14.9	15.3	18	19
अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	32.3	40.9	16	18
दिल्ली . . .	96.7	98.7	28	29
हिमाचल प्रदेश . .	81.3	76.2	17	18
लकदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह।	100.0	100.0	45	40
मनिपुर . . .	7.5	6.6	22	19
उपूसी (नेफ़ा) . .	71.6	68.0	15	14
त्रिपुरा . . .	37.1	29.4	20	19
पांडिचेरी . .	69.8	64.2	30	29
भारत .	65.8	66.4	31	30

*महाराष्ट्र में शामिल है ।

विभिन्न प्राधिकरणों-द्वारा चलाये जाने वाले मिडिल स्कूलों के प्रत्यक्ष-व्यय का विभाजन नीचे की सारणी में दिया जा रहा है :—

प्रबंध संस्था	1958–59		1959–60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
	रु०		रु०	
सरकार . . .	8,05,41,480	25.3	8,52,79,892	24.2
जिला परिषदें . .	11,46,93,016	36.0	12,94,99,929	36.8
नगरपालिकाएं . .	4,22,34,583	13.3	4,66,69,985	13.3
गैर-सरकारी संस्थाएं :				
सहायता प्राप्त . .	7,05,90,154	22.2	7,75,63,462	22.1
बिना सहायता वाली .	1,02,87,871	3.2	1,25,80,791	3.6
जोड़ .	31,83,47,104	100.0	35,15,94,059	100.0

सभी प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले मिडिल स्कूलों का व्यय बढ़ गया।

विभिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के मिडिल स्कूलों पर सन् 1958–59 और 1959–60 के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा सारणी LI में दिया गया है। मैसूर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूहों को छोड़ शेष सभी राज्यों में इन स्कूलों के खर्च में वृद्धि हुई। अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में इस व्यय में कोई खास कमी नहीं हुई। लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह के व्यय में कमी इस लिए हुई कि वहां पिछले वर्ष अनावर्ती मदों पर बहुत बड़ी रकम खर्च की गई थी। राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि बम्बई (1,12,52,482) और सब से कम वृद्धि जम्मू व कश्मीर (4,38,970 रुपये) के व्यय में हुई। संघ राज्य-क्षेत्रों में सब से अधिक वृद्धि दिल्ली (13,47,887 रु०) और सब से कम वृद्धि उपूसी (नेफ़ा) (17,385 रु०) के व्यय में हुई। पांडिचेरी का व्यय बढ़ा या घटा, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पांडिचेरी के सन् 1958–59 के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं। प्रतिशत के आधार पर भी राजस्थान का नाम राज्यों में सबसे पहले आता है। वहां 23.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। पश्चिमी बंगाल सबसे पीछे रहा। वहां केवल 4.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। संघ राज्य-क्षेत्रों में सब से अधिक प्रतिशत-वृद्धि मनिपुर में (89.5) और सबसे कम उपूसी (नेफ़ा) में (8.8) हुई। मनिपुर में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होने का कारण यह था कि वहां नए स्कूल खोले गए और स्कूलों के अध्यापकों को उनके बकाया वेतनों को अदायगी की गई।

विभिन्न राज्यों में शिक्षा पर किए गए कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में मिडिल स्कूलों पर किए गए खर्च का अनुपात सारणी LI के 10 वें खाने में दिखाया गया है। विभिन्न राज्यों के अनुपात में इतना अधिक अन्तर होने का कारण यह है कि प्रत्येक राज्य में मिडिल-स्तर की कक्षाओं की संख्या अलग-अलग थी।

सारणी LI—राज्यों द्वारा मिडिल

राज्य	लड़कों के स्कूलों पर		लड़कियों
	1958–59	1959–60	1958–59
1	2	3	4
	रु०	रु०	रु०
आंध्र प्रदेश . .	70,56,753	80,56,206	13,09,795
आसाम . . .	66,06,598	73,67,278	7,43,374
बिहार . .	1,90,09,448	2,17,10,310	14,94,442
बम्बई { महाराष्ट्र . .	9,23,74,883	6,61,25,068	1,58,78,113
बम्बई { गुजरात .	*	3,64,31,283	*
जम्मू और कश्मीर . .	15,09,380	18,25,904	3,80,861
केरल . . .	2,62,70,519	3,02,10,596	3,67,684
मध्य प्रदेश . .	1,76,47,495	1,96,00,384	26,03,922
मद्रास . . .	3,06,18,948	3,28,23,453	3,28,455
मैसूर . . .	1,69,60,257	1,53,23,228	24,37,064
उड़ीसा . . .	45,40,099	53,21,763	3,25,427
पंजाब . . .	1,07,84,464	1,16,64,525	28,96,400
राजस्थान . .	1,12,30,032	1,39,55,016	18,12,040
उत्तर प्रदेश . .	1,96,72,644	2,07,01,547	44,40,162
पश्चिमी बंगाल . .	1,07,72,620	1,11,42,992	21,13,751
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	49,211	31,163	16,696
दिल्ली	17,70,531	22,63,813	11,25,447
हिमाचल प्रदेश . .	9,18,213	13,09,965	77,193
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह।	50,410	50,398	. .
उपूसी (नेफ़ा) . .	1,98,243	2,15,628	. .
त्रिपुरा	7,02,271	9,28,336	52,321
मनिपुर . . .	5,60,146	10,13,921	35,415
पांडिचेरी . .	4,25,968	4,08,382	1,79,409
भारत .	27,97,29,133	30,84,81,159	3,86,17,971

*महाराष्ट्र के आगे के आंकड़ों में शामिल हैं ।

स्कूलों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय

के स्कूलों पर	जोड़		वृद्धि (+) या कमी (—)	
1959–60	1958–59	1959–60	रकम	प्रतिशत
5	6	7	8	9
रु०	रु०	रु०	रु०	
15,45,624	83,66,548	96,01,830	12,35,282	14.8
7,88,201	73,49,972	81,55,479	8,05,507	+11.0
19,57,002	2,05,03,890	2,36,67,312	+ 31,63,422	+15.4
96,13,981 73,35,146	10,82,52,996 *	7,57,39,049 4,37,66,429	+1,12,52,482	+10.4
5,03,307	18,90,241	23,29,211	+ 4,38,970	+23.2
3,71,986	2,66,38,203	3,05,82,582	+ 39,44,379	+14.8
27,99,247	2,02,51,417	2,23,99,631	+ 21,48,214	+10.6
3,28,846	3,09,47,403	3,31,52,299	— 22,04,896	+ 7.1
24,22,474	1,93,97,321	1,77,45,702	+ 16,51,619	— 8.5
4,20,871	48,65,526	57,42,634	+ 8,77,108	+18.0
32,99,599	1,36,80,864	1,49,64,124	+ 12,83,260	+ 9.4
21,92,948	1,30,42,072	1,61,47,964	+ 31,05,892	+23.8
47,30,009	2,41,12,806	2,54,31,556	+ 13,18,750	+ 5.5
23,76,805	1,28,86,371	1,35,19,797	+ 6,33,426	+ 4.9
..	65,907	31,163	— 34,744	—52.7
19,80,052	28,95,978	42,43,865	+ 13,47,887	+46.5
73,454	9,95,406	13,83,419	+ 3,88,013	+39.0
..	50,410	50,398	— 12	— 0.0
..	1,98,243	2,15,628	+ 17,385	8.8
66,212	7,54,592	9,94,548	+ 2,39,956	+31.8
1,14,784	5,95,561	11,28,705	+ 5,33,144	+89.5
1,92,352	6,05,377	6,00,734	— 4,643	— 0.8
4,31,12,900	31,83,47,104	35,15,94,059	+3,32,46,955	+10.4

*महाराष्ट्र के आगे के आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी LI राज्यों द्वारा मिडिल

राज्य	सन् 1959-60 में किये गये कुल प्रत्यक्ष काम की तुलना में मिडिल स्कूलों पर किया गया प्रतिशत व्यय	विभिन्न आयस्रोतों से सरकारी निधियां	जिला परिषदों की निधियां
1	10	11	12
आंध्र प्रदेश	5.6	72.0	14.2
असाम	14.9	72.0	0.1
बिहार	18.1	63.4	4.2
बम्बई { महाराष्ट्र	24.8	68.8	3.7
बम्बई { गुजरात	32.4	81.8	6.8
जम्मू और कश्मीर	15.5	96.8	..
केरल	21.6	98.1	..
मध्य प्रदेश	15.8	87.3	5.6
मद्रास	16.6	72.8	7.6
मैसूर	13.6	85.5	3.9
उड़ीसा	13.9	61.2	1.1
पंजाब	12.1	67.7	0.4
राजस्थान	19.7	91.6	0.5
उत्तर प्रदेश	9.1	44.7	11.9
पश्चिमी बंगाल	6.0	40.4	0.7
अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह	6.3	100.0	..
दिल्ली	5.8	3.1	..
हिमाचल प्रदेश	18.9	97.1	..
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	49.1	100.0	..
उपूसी (नेफ़ा)	20.6	100.0	..
त्रिपुरा	12.8	95.5	..
मनिपुर	23.8	3.9	82.5
पांडिचेरी	21.5	88.7	..
भारत	15.4	73.5	4.8

स्कूलों पर किया गया व्यय (क्रमशः)

पूरा किया गया प्रतिशत व्यय—1959-60				प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च	
नगरपालिकाओं की निधियां	फ़ीस	धर्मस्व	अन्य आय-स्रोत	1958-59	1959-60
13	14	15	16	17	18
2.4	6.2	4.9	0.3	49.6	51.6
0.4	20.4	5.8	1.3	42.9	43.4
1.1	21.3	1.7	8.2	32.8	32.8
17.1	2.8	0.2	7.4	32.2	33.7
6.5	2.2	0.4	2.3	*	31.7
..	0.9	0.2	2.1	36.0	41.2
..	0.2	0.1	1.6	38.8	42.0
0.8	3.8	1.1	1.4	50.6	50.0
12.0	2.0	5.4	0.2	35.1	35.2
2.0	2.0	1.0	5.6	44.1	37.4
0.3	17.0	11.1	9.3	59.3	60.1
0.1	7.1	3.0	1.7	47.4	49.9
0.1	2.7	4.0	1.1	51.4	56.0
4.0	30.3	1.8	7.3	49.4	49.5
0.2	45.4	6.3	7.0	73.5	70.3
..	..	..	..	128.2	78.7
79.7	1.2	0.8	4.5	76.6	75.9
..	..	0.3	2.6	53.5	66.5
..	..	..	..	40.0	33.4
..	..	..	..	150.2	157.7
..	2.6	1.6	0.3	72.3	99.3
..	1.8	11.8	..	33.0	49.1
..	7.6	3.7	0.0	56.4	50.0
7.2	8.3	2.0	4.2	39.0	39.6

*महाराष्ट्र के आंकडों में शामिल हैं।

विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किए गए व्यय का ब्योरा सारणी LI के 11 वें से लेकर 16 वें खाने तक में दिया गया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली को छोड़ शेष सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में व्यय का अधिकांश भाग सरकार द्वारा पूरा किया गया। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह तथा उपूसी (नेफ़ा) में शत-प्रतिशत, तथा नीचे लिखे राज्यों व राज्य-क्षेत्रों में 90 से लेकर 100 प्रतिशत तक खर्च पूरा किया : केरल (98.1 प्रतिशत), जम्मू व कश्मीर (96.8 प्रतिशत), राजस्थान (91.6 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (97.1 प्रतिशत) और त्रिपुरा (95.5 प्रतिशत)। इन चार राज्यों और एक क्षेत्र में अर्थात् पांडिचेरी (88.7), पंजाब (67.7), मध्यप्रदेश (87.3), मसूर (85.5) और बम्बई में सरकार का व्यय 75 से 90 प्रतिशत तक रहा और चार अन्य राज्यों में 50 से 75 प्रतिशत तक रहा। स्थानीय परिषदों ने मनिपुर (82.5 प्रतिशत) और दिल्ली (79.7 प्रतिशत) जबकि अन्य स्थानों में उनका अंशदान 17.1 प्रतिशत (बम्बई) से लेकर 0.5 प्रतिशत (पंजाब) के बीच रहा। केवल एक राज्य अर्थात् पश्चिमी बंगाल में व्यय का उल्लेखनीय भाग (45.4 प्रतिशत) फ़ीस से पूरा किया गया। उड़ीसा में व्यय का 20.4 प्रतिशत भाग अन्य आयस्रोतों से पूरा किया गया। इनमें धर्मस्व भी शामिल है।

आलोच्य वर्ष में मिडिल स्कूलों का प्रति छात्र अखिल भारतीय औसत वार्षिक खर्च 39.0 रु० (1958–59) से बढ़कर 39.6 रु० (1959–60) हो गया। विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार रहा : सरकारी निधियाँ 29.1 रु०, जिला परिषदों की निधियाँ 1.9 रु०, नगर पालिकाओं की निधियाँ 2.9 रु०, फीस 3.3 रु०, धर्मस्व 0.8 रु० और अन्य आयस्रोत 1.6 रु०। सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न राज्यों के मिडिल स्कूलों का प्रतिछात्र वार्षिक औसत व्यय सारणी LI में दिखाया गया है।

हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

सन् 1959–60 में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या में 1,377 की वृद्धि होने से इनकी संख्या कुल मिलाकर 15,703 (13,422 लड़कों के स्कूल तथा 2,281 लड़कियों के स्कूल) हो गई। इनमें उत्तर-बुनियादी विद्यालय (पोस्ट-बेसिक स्कूल) भी शामिल थे। पिछले वर्ष की 13.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में आलोच्य वर्ष में इनकी संख्या में 9.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। इनमें 3,763 स्कूल (3,079 लड़कों के लिए और 684 लड़कियों के लिए) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे तथा 34 स्कूल (31 लड़कों के लिए और 3 लड़कियाँ के लिए) उत्तर बुनियादी विद्यालय (पोस्ट बेसिक स्कूल) थे। ऊपर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में उत्तर प्रदेश के ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी शामिल थे जो कि अभी अपूर्ण थे।

विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विभाजन नीचे सारणी LII में दिया गया है।

सारणी LII —विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या

प्रबंध-संस्था	1958–59		1959–60	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सरकार	2,794	19.5	2,846	18.1
जिला परिषदें	1,022	7.1	1,386	8.8
नगरपालिकाएं	412	2.9	440	2.8
गैर-सरकारी संस्थाएं:—				
सहायता-प्राप्त	8,252	57.6	9,180	58.5
बिना सहायता वाली	1,846	12.9	1,851	11.8
जोड़	14,326	100.0	15,703	100.0

सन् 1959–60 में विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के स्कूलों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। गतवर्ष के आंकड़ों की तुलना में सरकारी स्कूलों की संख्या में 1.9 प्रतिशत, जिला परिषदों के स्कूलों की संख्या में 27.3 प्रतिशत और गैर-सरकारी सहायता-प्राप्त और बिना सहायता वाले स्कूलों की संख्या में 9.8 प्रतिशत वृद्धि हुई।

ग्रामीण इलाकों में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 7,804 थी, जबकि गत वर्ष यह संख्या 6,757 थी। यह संख्या 1959–60 के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या का 49.7 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह संख्या 45.8 प्रतिशत थी।

सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न राज्यों के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या सारणी LIII में दिखाई गई है। इससे ज्ञात होता है कि सभी राज्यों में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि बम्बई (478) में हुई। इसके बाद क्रमशः बिहार (160), मद्रास (96), आंध्र प्रदेश (90), पश्चिमी बंगाल (89), मध्य प्रदेश (71), उत्तर प्रदेश (68) और उड़ीसा (60) के नाम आते हैं। अन्य राज्यों में यह वृद्धि क्रम 55 (राजस्थान) से लेकर 25 (आसाम) के बीच रहा। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली में सबसे अधिक वृद्धि (19) हुई। इसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश (7) और उपूसी (नेफ़ा) (2) आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मनिपुर, पांडिचेरी और त्रिपुरा में प्रत्येक में एक प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह में कोई भी हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं थे।

विभिन्न राज्यों की विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रतिशत-विभाजन सारणी LIII के खाना 10–14 में दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और उपूसी (नेफा) में शतप्रतिशत स्कूलों का प्रबन्ध सरकार कर रही थी और जम्मू व कश्मीर (89.1 प्रतिशत), राजस्थान (76.4 प्रतिशत) और दिल्ली (55.9 प्रतिशत) में अधिकांश स्कूलों का प्रबन्ध सरकार कर रही थी। हिमाचल प्रदेश (95.6 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (68.6 प्रतिशत) और त्रिपुरा (50.0 प्रतिशत) में आधे से अधिक स्कूलों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं के हाथ में था। शेष राज्यों में गैर-सरकारी स्कूलों की अधिकता थी। आसाम, बिहार, बम्बई, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और मनिपुर में 75 प्रतिशत से अधिक और केरल, मैसूर, पंजाब और त्रिपुरा में 50 से लेकर 75 प्रतिशत तक स्कूलों का प्रबन्ध गैर-सरकारी, संस्थाएं कर रही थीं।

छात्र

आलोच्य वर्ष में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (तथा उत्तर बुनियादी विद्यालयों) में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 61,71,539 (47,51,766 लड़के और 14,19,773 लड़कियां) से बढ़ कर 67,62,546 (51,58,144 लड़के और 16,04,402 लड़कियां) हो गई। इस प्रकार छात्रों की संख्यामें 9.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों संख्या में वृद्धि का प्रतिशत भी यही था। इन में से 20,01,053 छात्र (16,03,620 लड़के और 3,97,433 लड़कियां) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, 4,394 छात्र (3,410 लड़के और 984 लड़कियां) उत्तर बुनियादी विद्यालयों में और शेष छात्र हाई स्कूलों में पढ़ रहे थे।

सारणी LIII— हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक

राज्य	लड़कों के लिए	
	1958–59	1959–60
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	879	960
आसाम	398	419
बिहार	1,223	1,375
बम्बई { महाराष्ट्र	2,267	1,823
बम्बई { गुजरात	*	893
जम्मू और कश्मीर	128	156
केरल	715	738
मध्य प्रदेश	466	526
मद्रास	827	915
मैसूर	516	568
उड़ीसा	323	376
पंजाब	1,033	1,059
राजस्थान	356	406
उत्तर प्रदेश	1,377	1,430
पश्चिमी बंगाल	1,416	1,469
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	1
दिल्ली	146	158
हिमाचल प्रदेश	56	61
मनिपुर	50	50
उपूसी (नेफ़ा)	2	4
त्रिपुरा	25	25
पांडिचेरी	19	20
भारत	12,223	13,422

*इसके आंकड़े

स्कूलों की राज्यवार संख्या

लड़कियों के लिए		जोड़		वृद्धि (+) या कमी (—)	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	संख्या	प्रतिशत
4	5	6	7	8	9
113	122	992	1,082	+ 90	+ 9.1
61	65	459	484	+ 25	+ 5.4
66	74	1,289	1,449	+160	+ 12.4
282	226	2,549	2,049	+478	+ 18.8
*	85	*	978	*	*
33	36	161	192	+ 31	+ 19.3
131	134	846	872	+ 26	+ 3.1
97	108	563	634	+ 71	+ 12.6
185	193	1,012	1,108	+ 96	+ 9.5
101	106	617	664	+ 47	+ 7.6
24	31	347	407	+ 60	+ 17.3
261	284	1,294	1,343	+ 49	+ 3.8
47	52	403	458	+ 55	+ 13.6
256	271	1,633	1,701	+ 68	+ 4.2
342	378	1,758	1,847	+ 89	+ 5.1
..	1	1	2	+ 1	+100.0
82	89	228	247	+ 19	+ 8.3
5	7	61	68	+ 7	+ 11.5
3	4	53	54	+ 1	+ 1.9
..	..	2	4	+ 2	+100.0
6	7	31	32	+ 1	+ 3.2
8	8	27	28	+ 1	+ 3.7
2,103	2,281	14,326	15,703	+1,377	+ 9.6

*महाराष्ट्र में शामिल हैं।

सारणी LIII—हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की राज्यवार संख्या—(क्रमशः)

राज्य	विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की प्रतिशत संख्या				
	सरकार	जिल्हा परिषद	नगर-पालिका	गैर सरकारी संस्थाएं	
				सहायता प्राप्त	बिना सहायता वाली
1	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश . . .	10.1	63.6	5.0	21.2	0.1
आसाम . . .	6.0	..	..	85.3	8.7
बिहार	4.3	..	..	59.0	36.7
बम्बई { महाराष्ट्र . . .	9.0	2.9	2.6	80.8	4.7
बम्बई { गुजरात . . .	12.1	0.7	4.5	79.6	3.1
जम्मू और कश्मीर . . .	89.1	..	..	10.9	..
केरल	28.0	..	..	71.4	0.6
मध्य प्रदेश . . .	46.7	5.5	6.8	37.9	3.1
मद्रास	5.6	39.9	5.6	47.6	1.3
मैसूर	20.8	12.8	13.4	50.4	2.6
उड़ीसा	20.4	..	1.0	49.6	29.0
पंजाब	48.3	0.1	0.1	27.8	23.5
राजस्थान . . .	76.4	..	..	21.8	1.8
उत्तर प्रदेश . . .	8.6	0.2	2.6	73.4	15.2
पश्चिमी बंगाल . . .	2.3	..	0.3	77.4	20.0
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह .	100.0	..	..	..	..
दिल्ली	55.9	..	4.5	37.2	2.4
हिमाचल प्रदेश . . .	..	83.8	11.8	4.4	..
मनिपुर	..	14.8	5.6	53.7	25.9
त्रिपुरा	..	..	50.0	50.0	..
उपूसी (नेफ़ा) . . .	100.0	..	..	..	..
पांडिचेरी . . .	64.3	..	..	35.7	..
भारत .	18.1	8.8	2.8	58.5	11.8

विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का विभाजन नीचे की सारणी LIV में दिया गया है।

सारणी LIV—प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या

प्रबंध-संस्था	1958–59		1959–60	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सरकार . . .	13,29,195	21.5	13,92,051	20.6
जिला परिषदें . .	3,54,053	5.7	4,79,689	7.1
नगरपालिकाएं . .	2,32,374	3.8	2,55,793	3.8
गैर-सरकारी संस्थाएं :				
सहायता प्राप्त . .	36,91,624	59.8	40,93,195	60.5
बिना सहायता वाली .	5,64,293	9.2	5,41,818	8.0
जोड़ .	61,71,539	100.0	67,62,546	100.0

सभी प्रबंध-संस्थाओं के स्कूलों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। सरकारी स्कूलों में 4.7 प्रतिशत, जिला परिषदों के स्कूलों में 35.5 प्रतिशत, नगरपालिकाओं के स्कूलों में 10.1 प्रतिशत और बिना सहायता वाले ग़ैर-सरकारी स्कूलों में 8.9 प्रतिशत छात्र बढ़े।

हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्रों की कुल संख्या 30,06,817 (25,82,791 लड़के और 4,24,026 लड़कियां) थी। यह संख्या हाई-स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दाखिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 44.5 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष की यही संख्याएं क्रमश: 27,14,675 और 44.0 प्रतिशत थीं।

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या का राज्यवार विभाजन सारणी LV में दिया गया है। सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में छात्रों की संख्या बढ़ी। राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि (1,25,364) बम्बई में हुई। इसके बाद क्रमश: उत्तर प्रदेश (65,151), केरल (59,342), मद्रास (49,883), बिहार (48,945), पश्चिमी बंगाल (47,570) और आंध्र प्रदेश 41914 के नाम आते हैं। सबसे कम वृद्धि जम्मू व कश्मीर (4,696) में हुई। संघ राज्य-क्षेत्रों में सबसे पहले दिल्ली का नाम आता है, वहां 23,9 69 छात्र बढ़े। अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों में वृद्धि की यह संख्या 3,123 (मनिपुर) और 147 (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के बीच रही। प्रतिशत की दृष्टि से उपूसी (नेफ़ा) का स्थान सबसे ऊंचा रहा। वहां 83.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश (15.9 प्रतिशत) और सबसे कम जम्मू व कश्मीर (6.7) प्रतिशत में हुई। संघ राज्य-क्षेत्रों में सबसे कम प्रतिशत वृद्धि पांडिचेरी (4.6) में हुई।

हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की सही-सही संख्या जानने के लिए उपर्युक्त संख्या में से हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक तथा मिडिल विभागों के छात्रों की संख्या को घटा देना होगा और इण्टरमीडियेट कालेजों की हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को इसमें शामिल करना होगा। सारणी LVI में 1958–59 और 1959–60 के आंकड़ों की गणना इसी हिसाब से की गई है। इस सारणी को देखकर एक राज्य के छात्रों की संख्या की तुलना दूसरे राज्य के छात्रों की संख्या से करना लाभकर नहीं होगा, क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों में हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षाओं की संख्याएं एक समान नहीं थीं। हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के छात्रों की संख्या 26,95,843 (22,14,693 लड़के और 4,81,150 लड़कियां) से बढ़कर 30,06,591 (24,41,794 लड़के और 5,64,797 लड़कियां) हो गई। इस प्रकार छात्रों की संख्या 11.5 प्रतिशत बढ़ी, जब कि पिछले वर्ष 11.7 प्रतिशत छात्र बढ़े थे।

सारणी LV हाईस्कूलों और उच्चतर

राज्य	लड़कों के लिये 1958-59	लड़कों के लिये 1959-60	लड़कियों के लिए 1958-59
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3,90,442	4,25,121	59,855
आसाम	1,68,533	1,81,679	2 5,661
बिहार	4,04,576	4,51,673	25,454
बम्बई { महाराष्ट्र	8,18,044	6,39,036	1,20,866
बम्बई { गुजरात	*	2,87,282	*
जम्मू और कश्मीर	53,761	58,287	16,699
केरल	4,83,020	5,53,292	93,004
मध्य प्रदेश	1,53,840	1,77,336	37,746
मद्रास	4,74,910	5,17,490	1,00,117
मैसूर	1,73,352	1,91,580	38,077
उड़ीसा	81,381	87,296	5,894
पंजाब	5,13,646	5,24,608	1,24,761
राजस्थान	1,36,703	1,54,256	15,210
उत्तर प्रदेश	6,76,652	7,28,586	1,21,942
पश्चिमी बंगाल	5,03,108	5,35,332	1,26,561
अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	341	348	..
दिल्ली	1,06,777	1,24,895	53,259
हिमाचल प्रदेश	24,070	25,892	3,276
मनिपुर	15,898	18,710	1,905
उप्रसी (नेफ़ा)	441	811	..
त्रिपुरा	8,476	9,112	1,776
पांडिचेरी	8,111	8,646	3,394
भारत	51,96,082	56,83,268	9,75,457

*इसके आंकड़े महाराष्ट्र

माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या

लड़कियों के लिये	जोड़		वृद्धि(+) या कमी(—)	
1959–60	1958–59	1959–60	संख्या	प्रतिशत
5	6	7	8	9
67,090	4,50,297	4,92,211	+ 41,914	+ 9.3
27,098	1,94,194	2,08,777	+ 14,583	+ 7.5
27,302	4,30,030	4,78,975	+ 48,945	+ 11.4
99,582	9,38,910	7,38,618	+1,25,364	+ 13.4
38,374	*	3,25,656	*	*
16,869	70,460	75,156	4,696	+ 6.7
1,00,074	5,76,024	6,35,366	+ 59,342	+ 10.3
44,803	1,91,586	2,22,139	+ 30,553	+ 15.9
1,07,420	5,75,027	6,24,910	+ 49,883	+ 8.7
41,727	2,11,429	2,33,307	+ 21,878	+ 10.3
5,885	87,275	93,181	+ 5,906	+ 6.8
1,38,559	6,38,407	6,63,167	+ 24,760	+ 3.9
16,370	1,51,913	1,70,626	+ 18,713	+ 12.3
1,35,159	7,98,594	8,63,745	+ 65,151	+ 8.2
1,41,907	6,29,669	6,77,239	+ 47,570	+ 7.6
140	341	488	+ 147	+ 43.1
59,110	1,60,036	1,84,005	+ 23,969	+ 15.0
3,966	27,346	29,858	+ 2,512	+ 9.2
2,216	17,803	20,926	+ 3,123	+ 17.5
..	441	811	+ 370	+ 83.9
2,237	10,252	11,349	+ 1,097	+ 10.7
3,390	11,505	12,036	+ 531	+ 4.6
10,79,278	61,71,539	67,62,546	+5,91,007	+ 9.6

के आँकड़ों में शामिल हैं।

सारणी LVI—हाई/उच्चतर माध्यमिक

राज्य	लड़के		लड़कियां
	1958-59	1959-60	1958-59
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश . .	1,49,274	1,56,536	26,443
आसाम . . .	79,055	88,129	18,974
बिहार . . .	3,31,557	3,80,231	20,836
बम्बई { महाराष्ट्र .	4,66,593	3,14,152	1,33,469
बम्बई { गुजरात .	*	1,80,650	*
जम्मू और कश्मीर . .	14,278	15,412	2,458
केरल . . .	1,32,314	1,57,005	82,268
मध्य प्रदेश . .	64,006	88,596	9,771
मद्रास . . .	1,78,595	1,85,627	55,844
मैसूर . . .	1,12,507	1,35,582	28,951
उड़ीसा . . .	46,382	53,318	4,236
पंजाब . . .	1,19,442	1,24,059	18,229
राजस्थान . .	59,958	67,175	5,465
उत्तर प्रदेश . .	2,88,621	3,04,868	28,957
पश्चिमी बंगाल . .	1,28,447	1,45,670	30,854
अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	88	112	20
दिल्ली . . .	26,876	25,607	11,002
हिमाचल प्रदेश . .	4,115	3,912	519
मनिपुर . . .	8,400	9,981	1,527
त्रिपुरा . . .	2,372	2,947	757
उपूसी (नेफ़ा) . .	136	208	10
पांडिचेरी . . .	1,677	2,017	560
भारत .	22,14,693	24,41,794	4,81,150

*इसके आंकड़े

स्तर पर छात्रों की संख्या

लड़कियां	जोड़		वृद्धि + या कमी (—)	
1959-60	1958-59	1959-60	संख्या	प्रतिशत
5	6	7	8	9
29,087	1,75,717	1,85,623	+ 9,906	+ 5.6
23,330	98,029	1,11,459	+13,430	+13.7
26,111	3,52,393	4,06,342	+53,949	+15.3
97,122	6,00,062	4,11,274	+44,573	+ 7.4
53,711	*	2,33,361	*	*
3,295	16,736	18,707	+ 1,971	+11.8
1,02,802	2,14,582	2,59,807	+45,225	+21.1
12,981	73,777	1,01,577	+27,800	+37.7
60,661	2,34,439	2,46,288	+11,849	+ 5.1
36,371	1,41,458	1,71,953	+30495	+21.6
4,913	50,618	58,231	+ 7,613	+15.0
23,486	1,37,671	1,47,545	+ 9,874	+ 7.2
6,488	65,423	73,663	+ 8,240	+12.6
32,259	3,17,578	3,37,127	+19,549	+ 6.2
35,676	1,59,301	1,81,346	+22,045	+13.8
35	108	147	+ 39	+36.1
13,108	37,878	38,715	+ 837	+ 2.2
620	4,634	4,532	— 102	— 2.2
2,132	9,927	12,113	+ 2,186	+22.0
886	3,129	3,833	+ 704	+22.5
27	146	235	+ 89	+61.0
696	2,237	2,713	+ 476	+21.3
5,64,797	26,95,843	30,06,591	+3,10,748	+11.5

महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी LVII—14 से 16/17 वर्ष के वयो वर्ग के

राज्य	नवीं से आगे की कक्षाओं में	
	लड़के	लड़कियां
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1,56,536	29,087
आसाम	88,129	23,330
बिहार	2,63,032	16,459
बम्बई — महाराष्ट्र	2,24,570	66,132
बम्बई — गुजरात	1,17,474	32,547
जम्मू और कश्मीर	15,412	3,295
केरल	88,341	56,560
मध्य प्रदेश	88,596	12,981
मद्रास	1,85,627	60,661
मैसूर	1,19,871	32,512
उड़ीसा	35,889	3,019
पंजाब	1,24,059	23,486
राजस्थान	67,175	6,488
उत्तर प्रदेश	3,04,868	32,259
पश्चिमी बंगाल	1,45,670	35,676
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	112	35
दिल्ली	25,607	13,108
हिमाचल प्रदेश	3,912	620
मनिपुर	9,981	2,132
उपूसी (नेफ़ा)	208	27
त्रिपुरा	2,947	886
पांडिचेरी	2,017	696
भारत	20,70,033	4,51,996

बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं

भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या	14 से 16/17 वर्ष के वयो वर्ग के बच्चों को कुल जन संख्या की तुलना में नवीं या इससे आगे की कक्षाओं में भरती होने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या		
जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
4	5	6	7
1,85,623	13.5	2.6	8.2
1,11,459	24.5	7.2	16.4
2,79,491	19.2	1.2	10.4
2,90,702	17.2	5.6	11.6
1,50,021	17.3	5.2	11.5
18,707	*	*	*
1,44,901	16.1	10.1	13.1
1,01,577	8.8	1.4	5.3
2,46,288	17.2	5.8	11.6
1,52,383	15.4	4.4	10.0
38,908	6.8	0.6	3.8
1,47,545	18.2	3.9	11.3
73,663	10.2	1.1	5.9
3,37,127	12.8	1.5	7.5
1,81,346	12.1	3.3	7.9
147	*	*	*
38,715	28.5	16.4	22.8
4,532	9.8	1.6	5.7
12,113	49.9	7.1	24.2
235	*	*	*
3,833	9.8	2.2	5.5
2,713	*	*	*
25,22,029	14.7	3.5	9.3

*आंकड़े उपलब्ध नही हैं।

सारणी LVII में यह दिखाया गया है कि सभी राज्यों में 14 साल से लेकर 17 साल की उम्र वाले छात्रों की कुल संख्या की तुलना में 9वीं से लेकर 10वीं/11वीं तक की सभी कक्षाओं में कितने छात्र भर्ती हुए थे। इन से ज्ञात होगा कि 1959–60 में देश भर में उपर्युक्त उम्रवाले औसतन 9.3 प्रतिशत छात्रों के लिए हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने की सुविधाएं प्राप्त थीं। इस संबंध में राज्यों के आंकड़ों में परस्पर बहुत अन्तर है।

सह-शिक्षा

आलोच्य वर्ष में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या 16,04,402 थी। इनमें से 5,70,987 लड़कियां, लड़कों के स्कूलों में पढ़ रही थीं। हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 34.3 प्रतिशत से बढ़ कर 35.6 प्रतिशत हो गई। इन स्कूलों में सह-शिक्षा किस सीमा तक थी, यह सारणी LVIII में दिखाया गया है। उपूसी (नेफ़ा) में लड़कियों का कोई अलग स्कूल नहीं था। लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की सबसे अधिक प्रतिशत-संख्या केरल (66.3 प्रतिशत) में थी। इसके बाद क्रमशः बम्बई (51.0 प्रतिशत), आसाम (47.4 प्रतिशत), उड़ीसा (46.3 प्रतिशत), मनिपुर (43.8 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (42.4 प्रतिशत), मद्रास (41.9 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (41.7 प्रतिशत) आते हैं। अन्य राज्यों में काफी लड़कियां लड़कियों के ही स्कूलों में पढ़ रहीं थीं।

अध्यापक

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कुल संख्या 2,45,555 (1,96,278 पुरुष और 49,277 महिलाएं) से बढ़ कर आलोच्य वर्ष में 2,67,637 (2,12,325 पुरुष और 55,312 महिलाएं) हो गई। इस प्रकार इनकी संख्या 9.0 प्रतिशत बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या में 10.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अध्यापकों की कुल संख्या में 20.6 प्रतिशत महिलाएं थीं। पिछले वर्ष इनकी संख्या 20.1 प्रतिशत थी। कुल अध्यापकों की संख्या की तुलना में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 1959–60 में बढ़ कर 1,70,670 हो गई। 1958–59 में यह संख्या 1,55,288 थी। इस प्रकार यह संख्या 9.9 प्रतिशत बढ़ गई। इस प्रकार प्रशिक्षित अध्यापकों की कुल संख्या 63.2 प्रतिशत से बढ़कर 63.8 प्रतिशत हो गई। प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का अनुपात पिछले वर्ष की भांति 74.4 प्रतिशत ही रहा।

विभिन्न राज्यों के हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का विभाजन सारणी LIX में दिखाया गया है। केवल पांडिचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्यों में अध्यापकों की संख्या बढ़ गई। पांडिचेरी की संख्या में भी कोई विशेष कमी नहीं हुई। आसाम, बिहार, बम्बई, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, उपूसी (नेफ़ा) और त्रिपुरा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कुल संख्या बढ़ गई। उपूसी (नेफा) में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या 75.0 प्रतिशत से घटकर 62.0 प्रतिशत हो गई। अन्य राज्यों में कमी के आंकड़े इस प्रकार थे: त्रिपुरा में 33.3 प्रतिशत से घटकर 29.1 प्रतिशत, बम्बई में 61.5 प्रतिशत से घटकर 60.5 प्रतिशत और उड़ीसा में 52.3 प्रतिशत से घटकर 51.2 प्रतिशत। आसाम, बिहार, मैसूर और राजस्थान में विशेष कमी नहीं हुई: सबसे अधिक प्रशिक्षित अध्यापक (93.1 प्रतिशत) दिल्ली में थे। इसके बाद क्रमशः मद्रास (91.8 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (87.1 प्रतिशत), पंजाब (81.7 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (80.4 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (77.4 प्रतिशत), केरल (75.5 प्रतिशत) उत्तर प्रदेश और पांडिचेरी (67.2 प्रतिशत), मैसूर (65.6 प्रतिशत) और जम्मू और कश्मीर (64.9 प्रतिशत) आते हैं। अन्य राज्यों में यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत (63.8) से कम, और 62.0 प्रतिशत (उपूसी) और 11.9 प्रतिशत (मनिपुर) के बीच था।

सारणी LVIII—हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या

राज्य	लड़कों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के स्कूलों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की प्रतिशत संख्या	
				1958 –59	1959 –60
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश . .	45,675	62,054	1,07,729	41.6	42.4
आसाम . .	23,964	26,544	50,508	45.1	47.4
बिहार . .	8,052	26,865	34,917	24.4	23.1
बम्बई { महाराष्ट्र .	99,757	97,664	1,96,821	50.3	50.7
बम्बई { गुजरात .	40,250	38,223	78,473	*	51.3
जम्मू और कश्मीर .	486	16,736	17,222	2.6	2.8
केरल . .	1,77,816	90,228	2,68,044	65.5	66.3
मध्य प्रदेश . .	7,467	42,054	49,521	15.1	15.1
मद्रास . .	73,589	1,02,247	1,75,836	39.8	41.9
मैसूर . .	19,707	38,874	58,581	31.9	33.6
उड़ीसा . .	5,024	5,838	10,862	45.6	46.3
पंजाब . .	18,660	1,32,492	1,51,152	11.6	12.3
राजस्थान . .	3,744	15,677	19,421	16.8	19.3
उत्तर प्रदेश . .	10,092	1,28,812	1,38,904	6.8	7.3
पश्चिमी बंगाल .	14,722	1,40,543	1,55,265	7.2	9.5
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	11	140	151	100.0	100.0
दिल्ली . .	15,125	57,915	73,040	12.0	20.7
हिमाचल प्रदेश .	2,826	3,952	6,778	41.4	41.7
मनिपुर . .	1,724	2,216	3,940	42.4	43.8
उपूसी (नेफ़ा) .	109	..	109	100.0	100.0
त्रिपुरा . .	860	2,237	3,097	34.1	27.8
पांडिचेरी . .	1,327	2,704	4,031	30.5	32.9
भारत .	5,70,987	10,33,415	16,04,402	34.3	35.6

*महाराष्ट्र के आकड़ों में शामिल है ।

सारणी LIX—हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों

राज्य	पुरुष		महिलाएँ	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश . .	17,286	18,619	3,236	3,574
आसाम . . .	6,501	7,111	1,020	1,019
बिहार . . .	14,053	15,547	869	961
बम्बई { महाराष्ट्र . .	30,374	23,060	7,949	7,190
बम्बई { गुजरात . .	*	10,668	*	1,892
जम्मू और कश्मीर . .	1,958	2,144	545	616
केरल . . .	14,150	15,371	8,672	9,770
मध्य प्रदेश . .	7,629	8,714	2,000	2,308
मद्रास . . .	18,648	20,089	5,552	6,199
मैसूर . . .	6,945	7,652	1,773	2,011
उड़ीसा . .	3,727	4,040	316	333
पंजाब . . .	15,087	15,396	3,818	4,428
राजस्थान . .	6,432	7,358	772	887
उत्तर प्रदेश . .	27,245	28,494	5,219	5,408
पश्चिमी बंगाल . .	20,451	21,742	4,752	5,385
दिल्ली . . .	17	22	3	9
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	3,635	3,942	2,283	2,751
हिमाचल प्रदेश . .	806	867	190	255
मनिपुर . . .	615	683	35	42
उपूसी (नेफ़ा) . .	36	58	4	13
त्रिपुरा . . .	399	446	84	97
पांडिचेरी . .	284	302	185	164
भारत .	1,96,278	2,12,325	49,277	55,312

*महाराष्ट्र के आंकड़ों

में अध्यापकों की संख्या

जोड़		वृद्धि (+) या कमी (—)	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	
1958–59	1959–60		1958–59	1959–60
6	7	8	9	10
20,522	22,193	+1,671	16,080	17,834
7,521	8,130	+ 609	1,286	1,372
14,922	16,508	+1,586	5,968	6,567
38,323	30,250	+4,487	23,552	18,996
*	12,560	+ *	*	7,337
2,503	2,760	+ 257	1,532	1,792
22,822	25,141	+2,319	17,047	18,980
9,629	11,022	+1,393	4,482	5,303
24,200	26,288	+2,088	21,979	24,142
8,718	9,663	+ 945	5,738	6,338
4,043	4,373	+ 330	2,116	2,240
18,905	19,824	+ 919	15,512	16,203
7,204	8,245	+1,041	3,188	3,627
32,464	33,902	+1,438	21,508	22,771
25,203	27,127	+1,924	8,428	9,338
20	31	+ 11	15	24
5,918	6,693	+ 775	5,468	6,228
996	1,122	+ 126	837	977
650	725	+ 75	68	86
40	71	+ 31	30	44
483	543	+ 60	161	158
469	466	—3	293	133
2,45,555	2,67,637	+22,082	1,55,288	1,70,670

शामील है ।

सारणी LIX—हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या—क्रमशः

राज्य	अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशत संख्या		प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश . .	78.4	80.4	22	22
आसाम . . .	17.1	16.9	26	26
बिहार . . .	40.0	39.8	29	29
महाराष्ट्र . . .	61.5	62.8	24	24
गुजरात . . .	*	58.4	*	26
जम्मू और कश्मीर . .	61.2	64.9	28	27
केरल . . .	74.7	75.5	25	25
मध्य प्रदेश . .	46.5	48.1	20	20
मद्रास . . .	90.8	91.8	24	24
मैसूर . . .	65.8	65.6	24	24
उड़ीसा . . .	52.3	51.2	22	21
पंजाब . . .	82.1	81.7	34	33
राजस्थान . .	44.3	44.0	21	21
उत्तर प्रदेश . .	66.3	67.2	25	25
पश्चिम बंगाल . .	33.4	34.4	25	25
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	75.0	77.4	17	16
दिल्ली . . .	92.4	93.1	27	27
हिमाचल प्रदेश . .	84.0	87.1	27	27
मनिपुर . . .	10.5	11.9	27	29
उपूसी (नेफ़ा) . .	75.0	62.0	11	11
त्रिपुरा . . .	33.3	29.1	21	21
पांडिचेरी . . .	62.5	67.2	25	26
भारत .	63.2	63.8	25	25

*महाराष्ट्र के आकड़ों में शामिल है ।

अध्यापक और छात्रों का अनुपात

आलोच्य वर्ष में प्रति अध्यापक छात्रों की औसत संख्या पिछले वर्ष की तरह 25 ही रही। विभिन्न राज्यों की यह औसत संख्या सारणी LIX के 13 वें और 14 वें खानों में दिखाई गई है।

व्यय

हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 52,51,55,365 रु० से बढ़कर, आलोच्य वर्ष में 59,90,31,253 रु० हो गया। इसमें उत्तर बुनियादी विद्यालयों का खर्च भी शामिल है। इस प्रकार कुल व्यय में 14.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष 13.0 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसमें से 49,97,87,764 रु० लड़कों के स्कूलों पर और 9,92,43,489 रु० लड़कियों के स्कूलों पर खर्च किये गये। केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर ही 21,12,25,546 रु० खर्च किए गए। उत्तर-बुनियादी विद्यालयों पर 4,85,227 रु० खर्च किये गये। सभी शिक्षा-संस्थाओं पर किए गए व्यय की तुलना में हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय का अनुपात 25.8 प्रतिशत से बढ़ कर 26.3 प्रतिशत हो गया।

हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर विभिन्न आय-स्रोतों से पूरे किए गए प्रत्यक्ष व्यय का ब्योरा नीचे की सारणी LX में दिया गया है।

सारणी LX—आय स्रोतों के अनुसार हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय

आयस्रोत	1958-59		1959-60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
सरकारी निधियां .	24,12,32,444	45.9	28,79,88,797	48.1
जिला परिषदों की निधियां।	123,64,637	2.4	1,77,26,169	3.0
नगर पालिकाओं की निधियां।	71,62,468	1.4	92,96,733	1.5
फ़ीस . .	21,60,10,799	41.1	23,62,14,224	39.4
धर्मस्व . .	1,71,68,658	3.3	1,86,79,768	3.1
अन्य आय-स्रोत .	3,12,16,359	5.9	2,91,25,562	4.9
जोड़ .	52,51,55,365	100.0	59,90,31,253	100.0

इससे स्पष्ट होगा कि लगभग आधा व्यय सरकारी निधियों से और लगभग 2/5 भाग फ़ीस से पूरा किया गया। आलोच्य वर्ष में सरकारी निधियों से पूरे किए गए व्यय में 19.4 प्रतिशत, जिला परिषदों की निधियों से पूरे किए गए व्यय में 43.4 प्रतिशत, नगर पालिकाओं की निधियों से पूरे किए गए व्यय में 29.8 प्रतिशत, फ़ीस में 9.4 प्रतिशत और धर्मस्व से पूरे किए गए व्यय में 8.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। अन्य स्रोतों से किए गए व्यय में 6.7 प्रतिशत कमी हो गई।

विभिन्न प्रबंध-संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर किए गए कुल प्रत्यक्ष व्यय का विभाजन नीचे सारणी LXI में दिया गया है।

सारणी LXI—विभिन्न प्रबंध संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय

प्रबंध संस्था	1958–59		1959–60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
सरकार . . .	12,43,37,734	23.7	13,56,97,469	22.7
ज़िला परिषदें . .	2,71,86,186	5.2	4,01,86,485	6.7
नगरपालिकाएं .	1,88,06,088	3.6	2,19,30,281	3.7
गैर-सरकारी संस्थाएं				
सहायता-प्राप्त .	31,11,15,187	59.2	35,79,07,192	59.7
बिना सहायता वाली	4,37,10,170	8.3	4,33,09,826	7.2
जोड़ .	52,51,55,365	100.0	59,90,31,253	100.0

इस सारणी और सारणी LII में परस्पर एकरूपता है। इनसे ज्ञात होता है कि कुल प्रत्यक्ष व्यय का 66.9 प्रतिशत गैर-सरकारी स्कूलों पर, 22.7 प्रतिशत सरकारी स्कूलों पर और शेष 10.4 प्रतिशत रकम स्थानीय परिषदों के स्कूलों पर खर्च की गयी। इन स्कूलों की प्रतिशत संख्या क्रमशः 70.3, 18.1 और 11.6 प्रतिशत थी।

सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न राज्यों में हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर हुए प्रत्यक्ष व्यय का विवरण सारणी LXII में दिया गया है। सभी राज्यों के प्रत्यक्ष व्यय में वृद्धि हुई। सबसे अधिक व्यय-वृद्धि, पहले की भांति ही, बम्बई में (1,58,34,582 रु०) हुई। इसके बाद क्रमशः पश्चिमी बंगाल (91,43,622 रु०), आंध्र प्रदेश (73,35,966 रु०), उत्तर प्रदेश (60,25,368 रु०), मद्रास (57,88,025 रु०), केरल (57,79,619 रु०), दिल्ली (46,32,219 रु०) और मध्य प्रदेश (46,29,830 रु०) आते हैं। सब से कम वृद्धि उपूसी (50,000 रु०) में हुई। प्रतिशत-वृद्धि की दृष्टि से सब से पहले अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (59.1 प्रतिशत) का नाम आता है और सब से बाद में पंजाब (2.9 प्रतिशत) का। अन्य राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में यह वृद्धि 7.4 प्रतिशत (उत्तर प्रदेश) और 44.0 प्रतिशत (उपूसी) के बीच रही।

आलोच्य वर्ष में शिक्षा पर किए गए कुल व्यय की तुलना में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर किए गए प्रतिशत व्यय का विवरण सारणी LXII के 10 वें खाने में दिया गया है। उससे ज्ञात होगा कि विभिन्न राज्यों के इन आंकड़ों में काफी अन्तर है। इस अन्तर का मुख्य कारण यह है कि सभी राज्यों में हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं की संख्या एक जैसी नहीं थी।

विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार व्यय का विवरण सारणी LXII के 11 वें खाने से लेकर 16 वें तक के खानों में दिखाया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा उपूसी (नेफ़ा) में शत-प्रतिशत व्यय सरकार ने पूरा किया। जिन राज्यों में व्यय का अधिकांश भाग सरकार ने पूरा किया उनके नाम ये हैं :—जम्मू व कश्मीर (95.4 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (94.8 प्रतिशत), राजस्थान (82.9 प्रतिशत), त्रिपुरा (82.7 प्रतिशत), केरल (77.5 प्रतिशत), जिन राज्यों में सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक व्यय पूरा किया, उनके नाम इस प्रकार हैं :—मध्य प्रदेश (68.3 प्रतिशत), पांडिचेरी (67.8 प्रतिशत), उड़ीसा (54.2 प्रतिशत), दिल्ली (52.7 प्रतिशत), आसाम (52.4 प्रतिशत) और पंजाब (50.3 प्रतिशत)। शेष राज्यों में सरकार द्वारा किया गया व्यय 11.4 प्रतिशत (मनिपुर) से लेकर 49.5 प्रतिशत (मैसूर) तक रहा। व्यय में स्थानीय संस्थाओं का अंशदान मनिपुर में ही (57.7 प्रतिशत) उल्लेखनीय रहा। बिहार (60.0 प्रतिशत), पश्चिमी बंगाल (57.5 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (51.0 प्रतिशत) में 50 प्रतिशत से अधिक खर्च की व्यवस्था फ़ीस से की गई। जहां तक अन्य आय-स्रोतों (धर्मस्व को मिलाकर) का संबंध है, उनका योगदान 13.8 प्रतिशत (केवल पंजाब) से अधिक नहीं रहा।

हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रति छात्र औसत वार्षिक शिक्षा व्यय आलोच्य वर्ष में 85.1 रुपए से बढकर 88.6 रुपए हो गया। विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियां 42.6 रु०, जिला परिषदों की निधियां 2.6 रु०, नगरपालिकाओं की निधियां 1.4 रु०, फ़ीस 34.9 रु०, धर्मस्व 2.8 रु० और अन्य आय स्रोत 4.3 रुपए। हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1958–59 और 1959–60 का प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च सारणी LXII के 17 वें और 18 वें खानों में दिखाया गया है। सात राज्यों और 4 संघ राज्य-क्षेत्रों में यह खर्च पूरे भारत के औसत (88.6 रु०) से अधिक रहा।

सारणी LXII—हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक

राज्य	लड़कों के स्कूलों पर		लड़कियों के
	1958–59	1959–60	1958–59
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश . .	3,13,53,503	3,78,00,145	48,92,541
आसाम . . .	1,14,97,717	1,30,74,342	19,65,233
बिहार . . .	2,28,13,483	2,61,09,896	20,53,949
बम्बई { महाराष्ट्र . .	8,62,98,325	7,03,99,001	1,45,28,911
बम्बई { गुजरात . .	*	2,93,20,599	*
जम्मू और कश्मीर . .	34,96,201	42,66,087	8,39,367
केरल . . .	2,81,22,024	3,34,20,845	53,11,635
मध्य प्रदेश . .	1,66,64,086	2,00,08,733	37,16,581
मद्रास . . .	3,83,49,725	4,29,65,875	83,00,915
मैसूर . . .	1,54,53,023	1,75,82,543	32,50,331
उड़ीसा . . .	63,17,668	71,09,669	6,48,402
पंजाब . . .	3,06,01,598	3,08,46,901	70,46,219
राजस्थान . .	1,50,85,715	1,78,33,692	20,17,318
उत्तर प्रदेश . .	6,85,74,133	7,35,01,117	1,27,45,307
पश्चिमी बंगाल . .	4,64,43,598	5,35,42,432	1,23,38,980
अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	98,250	1,16,920	..
दिल्ली . . .	1,39,89,853	1,70,00,161	59,33,322
हिमाचल प्रदेश . .	14,96,703	20,19,918	1,78,686
मनिपुर . . .	7,29,365	9,92,055	..
त्रिपुरा . . .	9,73,201	11,23,606	2,04,966
उपूसी (नेफ़ा) . .	1,13,721	1,63,721	79,501
पांडिचेरी . . .	4,07,856	5,89,506	2,23,453
भारत .	43,88,79,748	49,97,87,764	8,62,75,617

*महाराष्ट्र के

स्कूलों पर राज्यवार व्यय

स्कूलों पर	जोड़		वृद्धि(+) या कमी (—)	
1959-60	1958-59	1959-60	रकम	प्रतिशत
5	6	7	8	9
57,81,865	3,62,46,044	4,35,82,010	+ 73,35,966	+20.0
21,06,101	1,34,62,950	1,51,80,443	+ 17,17,493	+12.8
22,13,533	2,48,67,432	2,83,23,429	+ 34,55,997	+13.9
1,29,94,011	10,08,27,236	8,33,93,012	+1,58,34,582	+15.7
39,48,207	*	3,32,68,806	*	*
9,97,222	43,35,568	52,63,309	+ 9,27,741	+21.4
57,92,433	3,34,33,659	3,92,13,278	+ 57,79,619	+17.3
50,01,764	2,03,80,667	2,50,10,497	+ 46,29,830	+22.7
94,72,790	4,66,50,640	5,24,38,665	+ 57,88,025	+12.4
34,03,183	1,87,03,354	2,09,85,726	+ 22,82,372	+12.2
6,83,613	69,66,070	77,93,282	+ 8,27,212	+11.9
78,83,053	3,76,47,817	3,87,29,954	+ 10,82,137	+ 2.9
22,08,049	1,71,03,033	2,00,41,741	+ 29,38,708	+17.2
1,38,43,691	8,13,19,440	8,73,44,808	+ 60,25,368	+ 7.4
1,43,83,768	5,87,82,578	6,79,26,200	+ 91,43,622	+15.6
39,377	98,250	1,56,297	+ 58,047	+59.1
75,55,233	1,99,23,175	2,45,55,394	+ 46,32,219	+23.3
2,96,968	16,75,389	23,16,886	+ 6,41,497	+38.3
1,26,219	8,08,866	11,18,274	+ 3,09,408	+38.3
2,76,807	11,78,167	14,00,413	+ 2,22,246	+18.9
..	1,13,721	1,63,721	+ 50,000	+44.0
2,35,602	6,31,309	8,25,108	+ 1,93,799	+30.7
9,92,43,489	52,51,55,365	59,90,31,253	+7,38,75,888	+14.1

आंकड़ों में शामिल है।

सारणी LXII—हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर

राज्य	सन् 1959–60 में शिक्षा पर हुए कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में हाई/माध्यमिक स्कूलों पर किए गये व्यय का प्रतिशत	विभिन्न आय स्त्रोतों से पूरे किए गए व्यय का प्रतिशत (1959–60)	
		सरकारी निधियां	जिला परिषदों की निधियां
1	10	11	12
आंध्र प्रदेश . . .	25.5	47.8	15.9
आसाम	27.8	52.4	0.0
बिहार	21.6	30.4	..
बम्बई { महाराष्ट्र . . .	27.3	38.4	0.1
बम्बई { गुजरात . . .	24.6	46.8	2.8
जम्मू और काश्मीर . . .	35.0	95.4	..
केरल	27.7	77.5	..
मध्य प्रदेश	17.6	68.3	0.8
मद्रास	26.2	44.4	15.9
मैसूर	16.1	49.5	2.4
उड़ीसा	18.9	54.2	0.0
पंजाब	31.3	50.3	0.1
राजस्थान	24.5	82.9	0.1
उत्तर प्रदेश	31.2	41.1	0.0
पश्चिमी बंगाल . . .	30.1	34.3	0.0
अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह . .	31.5	100.0	..
दिल्ली	33.6	52.7	..
हिमाचल प्रदेश . . .	31.7	94.8	..
मनिपुर	23.5	4.4	57.7
त्रिपुरा	18.0	82.7	..
उपूसी (नेफ़ा) . . .	15.6	100.0	..
पाण्डिचेरी	29.5	67.8	..
भारत .	26.3	48.1	3.0

राज्यवार प्रत्यक्ष व्यय—(जारी)

विभिन्न आय स्रोतों से पूरे किए गए व्यय का प्रतिशत (1959-60)				प्रतिछात्र वार्षिक औसत व्यय	
नगरपालिकाओं की निधियां	फीस	धर्मस्व	अन्य आय स्रोत	1958-59	1959-60
13	14	15	16	17	18
3.4	28.9	3.7	0.3	80.5	88.5
0.1	42.6	4.3	0.6	69.3	72.7
0.0	60.0	2.9	6.7	57.8	59.1
0.5	51.7	0.9	8.4	107.4	112.9
4.2	38.1	3.1	5.0	*	102.2
..	1.4	0.2	3.0	61.5	70.0
..	19.9	0.2	2.4	58.0	61.7
1.9	17.3	4.3	7.4	106.4	112.6
3.7	27.6	7.7	0.7	81.1	83.9
4.5	33.0	2.2	8.4	88.5	89.9
0.5	33.5	6.0	5.8	79.8	83.6
0.2	35.6	8.0	5.8	59.0	58.4
0.0	9.1	6.0	1.9	112.6	117.5
0.8	51.0	1.0	6.1	101.5	101.1
0.0	57.5	3.2	5.0	93.4	100.3
..	..	..	..	288.13	320.3
7.5	33.4	0.6	5.8	124.5	133.4
..	4.2	0.4	0.6	61.3	77.6
..	24.2	6.7	..	45.4	53.4
..	15.5	0.8	1.0	114.9	123.4
..	..	..	..	257.9	201.9
..	28.6	2.0	1.6	54.9	68.6
1.6	39.4	3.1	4.8	85.1	88.6

*महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं।

परीक्षाफल

सन् 1960 की मैट्रिक और उसकी समकक्ष परीक्षाओं में बैठने वाले नियमित और प्राइवेट परीक्षार्थियों की कुल संख्या 11,75,706 (9,79,983 लड़के और 1,95,723 लड़कियां) से बढ़ कर 13,49,465 (10,96,368 लड़के और 2,53,097 लड़कियां) हो गई। इनमें से 5,72,369 छात्र (4,59,117 लड़के और 1,13,252 लड़कियां) उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 42.4 प्रतिशत (41.9 प्रतिशत लड़के और 44.7 प्रतिशत लड़कियां) रही। गत वर्ष ये संख्याएं इस प्रकार थीं—उत्तीर्ण छात्र 5,30,136 (4,37,318 लड़के और 92,818 लड़कियां), तथा उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत संख्या 45.1 (44.6 लड़के और 47.4 लड़कियां)। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के परीक्षाफलों का विस्तृत ब्योरा सारणी LXIII में दिया गया है।

छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं

हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कुल 67,62,546 छात्रों में से 3,48,604 छात्रों को छात्रवृत्तियां और वृत्तिकाएं दी गईं। आलोच्य वर्ष में छात्रवृत्तियों और वृत्तिकाओं के रूप में 2,37,52,643 रुपए बांटे गए। इसके अतिरिक्त 6,68,182 छात्रों को आर्थिक रियायतें दी गईं जिसपर 2,75,24,244 रुपए खर्च हुए। साथ ही 11,04,873 छात्रों की फ़ीस भी माफ़ की गई जिस पर कुल मिलाकर 4,41,22,343 रुपए खर्च हुए।

सारणी LXIII—मैट्रिक्यूलेशन या उसके बराबर की परिक्षाओं का परीक्षाफल

राज्य	परीक्षा देने वालों की संख्या			उत्तीर्ण होने वालों की संख्या			उत्तीर्ण होने वालों की प्रतिशत संख्या
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश . .	82,129	12,600	94,729	25,793	4,022	29,815	31.5
आसाम . .	18,866	4,527	23,393	8,169	1,930	10,099	43.2
बिहार . .	97,138	5,533	1,02,671	50,401	3,775	54,176	52.8
बम्बई { महाराष्ट्र .	1,01,570	26,823	1,28,393	42,529	14,459	56,988	44.4
बम्बई { गुजरात .	1,01,571	36,088	1,37,659	45,147	15,014	60,161	43.7
जम्मु और कश्मीर . .	8,460	2,031	10,491	3,784	836	4,620	44.0
केरल . .	69,269	43,058	1,12,327	25,936	15,679	41,615	37.0
मध्य प्रदेश . .	40,722	6,463	47,185	15,763	3,163	18,926	40.5
मद्रास . .	65,116	18,243	83,359	25,555	7,991	33,546	40.3
मैसूर . .	54,309	11,316	65,625	26,401	6,193	32,594	49.7
उड़ीसा . .	17,497	1,163	18,660	8,313	691	9,004	48.3
पंजाब . .	82,975	26,808	1,09,783	38,776	12,038	50,814	46.3

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	47,172	4,777	51,949	20,598	2,379	22,977	44.2
उत्तर प्रदेश	1,98,291	20,071	2,18,362	74,922	11,570	86,492	39.6
पश्चिमी बंगाल	96,796	28,873	1,25,669	39,227	10,448	49,675	39.6
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह . .	63	22	85	21	8	29	34.1
दिल्ली	8,462	3,103	11,565	5,051	2,392	7,443	64.3
हिमाचल प्रदेश	1,764	275	2,039	1,263	214	1,477	72.4
मनिपुर	1,819	298	2,117	702	89	791	37.4
उपूसी (नेफा)	13	3	16	10	2	12	75.0
त्रिपुरा	1,513	793	2,306	457	133	590	25.6
पांडिचेरी	853	229	1,082	257	97	354	32.7
भारत . .	10,96,368	2,53,097	13,49,465	4,59,075	1,13,123	5,72,198	42.4

छठा अध्याय

विश्वविद्यालय-शिक्षा

इस अध्याय में विश्वविद्यालयों, कालेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक स्तर की सामान्य, वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले मुख्य विकासों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वृत्तिक शिक्षा के कुछ प्रकारों का वर्णन बाद के अध्यायों—"अध्यापकों" का प्रशिक्षण (सातवां अध्याय) और वृत्तिक तथा तकनीकी शिक्षा (आठवां अध्याय)—में कुछ विस्तार के साथ किया गया है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों "में" छात्रों की बढ़ती हुई संख्या की समस्या पर अधिकारीगण निरंतर विचार करते रहे। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने नये पाठ्यक्रम तयार करके पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और छात्रावासों की सुविधाओं का विस्तार करके, अधिक छात्रवृत्तियों एवं वृत्तिकाओं की व्यवस्था करके तथा अध्यापको के वेतन में वृद्धि आदि करके इस स्तर की शिक्षा के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया।

इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय-अनुदान आयोग को 7.50 करोड़ रुपये दिये। इस राशि में 5.44 करोड़ रुपये आयोजनागत परियोजनाओ के लिए और 2.06 करोड़ रुपये आयोजनेतर परियोजनाओं के लिए थे। इस राशि से और गत वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि से विश्वविद्यालयों और कालेजों को कुल मिलाकर 7.98 करोड़ रुपये के अनुदान (6.01 करोड़ रुपये आयोजनागत—परियोजनाओं के लिए और 1.97 करोड़ रुपये आयोजनेतर परियोजनाओं के लिए) दिये गये थे। इसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का भाग 2.94 करोड़ रूपये था। 0.97 करोड़ रुपये आयोजनागत परियोजनाओं के लिए और 1.97 करोड़ रुपये आयोजनेतर परियोजनाओं के लिए।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, इस वर्ष जामिया मिलिया इस्लामिया को 4.75 लाख रुपये का अनुदान दिया। मंत्रालय ने जामिया की गतवर्ष की 11,793 रुपये की बेशी रकम को इस वर्ष के हिसाब में शामिल कर देने की स्वीकृति भी दी।

इस वर्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किये गये विभिन्न विकास प्रस्तावों की जांच करने के लिए कई निरीक्षण समितियां बनाई। उनकी सिफ़ारिश पर आयोग ने मानव-विद्याओं और सामाजिक विज्ञानों में 90.05 लाख रुपये, और विज्ञान तथा औद्योगिकी (टेक्नोलौजी) में 76.05 लाख रुपये की योजनाओं का अनुमोदन किया।

तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने की योजना में इस वर्ष और प्रगति हुई। दो और विश्वविद्यालयों में यह योजना लागू कर दी गयी। इनके नाम एस० एन० डी० टी० (श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी) महिला विश्वविद्यालय और विक्रम विश्व विद्यालय हैं। इस प्रकार इस योजना को लागू करने वाले विश्व विद्यालयों की कुल संख्या 22 तक पहुंच गयी। बाद में नौ और विश्वविद्यालयों ने इस योजना को लागू करना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया कि राज्य में बारह-वर्षीय स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा के वर्तमान रूप में बिना कोई परिवर्तन किये हुए सभी राज्य विश्वविद्यालयों में इस योजना को लागू कर दिया जाये। बम्बई विश्वविद्यालय को इंटरमीडिएट के बाद तीन वर्षीय "आनर्स" पाठ्यक्रम भी चालू करने की स्वीकृति दे दी गयी। विश्वविद्यालय का दो-वर्षीय "पास" पाठ्यक्रम भी चालू रहेगा।

तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रक्कलन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी कालेजों को अनुदान देने के लिए राज्य सरकारों को 31.50 लाख रुपये की राशि और ग़ैर-सरकारी कालेजों को अनुदान देने के लिए वि० अ० आ० को 55.32 लाख रुपये की राशि दी । वि० अ० आ० का अंशदान 48.45 लाख रुपये रखा गया ।

स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसन्धान के क्षेत्र में वि०अ० आयोग, विज्ञान और मानव-विद्याओं के मूल विषयों को विकसित करने की नीति पर चलता रहा । इस वर्ष मानव-विद्या और सामाजिक विज्ञानों में 46 नये स्नातकोत्तर विभाग खोलने, और विज्ञान तथा औद्योगिकी (टैक्नोलाजी) में 18 विभाग खोलने के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता दी गयी । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर कालेज खोलने और उसे चालू रखने के लिए 65,000 रु० और दिल्ली के चार सायंकालीन कालेजों में वितरित करने के लिए 28,521 रुपए दिए ।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय महिलाओं की कालेज की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देता रहा । कालेजों में महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न सरकारों के लिए यथानुपात आधार पर 10 लाख रुपये के अनुदान मंजूर किये गये ।

माध्यमिक शिक्षा की नयी पद्धति लागू होने के परिणाम-स्वरूप इंजीनियरी और औद्योगिकी (टैक्नोलौजी) के नये प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के तैयार करने के प्रश्न पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय परिषद् की संयुक्त समिति ने विचार किया । समिति ने यह सिफ़ारिश की कि इंजीनियरी और औद्योगिकी के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के स्थान पर पंचवर्षीय समेकित पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और उसमें दाखिल होने के लिए इंटरमीडिएट के बाद के वर्तमान चार-वर्षीय पाठ्यक्रम के बजाय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को न्यूनतम योग्यता के रूप में माना जाये । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इसे स्वीकार किया और परिषद् ने इस प्रयोजन के लिए इंजीनियरी और तकनीकी कालेजों को अतिरिक्त अनुदान देने का अनुमोदन किया ।

आलोच्य वर्ष में वि० अ० आ० ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आयोजना आयोग के के परामर्श से प्रायोगिक आधार पर विश्वविद्यालयों से संबद्ध औद्योगिक औस्तियां (इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स) बनाने का निर्णय किया । इस योजना में एस्टेट के लिए स्थल की व्यवस्था करने का काम विश्वविद्यालयों को, आवश्यक इमारतें बनाने के लिए एक लाख रुपये देने का काम वि० अ० आयोग को, और एस्टेट्स को चलाने के लिए प्रबंध कर्मचारियों, कच्चा सामान और उपस्कर का संभरण करने का काम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लघुउद्योग प्रभाग को सौंपा गया आरम्भ में इस काम के लिए इलाहाबाद, बड़ौदा, जादवपुर, उस्मानिया और राजस्थान के विश्व-विद्यालय चुने गये ।

ग्राम-संस्थान

ग्यारह उच्चतर ग्राम-संस्थान ग्रामीण युवकों को उनके ही वातावरण में उच्च शिक्षा देते रहे । इन संस्थानों में ग्रामीण परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर शिक्षा दी जाती है और इसका प्रयोजन सरकारी विकास कार्यक्रमों में गांव के योग्य व्यक्तियों को आजीविका के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित करना होता है । अधिकांश संस्थानों ने ग्राम सेवाओं और सिविल और ग्राम-इंजीनियरी के तीन-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तथा कृषि-विज्ञान के दो-वर्षीय प्रमाण-पत्र-पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देनी शुरू कर दी । दो ग्राम-संस्थानों में जुलाई 1960 से एक-वर्षीय सफाई निरीक्षक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया गया । इन संस्थानों के स्तर को और सुधारने के लिए प्रयत्न किये गये और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधन और उपायों पर विचार करने के लिए इन संस्थानों के निदेशकों और उप निदेशकों की एक बैठक हुई । बैठक में

। यो कि जिन राज्यों में अभी तक कोई ग्रामसंस्थान नहीं है वहां भी ऐसे संस्थान खोले जाएं। राष्ट्रीय उच्चतर ग्राम-शिक्षा परिषद् ने संस्थानों से सुनियोजित विस्तार की योजनाओं को तैयार करने और ग्राम-सेवाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में ऐच्छिक वर्गों को बढ़ाने का निर्णय किया। संस्थानों में निर्धन छात्रों को शिक्षा संबंधी सुविधा देने के लिए वृत्तिकाओं के रूप में 2.66 लाख रुपयों की राशि दी गयी।

विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने अध्यापकों के वेतन-मान में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता देने का अपना कार्यक्रम जारी रखा। चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वेतनमान को बढ़ाने से होनेवाले पूरे खर्च की व्यवस्था आयोग ही करता था। शेष राज्य विश्वविद्यालयों को इस खर्च को पूरा करने के लिए खर्च की केवल 80 प्रतिशत रकम ही दी जाती थी, जो 11.02 लाख रुपये बनती थी। इसके अतिरिक्त पुरुषों के कालेजों के लिये व्यय के 50% और महिला कालेजों के लिये व्यय के 75% के आधार पर संबद्ध कालेजों को 53.85 लाख रुपये के अनुदान देने स्वीकृत किये गये।

आयोग ने अध्यापकों की अध्यापन क्षमता में और वृद्धि करने में भी पर्याप्त रुचि दिखाई। लोगोंको शैक्षिक गोष्ठियां करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और विभिन्न विषयों के अध्यापकों के आवधिक-सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन करने के लिए अनुदान दिये गये। गणित, इंजीनियरी, अंग्रेजी और हिन्दी के अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन स्कूलों, संगोष्ठियों और पुनश्चर्याओं का भी आयोजन किया गया इसके अतिरिक्त, अध्यापकों को अपने विषयों से संबंधित अनुसंधान केन्द्रों में अध्ययनार्थ जाने के लिए भी अनुदान दिये गये। अध्यापकों द्वारा मानवविद्याओं और सामाजिक विज्ञानों के विषय पर लिखे गये मौलिक शोध प्रबन्धों के प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालयों को 53,653 रुपये की मंजूरी दी गयी।

विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय-संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए सहायता देने की नीति भी जारी रखी गयी। वि० अ० आ० ने नये पुस्तकालय-भवनों का निर्माण करने या वर्तमान पुस्तकालयों का विस्तार करने के संबंध में पांच और विश्वविद्यालयके प्रस्तावों का अनुमोदन किया। इस परियोजना पर 54.30 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान था।

इस वर्ष, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने छात्रवासों और कर्मचारी निवासों (स्टाफ क्वार्टरों) के निर्माण के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजो को 21.20 लाख रुपये के ऋण देने की मंजूरी दी। इसी प्रयोजन के लिए अपने अंशदान के रूप में वि० अ० आयोग ने भी 47.89 रु० की राशि दी।

छात्र-कल्याण को भी भूलाया नहीं गया। इस वर्ष, वि० अ० आ० ने अवासी छात्र केन्द्र, छात्र स्वास्थ्य केन्द्र, मनोवैज्ञानिक परामर्श केन्द्र, शौक कार्यगोष्ठियों (हाबी वर्कशाप) और छात्र सहायता-निधि की स्थापना करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को अनुदान मंजूर किए।

शिक्षा में सुधार करने के लिए तथा जिन लोगों को देश के सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण में लगाना है, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रहीं थी कि छात्रों पर राष्ट्रीय सेवा लागू करना उचित होगा या नहीं। इस संबंध में एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए आलोच्य वर्ष में, डा० सी० डी० देशमुख की अध्यक्षता में शिक्षा-शास्त्रियों और प्रशासकों की एक समिति नियुक्त की गयी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

उच्चतर शिक्षा के लिए विदेशी सहायता भी इस वर्ष मिलती रही। भारत-अमरीका तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के प्रवर्तन करार (आपरेशनल एग्रीमेन्ट) 41, परिशिष्ट 1 के अधीन, पांच और अमरीकी तकनीशियन गृह विज्ञान के प्रादेशिक प्रदर्शन केन्द्रों के रूप में चुने गये संस्थानों में काम करने के लिये भारत आये और गृह विज्ञान के आठ भारतीय अध्यापक अमेरिका में उच्च प्रशिक्षण

प्राप्त करने के लिए चुने गये। ये अध्यापक दिसम्बर, 1959 में अमरीका के लिए रवाना हुए। इसके अतिरिक्त, अमेरिका से 8,000 डालर की पुस्तकें और 32,000 डालर का साज-सामान मांगने का आदेश भी भेजा गया। भारतीय गेहूं ऋण शैक्षिक विनियम कार्यक्रम के अधीन 1,74,882 डालर की पुस्तकें और 1,75,000 डालर के उपस्कर (साज-सामान) प्राप्त हुए। चार पुस्तकाध्यक्षों, छः वैज्ञानिकों और दो ज्योतिर्विदो (एस्ट्रोनामर) को अमेरिका मे अध्ययन/प्रशिक्षण के लिये अनुदान दिये गये। भारत और अमेरिका के शैक्षिक विनियम कार्यक्रम से संबधित करार के अधीन विश्वविद्यालय के 12 आचार्य (प्रोफ़ेसर) और अनुसंधानकर्ता, स्कूलों के 19 अध्यापक और 100 छात्र अध्ययन/अनुसंधान/अध्यापन के लिए अमेरिका भेजे गये, और 31 अमरीकी प्रोफ़ेसर और 21 अमेरीकी छात्र भारत आये।

मुख्य विकास

देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के पाठ्यचक्रमों के मुख्य विकास का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है :-

आन्ध्र प्रदेश

1 **आन्ध्र विश्व विद्यालय**

नीचे लिखे नये पाठ्यक्रम चालू किये गये :-

(1) सहकारिता और ग्राम अध्ययन का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(2) विज्ञान संकाय में एम० एस-सी० और डी० एस-सी० डिग्रियों के ब च पी० एच० डी० डिग्री।

(3) इंजीनियरी, प्राद्योगिकी और औषध निर्माण शास्त्र (फ़ार्मेसी) की डिग्री का समेकित वृत्तिक पाठ्यक्रम।

इसके अतिरिक्त भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों में शोयकार्य द्वारा मिलने वाली एम० एस्० सी० डिग्री को परीक्षा द्वारा मिलनेवाली एम० एस्-सी० डिग्री में तथा व्यवहारिक भौतिक, व्यवहारिक भूविज्ञान, भू-भौतिकी और मौसम-विज्ञान मे मिलने वाली एम० एस–सी० डिग्री को एम० एस-सी० (तक) डिग्री मे बदल दिया गया।

(2) **उस्मानिया विश्वविद्यालय**

(क) नीचे लिखे गये पाठ्यक्रम चालू किये गये :-

(i) सांख्यकी का स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

(ii) पुस्तकालय विज्ञान के प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा-पाठ्यक्रम।

(iii) शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(iv) उपचर्या (नर्सिंग) का डिग्री पाठ्यक्रम।

(v) विधि चिकित्साशास्त्र का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ख) बी० एस-सी० डिग्री के विषय के रूप में खगोल विज्ञान की शिक्षा भी शुरू की गई।

(3) **श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय**

(क) कृषि संकाय खोला गया।

(ख) कला और विज्ञान में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री के पाठयक्रम चालू किये गये।

बिहार

(1) बिहार विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय में श्रम और सामाजिक कल्याण से संबंधित अध्यापन विभाग आरंभ किया गया ।

(2) पटना विश्वविद्यालय

तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने के पहले दौर के रूप में कला और विज्ञान की पूर्व-विश्व-विद्यालय कक्षाएं आरंभ की गयी ।

बम्बई

(1) बड़ौदा विश्वविद्यालय

भौतिक रसायन में एम० एस-सी०, शैक्षिक प्रशासन, व्यावहारिक भाषाविज्ञान, और स्त्री रोग विज्ञान तथा प्रसूति विद्या के स्नातकोत्तर डिप्लोमा और बाल-विकास तथा-बाल मनोविज्ञान के स्नातक पूर्व डिप्लोमे आरंभ किये गये ।

(2) बम्बई विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावहारिक मनोविज्ञान का विभाग आरंभ किया गया ।

(3) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय

अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, मराठी, संस्कृत, रसायन और प्राणि-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए अध्यापन आरंभ किया गया ।

(4) नागपुर विश्वविद्यालय

(क) एल-एल० एम० की नियमित कक्षाएं आरंभ की गयीं ।

(ख) बी० ए० स्तर पर प्राचीन भारतीय-इतिहास और संस्कृति को पाठ्य विषय के रूप में चालू किया गया ।

(ग) संवेदनाहरण विज्ञान (ऐनस्थेसियोलोजी) और प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय किया गया ।

(5) पुना विश्वविद्यालय

कला, विज्ञान और वाणिज्य के समेकित तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्षीय कक्षायें आरंभ की गयी ।

(6) एस० एन० डी० टी० (श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी) महिला विश्वविद्यालय

(क) तीनवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने के संबंध मे पूर्व विश्वविद्यालय कक्षाएं आरंभ की गयीं ।

(ख) गुजराती और मराठी के स्नातकोत्तर विभाग खोले गये ।

(7) सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ

(क) जर्मन और फ्रेंच के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चालू किये कये ।

(ख) यह निर्णय किया गया कि बी० एड० पाठ्यक्रम को छोड़कर सभी संकायों में शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिन्दी हो । बी० एड० का माध्यम गुजराती हो ।

केरल

केरल विश्वविद्यालय

(क) समुद्री-जीव-विज्ञान, मात्स्यकी और समुद्र विज्ञान का विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग खोला गया और उसमें समुद्री-जीव-विज्ञान और समुद्र-विज्ञान में एम० एस-सी० पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

(ख) नीचे लिखे अन्य नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये:–

(i) सामान्य आयुर्विज्ञान, प्रसूति विद्या और स्त्रीरोग विज्ञान के स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

(ii) सामान्य शल्य-चिकित्सा का स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

(iii) लाक्षणिक रोग-विज्ञान (क्लिनिकल पैथोलाजी) और प्रसूति विद्या तथा स्त्रीरोग-विज्ञान के स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

(iv) दंत शल्य चिकित्सा का डिग्री पाठ्यक्रम।

मध्य प्रदेश

(1) **जबलपुर विश्वविद्यालय**

सन् 1961–62 से कला, विज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान और कृषि के तीनवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने का निर्णय किया गया। उप शिक्षण पद्धति (टयूटोरियल सिस्टम) इस योजना का एक अभिन्न अंग होगी।

(2) **सागर विश्वविद्यालय**

(क) भारत-ईरानी विद्या और भाषा शास्त्र तथा भाषा विज्ञान के दो नये अध्यापन विभागों में स्नातकोत्तर अध्यापन आरंभ किया गया।

(ख) अणुजीव-विज्ञान और विधि-चिकित्सा-विज्ञान का डिग्री पाठ्यक्रम एक दूसरे अध्यापन विभाग में आरंभ किया गया। यह विभाग इसी वर्ष खोला गया था।

(ग) बी० ए० पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के रूप में योग-विज्ञान को सम्मीलित कर लिया गया।

(घ) इस वर्ष जिन अन्य नये पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया, उनके अंतर्गत कृषि का एम० एस-सी० डिग्री पाठ्यक्रम और औषध निर्माण (फार्मेसी) का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल था।

(ङ) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी का संकाय खोला गया।

(3) **विक्रम विश्वविद्यालय**

शारीरिक शिक्षा का डिग्री पाठ्यक्रम और स्त्री-रोग-विज्ञान तथा प्रसूतिविद्या का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किया गया।

मद्रास

(1) **अन्नमलई विश्वविद्यालय**

नीचे लिखे नये पाठ्यक्रम आरंभ किये गये:–

(i) एम० ए०, एम० एस-सी०, एम० काम० और एम० ओ० एल० डिग्रीयों के दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

(ii) भाषाविज्ञान में तेलगु कन्नड़ और मलयालम के डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

(2) मद्रास विश्वविद्यालय

(क) मदुरै केन्द्र में अर्थशास्त्र, तमिल और प्राणिविज्ञान के स्नातकोत्तर अध्यापन विभाग खोले गये ।

(ख) प्राचीन इतिहास और पुरातत्व तथा पुस्तकालय विज्ञान के विभाग खोलने का निर्णय किया गया ।

(ग) अजैव और विश्लेषणात्मक रसायन का अध्यापन शुरू किया गया । फलस्वरूप रसायन विभाग का भी विस्तार किया गया ।

मैसूर

(1) कर्नाटक विश्वविद्यालय

(क) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नीचे लिखे अध्यापन-विभाग खोले गये :—

(i) वनस्पति-विज्ञान विभाग,

(ii) सामाजिक मानव-विज्ञान विभाग,

(iii) संस्कृत विभाग,

(iv) प्राणिविज्ञान विभाग ।

(ख) भौतिकी विभाग में रेडियो—भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी तथा रसायन विभाग में अजैव रसायन और भौतिक रसायन का अध्ययन भी शामिल कर दिया गया ।

(2) मैसूर विश्वविद्यालय

नीचे लिखे पाठ्यक्रम चालू किये गये :–

(i) कला और विज्ञान के दो-वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम ।

(ii) कृषि का चार-वर्षीय और इंजीनियरी का पंचवर्षीय समेकित डिग्री पाठ्यक्रम ।

उड़ीसा

उत्कल विश्वविद्यालय

(क) विश्वविद्यालय में इतिहास का एक नया अध्यापन विभाग खोला गया ।

(ख) तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चालू करने के उपक्रम में पूर्व विश्वविद्यालय कक्षायें शुरू की गयीं । इस योजना के संबंध में यह निर्णय किया गया कि उपशिक्षण-कार्य को और कालेजो की नियतकालिक परीक्षाओं के परीक्षाफलों को उचित महत्व दिया जाय ।

पंजाब

पंजाब विश्वविद्यालय

(क) भूविज्ञान का स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चालू किया गया ।

(ख) पुस्तकालय विज्ञान का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय किया गया ।

(ग) एम० ए० (अंग्रेजी) में "अमरीकी साहित्य (अमेरिकन लिट्रेचर) नामक एक नया प्रश्न-पत्र शामिल किया गया ।

(घ) एम० ए० के परीक्षार्थ विषयों में संगीत को भी शामिल कर दिया गया ।

(ङ) यह निर्णय किया गया कि जो छात्र दाखिल होने के बाद से दो वर्ष तक इंजीनियरी की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेगा उसे इंजीनियरी का अध्ययन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

राजस्थान

राजस्थान विश्वविद्यालय

नीचे लिखे पाठ्यक्रम आरंभ किये गये :–

(1) एम० एस-सी० (आयुर्विज्ञान) ।

(2) एम० इंजी० ।

(3) पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम (कला, विज्ञान और वाणिज्य) ।

(4) वाणिज्य संकाय के अंतर्गत कार्यालय (सेक्रेटेरियल) और व्यापारिक प्रशिक्षण के दो-वर्षीय अवर डिप्लोमा पाठ्यक्रम ।

उत्तर प्रदेश

(1) **आगरा विश्वविद्यालय**

(क) अर्थमिति का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किया गया ।

(ख) आयुर्विज्ञान संकाय के अंतर्गत संवेदनाहरण-विज्ञान और विकलांग शल्य-चिकित्सा के डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किये गये ।

(ग) एम० काम० के सभी छात्रों की अनिवार्य मौखिक परीक्षा लेने का निर्णय किया गया ।

(घ) भूगोल में बी० ए० स्तर पर भी व्यावहारिक कार्य लागू कर दिया गया ।

(2) **अलीगढ विश्वविद्यालय**

(क) पूर्व विश्वविद्यालय (विज्ञान) पाठ्यक्रम के बाद एक-वर्षीय पूर्व-आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

(ख) व्यावहारिक कार्य को अधिक महत्व देने के लिए इंजीनियरी के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के पाठ्य-विवरण को संशोधित करने का निर्णय किया गया ।

(ग) बी० ए० और बी० कॉम० के परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी, हिन्दी या उर्दू में लिखने की अनुमति दे दी गयी ।

(घ) पूर्व-विश्व-विद्यालय परीक्षा के लिए निर्धारित अनिवार्य विषयों की सूची से सामान्य शिक्षा को हटा दिया गया । इसका अध्यापन तीन-वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में करने का निर्णय किया गया ।

(3) **बनारस विश्वविद्यालय**

(क) कला और विज्ञान के तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों को चालू करने के उपक्रम में उनके (कला और विज्ञान के) पूर्व-विश्व विद्यालय पाठ्यक्रम शुरू किये गये ।

(ख) एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम आरम्भ करने और एक आयुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने का निर्णय किया गया । इस पाठ्यक्रम की एक मुख्य विशेषता यह थी कि उसकी पाठ्यचर्या में आयुर्वेद के प्रमुख तत्वों का भी समावेश था ।

(4) **गोरखपुर विश्वविद्यालय**

समाज-विज्ञान, दर्शन और भूगोल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और सांख्यिकी और समाज कार्य के डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किये गये ।

(5) **लखनऊ विश्वविद्यालय**

लोक प्रशासन का स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

(6) रुड़की विश्वविद्यालय

(क) सिविल इंजीनियरी विभाग से स्थापत्य को अलग कर दिया गया और स्थापत्य का एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया ।

(ख) ग्राम आवास-व्यवस्था के लिए एक अनुसन्धान-व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया ।

पश्चिमी बंगाल

(1) कलकत्ता विश्वविद्यालय

(क) संग्रहालय-विज्ञान का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

(ख) आयुर्विज्ञान संकाय के अंतर्गत डी० डर्मेट० और डी० एम० आर० ई० के नये पाठ्यक्रम चालू किये गये और आयुर्विज्ञान की डी० फिल० डिग्री के विषयों की सूची में चर्म विज्ञान को शामिल कर लिया गया ।

(2) जादवपुर विश्वविद्यालय :

नीचे लिखे नये पाठ्यक्रम आरंभ किये गये :–

(क) (i) एम० एस-सी० (रसायन),
(ii) सिविल इंजीनियरी की मास्टर डिग्री,
(iii) खाद्य प्रौद्योगिकी की मास्टर डिग्री ।

(ख) सिविल, विद्युत् और यांत्रिक इंजीनियरी के अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम भी चालू किये गये ।

(ग) सभी संकायों के छात्रों के लिए काम के घंटों को छोड़कर अन्य समय में, फ्रेंच, जर्मन और रूसी भाषाओं की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय किया गया ।

दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय

यह निर्णय किया गया है कि सन् 1961–62 के बाद प्रवेशिका (पूर्व-विश्वविद्यालय) कक्षाओं में दाखिला बन्द कर दिया जाए और सन् 1962 के बाद अर्हता परीक्षाएं लेना बन्द कर दिया जाय ।

शिक्षा संस्थाएं

(क) विश्वविद्यालय

पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 40 ही रही । सारणी LXIV में इन विश्वविद्यालयों की स्थापना व पुनर्गठन के वर्ष, क्षेत्राधिकार और उनके प्रकार का विवरण दिया गया है । सारणी में यह भी बताया गया है कि किस विश्वविद्यालय में कौन-कौन से संकाय है तथा उनमें शिक्षण का माध्यम क्या है । उन पूरे 40 विश्वविद्यालयों में से विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार थी:–केवल संबद्धन––1, आवासिक और अध्यापन––11, अध्यापन और संघीय––2, अध्यापन और संबद्धन––26 । आठ विश्वविद्यालय बम्बई में, आठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, चार मध्य प्रदेश में, तीन-तीन आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में, दो-दो बिहार, मद्रास, मैसूर और पंजाब में और एक-एक विश्वविद्यालय आसाम, जम्मू और कश्मीर; केरल, उड़ीसा, राजस्थान और दिल्ली में था । बाकी राज्य क्षेत्रों का कोई अपना विश्वविद्यालय नहीं था ।

सारणी LXVI—भारत के विश्वविद्यालय-क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय

नाम और पता	स्थापना पुर्नगठन का वर्ष	क्षेत्राधिकार	प्रकार	संकाय	शिक्षण/परीक्षा का माध्यम
1	2	3	4	5	6
आंध्र					
आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर।	1926	आन्ध्र प्रदेश (उस्मानिया और श्री-वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों को छोड़कर)।	अध्यापन और संबद्धन	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरी, ललित कलाएं, विधि, आयुर्विज्ञान, प्राच्य-विद्या, अध्यापन।	अंग्रेजी
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	1918/ 1947/ 1950/ 1959	आन्ध्र प्रदेश के अदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नेलगोंडा, निज़ामाबाद और। वारंगल जिले	अध्यापन और संबद्धन	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान, औद्योगिकी और पशुचिकित्सा विज्ञान।	अंग्रेजी या हिन्दुस्तानी (फ़ारसी और देवनागरी लिपि)
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति	1954	आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, चितूर, कुडप्पाह, कुरनूल और नेलौर जिले।	अध्यापन और संबद्धन	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान, प्राच्य विद्या, अध्यापन और पशुचिकित्सा विज्ञान।	अंग्रेजी

15—5 M. of Education/65

आसाम					
गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी।	1948	आसाम राज्य और मनिपुर संघराज्य क्षेत्र	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य इंजीनियरी, विधि और आयुर्विज्ञान।	अंग्रेजी।
बिहार					
बिहार विश्वविद्यालय, पटना।	1952	बिहार राज्य (पटना नगर निगम-क्षेत्र को छोड़कर)।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य इंजीनियरी, ललित कलाएं, विधि, आयूर्विज्ञान, खनिकर्म और व्यावहारिक भूविज्ञान तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान।	पूर्व विश्वविद्यालय और डिग्री पाठ्यक्रम (कला, विज्ञान और वाणिज्य) में हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी या बंगाली। दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
पटना विश्वविद्यालय, पटना	1917, 1952	पटना नगर निगम क्षेत्र	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरी, विधि और आयुर्विज्ञान।	आई० ए०, आई० एस-सी०, आई० कॉम०, बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० कॉम० में हिन्दी। दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
बम्बई					
बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा।	1949	विश्वविद्यालय के कार्यालय से 10 मील के घेरे के भीतर	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, वाणिज्य शिक्षा, मनोविज्ञान, ललित कलाएं, गृहविज्ञान, आयुर्विज्ञान, समाजकार्य और औद्योगिकी (इंजीनियरी सहित।)	अंग्रेजी।

सारणी-LXIV—भारत के विश्वविद्यालय, क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय—(जारी)

1	2	3	4	5	6
बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई।	1957/ 1958, 1953	बृहत्तर बम्बई। ङ	अध्यापन और संघीय।	कला, विज्ञान, वाणिज्य, दंत-विज्ञान, विधि, आयुर्विज्ञान और औद्योगिकी।	अंग्रेजी।
गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद।	1949	भूतपूर्व सौराष्ट्र और कच्छ रियासतें और बम्बई राज्य के अहमदाबाद, अमरेली, बानसकंठ (बड़ौदा विश्वविद्यालय के क्षेत्र को छोड़कर), भड़ौच, करा (आनंद तालुका-के बल्लभ विद्यानगर और सरदार बल्लभ भाई विद्यापीठ के क्षेत्र को छोड़कर) मेहसाना, पंचमहल, साबरकठां और सूरत जिले।	अध्यापन और संबद्धन।	कला (शिक्षा सहित), कृषि, आयुर्वेदिक चिकित्सा, वाणिज्य, विधि, आयुर्विज्ञान और औद्योगिकी (इंजीनियरी सहित)	आई० ए०, आई० एस-सी० आई० कॉम०, बी० ए० बी० एस-सी०, (कृषि) बी० कॉम०, बी० एड०, एम०, एड० बी० फार्म०, प्रारंभिक विधि, एल-एल० बी० प्रथम वर्ष, टी० डी० बी० ई० और एम० बी० बी० एस० प्रथम वर्ष में गुजराती और हिन्दी, दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद।	1958	बम्बई राज्य मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद, भीर, नांदेड, उस्मानाबाद, तथा परभानी जिले।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य विधि शिक्षा, इंजीनियरी, तथा आयुर्विज्ञान।	कला, विज्ञान, कृषि और वाणिज्य संकायों में अंग्रेजी मराठी या हिन्दुस्तानी (देवनागरी लिपि में); अन्य में अंग्रेजी।

लय।		ा, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, चांदा, नागपुर, बर्धा, और यवतमाल जिले।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य इंजीनियरी, शिक्षा, विधि और आयुर्विज्ञान।	कला और विज्ञान के पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, बी० ए०, बी० एस-सी० में अंग्रेजी, हिन्दी और मराठी, आई० काम०, बी० काम०, बी० टी० और डिप्० टी० में हिन्दी और मराठी, दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
पुना विश्वविद्यालय, पूना।	1949	बम्बई राज्य के अहमदनगर, पूर्वी खानदेश, कोलाबा, कोल्हापुर, नासिक, उत्तरी सतारा, पुना, रत्नगिरि, शोलापुर, दक्षिणी सातारा, थाना और पश्चिमी खानदेश जिले।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, आयुर्वेदिक चिकित्सा, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान, तथा मानसिक, नैतिक और सामाजिक विज्ञान।	बी० एस-सी०, बी० काम० के प्रथम और द्वितीय वर्ष में अंग्रेजी और मराठी, दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
सरदार बल्लभ भाई विद्यापीठ, बल्लभ विद्यानगर।	1955	विश्व विद्यालय के कार्यालय से 5 मील के घेरे के भीतर।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि वाणिज्य, और औद्योगिकी (इंजीनियरी सहित)।	अंग्रेजी, हिन्दी और गुजराती।
एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई।	1951*	निर्धारित नहीं।	अध्यापन और संबद्धन।	कला।	बी० एस-सी० (उपचर्या) में अंग्रेजी। शेष में आधुनिक भारतीय भाषाएं (छात्र की मातृ भाषा) और विशेष परिस्थितियों में अंग्रेजी।

*इसकी स्थापना 1916 में हुई। परन्तु जब बम्बई सरकार ने 1949 में एक अधिनियम पारित किया, तो सन् 1951 को इससे सांविधिक विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया।

सारणी-LXIV—भारत के विश्वविद्यालय, क्षेत्रविस्तार, प्रकार और संकाय—(जारी)

1	2	3	4	5	6
जम्मू और काश्मीर					
जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर।	1948	जम्मू और कश्मीर राज्य।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, प्राच्य विद्या और सामाजिक विज्ञान।	अंग्रेजी।
केरल					
केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम।	1937/ 1957	केरल राज्य।	अध्यापन और संघीय।	कला, विज्ञान, कृषि, आयुर्वेद, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान, और प्राच्य विद्या।	अंग्रेजी।
मध्य प्रदेश					
इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़राज।	1956	निर्धारित नहीं।	अध्यापन और संबद्धन।	ललित कलाएं।	अंग्रेजी और हिन्दी।
जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर।	1957	जबलपुर जिला।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य इंजीनियरी, गृहविज्ञान विधि, अध्यापन और, पशुचिकित्सा विज्ञान।	हिन्दी और अंग्रेजी।

सागर विश्वविद्यालय सागर।	1946	मध्य प्रदेश के बालाघाट, बस्तर, बेतूल, विलासपुर, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, दुर्ग, होशंगाबाद, मांडला, नरसिंहपुर, निमाड़, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, रीवा, सागर, सतना, सोनी, सीधी सहडोल, सरगुजा और टीकमगढ़ जिले।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरी विधि, आयूर्विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, और पशुचिकित्सा विज्ञान।	बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० काम०, एम० काम० में अंग्रेजी और हिन्दी, दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।	1956	मध्यप्रदेश के भिंड, देवास, धेर, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झबुआ, मंदसौर, मुरना, निमाड़, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सिहोर, शाजपुर, शिवपुरी, उज्जन और विदिशा जिले।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरी, विधि आयुर्विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पशु-चिकित्सा विज्ञान।	बी० ए०, बी० एस०-सी०, बी० कॉम०, एम० ए०, एम० एस० सी०, एम० कॉम०, में अंग्रेजी और हिन्दी। दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
मद्रास					
अन्नमलई विश्वविद्यालय, अन्नमलई नगर।	1929	विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भवन से 10 मील के घेरे के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, शिक्षा, इंजीनियरी, और औद्योगिकी, ललितकला और प्राच्य विद्या।	अंग्रेजी, (संगीत को छोड़कर) जिसमें कि प्रादेशिक भाषा (तमिल) या पठित भाषा की अनुमति है।
मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास।	1857/ 1904/ 1923/ 1929	मद्रास राज्य अन्नमलई (विश्वविद्यालय के क्षेत्र को छोड़कर)।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरी, ललित कला, विधि, आयुर्विज्ञान, प्राच्यविद्या, अध्यापन, औद्योगिकी और पशुचिकित्सा विज्ञान।	अंग्रेजी।

सारणी-LXIV—भारत के विश्वविद्यालय, क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय—(जारी)

1	2	3	4	5	6
मैसूर					
कर्नाटक विश्व-विद्यालय, धारवाड़ ।	1949	मैसूर राज्य के बेलगांव, बिदार, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, उत्तरी कनारा, रायचूर ज़िले और दक्षिणी कनारा के कुछ कालेज ।	अध्यापन और संबद्धन ।	कला, विज्ञान, कृषि, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान ।	अंग्रेजी ।
मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।	1916	मैसूर राज्य के बंगलौर, बिलारी, चीकमगलूर, चित्रदुर्ग, कुर्ग, हसन, कोलार, मांड्या, मैसूर, शिमोगा, दक्षिणी कनारा और तांबकुर ज़िले ।	अध्यापन और संबद्धन ।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, औद्योगिकी, विधि और आयुर्विज्ञान ।	अंग्रेजी ।
उड़ीसा					
उत्कल विश्वविद्यालय, कटक ।	1943	उड़ीसा राज्य . . .	अध्यापन और संबद्धन ।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान और पशुचिकित्सा विज्ञान ।	अंग्रेजी ।
पंजाब					
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ।	1947	पंजाब राज्य (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के क्षेत्र को छोड़कर) और हिमाचल प्रदेश का संघ राज्यक्षेत्र ।	अध्यापन और संबद्धन ।	कला, विज्ञान, कृषि, डेरी-उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान, प्राच्य विद्या और पशु चिकित्सा विज्ञान ।	इण्टर कला, बी०ए० और बी० कॉम० में अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी या उर्दू, शेष में अंग्रेजी ।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।	1956	विश्वविद्यालय के कार्यालय से 10 मील के घेरे के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला और शिक्षा।	एम० ए०, (संस्कृत) में अंग्रेजी हिन्दी या संस्कृत। बी०ए० बी० एस-सी० शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिये अंग्रेजी।
राजस्थान					
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	1947	राजस्थान राज्य।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, विधि और आयुर्विज्ञान, और औषध निर्माण विज्ञान तथा पशुचिकित्सा विज्ञान।	बी० ए०, बी०एस-सी० (गृह-विज्ञान), एम०ए० (गणित को छोड़कर), बी०कॉम०, एम०कॉम०, और बी०ए० में अंग्रेजी या हिन्दी।
उत्तर प्रदेश					
आगरा विश्वविद्यालय, आगरा।	1927	उत्तर प्रदेश राज्य (अलीगढ़), इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर और लखनऊ विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों को छोड़कर।	संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरी, विधि, आयुर्विज्ञान और पशुचिकित्सा विज्ञान।	बी०ए०, बी०कॉम०, बी०टी० एम०ए० और एम०कॉम० में अंग्रेजी और हिन्दी। दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
अलीगढ़ मुस्लिम-विश्वविद्यालय, अलीगढ़।	1921	विश्वविद्यालय की मस्जिद से 15 मील के घेरे के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, इंजीनियरी, औद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, और धर्मशास्त्र।	पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू। बी० यू०; एम०एस० में उर्दू। दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	1887	विश्वविद्यालय के कार्यालय से 10 मील के घेरे के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि।	बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०कॉम० में अंग्रेजी और हिन्दी। दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।

सारणी-LXIV—भारत के विश्वविद्यालय, क्षेत्राधिकार, प्रकार और संकाय—(जारी)

1	2	3	4	5	6
बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी।	1916	विश्वविद्यालय के मुख्य मंदिर से 15 मील क घेरे के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला विज्ञान, विधि, आयु-विज्ञान, और शल्यचिकीत्सा (आयुर्वेद) संगीत, ललित कला, प्राच्य विद्या, औद्योगिकी और धर्मशास्त्र।	आइ०ए०, आइ०एस०सी०, आई०काम०, बी०ए०, एम० ए०, बी०कॉम, बी०एड० एम० एड०, एल-एल०बी० और आयुर्वेद। संगीत और ललित कला में हिन्दी और दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
गोरखपुर विश्व-विद्यालय, गोरखपुर।	1957	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच जिले।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, वाणिज्य, और विधि।	पूर्व स्नातक कक्षाओं में अंग्रेजी और हिन्दी। स्नातकोत्तर कक्षाओं में अंग्रेजी।
लखनऊ विश्व-विद्यालय, लखनऊ।	1921	विश्वविद्यालय के दीक्षांत भवन से 10 मील के घेरे के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, आयुर्वेद, वाणिज्य, विधि और आयुर्विज्ञान।	बी०ए०, बी०एस-सी० में हिन्दी। दूसरी कक्षाओं में अंग्रेजी।
रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।	1949	निर्धारित नहीं।	आवासिक और अध्यापन।	इंजीनियरी, विज्ञान, और स्थापत्य।	अंग्रेजी।
वाराणसी संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी।	1958	भारत और नेपाल	अध्यापन और संबद्धन।	संस्कृत	भाषाओं और आधुनियक विषयों, जैसे अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास और राजनीति में हिन्दी और शेष सभी विषयों में संस्कृत।

पश्चिम बंगाल

कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।	1857/ 1951, 1954	पश्चिमी बंगाल राज्य (जादवपुर, और विश्व भारती विश्वविद्यालयों के क्षेत्रों को छोड़कर) और त्रिपुरा संघराज्य क्षेत्र।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, इंजीनियरी, ललित कला और संगीत, पत्रकारिता, विधि, आयुर्विज्ञान औद्योगिकी और पशुचिकित्सा विज्ञान।	अंग्रेजी।
जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर।	1955	विश्वविद्यालय के कार्यालय से 2 मील के घेरे के भीतर।	आवासिक और अध्यापन।	कला, विज्ञान, इंजीनियरी, और औद्योगिकी।	अंग्रेजी।
विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन।	1951*	पश्चिमी बंगाल के बीरभूमि जिले का शांतिनिकेतन क्षेत्र।	आवासिक और अध्यापन।	निर्धारित नहीं।	स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी, हिन्दी और बंगला। प्रवेशिका पाठ्यक्रम में बंगला या अंग्रेजी इंटर में बंगला और हिन्दी।

दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	1922/ 1952	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र।	अध्यापन और संबद्धन।	कला, विज्ञान, कृषि, और वन-विज्ञान, शिक्षा, विधि, आयुर्विज्ञान, संगीत, और ललित कला, सामाजिक विज्ञान और औद्योगिकी।	अंग्रेजी।

*इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। सन् 1951 में संसद् ने एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अधीन इसने एक सांविधिक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना आरंभ किया।

उपर्युक्त 50 विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को भी वि० अ० आ० अधिनियम, 1956 की धारा 3, के अधीन विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, संसद के अधिनियमों के अधीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नयी दिल्ली और भारतीय औद्योगिकी-संस्थान खड़गपूर को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित कर दिया गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में इन विशिष्ट संस्थानों का एक नया वर्ग बन गया। इस अभूतपूर्व, पयत्न का उद्देश्य यह था कि ये स्वतंत्र संस्थाएं विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य करने के लिये प्रोत्साहित हो।

(ख) परिषदे (बोर्ड)

उपर्यूक्त विश्वविद्यालयों और दूसरी उच्च शिक्षा-संस्थाओं के अतिरिक्त चार परिषदें (बोर्ड) भी थी जो अन्य कामों के साथ-साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा का सचालन भी करतीं थीं। उनके नाम निम्नलिखित है :–

(1) बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन (माध्यमिक शिक्षा परिषद्) मध्य प्रदेश, भोपाल।

(3) बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन (माध्यमिक शिक्षा परिषद्) राजस्थान, जयपुर।

(4) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजूकेशन (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्) अजमेर।

(ग) कालेज

कालेजों की संख्या में 263 की वृद्धि हुई। इनमें से, 68 कालेज सामान्य शिक्षा के लिए, 183 वृत्तिक शिक्षा के लिए और 12 विशिष्ट शिक्षा के लिए थे। इस प्रकार सन् 1959–60 में मान्यताप्राप्त कालेजों और उच्च शिक्षा-संस्थाओं की संख्या 1893 हो गयी। इनमें से 988 कालेज सामान्य शिक्षा के लिए (इसमे वे अनुसन्धान-संस्थाएं भी शामिल है जिसमें अध्यापन संकाय थे), 725 कालेज वृत्तिक शिक्षा के लिए और 180 कालेज विशिष्ट *शिक्षा के लिए थे। आलोच्य वर्ष में, कला और विज्ञान के कलेजों की संख्या में 7.4 प्रतिशत, वृत्तिक और तकनीकी कालेजों में 33.7 प्रतिशत और विशिष्टशिक्षा के कालेजो में 7.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। जिन कालेजों में केवल महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी उनकी संख्या 259 थी। इनमें से 150 कालेज कला और विज्ञान के लिए, 89 कालेज वृत्तिक शिक्षा के लिए और 20 कालेज विशिष्ट शिक्षा के लिए थे। गतवर्ष इन कालेजों की संख्या क्रमश: 194, 134, 43 और 17 थी। आलोच्य वर्ष में, महिला कालेजों की संख्या कूल कालेजों की संख्या का 13.7 प्रतिशत थी। गतवर्ष यह संख्या 11.9 प्रतिशत थी।

वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कुल 725 कालेजों में 401 अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, 118 आयुर्विज्ञान कालेज, 57 इंजीनियरी कालेज, 35 वाणिज्य कालेज, 34 विधि कालेज, 32 कृषि कालेज, 17 पशुचिकित्सा विज्ञान कालेज, 16 शारीरिक शिक्षा के कालेज, 10 औद्योगिकी कालेज, 3 वनविज्ञान कालेज, तथा 2 सहकारी प्रशिक्षण कालेज थे। वृत्तिक और तकनीकी कालेजों की संख्या में 183 की जो वृद्धि हुई, उसमें 167 अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, 8 आयुर्विज्ञान कालेज, 3 कृषि कालेज, 2 विधि कालेज और इंजीनियरी, औद्योगिकी और शारीरिक शिक्षा के एक-एक कालेज थे।

विशिष्ट विषयों के अनुसार कालेजों का विभाजन इस प्रकार था : 49 कालेज संगीत नृत्य और दूसरी ललित कलाओं के लिए, 108 प्राच्य-विद्या के लिए, 8 समाज-विज्ञान के लिए, 4 गृह-विज्ञान के लिए और 11 अन्य विषयों के लिए।

---

*विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में इन विषयों के शिक्षण की व्यवस्था थी, संगीत, नृत्य और दूसरी ललित कलाएं, प्राच्य-विद्या, समाज-विज्ञान और गृह-विज्ञान।

सारणी-LXV—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार कालजों की संख्या

प्रबंध-संस्था	कला और विज्ञान के कालेज		वृत्तिक शिक्षा के कालेज		विशिष्ट शिक्षा के कालेज		जोड़			
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958—59		1959-60	
							संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सरकारी . .	218	222	257	359	42	45	517	31.7	626	33.1
स्थानीय परिषदें . .	3	3	3	3	1	2	7	0.4	8	0.4
गैर-सरकारी :										
(i) सहायता प्राप्त .	598	635	191	271	101	118	890	54.6	1,024	54.1
(ii) जो सहायता प्राप्त नहीं हैं . .	101	128	91	92	24	15	216	13.3	235	12.4
जोड़ .	920	988	542	725	168	180	1,630	100.0	1,893	100.0

सारणी-LXVI—कालेजों की

राज्य	कला और विज्ञान के कालेज†		वृत्तिक शिक्षा के कालेज	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश . .	57	60	27	29
आसाम . . .	29	34	9	9
बिहार . . .	77	96	27	27
बम्बई महाराष्ट्र . .	114	80	137	125
बम्बई गुजरात . .	*	43	*	32
जम्मू और कश्मीर . .	12	12	3	4
केरल . .	45	45	26	26
मध्य प्रदेश . .	77	73	34	67
मद्रास . .	58	56	35	147
मैसूर . . .	53	53	62	65
उड़ीसा . . .	19	23	17	19
पंजाब . . .	81	89	33	42
राजस्थान . .	56	56	19	20
उत्तर प्रदेश . .	95	113	52	53
पश्चिमी बंगाल . .	117	121	45	45
. . .	20	22	11	10
हिमाचल प्रदेश . .	4	6	1	1
मनिपुर . . .	2	2	..	..
त्रिपुरा . . .	2	2	2	2
पांडिचेरी . . .	2	2	2	2
भारत .	920	988	542	725

† इसमें वे अनुसंधानों

* ये आंकड़े महाराष्ट्र

राज्यवार संख्या

विशिष्ट शिक्षा के कालेज		जोड़		वृद्धि (+) या कमी (−)	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	संख्या	प्रतिशत
6	7	8	9	10	11
23	24	107	113	+6	+5.6
1	1	39	44	+5	+12.8
6	7	110	130	+20	+18.2
13	9	264	214	+31	+11.7
*	6	*	81	..	..
10	10	25	26	+1	+4.0
8	8	79	79	..	..
25	31	136	171	+35	+25.7
21	21	114	224	+110	+9.65
7	7	122	125	+6	+2.5
6	6	42	48	+6	+14.3
1	1	115	132	+17	+14.8
18	19	93	95	+2	+2.2
11	10	158	176	+18	+11.4
12	12	174	178	+4	+2.3
4	4	35	36	+1	+2.9
..	2	5	9	+4	+80.0
1	1	3	3	..	..
1	1	5	5	..	..
..	..	4	4	..	..
168	180	1,630	1,893	+263	+16.1

यायें शामिल हैं जहां अध्यापन की सुविधाएं थी।
के आंकड़ों में शामिल हैं।

आलोच्य वर्ष में 218 कालेज और अनुसंधान संस्थायें (जिनमें 13 महिलाओं के लिए थीं) देहाती क्षेत्रों में खोली गयीं। इनमें से 99 कालेज (94 पुरुषों के लिए और 5 महिलाओं के लिए) कला और विज्ञान के थे और 119 कालेज (111 पुरुषों के लिए और 8 महिलाओं के लिए) वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के थे।

सारणी LXV में प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार कालेजों का विभाजन दिखाया गया है। कुल मिलाकर कालेजों की प्रबन्ध-व्यवस्था वही रही जो गतवर्ष थी; अर्थात् आधे से कुछ अधिक कालेजों का प्रबंध सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन और लगभग एक तिहाई कालेजों का प्रबंध सरकार के अधीन था। बिना सहायता वाले गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन 12.4 प्रतिशत कालेज थे, जबकि स्थानीय परिषदों के अधीनस्थ कालेजों की संख्या प्रायः नहीं के बराबर थी। यदि विभिन्न प्रकार के कालेजों पर अलग-अलग विचार किया जाए तो कला और विज्ञान और विशिष्ट शिक्षा के लगभग तीन चौथाई कालेजों का प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाएं करती थीं, और वृत्तिक शिक्षा के लगभग आधे कालेजों का प्रबंध सरकार के अधीन था। केवल मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में ही सरकारी कालेजों की बहुलता थी।

सन् 1958–59 और 1959–60 की अवधि में कालेजों का राज्यवार विभाजन सारणी LXVI में दिखाया गया है। मध्यप्रदेश और मद्रास के अलावा शेष सभी राज्यों के कला और विज्ञान के कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई। मध्य-प्रदेश में चार कालेज और मद्रास में दो कालेज कम हो गये। जम्मू और कश्मीर, केरल, मैसूर और राजस्थान में कालेजों की संख्या में कोई घटबढ़ नहीं हुई। वृत्तिक शिक्षा के कालेजों की संख्या, दिल्ली को छोड़कर, कहीं भी कम नहीं हुई। आसाम, बिहार, केरल और पश्चिमी बंगाल में उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विशिष्ट शिक्षा के कालेजों की वृद्धि केवल कुछ राज्यों में ही हुई।

छात्र

विश्वविद्यालयों, कालेजों और दूसरी उच्च शिक्षा-संस्थाओं में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या 8,76,314 से बढ़कर 9,49,630 हो गयी, अर्थात् उनकी संख्या में 8.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसमें 17.2 प्रतिशत लड़कियाँ थी, जबकि पिछले वर्ष इनकी प्रतिशत संख्या 16.5 थी। सारणी LXVII में इसके राज्यवार ब्योरे दिये गये हैं।

सारणी से यह ज्ञात होगा कि केरल और राजस्थान के अलावा सभी राज्यों में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। केरल और राजस्थान में यह संख्या कुछ घट गयी। प्रतिशत के आधार पर, छात्रों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि (32.5 प्रतिशत) मद्रास में हुई। इसके बाद क्रमशः उड़ीसा (22.3 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (17.4 प्रतिशत), आसाम (15.8 प्रतिशत), और बिहार (13.0 प्रतिशत) के नाम आते हैं। दूसरे राज्यों में, दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या में 12.8 प्रतिशत (मैसूर) और 0.3 प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) के बीच वृद्धि हुई। संघराज्य क्षेत्रों में, उल्लेखनीय वृद्धि हिमाचल प्रदेश (25.8 प्रतिशत) में हुई। दिल्ली में इन छात्रों की संख्या में 747 (3.4 प्रतिशत) की जो कमी हो गयी, उसका कारण कैम्प कालेज का बन्द हो जाना था।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ने वाले कुल 9,49,630 छात्रों में से 67,589 छात्र विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में, 3,012 अनुसंधान संस्थाओं में, 6,82,457 कला और विज्ञान के कालेजों में, 1,72,981 वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेजों में और 23,591

छात्र विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में अध्ययन कर रहे थे। विभिन्न प्रबन्ध संस्थाओं द्वारा चलायी जाने वाली शिक्षा संस्थाओं में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या का विभाजन इस प्रकार है:—सरकारी संस्थाएं—2,37,403 (25.0 प्रतिशत), स्थानीय परिषदें— 2,453 (0.3 प्रतिशत) और गैर-सरकारी संस्थाएं—7,09,775 (74.7 प्रतिशत)।

छात्रों की उपर्युक्त संख्या संस्थाओं के प्रकार के अनुसार है, अर्थात्, इसमें, कालेज से संबद्ध स्कूल कक्षाओं में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है। लेकिन, सारणी LXVIII में केवल उत्तर-मैट्रिक स्तर की छात्र संख्या दी गयी है। उससे यह ज्ञात होगा कि विश्व विद्यालय शिक्षा पाने के लिए दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या 9,57,651 से बढ़कर 10,44,918 हो गयी। इस प्रकार, उनकी संख्या में 9.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष यह वृद्धि 11.1 प्रतिशत थी। कुल छात्रों में से, 7,85,481 छात्रों (75.2 प्रतिशत) ने कला और विज्ञान के पाठ्यक्रम, 2,38,083 (22.8 प्रतिशत) ने वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम और 21,348 (2.0 प्रतिशत) छात्रों ने विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम अध्ययन के लिए चुने। विश्व-विद्यालय स्तर की शिक्षा पाने के लिए दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या, शिक्षा के सभी स्तरों पर दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या का 2.3 प्रतिशत थी।

जहां तक विभिन्न वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों के दाखिले का संबंध है, सबसे अधिक छात्र (74,486) वाणिज्य में भर्ती हुए। इसके बाद क्रमशः इंजीनियरी और, औद्योगिकी (40,242), अध्यापक प्रशिक्षण (39,135) और आयुर्विज्ञान (36,615) आते हैं। लेकिन यदि इसकी तुलना पिछले वर्ष दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या से की जाए, तो सबसे अधिक वृद्धि (61.2 प्रतिशत) सहकारिता तथा अन्य विषयों के कालेजों के छात्रों की संख्या में हुई। इसके बाद क्रमशः अध्यापक प्रशिक्षण (60.2 प्रतिशत), कृषि (22.3 प्रतिशत) तथा इंजीनियरी और औद्योगिकी (14.1 प्रतिशत) में हुई। दूसरे पाठ्यक्रमों में, दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या में जो वृद्धि हुई वह, 11.9 प्रतिशत (वाणिज्य) से लेकर 0.8 प्रतिशत (पशु चिकित्सा विज्ञान) के बीच रही। विभिन्न कक्षा स्तरों और पाठ्यक्रमों के राज्यवार ब्यौरे सारणी LXIX में दिये गये हैं।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन करनेवाली कुल 1,63,660 लड़कियों में से 84,490 अर्थात् 51.6 प्रतिशत लड़कियाँ सह-शिक्षा वाली संस्थाओं में पढ़ रही थी। केवल कला और विज्ञान के कालेजों में ही 1,30,654 लड़कियों में से 67,016 अर्थात् 51.3 प्रतिशत लड़कियाँ सह-शिक्षा वाले कालेजों में शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में इनका प्रतिशत 52.9 था। इस संबंध में राज्यवार ब्योरे सारणी LXX में दिये गए हैं। हिमाचल प्रदेश, मनिपुर और पांडिचेरी में लड़कियों के लिए कोई पृथक् कालेज नहीं था। इस कारण सभी लड़कियाँ सह-शिक्षा वाली संस्थाओं में पढ़ रही थी, भले ही उनका पाठ्यक्रम सामान्य शिक्षा का हो या वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा का। दूसरा राज्य, जहां पर वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के लिए लड़कियों के कालेज नहीं थे, आसाम था। आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, केरल, उड़ीसा और राजस्थान में अधिकांश लड़कियां लड़कों के कालेजों में पढ़ती थीं। इसके विपरीत, जम्मू और कश्मीर, मद्रास और पश्चिमी बंगाल में लड़कियों के लिये पृथक् कालेजों की व्यवस्था थी। और इन राज्यों की अधिकांश लड़कियां इन्हीं में पढ़ती थीं।

सारणी-LXVII—विश्वविद्यालयों और कालजों

राज्य	लड़कों की संस्थाओं में	
	1958-59	1959-60
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	47,930	53,269
आसाम	21,563	25,112
बिहार	76,685	86,244
बम्बई — महाराष्ट्र	1,32,249	1,03,831
बम्बई — गुजरात	*	42,179
जम्मू और कश्मीर	6,134	7,137
केरल	33,499	33,432
मध्य प्रदेश	43,579	47,847
मद्रास	48,962	60,773
मैसूर	43,065	48,553
उड़ीसा	10,326	12,608
पंजाब	56,114	58,514
राजस्थान	38,715	38,490
उत्तर प्रदेश	93,712	97,970
पश्चिमी बंगाल	1,31,825	1,31,315
दिल्ली	18,348	16,945
हिमाचल प्रदेश	671	844
मणिपुर	1,937	1,975
त्रिपुरा	1,661	1,630
पांडिचेरी	1,365	1,186
भारत	8,08,340	8,69,854

*इसके आंकड़े महा-

में छात्रों की संख्या

लड़कियों की संस्थाओं में		जोड़		वृद्धि (+) या कमी (−)	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	संख्या	प्रतिशत
4	5	6	7	8	9
2,463	3,082	50,393	56,351	+ 5,958	+11.8
1,375	1,447	22,938	26,559	+ 3,621	+15.8
2,374	3,071	79,059	89,315	+10,256	+13.0
5,564	4,353	1,37,813	1,08,184	+15,137	+11.0
*	2,587	*	44,766	*	*
2,506	3,004	8,640	10,141	+ 1,501	+17.4
5,222	5,267	38,721	38,699	— 22	— 0.1
4,339	2,844	47,918	50,691	+ 2,773	+ 5.8
6,339	12,497	55,301	73,270	+17,969	+32.5
4,082	4,640	47,147	53,193	+ 6,046	+12.8
338	435	10,664	13,043	+ 2,379	+22.3
6,836	7,546	62,950	66,060	+ 3,110	+ 4.9
4,708	4,635	43,423	43,125	— 298	— 0.7
4,437	5,334	98,149	1,03,304	+ 5,155	+ 5.3
14,038	15,021	1,45,863	1,46,336	+ 473	+ 0.3
3,339	3,995	21,687	20,940	— 747	— 3.4
..	..	671	844	+ 173	+25.8
..	..	1,937	1,975	+ 38	+ 2.0
14	18	1,675	1,648	— 27	— 1.6
..	..	1,365	1,186	— 179	—13.1
67,974	79,776	8,76,314	9,49,630	73,316	+8.4

राष्ट्र में शामिल है।

सारणी LXVIII—विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य, वृत्तिक

राज्य	सामान्य शिक्षा	
	लड़के	
	1958–59	1959–60
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	30,660	32,887
आसाम	16,448	18,802
बिहार	60,566	69,372
बम्बई { महाराष्ट्र	70,705	54,895
बम्बई { गुजरात	*	21,381
जम्मू और कश्मीर	5,464	6,284
केरल	21,561	20,841
मध्य प्रदेश	18,963	20,247
मद्रास	29,894	29,422
मैसूर	23,612	27,023
उड़ीसा	6,745	8,315
पंजाब	43,072	45,545
राजस्थान	14,346	15,890
उत्तर प्रदेश	1,65,552	1,78,444
पश्चिमी बंगाल	88,396	86,343
दिल्ली	10,675	9,201
हिमाचल प्रदेश	496	552
मनिपुर	1,468	1,384
त्रिपुरा	1,176	1,141
पांडिचेरी	116	100
भारत	6,09,915	6,48,06

और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या (जारी)

सामान्य शिक्षा				वृत्तिक शिक्षा	
लड़कियां		जोड़		लड़के	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
4	5	6	7	8	9
4,618	5,303	35,278	38,190	12,197	15,044
3,022	3,427	19,470	22,229	3,291	4,126
4,204	5,179	64,770	74,551	13,448	13,872
21,422	17,523	92,127	73,418	35,453	26,709
*	6,574	*	27,955	*	13,731
1,293	1,547	6,757	7,831	270	347
9,590	9,495	31,151	30,336	5,745	6,527
3,721	4,056	22,684	24,303	12,288	17,472
6,780	7,237	36,674	36,659	13,448	21,150
5,495	6,443	29,107	33,466	13,755	15,425
912	1,127	7,657	9,442	2,182	2,686
8,271	9,119	51,343	54,664	6,549	7,016
3,008	3,450	17,354	19,340	10,705	11,871
21,435	24,202	1,86,987	2,02,646	27,363	29,387
26,600	27,637	1,14,996	1,13,980	24,566	25,633
3,776	4,433	14,451	13,634	4,025	4,105
129	176	625	728	34	38
159	198	1,627	1,582	186	282
256	269	1,432	1,410	145	144
31	23	147	123	134	175
1,24,722	1,37,718	7,34,637	7,85,487	1,85,784	2,15,740

सारणी LXVIII—विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य, वृत्तिक

राज्य	वृत्तिक शिक्षा			
	लड़कियां		जोड़	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश . .	920	1,283	13,117	16,327
आसाम . . .	101	108	3,392	4,234
बिहार . . .	321	391	13,769	14,263
बम्बई { महाराष्ट्र .	4,023	4,120	39,476	30,829
बम्बई { गुजरात . .	*	750	*	14,481
जम्मू और कश्मीर . .	79	121	349	468
केरल . . .	892	993	6,637	7,520
मध्यप्रदेश . .	633	1,267	12,921	18,739
मद्रास . . .	1,302	5,217	14,750	26,367
मैसूर . . .	1,386	1,459	15,141	16,884
उड़ीसा . . .	151	211	2,333	2,897
पंजाब . . .	2,010	1,859	8,559	8,875
राजस्थान . .	242	252	10,947	12,123
उत्तर प्रदेश . .	1,682	1,802	29,045	31,189
पश्चिमी बंगाल . .	1,457	1,623	26,023	27,256
दिल्ली . . .	641	791	4,666	4,896
हिमाचल प्रदेश . .	12	15	46	53
मनिपुर . . .	4	15	190	297
त्रिपुरा . . .	8	6	153	150
पांडिचेरी . .	41	60	175	235
भारत .	15,905	22,343	2,01,689	2,38,083

और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या (जारी)

विशिष्ट शिक्षा					
लड़के		लड़कियाँ		जोड़	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
14	15	16	17	18	19
1,106	1,330	156	168	1,262	1,498
12	14	..	..	12	14
2,549	2,706	49	65	2,598	2,771
948	1,133	578	505	1,526	1,738
*	458	*	378		836
68	81	157	156	225	237
429	374	221	174	650	548
1,132	1,011	1,182	1,087	2,314	2,098
2,217	2,131	651	614	2,868	2,745
403	343	70	62	473	405
441	423	55	65	496	488
126	176	30	107	156	283
1,025	358	21	18	1,046	376
2,716	2,204	683	581	3,399	2,785
1,501	1,459	1,602	1,804	3,103	3,263
674	590	501	580	1,175	1,170
..	54	..	9	..	63
4	6	4	6	8	12
2	6	12	12	14	18
..	..	..	..	..	..
15,353	14,857	5,972	6,491	21,325	21,348

सारणी LXVIII—विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य, वृत्तिक

राज्य	कुल जोड़	
	लड़के	
	1958–59	1959–60
1	20	21
आन्ध्र प्रदेश	43,963	49,261
आसाम	19,751	22,942
बिहार	76,563	85,950
बम्बई — महाराष्ट्र	1,07,106	82,737
बम्बई — गुजरात	*	35,570
जम्मू और कश्मीर	5,802	6,712
केरल	27,735	27,742
मध्य प्रदेश	32,383	38,730
मद्रास	45,559	52,703
मैसूर	37,770	42,791
उड़ीसा	9,368	11,424
पंजाब	49,747	52,737
राजस्थान	26,076	28,119
उत्तर प्रदेश	1,95,631	2,10,035
पश्चिमी बंगाल	1,14,463	1,13,435
दिल्ली	15,374	13,896
हिमाचल प्रदेश	530	644
मनिपुर	1,658	1,672
त्रिपुरा	1,323	1,291
पांडिचेरी	250	275
भारत	8,11,052	8,78,666

और विशिष्ट शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या (जारी)

कुल जोड़			
लड़कियाँ		जोड़	
1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
22	23	24	25
5,694	6,754	49,657	56,015
3,123	3,535	22,874	26,477
4,574	5,635	81,137	91,585
26,023	22,248	1,33,129	1,04,985
*	7,702	*	43,272
1,529	1,824	7,331	8,536
10,703	10,662	38,438	38,404
5,536	6,410	37,919	45,140
8,733	13,068	54,292	65,771
6,951	7,964	44,721	50,755
1,118	1,403	10,486	12,827
10,311	11,085	60,058	63,822
3,271	3,720	29,347	31,839
23,800	26,585	2,19,431	2,36,620
29,659	31,064	1,44,122	1,44,499
4,918	5,804	20,292	19,700
141	200	671	844
167	219	1,825	1,891
276	287	1,599	1,578
72	83	322	358
1,46,599	1,66,252	9,57,651	10,44,918

सारणी LXIX—विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों का विभाजन

राज्य	लड़के		लड़कियां		जोड़		वृद्धि (+) कमी (−)	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सामान्य शिक्षा:—								
इंटरमीडिएट . .	4,11,700	4,16,036	75,166	76,643	4,86,866	4,92,679	+ 5,813	+ 1.2
बी० ए०/बी० एस्-सी० .	1,65,814	1,96,927	42,260	52,439	2,08,074	2,49,366	+41,292	+19.7
एम० ए०/एम० एस्-सी० .	29,176	31,828	6,688	7,664	35,864	39,492	+ 3,628	+10.1
अनुसंधान . .	3,225	3,021	608	657	3,833	3,678	— 155	— 4.0
स्नातकोत्तर डिप्लोमा .	..	257	..	15	..	272	+ 272	..
जोड़ .	6,09,915	6,48,069	1,24,722	1,37,418	7,34,637	7,85,487	+50,850	+ 6.9
वृत्तिक शिक्षा:—								
कृषि . . .	10,776	13,170	95	125	10,871	13,295	+2,424	+22.3
वाणिज्य . .	66,002	73,806	580	680	66,582	74,486	+7,904	+11.9
इंजीनियरी और औद्योगिकी .	35,112	40,066	143	176	35,255	40,242	+4,987	+14.1
वन विज्ञान . .	559	614	..	..	559	614	+ 55	+ 9.8
विविध . .	23,458	25,277	597	648	24,055	25,925	+1,870	+ 7.8

आयुर्विज्ञान . .	26,950	29,484	6,000	7,131	32,950	36,615	+ 3,665	+11.1
शारीरिक शिक्षा . .	607	655	138	143	745	798	+ 53	+ 7.1
अध्यापक प्रशिक्षण .	16,200	25,968	8,222	13,167	24,422	39,135	+14,713	+60.2
पशुचिकित्सा विज्ञान .	5,108	5,143	29	36	5,137	5,179	+ 42	+ 0.8
अन्य . . .	1,012	1,557	101	237	1,113	1,794	+ 681	+61.2
जोड़ .	1,85,784	2,15,740	15,905	22,343	2,01,689	2,38,083	+36,394	+18.0
विशिष्ट शिक्षा:—								
संगीत, नृत्य और दूसरी ललित कलायें .	2,661	2,545	3,452	3,429	6,113	5,974	— 139	— 2.3
प्राच्य विद्या . .	8,640	7,935	781	879	9,421	8,814	— 607	— 6.4
अन्य विषय . .	4,052	4,377	1,739	2,183	5,791	6,560	+ 769	+13.3
जोड़ .	15,353	14,857	5,972	6,491	21,325	21,348	+ 23	+ 0.1
कुल जोड़ .	8,11,052	8,78,666	1,46,599	1,66,252	9,57,651	10,44,918	+87,267	+ 9.1

सारणी LXX—उच्च शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या

राज्य	कला और विज्ञान के कालेजों में*			लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की प्रतिशत संख्या	वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के कालेजो में			लड़कियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कों के कालेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की प्रतिशत संख्या
	लड़कों के कालेजों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों के कालेजों में लड़कियों की संख्या	लड़कियोंकी कुलसंख्या		लड़कों के कालेजों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों को कालेजों में लड़कियों की संख्या	लड़कियों की कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	2,542	2,967	5,509	46.1	1,141	115	1,256	90.8
आसाम	2,016	1,447	3,463	58.2	93	..	93	100.0
बिहार	2,227	2,988	5,215	42.7	304	83	387	78.6
बम्बई — गुजरात	4,157	2,280	6,437	64.6	1,108	307	1,415	78.3
बम्बई — महाराष्ट्र	14,353	3,635	17,988	79.8	3,798	693	4,491	84.6
जम्मू और कश्मीर	169	1,379	1,548	1.1	120	1,240	1,360	8.8
केरल	4,603	5,068	9,671	47.6	857	199	1,056	81.2
मध्य प्रदेश	2,014	1,602	3,616	55.7	2,391	1,242	3,633	65.8
मद्रास	1,422	6,321	7,743	18.4	1,630	6,176	7,806	20.9
मैसूर	2,621	3,890	6,511	40.3	1,056	750	1,806	58.5

उड़ीसा	723	406	1,129	64.0	428	29	457	93.7
पंजाब	3,727	6,769	10,496	3.5	1,579	777	2,356	67.0
राजस्थान	1,165	4,602	5,767	20.2	294	23	317	92.7
उत्तर प्रदेश	6,943	4,719	11,662	59.5	1,077	593	1,670	65.5
पश्चिमी बंगाल	15,959	12,579	28,538	55.9	1,150	2,290	3,440	33.4
दिल्ली	1,651	2,986	4,637	35.6	281	1,003	1,284	21.9
हिमाचल प्रदेश	176	..	176	100.0	24	..	24	100.0
मनिपुर	213	..	213	100.0	53	..	53	100.0
त्रिपुरा	269	..	269	100.0	30	12	42	71.4
पांडिचेरी	66	..	66	100.0	60	..	60	100.0
जोड़	67,016	63,638	1,30,654	51.3	17,474	15,532	33,006	52.9

*इसमें विश्व विद्यालय के अध्यापन विभागों और अनुसंधान संस्थाओं में दाखिल होने वाली छात्राओं की संख्या भी शामिल है।

अध्यापक

आलोच्य वर्ष में, विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों, कालेजों और अन्य उच्च शिक्षा-संस्थाओं के अध्यापकों की कुल संख्या 55,278 थी। इनमें 6,812 अध्यापिकाएं भी शामिल हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि पिछले वर्ष की संख्या की अपेक्षा इस वर्ष कुल मिलाकर 4,005 अध्यापक या 7.8 प्रतिशत अध्यापक और बढ़े। कुल अध्यापकों में से 5,275 अध्यापक विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में, 33,184 सामान्य शिक्षा के कालेजों में, 14,516 वृत्तिक शिक्षा के कालेजों में और 2,303 अध्यापक विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में पढ़ा रहे थे। इन अध्यापकों का राज्यवार ब्यौरा सारणी LXXI में दिया गया है।

अध्यापकों के वेतनमान

विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के वेतनमान में असमानता बनी रही। अलग-अलग राज्यों में और एक ही राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रबंध संस्थाओं के कालेजों में भी इन अध्यापकों के वेतन-मान भिन्न-भिन्न थे। विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यापकों के वेतनमान का ब्यौरा सारणी LXXII में दिया गया है।

सायंकालीन कालेज

आलोच्य वर्ष में, कुल मिलाकर 84 सायंकालीन कालेज थे, जिसमें से 67 कालेज विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे। इन कालेजों में दाखिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या 35,521 थी, जिसमें 2,294 लड़कियां थीं। इन कालेजों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की कुल संख्या 1,489 (1,438 पुरुष और 51 महिलाएं) थी। इन कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी LXXIII में दिये गये है।

व्यय

आलोच्य वर्ष में, विश्वविद्यालयों, कालेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं पर 47,70,06,230 रु० खर्च हुए। पिछले वर्ष के व्यय की अपेक्षा यह व्यय लगभग 14 प्रतिशत अधिक है।

कुल रकम में से, जो सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं पर होने वाले कुल प्रत्यक्ष व्यय का 20.3 प्रतिशत थी, 2,69,38,350 रु० केवल लड़कियों की संस्थाओं पर खर्च किये गये। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर किये गये खर्च का विभाजन इस प्रकार है: विश्वविद्यालय 12,81,08,673 रु० (26.9 प्रतिशत); कला और विज्ञान के कालेज 20,99,98,319 रु० (44.0 प्रतिशत); वृत्तिक शिक्षा के कालेज 13,11,84,212 रु० (27.5 प्रतिशत); और विशिष्ट शिक्षा के कालेज 77,15,026 रु० (1.6 प्रतिशत)। ऊपर बतायी गयी संस्थाओं का खर्च पिछले वर्ष के खर्च की अपेक्षा क्रमशः 10.6, 14.3, 17.2 और 9.7 प्रतिशत बढ़ गया।

सारणी LXXI—विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों की राज्यवार संख्या

राज्य	विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में		सामान्य शिक्षा के कालेजों में*		वृत्तिक शिक्षा के कालेजों में		विशिष्ट शिक्षा के कालेजो में		जोड़		
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आन्ध्र प्रदेश .	290	14	2,374	367	983	107	193	8	3,840	496	4,336
आसाम .	94	3	698	59	225	..	4	..	1,021	62	1,083
बिहार . .	244	9	2,384	196	751	16	76	2	3,455	223	3,678
महाराष्ट्र .	230	17	2,615	535	1,199	98	103	26	4,147	676	4,823
गुजरात . .	23	1	1,317	165	978	36	124	33	2,442	235	2,677
जम्मू और कश्मीर	20	1	281	46	37	8	96	66	434	121	555
केरल . .	25	3	1,554	474	405	79	54	12	20,38	568	2,606
मध्य प्रदेश .	167	4	1,826	122	1,096	73	248	35	3,337	234	3,571
मद्रास . .	335	11	2,172	692	1,772	515	182	18	4,461	1,236	5,697
मैसूर . .	46	..	1,750	264	1,142	106	120	1	3,058	371	3,429
उड़ीसा . .	32	3	474	54	269	10	83	..	858	67	925

सारणी LXXI—विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों की राज्यवार संख्या (जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पंजाब	150	4	2,007	338	787	110	7	..	2,951	452	3,403
राजस्थान	29	..	1,529	272	474	8	212	3	2,244	283	2,527
उत्तर प्रदेश	1,881	164	2,783	305	744	105	147	3	5,555	577	6,132
पश्चिमी बंगाल	1,126	49	3,679	622	1,653	102	306	46	6,764	819	7,583
दिल्ली	284	16	784	176	422	116	18	46	1,508	354	1,862
हिमाचल प्रदेश	..	..	79	7	10	1	12	..	101	8	109
मनिपुर	..	..	60	4	..	..	10	2	70	6	76
त्रिपुरा	..	..	64	3	17	1	6	1	87	5	92
पांडिचेरी	..	..	39	14	56	5	..	..	95	19	114
भारत	4,976	299	28,469	4,715	13,020	1,496	2,001	302	48,466	6,812	55,278

*इसमें अनुसंधान संस्थाएं भी शामिल हैं।

सारणी LXXII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में अध्यापकों के वेतनमान

विश्वविद्यालय	प्राध्यापक (लेक्चरर)	प्रवाचक (रीडर)	आचार्य (प्रोफ़ेसर)
1	2	3	4
आगरा * . . .	300-20-500-द०रो०-25-800	——	800-50-1,250
अलीगढ़ . . .	250-20-350-25-500	500-25-800	800-50-1,250
इलाहाबाद . .	300-20-500-द०रो०-25-800	——	800-50-1,250
आन्ध्र * . . .	(1) 225-15-375	(1) 400-40/2-600	(1) 750-50/2-1,000
	(2) 210-15/2-300	(2) 300-30/2-420-40/2-500	(2) 500-40/2-700
अण्णामलई . .	(1) 180-10-300 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी	250-15-400-20-500	(1) 400-25-700-द०रो०-40-900 इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी
	(2) 150-10-300 अन्य	——	(2) 400-20-700 अन्य
बनारस * . . .	(1) 300-20-600 औद्योगिकी, खनिकर्म, मौसम विज्ञान और इंजीनियरी	(1) 600-40-1,000 औद्योगिकी, खनिकर्म, मौसम विज्ञान और इंजीनियरी	(1) 1,000-50-1,750 औद्योगिकी, खनिकर्म, मौसम विज्ञान और इंजीनियरी
	(2) 250-20-450-25-600 अन्य	(2) 500-25-800 अन्य	(2) 800-50-1,250
	(3) 200-15-210-20-450 इंटरमीडिएट अनुभाग	——	——

*ये वेतनमान विश्वविद्यालयों के कालेजों में हैं।

सारणी LXXII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में अध्यापकों के वेतन मान (जारी)

1	2	3	4
बड़ौदा *	(1) 500-30-800 (2) 250-15-400-द०रो०-20-500-25-600 आयुर्विज्ञान (3) 250-20-350-25-500 अन्य	500-25-800	(1) 1,300-70-1,440-60-1,500 (2) 1,000-50-1,400 आयुर्विज्ञान (3) 800-50-1,250 अन्य
बिहार	†	†	†
बम्बई	300-25-600	500-25-800	800-50-1,250
कलकत्ता	250-25-500-द०रो०-25-600	500-50/2-700	(1) 800-40-1,000-द०रो०-50-1,250 (2) 600-25-800
दिल्ली	250-25-500-30-560	500-25-800	800-50-1,250
गौहाटी	250-20-450-25-600	500-25-800	800-40-1,000-50-1,250
गोरखपुर	300-20-500-द०रो०-25-800	——	(1) 800-50-1,250
गुजरात	250-25-500	500-25-800	800-50-1,250
जबलपुर	250-25-500	500-30-800	800-50-1,250
जादवपुर	250-25-500	500-25-800	(1) 1,000-100-2,000 (2) 600-40-1,000 इंजीनियरी और औद्योगिकी (1) 1,000-50-1,500 (2) 800-50-1,250 अन्य

जम्मू और कश्मीर . .	250-25-600	500-25-600-40-800	800-50-1,250
कर्नाटक . . .	250-20-350-25-500	500-25-800	800-50-1,250
केरल . . .	250-25-500	500-25-800	800-50-1,000
कुरुक्षेत्र . . .	(1) 300-25-650 (2) 250-20-450-25-650	500-30-800	---
लखनऊ . . .	(1) 350-25-600 (2) 250-25-400-30-700 आयुर्विज्ञान	(1) 600-30-900 (2) 500-30-800 आयुर्विज्ञान	(1) 1,100-40-1,340 (2) 900-40-1,140 (3) 800-50-1,250 अन्य
मद्रास . . .	200-15-350-20-450-25-500	400-25-600	750-50-1,000
मराठवाड़ा . .	250-20-350-25-500	---	800-50-1,250
मैसूर* . . .	200-10-250-20-450	250-20-350-25-500	(1) 700-40-900-50-1,000 (2) 400-25-550-30-700-40-820

*ये वेतनमान विश्वविद्यालयों के कालेजों में हैं।

†पद के अनुसार अध्यापकों का कोई वर्गीकरण नहीं है।

अध्यापकों की नियुक्ति प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की सेवा में की जाती है।

प्रथम श्रेणी : रु० 350-25-650-द०रो०-35-1,000

द्वितीय श्रेणी : रु० 200-20-220-25-320-द०रो०-25-670-द०रो-20-750

17—5 M. of Edu./65

सारणी LXXII—विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में अध्यापकों के वेतनमान—(जारी)

1	2	3	4
नागपुर . .	(1) 250-20-350-25-500 (2) 225-225-250-15-400	(1) 500-25-800 (2) 400-50-600-40-800	(1) 800-50-1,000-50-1,250 (2) 800-40-1,000-50-1,250
उस्मानिया . .	250-20-450-द०रो०-25-550	400-25-550-द०रो०-30-700	(1) 800-50-1,000-50-1,250 (2) 800-40-1,000-50-1,200
पंजाब . .	300-25-500	500-30-800	800-50-1,250
पटना . .	350-20-370-25-445 द०रो०-25-720-द०रो०-40-800 इंजीनियरी 250-15-325-द०रो०-15-400 10-450-द०रो०-30-750 आयुर्विज्ञान 200-220-25-320-द०रो०-25 670-द०रो०-20-750 अन्य	600-40-840-द०रो०-40-1,000 इंजीनियरी 350-25-650-द०रो०-35-1,000 350-15-380-25-480-द०रो-30-750 आयुर्विज्ञान	850-50-1,250
पूना . .	250-20-350-25-500	500-25-800	800-50-1,250
राजस्थान .	250-20-450-द०रो०-25-600	500-30-800	800-50-1,250
रुड़की . .	250-25-400-द०रो०-30-700 द०रो०-50-850 इंजीनियरी	500-50-1,000-द०रो०-50-1,200 इंजीनियरी	(1) 2,000-100-2,500 (2) 1,350-50-1,750 इंजीनियरी

सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ	250-20-350-25-500	500-25-800	800-50-1,250 इंजीनियरी
सागर	300-25-600-द०रो०-30-900	500-30-800-40-1,000	900-50-1,350
एस०एन०डी०टी० महिला विश्व-विद्यालय	(1) 200-15-350 (2) 150-15-250	— —	(1) 300-20-500 (2) 250-20-450
श्री वेंकटेश्वर	250-25-500	400-25-600	750-50-1,000
उत्कल	(1) 360-25-435-द०रो० 25-610-द०रो०-30-700 (2) 300-20-500 भाषाएं (3) 260-25-435-द०रो०-25-610-30-700	(1) 510-30-570-द०रो०-30-690-30-780-द०रो०-40-860 (2) 300-320-25-420-30-570-द० रो० 30-780-द०रो०-40-860	(1) 800-50-1,250 (2) 600-40-960
विक्रम*	250-15-400-25-450	—	(1) 700-40-900 (2) 250-20-550
विश्वभारती*	(1) 200-20-400-द०रो०-25-450 (2) 150-15-270-द०रो०-15-300-द०रो०-20-400	400-25-700	700-50-1,000-50-1,250

*ये वेतनमान विश्वविद्यालयों के कालेजों में हैं।

सारणी LXXIII—सांयकालीन कालेजों के आंकड़े

राज्य		संख्या	नामांकित छात्रों की संख्या			अध्यापकों की संख्या		
			लड़के	लड़कियां	जोड़	पुरुष	महिलाएं	जोड़
आन्ध्र प्रदेश		4	1,721	29	1,750	80	7	87
आसाम		13	4,275	27	4,302	201	6	207
बिहार		5	1,211	20	1,231	63	2	65
बम्बई	महाराष्ट्र	4	2,069	52	2,121	57	3	60
	गुजरात	2	465	138	603	46	4	50
केरल		1	261	12	273	10	—	10
मध्य प्रदेश		6	1,267	96	1,363	40	1	41
मद्रास		1	98	15	113	26	3	29
मैसूर		3	53	15	68	27	2	29
पंजाब		4	3,184	28	3,212	71	—	71
राजस्थान		1	83	—	83	9	—	9
उत्तर प्रदेश		17	2,144	632	2,776	113	3	116
पश्चिमी बंगाल		13	13,094	1,147	14,241	558	16	574
दिल्ली		6	2,410	24	2,434	103	2	105
मनिपुर		4	892	59	951	34	2	36
जोड़		84	33,227	2,294	35,521	1,438	51	1,489

आय के स्रोतों के अनुसार खर्च का विभाजन सारणी LXXIV में दिखाया गया है। आधे से अधिक व्यय (51.4 प्रतिशत) सरकारी निधियों से पूरा किया गया, 34.9 प्रतिशत फ़ीस से पूरा किया गया। चूंकि, स्थानीय परिषदों का अंशदान अपेक्षाकृत बहुत कम (0.6 प्रतिशत) था, इसलिए बाकी लगभग सारा खर्च धर्मस्व (4.0 प्रतिशत) और अन्य स्रोतों (9.1 प्रतिशत) से पूरा किया गया।

सारणी LXXIV—विभिन्न आय-स्त्रोतों स विश्वविद्यालयों और कालजों पर किया गया प्रत्यक्ष व्यय

आयस्रोत	1958-59		1959-60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
सरकारी निधियां . .	21,58,81,392	51.6	24,50,71,776	51.4
स्थानीय परिषदों की निधियां .	13,56,013	0.3	28,34,856	0.6
फ़ीस . . .	15,00,91,081	35.9	16,64,77,088	34.9
धर्मस्व . . .	1,39,70,633	3.4	1,93,15,888	4.0
अन्य स्रोत . .	3,69,60,349	8.8	4,33,06,622	9.1
जोड़ .	41,82,59,468	100.0	47,70,06,230	100.0

खर्च की कुल रकम में से 15,80,62,820 रु० (33.1 प्रतिशत) सरकारी शिक्षा-संस्थाओं पर, 31,91,117 रु० (0.7 प्रतिशत) स्थानीय परिषदों के कालेजों पर, और 31,57,52,293 रु० (66.2 प्रतिशत) गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित संस्थाओं पर खर्च किये गये। सन् 1958-59 में यह प्रतिशत क्रमश: 32.9, 0.4 और 66.7 था।

सारणी LXXV में सन् 1958-59 और 1959-60 की अवधि में, विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों पर होने वाले व्यय की तुलना की गयी है। इसमें सामान्य, वृत्तिक और विशिष्ट शिक्षा के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्यों में उच्च शिक्षा संस्थाओं पर होनेवाला व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ गया। प्रतिशत के आधार पर, राज्यों के अंतर्गत सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश (29.2 प्रतिशत) में, और इस के बाद क्रमश: आन्ध्र प्रदेश (25.7 प्रतिशत) और केरल (25.5 प्रतिशत) में हुई, और सब से कम वृद्धि पंजाब (5.2 प्रतिशत) में हुई। संघ राज्यक्षेत्रों में यह वृद्धि 7.3 प्रतिशत (त्रिपुरा) से लेकर 80.2 प्रतिशत (हिमाचल प्रदेश) के बीच भिन्न-भिन्न रही।

सारणी LXXV के खाना (15) में दिये गये अंकों से यह ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों पर कुल प्रत्यक्ष व्यय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। यह प्रतिशत राज्यों के अंतर्गत 11.5 प्रतिशत (केरल) से लेकर 24.5 (पश्चिमी बंगाल), तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के अंतर्गत त्रिपुरा में 6.0 प्रतिशत से लेकर दिल्ली में 46.4 प्रतिशत तक के बीच भिन्न-भिन्न रहा।

उच्च शिक्षा-संस्थाओं पर होने वाले व्यय का प्रतिशत, और उनके आय-स्त्रोतों का ब्यौरा सारणी LXXV के खाना सं० (16) से (20) तक में दिखाया गया है। जम्मू और कश्मीर (73.8 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (69.8 प्रतिशत) और राजस्थान (67.1 प्रतिशत) में व्यय का अधिकांश भाग सरकारी निधियों से पूरा किया गया। पंजाब में सरकारी निधियों से पूरा किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत (28.8) सबसे कम था। कुल व्यय में स्थानीय परिषदों का अंशदान प्राय: सभी राज्यों में बहुत ही मामूली रहा। महाराष्ट्र में, व्यय के लगभग पचास प्रतिशत की पूर्ति फ़ीस से हुई। संघ राज्य-क्षेत्रों के अंतर्गत, पांडिचेरी में व्यय का सबसे अधिक भाग (94.7 प्रतिशत) और मनिपुर में सबसे कम भाग (61.8 प्रतिशत) सरकारी निधियों से पूरा किया गया।

सारणी LXXV—विश्वविद्यालय और कालेजों पर होने वाला राज्यवार प्रत्यक्ष व्यय

राज्य	विश्वविद्यालय†		कला और विज्ञान के कालेज*		वृत्तिक शिक्षा के कालेज	
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	82,74,463	1,07,95,932	1,11,41,884	1,42,15,701	73,19,158	87,13,994
आसाम	20,80,345	26,78,000	33,82,433	40,78,433	22,69,271	26,43,386
बिहार	48,66,036	50,29,181	1,71,41,988	1,39,15,632	64,34,303	68,78,073
बम्बई { महाराष्ट्र	1,50,38,455	1,24,76,984	2,91,04,825	2,33,50,245	2,26,41,210	1,85,56,802
बम्बई { गुजरात	*	78,50,414	*	1,01,65,324	*	72,85,362
जम्मू और कश्मीर	7,89,154	8,60,265	14,95,601	14,77,652	2,54,479	6,35,401
केरल	19,68,812	32,87,167	80,07,255	90,78,737	27,52,222	36,52,847
मध्य प्रदेश	32,92,238	46,60,001	96,21,901	1,19,13,641	83,98,656	1,10,96,250
मद्रास	81,45,724	94,04,208	1,29,64,621	1,49,51,064	1,03,50,763	1,34,09,054
मैसूर	30,09,344	29,57,974	1,07,76,213	1,30,07,295	56,82,555	65,97,103
उड़ीसा	8,86,878	10,99,692	28,81,304	33,36,280	16,73,333	18,97,492

पंजाब . . .	92,57,440	93,88,222	1,16,82,317	1,28,73,959	73,03,423	74,63,338
राजस्थान . .	51,04,830	17,20,277	85,77,439	90,84,033	38,65,051	44,86,083
उत्तर प्रदेश . .	4,06,21,281	3,69,79,532	2,40,98,157	2,51,41,404	77,93,882	87,42,949
पश्चिमी बंगाल . .	1,15,29,410	1,45,35,504	2,30,89,658	2,61,96,216	1,57,37,702	1,81,92,405
दिल्ली . . .	43,19,895	43,85,320	1,42,30,194	1,58,67,684	89,67,359	1,01,49,199
हिमाचल प्रदेश . .	–	–	2,64,523	5,16,562	54,190	57,873
मनिपुर . . .	–	–	2,30,397	3,84,845	–	–
त्रिपुरा . . .	–	–	3,51,215	3,84,724	81,242	79,016
पांडिचेरी . .	–	–	77,428	58,888	3,46,894	6,47,585
भारत	11,55,84,305	12,81,08,673	18,37,19,353	20,99,98,319	11,19,25,693	13,11,84,212

*इसमें वे अनुसंधान संस्थाएं शामिल हैं जहां अध्यापन की सुविधाएं थीं ।

†इसके आंकड़े महाराष्ट्र के सामने दिये हुए आंकड़ों में शामिल हैं ।

सारणी LXXV—विश्वविद्यालय और कालेजों पर होने वाला राज्यवार प्रत्यक्ष व्यय—(जारी)

राज्य	विशिष्ठ शिक्षा के कालेज		कुल जोड़		वृद्धि (+) या कमी (−)	
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	संख्या	प्रतिशत
1	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश . .	4,97,159	5,13,900	2,72,32,664	3,42,39,527	+ 70,06,863	+25.7
आसाम . . .	7,269	8,711	77,39,318	94,08,530	+ 16,69,242	+21.6
बिहार . . .	2,26,384	2,54,247	2,32,68,711	2,60,77,133	+ 28,08,422	+12.1
बम्बई { महाराष्ट्र .	15,75,275	9,64,816	6,83,59,765	5,53,48,847	+1,29,32,437	+18.9
बम्बई { गुजरात .	*	6,42,255	*	2,59,43,355	*	*
जम्मू और काश्मीर . .	1,70,828	2,43,746	27,10,062	32,17,064	+ 5,07,002	+18.7
केरल . . .	1,66,033	1,66,358	1,28,94,322	1,61,85,109	+ 32,90,787	+25.5
मध्य प्रदेश . . .	8,28,954	9,41,400	2,21,41,749	2,86,11,292	+ 64,69,543	+29.2
मद्रास . . .	5,10,284	5,62,201	3,19,71,392	3,83,26,527	+ 63,55,135	+19.9
मैसूर . . .	2,48,895	2,48,755	1,97,17,007	2,28,11,127	+ 30,94,120	+15.7
उड़ीसा . . .	1,72,286	1,94,742	56,13,801	65,28,206	+ 9,14,405	+16.3

पंजाब . . .	18,853	18,074	2,82,62,033	2,97,43,593	+ 14,81,560	+ 5.2
राजस्थान . .	5,19,997	6,28,729	1,44,67,317	1,59,19,122	+ 14,51,805	+10.2
उत्तर प्रदेश . .	6,90,762	7,23,829	7,32,04,082	7,15,87,714	— 16,16,368	— 2.2
पश्चिमी बंगाल . .	8,05,685	8,55,626	5,11,62,455	5,97,79,751	+ 86,17,296	+16.8
दिल्ली . . .	5,67,693	7,22,554	2,80,85,141	3,11,24,757	+ 30,39,616	+10.8
हिमाचल प्रदेश . .	—	—	3,18,713	5,74,435	+ 2,55,722	+80.2
मनिपुर . . .	14,081	14,517	2,44,478	3,99,362	+ 1,54,884	+63.4
त्रिपुरा . . .	9,679	10,566	4,42,136	4,74,306	+ 32,170	+ 7.3
पांडिचेरी . .	—	—	4,24,322	7,06,473	+ 2,82,151	+66.5
भारत .	70,30,117	77,15,026	41,82,59,468	47,70,06,230	+5,87,46,762	+14.0

सारणी LXXV—विश्वविद्यालय और कालेजों पर होनेवाला राज्यवार प्रत्यक्ष व्यय—(जारी)

राज्य	शिक्षा पर होनेवाले कुल प्रत्यक्ष व्यय का प्रतिशत		विभिन्न स्रोतों से पूरे किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत					प्रति छात्र पर होने वाला औसत वार्षिक व्यय		
	1958-59	1959-60	सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदें	(फ़ीस)	धर्मस्व	अन्यस्रोत	कला और विज्ञान के कालेज में	वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के कालेजों में	विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
आंध्र प्रदेश . . .	18.2	15.7	51.0	0.1	27.7	7.2	14.0	337.0	862.5	534.8
आसाम . . .	15.3	18.1	50.4	0.1	46.0	0.1	3.4	180.0	1169.6	622.2
बिहार . . .	20.3	19.9	49.3	0.0	42.7	1.5	6.5	188.5	662.1	566.3
बम्बई { महाराष्ट्र . .	17.6	18.1	35.7	2.3	50.2	0.1	11.7	318.0	623.7	551.0
बम्बई { गुजरात . .	*	19.2	35.3	5.1	44.2	1.1	14.3	369.7	462.3	565.4
जम्मू और कश्मीर . .	21.7	14.5	73.8	—	18.9	1.9	5.4	192.8	1402.7	132.3
केरल . . .	10.5	11.5	53.6	—	41.1	0.0	5.3	278.3	674.8	308.6
मध्य प्रदेश . . .	18.1	20.2	69.8	0.2	20.3	1.3	8.4	370.9	882.5	223.4
मद्रास . . .	17.5	19.1	45.6	0.1	34.1	19.2	1.0	395.3	458.0	272.8

मैसूर	16.8	17.5	50.5	0.0	40.0	0.8	8.7	370.4	412.0	150.7
उड़ीसा	14.8	15.6	66.7	0.0	30.2	2.0	1.1	344.9	788.7	312.6
पंजाब	24.5	20.3	28.8	0.2	41.5	16.2	3.8	228.0	843.4	200.8
राजस्थान	20.5	19.4	67.1	0.0	22.5	8.3	2.1	257.1	891.3	284.1
उत्तर प्रदेश	27.6	25.6	55.0	0.0	24.1	1.0	19.9	413.0	1067.6	380.6
पश्चिमी बंगाल	25.3	26.5	53.5	0 0	41.1	0.9	5.5	220.9	1464.1	259.1
दिल्ली	45 6	46.4	78.6	0.0	14.9	1.8	4.7	1092.8	2749.7	1084.9
हिमाचल प्रदेश	5.9	7.8	82.8	–	16.8	–	0.4	709.6	1091.9	–
मनिपुर	6.9	8.4	61.8	–	34.6	2.9	0.7	204.8	–	151.2
त्रिपुरा	7.0	6.0	62.5	–	37.3	0.2	0.0	252.4	745.4	587.0
पांडिचेरी	18.2	25.5	94.7	–	5.3	–	–	619.2	2755.7	–
भारत	20.6	20.3	51.4	0.6	34.9	4.0	9.1	306.4	758.4	327.0

कला और विज्ञान के कालेजों, वृत्तिक और तकनीकी कालेजों तथा विशिष्ट शिक्षा के कालेजों का प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय सारणी 75 के खाना 21 से 23 तक से ज्ञात किया जा सकता है। इन आंकड़ों में, पिछले वर्ष की भांति ही बहुत अधिक अन्तर है। प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय कला और विज्ञान के कालेज में 306.4 रु०, वृत्तिक शिक्षा के कालेज में 758.4 रु० और विशिष्ट शिक्षा के कालेज में 327.0 रु० था।

छात्रवृत्तियों और वृत्तिकाएँ

आलोच्य वर्ष में निर्धन और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा पाने का अवसर प्रदान करने के लि छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं और अन्य प्रकार की सहायता की विभिन्न योजनाएं चालू रही। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(1) भारत सरकार की उत्तर-मैट्रिक योग्यता छात्रवृत्ति (पोस्ट-मैट्रिक मेरिट-स्कालरशिप) योजना के अन्तर्गत 9.40 लाख रु० की दो सौ छात्रवृत्तियां दी गयी।

(2) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 64 छात्रवृत्तियों के लिए 2.25 लाख रु० की राशि प्रदान की। ये छात्रवृत्तियां मानव-विद्याओं की विभिन्न शाखाओं में शोध कार्य करने के लिए दी गयी।

(3) केन्द्रीय सरकार, प्रतिवर्ष अहिन्दी भाषी छात्रों को हिन्दी की उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रवृत्तियां देती है। आलोच्य वर्ष में, इस योजना के अंतर्गत तीन लाख रुपये की राशि दी गयी।

(4) अनुसूचित जातियों, अनसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को उत्तर-मैट्रिक-छात्रवृत्तियां प्रदान करने की भारत सरकार की योजना को विकेन्द्रित कर दिया गया, और इन छात्रवृत्तियों को देने का काम राज्य-सरकारों को सौंप दिया गया। इस योजना के लिए आलोच्य वर्ष की 222 लाख रु० की राशि को विभिन्न राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में बांट दिया गया।

(5) विज्ञान और औद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं से संबंधित शोधकार्य को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पहले मंजूर की गयी 681 छात्रवृत्तियों को जारी रहने दिया गया, और आलोच्य वर्ष में 119 नयी छात्रवृत्तियों की और मंजूरी दे दी गयी।

(6) राष्ट्रीय अनुसन्धान अधिवृत्ति योजना के अन्तर्गत विज्ञान और औद्योगिकी के विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों में 23 अध्येताओं ने अनुसंधान कार्य जारी रखा। ये गत वर्ष चुने गए थे। आलोच्य वर्ष में 27 अध्येता और चुने गए।

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानव-विद्याओं की विभिन्न शाखाओं में 100 रु० प्रतिमास की 80 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां और 200 रु० प्रतिमास की 50 अनुसंधान वृत्तियां प्रदान की। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत अध्येताओं को 1.88 लाख रुपये की राशि दी गयी।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालय केन्द्रों में अनुसंधान करने वाले 100 छात्रों को विज्ञान, इंजीनियरी और औद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान के लिए दो-दो सौ रुपयों की उत्तर-एम० एस-सी० अनुसंधान वृत्तियां दीं। इन वृत्तियों के लिए विश्वविद्यालयों को 1.75 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

(9) आयोग ने विज्ञान में पाँच-पाँच सौ रुपये प्रतिमास की प्रवर अनुसंधान अधिवृत्तियों के लिए 17, और तीन-तीन सौ रुपये प्रतिमास की उत्तर-डाक्टरेट अधिवृत्तियों (पोस्ट डॉक्टोरटल फेलोशिप) के लिए 26 छात्रों का चुनाव किया।

(10) आलोच्य वर्ष में आयोग ने इंजीनियरी और औद्योगिकी के विषयों में 400 रु० प्रतिमास की 30 अनुसन्धान अधिवृत्तियाँ देनी शुरू की।

(11) आयोग ने निर्धन और योग्य छात्रों के लिए शिक्षा-शुल्क या परीक्षा-शुल्क या पुस्तकों आदि की खरीद के लिए सहायता देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय और कालेजों में छात्र सहायता

निधि खोलने के लिए सहायता दी। इस योजना के अधीन 14 विश्वविद्यालयों और 116 कालेजों को पचास प्रतिशत के आधार पर 2.28 लाख रुपये की रकम मंजूर की गयी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए दूसरे देशों में भेजने के लिए और विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए सहायता मिलती रही। विभिन्न प्रकार की अन्य केन्द्रीय योजनाएँ और कार्यक्रम भी जारी रहे जो, निम्नलिखित हैं :—केन्द्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना, विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जातियों आदि के लिए समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना, पूर्ण प्रदत्त समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना, अगाथा हैरीसन अधिवृत्ति, भारत और चीन, भारत और यू०एस०एस०आर०, भारत और रूमानिया आदि के बीच छात्र विनिमय कार्यक्रम।

सन् 1959-60 की अवधि में विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं और अन्य वित्तीय सहायताओं पर होने वाला कुल व्यय 4,84,04,696 रु० था। इसके अतिरिक्त, कालेजों में छात्रों की फ़ीस साफ करने के लिए 1,28,74,374 रु० और उन्हें अन्य आर्थिक रिहायतें देने के लिए 62,87,740 रु० की राशि दी गयी।

परीक्षाफल

सन् 1959 और 1960 की इंटरमीडिएट, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षाओं का परीक्षाफल नीचे सारणी में दिया गया है :—

परीक्षाफल

परीक्षा	परीक्षार्थिओं की संख्या		उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या		उत्तीर्णता प्रतिशत	
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5	6	7
पूर्व-विश्वविद्यालय (कला और विज्ञान)	..	1,35,885	..	64,848	..	42.9
आई०ए०* .	2,05,451	2,36,146	80,894	87,615	39.4	37.1
आई०एस-सी० .	90,847	96,188	39,337	41,526	43.3	43.2
†बी०ए० (पास और ऑनर्स)	1,20,770	1,35,347	54,774	58,452	45.3	43.2
††बी०एस-सी० (पास और ऑनर्स)	40,531	50,506	20,449	22,397	51.5	44.3
एम०ए० . .	17,476	19,854	14,076	16,343	80.5	82.3
एम०एस-सी० .	4,430	5,010	3,558	3,971	80.2	79.3
पूर्व-वृत्तिक .	..	13,920	..	6,145	..	44.1
§वृत्तिक विषय .	79,856	83,843	47,956	53,354	61.7	60.5

*मद्रास और आन्ध्र प्रदेश के आई०ए० में आई०एस-सी० भी शामिल है।

†इसमें गृह कला भी शामिल है।

††इससे गृह विज्ञान भी शामिल है।

§केवल डिग्री और उसकी समकक्ष परीक्षाएँ।

आई० ए० और आई०एस-सी०, बी०ए० और बी०एस-सी०, एम०ए० और एम०एस-सी० और वृत्तिक डिग्री पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का राज्यवार विभाजन सारणी LXXVI दिखाया गया है।

सारणी LXXVI—विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण परिक्षार्थियों की राज्यवार संख्या

राज्य		इंटरमीडिएट (कला और विज्ञान)			बी०ए०, बी०एस-सी० (पास और ऑनर्स)		
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1		2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश		993	115	1,108	4,642	540	5,182
आसाम		3,216	630	3,846	1,444	204	1,648
बिहार		15,078	1,341	16,419	5,279	541	5,820
बम्बई	महाराष्ट्र	4,352	2,918	7,270	5,232	2,809	8,041
	गुजरात	4,771	1,370	6,141	3,377	934	4,311
जम्मू और कश्मीर		1,207	316	1,523	415	212	627
केरल		341	63	404	3,220	1,533	4,753
मध्य प्रदेश		4,863	838	5,701	2,846	856	3,702
मद्रास		566	55	621	5,151	1,173	6,324
मैसूर		..	..	..	2,972	757	3,729
उड़ीसा		2,598	331	2,929	1,264	123	1,387
पंजाब		10,515	3,612	14,127	5,901	2,297	8,198

राजस्थान	4,537	918	5,455	1,906	499	2,405
उत्तर प्रदेश	30,859	6,243	37,102	11,665	3,142	14,807
पश्चिमी बंगाल	19,555	6,232	25,787	5,774	2,138	7,912
दिल्ली	..	..	..	983	757	1,740
हिमाचल प्रदेश	67	23	90	16	15	31
मनिपुर	236	32	268	102	11	113
त्रिपुरा	275	47	322	87	11	98
पांडिचेरी	21	7	28	19	2	21
भारत	1,04,050	25,091	1,29,141	62,295	18,554	80,849

सारणी LXXVI—विश्वविद्यालयों की विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की राज्यवार संख्या—(जारी)

राज्य	एम०ए० और एम०एस०सी०			अनुसंधान (वृत्तिक विषयों सहित)			केवल वृत्तिक (डिग्रियाँ) और उसके बराबर के डिप्लोमा		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आन्ध्र प्रदेश . .	365	79	444	27	3	30	3,244	345	3,589
आसाम . . .	172	30	202	..	..	..	447	30	477
बिहार . . .	1,905	122	2,027	17	1	18	3,243	148	3,391
बम्बई { महाराष्ट्र .	1,244	416	1,660	38	9	47	5,379	809	6,188
बम्बई { गुजरात .	409	68	477	9	..	9	2,425	113	2,538
जम्मू और कश्मीर . .	63	7	70	..	..	..	151	84	235
केरल . . .	226	91	317	1	1	2	1,982	485	2,467
मध्य प्रदेश . .	1,110	284	1,394	26	5	31	2,981	213	3,194
मद्रास . . .	749	148	897	19	3	22	3,613	528	4,141
मैसूर . . .	344	70	414	10	2	12	2,622	245	2,867
उड़ीसा . . .	190	18	208	7	..	7	549	35	584

18—5 M of Edu/65

पंजाब	1,550	443	1,993	19	2	21	2,389	1,323	3,712
राजस्थान	804	228	1,032	..	..	..	2,031	91	2,122
उत्तर प्रदेश	5,563	1,444	7,007	286	21	307	8,653	1,001	9,654
पश्चिमी बंगाल	1,068	545	1,613	112	13	125	6,628	545	7,173
दिल्ली	366	193	559	28	3	31	739	154	893
हिमाचल प्रदेश	..	..	..	..	..	..	36	15	51
मनिपुर	..	..	..	..	..	..	22	1	23
त्रिपुरा	..	..	..	..	..	..	54	1	55
पांडिचेरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..
भारत	16,128	4,186	20,314	599	63	662	47,188	7,166	53,354

अध्यापकों का प्रशिक्षण

शिक्षा प्रणाली की उत्तमता अधिकांशतः अच्छे अध्यापकों पर निर्भर रहती है और कुशल अध्यापन के लिए अध्यापकों को वृत्तिक प्रशिक्षण देना बहुत लाभकर होता है । जब से प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी शिक्षा चालू हो गयी है और माध्यमिक स्तर की शिक्षा बहुद्देशी हो गयी है, तबसे प्रशिक्षण का महत्व और अधिक बढ़ गया है । इस प्रकार स्कूलों में अधिकाधिक शैक्षिक सुविधाएं होने के साथ साथ उनके लिए अधिक प्रशिक्षित शिक्षकों की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए ।

आलोच्य वर्ष में अध्यापकों की नई प्रशिक्षण संस्थायें खोलने, पुराने ढंग की प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी ढंग की प्रशिक्षण संस्थाओं में बदलने और वर्तमान संस्थाओं में दाखिले की जगहें बढ़ाने के काम में काफ़ी तेजी आई । राज्य सरकारों ने पुनश्चर्या प्रशिक्षणक्रमों, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया ताकि अध्यापक एक-दूसरे को अपने विचार और अनुभव बता सकें और सामान्य समस्याओं पर चर्चा कर सकें । इस काम में राज्य सरकारों को स्वैच्छिक संगठनों और अध्यापक संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ ।

आलोच्य वर्ष में आम तौर पर सभी लोग इस बात को समझने लगे थे कि तीसरी आयोजना में अनिवार्य आम प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों को काफी मात्रा में प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है । यह अनुमान लगाया गया था कि इस कार्यक्रम के लिए तीसरी आयोजना के दौरान लगभग पाँच लाख और अध्यापकों की जरूरत होगी । चूंकि कुछ जगहों में इस पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष थी, अतः यह आवश्यक था कि 1959-60 में ही प्रशिक्षित अध्यापकों की माँग को पूरा करने की स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न शुरू कर दिए जायें । अतः केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक विशेष योजना बनाई । जिसमें वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिले की जगहें बढ़ाने और जहाँ आवश्यक हो वहाँ नई संस्थायें खोलने की व्यवस्था की गयी । इस योजना के अधीन राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को, इन अतिरिक्त पचास प्रतिशत अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण देने के लिए और शेष अध्यापकों को 8 से 10 सप्ताह तक का अल्पकालीन नवप्रशिक्षण देने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिया गया । इस कार्यक्रम के अधीन यथासंभव अधिक से अधिक अध्यापिकाओं को भी प्रशिक्षित करने का प्रयत्न किया गया ।

उपरोक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने और प्रशिक्षण-विषयों पर विशेष ध्यान देने के लिए नीचे लिखी बातों पर बल दिया गया ।

(1) केवल बुनियादी पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ;

(2) प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिले की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या उसके समकक्ष रखनी चाहिए, परन्तु अध्यापिकाओं अथवा विशेष रूप से कुछ पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में कुछ समय तक इस विषय में छूट देना जरूरी हो सकता है;

(3) जहाँ तक हो सके प्रशिक्षण की अवधि, दो वर्ष होनी चाहिए ।

इस योजना के अधीन कुल मिलाकर 2.62 करोड़ रुपये मंजूर किये गये ।

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन (केन्द्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली में बी० एड० एम० एड० और पी०एच०डी० (शिक्षा) पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण जारी रहा। संस्थान में कला के प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए कला रीतिविधान का तीन महीने का प्रकृष्ठ पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया। संस्थान ने अपने संबद्ध बुनियादी स्कूल में बुनियादी शिक्षा के अध्यापन में सुधार करने के लिए प्रयोग किये। संबद्ध बुनियादी स्कूल के सामुदायिक केन्द्र में सामुदायिक और सामाजिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के अलावा वयस्कों के लिए साक्षरता कक्षायें और महिलाओं के लिए बुनाई, सिलाई और कढ़ाई की कक्षायें चलाने का काम भी जारी रहा।

सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश (केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान) में अंग्रेजी के अध्यापन के संबंध में 15 जून से 15 अक्तूबर 1959 तक दूसरा नियमित प्रशिक्षणक्रम चलाया गया। संस्थान की स्थापना गत वर्ष की गयी थी। इस प्रशिक्षण क्रम में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, पूर्व-विश्वविद्यालय की कक्षाओं और प्रशिक्षण कालेजों के आचार्यों (प्रोफेसरों) तथा विद्यालय निरीक्षकों ने भाग लिया। यह संस्थान अंग्रेजी के अध्यापन से संबंधित अनुसन्धान करने की सुविधायें देता रहा और मई/जून 1959 में संस्थान ने एक संगोष्ठी आयोजित की।

मुख्य-विकास-कार्य

अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के संबंध में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

आन्ध्र प्रदेश

तेलंगाना क्षेत्र में अध्यापकों के लिए 25 नये प्रशिक्षण स्कूल खोले गये। इनमें से 15 स्कूल मिडिल-उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए थे। प्रशिक्षण आलोच्य वर्ष में फिर से शुरू कर दिया गया। इन संस्थानों में माध्यमिक स्तर का प्रशिक्षण पाने वाले उम्मीदवारों को 35 रुपए मासिक और प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण पाने वालों को 30 रुपए मासिक की वृत्तिका दी गयी। आलोच्य वर्ष में आन्ध्र प्रदेश के 7 प्रशिक्षण स्कूलों में आपाती माध्यमिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

मई से जुलाई 1959 तक स्कूलों के अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालयों में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाए गये। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले 151 अध्यापकों में से 144 अध्यापक उत्तीर्ण हुए और 7 अध्यापकों को परीक्षा में बैठने से छूट दी गई।

आलोच्य वर्ष में हैदराबाद में एक नया बी०ए० प्रशिक्षण कालेज खोला गया।

आसाम

गोहाटी विश्वविद्यालय ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए गर्मी की छुट्टियों में स्नातकोत्तर अध्ययनक्रम चलाने का विचार प्रकट किया।

बिहार

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने 43 नये प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निश्चय किया। इनमें से 21 स्कूल (पुरुषों के 15 और महिलाओं के 6) पहली दिसम्बर 1959 से काम करने लगे हैं। इसके अलावा 3 वर्तमान प्रवर प्रशिक्षण विद्यालयों में पचास-पचास जगहें और बढ़ा दी गई और एक अन्य प्रशिक्षण स्कूल में 25 जगहें बढ़ा दी गई।

राज्य में जो प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध हैं, उनका पूरा लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि अध्यापक प्रशिक्षण कालेज में दाखिला लेते समय सभी प्रशिक्षार्थी इस आशय का एक बंधपत्र भरेंगे कि यदि राज्य सरकार चाहे तो वे कम से कम पांच वर्ष तक राज्य सरकार की नौकरी करेंगे और ऐसा न करने पर वे राज्य सरकार से प्राप्त छात्रवृत्ति की रकम वापस लौटा देंगे।

बम्बई

राज्य सरकार ने अधिकाधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि के लिए एस०एस०सी० अध्यापकों के लिए एक साल का अवर प्राथमिक अध्यापक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम दो बारा चालू करने के विषय पर विचार किया। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने पर अध्यापक 50–90 रु० का वेतनमान प्राप्त कर सकेंगे और अवर प्रा० अ० प्रमाणपत्र पाने से वर्ष बाद अवर प्राथमिक अध्यापक प्रमाणपत्र परीक्षा में बठ सकेंगे।

केरल

राज्य के सभी स्कूलों में शिल्प की शिक्षा अनिवार्य विषय बना दी गयी। परन्तु इस विषय को पढ़ाने के लिये उचित योग्यता-प्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राप्त करना कठिन हो गया। पिछले वर्षों में अध्यापकों की अनेकों टोलियां राज्य के बाहर के संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजी गयी परन्तु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की यह कार्यविधि महंगी पड़ती थी और इससे कम ही अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता था। अतएव आलोच्य वर्ष में राज्य के 9 प्रशिक्षण केन्द्रों में शिल्प के 1350 अध्यापकों को अल्पकालीन नव प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा हिन्दी के 25 अध्यापकों को अखिल भारतीय हिन्दी विद्यालय, आगरा में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

मध्य प्रदेश

देवास के गैर-बुनियादी प्रशिक्षण कालेज को बुनियादी ढंग के प्रशिक्षण कालेज का रूप दे दिया गया।

मद्रास

आलोच्य वर्ष में अध्यापकों के 4 प्रशिक्षण स्कूलों और अध्यापकाओं के 5 प्रशिक्षण स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों का रूप दे दिया गया।

प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को नये सिरे से बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण देने की योजना के अधीन 21 केन्द्रों में पुनः प्रशिक्षण क्रम आयोजित किये गये और इनमें 677 अध्यापकों को पुनः प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज (राजकीय स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज), ओरथनाड (जिला तंजाउर) में 5 महीने का पुनः प्रशिक्षण क्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में 66 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को दो टोलियों में बांटकर पुनः प्रशिक्षित किया गया।

मैसूर

दोड्डाबल्लपुर के पोस्ट-ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालेज (स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज) को बंद कर दिया गया और उसके लिए की गयी व्यवस्था के एक अंश को स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र, धारवाड में शामिल कर दिया गया ताकि आलोच्य वर्ष में कुल मिला कर 40 स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा सके। बुनियादी ढंग से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता जिस प्रकार तेजी से बढ़ रही थी और शिक्षकों को बुनियादी शिक्षाप्रणाली का दो साल का नियमित प्रशिक्षण देने में जो भारी खर्च होता है, उसको देखते हुए यह सन्तोषप्रद समझा गया कि जो अध्यापक पहले से ही प्रशिक्षित हो, उन्हें बुनियादी शिक्षा प्रणाली का तीन महीने का अल्पकालीन नव-प्रशिक्षण दिया जाए।

अध्यापकों की 21 प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने के लिए भारत सरकार से प्राप्त सहायता के अधीन गैर-सरकारी प्रबंध-संस्थाओं ने 2 प्रशिक्षण संस्थाएं खोली। इनमें से प्रत्येक में 100 प्रशिक्षार्थियों

के दाखिले की व्यवस्था थी और एक वर्ष का पाठ्यक्रम था। धारवाड़ में एक और उर्दू प्रशिक्षण स्कूल खोला गया और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाद, कुमटा के उर्दू प्रशिक्षण स्कूल के लिए की गयी व्यवस्था को उसमें शामिल कर दिया गया।

उड़ीसा

प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 12 और प्रशिक्षण स्कूल खोले गये। शिक्षु अध्यापकों को 22 रुपये मासिक की वृत्तिकाएं दी गई। उनसे कोई शिक्षा-शुल्क भी नहीं लिया गया।

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय खोला।

राधानाथ प्रशिक्षण कालेज में 4 जून 1959 से 11 जून 1959 तक उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी के अध्यापकों के विषय में एक पुनश्चर्या आयोजित की गयी। इसमें हाईस्कूलों के इकतालीस अंग्रेजी के अध्यापकों ने भाग लिया।

पंजाब

पंजाब विश्वविद्यालय ने यह निर्णय किया था कि कला और विज्ञान के कालेजों से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं को अलग से प्रशिक्षण कालेजों का रूप दे दिया जाय। निर्णय के अनुसार कला और विज्ञान के तीन कालेजों की बी० टी० कक्षायें बंद कर दी गईं और बी० टी० अध्यापकों के चार नये प्रशिक्षण कालेज खुले। डी० एम० प्रशिक्षण कालेज, मोगा और राजकीय प्रशिक्षण कालेज, फरीदकोट भी खोले गये और इनमें बुनियादी ढंग का प्रशिक्षण दिया जाने लगा।

राजस्थान

प्रशिक्षित अध्यापकों की जरूरत को पूरा करने के लिए ग्यारह नये प्रशिक्षण स्कूल खोले गये। अध्यापिकाओं के लिए एक संघनित (संक्षिप्त) पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया।

उत्तर प्रदेश

आलोच्य वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह थी कि इस अवधि में राज्य में 48 राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये। इनमें से 6 प्रशिक्षण स्कूल लड़कियों के लिये थे। ये स्कूल भारत सरकार की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना के अंतर्गत खोले गये थे।

पश्चिमी बंगाल

नौ नये बुनियादी प्रशिक्षण कालेज स्थापित किये गये। 3 अवर बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें भी खोली गईं जिनमें 360 विद्यार्थियों के दाखिले की जगह थी। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग और शरणार्थी पुनर्वास विभागों ने मिलकर एक और अवर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज भी खोला, जिसमें 60 जगहें थीं। 9 अवर बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों में 320 और जगहें बढ़ा दी गईं और 12 प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालयों में 660 और जगहें बढ़ा दी गई। इस प्रकार 1959–60 में राज्य की प्रशिक्षण संस्थाओं में कुल मिलाकर 4840 जगहें हो गई, जबकि 1958–59 में उनकी संख्या 2360 थी।

लक्काबीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह

द्वीपसमूह के विभिन्न स्कूलों में प्रशिक्षित शिल्प अध्यापकों की नियुक्ति व्यवस्था करने के लिए मिनिकाय में सहायक शिक्षा अधिकारी ने 11 अध्यापकों को नव प्रशिक्षण दिया।

मणिपुर

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान खोला गया। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए डी० एम० कालेज में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कक्षाएं (बी० टी०) और पूर्व-स्नातक प्रशिक्षण कक्षाएं (सी० टी०) खोली गईं।

त्रिपुरा

एक और बुनियादी प्रशिक्षण कालेज खोला गया जिसमें 100 जगहें थीं। त्रिपुरा राज्य-क्षेत्र परिषद् ने प्रारंभिक स्कूल के अध्यापकों के लिए एक अल्पकालीन प्रशिक्षण कम आयोजित किया। 17 केन्द्रों में संगोष्ठियाँ भी आयोजित की गई, जिनमें 1200 अप्रशिक्षित अध्यापकों ने भाग लिया।

माध्यमिक स्कूलों के 21 अप्रशिक्षित शिक्षकों को बी० टी० के प्रशिक्षण के लिए त्रिपुरा से बाहर भेजा गया। चौदह हिंदी अध्यापकों को हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान), अगरतला में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा गैर-बुनियादी स्कूलों को बुनियादी पद्धति में ढालने के कार्यक्रम के अनुसार 1200 अप्रशिक्षित अध्यापकों को 17 केन्द्रों में पांच सप्ताह का अल्पकालीन नव-प्रशिक्षण दिया गया।

पांडिचेरी

अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में सन् 1958–59 में 60 जगहे थीं। 1959–60 में उन्हें बढ़ाकर 74 कर दिया गया।

प्रशिक्षण विद्यालय

शिक्षा-संस्थाएं

आलोच्य वर्ष में बुनियादी और गैर-बुनियादी दोनों प्रकार के प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या 974 से बढ़कर 1,034 हो गई, अर्थात् उसमें 6.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। पिछले वर्ष इसमें 8.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसके अलावा, कुछ माध्यमिक स्कूलों और प्रशिक्षण कालेजों में भी प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं थी। प्रशिक्षण विद्यालयों की कुल संख्या में से 671 विद्यालयों (64.9 प्रतिशत) का प्रबंध सरकार, 17 (1.6 प्रतिशत) का स्थानीय परिषदे और 346 (33.5 प्रतिशत) का प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थाए कर रही थीं। पिछले वर्ष 591 विद्यालयों (60.7 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 15 (1.5 प्रतिशत) का स्थानीय परिषद और 368 विद्यालयों (37.8 प्रतिशत) का प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाएं कर रही थीं। सन् 1959–60 में 346 गैर-सरकारी स्कूल थे और इनमें से 274 स्कूलों को सहायक अनुदान दिया जाता था।

सन् 1958–59 और 1959–60 के प्रशिक्षण विद्यालयों का तुलनात्मक विवरण सारणी संख्या LXXVII में दिया गया है। मध्य प्रदेश, मद्रास और दिल्ली को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या बढ़ गई लेकिन उक्त राज्यों में इनकी संख्या कम हो गई। मध्य प्रदेश और मद्रास में इन स्कूलों की संख्या कम होने का कारण यह था कि वहां के वर्गीकरण में इन्हें अवर स्नातक प्रशिक्षण कालेजों के अन्तर्गत दिखाया गया है। दिल्ली में एक स्कूल के बंद हो जाने से इनकी संख्या में 1 की कमी आ गई। पंजाब, अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह, हिमाचल प्रदेश और उ.पू.सी. (नेफ़ा) में इन स्कूलों की संख्या न बढ़ी और न घटी ही। दूसरी ओर लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, त्रिपुरा और पांडिचेरी में राज्यक्षेत्र की ओर से अध्यापकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि (48) उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद क्रमशः बम्बई (33), आन्ध्र प्रदेश (23), केरल (22), बिहार (21), उड़ीसा (12), राजस्थान (11), पश्चिमी बंगाल (6), तथा आसाम, जम्मू और कश्मीर तथा मैसूर, पंजाब, मनिपुर और त्रिपुरा (प्रत्येक में एक-एक) के नाम आते हैं।

सारणी LXXVII—अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या

राज्य	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए		जोड		वृद्धि (+) या कमी (−)	1959–60 में विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल			
								सरकारी	स्थानीय परिषदें	ग़ैर-सरकारी संस्थाएं	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60				सहायता प्राप्त	जिन्हें सहायता नहीं मिलती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश . . .	70	86	36	43	106	129	+23	93	..	36	..
आसाम . . .	29	29	5	6	34	35	+ 1	16	12	4	3
बिहार . . .	70	85	17	23	87	108	+21	84	..	22	2
बम्बई { महाराष्ट्र . .	132	119	55	42	187	161	+33	48	3	81	29
बम्बई { गुजरात . .	*	43	*	16	*	59	*	28	..	27	4
जम्मू और काश्मीर . . .	6	7	2	2	8	9	+ 1	9	..	..	..
केरल	44	59	10	17	54	76	+22	29	..	46	1
मध्य प्रदेश . . .	50	42	8	7	58	49	— 9	46	..	3	..
मद्रास	79	7	58	18	137	25	—112	6	..	19	..

* महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी LXXVII—अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मैसूर	20	21	4	4	24	25	+1	15	..	10	..
उड़ीसा	55	66	3	4	58	70	+12	68	..	2	..
पंजाब	14	15	8	8	22	23	+1	16	..	2	5
राजस्थान	26	37	2	2	28	39	+11	38	..	1	..
उत्तर प्रदेश	88	129	20	27	108	156	+48	121	1	6	28
पश्चिमी बंगाल	45	51	10	10	55	61	+6	45	1	15	..
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	..	..	1	1	..	1	..	..	..
दिल्ली	1	1	1	..	2	1	—1	1	..	..	..
हिमाचल प्रदेश	2	2	..	..	2	2	..	2	..	..	..
मनिपुर	2	3	..	..	2	3	+1	3	..	..	..
उपूसी (नेफ़ा)	1	1	..	..	1	1	..	1	..	..	..
त्रिपुरा	..	1	..	..	..	1	+1	1	..	..	..
भारत	735	805	239	229	974	1,034	+60	671	17	274	72

सारणी संख्या LXXVII के खाना (9) से (12) तक में प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार प्रशिक्षण स्कूलों का विभाजन दिखाया गया है। जम्मू और काश्मीर, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनिपुर और उपूर्सी (नेफ़ा) के सभी प्रशिक्षण स्कूलों का और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश, के 75 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत स्कूलों का प्रबन्ध सरकार करती थी। आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, पंजाब, और पश्चिमी बंगाल में अधिकांश प्रशिक्षण स्कूलों का नियंत्रण सरकार के अधीन था। बम्बई, केरल और मद्रास में अधिकांश स्कूल गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाते थे। इस क्षेत्र में स्थानीय परिषदों का किसी भी राज्य में नियंत्रण नहीं था, फिर भी आसाम में स्थानीय परिषदें काफी अधिक प्रशिक्षण स्कूल चला रही थीं।

छात्र

प्रशिक्षण स्कूलों और संबद्ध कक्षाओं में शिक्षु अध्यापकों की संख्या में 10,477 की वृद्धि हुई। इस प्रकार उनकी कुल संख्या 99,991 (73,478 अध्यापक और 26,513 अध्यापिकाएं) हो गई। प्रतिशत की दृष्टि से यह वृद्धि 11.7 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष यह 6.3 प्रतिशत थी। इनमें से 42,622 अध्यापकों और 11,826 अध्यापिकाओं ने प्रशिक्षण-क्रम पूरा कर लिया। पिछले वर्ष यही संख्या 49,319 (अध्यापक 37,229 और अध्यापिकाएं 12,090) थी।

सारणी संख्या LXXVIII में प्रशिक्षण स्कूलों और संबध्द कक्षाओं में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों की राज्यवार संख्या दी गयी है। मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और उपूसी (नेफ़ा) को छोड़कर शेष सभी राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश, मद्रास और दिल्ली में छात्रों की संख्या कम होने का कारण, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रशिक्षण स्कूलों की संख्या में कमी होना था। अन्य राज्यों में यह संख्या नाममात्र को ही कम हुई। सबसे अधिक वृद्धि (4,839) बिहार में हुई। इसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश (3,593), बम्बई (3,449), आन्ध्र प्रदेश (3,151), राजस्थान (1,760) और केरल (1,281) के नाम आते हैं। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, 634 (उड़ीसा) से लेकर 4 (हिमाचल प्रदेश) तक वृद्धि हुई।

सारणी LXXVIII—अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों में छात्रों की संख्या*

राज्य	पुरुष		महिलाएं		जोड़		वृद्धि(+) या कमी (−)	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या†		
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60		पुरुष	महिलाएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	6,528	8,365	2,212	3,526	8,740	11,891	+3,151	4,040	1,197	5,237
आसाम	1,812	1,964	377	403	2,189	2,367	+ 178	1,267	273	1,540
बिहार	5,978	9,773	1,069	2,113	7,047	11,886	+4,839	3,638	617	4,255
बम्बई { महाराष्ट्र . . .	12,613	10,973	6,167	5,119	18,780	16,092	+3,449	6,210	2,817	9,027
बम्बई { गुजराथ . . .	**	4,259	**	1,878	**	6,137	**	2,852	965	3,817
जम्मू और कश्मीर . . .	260	408	99	187	359	595	+ 236	367	181	548
केरल	2,320	3,102	1,882	2,381	4,202	5,483	+1,281	961	725	1,686
मध्य प्रदेश	5,616	5,088	731	806	6,347	5,894	− 453	6,883	1,154	8,037
मद्रास	10,692	4,970	7,232	4,229	17,924	9,199	−8,725	2,840	1,653	4,493
मैसूर	2,821	2,736	670	743	3,491	3,479	− 12	1,203	259	1,462
उड़ीसा	2,884	3,498	100	120	2,984	3,618	+ 634	1,517	52	1,569

पंजाब	2,453	2,215	2,202	2,465	4,655	4,680	+	25	918	583	1,501
राजस्थान	2,308	4,018	147	197	2,455	4,215	+	1,760	4,007	195	4,202
उत्तर प्रदेश	6,499	9,613	1,060	1,539	7,559	11,152	+	3,593	3,495	537	4,032
पश्चिमी बंगाल	1,482	1,852	523	592	2,005	2,444	+	439	1,952	494	2,446
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	8	5	11	20	19	—	1	7	9	16
दिल्ली	108	138	259	143	367	281	—	86	43	51	94
हिमाचल प्रदेश	150	175	46	25	196	200	+	4	146	23	169
मनिपुर	85	209	5	12	90	221	+	131	158	10	168
उपूसी (नेफ़ा)	25	20	3	..	28	20	—	8	12	3	15
त्रिपुरा	59	94	17	24	76	118	+	42	106	28	134
भारत	64,708	73,478	24,806	26,513	89,514	99,911	+	10,477	42,622	11,826	54,448

†प्राइवेट विद्यार्थी भी शामिल हैं।

*संबद्ध कक्षाओं की छात्र-संख्या भी शामिल है।

**ये आंकड़े महाराष्ट्र में शामिल हैं।

खर्च

सन् 1958-59 में प्रशिक्षण स्कूलों का प्रत्यक्ष खर्च 2,54,28,767 रुपये (पुरुषों के स्कूलों पर 2,05,38,295 रुपये और महिलाओं के स्कूलों पर 48,90,472 रुपये) था। सन् 1959-60 में यह खर्च बढ़कर 27,725,644 रुपये (पुरुषों के स्कूलों पर 2,27,33,010 रुपये और महिलाओं के स्कूलों पर 4,992,634 रुपये) हो गया। इस प्रकार खच में 9.0 प्रतिशत वृद्धि हुई। विभिन्न अभिकरणों द्वारा नियमित स्कूलों के खर्च का विभाजन इस प्रकार रहा : सरकारी स्कूल 81.3 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों के स्कूल 1.2 प्रतिशत और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूल 17.5 प्रतिशत। पिछले वर्ष के यही आंकड़े इस प्रकार थे : सरकारी स्कूल 77.8 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों के स्कूल 20.1 प्रतिशत और ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूल 2.1 प्रतिशत। विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार खर्च की कुल रकम का विभाजन नीचे की सारणी में दिखाया गया है :-

विभिन्न आयस्रोतों से अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

आयस्रोत	1958-59		1959-60	
	रकम	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत
सरकारी निधियां . .	2,23,56,360	87.9	2,47,15,232	89.1
स्थानीय परिषदों की विधियां .	72,694	0.3	94,471	0.1
फीस . . .	11,22,722	4.4	14,90,835	5.4
धर्मस्व . . .	8,41,551	3.3	4,65,760	1.7
अन्य आयस्रोत . .	10,35,440	4.1	9,59,346	3.5
जोड़ .	2,54,28,767	100.0	2,77,25,644	100.0

सारणी से ज्ञात होगा कि खर्च का नब्बे प्रतिशत भाग सरकारी निधियों से, शेष का आधा फ़ीस से और बचा हुआ खर्च धर्मस्व और अन्य स्रोतों से पूरा किया गया। स्थानीय परिषदों का अंशदान प्राय : नगण्य था। यदि उक्त खर्च की तुलना पिछले वर्ष के आंकड़ों से की जाए तो ज्ञात होगा की सन् 1959-60 में सरकारी निधियों के खर्च में 10.6 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों के खर्च में 30.0 प्रतिशत और फ़ीस में 32.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। धर्मस्व और अन्य आयस्रोतों से पूरा किये जाने वाले खर्च में 24.1 प्रतिशत की कमी हुई।

प्रशिक्षण स्कूलों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च सारणी संख्या LXXIX में दिया गया है। आसाम, मद्रास, दिल्ली और उपूसी (नेफ़ा) को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण स्कूलों का खर्च बढ़ गया। मद्रास और दिल्ली में खर्च में कमी होने का कारण वहाँ संस्थाओं की संख्या का कम हो जाना था। उपूसी (नेफ़ा) में इस खर्च में बहुत कमी नहीं हुई। आसाम में कमी होने का आंशिक कारण यह था कि वहाँ कुछ खर्च को अप्रत्यक्ष खर्चके अन्तर्गत वर्गीकृत कर दिया गया। दूसरा कारण यह भी था कि वहाँ शिक्षा उपकरणों और इमारतों की वार्षिक मरम्मत के खर्च में वास्तविक कमी आ गयी। परन्तु मध्य प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं की संख्या में कमी होने के बावजूद खर्च में काफ़ी वृद्धि हुई।

कुल प्रत्यक्ष खर्च के लिए विभिन्न आयस्रोतों से प्राप्त रकम का ब्योरा सारणी संख्या LXXIX के खाना (11) से (15) तक में दिखाया गया है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उपूसी (नेफ़ा) के संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण स्कूलों का पूरा खर्च सरकार ने पूरा किया। सरकार ने 9 राज्यों और मनिपुर संघ राज्यक्षेत्र में 90 प्रतिशत खर्च, 4 राज्यों में 80 से 90 प्रतिशत खर्च और बम्बई में 70 प्रतिशत से अधिक खर्च पूरा किया। केवल मद्रास ही एक ऐसा राज्य था, जहाँ सरकारी निधियों की अपेक्षा अन्य आयस्रोतों से अधिक खर्च पूरा किया गया।

प्रशिक्षण स्कूलों का प्रति शिक्षु अध्यापक वार्षिक खर्च 282.16 रुपये से बढ़कर 311.7 रुपये (पुरुषों के स्कूलों में 315.1 रुपये और महिलाओं के स्कूलों में 294.5 रुपये) हो गया। विभिन्न आयस्रोतों से इस खर्च की व्यवस्था इस प्रकार की गई : सरकारी निधियों से 277.7 रुपये स्थानीय परिषदों की निधियों से 1.0 रुपये, फीस से 16.8 रुपये, धर्मस्व से 5.3 रुपये और अन्य आयस्रोतों से 10.9 रुपये।

प्रशिक्षण कालेज

शिक्षा संस्थाएं

आलोच्य वर्ष में स्नातकोत्तर और पूर्व-स्नातक दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षण कालेजों की संख्या 234 (पुरुषों के 194 और महिलाओं के 40) से बढ़कर 401 (पुरुषों के 315 और महिलाओं के 86) हो गई। इस प्रकार इसमें 71.4 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि पिछले साल 15.3 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। कालेजों की कुल संख्या में से 194 कालेजों (48.4 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 164 कालेजों (40.9 प्रतिशत) का सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएँ और 43 कालेजों (10.7 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता न पाने वाली गैर-सरकारी संस्थाएँ कर रही थीं। इसके अलावा कला और विज्ञान के कालेजों से सम्बद्ध कुछ कक्षाओं में और अलीगढ़, इलाहाबाद, अन्नामलई, बनारस, बड़ौदा, गोहाटी, केरल, लखनऊ और पटना विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में भी अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं थीं। लड़कों के बहुत से कालेजों में सह-शिक्षा चालू थी।

अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों का राज्यवार विभाजन सारणी संख्या LXXX में दिखाया गया है। सभी राज्यों में प्रशिक्षण कालेज थे। परन्तु संघ राज्यक्षेत्रों में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह, मनिपुर और उपूसी (नेफ़ा) के संघ राज्यक्षेत्रों में उनका अपना प्रशिक्षण कालेज कोई नहीं था। आलोच्य वर्ष में इन कालेजों की संख्या 167 बढ़ गयी। इसमें से सबसे अधिक कालेज (111) मद्रास में बढ़े। इसके बाद मध्य प्रदेश (32) का स्थान रहा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह वृद्धि, प्रशिक्षण विद्यालयों को पूर्व-स्नातक कालेजों के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के कारण हुई। अन्य राज्यों में प्रशिक्षण कालेजों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई : बम्बई 16, पंजाब 6, मैसूर 2, आन्ध्र प्रदेश 1 और उड़ीसा 1 कालेज। आसाम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पांडिचेरी में प्रशिक्षण कालेजों की संख्या उतनी ही बनी रही जितनी कि वह पिछले वर्ष थी। उत्तर प्रदेश में दो कालेज कम हो गए, क्योंकि वहाँ महिलाओं के दो पूर्व-स्नातक प्रशिक्षण कालेज बंद कर दिये गये।

छात्र

अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों (स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को छोड़कर) कला और विज्ञान कालेजों से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं और विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में सन् 1958–59 में कुल मिलाकर 24,422 छात्र (पुरुषों की संख्या 16,200 और महिलाओं की संख्या 8,222) थे। सन् 1959–60 में यह संख्या बढ़कर 39,135 (पुरुष 25,968 और महिलाएँ 13,167) हो गई। इस प्रकार उनकी संख्या में 60.2 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष

सारणी संख्या LXXIX—अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च

राज्य	पुरुषों के स्कूलों पर		महिलाओं के स्कूलों पर		जोड़	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5	6	7
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश . .	21,24,790	23,34,574	3,10,591	4,87,062	24,35,381	28,21,636
आसाम . . .	10,36,265	7,12,117	62,020	63,753	10,98,285	7,75,870
बिहार . . .	20,11,976	27,52,301	3,06,454	5,45,202	38,18,430	32,97,503
बम्बई { महाराष्ट्र .	32,50,416	29,99,678	14,47,041	12,16,366	46,97,457	42,16,044
बम्बई { गुजरात	*	11,89,470	*	4,50,660	*	16,40,130
जम्मू और कश्मीर .	3,80,453	4,92,461	32,078	96,930	4,12,531	5,89,391
केरल . . .	4,28,429	6,80,269	1,02,015	1,63,805	5,30,444	8,44,074
मध्य प्रदेश . .	25,81,891	27,21,411	3,41,203	2,73,162	29,23,022	29,94,573
मद्रास . . .	16,83,698	92,070	9,81,486	1,97,923	26,65,184	2,89,993
मैसूर . . .	11,89,788	14,22,547	1,34,676	1,52,527	13,24,464	15,75,074
उड़ीसा . . .	3,61,048	4,18,771	23,202	30,267	3,84,250	4,49,038
पंजाब . . .	3,67,656	4,76,281	2,71,796	2,14,112	6,39,452	6,90,393

राजस्थान . .	16,82,614	20,02,145	83,258	92,381	17,65,872	20,94,526
उत्तर प्रदेश . .	26,62,589	36,25,376	6,25,908	8,64,894	32,88,497	44,90,270
पश्चिमी बंगाल . .	4,58,720	4,69,323	1,44,435	1,43,590	6,03,155	6,12,913
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	9,019	12,205	..	..	9,019	12,205
दिल्ली . . .	1,10,686	74,549	24,309	..	1,34,995	74,549
हिमाचल प्रदेश . .	71,161	79,134	..	..	71,161	79,134
मनिपुर . . .	23,747	55,469	..	..	23,747	55,469
उपूसी (नेफ़ा) . .	1,03,421	1,02,658	..	..	1,03,421	1,02,658
त्रिपुरा . . .	..	20,201	..	..	..	20,201
भारत .	2,05,38,295	2,27,33,010	48,90,472	49,92,634	2,54,28,767	2,77,25,644

*महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल है।

सारणी संख्या LXXIX—अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च—जारी

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (—) राशि	वृद्धि (+) या कमी (—) प्रतिशत	प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय	सन 1959–60 में विभिन्न आयस्त्रोतों से पूरा किया गया खर्च: सरकारी निधियों से	स्थानीय परिषदों की निधियों से	फ़ीस से	धर्मस्व से	अन्य आयस्त्रोतो से
1	8	9	10	11	12	13	14	15
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश	+ 3,86,255	+ 15.9	237.5	92.1	..	1.7	6.0	0.2
आसाम	— 3,22,415	— 29.4	327.8	97.4	..	0.6	1.1	0.9
बिहार	+ 9,79,073	+ 42.2	277.4	96.2	..	..	..	3.8
बम्बई — महाराष्ट्र	+11,58,717	+ 24.7	262.8	70.2	1.1	15.3	1.7	11.7
बम्बई — गुजरात	*	*	267.3	80.8	0.0	12.0	2.2	5.0
जम्मू और कश्मीर	+ 1,76,860	+ 42.9	1,030.4	99.4	..	..	..	1.6
केरल	+ 3,13,630	+ 59.1	161.3	80.9	..	16.3	0.0	2.8
मध्य प्रदेश	+ 71,551	+ 2.4	510.0	97.9	..	1.3	..	0.8
मद्रास	—23,75,191	— 89.1	123.7	44.1	..	2.8	49.1	4.0
मैसूर	+ 2,50,610	+ 18.9	551.5	93.8	..	5.4	..	0.8

उड़ीसा . .	+ 64,788	+ 16.9	124.1	97.6	..	0.1	1.1	1.2
पंजाब . .	+ 50,941	+ 8.0	385.0	83.9	0.0	9.0	2.0	5.1
राजस्थान . .	+ 3,28,654	+ 18.6	911.1	96.9	..	1.9	0.0	1.2
उत्तर प्रदेश . .	+ 12,01,773	+ 36.5	401.6	93.2	0.3	4.7	0.1	1.7
पश्चिमी बंगाल .	+ 9,758	+ 1.6	257.1	85.9	6.0	2.6	1.7	3.8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	+ 3,186	+ 35.3	642.4	100.0	..	..	..	..
दिल्ली . .	— 60,446	— 44.8	392.4	100.0	..	..	..	..
हिमाचल प्रदेश . .	+ 7,973	+ 11.2	395.7	100.0	..	..	..	..
मनिपुर . .	+ 31,722	+133.6	251.0	94.2	..	..	1.8	4.0
उपूसी (नेफ़ा) . .	— 763	— 0.7	5,132.9	100.0	..	..	..	..
त्रिपुरा . .	+ 20,201	+100.0	420.9	100.0	..	..	..	..
भारत .	+ 22,96,877	+ 9.0	311.7	89.1	0.3	5.4	1.7	3.5

19—5 M. of Edu/65

सारणी LXXX—अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या*

राज्य	पुरुषों के		महिलाओं के		जोड़		वृद्धि (+) या कमी (—)	1959–60 में विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले कालेज		
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60		सरकारी	सहायता प्राप्त	गैर सरकारी संस्थायें बिना सहायता वाली
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	6	7	1	1	7	8	+ 1	6	2	..
आसाम	2	2	..	..	2	2	..	2	..	..
बिहार	4	4	1	1	5	5	..	3	2	..
बम्बई { महाराष्ट्र	67	72	1	5	68	77	+ 16	8	39	30
बम्बई { गुजरात	**	7	**	..	**	7	..	3	3	1
जम्मू व कश्मीर	2	2	..	..	2	2	..	2	..	..
केरल	11	11	2	2	13	13	..	4	9	..
[illegible]	8	38	1	3	9	41	+ 32	40	1	..

मद्रास	12	83	4	44	16	127	+ 111	70	56	1
मैसूर	26	28	11	11	37	39	+ 2	16	13	10
उड़ीसा	11	11	..	1	11	12	+ 1	12	..	..
पंजाब	13	18	4	5	17	23	+ 6	6	17	..
राजस्थान	4	4	..	..	4	4	..	2	2	..
उत्तर प्रदेश	11	11	10	8	21	19	— 2	10	8	1
पश्चिमी बंगाल	12	12	5	5	17	17	..	5	12	..
दिल्ली	1	1	..	..	1	1	..	1	..	..
हिमाचल प्रदेश	1	1	..	..	1	1	..	1	..	..
त्रिपुरा	2	2	..	..	2	2	..	2	..	..
पाण्डिचेरी	1	1	..	..	1	1	..	1	..	..
भारत	194	315	40	86	234	401	+ 167	194	164	43

*इसमें विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और कला तथा विज्ञान कालेजों से संबद्ध कक्षाओं के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

** महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी LXXXI—अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में छात्रों की संख्या@

राज्य	पुरुष		महिलाएं		जोड़	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	707	779	207	254	914	1,033
आसाम	132	149	18	42	150	191
बिहार	562	574	90	132	652	706
बम्बई { महाराष्ट्र	2,329	2,361	1,887	2,173	4,273	4,534
बम्बई { गुजरात	*	566	*	192	*	758
जम्मू और कश्मीर	143	148	79	103	222	251
केरल	1,004	1,062	465	463	1,469	1,525
मध्य प्रदेश	1,107	3,503	286	840	1,393	4,343
मद्रास	816	7,197	355	4,186	1,171	11,383
मैसूर	2,485	2,580	1,005	1,026	3,490	3,606
उड़ीसा	671	723	39	65	710	788
पंजाब	1,960	1,456	1,674	1,466	3,634	2,922

राजस्थान	363	418	74	62	437	480
उत्तर प्रदेश	2,589	2,992	1,145	1,182	3,734	4,174
पश्चिमी बंगाल	1,126	1,224	700	796	1,826	2,020
दिल्ली	121	70	159	128	280	198
हिमाचल प्रदेश	34	38	12	15	46	53
मनिपुर	..	51	..	9	..	60
त्रिपुरा	10	30	8	6	18	36
पांडिचेरी	41	47	19	27	60	74
भारत	16,200	25,968	8,222	13,167	24,422	39,135

@इसमें विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और कला तथा विज्ञान से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं में भर्ती छात्रों की संख्या भी शामिल है और अध्यापकों के प्रशिक्षण कक्षाओं में भर्ती हुए (स्कूल स्तरके) की छात्रों की संख्या इसमें शामिल नहीं है।

*महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी LXXXI—अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों में छात्रों की संख्या—(जारी)

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (—)	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या†					
		डिग्री और समकक्ष डिप्लोमे			प्रमाणपत्र		
		पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश . . .	+ 119	645	230	875	..	..	..
आसाम	+ 41	83	27	110	17	2	19
बिहार	+ 54	768	114	882	..	..	..
बम्बई { महाराष्ट्र . .	+ 1,076	650	457	1,107	1,270	1,336	2,606
बम्बई { गुजरात . .	*	269	45	314	42	22	64
जम्मू और कश्मीर . . .	+ 29	139	84	223	..	..	..
केरल . . .	+ 56	1,078	431	1,509	..	..	..
मध्य प्रदेश . . .	+ 2,950	733	164	897	147	150	297
मद्रास . . .	+ 10,212	778	366	1,144	3,811	2,017	5,828
मैसूर . . .	+ 116	429	195	624	1,225	478	1,703
उड़ीसा	+ 78	176	23	199	314	8	322

पंजाब	—	712	1,232	1,250	2,482	253	197	450
राजस्थान . . .	+	43	421	65	486	..	..	..
उत्तर प्रदेश . . .	+	440	2,380	924	3,304	102	127	229
पश्चिमी बंगाल . . .	+	194	926	443	1,369	7	8	15
दिल्ली . . .	—	82	65	85	150	..	..	..
हिमाचल प्रदेश . . .	+	7	36	15	51	..	..	..
मनिपूर	+	60	11	..	11	20	6	26
त्रिपुरा	—	18	20	1	21	..	..	..
पांडिचेरी	+	14	..	..	..	40	13	53
भारत .	+	14,713	10,839	4,919	15,758	7,248	4,364	11,612

†इसमें प्राइवेट विद्यार्थी भी शामिल हैं।

10.8 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इनमें से 15,758 (पुरुष 10,839, और महिलाएं 4,919) डिग्री और उसके समकक्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए और 11,612 (पुरुष 7,248 और महिलाएँ 4,364) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। पिछले वर्ष 15,208 (10,845 पुरुषों और 4,363 महिलाओं) ने डिग्री और समकक्ष डिप्लोमा प्राप्त किए और 7,906 (5,486 पुरुषों और 2,420 महिलाओं) ने प्रमाणपत्र प्राप्त किए।

सन् 1958–59 और 1959–60 में विभिन्न राज्यों की छात्र संख्या का तुलनात्मक विवरण सारणी संख्या LXXXI में दिया गया है। पंजाब और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। पंजाब में अवर बी० टी० पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई और अध्यापन कर्मचारियों की कमी के कारण अधिक दाखिले पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सबसे अधिक उल्लेखनीय वृद्धि मद्रास (10,212) और मध्य प्रदेश (2,950) में हुई। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह वृद्धि प्रशिक्षण विद्यालयों को नये सिरे से पूर्व-स्नातक प्रशिक्षण कालेजों के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के कारण इन कालेजों की संख्या के बढ़ जाने के फलस्वरूप हुई। अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति सामान्य ही रही। सबसे अधिक वृद्धि बम्बई में (1,072) हुई है। इसके बाद क्रमश: उत्तर प्रदेश (440), पश्चिमी बंगाल (194), आन्ध्र प्रदेश (119) और मैसुर (116) के नाम आते हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्येक में 100 से कम की वृद्धि हुई। सबसे कम वृद्धि (7) हिमाचल प्रदेश में हुई है।

खर्च

विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और कला तथा विज्ञान कालेजों से संबद्ध प्रशिक्षण कक्षाओं को छोड़कर, आलोच्य वर्ष में प्रशिक्षण कालेजों का कुल प्रत्यक्ष खर्च 1,19,11,870 रुपये (पुरुषों के कालेजों पर 1,01,19,426 रुपये, और महिलाओं के कालेजों पर 29,37,548 रुपये) से बढ़कर 1,78,81,935 रुपये (पुरुषों के कालेजों पर 1,49,44,387 रुपये और महिलाओं के कालेजों पर 2,937,548 रुपये) हो गया। इस प्रकार पिछले वर्ष की 15.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में आलोच्य वर्ष में इसमें 50.1 प्रतिशत वृद्धि हुई। विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले प्रशिक्षण कालेजों के खर्च का अनुपात इस प्रकार रहा : सरकारी कालेज 70.0 प्रतिशत, सहायता-प्राप्त गैर सरकारी कालेज 28.4 और बिना सहायता वाले गैर-सरकारी कालेज 1.6 सन् 1958–59 और 1959–60 में किये गये कुल खर्च का विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार विभाजन नीचे की सारणी में किया गया है।

सारणी LXXXII—विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण कालेजो पर किया गया प्रत्यक्ष खर्च

आयस्रोत	1958–59		1959–60	
	रकम (रु०)	प्रतिशत	रकम (रु०)	प्रतिशत
सरकारी निधियां . .	90,37,257	75.9	1,35,80,599	75.9
स्थानीय परिषदों की निधियां .	..	..	2,623	0.0
फ़ीस . . .	17,64,875	14.8	22,95,248	12.8
धर्मस्व . . .	4,63,296	3.9	10,11,974	5.7
अन्य आयस्रोत . .	6,46,442	5.4	9,91,491	5.6
जोड़ .	1,19,11,870	100.0	1,78,81,935	100.0

सारणी से यह पता लगता है कि : (क) इस खर्च का तीन-चौथाई से भी अधिक भाग सरकारी निधियों से, लगभग 1/7वाँ भाग फ़ीस से और 1/9वाँ भाग अन्य आयस्रोतों से पूरा किया गया। स्थानीय परिषदों का अंशदान नगण्य था। (ख) सन् 1958–59 के आँकड़ों की तुलना में 1959–60 में सरकारी निधियों से पूरा किया जाने वाला खर्च 50.3 प्रतिशत, फ़ीस से पूरा किया जाने वाला खर्च 30.8 प्रतिशत, और अन्य आयस्रोतों का खर्च 80.5 प्रतिशत बढ़ गया।

प्रशिक्षण कालेजों के खर्च का राज्यवार ब्योरा सारणी संख्या LXXXIII में दिया गया है। त्रिपुरा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के खर्चे में वृद्धि हुई। त्रिपूरा में भी इस खर्च में मामूली ही कमी आई। सबसे अधिक वृद्धि मद्रास में (26,85,542 रुपये) हुई। इसके बाद क्रमशः मध्यप्रदेश (18,98,494 रुपये), बम्बई (3,64,490 रुपये), पंजाब (3,35,184 रुपये), आन्ध्र प्रदेश (2,66,347 रुपये), पश्चिमी बंगाल, (1,17,821 रुपये), दिल्ली (89,764 रुपये), उत्तर प्रदेश (40,415 रुपये), और उड़ीसा (36,545) के नाम आते हैं। अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्येक में 25,000 रुपये से कम वृद्धि हुई। सबसे कम वृद्धि हिमाचल प्रदेश में (3,683 रुपये) हुई। मद्रास और मध्यप्रदेश के खर्च में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का कारण यह था कि वहाँ नये वर्गीकरण में प्रशिक्षण स्कूलों को पूर्व-स्नातक प्रशिक्षण कालेजों के अन्तर्गत दिखाया गया। प्रतिशत के आधार पर भी मद्रास में ही सबसे अधिक वृद्धि (259.3 प्रतिशत) हुई। दूसरा स्थान (135.9 प्रतिशत वृद्धि) मध्य प्रदेश को मिला। अन्य राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में खर्च की वृद्धि का प्रतिशत 69.5 प्रतिशत (पांडिचेरी) से लेकर 1.6 प्रतिशत (उड़ीसा) तक रहा।

विभिन्न आयस्रोतों से पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत सारणी LXXXIII संख्या के खाना (11) से (14) तक में दिया गया है। बम्बई और पंजाब को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में आधे से भी अधिक खर्च सरकार ने पूरा किया। सरकार ने आसाम, हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी का भी शत-प्रतिशत खर्च तथा बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्यप्रदेश उड़ीसा और त्रिपुरा में 95 प्रतिशत से अधिक तक खर्च और दिल्ली में 90 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक खर्च पूरा किया। अन्य राज्यों में सरकार ने 89.3 प्रतिशत (पश्चिमी बंगाल) से लेकर 40.0 प्रतिशत (केरल) तक खर्च पूरा किया। बम्बई और पंजाब में खर्च का अधिकांश भाग 'फ़ीस' और 'अन्य आयस्रोतों' आदि ग़ैर-सरकारी स्रोतों से पूरा किया गया।

अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों का प्रति छात्र वार्षिक शिक्षा-व्यय 555.9 रुपये से घटकर 412.5 रुपये (पुरुषों के कालेजों में 445.4 रुपये और महिलाओं के कालेजों में 299.7 रुपये) हो गया। विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार इस खर्च का विभाजन इस प्रकार था : सरकार 313.1 रुपये, फ़ीस 52.8 रुपये, धर्मस्व 23.5 रुपये और अन्य आयस्रोत 23.1 रुपये। स्थानीय परिषदों का अंशदान प्रायः नहीं के बराबर रहा।

सारणी LXXXIII—अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च

राज्य	पुरुषों के लिए		महिलाओं के लिए		जोड़	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5	6	7
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश .	4,87,908	6,76,245	34,008	1,12,018	5,21,916	7,88,263
आसाम . .	1,63,922	1,88,525	..	..	1,63,922	1,88,525
बिहार . .	2,78,375	2,92,146	41,938	40,340	3,20,313	3,32,486
बम्बई { महाराष्ट्र . .	14,90,091	13,91,017	71,170	1,36,856	15,61,261	15,27,873
बम्बई { गुजरात . .	*	3,97,878	*	..	*	3,97,878
जम्मू और कश्मीर .	2,14,775	2,38,371	..	..	2,14,775	2,38,371
केरल . .	5,08,535	5,18,875	61,752	68,916	5,70,287	5,87,791

मध्य प्रदेश .	13,04,748	30,81,626	91,843	2,13,459	13,96,591	32,95,085
मद्रास .	7,54,269	25,59,474	2,81,556	11,61,893	10,35,825	37,21,367
मैसूर .	12,40,855	12,60,608	2,24,840	2,28,343	14,65,695	14,88,951
उड़ीसा .	2,46,789	2,76,061	..	7,273	2,46,789	2,83,334
पंजाब . .	8,41,987	11,33,969	1,96,820	2,40,022	10,38,807	13,73,991
राजस्थान .	5,08,039	5,28,918	..	..	5,08,039	5,28,918
उत्तर प्रदेश .	9,83,858	10,42,510	4,08,014	3,89,777	13,91,872	14,32,287
पश्चिमी बंगाल .	6,45,501	8,05,174	3,80,503	3,38,651	10,26,004	11,43,825
दिल्ली . .	2,97,092	3,86,856	..	..	2,97,092	3,86,856
हिमाचल प्रदेश .	54,190	57,873	..	..	54,190	57,873
त्रिपुरा . .	81,242	79,016	..	..	81,242	79,016
पांडिचेरी .	17,250	29,245	..	..	17,250	29,245
जोड़ .	1,01,19,426	1,49,44,387	17,92,444	29,37,548	1,19,11,870	1,78,81,935

सारणी LXXXIII—अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों का राज्यवार प्रत्यक्ष खर्च—(जारी)

राज्य	वृद्धि (+) या कमी (—)		प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च	1959-60 में विभिन्न आयास्त्रोतों से पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत				
	राशि	प्रतिशत		सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फ़ीस	धर्मस्व	अन्य आयस्रोत
1	8	9	10	11	12	13	14	15
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश	+ 2,66,347	+ 51.0	849.4	76.7	..	3.7	8.3	11.3
आसाम	+ 24,603	+ 15.0	1,984.4	100.0	..	..	..	..
बिहार	+ 12,173	+ 3.8	491.8	99.3	..	..	..	0.7
बम्बई { महाराष्ट्र	+ 3,64,490	+ 23.9	359.4	39.5	0.2	39.1	0.0	21.2
बम्बई { गुजरात	..	..	497.3	34.8	..	29.0	..	36.2
जम्मू और कश्मीर	+ 23,596	+ 11.0	1,010.0	96.3	..	3.7	..	..
केरल	+ 17,504	+ 3.1	387.5	40.0	..	55.9	..	4.1

मध्यप्रदेश . . .	+18,98,494	+135.9	768.8	97.1	..	1.4	1.4	0.1
मद्रास . . .	+26,85,542	+259.3	207.5	74.8	..	2.4	19.0	3.8
मैसूर . . .	+ 23,256	+ 1.6	353.4	81.3	..	9.9	..	8.8
उड़ीसा . . .	+ 36,545	+ 14.8	359.6	96.3	..	1.0	0.1	2.6
पंजाब . . .	+ 3,35,184	+ 32.3	400.2	41.0	..	47.1	8.6	3.3
राजस्थान . . .	+ 20,879	+ 4.1	886.0	79.6	..	12.0	5.0	3.4
उत्तर प्रदेश . . .	+ 40,415	+ 29.0	886.3	87.0	..	10.6	0.1	2.3
पश्चिमी बंगाल . .	+ 1,17,821	+ 11.5	703.9	89.3	..	4.1	4.2	2.4
दिल्ली . . .	+ 89,764	+ 30.2	299.9	94.3	..	5.7	..	..
हिमाचल प्रदेश . .	+ 3,683	+ 6.8	1,091.9	100.0	..	..	..	..
त्रिपुरा . . .	— 2,226	— 2.7	745.4	99.8	..	..	..	0.2
पांडिचेरी . . .	+ 11,995	+ 69.5	395.2	100.0	..	..	..	..
जोड़ . .	+59,70,065	+ 50.1	412.5	75.9	0.0	12.8	5.7	5.6

*महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल है।

आठवाँ अध्याय

वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा

इस अध्याय में सन् 1959–60 के दौरान स्कूल और कालेज स्तरों पर वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा की प्रगति का विवरण दिया गया है। अध्यापकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रगति के विषय में पिछले अध्याय में थोड़ा बहुत बताया जा चुका है।

आलोच्य वर्ष के दौरान वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा की विकास-गति को बनाये ही नहीं रखा गया, अपितु कुछ बातों में उसे आगे भी बढ़ाया गया। इस वर्ष की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी : नये संस्थान खोलकर और विद्यमान संस्थानों में दाखिले की संख्या बढ़ाकर वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना, अनुसन्धान की सुविधाएं बढ़ाना और प्रयोगशालाओं की कार्य क्षमता बढ़ाना तथा सुधरे हुए और अधिक अच्छे साज-सामान और उपकरणों की व्यवस्था करना।

इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये कुछ मुख्य कार्यों का वर्णन नीचे के पैराओं में किया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा के विकास को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार जुलाई सन् 1959 में तीसरे उच्चतर औद्योगिक संस्थान—इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ् टेक्नोलौजी (भारतीय औद्योगिक संस्थान) मद्रास—में काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए छात्रों का चुनाव अखिल भारतीय आधार पर किया गया और उन्हें सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत् इंजीनियरी तथा धातुकर्म और रसायन इंजीनियरी के पांच साल के समेकित पाठ्यक्रमों में दाखिल किया गया। संस्थान में तीन जर्मन आचार्य (प्रोफेसर) और दो जर्मन विशेषज्ञ शिल्पविद (टैक्नीशियन) भी नियुक्त होकर आए। जर्मनी द्वारा दी जानेवाली सहायता के अंग के रूप में कर्म-शालाओं और प्रयोगशालाओं के लिये कुछ साज-सामान भी प्राप्त हुये।

संस्थान की स्थापना में जर्मन संघीय गणतंत्र सरकार तकनीकी सहायता दे रही है। पश्चिमी जर्मनी सरकार ने लगभग 170 लाख रु० के विज्ञान सम्बन्धी और तकनीकी साज-सामान तथा 20 लाख विशेषज्ञ आचार्यों (प्रोफेसरों) और शिल्पविदों (टैक्नीशियनों) की सेवाओं की व्यवस्था करने का वचन दिया है। जर्मनी ने संस्थान के 20 भारतीय अध्यापकों को अपने तकनीकी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित करने का भी प्रस्ताव किया है।

मद्रास सरकार ने संस्थान के लिये गुइंडी में, लगभग 650 एकड़ भूमि मुफ्त देने का प्रस्ताव किया हैं। शुरूआती निर्माण कार्य की योजनाएं और प्राक्कलन अनमोदित किये जा चुके हैं। इसके अनुसार सात कर्मशाला एकक, एक अध्यापन खण्ड, प्रयोग शाला और प्रशासनिक आवास, 400 विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास और 40 व्यक्तियों के लिये एक अधिकारी आवास (आफीसर्ज होस्टल) बनाया जाएगा। भवन का निर्माण शुरू हो गया है।

गुइंडी में संस्थान का अपना भवन बनने तक, संस्थान ए०सी० कालेज आफ़ टेक्नौलौजो, मद्रास विश्वविद्यालय और सेंट्रल लैदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट (केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान) में चलाया जा रहा है। संस्थान के कार्यों और इसके प्रशासन और प्रबन्ध के लिये मद्रास विश्व-विद्यालय के उपकुलपति डा० ए० एल० मुदालियर की अध्यक्षता में एक अधिनियंत्रक परिषद बनाई गयी है। सन् 1960-61 के बजट प्राक्कलन में 102.52 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

इंण्डियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्नोलौजी (भारतीय औद्योगिकी संस्थान), बम्बई

इस संस्थान ने सिल्क और आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च असोसिएशन (रेशम और नकली रेशम मिल अनुसंधान संगम) द्वारा कुछ समय के लिए दो गयी जगह पर जून-जुलाई 1958 में काम करना शुरू किया था। अब इसका अधिकांश भाग अपने ही भवन में काम कर रहा है, जो पोवई में स्थित है। संस्थान में इस वर्ष पूरे देश से लिये गये 100 विद्यार्थियों की दूसरी टोली को सिविल, यांत्रिक, विद्युत्, रसायन और धातु-कर्म इंजीनियरी के प्रथम वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिल किया गया। संस्थान में चालू वर्ष में रसायन इंजीनियरी और रसायन औद्योगिक तथा सिविल इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं में आठ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई।

संस्थान में रूस और दूसरे देशों के बारह विशेषज्ञ आचार्य (प्रोफेसर)) काम कर रहे हैं और दो रूसी अनुवादक यूनेस्को तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अबतक 58 लाख रु० के विज्ञान-सम्बन्धी और तकनीकी साजसामान प्राप्त हो चुके हैं।

संस्थान के भवन, छात्रावासों तथा अध्यापक-वर्ग के निवास-स्थानों (स्टाफ क्वार्टरों) का निर्माण ज़ोर-शोर से हो रहा है।

सन् 1960-61 के बजट प्राक्कलन में 113.35 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

इंण्डियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्नोलौजी (भारतीय औद्योगिक संस्थान), खड़गपुर

संस्थान ने चालू वर्ष में, अनेक केन्द्रों में प्रवेश-प्रतियोगिता परीक्षा कराई और उसके आधार पर 374 उम्मीदवारों को विभिन्न अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिल किया। आजकल संस्थान में 1,736 विद्यार्थी हैं जिनमें से 243 विद्यार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अध्यापन तथा अनु-सन्धान कर रहे हैं।

भारतीय औद्योगिक संस्थान (खड़गपुर), अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति ने विज़िटर की हैसियत से संस्थान के कार्यसंचालन और उसके भावी विकास पर विचार करने के लिये श्री विलिस जैक्सन-अनुसन्धान निदेशक, मेट्रोपोलीटन विकर्स, इंग्लैंड की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति नियुक्त की। समिति ने 12 जनवरी सन् 1959 से काम करना शुरू किया और 29 जनवरी 1919 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। समिति की रिपोर्ट पर शासी परिषद विचार कर रही है। संस्थान के भावी विकास के बारे में समीक्षा समिति की सिफ़ारिशों पर विज़िटर द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार विचार किया जाएगा।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में आयोजना आयोग ने संस्थान के विकास के लिये 250 लाख रु० की राशि नियत की थी। अब इसे बढ़ाकर 335 लाख रु० कर दिया गया है। आयोजना अवधि के पहले तीन वर्षों में संस्थान पर 171.82 लाख रु० खर्च किए गए। सन् 1960-61 के बजट प्राक्कलन में 106.20 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्नोलौजी (भारतीय औद्योगिक संस्थान), कानपुर

औद्योगिकी का चौथा उच्चतर संस्थान कानपुर में स्थापित किया जाएगा। इसका नाम भारतीय औद्योगिकी संस्थान होगा। संस्थान के लिये प्रारम्भिक आयोजना बनाई जा चुकी है और अन्य ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। यह विचार किया गया है कि संस्थान में पढ़ाई जुलाई 1960 से शुरू की जाए। विद्यार्थियों की पहली टोली को इन छः ज्ञान-शाखाओं के अवर-स्नातक पाठ्यक्रम में दाखल किया जाएगा : सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत् इंजीनियरी, धातुकर्म, रसायन इंजीनियरी और वस्त्र औद्योगिकी संस्थान के कार्य संचालन और वित्त-व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक अधि शास्री परिषद् बनायी गयी है।

राज्य सरकार ने कानपुर में संस्थान की स्थापना के लिये 1,045 एकड़ भूमि मुफ्त देना स्वीकार कर लिया है। संस्थान के कार्यक्रम के लिये शुरू शुरू में छः सौ एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। यह भूमि उपलब्ध कर ली गयी है। अपना भवन बनने तक संस्थान हारकोर्ट बटलर टेक्नौलौजिक इंस्टीटयूट, कानपुर में चलेगा।

संस्थान की स्थापना और विकास के लिए अमेरिका से सहायता लेने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। दिसम्बर 1958 और जनवरी सन् 1959 की अवधि में अमेरिका के छः विख्यात इंजीनियरी शिक्षाविदों की एक टोली भारत आयी और उसने इस विषय का ब्यौरेवार अध्ययन किया। टोलीने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि औद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में संस्थान को अपने कार्यक्रम किस प्रकार चलाने चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार और अमेरिकी सरकार यह विचार विमर्श करेगी कि अमेरिका संस्थान को किस रूप में और किन बातों के लिए सहायता दे।

जब तक यह अन्तिम निश्चय न हो कि अमेरिका संस्थान के कुल कितनी सहायता देगा तब तक अमेरिका की सरकार इस के लिये सहमत हो गई है कि वह सन 1959 के वित्त वर्ष में टेक्नीकल कोऑपरेशन मिशन के सामान्य कार्यक्रम के अधीन संस्थान को 100,000 डालर के साजसामान दे तथा संस्थान में दो वर्ष तक काम करने के लिए पांच विशेषज्ञ आचार्यों (प्रोफेसरों) को भेजे।

सन् 1960-61 के बजट प्राक्कलन में 40·00 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

कालेज आफ़ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलौजी (इंजीनिरी व औद्योगिकी कालेज), दिल्ली

आशा की जाती है कि दिल्ली का इंजीनियरी व औद्योगिकी कालिज, जुलाई सन् 1960 में चालू हो जाएगा। हौज खास के निकट लगभग 134 एकड़ स्थान ले लिया गया है तथा 74 एकड़ भूमि और लेने के संबंध में कारवाई की जा रही है। जबतक कालेज का अपना भवन तैयार न हो जाये, तबतक यह दिल्ली के बहुधन्धी विद्यालय (पौलीटेक्नीक) में काम करेगा। इसकी लिए ब्योरेवार आयोजनाए और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

ब्रिटेन ने यह वचन दिया है कि वह कालेज की स्थापना और विकास के सम्बन्ध में सहायता देगा। सहायता में ये चीजें शामिल हैं—33 लाख रु० का साज-सामान और पांच सालकी अवधि के लिये दस आचार्य (प्रोफेसरों) और दो कर्मशाला पर्यवेक्षक, जो कालेज में काम करेंगे।

जब कालेज बन जाएगा तो इसके सिविल, यांत्रिक, विद्युत और रसायन इंजीनियरी तथा वस्त्र औद्योगिकी के अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में 1,250 छात्र और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लगभग 250 छात्र पढ़ सकेंगे। यह पूरी रिहायशी संस्था होगी।

योग्यता-व-निर्वाह छात्रवृत्तियाँ

तकनीकी शिक्षा में बहुत खर्च होता है। बहुत से योग्य किन्तु निर्धन विद्यार्थी अध्ययन य तो जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं या बहुत कठिनाइयाँ सहकर ही अध्ययन कर पाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को सरकारी सहायता देना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए चालू वर्ष मे भारत सरकार ने एक योजना बनाई और उसे कार्यान्वित किया। इस के अन्तर्गत, देश में, औद्योगिकी और इंजीनियरी संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को योग्यता-व-निर्वाह के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाएगी। चालू वर्ष में 1039 छात्रवत्तियां मंजूर की गई हैं। इनमें से 692 छात्र-वृत्तियां–डिग्री पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिये और 347 छात्रवृत्तियां डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिये हैं। हरेक छात्रवृत्ति की अवधि एक वर्ष के बारह महीनों के लिये होगी। डिग्री पाठ्यक्रमों के लिये 75 रु० प्र० मा० और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये 50 रु० प्र० मा● छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिन संस्थाओं में छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है, उनसे निवेदन किया गया है कि वे उन विद्यार्थियों से शिक्षा-शुल्क न लें। यदि वे सहमत न हों तो छात्र-वृत्तियों की रकम इतनी बढ़ा दी जाएगी कि बढ़ी रकम छात्रों द्वारा दी जाने वाली फीसों के बराबर हो जाए।

चालू वर्ष में 7.50 लाख रु० की छात्रवृत्तियां दी जायेंगी। सन् 1960–61 में नये विद्यार्थियों के लिये इतनी ही छात्रवृत्तियां मंजूर करने का विचार है। विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्तियों दी जानी हैं, चालू वर्ष में वे भी जारी रहेंगीं, बशर्ते कि छात्रवृत्ति पानेवाले विद्यार्थियों की प्रगति सन्तोष-जनक हो। सन् 1960–61 के बजट प्राक्कलन में इसके लिए 19.66 लाख रु० शामिल किए गए हैं।

तकनीकी अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम

आजकल हमारी तकनीकी संस्थाओं में अध्यापकों की बड़ी भारी कमी है। जसे-जंसे और नई संस्थाएँ स्थापित की जायेंगी तथा विद्यमान संस्थाओं का विस्तार किया जाएगा, वसे-वसे यह कमी और भी बढ़ती जायगी। अतः यह आवश्यक है कि सभी तकनीकी संस्थाओं में अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिये तुरंत उपाय किये जाएं। यदि ऐसा न किया गया तो शिक्षा स्तर पर गिरने का डर हो सकता है। अतः चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार के तकनीकी अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम बनाया और उसे कार्यान्वित भी किया। इस कार्यक्रम के अधीन इंजीनियरी और औद्योगिकी के 146 प्रतिभाशाली स्नातकों को चुना गया और उन्हें प्रशिक्षण के लिये इन पांच केन्द्रों में भेजा गया: भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर; रुड़की विश्व-विद्यालय; इंजीनियरी कालेज, पूना; इंजीनियरी कालेज, गुइंडी, मद्रास; और बंगाल इंजीनियरी कालेज, शिवपुर। यह प्रशिक्षण क्रम दो से लेकर तीन वर्ष तक का है। प्रशिक्षण-काल में प्रशिक्षार्थी छात्र ज्येष्ठ आचार्यों (प्रोफेसरों) के अधीन संस्थाओं में अध्यापन करते ह और केन्द्र में उनके उपक्रमों के रूप में काम करते हैं। वे ज्ञान की किसी चुनी हुई शाखा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का भी अध्ययन या अनुसंधान करते का हैं। प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर उन्हें विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में नियमित अध्यापन कार्य के लिय नियुक्त किया जाता है।

प्रशिक्षण काल में हरेक प्रशिक्षार्थी को 350–25–400 रु० की अधिवृत्ति दी जाती है।

आगे आनेवालों वर्षों में, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का धीरे धीरे और विकास किया जाएगा और अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये चुना जायगा। यह भी विचार है कि बहुधन्धी विद्यालयों (पौलीटेकनीक) में अध्यापन करने के लिये सनद–धारियों (डिप्लोमा होल्डरों) को भी प्रशिक्षित किया जा येगा। इस काम के लिये सन् 1960–61 के बजट प्राक्कलन में 3.64 लाख रु० की व्यवस्था की गई हैं।

तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन-मानों में वृद्धि

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने देश की तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन-मानों में वृद्धि करने की एक योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना के अनुसार इस संबंध में नीचे लिखे काम किए जाएंगे :

(i) इंजीनियरी कालेजों में डिग्री पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रधानाचार्यों और आचार्यों (प्रोफेसर्स) के वेतन मान वही होने चाहिये जो सम्बन्धित राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर और अधीक्षक इंजीनियर के हैं।

(ii) इंजीनियरी कालेज के डिग्री पाठ्याक्रमों में पढ़ाने वाले सहायक आचार्यों (प्रोफेसरों) और प्राध्यापकों (लैक्चरर्स) के वेतन-मान निम्न लिखितहोने चाहियें :—

स० आ० 600–40–1000–50/2–1150 रु०

प्रा० 350–350–380–380–30–590 द० से० 30–770–40–850

(iii) जिन बहुधन्धी विद्यालयों (पौलीटैक्नीकों) या संस्थाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हों, वहां निम्नलिखित वेतनमान होने चाहिये :—

प्रधानाचार्य 800–40–1000–50–1250 रु०

विभागाध्यक्ष (कार्यभारी प्राध्यापक) 600–40–1000 रु०

प्राध्यापक 350–350–380–380–30–590 द० से० 30–770–40–850 रु०

कर्मशाला अधीक्षक 350–350–380–380–30–590–द० से०–30–770–40–850 रु०

ज्येष्ठ शिक्षक 260–10–300–15–450–25/2–500 रु०

कनिष्ठ शिक्षक 160–10–300 रु०

(iv) जो ज्येष्ठ आचार्य (प्रोफेसर) संस्थाओं के डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ाते हों, उनका वेतनमान राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अपर मुख्य इंजीनियर के वेतनमान के बराबर होना चाहिये या फिर आचार्यों को उनके सामान्य वेतनमान के साथ-साथ 250 रु० प्र० मा० का एक विशेष भत्ता भी देना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार इसके लिये सहमत हो गई है कि वह उस कुल अतिरिक्त खर्च को पूरा क[illegible] जो उपरोक्त संशोधित वेतन-मानों को अपनाने में राज्य की सब सरकारी या गैर-सरकारी संस्था[illegible] पर (विश्व विद्यालय की शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर) होगा। पहली बार यह खर्च पांच साल [illegible] अवधि के लिए दिया जाएगा। जहाँ तक विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्थाओं का सम्बन्ध [illegible] इस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विचार कर रहा है। सन् 1960–61 के बजट में इ[illegible] काम के लिये 40.00 लाख रु० की रकम शामिल की गई है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने रसायन इंजीनियरी के स्नातकोत्तर पाठ्[illegible] क्रमों की एक योजना अनुमोदित की है। ये पाठ्यक्रम आठ चुने केन्द्रों में चलाए जाएंगे। परिष[illegible] ने एक और योजना भी स्वीकृत की है जिसके अनुसार 11 केन्द्रों में इंजीनियरी और औद्योगि[illegible] के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के काम को बढ़ावा दिया जायगा।

अखिल- भारतीय परिषद् की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने प्रो० एम० एस० थैक[illegible] की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। यह समिति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास [illegible] और इंजीनियरी तथा औद्योगिकी में किये अनुसन्धान की वर्तमान स्थिति की जाँच करेगी अ[illegible] यह सिफ़ारिश करेगी कि स्नातकोत्तर शिक्षा का भावी विकास किस ढंग से किया जाए।

मार्च-मई 1959 में फ़ोर्ड फांउडेशन के तत्वावधान में, वाई० ए० फजलभाइ के नेतृत्व में भारतीय प्रबन्ध शिक्षाविदों की एक टोली लगभग तीन महीने के लिये अमेरिका गई। टोली को यह अध्ययन करना था कि अमेरिका में प्रबन्ध सम्बंधी अध्ययनों में कौन-कौन से नवीन तम विकास हुये हैं। अमेरिका में रहने की अवधि में टोली ने प्रबन्ध शिक्षा और प्रशिक्षण से सम्बन्धित शैक्षणिक वृत्तिक और अनुसन्धान संस्थाओं तथा व्यावसायिक और औद्योगिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ संस्थाओं का निरीक्षण किया। इन लोगों ने वहां जो कुछ अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने देश में प्रबन्ध संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण का विकास करने के लिए कुछ प्रस्ताव पेश किए। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

राज्य की आयोजनाओं के अन्तर्गत इंजीनियरी कालेजों और बहुधन्धी विद्यालयों की स्थापना–

राज्य-आयोजनाओं के वार्षिक-पुन र्वलोकन के परिणामस्वरूप तकनीकी शिक्षा योजनाओं में कुछ परिवर्तन किये गये। संशोधित आयोजनाओं के अनुसार राज्य आयोजना की अवधि में आठ इंजीनियरी कालेज और 48 बहुधन्धी विद्यालय खोलेंगे सात इंजीनियरी कालेज और 37 बहुधंधी विद्यालयों में काम शुरू हो गया है। बाकी संस्थानों की स्थापना की जा रही हैं।

राज्य आयोजनाओं के अधीन नयी तकनीकी संस्थाओं की स्थापना करने और विद्यमान संस्थाओं का सुधार तथा विकास करने के लिये केन्द्रीय सरकार अबतक राज्य सरकारों को आधा खर्च देती रही है शेष आधा खर्च राज्य सरकारें देती रही है। आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों के लिये 100.00 लाख रु० की रकम नियत की गई है। सन् 1960–61 में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के लिए 160.00 लाख रुपये की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की तकनीकी संस्थाएं

गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके लिए केन्द्रीय सहायता की मंजूरी संबंध में नीचे लिखे सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं:

(क) गैर-सरकारी संगठनों को चाहिए कि वे संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनुमोदित अनावर्ती खर्च का कम-से-कम 50 प्रतिशत खर्च स्वयं उठाएं। अनावर्ती व्यय का शेष 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार सहायक अनुदान के रूप में देगी।

(ख) गैर-सरकारी संगठनों के पास (संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर) कम-से-कम इतने साधन होने चाहियें कि वे आयोजना की अवधि में कम-से-कम 50 प्रतिशत आवर्ती खर्च, और आयोजना की अवधि के बाद पूरा आवर्ती खर्च उठा सकें। केन्द्रीय सरकार सहायता के रूप में आवर्ती खर्च का 50 प्रतिशत तक देगी और यह सहायता आयोजना अवधि तक ही दी जायगी।

(ग) अगर कोई राज्य सरकार किसी गैर-सरकारी संस्था की स्थापना में सहायता करना स्वीकार करे तो उसे सहायता की यह रकम अपनी दूसरी पंच-वर्षीय आयोजना के अन्तर्गत ही देनी चाहिये।

उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने चालू आयोजना की अवधि में देश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अब तक स्थापित किये जाने वाले सात इंजीनियरी कालेजों और बीस बहुधन्धी विद्यालयों के लिए स्वीकृति दी है। आलोच्य वर्ष में छ: बहुधन्धी विद्यालयों को अनुमोदित किया गया। सभी संस्थाओं में कार्य आरम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त नौ गैर-सरकारी तकनीकी संस्थाओं का सुधार और विकास करने की योजनाओं का भी अनुमोदन किया गया है।

तकनीकी शिक्षा के विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए सन् 1960–61 के बजट में गैर-सरकारी संगठनों को सहायता के रूप में 100.00 लाख रु० देने का प्रस्ताव किया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित इंजीनीयरी कालेज और बहुधंधी विद्यालय

केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष नौ प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज और 27 बहुधंधी विद्यालय (पौलीटेकनीक) स्थापित करने की एक योजना स्वीकार की, ताकि तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के लिए आवश्यक संख्या में तकनीकी कर्मचारी मिल सकें। ये कालेज उन स्थानों में होंगे:

वारंग और मंगलौर, नागपुर और भोपाल, दुर्गापुर और जमशेदपुर, इलाहाबाद, दिल्ली और श्रीनगर।

इन प्रादेशिक कालजों के कार्य-संचालन और स्थापना के संबंध में सामान्य सिद्धान्त स्थिर कर लिए गए हैं और बुनियादी ब्यौरे तैयार कर लिए गए हैं। इनकी स्थापना का काम तेजी से हो रहा है।

दिल्ली कालेज को छोड़कर शेष सभी प्रादेशिक कालेज केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से स्थापित किये जायेंगे। दिल्ली कालेज पूर्णतः सरकारी साधनों से स्थापित किया जायगा। ये सभी कालेज पूरे भारत के लिये होंगे और इसमें प्रत्येक राज्य के छात्र भर्ती हो सकेंगे।

केन्द्रीय सरकार इसके लिये सहमत हो गई है कि वह राज्य सरकार के साथ मिलकर स्थापित किए जाने वाले आठ इंजीनियरी कालिजों को पांच वर्ष की अवधि के लिये पूरा अनावर्ती खर्च और 50 प्रतिशत आवर्ती खर्च दे। केन्द्रीय सरकार इसके लिये भी सहमत हो गई है कि वह अध्यापक वर्ग के निवास स्थानों (स्टाफ्-क्वार्टरों) पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत भाग सहायक अनुदान के रूप में दे और—बाकी 50 प्रतिशत खर्च ब्याजसहित ऋण के रूप में दे।

उक्त 27 बहुधंधी विद्यालय प्रत्येक राज्य में, नियत संख्या के अनुसार, खोले जाएंगे।

इन संस्थाओं की स्थापना का काम शुरु भी हो गया है, और वह विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न अवस्थाओं में है। फिर भी आलोच्य वर्ष में मद्रास और आंध्र राज्यों में चार बहुधंधी विद्यालयों (पौलीटेक्नीकों) का काम शुरू हो गया। आशा है कि बाकी संस्थानों में अगले वर्ष की अवधि में कार्य आरम्भ हो जाएगा। केन्द्रीय सरकार इन संस्थाओं की स्थापना का 50 प्रतिशत अनावर्ती खर्च और 50 प्रतिशत आवर्ती खर्च पूरा करने के लिए तैयार हो गयी है परन्तु यह खर्च केवल पांच साल की अवधि तक ही दिया जाएगा।

यह सुझाव दिया गया है कि सन् 1960–61 के बजट प्राक्कलन में छात्रावासों और अध्यापकों के निवास स्थानों (स्टाफ क्वार्टर्स) के लिए 113.00 लाख रु० की व्यवस्था की जाए और इस में से 83.00 लाख रु० अनुदान के रूप में और 30.00 लाख रु० ऋण के रूप में दिये जाएँ।

कुछ चुने हुये इंजीनियरी कालेजों और बहुधंधी विद्यालयों (पौलीटेकनीकों) की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की योजना में भी संतोषजनक प्रगति हुई है। चालू वर्ष के अन्त तक इन संस्थाओं के डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 2,473 और 4,033 अधिक हो गयी थी। यह प्रस्ताव किया गया है कि इस योजना को जारी रखने के लिये सन् 1960–61 के बजट प्राक्कलन में अनुदान और ऋण के रूप में क्रमशः 73 और 82 लाख रु० की व्यवस्था की जाए।

तकनीकी शिक्षा के विस्तार और विकास की उन विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप जो आयोजना की चालू अवधि में अबतक कार्यान्वित हुई हैं, चालू वर्ष में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या क्रमश: 11,500 और 21,370 बढ़ गयी। चालू वर्ष में स्नातकय डिग्री और डिप्लोमा पाने वाले छात्रों की संख्या क्रमश: 4,480 और 7,240 थी। इन आयोजित नई संस्थाओं की स्थापना होने के साथ-साथ डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या क्रमश: 13,500 और 25,000 बढ़ जाएगी।

तकनीकी शिक्षा पाने वाले छात्रों के लिये छात्रावास

देश में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थियों के लिये छात्रावास बनाए जाएं। केन्द्रीय सरकार अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं को ऋण देना भी मंजूर करती है ताकि छात्रावासों का निर्माण सुविधापूर्वक हो सके। अबतक जो कर्ज दिये जाते थे, उन पर सूद नहीं लगता था। हाल में ही यह निश्चित किया गया है कि ऋण पर सूद लिया जाए। लेकिन वह सूद फिर उन्हीं संस्थाओं को अनुदान के रूप में वापस कर दिया जाए। योजना के आरम्भ होने के समय सन् 1946-47 से लेकर सन् 1958-59 के अन्त तक ऋण के रूप में 319 लाख रु० दिए जा चुके हैं। इस रकम से संस्थाओं ने लगभग 13,680 छात्रों के लिये छात्रावास बनाए हैं। चालु वर्ष में इन संस्थाओं को 143.8 लाख रु० उधार दिये गये ताकि वे लगभग 5,000 और विद्यार्थियों के लिए जगहों की व्यवस्था कर सकें। इस योजना के लिये सन् 1960-61 के बजट-प्राक्कलन में 225 लाख रु० की व्यवस्था की गई हैं।

अनुसन्धान छात्रवृत्तियां और अधिवृत्तियां (फेलोशिप्स)

द्वितीय पंच वर्षीय आयोजना में 800 अनुसंधान छात्रवृत्तियां देने का लक्ष्य था, ताकि विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में विज्ञान और औद्योगिकी में अनुसंधाम करनेवाले छात्रों को सहायता दी जा सके। सन् 1958-59 के अन्ततक 681 छात्रवृत्तियां मंजूर की गई। चालू वर्ष में 119 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां मंजूर की गई। इस तरह इन चालू छात्रवृत्तियों की संख्या कुल मिलाकर 800 हो गई। ये छात्रवृत्तियां विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं को उन में उपलब्ध अनुसंधान सुविधाओं के आधार पर दी गई।

चालू वर्ष में 23 राष्ट्रीय अनुसंधान अधिछात्र विभिन्न केन्द्रों में अनुसन्धान कार्य करते रहे सत्ताइस नये अध्येताओं को अधिवृत्तियां देने के लिए चुना गया।

चालू वर्ष में, व्यावहारिक प्रशिक्षण वृत्तिका योजना के अधीन विभिन्न संस्थाओं में 2,150 प्रशिक्षण स्थान प्राप्त किए गये। इन स्थानों पर उन उम्मीदवारों को प्रशिक्षणार्थ दाखिल किया गया जिन्होंने किसी तकनीकी संस्था के डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरे किये थे।

आलोच्य वर्ष में तकनीकी शिक्षा के विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा अन्य संगठनों को अनुदान तथा ऋण के रूप में क्रमशः लगभग 412 लाख रु० और 143.8 लाख रु० की रकम मंजूर की गई।

आयुर्विज्ञान की शिक्षा

आयुर्विज्ञान के नये कालेज स्थापित करने और विद्यमान आयुर्विज्ञान कालेजों का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में 6.50 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में आयुर्विज्ञान के 10 कालेजों की स्थापना और 20 कालेजों का विस्तार करने के लिए आलोच्य वर्ष के अन्त तक वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। क्योंकि 6.50 करोड़ रु० की पूरी रकम का विनिधान पहले ही किया जा चुका था, अत: अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में बचत करके इस योजना के लिये 2.15 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ चुने हुये डाक्टरों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से पिछले कोई दस वर्षों में आयुर्विज्ञान कालिजों और अनुसंधान संस्थाओं के एक दर्जन विभागों को समुन्नत किया ताकि उनमें चुने हुए डाक्टरों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण दिये जा सके जिससे कि वे अध्यापन और अनुसंधान का काम कुशलता पूर्वक कर सकें ।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की सम्पूर्ण अवधि के लिये कुल मिलाकर 25 लाख रु० की व्यवस्था की गयी थी : इसमें से सन् 1959–60 में 6.0 लाख रु०ही मिल सके थे । इस रकम में से इन समुन्नत संस्थानों में भर्ती हुये छात्रों को योग्यता और अध्ययन विषय के अनुसार 150 रु० या 250 रु० प्रति मास की वृत्तिकाएं देने की भी व्यवस्था थी । आलोच्य वर्ष में इन समुन्नत विभागों में 17 विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण पाने के लिए 137 छात्र चुने गये ।

सन् 1959–60 की अवधि में स्वास्थ्य मंत्रालय ने डा० बी० सी० राय की अध्यक्षता में क स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा मूल्यांकन समिति (पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एसेसमेंट कमेटी) बनाई । समिति का काम देश में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का मूल्यांकन करना और उसके विकास की भावी आयोजनाओं के सबन्ध में सिफारिशें करना था ।

सितम्बर सन् 1959 में भारत सरकार ने एक योजना को स्वीकृति दी जिसके अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नीचे लिखे विषयों की स्नातकोत्तर शिक्षा दी जानी थी । आयुर्विज्ञान, शल्य-चिकित्सा, विकृति विज्ञान, प्रसूति-विद्या, शरीर-रचना विज्ञान, शरीर-क्रिया विज्ञान औषधि प्रभाव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, जीव-रसायन, क्षय संबंधी रोग, संवेदनाहरण, और बाल स्वास्थ्य । इन पाठ्यक्रमों के लिये 150 रु० प्रतिमास की 55 वृत्तिकाएं मंजूर की गईं । आलोच्यवर्ष में इन पाठ्यक्रमों में 33 छात्र दाखिल हुए ।

राज्य सरकारों को द्वितीय आयोजना की अवधि में दन्त चिकित्सा के नये कालेजों की स्थापना करने और वर्तमान दन्त चिकित्सा कालेजों के विस्तार के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई :—

(क) नये दन्त चिकित्सा कालेजों में दाखिल होने वाले प्रति छात्र पर 50,000 रु० अनावर्ती खर्च और विद्यमान दन्त चिकित्सा कालेजों में बढ़ाये-गये हरेक अतिरिक्त स्थान (सीट) के लिये 35,000 रु० । केन्द्रीय सरकार इन अधिकतम सीमाओं के 75 प्रतिशत से अधिक सहायता नहीं दे सकती थी ।

(ख) नये विद्यमान दन्त चिकित्सा कालेजों में प्रति दाखिला अतिरिक्त स्थान (सीट) पर 8,000 रु० आवर्ती खर्चा केन्द्रीय सरकार इस अधिकतम सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक सहायता नहीं दे सकती थी ।

यह निश्चत किया गया कि उपर्युक्त प्रकार से दन्त चिकित्सा के 3 कालेजों की स्थापना और 5 कालेजों के विस्तार के लिए अनुदान दिया जाए । यह भी निश्चित किया गया कि बम्बई के दो दन्त चिकित्सा कालेजों को वित्तीय सहायता दी जाए ताकि उनमें दन्त-विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाये जा सकें । आलोच्य वर्ष में इन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 37 छात्र भर्ती कि और प्रत्येक छात्र को 150 रु० प्रतिमास की वृत्तिका देना मंजूर किया गया ।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय किया कि राज्य सरकारों के अधीन या विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये गये आयुर्विज्ञान कालेजों के दोनों–निदान और निदानेतर-विभागों में पूर्णकालीन अध्यापन एककों की स्थापना करने में राज्य सरकारों की सहायता की जाए । विभिन्न वर्गों के अध्यापकों के लिये वह वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसके विषय में दिल्ली में मार्च 1958 में होने वाले आयुर्विज्ञान शिक्षा सम्मेलन (मेडिकल एजुकेशन कानफ्रेंस) ने सिफारिशें की थीं । केन्द्रीय सरकार सहमत हो गई है कि वह उस अतिरिक्त आवर्ती खर्च को शत-प्रतिशत आधार पर पूरा करे जो इस योजना को कार्यान्वित करने में होगा । आलोच्य वर्ष में बम्बई और उड़ीसा की सरकारों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया ।

सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये स्वास्थ्यचरों, (हेल्थविजिटर) धात्रियों और सहायक उपचार धात्रियों तथा दाइयों की आवश्यकता थी। अतः केन्द्रीय सरकार ने इनके प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान की। विभिन्न वर्गों के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिये नयप्रशिक्षण-क्रमों और उपचारिकाओं (नर्सों) के लिये अल्प-कालीन पुनश्चर्याओं की सुविधाएं भी विद्यमान थीं। प्रयोगशाला सहायकों, वर्तकों (रिफ्रेक्शनिस्ट) और दृष्टि परीक्षकों, तथा सहायक स्वास्थ्य सेवकों आदि के प्रशिक्षण के लिये भी वित्तीय सहायता दी गई। एक्सरे चित्रकारों (रेडियोग्राफरों) की कमी को पूरा करने की दृष्टि से यह निश्चित किया गया कि द्वितीय आयोजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में 10 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाए। इन प्रशिक्षण केन्द्रों का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार को पूरा करना था।

स्वास्थ्य मंत्रालय की दूसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल किये गए 'आयुर्विज्ञान कालेजों और अनुसन्धान तथा अन्य संस्थाओं को साज-सामान का सम्भरण' करने की योजना पूर्णतः केन्द्रीय योजना थी। इस योजना का उद्देश्य यह था कि—टेक्नीकल कोऑपरेशन मिशन के जरिए आयुर्विज्ञान कालेजों तथा अन्य अनुसन्धान संस्थाओं की सहायता के लिए तथा उनके लिए सुविधाय जटाने की दृष्टि से उपयोगी साज-सामान दिलाया जाए, ताकि वे अपना आवश्यक अनुसन्धान कार्य कर सकें। सन् 1959–60 में टेकनीकल कोअपरेशन मिशन ने 4 संस्थाओं को 3.66 लाख रु० की सहायता दी।

दिल्ली को छोड़कर अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों के छात्रों तथा विदेश स्थित भारतीय कार्यालयों में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संरक्षितों को आयुर्विज्ञान कालेजों मे दाखिल करने के संबंध में जो व्यवस्था की गयी थी, वह आलोच्य वर्ष में भी चालू रही। सन् 1959–60 में इन छात्रों के लिए एम० बी० बी० एस० के नियमित पाठ्यक्रम में 40 स्थान सुरक्षित रखे गये। इनका विभाजन इस प्रकार था हिमाचल प्रदेश 13, मनिपुर 7, त्रिपुरा 3, नागापहाड़ी क्षेत्र 2, अण्डमान और निकोबारद्वीप समूह 2, सिक्किम 3, विदेश में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संरक्षित (वार्डे) 2, मलाया 1, नेपाल 2 और दिल्ली 1। चार स्थान छोड़ दिए गए क्योंकि उनके लिए योग्य छात्र नहीं मिल पाए।

शिक्षा और विदेश मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोग से, भारत सरकार की सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन, देश के विभिन्न—आयुर्विज्ञान कालेजों में छात्रों के दाखिले की व्यवस्था 1959–60 में भी चालू रही। इस योजना के अधीन उन छात्रों के भी दाखिले, की भी व्यवस्था की गई जिनका जन्म तो भारत में हुआ किन्तु जो विदेश के अधिवासी थे। आलोच्य वर्ष में कुल 58 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया, जिनमें 26 सांस्कृतिक विषयों के अध्येता (स्कॉलर) थे और 32 विदेश में रहने वाले मूलतः भारतीय छात्र तथा विदेशी प्राइवेट छात्र थ। सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा मंत्रालय स वृत्तिकाएं मिलती थीं, जबकि प्राइवेट विद्यार्थी अपना खर्च स्वयं उठाते थे।

बहुत सी विदेशी सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों (एजेंसियों) ने अपनी तकनीकी सहायता योजनाओं के अधीन भारतीय राष्ट्रिकों को विदेश में आयुर्विज्ञान और संबद्ध विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान कीं। इनमें से कुछ तकनीकी सहायता योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं (i) संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके विशिष्ट अभिकरणों अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन आदि का तकनीकी सहायता का कार्यक्रम; (ii) अमरीकी सरकार की वह तकनीकी सहायता योजना जो चारसूत्री कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है, (iii) कोलम्बो आयोजना अधीन के तकनीकी सहकारिता योजना; और (iv) गैर-सरकारी संगठनों, अर्थात राकफेलर फांउडेशन, नफील्ड फांउडेशन आदि द्वारा छात्रवृत्तियों और अधिवृत्तियों के रूप में की गई तकनीकी सहायता सन 1959 की अवधि में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारतीय छात्रों को 21 अधिवृत्तियां दी गई। ये अधिवृत्तियां कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में आयुर्विज्ञान संबंधी अध्ययनों के लिये थीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटेन, मिश्र, अमेरिका और रूस में

अध्ययन करने के लिये 22 अधिवृत्तियां टेक्नीकल कोअपरेशन मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए 25 छात्र वृत्तियाँ दीं और संयुक्तराष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन (युनाइटड नेशन्स टेक्नीकल एसिस्टेन्स—एड्मिनिस्ट्रेशन) ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में अध्ययन करने के लिये 2 अधिवृत्तियां दी ।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (इण्डियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च) ने अपने चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रम, आलोच्य वर्ष में भी जारी रखा । परिषद् ने इस संबंध में एक मुख्य काम यह किया कि उसने संसर्ग से होने वाले रोगों, खासतौर से, तपेदिक, रोहे (ट्रैकोमा), कोढ़, हैजा तथा विषाणुजन्य (वाइरस) रोगों का अनुसन्धान करने का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया । आलोच्य वर्ष में परिषद् को 60 लाख रु० का अनुदान मिला और उन निधियों से 205 विभिन्न आयुर्विज्ञान संस्थाओं को अनुसंधान आयोजनाओं के लिये धन दिया गया ।

कृषि शिक्षा

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है आलोच्य वर्ष में, कृषि मंत्रालय ने अधिकतर कृषि-संबंधी अनुसन्धान ही कराये । कृषि, पशुपालन और संबद्ध विषयों का अनुसन्धान इण्डियन काउन्सिल फार एग्रीकल्चरल रिसर्च (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्), विभिन्न केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थानों और पण्य समितियों के जरिये किया गया । देश में कृषि के विकास का गति को बढ़ाने की दृष्टि से कृषि-अनुसंधान के कार्यक्रमों को बड़ी तेजी से बढ़ाया जा रहा था और उनके लिए साधन जुटाए जा रहे थे । इसी तेजी से उन्हें कार्यान्वित भी किया जा रहा था ।

मुख्य विकास

विभिन्न राज्यों में (अध्यापकों के प्रशिक्षण को छोड़कर) वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो-जो मुख्य विकास हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

आंध्र प्रदेश

राजामुंद्री में तकनीकी अध्यापन प्रमाणपत्र के दो पाठ्यक्रम चलाये गये और अनन्तपुर में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया गया ।

बिहार

राज्य सरकार ने 23,200 रु० की रकम मंजूर की ताकि प्रवर प्रशिक्षण विद्यालय (सीनियर ट्रेनिंगस्कूल), नगर-पारा, से संबद्ध कृषि अनुभाग तथा हजारीबाग सुधारालय (रिफौर्मेटरी स्कूल) के कृषि फार्म का काम चालू रहे ।

बम्बई

कृषि कालेज परमानी में 3 वर्षीय कोर्स जो पूर्व स्नातक के बाद किया जाता था उसकी अवधि एस० एस० सी० परीक्षा के बाद 4 वर्ष कर दी गई । कृषि पाठ्यक्रम सनदों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य कालेजों में दाखिले बढ़ा दिये गये ।

मद्रास

तकनीकी शिक्षा विभाग ने तीन नये बहुधंधी विद्यालय (पौलीटेक्नीक स्कूल) खोले । इन विद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं : नार्थ अर्काट, (पॉलीटेक्नीक) मद्रास, गवर्नमेंन्ट पौलीटैक्नीक (राजकीय बहुधंधी विद्यालय) नागरकोइल, और भक्तवत्सलम् पौलीटैक्नीक, कांचीपुरम । सेंट्रल पॉलीटेक्नीक (केन्द्रीय बहुधंधी विद्यालय), मद्रास में एक नया मध्यवर्ती पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

राजकीय समेकित आयुर्विज्ञान कालेज (गवर्नमेंट कालेज आफ़ इंटीग्रेटेड मेडिसिन) किलपाक मद्रास में एल० आई० एम० पाठ्यक्रम में दाखिले बन्द कर दिये गये ।

पंजाब

तारीख 5 अक्तूबर 1959 से तकनीकी शिक्षा का एक अलग निदेशालय काम करने लगा। आलोच्य वर्ष में वैश्य तकनीकी संस्थान, रोहतक को अस्थायी रूप से संबद्ध किये जाने के लिये स्वीकृति दी गई और उसके विद्यार्थियों को राज्य 'परिषद् डिप्लोमा परीक्षा (स्टेट बोर्ड डिप्लोमा एक्जामिनेशन) में बैठने की अनुमति दे दी गई । चण्डीगढ़ के सरकारी सेंट्रल पोली-टेक्नीक में काम शुरू किया गया और शुरू में 120 विद्यार्थियों को दाखिल किया गया। राजकीय बहुधंधी विद्यालय (गवर्नमेंट पौलीटेकनीक), अम्बाला में दाखिले की संख्या 60 से बढ़कर 240 हो गई ।

पंजाब के अनुसन्धान और आयुर्विज्ञान शिक्षा निदेशक ने राज्य में आयुर्वेदिक अध्ययनों के लिए एक परिषद् बनायी। अमृतसर के आयुर्विज्ञान कालेज में बी० एससी० (शरीर रचना विज्ञान, शरीर-क्रिया विज्ञान और जीव रसायन) का एक नया डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया ।

उत्तर प्रदेश

लखनऊ और गोरखपुर के राजकीय तकनीकी विद्यालयों के दाखिले की क्षमता बढ़कर क्रमशः 210 और 200 हो गई । अवर तकनीकी विद्यालयों की भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना भी कार्यान्वित की गई । झांसी, इलाहाबाद, जौनपुर, गाजीबाद और दौराला के विद्यमान बहुधंधी विद्यालयों (पौलीटेक्नीकों) को समुन्नत करके अवर तकनीकी विद्यालयों में बदल दिया गया ।

पश्चिमी बंगाल

विद्यमान 12 बहुधंधी विद्यालयों (पौलीटेक्नीकों) के अतिरिक्त 2 और संस्थाएं स्थापित की गई । इन पर 3,82,100 रु० का आवर्ती खर्च हुआ ।

हिमाचल प्रदेश

सुन्दरनगर (जिला मण्डी) में एक बहुधंधी विद्यालय खोला गया और इसमें 24 दिसम्बर, 1959 से अध्यापन शरू कर दिया गया । इस में 60 विद्यार्थी दाखिल किए गए ।

मनिपुर

मनिपुर में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (इंण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) खोला गया। रुसी सहायता कार्यक्रम के अधीन रूस से आठ मशीनें प्राप्त हुईं, जिन्हें दो इंजीनीयरी संस्थानों को दे दिया गया । 4,000 रु० की कीमत का साज सामान भी खरीदा गया ।

पांडिचेरी

कला और शिल्प विद्यालय में विद्युत संस्थापन और तारबन्दी का एक नया पाठ्यक्रम चालू किया गया । विद्यालय में इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त किए गए और साज-सामान दिया गया ।

व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालय

व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों के मुख्य आंकड़े सारणीः (LXXXIV) में दिये गये हैं। पिछले वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में ऐसे विद्यालयों की संख्या में 274 की वृद्धि हुई । इस प्रकार इनकी कुल संख्या 3,837 हो गई। प्रतिशत के हिसाब से यह वृद्धि 7.7 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । इन विद्यालयों में से 2,240 (58.4

प्रतिशत) का प्रबन्ध गैर-सरकारी संगठन, 1,553 (40.5 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार तथा 44 (1.1 प्रतिशत) का प्रबन्ध स्थानीय परिषदें करती थीं। विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अनुसार इन विद्यालयों का विभाजन इस प्रकार था : तकनीकी, औद्योगिक और कला व शिल्प विद्यालय 1,261 (32.9 प्रतिशत), वाणिज्य विद्यालय 1,095 (28.6 प्रतिशत) अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय 1,034 (27.0 प्रतिशत), आयुर्विज्ञान विद्यालय 150 (3.9 प्रतिशत), इंजीनियरी विद्यालय 124 (3.2 प्रतिशत), कृषि विद्यालय 100 (2.6 प्रतिशत), शारीरिक शिक्षा विद्यालय 38 (1.0 प्रतिशत), पशुचिकित्सा-विज्ञान विद्यालय 11 (0.3 प्रतिशत), अन्य अवर्गीकृत विद्यालय 15 (0.4 प्रतिशत), वनविज्ञान विद्यालय 4 (0.1 प्रतिशत) तथा नौप्रशिक्षण विद्यालय 5 (0.1 प्रतिशत)। कुछ तकनीकी और औद्योगिक विद्यालयों में इंजीनियरी के विषयों का शिक्षण भी दिया जाता रहा। इसके अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के कुछ विद्यालयों में अध्यापक प्रशिक्षण और कुछ व्यावसायिक व तकनीकी विषयों की कक्षाएं भी संबंध थी। नौ-प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा विद्यालयों तथा कुछ अन्य विषयों के विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के विद्यालयों की संख्या बढ़ी। उक्त तीनों प्रकार के विद्यालयों की संख्या में कोई घट-बढ़ नहीं हुई। कृषि के दो विद्यालय और वन-विज्ञान का एक विद्यालय कम हो गया। वाणिज्य विद्यालयों की संख्या सबसे अधिक (129) बढ़ी। इसके बाद क्रमशः इनके नाम आते हैं। इंजीनियरी विद्यालय अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय (60), आयुर्विज्ञान विद्यालय (26), पशुचिकित्सा-विज्ञान विद्यालय (1) और अन्य विद्यालय (1)।

भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या

व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों और हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों ौर वृत्तिय कालेजों से संबद्ध व्यावसायिक और तकनीकी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की कुल ख्या 3,42,448 (2,72,331 लड़के और 70,117 लड़कियां) से बढ़कर 3,83,991 3,05,626 लड़के और 78,365 लड़कियां) हो गई। इस प्रकार पिछले साल के 11.6 तिशत की तुलना में आलोच्य वर्ष में 11.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। व्यवसायों के अनुसार नका विभाजन इस प्रकार रहा।

व्यवसाय	1958–59		1959–60	
	विद्यार्थीयों की संख्या	भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत	विद्यार्थीयों की संख्या	भर्ती हुए छात्रों की कुल संख्या का प्रतिशत
कृषि	7,411	2.2	7,639	2.0
वाणिज्य	98,754	28.8	1,15,057	30.0
इंजीनियरी	47,216	13.8	58,018	15.1
वनविज्ञान	237	0.1	154	0.0
नौ-प्रशिक्षण	1,951	0.6	1,867	0.5
आयुर्विज्ञान	10,688	3.1	10,471	2.7
शारीरिक शिक्षा	3,639	1.1	3,349	0.9
अध्यापक प्रशिक्षण	89,514	26.1	99,991	26.1
तकनीकी औद्योगिक तथा कला व शिल्प	80,401	23.5	83,617	21.8
पशुचिकित्सा विज्ञान	1,093	0.3	1,065	0.3
अन्य	1,544	0.4	2,763	0.7
जोड़	3,42,448	100.0	3,83,991	100.0

सारणी LXXXIV विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक और तकनीकी विद्यालयों के आंकड़े

विद्यालय का प्रकार	संस्थाओं की संख्या†		छात्रों की संख्या@			
			लड़के		लड़कियां	
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
1	2	3	4	5	6	7
कृषि . . .	102	100	7,358	7,564	53	75
वाणिज्य . . .	966	1,095	85,266	97,880	13,488	17,177
इंजीनियरी . .	118	124	47,118	57,684	98	334
वन विज्ञान . .	5	4	237	154	..	..
नौ-प्रशिक्षण . .	5	5	1,951	1,867	..	..
आयुर्विज्ञान . .	124	150	6,349	4,413	5,339	6,058
शरीरिक शिक्षा . .	38	38	3,204	2,837	435	512
अध्यापक प्रशिक्षण . .	974	1,034	64,708	73,478	24,806	26,513
तकनीकी औद्योगिक और कला व शिल्प . .	1,207@@	1,261‡	54,544	56,191	25,857	27,426
पशुचिकित्सा विज्ञान .	10	11	1,093	1,065	..	..
अन्य . . .	14	15	1,503	2,493	41	270
भारत .	3,563	3,837	2,72,331	3,05,626	70,117	78,365

@@इसमें 87 पोलीटेकनीक भी शामिल है ।

†इसमें सामान्य शिक्षा के विद्यालयों से समकक्षाएं शामिल नहीं हैं ।

‡इसके 151 पोलीटेकनीक भी शामिल है ।

@इसमें वे छात्र भी शामिल है जो सामान्य शिक्षा के विद्यालयों से संबद्ध कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और जो विद्यालय का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं ।

सारणी LXXXIV —विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों के आंकड़े —(जारी)

विद्यालय का प्रकार	व्यय		(1959–60) में निम्नलिखित आय स्त्रोतों से पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत					प्रतिछात्र वार्षिक औसत खर्च	
	1958–59	1959–60	सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फ़ीस	धर्मस्व	अन्य आय स्त्रोत	1958–59	1959–60
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कृषि	36,22,912	37,92,851	90.4	..	1.4	..	8.2	488.9	496.5
वाणिज्य	37,86,731	42,75,577	5.2	0.0	87.2	1.7	5.9	38.6	37.3
इंजीनीयरी	1,42,27,623	1,78,76,899	72.3	..	22.6	1.7	3.4	446.4	475.8
वन विज्ञान	1,22,046	48,494	93.9	..	..	..	6.1	515.0	314.9
नौ.-प्रशिक्षण	15,07,350	14,29,800	85.2	..	5.7	8.1	1.0	674.4	765.8
आयुर्विज्ञान	28,92,670	41,78,113	70.1	3.2	8.0	2.1	16.6	311.4	457.4
शारीरिक शिक्षा	3,58,300	5,3,554	45.4	3.9	37.9	4.8	8.0	113.3	182.3
अध्यापक प्रशिक्षण	2,54,28,767	2,77,25,644	89.1	0.3	5.4	1.7	3.5	282.6	311.7
तकनीकी औद्योगिक और कला व शिल्प	2,90,70,298	3,17,29,845	77.5	1.3	10.1	3.7	7.4	361.0	330.2
पशुचिकित्सा	3,04,619	3,04,061	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.4	309.0
अन्य	7,79,087	10,48,930	97.4	..	2.6	..	..	618.3	513.7
भारत	8,21,00,403	9,29,13,868	77.1	0.7	14.2	2.4	5.6	252.4	256.8

वन विज्ञान, नौ प्रशिक्षण, आयुर्विज्ञान शारीरिक शिक्षा और पशुचिकित्सा विज्ञान को छोड़कर शेष सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई । वाणिज्य में सबसे अधिक विद्यार्थी थे । इसके बाद क्रमश: अध्यापक प्रशिक्षण तथा तकनीकी, औद्योगिक और कला व शिल्प के विषयों के नाम आते हैं । व्यावसायिक शिक्षा के लिये कुल मिलकर जितने छात्र भर्ती हुए थे उनमें 50 प्रतिशत विद्यार्थी अकेले, वाणिज्य का अध्ययन कर रहे थे ।

व्यय

संबद्ध कक्षाओं पर हुये खर्च को छोड़कर व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों का कुल प्रत्यक्ष खर्च 8,21,00,403 रु० से बढ़कर 9,29,13,868 हो गया । इस प्रकार पिछले वर्ष के 13.8 प्रतिशत की तुलना में यह खर्च 13.1 प्रतिशत बढ़ गया । यह खर्च सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं पर किए गए कुल प्रत्यक्ष खर्च का 4.1 प्रतिशत था । विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार व्यय का विभाजन इस प्रकार था: सरकारी निधियां 77.1 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों की निधियां 0.7 प्रतिशत, धर्मस्व 2.4 प्रतिशत, और अन्य आय-स्रोत 5.6 प्रतिशत । पिछले वर्ष के उपर्युक्त आंकड़े क्रमश : 76.7, 1.1, 13.8, 2.8 और 5.6 प्रतिशत थे । व्यावसायिक व तकनीकी विद्यालयों पर कुल मिलाकर जितना प्रत्यक्ष व्यय किया गया उसका 34.1 प्रतिशत तकनीकी, औद्योगिक, कला व शिल्प के विद्यालयों पर, 29.8 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों पर और 19.2 प्रतिशत इंजिनियरी विद्यालयों पर खर्च हुआ था । शेष सभी प्रकार के विद्यालयों पर कुल मिलाकर केवल 16.9 प्रतिशत खर्च हुआ । इनमें से सबसे कम (0.1 प्रतिशत) खर्च वन-विज्ञान विद्यालयों पर और सबसे अधिक (4.6 प्रतिशत) वाणिज्य विद्यालयों पर हुआ । इन विद्यालयों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक शिक्षा व्यय 252.4 रु० से बढ़कर 256.8 रु० हो गया । सबसे अधिक प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च (765.8 रु०) नौ प्रशिक्षण विद्यालयों में हुआ और सबसे कम प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च (37.3 रु०) वाणिज्य विद्यालयों में हुआ ।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के सभी व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों के सम्मिलित आंकड़े सारणी (LXXXV) में दिये गये हैं ।

अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों छोड़कर शेष सभी प्रकार के तकनीकी और व्यावसायिक विद्यालयों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा हैं । अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों के बारे में बहुत कुछ पिछले अध्याय में विस्तारपूर्वक बताया जा चुका है ।

कृषि विद्यालय

कृषि विद्यालयों की संख्या में 2 की कमी हो गई और इस तरह उनकी संख्या 100 रह गई बिहार और मैसूर में एक-एक विद्यालय और उत्तर प्रदेश में 3 विद्यालय बढ़ गये । जबकि बम्बई और उड़ीसा में क्रमश: छ: और एक विद्यालय कम हो गये । कुल कृषि विद्यालयों में से 86 (86.0 प्रतिशत) का प्रबंध सरकार, 8 (8 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं और 6 (6 प्रतिशत) का प्रबन्ध वे गैर-सरकारी संस्थाएं करती थीं जो सहायता-प्राप्त नहीं थी । संबद्ध कक्षाओं के छात्रों को मिलाकर इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 7,411 से बढ़कर 7,639 हो गई; अर्थात, 3.1 प्रतिशत बढ़ गई । इन विद्यालयों पर किया गया कुल-प्रत्यक्ष व्यय 36,22,912 रु० से बढ़कर 37,92,851 रु० हो गया । विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियों 90.4 प्रतिशत, फीस 1.4 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 8.2 प्रतिशत । इन विद्यालयों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक शिक्षा व्यय 488.9 रु० से बढ़कर 496.5 रु० हो गया ।

सारणी LXXXV—विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या*		छात्रों की संख्या@ लड़के		लड़कियां	
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश . . .	311	364	24,456	29,676	3,486	4,937
आसाम . . .	89	97	6,724	7,170	854	1,081
बिहार . . .	190	217	17,042	22,679	1,922	3,067
गुजरात . . .	**	279	**	20,601	**	6,614
महाराष्ट्र . . .	946	799	61,433	51,988	22,854	20,881
जम्मू और काश्मीर . . .	8	9	260	408	199	187
केरल . . .	144	174	7,957	9,960	4,113	4,580
मध्य प्रदेश . . .	161	155	9,941	10,062	1,313	1,472
मद्रास . . .	590	515	44,278	40,642	13,132	11,177
मैसूर . . .	274	246	26,559	29,041	3,842	4,102
उड़ीसा . . .	110	124	6,032	6,955	418	499
पंजाब . . .	120	149	11,538	11,456	4,525	5,317

राजस्थान . .	36	51	3,733	6,084	164	206
उत्तर प्रदेश . .	224	276	16,433	19,523	3,391	4,212
पश्चिमी बंगाल . .	311	326	32,242	34,697	8,730	8,802
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	33	24	5	11
दिल्ली . . .	8	10	2,403	3,108	625	512
हिमाचल प्रदेश . .	2	3	150	231	46	25
मनिपुर . .	5	10	229	516	22	74
त्रिपुरा . . .	25	28	493	665	338	486
उपूसी (नेफा) . .	1	1	25	20	3	..
पांडिचेरी . .	6	2	370	120	135	123
भारत .	3,563	3,837	2,72,331	3,05,626	70,117	78,365

*इसमें वे कक्षाएं शामिल नहीं है जो सामान्य शिक्षा के विद्यालयों से संबद्ध हैं।

@इसमें संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

**इसके आंकड़े महाराष्ट्र के सामने दिये हुये आंकड़े में शामिल हैं।

सारणी LXXXV—विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक और तकनीकी विद्यालयों के आंकड़े—(जारी)

राज्य	व्यय		(1959–60) में निम्नलिखित आय स्रोतों से पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत				
	1958–59	1959–60	सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फीस	धर्मस्व	अन्य आय स्रोत
1	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश . .	58,90,750	72,44,131	81.6	0.3	9.3	7.8	1.0
आसाम . . .	31,77,868	29,14,266	90.0	0.3	8.8	0.3	0.6
बिहार . . .	63,15,454	80,77,583	95.8	0.1	1.6	0.0	2.5
गुजरात . . .	**	54,80,796	80.2	0.5	12.9	1.9	4.5
महाराष्ट्र . . .	1,91,07,097	1,69,10,615	68.9	1.1	18.0	0.8	11.2
जम्मू और काश्मीर . .	4,12,531	5,89,391	98.4	0.0	0.0	..	1.6
केरल . . .	20,67,801	31,40,279	73.3	0.0	22.0	0.1	4.6
मध्य प्रदेश . . .	57,22,378	64,07,478	95.6	0.0	2.4	0.3	1.7
मद्रास . . .	68,81,072	51,57,344	39.0	3.0	31.3	18.6	8.1
मसूर . . .	47,97,154	57,50,284	76.8	..	20.1	..	3.1
उड़ीसा . . .	21,62,912	22,90,493	86.0	0.0	11.4	1.4	1.2
पंजाब . . .	49,09,877	54,36,323	66.6	0.2	19.6	5.2	8.4

21—5 M of Edu./65

राजस्था . . .	24,44,098	29,77,484	94.2	0.0	4.4	0.3	1.1
उत्तर प्रदेश . . .	81,13,135	90,84,217	78.2	1.6	12.6	0.2	7.4
पश्चिमी बंगाल . .	85,66,506	90,35,231	66.9	1.1	23.5	1.4	7.1
अंडमान और निकोबार द्वीप समह .	18,255	26,990	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
दिल्ली . . .	9,76,254	15,72,475	99.2	0.0	0.0	0.0	0.8
हिमाचल प्रदेश . .	71,161	1,14,446	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
मनिपुर . . .	1,15,095	2,17,047	98.2	0.0	0.3	0.5	1.0
त्रिपुरा . . .	2,05,719	3,30,040	75.6	0.0	1.6	..	22.8
उपूसी (नेफ़ा) . . .	1,03,421	1,02,658	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पाँडिचेरी . . .	41,865	54,297	97.8	0.0	2.2	0.0	0.0
भारत .	8,21,00,403	9,29,13,868	77.1	0.7	14.2	2.4	5.6

*इसमें वे कक्षाएं शामिल नहीं है जो सामान्य शिक्षा क विद्यालयों से संबद्ध हैं।
@उसमें संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।
**इसके आकड़े महाराष्ट्र के सामने दिये हुये आकड़ों में शामिल हैं।

सारणी—LXXXVI कृषि विद्यालयों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या† लड़के	लड़कियां	जोड़	व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च
1	2	3	4	5	6	7
					रु०	रु०
आसाम . . .	1	105	..	105	79,117	753.5
बिहार . . .	18	1,529	11	1,540	6,88,995	447.4
गुजरात . . .	9	515	..	515	3,52,230	683.9
महाराष्ट्र . . .	28	2,306	2	2,308	14,64,896	634.7
मध्य प्रदेश . .	21	743	6	749	99,702	133.1
मैसूर . . .	8	692	56	748	5,92,330	791.9
राजस्थान . .	1	109	..	109	35,091	321.9
उत्तर प्रदेश . .	11	1,300	..	1,300	3,78,827	291.4
पश्चिमी बंगाल . . .	2	160	..	160	82,027	592.7
त्रिपुरा . . .	1	105	..	105	19,646	187.1
भारत .	100	7,564	75	7,639	37,92,851	496.5

†इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

विभिन्न राज्यों के विद्याल यों के आंकड़े सारणी (LXXXVI) में दिये गये हैं ।

वाणिज्य विद्यालय

वाणिज्य विद्यालयों की संख्या 966 से बढ़कर 1,095 हो गई, अर्थात् 13.4 प्रतिशत बढ़ गई। बड़े-बड़े राज्यों में जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोई भी वाणिज्य विद्यालय नहीं था : शेष सभी राज्यों में केरल को छोड़कर इन विद्यालयों की संख्या बढ़ गई। केरल में 4 विद्यालय कम हो गये। सबसे अधिक वृद्धि : (63) बम्बई और सबसे कम (2) आसाम में हुई। कुल वाणिज्य विद्यालयों में से केवल 9 (0.8 प्रतिशत) विद्यालयों का प्रबन्ध सरकार कर रही थी और बाकी 1,086 (99.2 प्रतिशत) का प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाएं कर रही थी इन विद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध वाणिज्य कक्षाओं में पढ़नेवाले छात्रों की कुल संख्या 98,754 (85,266 लड़के और 13,488 लड़कियां) से बढ़कर 115,057 (97,880 लड़के और 17,777 लड़कियां) हो गई, अर्थात् वह 16.5 प्रतिशत (14.8 प्रतिशत लड़के और 27.4 प्रतिशत लड़कियां) बढ़ गयी। केरल, उड़ीसा और पंजाब को छोड़कर शेष सभी राज्यों में यह संख्या बढ़ी । केरल में छात्र इसलिये कम हुए कि वहां विद्यालयों की संख्या घट गयी थी। वाणिज्य विद्यालयों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 37,86,721 रु० से बढ़कर 42,75,677 हो गया, अर्थात् 12.9 प्रतिशत बढ़ गया। विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार उसका विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियां 5.2 प्रतिशत, फ़ीस 87.2 प्रतिशत, धर्मस्व 1.7 प्रतिशत और अन्य आयस्रोत 5.9 प्रतिशत। इसमें स्थानीय परिषदों का योगदान प्रायः नहीं के बराबर था। पिछले वर्ष के प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च (38.6 प्रतिशत) की तुलना में आलोच्य वर्ष में प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 37.3 रु० रहा।

विभिन्न राज्यों के इन विद्यालयों के आंकड़े (LXXXVII) में दिये गये हैं।

इंजीनिअरी विद्यालय

आलोच्य वर्ष में इंजीनियरी विद्यालयों की संख्या 118 से बढ़ कर 124 हो गई। विभिन्न राज्यों में विद्यालयों की संख्या इस प्रकार बढ़ी : पंजाब में (6) आंध्र प्रदेश और केरल हरेक में (चार-चार) तथा पश्चिमी बंगाल और मनीपुर दोनों में एक-एक विद्यालय बढ़ गया। बिहार में 2 नये विद्यालय खोले गये और 5 विद्यालय बन्द कर दिये गये। इस प्रकार कुल मिलाकर वहां 3 विद्यालय कम हो गए। उत्तर प्रदेश और बम्बई में भी क्रमशः 4 और 3 विद्यालय कम हो गये। शेष बड़े-बड़े राज्यों में जम्मू व कश्मीर ही ऐसा राज्य था जिसमें--किसी इंजीनियरी विद्यालय के विषय में सूचना नहीं मिली। कुल विद्यालयों में से 69 (55.6 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार और 55 (44.4 प्रतिशत) का प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी। आलोच्य वर्ष में इंजीनियरी विद्यालयों तथा इंजीनियरी कालेजों व तकनीकी और औद्योगिक विद्यालयों से संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 58,018 (57,684 लड़के और 334 लड़कियां) थी, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 47,216 (47,118 लड़के और 98 लड़कियां) थीं। इससे पता लगता है कि छात्रों की संख्या में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह संख्या आसाम, उत्तर प्रदेश और अन्डमान व निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर शेष सभी राज्यों में बढ़ी। इंजीनियरी विद्यालयों का कुल प्रत्यक्ष खर्च 1,42,27,623 रु० से बढ़कर 1,78,76,899 रु० हो गया, अर्थात् 25.6 प्रतिशत बढ़ गया। विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था :-- सरकारी निधियां 72.3 प्रतिशत, फीस 22.6 प्रतिशत, धर्मस्व 1.7 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 3.4 प्रतिशत। इन विद्यालयों में प्रतिछात्र औसत-वार्षिक खर्च 446.4 रु० से बढ़कर 475.8 रु० हो गया।

इन विद्यालयों के राज्यवार आंकड़े सारणी (LXXXVIII) मे दिये गये हैं।

सारणी LXXXVII—वाणिज्य विद्यालयों के आंकडे

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या† लड़के	लड़कियां	जोड़	व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
1	2	3	4	5	6	7
					रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश . .	179	10,563	785	11,348	4,42,579	39.0
आसाम . . .	25	2,541	392	2,933	1,63,770	55.8
बिहार . . .	23	2,511	53	2,564	1,11,394	43.4
गुजरात . . .	55	8,276	837	9,113	2,17,778	23.9
महाराष्ट्र . . .	198	18,998	5,378	24,376	10,59,390	43.9
केरल . . .	7	374	101	475	39,600	83.3
मध्य प्रदेश . .	1	31	..	31	2,396	77.3
मद्रास . . .	397	23,468	5,489	28,957	8,61,256	29.7
मैसूर . . .	135	15,333	2,458	17,791	5,01,539	28.2
उड़ीसा . . .	2	34	1	35	5,765	164.7
पंजाब . . .	..	59	..	59	..	..
राजस्थान . .	..	105	..	105	..	..
पश्चिमी बंगाल . .	73	15,587	1,683	17,270	8,70,210	50.5
भारत .	1,095	97,880	17,177	1,15,057	42,75,677	37.3

†इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी LXXXVIII—इंजीनियरी विद्यालयों के आंकड

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या† लड़के	लड़कियां	जोड़	व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
1	2	3	4	5	6	7
					रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश . .	15	7,842	3	7,845	15,40,373	377.1
आसाम . . .	3	894	..	894	6,24,781	698.9
बिहार . . .	11	3,315	..	3,315	18,23,449	590.9
गुजरात . .	1	1,618	..	1,618	2,94,871	556.4
महाराष्ट्र . .	..	7,764	133	7,897	..	..
केरल . . .	13	4,751	142	4,893	12,80,463	360.1
मध्य प्रदेश . .	10	1,937	..	1,937	17,53,889	998.2
मद्रास . . .	2	3,444,	..	3,444	2,39,507	305.9
मैसूर . . .	3	5,345	..	5,345	3,09,934	603.0
उड़ीसा . .	5	1,653	..	1,653	8,27,623	500.7
पंजाब . . .	12	4,030	..	4,030	15,90,839	394.7
राजस्थान . .	3	694	..	694	4,15,235	675.2
उत्तर प्रदेश . .	20	4,713	56	4,769	22,29,010	650.6
पश्चिमी बंगाल . .	21	7,345	..	7,345	38,76,408	356.5
दिल्ली . . .	2	1,975	..	1,975	7,49,554	580.6
हिमाचल प्रदेश . .	..	56	..	56	..	..
मनिपुर . . .	2	201	..	201	1,47,212	732.4
त्रिपुरा . . .	1	107	..	107	73,751	689.3
भारत .	124	57,684	334	58,018	1,78,76,899	475.8

†इसमें उन छात्रों की संख्या भी शामिल है जो सम्बद्ध कक्षाओं में पढ़ते हैं।

वनविज्ञान विद्यालय

वनविज्ञान के विद्यालय केवल बम्बई में थे । आसाम और मध्य प्रदेश के विद्यालयों के बारे में कोई सूचना नहीं मिली कि वे शिक्षा संस्थाओं के रूप में विद्यमान है या नहीं । आलोच्य वर्ष में वनविज्ञान विद्यालयों की कुल संख्या 5 से घट कर 4 हो गई । मध्य प्रदेश में एक विद्यालय की जो कमी हुई वह बम्बई में एक नये विद्यालय के खुल जाने से पूरी हो गयी । इन सब विद्यालयों का प्रबन्ध सरकार करती थी । पिछले साल भर्ती किये गये 237 छात्रों की तुलना में आलोच्य वर्ष में इन विद्यालयों में 154 छात्र (सभी लड़के) भर्ती किये गये । इनका कुल प्रत्यक्ष व्यय भी 1,22,046 रु० से घटकर 48,494 रु० हो गया । छात्रों की संख्या और व्यय में कमी इस कारण हुई कि मध्य प्रदेश का जो बड़ा विद्यालय बन्द कर दिया गया था वह काफी बड़ा था । अतः बम्बई का नया विद्यालय भी इस कमी को पूरा नहीं कर सका । कुल प्रत्यक्ष व्यय का 93.9 प्रतिशत सरकार ने पूरा किया और बाकी 6.1 प्रतिशत व्यय अन्य आय-श्रोतों से पूरा किया गया । आलोच्य वर्ष में वनविज्ञान कालिजों की प्रतिछात्र औसत वार्षिक शिक्षा व्यय 314.9 रु० रहा जबकि पिछले साल यह खर्च 515.0 रु० था ।

इन विद्यालयों के राज्यवार आंकड़े सारणी (LXXXIX) में दिये गये हैं ।

नौ-प्रशिक्षण विद्यालय

देश में 5 नौ-प्रशिक्षण विद्यालय थे ; आंध्र प्रदेश और बम्बई में दो-दो, और पश्चिमी बंगाल में एक । इनमें से 4 का प्रबन्ध सरकार और एक का प्रबन्ध एक ग़ैर-सरकारी संस्था करती थी । आलोच्य वर्ष में इन विद्यालयों में 1,867 कॅडिट भर्ती किये गये, जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 1,951 थी । इन विद्यालयों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 15,07,350 रु० से घट कर 14,29,800 रु० हो गया । अर्थात् 5.1 प्रतिशत कम हो गया । यह व्यय इस प्रकार पूरा किया गया : सरकारी निधियों से 85.2 प्रतिशत, फीस से 5.7 प्रतिशत, धमस्व से 8.1 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोतों से 1.0 प्रतिशत । इन विद्यालयों में प्रति छात्र औसत

सारणी LXXXIX—वनविज्ञान विद्यालयों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय	औसत
		लड़के	लड़कियां	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
गुजरात . .	2	69	..	69	34,925	506.2
महाराष्ट्र . .	2	85	..	85	13,569	159.6
जोड़ .	4	154	..	154	48,494	314.9

सारणी XC—नौ प्रशीक्षण विद्यालयों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय	औसत
		लड़के	लड़कियां	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश . .	2	665	..	665	4,71,777	709.4
महाराष्ट्र . .	1	157	..	157	4,99,881	3,184.0
गुजरात . .	1	518	..	518	1,29,824	250.6
पश्चिमी बंगाल .	1	527	..	527	3,28,318	623.0
जोड़ .	5	1,867	..	1,867	14,29,800	765.8

वार्षिक शिक्षा-व्यय 765.8 रु० रहा, जबकि–पिछले वर्ष यह 674.4 रु० था ।

इन विद्यालयों के राज्यवार आंकड़े सारणी XC में दिये गये हैं ।

आयुर्विज्ञान विद्यालय

बम्बई, मध्यप्रदेश, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा दिल्ली, मनिपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों में आयुर्विज्ञान के विद्यालय विद्यमान थे । इसके अतिरिक्त कुछ आयुर्विज्ञान कालेजों के साथ विद्यालयों की कक्षाएं भी संबध्द थीं । आयुर्विज्ञान के विद्यालयों में 26 की वृद्धि हो जाने से उनकी संख्या कुल मिलाकर 150 हो गई । इनकी संख्या इस प्रकार बढ़ी : बम्बई (6) मैसूर (9) पंजाब (10) और मनिपुर (1) । पंजाब में यद्यपि दो आयुर्विज्ञान विद्यालयों को, नया वर्गीकरण करके, कालेजो की श्रेणी में रख दिया गया, फिर विभिन्न अस्पतालों से संबद्ध विद्यालय कक्षाओं को आयुर्विज्ञान विद्यालयों के रूप में ज्ञापित किया गया । इस प्रकार कुल मिलाकर 10 विद्यालय बढ़े । आयुर्विज्ञान के कुल विद्यालयों में से 89 (59.4 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 32 (21.3 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता प्राप्त ग़ैर-सरकारी संस्थाएं, 24 (16.0 प्रतिशत) का प्रबंध सहायता न पाने वाली ग़ैर-सरकारी संस्थाएं और 5 (3.3 प्रतिशत) का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाएं करती थीं । इन विद्यालयों और आयुर्विज्ञान कालेजों की संबद्ध विद्यालय-कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1958-59 की 10,688 (5,349 लड़के और 5,339 लड़कियां) से घटकर 1959-60 में 10,471 (4,413 लड़के और 6,058 लड़कियां) हो गई, अर्थात् 2.0 प्रतिशत कम हो गई । (संबद्ध कक्षाओं को छोड़कर बाकी) आयुर्विज्ञान विद्यालयों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 28,92,670 से बढ़कर 41,78,113 हो गया, अर्थात् 44.4 प्रतिशत बढ़ गया । विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियां 70.1 प्रतिशत स्थानीय परिषदों की निधियां 3.2 प्रतिशत, फ़ीस 8.0 प्रतिशत, धर्मस्व 2.1 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 16.6 प्रतिशत । इन विद्यालयों का प्रति-छात्र औसत वार्षिक शिक्षा-व्यय 311.4 रु० से बढ़कर 457.4 रु० हो गया ।

राज्यों के अनुसार इन विद्यालयों के विस्तृत आंकड़े सारणी XCI में दिये गये हैं ।

शारीरिक शिक्षा विद्यालय

शारीरिक शिक्षा विद्यालय केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा में ही थे । सन् 1959–60 में इनकी कुल संख्या 38 थी । पिछले वर्ष भी इतने ही विद्यालय थे । बिहार में एक विद्यालय कम हो गया परन्तु बम्बई में एक और विद्यालय खुलने से यह कमी पूरी हो गयी । इन विद्यालयों में से 2 का प्रबन्ध सरकार, 1 का प्रबन्ध स्थानीय परिषदें,

सारणी XCI—आयुर्विज्ञान विद्यालयों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या* लड़के	लड़कियां	जोड़	व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
1	2	3	4	5	6	7
					रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश	..	229	2	231	..	..
गुजरात	20	48	985	1,033	3,65,144	353.5
महाराष्ट्र	71	1,483	3,193	4,676	22,84,806	488.6
केरल	..	152	28	180	..	..
मध्य प्रदेश	5	48	112	160	52,762	329.8
मद्रास	..	198	5	203	..	..
म्हैसूर	21	382	536	918	2,96,071	322.5
पंजाब	17	351	610	961	5,86,437	668.7
राजस्थान	..	141	7	148	..	..
उत्तर प्रदेश	2	172	2	174	17,861	279.1
पश्चिमी बंगाल	10	815	308	1,123	4,40,781	397.8
दिल्ली	1	361	130	491	1,32,594	1060.8
मनिपुर	2	33	45	78	†	†
त्रिपुरा	1	..	95	95	1,657	17.4
भारत	150	4,413	6,058	10,471	41,78,113	457.4

*इसमें उन छात्रों की संख्या भी शामिल है जो संबद्ध कक्षाओं में पढ़ते हैं।
†प्राप्त नहीं हैं।

सारणी XCII—शारीरिक शिक्षा विद्यालयों के आकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या*			व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़कियां	जोड़		
1	2	3	4	5	6	
					रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश . . .	1	118	5	123	25,061	253.1
बिहार	1	3	..	3	3,435	1,145.0
गुजरात	3	268	70	338	98,982	292.8
महाराष्ट्र . . .	12	404	210	614	1,94,471	316.7
मध्य प्रदेश . . .	2	163	32	195	68,297	350.2
मद्रास	1	407	137	544	26,595	385.4
मैसूर	17	1,349	58	1,407	67,020	47.6
उड़ीसा	1	37	..	37	19,693	532.2
राजस्थान . . .	..	38	..	38	..	..
उत्तर प्रदेश . . .	..	50	..	50	..	..
भारत .	38	2,837	512	3,349	5,03,554	182.3

*इसमें सम्बध्द कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

सारणी XCIII—तकनीकी औद्योगिक पोलीटेकनीक और कला व शिल्प विद्यालयों के आंकडे

राज्य	संस्थाओं की संख्या†	छात्रों की संख्या* लड़के	लड़कियां	जोड़	व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
1	2	3	4	5	6	7
					रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश	36	1,445	616	2,061	18,27,153	317.9
आसाम	33	1,666	286	1,952	12,70,728	679.5
बिहार	54	5,321	890	6,211	19,10,464	309.1
गुजरात	122	4,473	2,834	7,307	22,16,190	303.3
महाराष्ट्र	315	8,528	6,840	15,368	68,67,965	329.4
केरल	78	1,581	1,928	3,509	9,76,142	201.4
मध्य प्रदेश	65	1,602	507	2,109	7,89,406	344.9
मद्रास	90	8,155	1,317	9,472	37,39,993	333.5
मैसूर	37	3,204	251	3,455	24,08,316	308.5
उड़ीसा	46	1,733	378	2,111	9,88,374	472.7

पंजाब	97	4,736	2,242	6,978	25,68,654	370.7
राजस्थान	8	979	2	981	4,32,632	441.0
उत्तर प्रदेश	87	3,226	2,370	5,596	19,68,259	389.0
पश्चिमी बंगाल	158	8,388	6,219	14,607	28,24,574	267.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह . .	1	16	..	16	14,785	924.1
दिल्ली	6	634	239	873	6,15,778	487.9
हिमाचल प्रदेश	1	..	..	..	35,312	630.6
मनिपुर	1	25	17	42	6,038	143.8
त्रिपुरा	24	359	367	726	2,14,785	295.8
पांडिचेरी	2	120	123	243	54,297	223.4
भारत .	1,261	56,191	27,426	83,617	3,17,29,845	330.2

*इसमें सम्बद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

†इसमें पोलिटेकनीक भी शामिल है।

32 का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं और 3 का प्रबन्ध, वे गैर-सरकारी संस्थाएं करती थीं जो सहायता-प्राप्त नहीं थीं। आलोच्य वर्ष में इन विद्यालयों और शारिरीक शिक्षा कालेजों से संबद्ध विद्यालय-कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3,349 (2,837 लड़के और 512 लड़कियां) रहीं, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 3,639 (3,204 लड़के और 435 लड़कियां) थी। इस प्रकार छात्रों की संख्या 8.0 प्रतिशत कम हो गई। बिहार में इनकी संख्या 176 कम हो गई। वहां के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों से कोई भी—अध्यापक शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा गया। मैसूर में यह कमी एक बड़े विद्यालय के बन्द हो जाने से हुई, और इस कमी को एक नया विद्यालय खोल कर भी पूरा नहीं किया जा सका। बम्बई, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में छात्र संख्या में जो कमी हुई, वह अधिक नहीं थी। इन विद्यालयों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 3,58,300 रु० से बढ़कर 5,03,554 रु० हो गया। विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियां 45.4 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों की निधियां 3.9 प्रतिशत, फीस 37.9 प्रतिशत, धर्मस्व 4.8 प्रतिशत और दूसरे आय-स्रोत 8.0 प्रतिशत। इन विद्यालयों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 113.3 रु० से बढ़कर 182.3 रु० हो गया।

विभिन्न राज्यों के शारिरीक शिक्षा, विद्यालयों के आंकड़े सारणी XCII में दिये जा रहे हैं।

तकनीकी, औद्योगिक तथा कला व शिल्प (और बहुधंधी) विद्यालय

आलोच्य वर्ष में (बहुधंधी संस्थानों को मिलाकर) तकनीकी, औद्योगिक और कला व शिल्प के विद्यालयों की संख्या 1,207 से बढ़कर 1,261 हो गई अर्थात् वह 4.5 प्रतिशत बढ़ गई। इन विद्यालयों को संख्या मैसूर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में बढ़ी। आलोच्य वर्ष में हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुधंधी विद्यालय खुला। मैसूर में इनकी संख्या कम हो जाने का कारण वहां औद्योगिक और कला व शिल्प विद्यालयों का एकीकरण किया जाना था। जम्मू और कश्मीर, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह और उपुसी (नेफा) में तकनीकी, औद्योगिक और कला व शिल्प का कोई विद्यालय नहीं था। सबसे अधिक नये विद्यालय (32) बम्बई में खुले। इसके बाद क्रमश: इनके नाम आते हैं, पंजाब (14), केरल (8), मद्रास (7), आसाम (6), उत्तर प्रदेश (5), आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान हरेक में (4), उड़ीसा और दिल्ली हरेक में (3), पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा हरेक में (2) और हिमाचल प्रदेश में (1), अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह (1), मनिपुर (1) और पांडिचेरी (1) में विद्यालयों की संख्या में कोई घटा-बढ़ी नहीं हुई। इन सभी विद्यालयों में से 604 (47.9 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 21 (1.7 प्रतिशत) का प्रबन्ध स्थानीय परिषदें, 523 (41.5 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं और 113 (8.9 प्रतिशत) का प्रबन्ध वे गैर-सरकारी संस्थाए करती थीं जिन्हें सहायता प्राप्त नहीं थी। पिछले साल की 80,401 छात्र संख्या (54,544 लड़के और 25,857 लड़कियां) की तुलना में सन् 1959–60 में इन विद्यालयों और दूसरी संस्थाओं की संबद्ध कक्षाओं में पड़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़कर 83,617 (56,191 लड़के और 27,426 लड़कियां) हो गई। इस प्रकार इनमें 4.0 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष 9.4 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, मनिपुर और पांडिचेरी को छोड़कर शेष सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। इन तकनीकी, औद्योगिक और कला व शिल्प के विद्यालयों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय 2,90,70,298 रु० से बढ़कर 3,17,29,845 रु० हो गया, अर्थात् 9.1 प्रतिशत बढ़ गया। विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इस व्यय का विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियां 77.5 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों की निधियां 1.3 प्रतिशत, फ़ीस 10.1 प्रतिशत, धर्मस्व 3.7 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 7.4 प्रतिशत। आलोच्य वर्ष में प्रतिछात्र औसत बार्षिक खर्च 361.6 रु० से घटकर 330.2 रु० हो गया।

विभिन्न राज्यों के तकनीकी औद्योगिक और कला व शिल्प के विद्यालयों के आंकड़े सारणी XCIII में दिये जा रहे हैं ।

पशुचिकित्सा-विज्ञान विद्यालय

पशुचिकित्सा विद्यालय केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई और मनिपुर में थे । पंजाब में पशु-चिकित्सा विज्ञान के एक कालेज की संबध्द कक्षाओं में पशुचिकित्सा—विज्ञान के पढ़ाने की व्यवस्था थी । आलोच्य वर्ष में, पशुचिकित्सा विज्ञान विद्यालयों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई । बम्बई और मनिपुर में क्रमशः 2 और 1 विद्यालय और खुले, जबकि पंजाब में दो विद्यालय बन्द कर दिये गये । इन सभी 11 विद्यालयों का प्रबन्ध सरकार करती थी । इन विद्यालयों और संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 1,093 से घटकर 1,065 (अर्थात् 2.6 प्रतिशत कम) हो गई । सबसे अधिक कमी पंजाब और राजस्थान में हुई । पशुचिकित्सा विज्ञान विद्यालयों का कुल प्रत्यक्ष व्यय भी कुछ घट गया, अर्थात् वह 3,04,619 रु० से घटकर 3,04,061 रु० हो गया । यह सारा खर्च सरकार ने दिया, परन्तु इन विद्यालयों का प्रति वार्षिक औसत शिक्षा व्यय 300.4 रु० से बढ़कर 309.0 रु० हो गया ।

विभिन्न राज्यों के पशुचिकित्सा विज्ञान विद्यालयों के आंकड़े सारणी XCIV में दिये जा रहे हैं ।

वृत्तिक और तकनीकी कालेज

वृत्तिक और तकनीकी कालेजों की कुल संख्या 542 से बढ़कर 725 हो गई, अर्थात् उनकी संख्या में 33.8 प्रतिशत वृद्धि हुई । पिछले साल इनकी संख्या में 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । इस संख्या में विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों की संख्या और कला तथा विज्ञान कालजों से संबद्ध वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा की कक्षाओं की संख्या शामिल नहीं है । इन कुल कालेजों में से 359 (49.5 प्रतिशत) कालेजों का प्रबन्ध सरकार, 271 (37.4 प्रतिशत) का प्रबंध सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं, 92 (12.7 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता न पाने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं और केवल 3 (0.4 प्रतिशत) का प्रबन्ध स्थानीय परिषदें करती थीं । शिक्षा के विषयों के अनुसार इनका विभाजन इस प्रकार था : अध्यापक प्रशिक्षण 401 (55.3 प्रतिशत), आयुर्विज्ञान 118 (16.3 प्रतिशत), इंजीनियरी 57 (7.9 प्रतिशत), वाणिज्य 35 (4.8 प्रतिशत), विधि 34 (4.7 प्रतिशत), कृषि 32 (4.4 प्रतिशत), पशुचिकित्सा विज्ञान 17 (2.3 प्रतिशत), शारीरिक शिक्षा 16 (2.2 प्रतिशत), औद्योगिकी 10 (1.4 प्रतिशत), अन्य 2 (0.3 प्रतिशत) । वाणिज्य, वन विज्ञान और पशुचिकित्सा विज्ञान के कालेजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई । अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की संख्या में बहुत ही अधिक वृद्धि (167) हुई । इसका मुख्य कारण यह था कि कुछ विद्यालयों को पिछले अध्याय में बताई गयी कार्य-पद्धति के अनुसार नये सिरे से अवर-स्नातक कालेजों की स्रेणी में रख दिया गया ।

इसके अतिरिक्त कालेजों की संख्या में क्रमशः इस प्रकार वृद्धि हुई : आयुर्विज्ञान कालेज 8, कृषि कालेज 4, विधि कालेज 2 और इंजीनियरी कालेज, शारीरिक शिक्षा कालेज, तथा औद्योगिकी कालेज प्रत्येक में एक एक ।

छात्र

कालेजों, विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों कला व विज्ञान कालेजों और अनुसन्धान से संबद्ध कक्षाओं में वृत्तिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 2,01,689 (1,85,784 लड़के और 15,905 लड़कियां) से बढ़कर 2,38,083 (2,15,740 लड़के और 22,343 लड़कियां) हो गई । पिछले साल की 10.7 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस वर्ष की संख्या में 18.0 प्रतिशत (लड़कों की 16.1 प्रतिशत और लड़कियां की 40.0 प्रतिशत) वृद्धि हुई ।

सारणी CXIV—पशु चिकित्सा विज्ञान विद्यालयों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्राओं की संख्या*		जोड़	व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़कियां			
1	2	3	4	5	6	7
					रु०	रु०
आन्ध्र प्रदेश	2	449	..	449	1,15,552	257.4
बिहार	1	152	..	152	96,769	636.6
बम्बई { गुजरात	3	113	..	113	16,319	144.4
बम्बई { महाराष्ट्र	4	270	..	270	75,421	278.6
पंजाब	..	65	..	65	..	..
पश्चिमी बंगाल	..	4	..	4	..	..
मनिपुर	1	12	..	12	†	†
भारत	11	1,065	..	1,065	3,04,061	309.0

*इसमें सम्बद्ध कक्षाओं के पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।
† प्राप्त नहीं।

सारणी XCV—विभिन्न प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के आंकड़े

कालेज का प्रकार	संस्थाओं की संख्या*		छात्रों की संख्या†				व्यय	
	1958-59	1959-60	लड़के		लड़कियां		1958-59	1959-60
			1958-59	1959-60	1958-59	1959-60		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							रु०	रु०
कृषि	29	32	10,776	13,170	95	125	96,68,781	1,06,90,277
वाणिज्य	35	35	66,002	73,806	580	680	46,18,560	46,52,789
इंजीनियरी	56	57	31,710	36,051	110	156	3,12,59,013	3,30,89,011
वन विज्ञान	3	3	559	614	..	..	7,80,311	8,13,348
विधि	32	34	23,458	25,277	597	648	22,49,992	25,04,260
आयुर्विज्ञान	110	118	26,950	29,484	6,000	7,131	4,40,61,062	5,04,70,924
शारीरिक शिक्षा	15	16	607	655	138	143	7,14,489	8,83,155
अध्यापक प्रशिक्षण	234	401	16,200	25,968	8,222	13,167	1,19,11,870	1,78,81,935
औद्योगिकी	9	10	3,402	4,015	33	20	16,57,817	37,46,277
पशुचिकित्सा	17	17	5,108	5,143	29	36	45,40,131	60,89,182
अन्य	2	2@	1,012	1,557@	101	237	4,63,667	3,63,054@
जोड़	542	725	1,85,784	2,15,740	15,905	22,333	11,19,25,693	13,11,84,212

*इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग और वृत्तिक और तकनीकी विषयों की वे कक्षाएं शामिल नहीं हैं जो कला और विज्ञान के कालेजों से संबद्ध हैं।

†इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग और वृत्तिक और तकनीकी विषयों की कक्षाएं भी शामिल हैं।

@इसमें बम्बई का एक सहकारिता कालेज और पंजाब का एक डेरी विज्ञान का कालेज भी शामिल है।

छात्रों की यह संख्या विश्वविद्यालय स्तर पर सामान्य और वृत्तिक शिक्षा के लिये भर्ती हुये छात्रों की कुल संख्या की 22.8 प्रतिशत थी । अन्य वर्षों की भांति ही सबसे अधिक छात्र अर्थात 74,486 या (31.3 प्रतिशत) वाणिज्य में ही भर्ती हुए । इसके बाद क्रमशः इनके नाम आते हैं : अध्यापक प्रशिक्षण 39,135 (16.4 प्रतिशत), आयुर्विज्ञान 36,615 (15.4 प्रतिशत), इंजीनियरी 36,207 (15.2 प्रतिशत), विधि 25,925 (10.9 प्रतिशत) कृषि 13,295 (5.6 प्रतिशत) पशुचिकित्सा विज्ञान 5,179 (2.2 प्रतिशत), औद्योगिकी 4,035 (1.7) प्रतिशत शारीरिक शिक्षा 7.98 (0.4 प्रतिशत), वनविज्ञान 614 (0.2 प्रतिशत) और दूसरे विषय 1,794 (0.7 प्रतिशत) ।

व्यय

वृत्तिक और तकनीकी कालेजों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 11,19,25,693 रु० से बढ़कर 13,11,84,212 रु० हो गया, अर्थात् वह 17.2 प्रतिशत बढ़ गया । पिछले साल यह वृद्धि 26.7 प्रतिशत थी । खर्च की यह रकम विश्वविद्यालयों और कालेजों पर किये गये कुल प्रत्यक्ष व्यय का 28.0 प्रतिशत और—सभी प्रकार की संस्थाओं को मिलाकर उन पर किये गये कुल प्रत्यक्ष व्यय का 5.8 प्रतिशत थी । विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार इस खर्च का विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियों 69.7 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों की निधियां 1.0 प्रतिशत, फ़ीस 20.9 प्रतिशत, धर्मस्व 3.2 प्रतिशत और दूसरे आय-स्रोत 5.2 प्रतिशत । कुल व्यय में से 38.5 प्रतिशत व्यय आयुर्विज्ञान कालेजों पर, 25.2 प्रतिशत इंजीनियरी कालेजों पर, 13.6 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षण कालजों पर, 8.3 प्रतिशत कृषि कालेजों पर, 4.6 प्रतिशत पशु-चिकित्सा विज्ञान कालेजों पर, 3.5 प्रतिशत वाणिज्य कालेजों पर, 2.9 प्रतिशत औद्योगिकी कालेजों और 1.9 प्रतिशत व्यय विधि कालेजों पर हुआ । शारीरिक शिक्षा, वनविज्ञान, कला व स्थापत्य तथा दूसरे विषयों के कालिजों पर किया गया व्यय कुल मिलाकर प्रत्येक पर 1 प्रतिशत से भी कम रहा ।

सभी प्रकार की शिक्षा पर आय स्रोतों के अनुसार व्यय का विभाजन सारणी XCV के खाना (10) से लेकर (14) तक में दिखाया गया है । सरकार ने वृत्तिक और तकनीकी कालेजों, कृषि, आयुर्विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, औद्योगिकी, पशुचिकित्सा विज्ञान तथा अन्य विषयों पर कुल व्यय का दो तिहाई या अधिक अंशदान किया और इंजीनियरी तथा व्यावहारिक कला और स्थापत्य पर आधे से कुछ अधिक अंशदान किया । शेष प्रकार के कालिजों उदाहरणार्थ —वाणिज्य, वन विज्ञान और विधि कालेजों की शिक्षा—व्यय मुख्यतया फ़ीस से पूरा किया गया ।

सभी प्रकार के वृत्तिक और–तकनीकी कालिजों में प्रतिछात्र औसत खर्च 800.2 रु० से बढ़ कर 863.5 रु० हो गया । सबसे अधिक प्रतिछात्र खर्च औद्योगिकी कालेजों में 2,555.4 रु० और सबसे कम विधि कालेजों में 164.7 रु० रहा । अन्य कालेजों में यह 172.2 रु० (वाणिज्य कालेज) से लेकर 1,483.3 रु० (आयुर्विज्ञान कालेज) के बीच में रहा ।

उत्तीर्ण छात्र

आलोच्य वर्ष में 53,304 छात्रों (47,188 लड़कों और 6,166 लड़कियों) को वृत्तिक डिग्रियां तथा समकक्ष डिप्लोमा दिये गये । पिछले साल डिग्री और डिप्लोमा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 49,250 (43,734 लड़के और 5,516 लड़कियां) थी । ग्रेजुएट (स्नातक) परीक्षा में सबसे अधिक छात्र 15,758 अध्यापक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुये। इसके बाद क्रमशः वाणिज्य (15,059), विधि (6,668), इंजीनियरी (5,885), आयुर्विज्ञान (4,904), कृषि (2,559), पशुचिकित्सा विज्ञान (958), औद्योगिकी (946), शारीरिक शिक्षा (368) और वनविज्ञान (97) के नाम आते हैं ।

सारणी XCV—विभिन्न प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के आंकड़े—(जारी)

कालेज का प्रकार	(1959-60 में) निम्नलिखित आय स्रोतों से पूरे किये खर्च का प्रतिशत					प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च		सन् (1959-60 में) डिग्री और समकक्ष डिप्लोमा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या		
	सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फ़ीस	धमस्व	अन्य आय स्रोत	1958-59	1959-60	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
कृषि . .	75.1	..	12.3	1.2	11.4	1213.6	1134.5	2,542	17	2,559
वाणिज्य . .	17.5	0.0	76.6	2.3	3.6	190.6	172.2	14,931	128	15,059
इंजीनियरी . .	63.5	..	26.2	3.7	6.6	951.3	936.2	5,884	1	5,885
वन विज्ञान . .	17.8	..	82.2	..	..	1506.4	1444.7	97	..	97
विधि . .	4.8	..	88.2	0.0	7.0	158.8	164.7	6,491	177	6,668
आयुर्विज्ञान . .	76.6	2.5	15.0	3.2	2.7	1442.5	1483.3	4,043	861	4,904
शारीरिक शिक्षा .	74.8	..	15.8	5.2	4.2	611.7	671.6	323	45	368
अध्यापक प्रशिक्षण .	75.9	0.0	12.8	5.7	5.6	555.1	412.5	10,839	4,919	15,758
औद्योगिक . .	79.5	0.0	7.0	1.3	12.2	1290.1	2555.4	936	10	946
पशु चिकित्सा . .	85.3	..	10.9	0.0	3.8	931.5	1217.8	952	6	958
अन्य . .	98.0	..	..	..	2.0	..	1349.6	150	2	152
जोड़ .	69.7	1.0	20.9	3.2	5.2	800.2	863.5	47,188	6,166	53,354

सारणी XCVI—वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के राज्यवार आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या*		छात्रों की संख्या†			
			लड़के		लड़कियां	
	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60	1958–59	1959–60
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	27	29	12,197	15,044	920	1,283
आसाम	9	9	3,291	4,126	101	108
बिहार	27	27	13,448	13,872	321	391
गजरात	**	32	**	13,731	**	750
महाराष्ट्र . . .	137	125	35,453	26,709	4,023	4,120
जम्मू और कश्मीर . . .	3	4	270	347	79	121
केरल	26	26	5,745	6.527	892	993
मध्य प्रदेश . . .	34	67	12,288	17,472	633	1,267
मद्रास	35	147	13,448	21,150	1,302	5,217
मैसूर	62	65	13,755	15,425	1,386	1,459
उड़ीसा	17	19	2,182	2,686	151	211

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	33	42	6,549	7,016	2,010	1,859
राजस्थान . . .	19	20	10,705	11,871	242	252
उत्तर प्रदेश . . .	52	53	27,363	29,387	1,682	1,802
पश्चिमी बंगाल . . .	45	45	24,566	25,633	1,457	1,623
दिल्ली . . .	11	10	4,025	4,105	641	791
हिमाचल प्रदेश . . .	1	1	34	38	12	15
मनिपुर	..	..	186	282	4	15
त्रिपुरा	2	2	145	144	8	6
पांडिचेरी	2	2	134	175	41	60
भारत .	542	725	1,85,784	2,15,740	15,905	22,343

*इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग और वृत्तिक और तकनीकी विषयों की वे कक्षाएं शामिल नहीं जो कला और विज्ञान के कालेजों से सबंद्ध हैं।

@इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों और वृत्तिक तथा तकनीकी विषयों की कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

**इसके आंकड़े महाराष्ट्र के सामने दिखाये गये आंकड़े में शामिल हैं।

सारणी XCVI—वृत्तिक और तकनीकी कालजों के राज्यवार आंकड़े—(जारी)

राज्य	व्यय		सन् (1959-60) में निम्नलिखित आय स्रातों स पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत				
	1958-59	1959-60	सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फ़ीस	धर्मस्व	अन्य आय स्रोत
1	8	9	10	11	12	13	14
आन्ध्र प्रदेश . . .	73,19,158	87,13,994	68.5	..	17.0	3.4	11.1
आसाम . . .	22,69,271	26,43,386	87.8	..	11.5	..	0.7
बिहार . . .	64,34,303	68,78,073	69.6	0.0	26.5	3.2	0.7
गुजरात . . .	**	72,85,362	41.7	..	42.6	0.1	15.6
महाराष्ट्र . . .	2,26,41,210	1,85,56,802	56.1	6.7	28.4	0.0	8.8
जम्मू और कश्मीर . .	2,54,479	6,35,401	91.4	..	8.6	..	..
केरल . . .	27,52,222	36,52,847	68.6	..	29.2	..	2.2
मध्य प्रदेश . . .	83,98,656	1,10,96,250	85.3	0.0	11.3	0.5	2.9
मद्रास . . .	1,03,50,763	1,34,09,054	64.6	..	18.9	14.5	2.0
मैसूर . . .	56,82,555	65,97,103	56.8	..	39.7	..	3.5
उड़ीसा . . .	16,73,333	18,97,492	88.6	..	10.3	0.1	1.0

1	8	9	10	11	12	13	14
पंजाब . . .	73,03,423	74,63,338	60.0	0.0	26.0	11.8	2.2
राजस्थान . . .	38,65,051	44,86,083	74.0	..	18.7	5.6	1.7
उत्तर प्रदेश . . .	77,93,882	87,42,949	70.9	0.0	17.9	2.0	9.2
पश्चिमी बंगाल . .	1,57,37,702	1,81,92,405	80.8	0.0	13.5	0.8	4.9
दिल्ली . . .	89,67,359	1,01,49,199	87.6	0.0	8.6	2.0	1.8
हिमाचल प्रदेश . .	54,190	57,873	100.0	..	..	..	..
मनिपुर . . .	..	..	..	..	..	..	..
त्रिपुरा . . .	81,242	79,016	99.8	..	..	..	0.2
पांडिचेरी	3,46,894	6,47,585	94.3	..	5.7	..	.
भारत .	11,19,25,693	13,11,84,212	69.7	1.0	20.9	3.2	5.2

राज्यों के अनुसार सभी प्रकार के वृत्तिक और तकनीकी कालेजों के सम्मिलित आंकड़े सारणी XCVI में दिये गये हैं ।

अध्यापक प्रशिक्षण को छोड़कर शेष हरएक प्रकार की वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। अध्यापक प्रशिक्षण के विषय में सातवें अध्याय में बताया जा चुका है।

कृषि कालेज

आलोच्य वर्ष में कृषि कालेजों की कुल संख्या 29 से बढ़कर 32 हो गई । इन कालेजों के अलावा, कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और कला तथा विज्ञान के कुछ कालेजों की संबद्ध कक्षाओं में कृषि के अध्यापन की सुविधाएं थी । जम्मू और काश्मीर तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कृषि कालेज मौजूद थे । केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही कृषि कालेजों की संख्या बढ़ी । कुल कालेजों में से, 24(72.7 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 6(18.2 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता न पाने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं और 3 (9.1 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं करती थीं ।

इन कालेजों और अन्य संस्थाओं से संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 10,871 से बढ़कर 13,295 हो गई, अर्थात् 23.8 प्रतिशत बढ़ गई । केरल और मद्रास को छोड़कर शेष सभी राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई । केरल में छात्र-संख्या में जो कमी हुई वह बहुत अधिक नहीं थी तथा मद्रास में छात्रों की संख्या प्रायः गत वर्ष के समान ही थी । कृषि कालेजों का कुल प्रत्यक्ष व्यय पिछले साल के 96,68,781 रु० की तुलना में बढ़कर 1,06,90,277 रु० हो गया, अर्थात् 10.6 प्रतिशत बढ़ गया । पिछले साल इसमे 23.2 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इस रकम का विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियां 75.1 प्रतिशत, फ़ीस 12.3 प्रतिशत, धर्मस्व 1.2 प्रतिशत, और अन्य आय-स्रोत 11.4 प्रतिशत । पिछले वर्ष की 1213.6 रु० की तुलना में आलोच्य वर्ष इन कालेजों में प्रति छात्र वार्षिक औसत शिक्षा व्यय 1,134.5 रु० रहा । कृषि में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 2172(2157 लड़के और 15 लड़कियां) और 387 (385 लड़के और 2 लड़कियां) थी । इन कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी XCVII में दिये जा रहे हैं ।

वाणिज्य कालेज

पिछले वर्ष की भांति ही आलोच्य वर्ष में भी वाणिज्य कालेजों की कुल संख्या 35 ही थी । यद्यपि इससे यह लगता है कि इन कालेजों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी बम्बई में एक और कालेज खुल गया और आंध्र प्रदेश में एक कालेज कम हो गया । इसके अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों और कला व विज्ञान के कुछ कालेजों से संबद्ध वाणिज्य कक्षाओं में भी वाणिज्य अध्यापन विभाग मौजूद थे । दिल्ली को छोड़कर शेष संघ राज्य-क्षेत्रों में और आसाम मद्रास, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में कोई वाणिज्य कालेज नहीं था । कुल कालेजों में से 6 (17.1 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 21 (60.0 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं और 8 (22.9 प्रतिशत) का प्रबन्ध वे गैर-सरकारी संस्थाएं करती थी जिन्हें सहायता प्राप्त नहीं थीं । इन कालेजों और विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों और अन्य संस्था से संबद्ध कक्षाओं में भर्ती होने वाले छात्रों की कुल संख्या 66,582 (66,002 लड़के और 58[illegible] लड़कियां) से बढ़कर 74,486 (73,806 लड़के और 680 लड़कियां) हो गई । इस प्रकार इनकी संख्या में 11.9 प्रतिशत (11.8 प्रतिशत लड़के और 17.2 प्रतिशत लड़कियां) वृद्धि हुई । यह वृद्धि उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष सभी राज्य और संघ राज्य-क्षेत्रों में हुई । वाणिज्य कालेजों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 46,18,560 रु० से बढ़कर 46,52,789 रु० हो गया, अर्थात् 0.7

सारणी XIVII—कृषि कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र					
							स्नातक			स्नातकोत्तर		
		लड़के	लड़कियां	जोड़			लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					रु०	रु०						
आन्ध्र प्रदेश .	2	900	31	931	9,38,671	1329.6	195	7	202	30	..	30
आसाम . .	1	270	..	270	5,05,251	1981.4	28	..	28	..	..	..
बिहार . .	2	602	1	603	8,51,138	1411.5	151	..	151	..	..	..
गुजरात . .	1	581	3	584	4,37,254	748.7	69	..	69	14	..	14
महाराष्ट्र .	4	1,707	6	1,713	18,59,930	1264.4	211	..	211	43	1	44
केरल . .	1	266	22	288	3,30,416	1400.1	78	4	82	..	..	.
मध्य प्रदेश .	5	1,168	..	1,168	10,66,007	912.7	176	..	176	46	..	46
मद्रास . .	1	846	27	873	3,54,254	590.4	140	3	143	38	1	39

सारणी XCVII—कृषि कालेजों के आंकडे —(जारी)

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या*			व्यय	प्रतिछात्र-औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्र					
							स्नातक			स्नातकोत्तर		
		लड़के	लड़कियां	जोड़			लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मैसूर . .	2	686	2	688	7,26,713	1081.4	157	..	157	10	..	10
उड़ीसा . .	1	275	..	275	2,85,603	1038.6	35	..	35	..	..	..
पंजाब . .	1	863	..	863@	7,34,449	1845.3	111	..	111	27	..	27
राजस्थान .	2	728	1	729	7,94,725	1421.7	73	..	73	..	..	..
उत्तर प्रदेश .	8	3,741	20	3,761	14,59,641	822.3	691	..	691	149	..	149
पश्चिमी बंगाल .	1	240	1	241*	3,46.225	2861.4	42	1	43	15	..	15
दिल्ली . .	..	297	11	308	..	..	..	..	..	13	..	13
भारत .	32	13,170	125	13,295	1,06,90,277	1134.5	215	15	2,172	385	2	387

*इसमें संबंद्ध कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी शामिल है।

प्रतिशत बढ़ गया, जबकि पिछले वर्ष यह 17.1 प्रतिशत बढ़ा था । इस खर्च का लगभग 76.6 प्रतिशत फ़ीस से पूरा किया गया और शेष 17.5 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत भाग क्रमशः सरकार, धर्मस्व और अन्य आय स्रोतों से प्राप्त रकम से पूरा किया गया। स्थानीय परिषदों का अंशदान बहुत ही मामूली था । इन कालेजों पिछले वर्ष के प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च (190.6 रु०) की तुलना में आलोच्य वर्ष का प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 172.2 प्रतिशत रहा । सन् 1960 की अवधि में 12,805 लड़को और 118 लड़कियों को वाणिज्य की स्नातक डिग्री और समकक्ष डिप्लोमा दिये गये और 2,126 लड़के और 10 लड़कियां वाणिज्य की मास्टर डिग्री में उत्तीर्ण हुई ।

वाणिज्य कालेजों के विस्तृत राज्यवार आंकड़े सारणी XCVIII में दिये गये हैं ।

इंजीनियरी कालेज

आलोच्य वर्ष में देश में कुल मिलाकर 57 इंजीनियरी कालेज थे । पिछले वर्ष–इन की संख्या 56 थी । आंध्र प्रदेश और मद्रास में एक एक कालेज और खुला और बम्बई में एक कालेज कम हो गया। इस प्रकार इनकी संख्या मे 1 की ही वृद्धि हुई। इनमे स्थापत्य के 2 कालेज भी शामिल है ।

इन कालेजो के अतिरिक्त अलीगढ़, अन्नमलई, बनारस, रुड़की और उत्कल विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ़ सांइस (भारतीय विज्ञान संस्थान) बंगलौर में और कुछ औद्योगिकी कालेजों में भी इंजीनियरी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी । जम्मू और कश्मीर राज्य में और (दिल्ली को छोड़कर) किसी भी संघ राज्य-क्षेत्र में कोई इंजीनियरी कालेज नहीं था । कुल इंजीनियरी कालेजों में से 29 (50.9 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 24 (42.1 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त ग़ैर-सरकारी संस्थाएं और 4 (7.0 प्रतिशत) का प्रबन्ध वे ग़ैर-सरकारी संस्थाएं करती थीं, जिन्हें सहायता प्राप्त नहीं थी । सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों तथा दूसरी संस्थाओं से संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 31820 (31710 लड़के और 110 लड़कियाँ) से बढ़कर 36,207 (36,051 लड़के और 156 लड़कियां हो गई, अर्थात् उनकी संख्या में 11.4 प्रतिशत वृद्धि हो गई । दिल्ली को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इन छात्रों की संख्या बढ़ी। अकेले इंजीनियरी के कालेजों का ही कुल प्रत्यक्ष व्यय 3,30,89,011 रु० रहा जबकि पिछले वर्ष यह 3,12,59,013 रु० था । इस प्रकार इसमें 5.8 प्रतिशत वृद्धि हुई । विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इस व्यय का विभाजन इस प्रकार था: सरकारी निधियां 63.5 प्रतिशत, फ़ीस 26.2 प्रतिशत, धर्मस्व 3.7 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 6.6 प्रतिशत । पिछले वर्ष के 951.3 रु० की तुलना में आलोच्य वर्ष में इन कालेजों की प्रतिछात्र औसत वार्षिक शिक्षा-व्यय 936.2 रु० रहा। आलोच्य वर्ष में इंजीनियरी की स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 5,562 (2 लड़कियां) और 320 (सभी लड़के) थी ।

इंजीनियरी कालेजों के राज्यवार विस्तृत आंकड़े सारणी XCIX में दिए गए हैं ।

वनविज्ञान कालेज

पिछले वर्ष की भांति, इस वर्ष भी वन विज्ञान के केवल तीन ही कालेज थे । इनमें से 2 उत्तर प्रदेश में और एक मद्रास में था । इन सभी कालेजों का प्रबन्ध सरकार करती थी । आलोच्य वर्ष में इन कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 614 (सभी लड़के) थी, जबकि पिछले वर्ष यह 559 थी । इन कालेजों का कुल प्रयत्क्ष व्यय 7,80,311 रु० से बढ़कर 8,13,348 रु० हो गया, अर्थात 4.2 प्रतिशत बढ़ गया । विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार इस खर्च का विभाजन इस प्रकार था : सरकारी निधियां 17.8 प्रतिशत और फ़ीस 82.2 प्रतिशत । इन कालेजों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 1,444.7 रु० रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 1,506.4 रु० था । आलोच्य वर्ष में 135 छात्रों ने राजिक पाठ्यक्रम (रेंजर्स कोर्स), और 97 छात्रों ने वरिष्ठ वन अधिकारी पाठ्यक्रम पूरा किया । वनविज्ञान कालेजों के ब्योरेवार आंकड़े सारणी C में दिये गये हैं ।

सारणी XCVIII—वाणिज्य कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या *			व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या					
							स्नातक			स्नातकोत्तर		
		लड़के	लड़कियां	सभी व्यक्ति			लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					रु०	रु०						
आन्ध्र प्रदेश . .	1	4,290	12	4,302	38,556	103.4	809	1	810	32	..	32
आसाम . .	..	1,916	5	1,921	..	..	177	1	178	13	..	13
बिहार . .	2	6,463	5	6,468	3,75,121	133.4	887	..	887	146	..	146
गुजरात . .	7	6,156	62	6,218	9,79,722	170.8	740	12	752	69	..	69
महाराष्ट्र . .	10	10,543	422	10,965	15,38,193	169.9	1,355	71	1,426	193	8	201
जम्मू और कश्मीर .	1	147	..	147	40,798	277.5	12	..	12	..	..	..
केरल . .	1	1,864	50	1,914	24,425	89.5	405	6	411	..	..	..
मध्य प्रदेश . .	2	6,135	8	6,143	3,33,224	243.1	895	1	896	199	..	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मद्रास	..	2,405	4	2,409	..	..	8 42	..	8 42	21	..	21
मैसूर	4	4,738	49	4,78 7	3,8 0,056	113.7	623	8	631	5	..	5
उड़ीसा	..	491	..	491	..	..	111	..	111	..	..	..
पंजाब	2	254	..	254	1,39,8 95	653.7	57	..	57	1	..	1
राजस्थान	2	7,304	10	7,314	2,43,433	216.2	757	..	757	208	1	209
उत्तर प्रदेश	..	8,310	2	8,312	..	..	1,797	1	1,798	716	..	716
पश्चिमी बंगाल	2	11,121	42	11,163	2,54,630	140.4	3,048	15	3,063	501	1	502
दिल्ली	1	1,342	3	1,345	3,04,736	407.4	245	1	246	22	..	22
मनिपुर	..	213	6	219	..	..	11	1	12	..	..	..
त्रिपुरा	..	114	..	114	..	..	34	..	34	..	..	..
भारत	35	73,8 06	68 0	74,48 6	46,52,78 9	172.2	12,8 05	118	12,923	2,126	10	2,136

*इस में सबंध्द कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी शामिल है ।

सारणी XCIX—इंजीनियरी कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाएं	छात्रों की संख्या*			व्यय	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या					
							स्नातक			स्नातकोत्तर		
		लड़के	लड़कियां	सभी व्यक्ति			लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					रु०	रु०						
आंध्र प्रदेश . .	5	3,134	5	3,139	15,52,729	684.6	468	..	468	..	..	..
आसाम . .	1	430	..	430	5,68,088	1,321.1	50	..	50	..	..	..
बिहार . .	5	2,976	..	2,976	31,81,577	1,069.8	413	..	413	21	..	21
गुजरात . .	4	3,022	19	3,041	26,94,718	637.0	637	..	637	15	..	15
महाराष्ट्र . .	6	2,333	27	2,360	36,85,958	812.2	623	..	623	2	..	2
केरल . .	3	1,562	50	1,612	8,07,506	584.3	105	..	105	..	..	..
मध्य प्रदेश . .	4	2,465	5	2,470	18,12,849	733.9	301	..	301	5	..	5
मद्रास . .	8	4,800	3	4,803	39,14,138	897.9	638	..	638	53	..	53
मैसूर . .	7	4,002	12	4,014	14,62,516	364.0	748	1	749	96	..	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उड़ीसा . .	1	357	..	357	3,49,092	977.8	48	..	48	..	..	..
पंजाब . .	3	1,470	..	1,470	16,34,830	1,112.1	197	..	197	3	..	3
राजस्थान . .	2	1,200	..	1,200	12,89,595	1,080.1	141	..	141	4	..	4
उत्तर प्रदेश . .	2	3,154	8	3,162	7,38,089	1,137.3	506	..	506	29	..	29
पश्चिमी बंगाल .	4	4,382	20	4,402	78,71,618	2,370.2	606	..	606	95	..	95
दिल्ली† . .	2	764	7	771	15,25,708	905.5	80	..	80	..	..	..
जोड़	57	36,051	156	36,207	3,30,89,011	936.2	5,561	1	5,562	323	..	323

*उसमें संबद्ध कक्षाओं में भर्ती वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

†उसमें एक स्थापत्य कालेज और 'दिल्ली स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर' (दिल्ली आयोजना और स्थापत्त विद्यालय) भी शामिल है।

विधि कालेज

आलोच्य वर्ष में विधि कालेजों की संख्या 32 से बढ़कर 34 हो गई। बिहार और बम्बई में एक-एक कालेज और बढ़ा। जम्मू और काश्मीर में तथा दिल्ली को छोड़कर किसी भी संघ राज्य-क्षेत्र में कोई भी विधि कालेज नहीं था। कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और कला तथा विज्ञान के कुछ कालेजों में भी विधि का अध्यापन होता था। कुल कालेजों में से 6 (17.6 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 7 (20.6 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त गैर सरकारी संस्थाएं और 21 (61.8 प्रतिशत) का प्रबन्ध व गैर सरकारी संस्थाएं करती थी जिन्हें सहायता नहीं मिलती थी। आलोच्य वर्ष में कालेजों में और संबद्ध कक्षाओं में 25,925 विद्यार्थी (25,277 लड़के और 648 लड़कियां) भर्ती हुये, जब कि पिछले वर्ष 24,055 विद्यार्थी (23,458 लड़के और 597 लड़कियां) भर्ती हुये थे। आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इन कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। मैसूर, पंजाब और दिल्ली में इन छात्रों की संख्या में जो कमी हुई वह बहुत ही कम, अर्थात् 3 प्रतिशत से भी कम थी। मैसूर में छात्रों की संख्या में कमी हो जाने का कारण यह था कि वहां विधि का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया था। राजस्थान में कमी इस लिये हो गई कि वहां कालेज का समय बदल देने से नौकरी पेशा लोगों को कालेज छोड़ देना पड़ा था। विधि कालेजों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 22,49,992 रु० से बढ़कर 25,04,260 रु० हो गया, अर्थात् 11.3 प्रतिशत बढ़ गया। इस खर्च का 88.2 प्रतिशत भाग फ़ीस से और शेष भाग अर्थात् 4.8 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत खर्च क्रमशः सरकारी निधियों और अन्य आय-स्रोतों से पूरा किया गया। प्रतिछात्र औसत-वार्षिक खर्च 158.8 रु० से बढ़कर 164.7 रु० हो गया। सन 1960 की अवधि में 6,602 विद्यार्थी (6,427 लड़के और 175 लड़कियां) स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और 66 विद्यार्थी (64 लड़के और 2 लड़कियां) स्नातकोत्तर परीक्षा में।

राज्यों के अनुसार विधि कालेजों के ब्योरेवार आंकड़े सारणी CI में दिये गये हैं।

आयुर्विज्ञान कालेज

आलोच्य वर्ष में, आंध्र प्रदेश, बम्बई, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा और राजस्थान, हरेक में एक-एक और पंजाब में तीन कालेज और खुले। इस प्रकार आयुर्विज्ञान कालेजों (जिनमें फार्मेसी भी शामिल है) की संख्या 110 से बढ़कर 118 हो गई। इन कालेजों में वे दो आयुर्विज्ञान विद्यालय भी शामिल हैं जिन्हें आयुर्विज्ञान कालेजों के रूप में दुबारा वर्गीकृत किया गया था। दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर शेष सभी संघ राज्य क्षेत्रों के अपने आयुर्विज्ञान कालेज नहीं थे। इसके अलावा कुछ विश्व विद्यालयों के अध्यापन विभागों में भी आयुर्विज्ञानशिक्षा की व्यवस्था थी। इन कालेजों में से 64 (54.2 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार, 3 (2.5 प्रतिशत) का प्रबन्ध स्थानीय परिषदें, 43 (36.5) का प्रबन्ध सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं और 8 (6.8 प्रतिशत) का प्रबन्ध वे गैरसरकारी संस्थाएं करती थी जिन्हें सहायता प्राप्त नहीं थी। पिछले वर्ष 32,950 छात्र संख्या की (इसमें 6,000 लड़कियां थी) तुलना में आलोच्य वर्ष में इन कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या (7,131 लड़कियों को मिलाकर) 36,615 थी। इस प्रकार इनकी संख्या में 11.0 प्रतिशत वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या में कोई विशेष कमी नहीं हुई थी और बंगाल में छात्रों की संख्या में कमी होने का कारण यह था कि वहां संहत एम० बी० ए० एस० पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया था। (विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों को छोड़कर) इन कालेजों पर किया कुल प्रत्यक्ष व्यय 5,04,70,924 रु० रहा, जबकि पिछले वर्ष का कुल-प्रत्यक्ष व्यय 4,40,61,062 रु० था अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में आलोच्य वर्ष में कुल प्रत्यक्ष व्यय 14.5 प्रतिशत बढ़ गया। इस व्यय का 76.6 प्रतिशत भाग सरकार ने पूरा किया

सारणी C—वन विज्ञान कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या					
							राजिक (रेंजर्स)			वन अधिकारी		
		लड़के	लड़कियां	सभी व्यक्ति			लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मद्रास . .	1	188	..	188	3,27,876	1,744.0	66	..	66	28	..	28
उत्तर प्रदेश . .	2	426	..	426	4,85,472	1,294.6	69	..	69	69	..	69
जोड़ .	3	614	..	614	8,13,348	1,444.7	135	..	135	97	..	97

सारणी CI—विधि कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या *			व्यय	प्रतिछात्र औसत खर्च	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या					
							स्नातक			स्नातकोत्तर		
		लड़के	लड़कियां	सब व्यक्ति			लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लडकियां	जोड़
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					रु०	रु०						
आन्ध्र प्रदेश .	1	1,718	44	1,762	2,95,967	210.1	540	17	557	18	2	20
आसाम .	1	471	2	473	36,144	76.4	40	..	40	..	..	..
बिहार .	4	1,131	6	1,137	2,08,727	191.3	321	1	322	2	..	2
गुजरात .	5	1,364	56	1,420	3,35,653	152.6	220	8	228	5	..	5
महाराष्ट्र .	8	4,522	242	4,764	7,44,866	159.1	1,172	79	1,251	20	..	20
केरल .	2	280	24	304	1,29,133	424.8	72	6	78	1	..	1
मध्य प्रदेश .	3	1,533	12	1,545	54,299	103.6	302	5	307	..	..	..

मद्रास .	1	1,161	25	1,186	1,72,647	145.6	476	7	483	2	..	2
मैसूर .	5	1,041	31	1,072	1,96,946	183.7	273	11	284	2	..	2
उड़ीसा .	1	261	3	264	32,792	124.2	101	1	102	..	..	..
पंजाब .	1	738	01	748	1,55,726	208.2	358	2	360	1	..	1
राजस्थान .	..	860	9	869	..	..	197	3	200	4	..	4
उत्तर प्रदेश .	1	5,733	47	5,780	82,647	132.4	1,566	15	1,581	9	..	9
पश्चिम बंगाल .	1	3,618	118	3,736	58,713	93.2	548	14	562	..	..	..
दिल्ली .	..	846	19	865	..	..	241	6	247	..	..	..
जोड़ .	34	25,277	648	25,925	25,04,260	164.7	6,427	175	6,602	64	2	66

* इसमें संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है ।

23—5 M. of Edu./65

सारणी CII—आयुर्विज्ञान कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या					
							स्नातक			स्नातकोत्तर		
		लड़के	लड़कियां	सब व्यक्ति			लड़के	लड़कियां	सब व्यक्ति	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					रु०	रु०						
आन्ध्र प्रदेश .	9	3,073	916	3,989	43,66,206	1157.2	286	71	357	30	11	41
असम .	2	610	59	669	10,01,019	1496.3	44	2	46	..	..	..
बिहार .	7	1,582	236	1,818	15,82,971	943.9	235	29	264	85	3	88
गुजरात .	7	1,900	391	2,291	24,17,717	1098.9	298	46	344	20	2	22
महाराष्ट्र .	14	3,721	1,186	4,907	60,63,584	1280.6	652	169	821	75	12	87
जम्मू और काश्मीर	1	52	18	70	3,56,232	5089.0	..	..	..	..	..	..
केरल .	3	908	313	1,221	14,80,266	1224.4	103	30	133	..	..	..

मध्य प्रदेश	2	1,812	390	2,202	37,77,419	1771.8	196	41	237	29	2	31
मद्रास	6	3,241	945	4,186	42,05,282	1086.1	288	131	419	38	11	49
मैसूर	5	1,961	337	2,298	19,49,353	848.3	245	29	274	..	..	..
उड़ीसा	3	403	143	546	7,02,280	1286.2	46	11	57	..	..	..
पंजाब	8	1,487	367	1,854	28,16,724	1484.0	183	59	242	14	1	15
राजस्थान	8	1,054	170	1,224	10,58,835	873.6	146	20	166	11	2	13
उत्तर प्रदेश	5	3,253	453	3,706	33,74,757	1533.3	367	48	415	81	13	94
पश्चिम बंगाल	4	3,747	559	4,306	67,68,040	1595.1	515	56	571	34	..	34
दिल्ली	5	552	615	1,167	79,31,899	7025.6	21	58	79	1	4	5
पांडिचेरी	1	128	33	161	6,18,340	3840.6	..	..	..	..	..	..
योग	118	29,484	7,131	36,615	5,04,70,924	1483.3	3,625	800	4,425	418	61	479

*इसमें प्रथमक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी शामिल है।

शेष अंशदान क्रमशः इस प्रकार रहा : स्थानीय परिषदें 2.5 प्रतिशत, फ़ीस 15.0 प्रतिशत, धर्मस्व 3.2 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 2.7 प्रतिशत। इन कालेजों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक शिक्षाव्यय 1,442.5 रु० से बढ़कर 1,483.3 रु० हो गया। 4,425 छात्र (3,625 लड़के और 800 लड़कियां) आयुर्विज्ञान स्नातक परीक्षा में और 479 छात्र (418 लड़के और 61 लड़कियां) स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

आयुर्विज्ञान कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी CII में दिये जा रहे हैं।

शारीरिक शिक्षा कालेज

पिछले वर्ष के 15 शारीरिक शिक्षा कालेजों की तुलना में सन् 1959-60 में शारीरिक शिक्षा के कुल 16 कालेज थे। आसाम, जम्मू और कश्मीर तथा उड़ीसा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में शारीरिक शिक्षा के कालेज विद्यमान थे। लेकिन किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई कालेज नहीं था। बम्बई और मैसूर में एक-एक कालेज और खुला जब कि बिहार में एक कालेज बन्द हो गया। कुल कालेजों में से 11 (68.7 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार और 5 (31.3 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त गैर सरकारी संस्थाएं करती थी। इन कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या 745 (607 लड़के और 138 लड़कियां) से बढ़कर 798 (655 लड़के और 143 लड़कियां) हो गई, अर्थात् उसमें 7.1 प्रतिशत (7.9 प्रतिशत लड़के और 3.6 प्रतिशत लड़कियां) वृद्धि हो गई। आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश को छोड़कर शष सभी राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। परन्तु इन राजों में भी आंध्र प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों में यह कमी बहुत अधिक नहीं थी। आंध्र प्रदेश में इनकी संख्या इस लिए कम हो गयी कि वहां इस पाठ्यक्रम में बहुत कम छात्र दाखिल हुए। इन कालेजों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय 7,14,489 रु० से बढ़कर 8,83,155 हो गया, अर्थात् 23.6 प्रतिशत बढ़ गया। विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार इस व्यय का विभाजन इस प्रकार था: सरकारी निधियां 74.8 प्रतिशत, फ़ीस 15.8 प्रतिशत, धर्मस्व 5.2 प्रतिशत और अन्य आय-स्रोत 4.2 प्रतिशत। प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च, पिछले साल के 611.7 रु० से बढ़कर 671.6 रु० हो गया। सन् 1960 की अवधि में, शारीरिक शिक्षा की डिग्री समकक्ष डिप्लोमा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों और छात्रों की संख्या क्रमशः 78 और 1 थी।

इन कालेजों के विस्तृत राज्यवार आंकड़े सारणी CIII में दिये गये हैं।

औद्योगिकी कॉलेज

आलोच्य वर्ष में एक औद्योगिकी कालेज और खुलने से इनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई। ये कालेज इन राज्यों में थे: आसाम, मैसूर, पंजाब और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक एक, बम्बई में (2) और पश्चिमी बंगाल में (4)। बम्बई में एक कालेज और खुला। कुल कालेजों में से 6 का प्रबन्ध सरकार, 2 का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त गैरसरकारी संस्थाएं और 2 का प्रबन्ध वे गैर-सरकारी संस्थाएं करती थीं जिन्हें सहायता प्राप्त नहीं थी। इन कालेजों के अलावा कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों और तीन अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थानों में भी औद्योगिकी के शिक्षण की व्यवस्था की गइ थी। इन तीन अखिल भारतीय अनुसन्धान संस्थानों के नाम इस प्रकार हैं : इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ़ शुगर टेक्नौलौजी (भारतीय चीनी औद्योगिकी संस्थान) कानपुर हारकोर्ट बटलर (टेक्नौलोजिकल इंस्टीटयूट), कानपुर और इन्डियन स्टीट्यूट आफ् साइंस (भारतीय विज्ञान संस्थान), बंगलौर। औद्योगिकी कालेजों, विश्व विद्यालयों के अध्यापन विभागों और अनुसंधान संस्थानों में अध्ययन करन वाले छात्रों की संख्या 3,435 (3,402 लड़के और 33 लडकियां) से बढ़कर 4,035 (4,015 लड़के और 20 लड़कियां) हो गई। इस प्रकार इनकी संख्या 17.5 प्रतिशत वृद्धि (छात्रों की संख्या में 18.0 प्रतिशत वृद्धि और छात्राओं की संख्या में 39·4 प्रतिशत कमी) हुई। आसाम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में भर्ती होने वाले छात्रों

सारणी CIII—शारीरिक शिक्षा कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या*			व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	सभी व्यक्ति			स्नातक		
							लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					रु०	रु०			
आन्ध्र प्रदेश	1	15	..	15	43,053	1103.9	15	..	15
बिहार	1	96	11	107	49,849	465.9	35	1	36
गुजरात	1	7	..	7	22,420	3203.0	1	..	1
महाराष्ट्र	1	68	15	83	1,00,888	1215.5	60	12	72
केरल	2	103	57	160	55,168	344.8	5	4	9
मध्य प्रदेश	1	65	..	65	1,29,595	1993.8	23	..	23
मद्रास	2	46	5	51	1,46,682	278.9	46	7	53
मैसूर	1	41	..	41	64,827	1581.1	†	†	†
पंजाब	1	33	15	48	56,842	1184.2	39	11	50
राजस्थान	1	20	..	20	33,444	576.6	20	..	20
उत्तर प्रदेश	3	129	25	154	1,40,593	1,049.2	59	..	59
पश्चिमी बंगाल	1	32	15	47	39,794	846.7	20	10	30
भारत	16	655	143	798	8,83,155	671.6	323	45	368

*इनमें सम्बद्ध कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी शामिल है ।

† प्राप्त नहीं ।

सारणी CIV—औद्योगिक कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्र की संख्या: लड़के	लड़कियां	सभी व्यक्ति	व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या: स्नातक: लड़के	लड़कियां	सब व्यक्ति	स्नातकोत्तर: लड़के	लड़कियां	सब व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					रु०	रु०						
आंध्र प्रदेश	..	288	..	288	..	..	79	5	84	14	..	14
आसाम	1	3	..	3	1,43,776	1691.5	..	..	..	..	..	..
गुजरात	..	101	..	101	..	..	64	..	64	..	..	..
महाराष्ट्र	2	828	6	834	21,69,058	5477.4	174	..	174	13	..	13
मद्रास	..	614	..	614	..	..	130	..	130	1	..	1
मैसूर	1	69	..	69	1,93,175	1296.[illegible]	34	1	35	..	..	..

पंजाब .	1	222	..	222	1,27,360	786.2	62	.	62	..		..
उत्तर प्रदेश .	1	798	1	799	2,62,266	997.2	65	.	65	22		22
पश्चिम बंगाल .	4	899	13	912	8,50,642	2069.7	114	4	118	113		113
दिल्ली .	..	193	..	193			51	.	51	..		
भारत .	10	4,015	20	4,035	37,46,277	2555.4	773	10	783	163	..	163

*इनमें संबद्ध कक्षाओं को छात्रों की संख्या भी शामिल है।

की संख्या बढ गई। इन कालेजों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 16,57,817 रु० से बढकर 37,46,277 रु० हो गया, अर्थात 126.0 प्रतिशत बढ़ गया इस असाधारण व्यय वृद्धि का कारण यह था कि इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टक्नोलौजी (भारतीय औद्योगिकी संस्थान), बम्बई पर शुरुशुरु में बहुत अधिक खर्च कर दिया गया था। विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार कुल खर्च का विभाजन इस प्रकार था: सरकारी निधियों 79.5 प्रतिशत, फ़ीस 7.0 प्रतिशत, धर्मस्व 1.3 प्रतिशत और अन्य आयस्रोत 12.2 प्रतिशत। औद्योगिक कालेजों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक शिक्षा-व्यय से 1290.1 रु० से बढ़कर 2,555.4 रु० हो गया। आलोच्य वर्ष में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 783 (773 लड़के और 10 लड़कियां) और 163 (सभी लड़के) थी।

औद्योगिकी कालेजों के विस्तृत राज्यवार आंकड़े सारणी CIV में दिये गये हैं।

पशुचिकित्सा विज्ञान कॉलेज

सन् 1959-60 में पशु चिकित्सा विज्ञान के 17 कालेज थे। पिछले वर्ष भी इतने ही कालेज थे। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इन कालेजों में अध्ययन-अध्यापन का काम चालू था। संघ राज्य क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में पशु चिकित्सा विज्ञान का कोई भी कालेज नहीं था। इन कुल कालेजों में से 16 (94.1 प्रतिशत) का प्रबन्ध सरकार और 1 (5.9 प्रतिशत) का प्रबन्ध सहायता प्राप्त ग़ैर-सरकारी संस्थाएं करती थी, (इनमें से 1 कालेज का प्रबन्ध आंध्र प्रदेश में उस्मानियां विश्वविद्यालय करता था)। इन कालेजो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5,137 (5,108 लड़के और 29 लड़कियां) से बढ़कर 5,179 (5,143 लड़के और 36 लड़कियाँ) हो गई, अर्थात् 0.8 प्रतिशत बढ़ गई। बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और परिश्चमी बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों में इन कालेजों में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। बिहार और पश्चिमी बंगाल में छात्रों की संख्या में कमी होने का कारण यह था कि वहां डिप्लोमा पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश में छात्रों की संख्या में जो कमी हुई थी वह बहुत ही मामूली थी। मैसूर में भर्ती होने वाले छात्रों की संख्या विशेष रूप से बढ़ी और वह 89 से बढ़कर 207 हो गई। इसका कारण यह था कि वहां पिछले वर्ष चालू किये गए कालेज का विस्तार कर दिया गया था। पशु चिकित्सा विज्ञान कालेजों का कुल प्रत्यक्ष व्यय 45,40,131 रु० से बढ़कर 60,89,182 रु० हो गया, अर्थात् 34.1 प्रतिशत बढ़ गया। आय के विभिन्न स्रोतों के अनुसार इसका विभाजन इस प्रकार था: सरकारी निधियां 85.3 प्रतिशत, फ़ीस 10.9 प्रतिशत तथा अन्य आय-स्रोत 3.8 प्रतिशत। पिछले वर्ष के 931.5 रु० की तुलना में आलोच्य वर्ष में पशुचिकित्सा विज्ञान के कालेजों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 1,217.8 रु० रहा। पशुचिकित्सा विज्ञान की स्नातक और स्नातकोत्तर (डिगरी परिक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 912 (906 लड़के और 6 लड़कियाँ) और 46 (सभी लड़के) रही।

पशु-चिकित्सा विज्ञान के कालेजों के राज्यवार आंकड़े सारणी CV में दिये जा रहे हैं।

सारणी CV—पशुचिकित्सा विज्ञान कालेजों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या*			व्यय	प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या					
							स्नातक			स्नातकोत्तर		
		लड़के	लड़कियां	सब व्यक्ति			लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					रु०	रु०						
आंध्र प्रदेश .	2	727	7	734	6,90,549	1137.6	83	1	84	..	..	..
आसाम .	1	253	..	253	2,00,583	792.8	12	..	12	..	..	..
बिहार .	1	448	..	448	2,96,204	661.2	179	..	179	..	..	..
महाराष्ट्र .	2	331	2	333	6,77,480	2034.5	68	..	68	..	..	..
केरल .	1	375	11	386	2,38,142	717.3	74	2	76	..	..	..
मध्य प्रदेश .	2	554	3	557	6,27,772	1127.1	76	..	76	..	..	..
मद्रास .	1	609	8	617	5,46,808	918.7	88	2	90	6	..	6

सारणी CV—पशुचिकित्सा विज्ञान कालेजों के आंकड़े

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मैसूर	1	205	2	207	1,34,566	650.1	..	..	..	..	..	..
उड़ीसा	1	176	..	176	2,44,391	1388.6	32	..	32	..	..	..
पंजाब	1	355	..	355	2,48,439	599.6	85	..	85	2	..	2
राजस्थान	1	287	..	287	5,37,133	1871.5	49	..	49	..	..	..
उत्तर प्रदेश	2	615	..	615	7,67,197	1389.8	109	..	109	38	..	38
पश्चिम बंगाल	1	208	3	211	8,58,918	3995.0	51	1	52	..	..	..
भारत	17	5,143	36	5,170	60,89,182	1217.8	906	6	912	46	..	46

नवां अध्याय

समाज शिक्षा

आलोच्य वर्ष में समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ और उसका सर्वेक्षण भी किया गया। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

नव-साक्षरों के लिये साहित्य की रचना

1. नव-साक्षरों की पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना :

लोकप्रिय साहित्य समिति ने नव-साक्षरों के लिए लिखी गई पुस्तकों की छठी प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न भारतीय भाषाओं की चुनी हुई पुस्तकों और पांडुलिपियों के लेखकों को पांच पांच सौ रुपये के तीस पुरस्कार देने का निर्णय किया। समिति ने पांच अन्य पुस्तकों को ढाई-ढाई सौ रुपये के पांच अतिरिक्त पुरस्कार पाने के योग्य घोषित किया। पुरस्कृत पुस्तकों की प्रतियां राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों, समाज शिक्षा केन्द्रों, स्कूलों के पुस्तकालयों तथा अन्य संस्थाओं में वितरण करने के लिये, प्रत्येक पुरस्कृत पुस्तक की 1500 प्रतियां खरीदने के लिये भी कार्रवाई की गयी।

2. नेशनल बुक ट्रस्ट (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास) :

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न विषयों की पांडुलिपियां भी तैयार करता है। इन पांडुलिपियों का अन्तिम संशोधन न्यासी परिषद करती है। यह काम आलोच्य वर्ष में भी जारी रहा।

3. हिन्दी में महत्व पूर्ण पुस्तकों प्रस्तुत करना :

(क) ज्ञान सरोवर : नव साक्षरों के लिए लिखे गए "ज्ञान सरोवर" नामक हिन्दी विश्वकोश के 5 खंडों में से 2 खंड प्रकाशित किए जा चुके हैं। शेष 3 खंडों की पांडुलिपियां भी लगभग तैयार हो चुकी थी।

(ख) हिस्ट्री आफ इंडिया (भारत का इतिहास): बिहार विश्वविद्यालय के श्री एच॰ आर॰ घोषाल की उक्त शीर्षक की पांडुलिपि 5,000 रुपये के पुरस्कार के लिए चुनी गयी। इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद कराने के लिये भी प्रयत्न किए गए।

(ग) स्टोरी आफ लाइफ (जीवन की कहानी) : इसकी पांडुलिपि का परीक्षण किया गया कि यह प्रकाशन की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं।

4. हिन्दी विश्व भारती

हिन्दी के एक अन्य विश्वकोश 'हिन्दी विश्व भारती' के प्रकाशन की दिशा में भी तेजी से प्रगति हुई। इस वर्ष इस विश्वकोश के तीसरे, चौथे और पांचवें खंड के दस-दस हजार प्रतियों के संस्करण प्रकाशित हुए।

5. हिन्दी समाज शिक्षा से संबंधित हिन्दी पुस्तकों की खरीद :

"समाज शिक्षा" से संबंधित हिन्दी पुस्तकों की खरीद की योजना के अन्तर्गत हिन्दी की 56 पुस्तकें चुनी गई। यह योजना "50:50 योजना" के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य सरकारें इन्हें खरीदकर समाज शिक्षा केन्द्रों, पुस्तकालयों आदि को देंगी।

6. यूनेस्को पठन सामग्री परियोजना (यूनेस्को रीडिंग मेटीरियल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत किए गए कार्यकलाप :

(क) **यूनेस्को पुरस्कार योजना :** भारत सरकार ने यूनेस्को के सहयोग से यह घोषणा की कि नए पाठकों के लिए 1957–58 में प्रकाशित की गई हिन्दी, तमिल, बंगला और उर्दू की सर्वोत्तम पुस्तकों के लेखकों को इस वर्ष लगभग 2,280 रुपये (480 डालर) के 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार के लिये छः पुस्तकें चुनी गई।

(ख) **मुद्रकों और प्रकाशकों की राष्ट्रीय संगोष्ठी :** 10 नवम्बर से 16 नवम्बर, 1962 तक किशन चन्द चेलाराम कालेज, बम्बई में मुद्रकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में (1) भारत में मुद्रण व्यवसाय, (2) पुस्तक निर्माण सम्बन्धी समस्याएं, (3) भारत में सामान्य पुस्तक प्रकाशन उद्योग, और (4) पुस्तकों की बिक्री पर लिखित चार लेखों पर विचार विमर्श किया गया। इस संगोष्ठी का खर्च यूनेस्को ने दिया था।

(ग) **पुस्तक वितरण, संवर्धन और बाजार अनुसंधान पर यूनेस्को की प्रादेशिक कार्यगोष्ठी :** पुस्तक वितरण संवर्द्धन और बाजार अनुसंधान पर यूनेस्को की प्रादेशिक कार्यगोष्ठी नवम्बर-दिसम्बर 1959 में तीन सप्ताह के लिए मद्रास में हुई। इस गोष्ठी का प्रबन्ध भारत सरकार और दक्षिणी भाषा पुस्तक न्यास (सदर्न लेंगवेजेज बुक ट्रस्ट) ने मिलकर किया। कार्यगोष्ठी में बर्मा, श्री लंका, ईरान, भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यगोष्ठी का आयोजन करने के लिये दक्षिणी भाषा पुस्तक न्यास, मद्रास को 10,000 रु० का अनुदान दिया गया।

7. नव-साक्षरों के लिए 8 पुस्तकों की एक क्रमिक पुस्तकमाला का निर्माण :

नव-साक्षरों के लिये 8 पुस्तकों की एक क्रमिक पुस्तकमाला के निर्माण का कार्य हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी इलाहाबाद को सौंपा गया था। सोसायटी ने इस पुस्तकमाला की पहली चार पुस्तकों की पांडुलिपियां पेश कर दी हैं। छापने से पहले इन पांडुलिपियों को परीक्षण के लिये एक विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया गया है।

8. बुनियादी और सांस्कृतिक साहित्य :

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की कि उपरोक्त साहित्य की पहली प्रतियोगिता में मंत्रालय द्वारा चुने हुए 10 विषयों पर सर्वोत्तम पांडुलिपियां तैयार करने वाले लेखकों को प्रति लेखक हजार हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यह साहित्य विकास खंड के कार्यकर्ताओं, सामुदायिक परियोजना के कार्यकर्ताओं आदि के लिये है।

9. समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए साहित्य की रचना :

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली की इदारा-तालिम-ओ-तरक्की नामक संस्था के जरिये नीचे लिखे विषयों पर दो संदर्शिकाएं (हेण्ड बुक) तैयार कराईं :

(1) प्रौढ़ों को पढ़ाई और लिखाई सिखाना।

(2) हिन्दी और उर्दू के नाटकों की सटिप्पण पुस्तक सूची। मंत्रालय ने लखनऊ के प्लानिंग रिसर्च एन्ड एक्शन इन्स्टीट्यूट (आयोजना, अनुसंधान और कार्य संस्थान) के जरिये ग्राम मनोविनोद पर भी एक संदर्शिका तैयार कराई। इन संदर्शिकाओं की प्रतियां राज्य सरकारों, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय, तथा समाज शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य मुख व्यक्ति ों में वितरित की गई।

10. प्रौढ़ों के स्कूलों के पाठ्य-विवरण, पाठ्य-पुस्तकों और अनुपूरक पठन-सामग्री से संबंधित अनुसंधान :

जामिया मिलिया के अनुसंधान प्रशिक्षण और रचना केन्द्र ने प्रौढ़ों के स्कूलों के पाठ्य-विवरण, पाठ्य-पुस्तकों और अनुपूरक पठन-सामग्री से संबंधित अनुसंधान की योजना को जारी रखा। प्रौढ़ों के विभिन्न स्तरों के स्कूलों की अनुपूरक पठन-सामग्री के स्तर-निर्धारण से संबंधित मूल्यांकन कार्य भी चलता रहा। गत वर्ष जो परीक्षण स्कूल खोले गए थे, उनका कार्य सन्तोषजनक रहा।

11. डेनमार्क में प्रशिक्षण के लिए यूनेस्को की अधिवृत्तियां :

यूनेस्को ने अपने तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अगस्त-सितंबर 1959 के डेनमार्क के प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षण क्रम के लिए 4 अधिवृत्तियां दी। इस प्रशिक्षण क्रम के लिए चार भारतीयों को चुना गया और प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इनमें से दो मैसर के थे और एक पश्चिमी बंगाल और एक बम्बई का था।

12. कामगारों के शिक्षा के लिए सायंकालिन संस्थान :

शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों की समाज शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में एक कामगार शिक्षा संस्थान खोला गया। इस संस्थान को चलाने के लिए एक सलाहकार परिषद् पहले ही बनायी जा चुकी थी। इस परिषद् ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय/केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय, तथा मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा और श्रम विभाग के प्रतिनिधि तथा मालिकों, कामगारों और समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। मध्य-प्रदेश का श्रम आयुक्त इस परिषद् का अध्यक्ष था। एक छोटी समिति बनाकर उसे संस्थान से संबंधित सारी कार्यकारी शक्तियां सौंप देने का विचार किया गया।

13. पुस्तकाध्यक्ष प्रशिक्षण संस्थान :

इस वर्ष इस संस्थान ने पुस्तकालय-प्रबन्ध का एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया। यह पाठ्यक्रम 1 जुलाई, 1959 से आरंभ हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों के 9 प्रशिक्षार्थी दाखिल किए गए। इससे पहले तीन माह का एक प्रशिक्षण-क्रम आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यों के 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था यह पाठ्क्रम पूरा हो गया है।

14. समाज शिक्षा से संबंधित स्वैच्छिक शिक्षा संगठनों की वित्तीय सहायता :

इस योजना के अन्तर्गत 13 संस्थाओं को कुल मिलाकर 1,37,337 रुपये का अनुदान दिया गया। शिक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि से भी चार संस्थाओं को समाज शिक्षा पुस्तकालयों के विकास के लिये 40,000 रुपये का अनुदान दिया गया।

15. राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र :

केन्द्र में जिला समाज शिक्षा आयोजन के लिये 15 जून से 14 नवम्बर, 1959 की अवधि में तीसरा प्रशिक्षण-क्रम चलाया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के 17 जिला समाज शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में सामूहिक कार्य, सामूहिक चर्चा, संगोष्ठियां, क्षेत्रगत कार्य से संबंधित निदर्शन और सहायता तथा व्यावहारिक कार्य शामिल थे। आलोच्य वर्ष के अंत की पांच माह की अवधि में चौथा प्रशिक्षण क्रम भी शुरू कर दिया गया।

केन्द्र में शिक्षा प्राप्त जिला समाज शिक्षा अधिकारियों और समाज शिक्षा के कार्य में लगे अन्य व्यक्तियों और संगठनों को जानकारी देने के उद्देश्य से 28 साइक्लोस्टाइल्स किए गए ब्रोशर तैयार किए गए और बांटे गए। इस वर्ष एक साइक्लोस्टाइल की गयी पत्रिका (बुलेटिन) भी शुरु की गयी और इसकी प्रतियां जिला समाज शिक्षा अधिकारियों और इस विषय में रुचि लेने वालों को दी गयी। इसके अतिरिक्त समाज शिक्षा आयोजक प्रशिक्षण केन्द्र के शिक्षक भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों

और क्षेत्रगत कार्य-विधियों का अध्ययन करने के लिये केन्द्र में आए। केन्द्र में अन्य विदेशी प्रतिनिधि (विजिटर) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अधिवृत्ति पाने वाले व्यक्ति भी प्रशिक्षण और अध्ययन के लिए आए।

अनुसंधान के क्षेत्र में केन्द्र ने "महरोली विकास खंड में ग्राम चौपाल (विलेज स्क्वेयर) और सामुदायिक केन्द्र" से संबंधित दूसरी परियोजना का काम पूरा किया। तीसरी परियोजना में अलीपुर विकास खंड के मुखमेलपुर ग्राम में 'ग्रामीण व्यक्तियों की पढ़ने की आदतें और रुचियां' नामक विषय पर आधारित-सामग्री एकत्रित की गई और अब उसका विश्लेषण किया जा राहा है।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा :

राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान का कार्य आलोच्य वर्ष से आरंभ हुआ। संस्थान का मुख्य कार्य दृश्य-श्रव्य शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना है। आलोच्य वर्ष में संस्थान ने समाज शिक्षा के अल्पकालीन और दीर्घ कालीन प्रशिक्षण-क्रम चलाने का एक कार्य-क्रम तैयार किया।

संस्थान ने नीचे लिखी चार फिल्में भी बनाई गयी। यथा (1) अन्तविश्वविद्यालय युवक समारोह, (2) भारतीय खेल, (3) प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक, (4) कुम्हार। संस्थान के अन्य कार्यों में चार्ट, नक्शे, इश्तहार और रूपचित्र (पोर्ट्रेट) तैयार करना, फिल्मों को डब करना, फिल्मों का विनिमय तथा दृश्य-श्रव्य मुखपत्रिका (जर्नल) का प्रकाशन आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा परिषद्‌ की चौथी बैठक दिसम्बर, 1959 में हुई। परिषद्‌ की तीसरी बैठक की सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने के लिये एक स्थायी सलाह समिति बनाई गयी। इस समिति की पहली बैठक सितम्बर, 1959 में हुई।

सामुदायिक विकास खंडों में समाज शिक्षा

सामुदायिक विकास और ग्राम सुधार कार्यक्रम में समाज शिक्षा कार्यक्रम का स्थान महत्वपूर्ण बना रहा। सामुदायिक विकास केन्द्र इस बात पर अधिकाधिक बल देते रहे कि युवक संगठनों का विकास समाज शिक्षा कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।

गत वर्ष समाज शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्य-विवरण का संशोधन किया गया था। इस वर्ष पाठ्य-विवरण का संशोधन फिर से किया गया ताकि समाज शिक्षा अधिकारियों को राज्यों में पास होने वाले पंचायती राज अधिनियमों में बताए गए कर्तव्यों के पालन के लिए तैयार किया जा सके। आलोच्य वर्ष में सभी प्रशिक्षण केन्द्रों ने संशोधित पाठ्य-विवरण को अपना लिया। गैर-सरकारी व्यक्तियों और ग्राम सहायकों के लिये जो नये प्रशिक्षण-क्रम चलाए गए उनके साथ समाज शिक्षा अधिकारियों का सम्पर्क बनाए रखा गया।

शिक्षा मंत्रालय और सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि कुछ अन्य मंत्रालयों ने भी समाज शिक्षा के क्षेत्र में अपने उपयोगी कार्यकलाप जारी रखे।

राज्यों में प्रमुख विकास कार्य

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में समाज शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

आन्ध्र प्रदेश :

राज्य में पुस्तकालयों और समाज शिक्षा के कार्य की देखरेख के लिये पुस्तकालय उप-निदेशक की नियुक्ति की गयी। स्कूलों के लिये 40,000 रुपये की लागत पर [illegible]

फ़िल्म लाइब्रेरी और जन शिक्षा निदेशक के कार्यालय में फ़िल्म-पट्टियों की लाइब्रेरी खोली गयी। फ़िल्म लाइब्रेरी से चौदह स्कूलों ने 620 फिल्में और 200 फिल्म-पट्टियां उधार लीं। अध्यापकों को दृश्य-श्रव्यशिक्षा की विधियों का प्रशिक्षण देने के लिए जन शिक्षा निदेशक के कार्यालय में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। सन् 1959-60 में इस केन्द्र में 80 अध्यापक प्रशिक्षित किए गए।

नागरिकता का प्रशिक्षण देने के लिये अध्यापकों के पांच शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 113 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। समाज शिक्षा के कार्यकर्ताओं के लिए पांच प्रशिक्षण क्रम चलाए गए जिनमें स्कूलों, कालेजों और सरकारी विभागों से चुने हुए या आए हुए 428 कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

आसाम :

राज्य में मुख्यतः सामुदायिक परियोजना के क्रियाकलापों के जरिये समाज शिक्षा दी गयी।

बिहार :

बोध गया में 20 अगस्त से 22 अगस्त, 1959 तक समाज शिक्षा की एक संगोष्ठी हुई। इसमें 400 समाज-शिक्षा आयोजकों और केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारियों ने भाग लिया। एक दृश्य-श्रव्य शिक्षा अधिकारी ने राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्यशिक्षा संस्थान दिल्ली के ढाई माह के प्रशिक्षण-क्रम में भाग लिया।

बम्बई :

राजकोट में दो महीने की अवधि के सामूहिक साक्षरता अभियान चलाये गये। कुल मिलाकर 2936 कक्षाएं चलाई गई और 42262 व्यक्ति साक्षर बनाये गये। गुजरात में बुनियादी प्रशिक्षण कालेजों के प्रधानाचार्यों और सहायक उपशिक्षा निरीक्षकों ने समाजशिक्षा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए दस कक्षाएं चलाईं। इसमें 233 समाज शिक्षा कर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। आयोजना संबंधी कार्यों में अध्यापकों को नव प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त विशेष अधिकारियों के भ्रमण दल ने उस्मानाबाद, भीर, जलगांव, बुलढाना, अमरावती, यवतमाल और अकोला में 30 दिन वाले 7 पाठ्यक्रम चलाए। सामुदायिक विकास प्रायोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार योजना खंडों में समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं को लिए बहुत से पाठ्यक्रमों, शिविरों आदि का भी आयोजन किया गया।

जम्मू और काश्मीर :

इस प्रदेश में एक दृश्य-श्रव्य-चल एकक पहले से ही था। इसके अलावा एक और दृश्य-श्रव्य चल एकक चालू किया गया ताकि जम्मू और श्रीनगर दोनों स्थानों के लिए अलग अलग व्यवस्था हो जाए।

केरल :

विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र, कोट्टारक्कर में समाज शिक्षा की पुनर्चर्याएं आयोजित की गयीं। इनमें नव प्रशिक्षण का काम जिला समाज अधिकारियों ने किया। राज्य में साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत पहले से ही अधिक था, अतः साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के पिछड़े क्षेत्रों में ही चलाया गया।

मद्रास :

कालेजों और माध्यमिक स्कूलों की ऊंची कक्षाओं के छात्रों के लिये नागरिकता प्रशिक्षण-क्रम आयोजित किए गए। प्रौढ़ विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने वाले दो सरकारी प्रशिक्षण स्कूलों में 496 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किए गए।

मैसूर :

आलोच्य वर्ष में अध्यापकों के लिए दृश्य शिक्षा का एक अल्पकालीन प्रशिक्षण-क्रम चलाया गया। राज्य में दृश्य-श्रव्य शिक्षा के विस्तार के लिए 1.85 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी। दृश्य-शिक्षा लाइब्रेरी और फ़िल्म लाइब्रेरी की स्थापना भी की गयी।

उड़ीसा :

राज्य में समाज शिक्षा के प्रसार के माध्यम के रूप में अधिकाधिक नाटकों का आयोजन किया गया। दो रिकार्ड और दो इस्तहार तैयार किए गए और उन्हें विकास खंडों में वितरित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में बांटने के लिए पांच पुस्तकें दुबारा प्रस्तुत की गईं।

राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा परिषद् द्वारा की गई सिफ़ारिशों के आधार पर दृश्य-श्रव्य शिक्षा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य दृश्य-श्रव्य शिक्षा परिषद् की एक बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ साथ ये निर्णय भी किये गये : (1) राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा परिषद् की सिफ़ारिशों के अनुसार इस विषय का अनुसंधान, प्रशिक्षण स्कूलों के बजाय प्रशिक्षण कालेजों में किया जाय, और (2) वार्षिक उत्सव के अवसर पर स्कूलों को दृश्य-श्रव्य शिक्षा सप्ताह मनाना चाहिये।

उत्कल विश्वविद्यालय ने अपने बी० एड० के नए पाठ्यक्रम में दृश्य-श्रव्य शिक्षा को भी एक विषय के रूप में स्वीकार कर लिया।

पंजाब :

साक्षरता कार्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाने के लिये यह तय किया गया था कि उसमें उपयोगी शिल्प का प्रशिक्षण भी शामिल कर लिया जाए। इस दृष्टि से प्रौढ़ साक्षरता शिल्प केन्द्र खोले गए जिनमें स्त्रियों ने विशेष रूप से अधिक भाग लिया।

राजस्थान :

दृश्य-श्रव्य शिक्षा कार्यालय ने सेवा कालीन प्रशिक्षण-क्रमों की व्यवस्था की। इनमें दृश्य-श्रव्य शिक्षा संबंधी उपकरणों से काम लेने और उनकी मामूली मरम्मत करने का प्रशिक्षण दिया गया।

कुछ स्कूलों में रेडियो भी लगाये गए।

उत्तर प्रदेश :

आलोच्य वर्ष में विद्यमान पुस्तकालयों को 80,473 रु० की पुस्तकें और दी गईं। शिक्षा विस्तार विभाग ने 'नवज्योति' का सहकारी खेती विशेषांक निकाला और सात अन्य पुस्तकें प्रकाशित कीं। शिक्षा-विस्तार कार्यालय के फ़िल्म अनुभाग ने पांच फिल्में और फिल्म पट्टियां तैयार कीं जिनके नाम इस प्रकार हैं:—(1) राष्ट्रीय सेमिनार, (2) प्रयाग, (3) नन्हें सिपाही, (4) लखनऊ, (5) विभागीय समाचार, (6) रोगों की रोक-थाम, और (7) किताबों का सही प्रयोग।

पश्चिमी बंगाल :

पुस्तकालयों के प्रति लोगों की रुचि जागृत करने के लिये बंगाल पुस्तकालय संघ (बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन) ने 'पुस्तकालय सप्ताह' चलाया। इस सप्ताह में सार्वजनिक सभाओं, पुस्तक-प्रदर्शनियों आदि व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस वर्ष पुस्तकाध्यक्ष प्रशिक्षण क्रम चलाने के लिए एसोसिएशन को 4,250 रु० की और हावड़ा ज़िला पुस्तकालय संघ को 1,230 रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा चार अन्य प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों को लोक-मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये विशेष अनुदान दिए गए। प्रत्येक संगठन को 1,000 रु० दिये गये।

कलिम्पोंग और बाणीपुर के पीपुलस् कालेजों में दस-दस दिन के मेलों का आयोजन किया गया। इन अवसरों पर शिक्षा और मनोरंजन सम्बन्धी कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई, जिनमें गांव की दस्तकारियों की प्रदर्शनी, पशु और कुक्कुट-प्रदर्शनी, देशी खल-कद और मनोविनोद के अन्य कार्यक्रम प्रमुख थे।

हिमाचल प्रदेश :

सोलन में दृश्य-श्रव्य शिक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 45 अध्यापकों ने भाग लिया। शिक्षा निदेशालय के दृश्य-श्रव्य शिक्षा एकक ने फ़िल्में दिखाने की व्यवस्था की और रेडियो तथा दृश्य-श्रव्य शिक्षा संबंधी साहित्य बांटे गए।

मनिपुर :

राज्यक्षेत्रों में संगोष्ठियों और समाज सेवा शिबिरों का आयोजन किया गया। एक फिल्म प्रक्षेपी, कई फ़िल्में, टेप रिकार्डर और एक पार-चित्रदर्शी (एपीडायास्कोप) खरीदे गये।

त्रिपुरा

राज्य-क्षेत्र में नियमित रूप से काम करने के लिए समाज-शिक्षा आयोजकों की नियुक्ति की गई। समाज शिक्षा संबंधी कुल कार्यक्रमों पर इस वर्ष 7,11,784 रु० खर्च किय गए।

सन् 1959-60 में 204 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें गांवों के 37 तत्कालीन नेता भी थ। इन नेताओं को वृत्तिकाओं के रूप में 2,713 रु० दिये गए। बंगला एवं कबीलों की भाषाओं में प्रौढ़ साहित्य प्रकाशित किया गया। नव साक्षरों की पत्रिका "साक्षर" का प्रकाशन जारी रखा गया।

पांडिचेरी :

विभाग में दृश्य-श्रव्य शिक्षा-एकक की स्थापना की गई और आवश्यक साज-सामान खरीदा गया।

आंकड़े—

इस वर्ष समाज-शिक्षा स्कूलों, केन्द्रों और कक्षाओं की संख्या 4,150 बढ़ गई। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 51,736 हो गयी। इन स्कूलों आदि की कुल संख्या के 21.0 प्रतिशत स्कूलों आदि का संचालन सरकार, 2.5 प्रतिशत का स्थानीय परिषदें तथा 76.5 प्रतिशत का संचालन ग़ैर-सरकारी संस्थाएँ कर रही थीं। इन केन्द्रों आदि में प्रौढ़ों की कुल संख्या 12,57,760 से बढ़ कर 13,69,811 (11,61,371 पुरुष और 2,08,440 स्त्रियां) हो गई। इनमें से 7,37,006 को अक्षर-ज्ञान दिया गया जिनमें 1,09,533 स्त्रियां भी थीं। इस वर्ष समाज शिक्षा पर कुल मिला-कर 113,06,194 रु० खर्च हुए। यह खर्च पिछले वर्ष के खर्च से 20.4 प्रतिशत अधिक था। सरकार ने 85.6 प्रतिशत, स्थानीय निकायों ने 5.1 प्रतिशत और अन्य संस्थाओं ने 9.3 प्रतिशत व्यय किया।

सारणी CVI में समाज शिक्षा के राज्यवार विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं।

सारणी CVI—समाज शिक्षा के आंकड़े

राज्य	स्कूलों/कक्षाओं/केन्द्रों की संख्या			पढ़ने वाले वयस्कों की संख्या	
				पुरुष	
	1958-59	1959-60	वृद्धि (+) या कमी (—)	1958-59	1959-60
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	1,869	1,393	− 476	52,000	41,969
आसाम	717	700	− 17	21,945	17,076
बिहार	6,617	7,021	+ 404	2,07,833	2,32,023
बम्बई { महाराष्ट्र . . .	19,218	12,454	+ 1,499	3,12,224	1,96,323
बम्बई { गुजरात . . .	*	8,263	*	*	1,52,867
केरल	134	16	− 118	3,578	396
मध्य प्रदेश	1,113	2,342	+ 1,229	31,137	48,366
मद्रास	1,422	1,248	— 174	35,131	28,906
मैसूर	6,251	6,132	— 119	91,967	78,561
उड़ीसा	2,798	2,438	— 360	80,303	87,726
पंजाब	837	914	+ 77	11,239	7,816
राजस्थान	1,340	3,235	+ 1,895	25,317	56,528

उत्तर प्रदेश	534	459	− 75	11,382	11,183
पश्चिमी बंगाल . . .	3,901	4,241	+ 340	1,70,912	1,80,190
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह . .	4	4	..	75	112
दिल्ली	198	172	− 26	3,832	3,435
हिमाचल प्रदेश . . .	64	158	+ 94	621	1,126
लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमीन दीवि द्वीप समूह	5	12	+ 7	122	264
मनिपुर	121	78	— 43	1,717	1,452
त्रिपुरा	403	418	+ 15	17,426	13,617
पांडिचेरी	40	38	− 2	1,309	1,435
भारत	47,586	51,736	+4,150	10,80,070	11,61,371

*ये आंकड़ें, महाराष्ट्र के सामने दिये गये आंकड़ों में शामिल हैं।

सारणी CVI—समाज शिक्षा के आंकड़े—(जारी)

राज्य	पढ़ने वाले वयस्कों की संख्या				
	स्त्रियां		जोड़		वृद्धि (+) या कमी (−)
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	
1	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	4,527	3,564	56,527	45,533	− 10,994
आसाम	3,026	4,885	24,971	21,961	− 3,010
बिहार	26,678	28,307	2,34,511	2,60,330	+ 25,819
बम्बई { महाराष्ट्र	59,019	51,704	3,71,243	2,48,027	+ 61,642
बम्बई { गुजरात	*	31,991	*	1,84,858	*
केरल	354	42	3,932	438	− 3,494
मध्य प्रदेश	1,231	3,159	32,368	51,525	+ 19,157
मद्रास	6,442	5,706	41,573	34,612	− 6,961
मसूर	9,647	7,597	1,01,614	86,158	− 15,456
उड़ीसा	8,790	9,644	89,093	97,370	+ 8,277
पंजाब	12,166	14,922	23,405	22,738	− 667

राजस्थान	5,428	5,870	30,745	62,398	+ 31,653
उत्तर प्रदेश	2,922	1.953	14,304	13,136	— 1,168
पश्चिमी बंगाल	26,081	31,018	1,96,993	2,11,208	+ 14,215
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह . .	6	8	81	120	+ 39
दिल्ली	5,450	3,981	9,282	7,416	— 1,866
हिमाचल प्रदेश	41	345	662	1,471	+ 809
लक्कादीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	..	14	122	278	+ 156
मनिपूर	1,053	419	2,770	1,871	— 899
त्रिपुरा	4,632	3,020	22,058	16,637	— 5,421
पांडिचेरी	197	291	1,506	1,726	+ 220
भारत	1,77,690	2,08,440	12,57,760	13,69,811	+ 1,12,051

*ये आंकड़े, महाराष्ट्र के सामने दिये गये आंकड़ों में शामिल हैं ।

सारणी CVI—समाज शिक्षा के आंकड़े—(जारी)

राज्य	साक्षर किये गये वयस्कों की संख्या			अध्यापकों की संख्या	समाज शिक्षा पर कुल खर्च	
	पुरुष	स्त्रियां	जोड़		1958-59	1959-60
1	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश . .	29,145	3,156	32,301	58	3,11,766	2,13,882
आसाम . . .	11,210	3,491	14,701	138	1,44,922	92,825
बिहार . . .	1,79,826	22,119	2,01,945	328	11,98,275	12,29,939
बम्बई { महाराष्ट्र . .	76,749	17,797	94,546	5	11,22,237	9,27,747
बम्बई { गुजरात . .	66,266	14,598	80,864	6,486	*	4,84,087
केरल . . .	396	42	438	21	47,875	2,303
मध्य प्रदेश . .	34,971	2,872	37,843	235	4,70,223	5,54,796
मद्रास . . .	2,462	349	2,811	+	3,99,541	3,82,966
मैसूर . . .	20,957	1,643	22,600	5,257	1,83,408	4,79,823
उड़ीसा . . .	57,932	5,680	63,612	1,336	3,40,709	4,56,955
पंजाब . . .	5,701	13,018	18,719	275	4,64,280	4,21,068
राजस्थान . .	56,528	5,870	62,398	+	5,32,000	5,45,829

उत्तर प्रदेश . .	8,821	1,399	10,220	464	1,19,335	96,547
पश्चिमी बंगाल . .	61,233	11,173	72,406	1,527	26,77,168	41,90,098
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	112	8	120	+	2,140	15,841
दिल्ली . . .	1,364	2,945	4,309	188	4,56,800	4,36,675
हिमाचल प्रदेश . .	1,126	345	1,471	91	7,769	36,727
लक्का दीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	198	10	208	..	740	7,608
मनिपुर . . .	1,129	302	1,431	+	12,489	8,573
उपूसी (नेफा) . .	..	..	..	..	..	..
त्रिपुरा . . .	10,469	2,482	12,951	576	8,83,399	7,11,784
पांडिचेरी . . .	878	234	1,112	44	11,874	10,131
भारत .	6,27,473	1,09,533	7,37,006	17,029	93,86,950	1,13,06,194

*ये आंकड़ें, महाराष्ट्र के सामने दिये आंकड़ों गये में शामिल हैं।

+प्राप्त नहीं।

सारणी CVI—समाज शिक्षा के आंकड़े—(जारी)

राज्य	समाज शिक्षा पर कुल खर्च: वृद्धि (+) या कमी (—): रकम	समाज शिक्षा पर कुल खर्च: वृद्धि (+) या कमी (—): प्रतिशत	शिक्षा के कुल खर्च का प्रतिशत जो समाज शिक्षा पर खर्च हुआ।	नीचे लिखे गये स्रोतों से पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत: सरकारी निधियां	जिला परिषदों की निधियाँ	नगर-पालिकाओं की निधियाँ	अन्य आय स्रोत
1	18	19	20	21	22	23	24
आंध्र प्रदेश	— 97,884	— 31.4	0.1	67.2	31.5	0.9	0.4
आसाम	— 52,097	— 35.9	0.1	99.1	..	..	0.9
बिहार	+ 31,664	+ 2.6	0.6	97.5	..	..	2.5
बम्बई { महाराष्ट्र . .	2,89,587	+ 25.8	0.2	79.3	..	4.9	15.8
बम्बई { गुजरात . . .	*	*	0.3	61.4	26.9	2.6	9.1
केरल	— 45,572	— 95.2	0.0	100.0	..	..	..
मध्य प्रदेश . . .	+ 84,573	+ 18.0	0.3	98.8	..	..	1.2
मद्रास	— 16,575	— 4.1	0.1	97.1	..	..	2.9
मैसूर	+2,96,415	+161.6	0.3	68.5	..	13.5	18.0
उड़ीसा	+1,16,246	+ 34.1	0.7	94.3	..	..	5.7

पंजाब	− 43,212	− 9.3	0.3	91.2	..	3.9	4.9
राजस्थान	+ 13,829	+ 2.6	0.5	100.0	..	..	..
उत्तर प्रदेश . . .	− 22,788	− 19.9	0.0	88.9	..	5.5	5.6
पश्चिम बंगाल . . .	+15,12,930	+ 56.5	1.3	83.4	0.0	0.6	16.0
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह .	+ 13,701	+640.2	1.9	100.0	..	..	..
दिल्ली	− 20,125	− 4.4	0.5	52.9	..	47.1	..
हिमाचल प्रदेश . . .	+ 28,958	+372.7	0.4	99.7	..	..	0.3
लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह।	+ 6,868	+928.1	2.3	100.0	..	..	..
मनिपुर	− 3,916	− 30.3	0.1	100.0	..	..	..
त्रिपुरा	− 1,71615	− 19.4	5.4	100.0	..	..	..
पांडिचेरी	− 1,743	− 14.7	0.2	96.8	..	..	3.2
भारत . . .	+19,19,244	+ 20.4	0.4	85.6	1.8	3.3	9.3

*ये आंकड़े, महाराष्ट्र के सामने दिये गये आंकड़ों में शामिल हैं।

दसवां अध्याय

1. पूर्व-प्राथमिक शिक्षा

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 3 से 5 या 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। यह शिक्षा पूर्व-प्राथमिक और पूर्व-बुनियादी स्कूलों और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध पूर्व-प्राथमिक और बाल (नर्सरी) कक्षाओं में दी जाती है। इस वर्ष पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की संख्या में 159 या 13.4 प्रतिशत की वृद्धि होने से इनकी कुल संख्या 1,349 हो गयी। पिछले वर्ष यह वृद्धि 28.2 प्रतिशत थी। इस संख्या में पूर्व-प्राथमिक संबद्ध कक्षाओं की संख्या शामिल नहीं है क्योंकि यह संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी है। कुल पूर्व-प्राथमिक स्कूलों में से 1140 या 84.5 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध गैर-सरकारी संस्थाएं, 854 का प्रबन्ध सहायता-प्राप्त संस्थाएं और 286 का प्रबन्ध सहायता न पानेवाली–गैर-सरकारी संस्थाएं, 157 या 11.6 प्रतिशत का स्थानीय परिषदें और शेष 52 या 3.9 प्रतिशत स्कूलों का प्रबंध सरकार कर रही थी।

सन् 1959–60 के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं तथा पूर्व-प्राथमिक और पूर्व-बुनियादी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या 1,51,013 (80,520 लड़के और 70,493 लड़कियां) थीं जबकि 1958–59 में यह संख्या 1,37,698 (75,093 लड़के और 62,605 लड़कियां) थी। आलोच्य वर्ष में इस संख्या में 12.7 प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि गत वर्ष यह वृद्धि 22.7 प्रतिशत थी।

पूर्व प्राथमिक और पूर्व-बुनियादी स्कूलों पर 51,15,187 रुपये का प्रयत्क्ष व्यय किया गया जो गत वर्ष के व्यय से 6,05,106 रुपये अधिक था। प्रत्यक्ष व्यय की इस राशि का 24.1 प्रतिशत सरकारी निधियों से, 9.7 प्रतिशत स्थानीय परिषदों की निधियों से, 39.7 प्रतिशत फ़ीस से और 26.5 प्रतिशत धर्मस्व व अन्य आय-स्रोतों से पूरा किया गया।

इन स्कूलों के अध्यापकों की संख्या सन् 1958–59 की 2,998 (404 पुरुष और 2,594 महिलाएं) से बढ़ कर 1959–60 में 3,486 (390 पुरुष और 3,096 महिलाएँ) हो गई। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में अध्यापकों की संख्या में 16.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि गत वर्ष यह वृद्धि 18.6 प्रतिशत थी। इन अध्यापकों में से 2,330 या 66.8 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित थे, जबकि पिछले वर्ष यही आंकड़े 2,100 या 70.1 प्रतिशत थे। ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश अध्यापक (अर्थात् 88.7 प्रतिशत) महिलाएं थीं, जिनमें से 66.4 प्रतिशत प्रशिक्षित थीं; जबकि पुरुषों में 70.3 प्रतिशत अध्यापक प्रशिक्षित थे।

पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के राज्यवार विस्तृत आंकड़े सारणी CVII में दिये गये हैं।

पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेशों में की गयी। इन राज्यों में कुल मिलाकर 27 पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालय थे। इस संख्या में उत्तर-प्रदेश का एक स्कूल शामिल नहीं है, क्योंकि उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। बम्बई राज्य में इन स्कूलों की संख्या सबसे अधिक (18) थी। इसके बाद क्रमशः मद्रास (4), मध्य प्रदेश (2) और आंध्र प्रदेश व केरल (प्रत्येक में एक-एक) के नाम आते हैं। पंजाब में ऐसा कोई पूर्व–प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय नहीं था। लेकिन राज्य के कुछ प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालयों में इस प्रकार के प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती थीं। इन प्रशिक्षण स्कूलों में से 19

सारणी CVII—पूर्व प्राथमिक स्कूलों के आंकड़े

राज्य	स्कूलों की संख्या		छात्रों की संख्या**		
			लड़के		लड़कियाँ
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60	1958-59
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	38	45	2,225	3,771	2,047
आसाम	25	34	3,322	3,549	3,320
बिहार	10	15	496	490	349
बम्बई { महाराष्ट्र . . .	685	436	37,594	15,578	27,073
बम्बई { गुजरात . . .	*	306	*	25,265†	*
जम्मू और काश्मीर . . .	..	..	3,027	5,610	7,761
केरल	13	13	752	795	787
मध्य प्रदेश	120	126	4,136	4,840	3,944
मद्रास	28	27	1,291	1,435	1,193
मैसूर	139	172	5,046	6,039	4,396
उड़ीसा . . .	[illegible]	[illegible]	4,435	31	2,299

सारणी CVII—पूर्व प्राथमिक स्कूलों के आंकड़े—(जारी)

1	2	3	4	5	6
पंजाब	3	4	430	551	252
राजस्थान	8	15	1,136	1,151	967
उत्तर प्रदेश	51	58	3,610	3,924	2,549
पश्चिमी बंगाल	41	62	3,349	3,851	3,013
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	..	1	582	877	401
दिल्ली	8	13	2,399	1,825	1,406
हिमाचल प्रदेश	2	2	34	40	36
मनिपुर	1	1	18	3	..
त्रिपुरा	1	2	27	45	22
पाण्डिचेरी	17	17	1,184	850	820
भारत . .	1,190	1,349	75,093	80,520	62,605

*यह आंकड़े महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं।

**इसमे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध कक्षाओं के छात्र भी शामिल हैं।

सारणी [illegible]—पूर्व प्राथमिक स्कूलों के आंकड़े—(जारी)

राज्य	छात्रों की संख्या**			व्यय	
	लड़कियां	जोड़			
	1959-60	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
1	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	2,980	4,272	6,751	1,04,111	1,17,203
आसाम	3,449	6,642	6,998	76,132	71,013
बिहार	468	845	958	52,432	63,749
बम्बई { महाराष्ट्र . . .	13,204	64,667	28,782	22,62,587	15,85,927
बम्बई { गुजरात . . .	16,745	*	42,010	*	9,83,784
जम्मू और काश्मीर . . .	10,770	10,788	16,380	..	..
केरल	799	1,539	1,594	26,045	35,918
मध्य प्रदेश	4,614	8,080	9,454	5,31,709	5,54,352
मद्रास	1,339	2,484	2,774	1,60,939	1,61,394
मैसूर	6,121	9,442	12,160	2,46,575	2,92,356
उड़िसा	19	6,734	50	..	..

सारणी—CVII पूर्व प्राथमिक स्कूलों के आंकड़े—(जारी)

1	7	8	9	10	11
पंजाब	522	682	1,073	14,610	18,814
राजस्थान	983	2,103	2,134	84,691	1,43,515
उत्तर प्रदेश	2,974	6,129	6,898	5,31,429	6,32,307
पश्चिमी बंगाल . . .	3,329	6,362	7,180	3,25,005	3,51,053
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . .	529	983	1,406	..	§
दिल्ली	1,025	3,805	2,850	49,874	57,577
हिमाचल प्रदेश	28	70	68	3,094	2,670
मनिपुर	7	18	10	3,720	4,284
त्रिपुरा	36	49	81	21,968	23,529
पांडिचेरी	552	2,004	1,402	15,160	15,742
भारत .	70,493	1,37,698	1,51,103	45,10,081	51,15,187

*ये आंकड़े महाराष्ट्र के आंकड़ों में शामिल हैं।

**इसके प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से संबध्द कक्षाओं के छात्र भी शामिल हैं।

†इन आँकड़ों में गुजरात राज्य की नर्सरी और शिक्षा कक्षाओं के छात्रों की संख्या भी शामिल है।

§प्राप्त नहीं।

(या 70.4 प्र० श०) स्कूलों का प्रबंध सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाएं, 4 (या 14.87 प्रतिशत) का सहायता न पाने वाली गैर-सरकारी संस्थाएं और शेष 4 (या 14.8 प्रतिशत) स्कूलों का प्रबंध सरकार कर रही थी। अन्य प्रशिक्षण स्कूलों से संबद्ध पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं को मिलाकर इन स्कूलों में छात्र-अध्यापकों की संख्या 1,907 (185 पुरूष और 1,722 महिलाएं) थीं।

इन स्कूलों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय 4,58,212 रुपये था, जिसकी प्राप्ति के विभिन्न स्रोत इस प्रकार थे: सरकारी निधियां 57.4 प्रतिशत, फीस 23.5 प्रतिशत, धर्मस्व 7.8 प्रतिशत, स्थानीय परिषदों की निधियां 0.3 प्रतिशत और अन्य स्रोत 11.8 प्रतिशत। इन स्कूलों का प्रति छात्र औसत वार्षीक शिक्षा व्यय 267.6 रुपये था।

सारणी CVIII में विभिन्न राज्यों के पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण स्कूलों से संबंधित विस्तृत आंकड़े दिये गये हैं।

सारणी CVIII--पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण स्कूलों के आंकड़े

राज्य	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या†			कुल प्रत्यक्ष खर्च	प्रति छात्र औसत वार्षिक खर्च
		लड़के	लड़कियां	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश . .	1	35	39	74	6,765	199.0
महाराष्ट्र . .	12	2	690	692	2,10,457	304.1
गुजरात . .	6	146	270	416	68,939	165.7
केरल . .	1	..	44	44	3,487	145.3
मध्य प्रदेश . .	2	..	230	230	71,184	342.2
मद्रास . .	4	..	289	289	44,980	155.6
पंजाब . .	..	2	91	93	..	..
उत्तर प्रदेश . .	1	..	69	69	55,400	1,069.4
भारत .	27	185	1,722	1,907	4,58,212	267.6

†संलग्न कक्षाओं के छात्र भी शामिल हैं।

2. सौन्दर्य–बोध की शिक्षा

सौंदर्य बोध की शिक्षा में मुख्यतः संगीत, नृत्य, अन्य ललित कलाओं तथा शिल्पों आदि का अध्ययन शामिल है। इन विषयों की शिक्षा लड़कियों के कुछ स्कूलों, बहुमुखी पाठ्यक्रमों वाले स्कूलों तथा कुछ कालेजों और विश्वविद्यालयों में दी गयी।

आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में जो कार्य किये उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :--

इन कलाओं की प्रगति के लिये केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के अधीन तीन अकादेमियां --अर्थात् साहित्य अकादेमी, संगीत नाटक अकादेमी और ललित कला अकादेमी--काम कर रही थीं। मंत्रालय ने इन अकादेमियों को क्रमशः 6 लाख, 14 लाख और 4 लाख रुपये के अनुदान दिए। इन, अकादेमियों के भवन का शिलान्यास अप्रैल, 1959 में किया गया।

इन तीनों अकादेमियों के कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :--

साहित्य अकादेमी

साहित्य अकादेमी का एक मुख्य कार्य एक भारतीय भाषा के लेखकों और पाठकों को अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से परिचित कराना है। इसके लिये अकादेमी ने भारतीय भाषाओं के गौरवग्रन्थों (क्लासिक्स) तथा अन्य पुस्तकों के संपादन, अनुवाद और प्रकाशन करने का काम जारी रखा। प्रकाशित ग्रन्थों में अन्य ग्रन्थादि के अलावा नीचे लिखे ग्रन्थ भी शामिल हैं :-

(1) इस शताब्दी के शुरू से लेकर सन् 1953 तक के भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय ग्रन्थ सूचि ;

(2) कालिदास के ग्रन्थों अर्थात् मेघदूत, विक्रमोर्वशीय, कुमारसंभव और शकुन्तला के समीक्षापूर्ण संस्करण ;

(3) संस्कृत साहित्य की वृहत् सुभाषितमाला। यह कई खण्डों में है ;

(4) विभिन्न भाषाओं की भारतीय कविता के संग्रह ;

(5) विभिन्न भारतीय भाषाओं के लघुकथाओं, निबन्धों और एकांकियों के प्रतिनिधि संग्रह ;

(6) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि लघुकथाओं का अंग्रेजी अनुवाद : 'कान्टेम्प्रेरी इंडियन शार्ट स्टोरीज़' ;

(7) विभिन्न भाषाओं के साहित्य का इतिहास ;

(8) भारत की सभी भाषाओंके लगभग 5,500 भारतीय लेखकों की एक परिचय पुस्तिका (हूज़ हू) ;

(9) टैगोर की बंगला और अंग्रेजी ग्रन्थों की सूचि और उनका अन्य भारतीय विदेशी भाषाओं में अनुवाद ;

(10) एक रूसी-हिन्दी शब्द कोश, एक तिब्बती-हिन्दी शब्द कोश और एक चीनी-हिन्दी शब्दकोश का प्रकाशन तथा एक बंगला-बंगला शब्दकोश (बंगीव शब्दकोश) का पुनरीक्षण और पुनर्मुद्रण ;

(11) अकादेमी की छमाही पत्रिकाएँ, अर्थात् अंग्रेजी की 'इंडियन लिटरेचर' और संस्कृत की "संस्कृत प्रतिभा"।

इसके अलावा, साहित्य अकादेमी ने सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के पश्चिम के महत्वपूर्ण गौरवग्रन्थों के अनुवाद का काम भी किया। यह कार्य यूनेस्को की परियोजना, 'पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्यों का परिस्परिक परिबोध' के अन्तर्गत किया गया। इसके लिये यूनेस्को ने 5,000 डालर का छपाई का कागज दिया। इसके अतिरिक्त, अकादेमी ने यूनेस्को के साथ एक अन्य परियोजना अर्थात् पूर्वी गौरव ग्रन्थों का 'पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद' परियोजना में सहयोग किया। इसके परिणामस्वरूप 'सेक्रेड राइटिंग्ज़ आफ दि सिख्स' (आदि ग्रन्थ) प्रकाशित किया गया।

कवीन्द्र टैगोर की जन्म शती सन् 1961 में मनाई जाने वाली थी। इसके सम्बन्ध में अकादेमी की यह आयोजना थी कि वह चुनी हुई कृतियों की शताब्दीमाला प्रकाशित कराएगी। यह कार्य दो मालाओं में किया जा रहा था, एक माला में मूल बंगला पाठ को हिन्दी लिपि में लिखा जा रहा था तथा दूसरे में उसका अनुवाद अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा रहा था।

साहित्य अकादेमी ने हरेक प्रमुख भारतीय भाषा की सर्वोत्तम साहित्यिक रचना पर पांच पांच हजार रुपये के वार्षिक पुरस्कार दिए। अकादेमी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं के 24 प्रकाशनों के लिए वित्तीय सहायता देनी मंजूर की और सात अन्य ग्रन्थों की प्रतियां खरीदकर उनके प्रकाशन में सहायता की।

ललित कला अकादेमी

ललित कला अकादेमी ने मार्च 1960 में नयी दिल्ली में "राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी" आयोजित की। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में, अकादेमी ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न कलाकारों से 13,700 रु० की 22 कलाकृतियां खरीदीं।

इस वर्ष अकादेमी ने विदेशों में आयोजित होने वाली बहुत सी प्रदर्शनियों में भाग लिया। इसने सन् 1959 में होने वाली 1st Paris Viennla में पांच कलाकृतियों, युगोस्लाविया में आयोजित तीसरी अन्तर्राष्ट्रीय लेखाचित्र कला प्रदर्शनी में 34 लेखा चित्रीय कृतियां और बर्नेस (स्विटजरलैण्ड) में आयोजित 'हस्तशिल्प प्रदर्शनी' में छह चित्र भेजे। अकादेमी ने दिसम्बर 1959 में संयुक्त अरब गणराज्य में आयोजित सामयिक कला प्रदर्शनी के लिये 58 कलाकृतियां काहिरा को, तथा लुगानों (स्विटजरलैंड) की अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइंग तथा नक्काशी प्रदर्शनी के लिए 11 लेखा चित्र भेजे। यह प्रदर्शनी अप्रैल, 1960 में हुई थी नवम्बर, 1959 में "भारतीय कला के 5,000 वर्ष" नामक प्रदर्शनी ज़्यूरिस में आयोजित की गई है और फिर पेरिस में। उसके बाद यह प्रदर्शनी वियना और रोम को भेजी जाने वाली थी।

आलोच्य वर्ष में 4 विदेशी प्रदर्शनियां भारत में लगने के लिये आई। इनमें से दो प्रदर्शनियां सोवियत रूस की थीं और एक-एक प्रदर्शनी पोलैंड और जर्मनी गणराज्य की। ये प्रदर्शनियां भारत में विभिन्न स्थानों पर लगाई गयी।

अकादमी ने 'भारत और विदेशों के बीच कलाकारों के आदान-प्रदान के कार्यक्रम' के अन्तर्गत मई, 1959 में दो कलाकार सोवियत रूस को भेजे। उधर से दिसम्बर, 1959 में उस देश के दो कलाकार भारत आये। बैराट (राजस्थान) के चुने हुए भित्ति चित्रों का प्रतियां तैयार करने का काम पूरा हो गया है। गुजरात में सर्वेक्षण-कार्य शुरू किया गया। ललित कला अकादेमी ने तीन प्रकाशन भी निकाले: बूंदी पेंटिंग, बीरभूमि टेराकोटाज और ललित कला नं० 51 अकादेमी की मान्यतादायी उपसमिति ने पांच कला संस्थाओं को मान्यता प्रदान की। सत्रह संस्थाओं को सब मिलाकर 70,000 रु० सरकारी सहायता के रूप में दिए गए। इसके अलावा पांच राज्यों अर्थात् आसाम, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान की अकादेमियों को दो-दो हजार रु० के अनुदान दिये गये।

संगीत नाटक अकादेमी

इस अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में नाटक-प्रतियोगिताएं आयोजित करने की आयोजना बनाई। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अकादेमी ने हिन्दी नाटक-प्रतियोगिता आयोजित की, जो इस प्रतियोगितामाला में प्रथम थी।

आलोच्य वर्ष में अकादेमी ने संगीत, नृत्य, नाटक और फिल्म के उत्कृष्ट कलाकारों को हिन्दुस्तानी संगीत में दो पुरस्कार, कर्नाटक संगीत में दो, रचनात्मक नृत्य में एक, नाटक में तीन और फ़िल्म में एक पुरस्कार दिये। अकादेमी ने विभिन्न मंडलियों को लोकनृत्य के लिए विजयोपहार (ट्राफी) और पुरस्कार भी दिए। मध्य प्रदेश की मंडली को गौड़नृत्य के लिए प्रथम पुरस्कार तथा संगीत नाटक अकादेमी को चल विजयोपहार दिया गया। मनिपुर मंडली को 'धूमें पुंग चलोम्' नृत्य के लिये एक विशिष्ट पुरस्कार (कप) दिया गया। इसके अलावा, आसाम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की मंडलियों को पांच अन्य पुरस्कार (प्लैक) दिये गये।

अकादेमी ने संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में काम करने वाली अनेक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी। उन्हें विशेष सांस्कृतिक उत्सवों आदि के लिए भी सहायता दी गयी। सन् 1959–60 में कुल मिलाकर 4,15,150 रु० मंजूर किए गए।

अकादेमी ने अपनी लाइब्रेरी के लिए विख्यात संगीतज्ञों के संगीत के रिकार्ड भी बनवाए। अकादेमी ने (i) लोक कलाकार संघ, अल्मोड़ा के कुमांउनी रामलीला गीतिनाट्य, (ii) लिटिल बैले ट्रुप, बम्बई के पंचतंत्र बैले के संगीत, ( ) लोककलाकार मंडल, उदयपुर की मुमल नृत्य नाटिका के संगीत, तथा (iv) आस्ट्रेलिया के [illegible] एन्डरफोल के एक घण्टे के पियानो-वादन के पूरे रिकार्ड बनवाए। अकादेमी ने गणतंत्र दिवस के लोक नृत्य समारोह के लोकनृत्यों की तीन फिल्में भी तैयार की और वियतनाम तथा यूगोस्लाविया के सांस्कृतिक शिष्टमंडलों एवं रंगमंच स्थापत्य संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत का आयोजन किया

राज्य में मुख्य विकास

विभिन्न राज्यों में सौन्दर्य-बोध शिक्षा के विकासों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

केरल

केरल कलामण्डलम् ने कथकली, ओट्टनतुल्लल मोहि निवाहम तथा राज्य में प्रचलित अन्य नाट्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया।

महाराष्ट्र

आलोच्य वर्ष में श्री जे० जे० स्कूल आफ़ आर्टस के ड्राइंग और पेंटिंग विभाग ने दो प्रदर्शनियां आयोजित कीं। स्कूल ने पांचवीं राज्य प्रदर्शनी में भी भाग लिया। यह प्रदर्शनी अहमदाबाद में हुई थी।

नाट्य कला के क्षेत्र में मराठी के पांच नाटकों को पुरस्कार के लिए चुना गया। माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों में उसके लिए अन्तर-राज्य नाटक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयीं पूना और नागपुर में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 15–15 दिनों के प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन किया गया। बम्बई में फरवरी, 1960 में संस्कृत नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भाग लेने वाली तीन संस्थाओं को कुल मिलाकर 1,000 रु० के पुरस्कार बांटे गए।

सर्वेक्षण कार्यक्रम के संबंध में पुरी और भुवनेश्वर के मंदिरों को भित्तियों की अनेक नृत्य मुद्राओं का संग्रह किया गया और भविष्य में प्रयोग करने के लिये उनका परिक्षण किया गया। कोणार्क के मंदिर की भित्तियों की नृत्य-मुद्राओं का अनुकरण करने के लिए स्थानीय नर्तकदल से काम लिया गया।

पश्चिमी बंगाल

बंगावानी में 20 प्रशिक्षार्थियों को लोककला तथा संगीत आदि का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणक्रम तीन महीने तक चला। नवद्वीप और कूच बिहार में प्रशिक्षणक्रम चलाए गए। इन में 10 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया।

मनिपुर

कुछ हाई स्कूलों में संगीत को पाठ्य-विषय बना दिया गया है।

उपूसी (नेफ़ा)

स्कूलों की पाठ्यचर्या में संगीत और नृत्य को अनिवार्य व्यावहारिक विषय बना दिया गया।

आंकड़े

संगीत, नृत्य तथा अन्य ललित कलाओं के आंकड़े सारणी CIX और CX में दिए गये हैं। प्रत्येक प्रकार की संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

संगीत और नृत्य के विद्यालय

आलोच्य वर्ष में संगीत और नृत्य के 2 विद्यालय कम हो गये। इस प्रकार उनकी संख्या 167 रह गई। राज्यों में उनकी संख्या में जो कमी हुई वह इस प्रकार थी : आसाम (1), बम्बई (4), मध्य प्रदेश (2), और त्रिपुरा (3), बिहार, जम्मू और काश्मीर तथा दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य क्षेत्रों में कोई नया विद्यालय नहीं खुला। शेष राज्यों में ऐसी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। आसाम और त्रिपुरा में इनकी संख्या में कमी होने का कारण इन संस्थाओं का बन्द हो जाना था। बम्बई में इनकी कमी का कारण कुछ विद्यालयों का बन्द हो जाना था और कुछ विद्यालयों की मान्यता समाप्त करना था। मध्य प्रदेश में दो विद्यालय इसलिये कम हो गये कि वहां एक विद्यालय को इन्दिराकला विश्वविद्यालय से मिला दिया गया और दूसरे को कालेज के रूप में समुन्नत कर दिया गया। इन विद्यालयों के अलावा कुछ कालेजों के साथ स्कूल स्तर की संगीत और नृत्य की कक्षाए भी संबंद्ध थीं।

संगीत और नृत्य के विद्यालयों तथा संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 10,898 थी जबकि पिछले साल उनकी संख्या 10,646 थी। इसके अतिरिक्त, आलोच्य वर्ष में अन्य संस्थाओं के भी कुछ वास्तविक विद्यार्थी इनमें से कुछ संस्थाओं में अध्ययन कर रहे थे जबकि पिछले वर्ष ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 445 थी।

इन संस्थाओं पर किया गया कुल खर्च 12,30,045 रु० था, जबकि पिछले साल 12,91,089 रु० था। कुल खर्च का 37.3 प्रतिशत सरकारी निधियों से, 34.4 फ़ीस से और 28.3 प्रतिशत धर्मस्व तथा अन्य स्रोतों से पूरा किया गया। संगीत और नृत्य विद्यालयों में प्रति छात्र औसत वार्षिक शिक्षा व्यय 112.8 रु० था।

अन्य ललित कलाओं के विद्यालय

अन्य ललित कला के विद्यालयों की संख्या 39 से बढ़कर 42 हो गई। यह वृद्धि बम्बई (1) और केरल (2) में हुई। राज्यों में जम्मू और काश्मीर तथा पंजाब, एवं संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली और मनीपुर को छोड़कर और सभी राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों में कोई ललित कला विद्यालय नहीं था। अन्य राज्यों में इनकी संख्या पिछले वर्ष के समान हो रही। अन्य ललित कलाओं के कुछ कालेजों के साथ स्कूल कक्षाए भी संबद्ध थीं। इन स्कूलों और संबद्ध कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3,256 से बढ़कर 3,597 हो गई। इसके अतिरिक्त, अन्य संस्थाओं के वास्तविक विद्यार्थियों ने भी इन विद्यालयों में ललित कलाओं का शिक्षण प्राप्त किया।

अन्य ललित कलाओं के विद्यालयों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष खर्च 7,84,418 रु० था, जबकि पिछले साल यह खर्च 6,98,509 रु० रहा। सरकारी निधियों, स्थानीय परिषदों की निधियों फ़ीस और धर्मस्व तथा अन्य स्रोतों से पूरे किये गये खर्च का प्रतिशत क्रमश: 59.3, 1.1, 26.5 और 13.1 था। इन विद्यालयों का प्रतिछात्र औसत वार्षिक खर्च 218 रु० था।

संगीत और नृत्य के कालेज

संगीत और नृत्य के कालेजों की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गई। बिहार और मनिपुर में एक-एक कालेज पहली बार ही खुला, जबकि मध्य प्रदेश में कालेज और बढ़ गया। आंकड़े न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश का एक कालेज इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन संगीत-नृत्य कालेजों के अलावा अन्नमलाई, दिल्ली तथा इन्दिरा कला विश्वविद्यालय, मद्रास, पटना, तथा वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के विश्व संगीत भवन में संगीत और नृत्य के शिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गयीं।

आलोच्य वर्ष के दौरान संगीत और नृत्य के इन कालेजों का तथा विश्वविद्यालय-अध्यापन विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 6,494 से बढ़कर 6,627 हो गई। इस संख्या में इन संस्थाओं के स्कूल स्तर के पाठ्यक्रमों में शिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या शामिल नहीं की गई है। इसके साथ ही अन्य संस्थाओं के वास्तविक विद्यार्थियों ने भी इन संस्थाओं में शिक्षण प्राप्त किया। पिछले साथ ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 192 थी। सन् 1958–59 के 10,75,613 रु० की तुलना में, सन् 1959–60 में संगीत और नृत्य के कालेजों का कुल खर्च 12,65,866 रु० रहा। कुल प्रत्यक्ष व्यय का 48.0 प्रतिशत सरकारी निधियों से, 0.4 प्रतिशत स्थानीय परिषदों की निधियों से, 27.4 प्रतिशत फ़ीस से और 24.2 प्रतिशत धर्मस्व तथा अन्य स्रोतों से पूरा किया गया। संगीत-नृत्य कालेजों का प्रति छात्र औसत वार्षिक शिक्षा व्यय 191 रु० रहा।

ललित कला कालेज

आलोच्य वर्ष में ललित कला कालेजों की संख्या, पिछले साल के समान ही (8) रही ये कालेज आंध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में थे। इसके अतिरिक्त बड़ौदा गोरखपुर, मद्रास और विश्वभारती विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में भी ललित कलाओं के शिक्षण की सुविधाएं थीं।

स्कूल स्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को छोड़कर इन कालेजों और विश्वविद्यालय अध्यापन-विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 3,018 से घटकर 1,760 हो गई। पिछले वर्ष के 8,16,264 रु० की तुलना में अन्य ललित कलाओं के कालेजों पर किया गया कुल प्रत्यक्ष व्यय 7,29,994 रु० था। इस खर्च का 69.9 प्रतिशत सरकारी निधियों से, 13.6 प्रतिशत फ़ीस से और 16.5 प्रतिशत धर्मस्व तथा अन्य आय स्रोतों से पूरा किया गया। इनमें प्रति छात्र औसत वार्षिक शिक्षा व्यय 414.7 रु० रहा।

सारणी CIX—संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के स्कूलों के आंकड़े, (1959-60)

राज्य	संगीत के स्कूल				अन्य ललित कलाओं के स्कूल			
	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़		लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	11	260	741	1,001	1	31	1	32
आसाम	12	109	194	303	1	52	6	58
बिहार	..	..	..	..	1	71	..	71
बम्बई { महाराष्ट्र	44	868	1,304	2,172	17	1,305	231	1,536
बम्बई { गुजरात	10	511	334	845	4	78	19	97
केरल	6	150	403	553	5	116	76	192
मध्य प्रदेश	2	15	37	52	..	..	..	..
मद्रास	1	8	72	80	3	399	12	411
मैसूर	24	524	1,077	1,601	4	346	31	377
उड़ीसा	12	241	446	687	2	75	57	132
पंजाब	..	..	..	..	1	146	1	147
राजस्थान	4	228	257	485	..	..	..	..
उत्तर प्रदेश	10	101	411	512	..	..	..	..
पश्चिमी बंगाल	30	573	1,834	2,407	1	416	34	450
दिल्ली	1	14	186	200	1	16	28	44
मनिपुर	..	..	..	..	1	49	1	50
जोड़	167	3,602	7,296	10,898	42	3,100	497	3,597

सारणी CX—संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं के कालेजों के आंकड़े—(जारी)

राज्य	कालेज							
	संगीत कालेज				अन्य ललित कलाओं के कालेज			
	संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या			संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या		
		लड़के	लड़कियां	जोड़		लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश . .	..	..	..	..	1	217	48	265
बिहार . . .	1	13	17	30	..	..	..	..
बम्बई { महाराष्ट्र . .	..	..	..	..	1	339	162	501
बम्बई { गुजरात . .	1	212	148	360	1	143	23	166
मध्य प्रदेश . .	18	984	1,236	2,220	4	441	110	551
मद्रास . . .	2	24	134	158	..	..	..	..
उड़ीसा . . .	2	104	245	349	..	..	..	..
राजस्थान . .	1	10	23	33	..	..	..	..
उत्तर प्रदेश . .	5	281	609	890	..	..	..	..
पश्चिमी बंगाल . .	8	391	2,021	2,412	1	209	68	277
दिल्ली . . .	1	11	50	61	..	..	..	..
मनिपुर . . .	1	43	53	99	..	..	..	..
त्रिपुरा . . .	1	6	12	18	..	..	..	..
जोड़ .	41	2,079	4,548	6,627	8	1,349	411	1,760

3 हीनांगों की शिक्षा

हीनांगों की शिक्षा की व्यवस्था दो प्रकार की संस्थाएं करती हैं : अर्थात् (1) हीनमति छात्रों के स्कूल और (2) हीनांगों के स्कूल ।

हीनमति के छात्रों के स्कूल

आलोच्य वर्ष में हीनमति बच्चों के लिये 5 स्कूल थे, जबकि पिछले वर्ष केवल 4 स्कूल थे। इनमें से चार स्कूल बम्बई में और एक पश्चिमी बंगाल में था। पिछले वर्ष बम्बई में 3 स्कूल थे। इसके अतिरिक्त लखनऊ के बधिर विद्यालय के एक अलग अनुभाग में भी हीनमति बच्चों की शिक्षा जारी रही। इन स्कूलों में छात्रों का मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक विशिष्ट उपचार किया गया। आलोच्य वर्ष में इन स्कूलों में 380 छात्र (254 लड़के और 126 लड़कियां) थे, जबकि गतवर्ष यह संख्या 310 थी। इन स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 34 से बढ़कर 58 हो गयी, लेकिन कुल व्यय 2,83,627 रुपये से घट कर 26,70,70 रुपये हो गया। सन् 1959-60 में सरकार ने कुल व्यय का 71.3 प्रतिशत अंश दिया, जबकि पिछले वर्ष सरकारी अंशदान 60.1 प्रतिशत था। स्थानीय परिषदों, फ़ीस और अन्य आय-स्रोतों से इस व्यय के लिये क्रमशः 1.3 प्रतिशत, 26.0 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत राशि प्राप्त हुई।

हीनांगों के स्कूल

आलोच्य वर्ष में कुल मिलाकर हीनांगों के 126 स्कूल थे जब कि गत वर्ष इनकी संख्या 124 थी। इन स्कूलों में से 71 स्कूल अंधों के लिए, 44 मूक-बधिरों के लिए और 11 लूले-लंगड़ों के लिए थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में दो-दो स्कूल और बढ़े, लेकिन बम्बई राज्य में एक स्कूल कम हो गया। प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार हीनांगों के स्कूलों का विभाजन इस प्रकार था : सरकारी 34 (26.0 प्रतिशत), स्थानीय परिषदें 2 (1.6 प्रतिशत), गैर-सरकारी सहायता प्राप्त 8 (67.7 प्रतिशत) और गैर-सरकारी सहायता न पाने वाली संस्थाएं 5 (4.7 प्रतिशत)।

आलोच्य वर्ष में हीनांगों के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 7,312 (5,547 लड़के और 1,765 लड़कियां) थीं, जब कि गत वर्ष इनकी संख्या 6,737 (5,114 लड़के और 1,623 लड़कियां) थीं। इन छात्रों का विभाजन तीनों प्रकार के स्कूलों में इस प्रकार था : अंधों के स्कूलों में 3,604, मूक-बधिरों के स्कूलों में 3,026 और लूले-लंगड़ों के स्कूलों में 682 छात्र। गत वर्ष ये ही संख्याएं क्रमशः 3,220, 2,885, और 632 थीं।

हीनांगों के स्कूलों का कुल व्यय 34.51 लाख रुपये से घटकर 27.49 लाख रुपये रह गया। इस व्यय का लगभग दो-तिहाई भाग सरकार ने दिया तथा लगभग आठवां भाग धर्मस्व से, लगभग छठा भाग अन्य स्रोतों से और शेष स्थानीय परिषदों द्वारा पूरा किया गया है। गत वर्ष के यही आंकड़े क्रमशः 65.0 प्रतिशत, 18.9 प्रतिशत, 11.9 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत थे।

हीनांगो के स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 915 से बढ़ कर 957 हो गयी। इनमें में 547 अध्यापक अंधो के स्कूलों के 371 मूक-बधिरों में और 39 लूले-लंगडो के स्कूलों में पढ़ा रहे थे। लखनऊ के डैफ़ एन्ड डम्ब स्कूल (मूक-बधिर विद्यालय) के प्रशिक्षण अनुभाग में बधिरों के

अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाती रहीं। मूक-बधिर विद्यालय, कलकत्ता में एक अध्यापक प्रशिक्षण विभाग खोला गया।

हीनांगों के स्कूलों के राज्यवार आँकडे सारणी CXI में दिये गये हैं।

अंधों के स्कूलों में प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा प्रारंभिक भाषाओं के अनुकूल बनाये गये ब्रेल कुटाक्षरों के माध्यम से दी गयी। साथ ही कताई, बुनाई, कुर्सियां बुनना, पायदान (डोर मैट) बनाना, टोकरियां बनाना, ऊनी कपड़े बुनना, आदि शिल्पों का प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि छात्र आगे चलकर इन से अपनी रोजी कमा सकें। इनमें से अधिकांश स्कूलों में गायन और वाद्य-संगीत के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था थी। बधिरों के स्कूलों में मुख्यतया पढ़ते समय ओंठों के संचालन को देखकर तथा उच्चारण-प्रयत्न के द्वारा शिक्षा दी जाती रही। इन स्कूलों में चित्रकला, नामपट्ट चित्रण, बढ़ई-गिरी और सिलाई आदि उपयोगी शिल्पों की शिक्षा के साथ-साथ लिखाई-पढ़ाई और गणित की भी शिक्षा दी गयी।

आलोच्य वर्ष में प्रौढ़ अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र का काम भी चालू रहा। केन्द्र में कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य प्रौढ़ अन्धों (पुरुषों व स्त्रियों) को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देना और सुचलता (मोबिलिटी, निजी स्वास्थ्य-विज्ञान और आत्म-निर्भरता का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रशिक्षार्थियों की सामाजिक सक्षमता का विकास करना था।

प्रशिक्षण केन्द्र में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के 150 पुरुषों के रहने की व्यवस्था थी। केन्द्र के महिला विभाग के लिए एक नयी इमारत किराये पर ली गई, जिसमें 35 महिला प्रशिक्षार्थियों के रहने की व्यवस्था थी।

प्रशिक्षण केन्द्र के साथ एक छतदार कर्मशाला बनायी गयी थी। इसमें 5 अन्धे व्यक्तियों को कपड़ा बुनने और 5 को कुर्सी बुनने का काम दिया गया और काम का पारिश्रमिक दिया गया। कर्मशाला के विस्तार और प्रशासन के लिये की गयी व्यवस्था के स्थान पर 1959-60 के बजट में 40,000 रुपये की नई व्यवस्था की गई।

आदर्श अन्ध बालक विद्यालय (मॉडल स्कूल फ़ार ब्लाइंड चिल्ड्रेन) भी चलता रहा। विद्यालय का उद्घाटन जनवरी 1959 में किया गया था। प्रारम्भ में स्कूल के बाल-विहार और प्राथमिक अनुभागों में 50 बच्चों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे इसे अंधे बच्चों के पूर्ण माध्यमिक स्कूल का रूप देने की योजना थी। इसके अतिरिक्त इस स्कूल को अन्ध बच्चों के शिक्षण की नवीन विधियों और तकनीकों के विकास के लिये भी प्रयोगशाला के रूप में प्रयुक्त करने का भी विचार था। यह स्कूल अन्धों के प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान की इकाई के रूप में भी काम कर रहा था और इससे देश में इसी प्रकार के अन्य स्कूल खोलने के लिये प्रोत्साहन भी प्राप्त हो रहा था। स्कूल में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र और शिक्षण की व्यवस्था थी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ के परामर्श पर 1958 में हीनांगों के लिये एक रोज़गार संगठन स्थापित करने की योजना तैयार की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय रोज़गार सेवा के एक भाग के रूप में हीनांग व्यक्तियों के लिये विशिष्ट रोज़गार कार्यालयों का जाल-सा बिछाने का प्रस्ताव किया गया। इनका कार्य मालिकों के सहयोग से अन्धे, बहरे और विकलांग व्यक्तियों को ऐसे रोज़गार-धन्धों में नियुक्त कराना था जहां वे कार्यकुशलता के स्तर को घटाये बिना ही कार्य कर सकें। हीनांगों के लिये ऐसा पहला विशिष्ट रोज़गार केन्द्र मार्च 1959 में बम्बई में स्थापित किया गया था और आलोच्य वर्ष में उसने काफ़ी प्रगति की। राष्ट्रीय हीनांगों शिक्षा सलाहकार परिषद् ने 1960-61 तक तीन और रोज़गार केन्द्रों की स्थापना करने का सुझाव दिया।

सारणी CXI—हीनांगो के स्कूलों के आंकड़े

राज्य	स्कूलों की संख्या				
	विकलांगो के लिए			हीन मस्तीष्कों के लिए	जोड़
	अंधे	मूक–बधिर	लूले लंगड़े		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	4	1	3	..	8
आसाम	1	1	..	..	2
बिहार	5	2	..	..	7
बम्बई — महाराष्ट्र	11	10	3	3	27
बम्बई — गुजरात	8	3	..	1	12
जम्मू और काश्मीर	1	..	..	..	1
केरल	4	3	..	..	7
मध्य प्रदेश	3	1	..	..	4
मद्रास	4	5	4	..	13
मैसूर	3	..	..	..	3

सारणी CXI—हीनांगों के स्कूलों के आंकड़े—(जारी)

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	..	1	..	..	1
पंजाब	5	1	1	..	7
राजस्थान	2	..	..	..	2
उत्तर प्रदेश	13	10	..	..	23
पश्चिमी बंगाल . . .	3	5	..	1	9
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	..	..	..	..	..
दिल्ली	3	1	..	..	4
हिमाचल प्रदेश	..	..	..	..	..
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह	..	..	..	..	..
मनिपुर	..	..	..	..	..
उपूसी (नेफ़ा)	..	..	..	..	..
त्रिपुरा	..	..	..	..	..
पाण्डिचेरी	1	..	..	..	1
भारत वर्ष .	71	44	11	5	131

सारणी CXI—हीनांगों के स्कूलों के आंकड़े—(जारी)

राज्य	छात्रों की संख्या					कुल व्यय	अध्यापकों की संख्या
	विकलांगों के लिए			हीन मस्तीष्कों के लिए	जोड़		
	अंधे	मूक-बधिर	लूले-लंगड़े				
1	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	237	50	97	..	384	99,746	50
आसाम	32	52	..	..	84	29,028	19
बिहार	285	96	..	..	381	1,43,679	40
बम्बई { महाराष्ट्र	691	435	156	291	1,573	7,33,785	215
बम्बई { गुजरात	286	226	..	20	532	2,48,951	91
जम्मू और काश्मीर	15	..	..	..	15	5,544	4
केरल	111	224	..	..	335	1,34,583	44
मध्य प्रदेश	97	58	..	..	155	62,588	34
मद्रास	417	809	388	..	1,614	2,37,256	159
मैसूर	215	..	..	..	215	93,657	30

सारणी CXI—हीनांगों के स्कूलों के आंकड़े—(जारी)

1	7	8	9	10	11	12	13
उड़ीसा . . .	..	27	..	..	27	6,095	2
पंजाब . . .	167	13	41	..	221	1,12,633	34
राजस्थान . . .	98	..	..	..	98	41,652	15
उत्तर प्रदेश . . .	519	428	..	..	947	5,27,530	128
पश्चिमी बंगाल . . .	202	378	..	69	649	3,22,517	97
दिल्ली . . .	215	230	..	..	445	2,13,793	52
हिमाचल प्रदेश . . .	..	..	..	..	..	..	..
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह ।	..	..	..	..	..	..	..
मनिपुर . . .	..	..	..	..	..	..	..
उपूसी (नेफ़ा) . . .	..	..	..	..	..	..	..
त्रिपुरा . . .	..	..	..	..	..	..	..
पाण्डिचेरी . . .	17	..	..	..	17	3,000	1
भारतवर्ष .	3,604	3,026	682	380	7,692	30,16,037	1,015

भारतीय भाषाओं में ब्रेल साहित्य तैयार करने के लिए जो केन्द्रीय ब्रेल प्रेस स्थापित किया गया था उसमें 4,975 पुस्तकें प्रकाशित की गयीं । प्रेस ने हिन्दी में एक त्रैमासिक पत्रिका 'आलोक' भी प्रकाशित की । इसमें हिन्दी की उत्तम पत्रिकाओं से चुनी गयी सामान्य रूचि की पठन सामग्री होती है । प्रेस अंधों के लिए प्रति वर्ष कैलेंडर भी प्रकाशित करता है ।

ब्रेल उपकरण बनाने के कारखाने में अंधों की शिक्षा के लिए आवश्यक उपकरण बनाने का कार्य जारी रहा । इन उपकरणों में लिखने के बड़े और छोटे ब्रेल फ्रेम, जेबी फ्रेम, गणित फ्रेम, स्पेयर स्टाइल, शतरंज बोर्ड और ड्राफ्ट बोर्ड शामिल हैं ।

हीनांगों के व्यय और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये दिल्ली और कानपुर में स्थाली–पुलाक सर्वेक्षण करने की योजनाएं आलोच्य वर्ष में भी चलती रहीं । आलोच्य वर्ष में नागपुर के समीप एक गांव में सर्वेक्षण करने की योजना के चालू होने की भी संभावना थी ।

हीनांगों के हितार्थ कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में 1,34,750 रुपये की राशि अनुदान के तौर पर दी गयी । यह राशि राज्य सरकारों के माध्यम से विकास कार्य करने के लिये दी गयी ।

आलोच्य वर्ष में अन्धे व्यक्तियों को उत्तर-विद्यालय छात्र-वृत्तियां देने की योजना चलती रहीं । 75 अन्धे विद्यार्थियों के अतिरिक्त जो कि इस योजना के अन्तर्गत पहले ही लाभ उठा रहे थे 102 नयी छात्रवृत्तियां दी गयीं । इस प्रकार इन छात्र वृत्तियों की कुल संख्या 181 हो गयी । इनके अतिरिक्त 102 बधिर और 109 विकलांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों का भी नवीयन किया गया । यह निश्चय भी किया गया कि 1960–61 से हीनमति बच्चों को भी छात्रवृत्तियां दी जाएं ।

राष्ट्रीय हीनांग शिक्षा सलाहकार परिषद् की चौथी बैठक 7 और 8 दिसम्बर 1959 को नयी दिल्ली में हुई । परिषद् की कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :—

(क) संगीत-प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास किया जाए । इसके लिये भारत सरकार को चाहिये कि वह अन्धों की संस्थाओं को आर्थिक सहायता दे ;

(ख) शिक्षा मंत्रालय एक विवरणिका प्रकाशित करे जिसमें अन्धे और अन्य हीनांग व्यक्तियों के सीखने योग्य व्यवसायों का वर्णन हो । इसमें उन संस्थाओं के बारे में भी बताया जाए जहां ये व्यवसाय सिखाये जाते हैं ;

(ग) राज्य सरकारों को चाहिये कि वे राष्ट्रीय हीनांग शिक्षा सलाहकार परिषद् की पद्धति पर हीनांग शिक्षा सलाहकार परिषदें बनाएं ;

(घ) राष्ट्रीय हीनांग शिक्षा सलाहकार परिषद् का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाना चाहिए कि उसमें राज्य सरकारों के काफी प्रतिनिधि भी आ जाएं ; और

(ङ) तीन समितियां बनायी जानी चाहिएं जिनके कार्य इस प्रकार होंगे :—पहली समिति यह विचार करेगी कि हीनांगों की विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में किस प्रकार के कर्मचारियों (शिक्षकों) की आवश्यकता है और उन्हें प्राप्त करने के लिये क्या व्यवस्था की जाए । दूसरी समिति अविकसित मस्तिष्क वाले बच्चों के मौजूदा स्कूलों का निरीक्षण करेगी और उनकी प्रतिभा के विकास के उपाय सुझाएगी । तीसरी समिति प्रौढ़ बधिरों की प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास के विषय में विचार करेगी ।

4 अनुसूचित जातियों, अनुसुचित कबीलों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों की शिक्षा

केन्द्रीय और राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और पिछड़े हुए अन्य वर्गों के छात्रों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देती रही। छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित योजनाएं भी चालू रहीं : उक्त वर्ग के छात्रों के लिये संस्थाएं चलाना, स्कूलों, कालेजों और छात्रावासों में स्थान सुरक्षित करना; स्कूल; छात्रावास और परीक्षा की फ़ीस मॉफ़ करना या दी हुई फ़ीस को लौटाना, तथा उनके रहने की व्यवस्था मुफ़्त करना और दोपहर का भोजन, कपड़े, पुस्तकें, लेखन-सामग्री आदि मुफ़्त देना। कुछ राज्यों में इन वर्गों के छात्रों की शिक्षा और कल्याण की देखरेख के लिये विशेष कार्यकर्त्ता भी नियुक्त किये गये।

आलोच्य वर्ष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के छात्रोंके लिये भारत सरकार की उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को विकेन्द्रीकरण कर दिया गया और यह कार्य राज्य सरकारों एवं संघ प्रशासनों को सौप दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देने के लिये कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये गये और 1958–59 में किये गये खर्च के आधार पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों में 1959–60 के लिये प्राप्त 222 लाख रुपये की राशि बांट दी गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को दी गयी छात्रवृत्तियों की संख्या और आलोच्य वर्ष में तीनों वर्गों पर किये गये व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

	दी गयी छात्रवृत्तियों की संख्या	व्यय
		(रुपये)
अनुसूचित जातियां	38,657	1,43,40,100
अनुसूचित कबीले	6,112	23,88,691
अन्य पिछड़े वर्ग	17,193	90,08,511
जोड़ .	61,962	2,57,37,302

व्यय की ऊपर दी गयी राशि में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गयी रकम गृह-मंत्रालय द्वारा दी गयी निधि और राज्य सरकारों द्वारा अपने पाससे खर्च की गयी रकमें भी शामिल है। पिछले वर्ष तीनों वर्गों के छात्रों को दी गयी छात्रत्रवृत्तियों की संख्या और उन पर किया गया कुल व्यय क्रमशः 49,962 और 2,2,3,11,674 रुपये था। ये छात्रवृत्तियाँ शिक्षा-शुल्क और पुस्तकों, के लेखन सामग्री आदि के लिए अनुदान के रूप में थीं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को समुद्रपार छात्रवृत्ति देने की योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में विदेशी विनियम की कठिनाई के कारण कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। इस योजना के अन्तर्गत (प्रत्येक वर्ग को चार-चार के हिसाब से) बारह छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। फिर भी आलोच्य वर्ष में 1958-59 के लिये चुने गये 12 उम्मीदवारों में से तीन उम्मीदवार अध्ययन के लिए विदेश गये। भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के

चार ऐसे विद्यार्थियों को पर्यटन श्रेणी का समुद्री यात्रा-व्यय भी दिया जिन्हें विदेशी छात्रवृत्तियाँ तो मिल गयी थीं लेकिन यात्रा-व्यय नहीं मिला था। इस योजना के अन्तर्गत पहले विदेशी गये हुए पांच विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करके, आलोच्य वर्ष में, भारत लौटे।

सन् 1959-60 में मुख्य तया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाली संस्थाओं की संख्या 8,401 थी जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 13,819 थी। मद्रास में इन संस्थाओं की संख्या में कमी हो गयी जिस का कारण यह था कि वहाँ बहुत से स्कूल बंद हो गये थे। सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले इन वर्गों के छात्रों की संख्या 1,34,17,254 (12,005,454 लड़के और 32,11,800 लड़कियां) से बढ़कर 1,53,68,116 (1,16,07,018 लड़के और 37,61,898 लड़कियाँ) हो गयी, अर्थात् इनकी संख्या में 6.7 प्रतिशत (3.6 प्रतिशत लड़के और 17.6 प्रतिशत लड़कियाँ) वृद्धि हो गयी। आलोच्य वर्ष में मुख्यतः पिछड़े वर्गों के छात्रों की संस्थाओं पर 1,96,65,737 रुपये की रकम खर्च की गयी जबकि पिछले वर्ष यह 2,58,40,012 रुपये थी। इस प्रकार इसमें 23.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के कुल छात्रों में से 14,45,260 (11,09,607 लड़के और 3,35,653 लड़कियाँ) छात्रों को छात्रवृत्तियां, वृत्तिकाएं और दूसरी वित्तीय सहायता दी गयी। इन सहायताओं पर व्यय की गई कुल रकम 6,77,03,636 रुपये थी। पिछले वर्ष छात्रों की संख्या और व्यय की गयी राशि क्रमशः 14,84,371 और 5,81,33,867 रुपये थी।

सारणी CXII—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की शिक्षा के आंकड़े

राज्य	मुख्यतया अनुसूचित जातियों आदि की संस्थाओं की संख्या	विद्यार्थियों की कुल संख्या		
		लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	..	11,73,752	5,70,315	17,44,067
आसाम	1	54,6,262	2,72,527	8,18,789
बिहार	2,039	20,08,211	3,66,915	23,75,126
बम्बई { महाराष्ट्र	..	7,87,940	2,74,908	10,62,848
बम्बई { गुजरात	..	7,84,153	2,92,209	10,76,362
जम्मू और कश्मीर	..	11,392	2,273	13,665
केरल	..	6,16,294	4,48,955	10,65,249
मध्य प्रदेश	1,448	4,63,997	62,050	5,26,047
मद्रास	1,854	16,66,093	8,23,648	24,89,741
मैसूर	21	1,58,521	66,355	2,24,876
उड़ीसा	1,254	4,94,238	1,35,100	6,29,338

पंजाब	10	2,85,408	48,042	3,33,450
राजस्थान	..	2,41,043	15,268	2,56,311
उत्तर प्रदेश	606	15,32,627	1,33,139	16,65,766
पश्चिमी बंगाल	..	6,67,481	1,89,117	8,56,598
अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	84	3,472	1,878	5,350
दिल्ली	..	53,395	17,655	71,050
हिमाचल प्रदेश	..	15,976	2,326	18,302
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह . . .	26	2,473	1,251	3,724
मणिपुर	919	29,822	12,857	42,679
उपूसी (नेफा)	138	5,734	728	6,462
त्रिपुरा	1	39,286	13,485	52,771
पाण्डिचेरी	..	19,448	10,097	29,445
भारत .	8,401	1,16,07,018	37,61,098	1,53,68,116

*आंकड़े नहीं मिल सके।

26—5 M. of Edu/65

सारणी CXII—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित कबीलों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के शिक्षा के आंकड़े (जारी)

राज्य	छात्रवृत्तियों और वृत्तिकाएँ पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या			छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं और दूसरी वित्तीय सहायताओं पर किया गया कुल व्यय	मुख्यतया अनुसूचित जातियों आदि की संस्थाओं पर किया गया कुल व्यय
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़		
1	6	7	8	9	10
				रु०	रु०
आंध्र प्रदेश	65,409	22,101	87,510	66,07,088	..
आसाम	35,935	8,845	44,780	26,90,177	15,550
बिहार	74,769	7,128	81,897	81,79,232	17,33,580
बम्बई { महाराष्ट्र	1,08,617	23,172	1,31,789	90,21,355	..
बम्बई { गुजरात	75,090	25,591	1,00,681	35,60,639	..
जम्मू और कश्मीर	2,366	246	2,612	99,428	..
केरल	1,51,783	1,18,989	2,70,772	45,98,234	..
मध्य प्रदेश	63,670	9,325	72,995	32,66,602	52,56,193
मद्रास	59,941	18,842	78,783	75,66,379	50,05,231
मैसूर	5,281	503	5,784	9,84,102	36,466

उड़ीसा	2,49,056	78,381	3,23,437	41,47,313	32,76,903
पंजाब	31,806	1,319	33,125	27,55,732	1,04,000
राजस्थान	21,940	1,124	23,064	10,58,433	..
उत्तर प्रदेश	97,087	6,617	1,03,704	72,67,042	8,99,058
पश्चिमी बंगाल	32,176	5,563	37,739	40,85,502	..
अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह . .	8	11	19	27,600	4,65,975
दिल्ली	21,348	4,538	25,886	10,79,432	..
हिमाचल प्रदेश	2,943	422	3,365	1,79.852	..
लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह .	2,209	1,237	3,446	16,728	2,78,639
मनिपुर	414	164	578	93,887	14,99,904
उपूसी (नेफ़ा)	4,223	534	4,757	2,07,050	10,48,159
त्रिपुरा	3,517	1,001	4,518	1,99,053	46,079
पाण्डिचेरी	19	..	19	12,776	..
भारत :	11,09,607	3,35,653	14,45,260	6,77,03,636	1,96,65,787

*आंकड़े नही मिल सके ।

5 लडकियों की शिक्षा

देश में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के प्रश्न पर विचार करने के लिए मई 1958 में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति बनाई गई थी। समिति ने जनवरी 1959 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। भारत सरकार और केन्द्रीय शिक्षासलाहकार परिषद ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया और निर्णय किया कि स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता दी जाय, तिसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष कार्रवाई की जाय और अनुमोदित योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन राशि जुटायी जाए। इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग और तेजी से सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विशेष तंत्र बनाने का भी निर्णय किया गया।

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने आलोच्य वर्ष में केन्द्र में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद् की स्थापना की। इस परिषद् के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

(क) स्कूल स्तर पर लड़कियों की शिक्षा और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।

(ख) लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार और उन्नति से संबंधित नीतियों, कार्यक्रमों, लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के विषय में सुझाव देना।

(ग) इस काम के लिए किये जाने वाले स्वैच्छिक प्रयासों के समुचित उपयोग के लिए उपाय सुझाना।

(घ) लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में लोकमत जागृत करने के विषय में आवश्यक उपाय सुझाना।

राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद् का एक अध्यक्ष होता है और उसके सदस्य इस प्रकार होते हैं : प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित एक–एक (सरकारी या गैरसरकारी) प्रतिनिधी; केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद्, आयोजना आयोग, श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय द्वारा नामित एक-एक (सरकारी या गैर सरकारी) प्रतिनिधि, दो संसद् सदस्य, शिक्षा मंत्रालय के दो प्रतिनिधि और संघ राज्य-क्षेत्रों का एक प्रतिनिधि। शिक्षा मंत्रालय का एक कर्मचारी इस परिषद् का सचिव था।

शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों से सिफारिश की कि लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में भी परिषदें होनी चाहिएं। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया गया कि राज्यों में स्त्री शिक्षा संबंधी कार्यक्रम बनाने और उन्हें पूरा करने का काम एक उपसंयुक्त निदेशक को विशेष रूप से सौंपा जाये। बहुत-सी राज्य सरकारों ने इन सुझाओं को स्वीकार कर लिया है।

अक्तूबर 1959 में राष्ट्रीय परिषद् की एक बैठक हुई। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ तीसरी आयोजना की अवधि में नारी शिक्षा के संबंध में निर्धारित किये लक्ष्यों के बारे में नीचे लिखी सिफारिशें की गयीं।

(1) 6 से 11 वर्ष की आयु की सब लड़कियों के लिऐ लड़कों के समान ही शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

(2) स्कूलों में भर्ती होने वाली 11–14 वर्ष की आयु की लड़कियों की संख्या बढ़ाना ताकि वह लड़कों की संख्या से कम से कम आधी हो जाए।

(3) माध्यमिक स्कूलों में भर्ती होने वाली 14–17 वर्ष की आयु की लड़कियों की संख्या बढ़ाना ताकि वह इसी आयु के लड़कों की संख्या का कम से कम एक-तिहाई हो जाए।

(4) विश्वविद्यालय स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का यथासंभव विस्तार करना।

(5) प्रौढ़ महिलाओं के लिये संक्षिप्त पाठ्यक्रम बनाकर उन्हें विशेष सुविधाएं देना ताकि वे मिडिल और मैट्रिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकें और हर सौ गांवों के एक खंड में ऐसे दो पाठ्य-क्रमों की व्यवस्था करना।

परिषद् ने यह भी सिफारिश की कि (1) लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा की विशिष्ट योजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता की शर्तें उदार होनी चाहिएं। प्रत्येक राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वह, सामान्य नीति और प्राप्त धनराशि को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत कार्यक्रमों में से कोई भी कार्यक्रम अपने क्षेत्र के लिये अपना सके। (2) जहां तक लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के विकास का संबंध है तुल्य अनुदान की प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए और धन जुटाने का उत्तरदायित्व भारत सरकार का होना चाहिये। भारत सरकार को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करनी चाहिये जो इस पूरी समस्या पर विचार करे और सहायता अनुदान की अदायगी की वर्तमान क्रियाविधि को सरल बनाये।

केन्द्रीय शिक्षा कार्य दल ने राष्ट्रीय परिषद् द्वारा सुझायी गयी योजनाओं को तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल करने के संबंध में अपनी नवम्बर 1959 की बैठक में विचार किया। दल ने परिषद् की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया। आयोजना के मसौदे में इसके लिए 94.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।

अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण और लड़कियों की शिक्षा के विस्तार की जो योजना केन्द्रीय सरकार ने 1957–58 में चालू की थी वह आलोच्य वर्ष में भी जारी रही। इस योजना के अन्तर्गत सन् 1959–60 में राज्य सरकारों के लिए 70.50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी। यह राशि 6 से 14 वर्ष की आयु की स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या के आधार पर दी गयी। स्त्री शिक्षा की उन्नति के लिये राज्य सरकारों द्वारा चलाई गयी विभिन्न योजनाओं में नीचे लिखे उपाय शामिल थे: अधिकाधिक छात्राओं को स्कूलों में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन देने के विचार से उपस्थिति छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, जिन स्कूलों में लड़कियों की संख्या काफी अधिक थी उनमें 'स्कूल मदर्स' की नियुक्ति करना और ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं को आवास सुविधाएं देने के लिए क्वार्टर बनवाना।

लड़कों और लड़कियों के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या 118.95 लाख (1958–59) से बढ़कर 129.50 लाख (1959–60) हो गयी, अर्थात् उस में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में लड़कों की संख्या 295.38 लाख से बढ़कर 315.67 लाख हो गयी। यह वृद्धि 6.9 प्रतिशत थी। कुल छात्राओं में से केवल 11.9 प्रतिशत लड़कियां लड़कियों के ही स्कूलों में पढ़ रही थीं और शेष सह–शिक्षा संस्थाओं में। कुल लड़कियों में से 97.3 प्रतिशत लड़कियां सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रही थीं, 1.9 प्रतिशत विशिष्ट शिक्षा और 0.8 प्रतिशत वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा। लड़कों की शिक्षा के संबंध में ये आंकड़े क्रमशः 94.1 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत और 1.6 प्रतिशत थे। सामान्य शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं में भरती होने वाले और विविध प्रकार की वृत्तिक, विशिष्ट एवं तकनीकी शिक्षा पाने वाले छात्रों की कुल संख्या का ब्यौरा (सारणी CXIII में दिया गया है इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग-अलग दिखाई गई है)।

आलोच्य वर्ष में लड़कियों की 33,592 मान्यता-प्राप्त संस्थाएं थीं। पिछले वर्ष यह संख्या 29,861 थी। इन संस्थाओं का विभाजन इस प्रकार था: विश्वविद्यालय 1 (1), कला और विज्ञान के कालेज 150 (134), वृत्तिक शिक्षा के कालेज 89 (43), विशिष्ट शिक्षा के कालेज 20(17), हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल 2,281 (2,103), मिडिल स्कूल 4,056 (3,762), प्राथमिक स्कूल 18,800 (16,735), पूर्व-प्राथमिक स्कूल 180 (164), व्यवसायिक और तकनीकी स्कूल 778 (735), प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 7,101 (6,032) और विशिष्ट शिक्षा के स्कूल 136 (135)। लड़कियों और महिलाओं की इन शिक्षासंस्थाओं पर कुल मिलाकर 30,28,27,881 रुपये व्यय हुए। यह राशि पिछले वर्ष की व्यय की गयी राशि से 14.0 प्रतिशत अधिक थी।

सारणी CXIII—मान्यता प्राप्त संस्थाओं में छात्राओं और छात्रों का विभाजन

स्तर/विषय	छात्राओं की संख्या 1958–59	छात्राओं की संख्या 1959–60	वृद्धि (+) या कमी (–)	प्रतिशत में वृद्धि या कमी
1	2	3	4	5
सामान्य शिक्षा—				
पूर्व-प्राथमिक	62,605	70,493	+ 7,888	+12.6
प्राथमिक	95,60,763	1,02,65,920	+7,05,157	+ 7.4
माध्यमिक	18,46,369	21,40,719	+2,94,350	+16.5
इण्टरमीडिएट	75,166	76,643	+ 1,477	+ 2.0
बी० ए०/बी० एस-सी०	42,260	52,439	+ 10,179	+24.1
एम०ए०/एम० एस-सी०	6,688	7,664	+ 976	+14.6
अनुसंधान	608	657	+ 49	+ 8.1
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	..	15	+ 15	..
जोड़	1,15,94,459	1,26,14,550	+10,20,091	+8.8

1	2	3	4	5
ख. वृत्तिक शिक्षा (कालेज स्तर)—				
कृषि-वन विज्ञान	95	125	+ 30	+ 31.6
वाणिज्य	580	680	+ 100	+ 17.2
इंजीनियरी और औद्योगिकी	143	176	+ 33	+ 23.1
विधि	597	648	+ 51	+ 8.5
आयुर्विज्ञान और पशु चिकित्सा विज्ञान	6,029	7,167	+1,138	+ 18.9
शारीरिक शिक्षा	138	143	+ 5	+ 3.6
अध्यापक प्रशिक्षण	8,222	13,167	+4,945	+ 60.1
अन्य	101	237	+ 136	+134.7
जोड़	15,905	22,343	+6,438	+40.5
ग. विशिष्ट शिक्षा (कालेज स्तर)—				
गृह विज्ञान और सीने-पिरोने का काम (नीडल वर्क)	1,224	1,590	+366	+29.9
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाएं	3,452	3,429	— 23	— 0.7
प्राच्य विद्याएं	781	879	+ 98	+12.5
समाज शास्त्र	267	304	+ 37	+13.9
अन्य	248	289	+ 41	+16.5
जोड़	5,972	6,491	+519	+ 8.7

सारणी CXIII—मान्यता प्राप्त संस्थाओं में छात्राओं और छात्रों का विभाजन (जारी)

1	2	3	4	5
घ. व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा (स्कूल स्तर)				
कृषि और वन-विज्ञान	53	75	+ 22	+ 41.5
वाणिज्य	13,488	17,177	+ 3,689	+ 27.4
इंजीनियरी और औद्योगिकी उद्योग और कलाएं व शिक्षा	25,955	27,760	+ 1,805	+ 6.9
आयुर्विज्ञान और पशु-चिकित्सा विज्ञान	5,339	6,058	+ 719	+ 13.5
शारीरिक शिक्षा	435	512	+ 77	+ 17.7
अध्यापक प्रशिक्षण	24,806	26,513	+ 1,707	+ 6.9
अन्य	41	270	— 229	—558.3
जोड़	70,117	78,365	+ 8,248	+ 11.8
ङ. विशिष्ट शिक्षा (स्कूल स्तर)				
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाएं	9,990	9,610	— 380	— 3.8
हीनांगों के लिए	1,575	1,658	+ 83	+ 5.3
प्राच्य विद्या	12,146	14,323	+ 2,177	+17.9
समाज सेवकों के लिए	489	646	+ 157	+32.1
सामाजिक (प्रौढ़) शिक्षा	1,77,690	2,08,440	+ 30,750	+17.3
सुधारालय	1,485	1,531	+ 46	+ 3.1
अन्य (गृह विज्ञान)	5,012	4,958	+ 54	+ 1.1
जोड़	2,08,387	2,41,166	+ 32,779	+15.9
कुल जोड़	1,18,94,840	1,29,62,915	+10,68,075	+ 8.9

सारणी CXIII—मान्यता प्राप्त संस्थाओं में छात्राओं और छात्रों का विभाजन (जारी)

स्तर/विषय	छात्रों की संख्या 1958–59	छात्रों की संख्या 1959–60	वृद्धि (+) या (—) कमी	प्रतिशत में वृद्धि या कमी
1	6	7	8	9
क. सामान्य शिक्षा—				
पूर्व-प्राथमिक	75,093	80,520	+ 5,427	+ 7.2
प्राथमिक	2,04,80,488	2,16,38,115	+11,57,627	+ 5.7
माध्यमिक	66,69,130	73,48,891	+ 6,79,761	+10.2
इण्टरमीडिएट . . .	4,11,700	4,16,036	+ 4,336	+ 1.1
बी०ए०/बी० एस-सी० . . .	1,65,814	1,96,927	+ 31,113	+18.8
एम० ए०/एम० एस-सी० . .	29,176	31,828	+ 2,652	+ 9.1
अनुसंधान	3,225	3,021	— 204	— 6.3
स्नातकोत्तर डिप्लोमा . . .	..	257	+ 257	..
जोड़ .	2,78,34,626	2,97,15,595	+18,80,969	+ 6.8

1	6	7	8	9
ख. वृत्तिक शिक्षा (कालेज स्तर)—				
कृषि-वन विज्ञान	11,335	13,784	+ 2,449	+21.6
वाणिज्य	66,002	73,806	+ 7,804	+11.8
इंजीनियरी और औद्योगिकी . .	35,112	40,066	+ 4,954	+14.1
विधि	23,458	25,277	+ 1,819	+ 7.8
आयुर्विज्ञान और पशुचिकित्सा विज्ञान .	32,058	34,627	+ 2,569	+ 8.0
शारीरिक शिक्षा . . .	607	655	+ 48	+ 7.9
अध्यापक प्रशिक्षण . . .	16,200	25,968	+ 9,768	+60.3
अन्य	1,012	1,557	+ 545	+53.9
जोड़ .	1,85,784	2,15,740	+29,956	+16.1
ग. विशिष्ट शिक्षा (कालेज स्तर)—				
गृह विज्ञान और सीने-पिरोने का काम (नीडल वर्क) .	..	..	..	..
संगीत नृत्य और अन्य ललित कलाएं .	2,661	2,545	— 116	— 4.4
प्राच्य विद्याएं	8,640	7,935	— 705	— 8.2
समाज शास्त्र . . .	1,071	1,132	— 61	— 5.1
अन्य	2,981	3,245	+ 264	+15.4
जोड़	15,353	14,857	— 496	— 3.2

1	6	7	8	9
घ. व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा (स्कूल स्तर)—				
कृषि और वन-विज्ञान	7,595	7,718	+ 123	+ 1.6
वाणिज्य	85,266	97,880	+12,614	+14.8
इंजीनियरी और औद्योगिकी उद्योग और कलाएं व शिक्षा	1,01,662	1,13,875	+12,213	+12.0
आयुर्विज्ञान और पशु चिकित्सा विज्ञान	6,442	5,478	— 964	—15.0
शारीरिक शिक्षा	3,204	2,837	— 367	—11.5
अध्यापक प्रशिक्षण	64,708	73,478	+ 8,770	+13.6
अन्य	3,454	4,360	+ 906	+26.2
जोड़	2,72,331	3,05,626	+33,295	+12.2
ङ. विशिष्ट शिक्षा (स्कूल स्तर)—				
संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाएं	8,097	8,133	+ 36	0.0
हीनांगों के लिए	4,765	5,250	+ 485	+10.2
प्राच्य विद्या	1,19,593	1,25,272	+ 5,679	+ 4.7
समाज सेवकों के लिए	4,036	3,728	— 308	— 7.6
सामाजिक (प्रौढ़) शिक्षा	10,80,070	11,61,371	+ 81,301	+ 7.5
सुधारालय	6,718	6,984	+ 266	+ 4.0
अन्य (गृह विज्ञान)	6,711	6,293	— 418	— 6.2
जोड़	12,29,990	13,17,031	+ 87,041	+ 7.1
कुल जोड़	2,95,38,084	3,15,68,849	+20,30,765	+ 6.9

मैट्रिक और समकक्ष परीक्षाएं पास करने वाली लड़कियों की संख्या 92,818 से बढ़ कर 1,13,252 हो गयी। इण्टरमीडियेट, डिग्री और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जो नीचे दिखाई गयी है :

परीक्षा	1958–59	1959–60
इंटरमीडिएट	22,117	25,091
बी० ए० और बी० एस० सी०	16,359	18,554
एम० ए० और एम० एस० सी० . . .	3,587	4,186
वृत्तिक (केवल डिग्री)	5,516	6,166

6. शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद

आलोच्य वर्ष में केन्द्र और राज्य सरकारें शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद की ओर अधिक ध्यान देती रहीं। सभी राज्यों के स्कूलों और कालेजों की पाठ्यचर्या में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को अनिवार्य कर दिया गया। विद्यार्थियों ने शारीरिक प्रशिक्षण, खेलकूद और टूर्नामेंटों में विशेष रुचि ली। अधिकांश माध्यमिक स्कूलों में हाकी, वालीबाल, फुटबाल, क्रिकेट, बास्केटबाल आदि आधुनिक खेलों की व्यवस्था थी। प्रायः इन सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए व्यायाम शिक्षक नियुक्त थे। इसके अतिरिक्त लड़कों और लड़कियों की शारीरिक शिक्षा की उन्नति के क्षेत्र में विभिन्न खेलकूद संगठनों ने भी उपयोगी कार्य किया। हमेशा की तरह ही राज्यों में अन्तर-स्कूल और अन्तर-कालेज वार्षिक टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया। लेकिन कुछ राज्यों में प्रशिक्षित व्यायाम शिक्षकों और खेल के मैदानों की कमी शारीरिक शिक्षा संबंधी प्रगति के मार्ग में बाधक रही।

(क) शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन

आलोच्य वर्ष में 16 कालेजों और 38 स्कूलों में अध्यापकों को व्यायाम प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। पिछले वर्ष इन कालेजों और स्कूलों की संख्या क्रमशः 15 और 38 थी (इनमें व्यायाम शालाएं शामिल नहीं हैं)। इन संस्थाओं के पूरे आंकड़े आठवें अध्याय में दिये गये हैं। शिक्षकों और अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये विभिन्न राज्यों में नियमित प्रशिक्षणक्रमों के अतिरिक्त पुनश्चर्याओं की भी व्यवस्था की गयी।

लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर का प्रशिक्षण-कार्य आलोच्य वर्ष में भी जारी रहा। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1957 में की थी। कालेज में स्नातक-पूर्व स्तर पर शारीरिक शिक्षा का तीन वर्षीय डिग्री-प्रशिक्षण-क्रम चलाया जाता है। कालेज का यह तीसरा वर्ष था और इसमें 55 प्रशिक्षार्थी अध्यापक थे। आलोच्य वर्ष में भी दाखिला केवल पुरुषों तक ही सीमित रहा क्योंकि इमारतों की कमी के कारण लड़कियों के लिये आवास व्यवस्था नहीं हो सकी थी। सन् 1959–60 की अवधि में कालिज के लिये 5.80 लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी दी गयी।

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार परिषद् द्वारा दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं पर आलोच्य वर्ष में तेजी से काम होता रहा और बहुत प्रगति हुई। इनमें से कुछ का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

(1) **शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना**

इस योजना के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था थी। यह सहायता संस्थाओं को जा कर देखने और उनकी सुधार और विकास संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के बाद दी जानी थी। दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों की संस्थाओं की आवश्यकताओं के निर्धारण का काम क्षेत्रीय समितियों ने पूरा कर लिया। इन समितियों ने 50 लाख रुपये व्यय करने की सिफ़ारिश की, लेकिन यह विचार किया गया कि दूसरी पंच-वर्षीय आयोजना की अवधि में इस व्यय की अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपये रखी जाए।

(2) **शारीरिक शिक्षा संगोष्ठियां**

देशी व्यायाम आदि के आयोजकों/विशेषज्ञों की तीसरी अखिल भारतीय संगोष्ठी अक्तूबर 1959 में बंगलौर में हुई। संगोष्ठी में विभिन्न राज्य सरकारों और ऐसी ग़ैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए जो अखाड़े व्यायामशालाएं आदि चला कर देशी खेल-कूद व्यायाम आदि की उन्नति के लिए प्रयत्नशील थीं। मद्रास और महाबलेश्वर (बम्बई) में सन् 1958 में की गयीं दोनों अखिल भारतीय संगोष्ठियों की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। इनमें से मद्रास की संगोष्ठी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के लिए थी और महाबलेश्वर की संगोष्ठी शारीरिक प्रशिक्षण के सरकारी निरीक्षकों/विश्वविद्यालयों के निदेशकों की थी।

(3) **राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आन्दोलन**

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार परिषद् की सिफ़ारिशों के अनुसार शारीरिक कुशलता के क्रमिक परीक्षणों के आधार पर 'राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता आन्दोलन' की योजना को पूरा करने का काम शुरू किया गया। यह योजना पूरे भारत के युवकों में शारीरिक योग्यता के प्रति रूचि पैदा करने और लोगों में स्वास्थ्य और शारीरिक दक्षता के प्रति उत्साह जागृत करने के उद्देश्य से चालू की गयी थी।

इस आन्दोलन के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष या इससे अधिक की उम्र वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग-अलग परीक्षण निर्धारित किये गये। चार परीक्षण-वर्गों में से प्रत्येक के लिए तीन कुशलता-स्तर (एक-तारक, दो तारक और तीन तारक) निर्धारित किए गए। ये काफ़ी सरल से काफ़ी मुश्किल तक रखे गए। सफल प्रतियोगियों को उनकी कुशलता के अनुसार योग्यता-प्रमाणपत्र दिये गये। आलोच्य वर्ष में पूरे देश के लिए 400 परीक्षण केन्द्रों की मंजूरी दी गयी। आसाम, जम्मू और काश्मीर, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह को छोड़ कर यह आन्दोलन शेष सब राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में एक साथ शुरू कर दिया गया। इन केन्द्रों को स्थापित करने और परीक्षण चालू करने के लिये राज्य सरकारों को (300 रुपये प्रति केन्द्र के हिसाब से) 1,20,000 रुपये दिए गए।

एक सचित्र विवरणिका भी प्रकाशित की गयी जिसमें योजना और परीक्षणों के ब्यौरे दिए गए थे।

(4) **व्यायामशालाओं का विकास**

आलोच्य वर्ष में व्यायामशालाओं के विकास कार्य में और भी प्रगति हुई और उन्हें मिलने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि 50 प्र० श० से बढ़कर 75 प्रतिशत हो गयी। व्यायामशालाओं को साज-सामान और/या पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान दिया गया।

(5) शारीरिक शिक्षा के उच्च अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार परिषद् को अनुसंधान उप-समिति ने देशी पद्धति के शारीरिक क्रियाकलापों के विशिष्ट अध्ययन के लिए 2 छात्रवृत्तियां देने की सिफ़ारिश की। इनमें से एक योग के लिये और दूसरी लाठी, लेजिम और मलखम्ब के लिये। ये दोनों छात्रवृत्तियां दो-दो सौ रुपये की थीं और 12 महिने के लिये थीं।

(6) शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और योग-शिक्षा की उन्नति के अन्य उपाय

इस योजना के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और योग-शिक्षा की उन्नति के लिये प्रयत्नशील संस्थाओं को अनुदान देने का कार्य जारी रहा। आलोच्य वर्ष में इन कार्यक्रमों के लिये 3.26 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी और के० बी० एम० वाई० एम० समिति, लोनावाला (पूना) और विश्वायतन योग आश्रम (जम्मू और काश्मीर राज्य) को भी पर्याप्त आर्थिक सहायता दी गई। केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार परिषद ने शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद और मनोरंजन से संबंधित लोकप्रिय साहित्य तैयार करने के लिए जो उपसमिति बनायी थी उस की सिफ़ारिशों पर अमल करना आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त इस विषय पर नयी पुस्तकें आदि तैयार करने की योजना का ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा था। देश भर की शारीरिक शिक्षा संस्थाओं और योग शिक्षा संस्थाओं की अलग-अलग निर्देशिकाएँ तैयार करने और शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन संबंधी ग्रंथसूची के संकलन का कार्य भी शुरू किया गया।

लोकसभा की प्राक्कलन समित और केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार परिषद् की सिफ़ारिशों के अनुसार भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक-कल्याण, सहायक केडेट कोर और राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कार्यक्रमों की प्रगति, समन्वय और समेकन की समस्या का अध्ययन करने के लिये पं० हृदय नाथ कुंजरू संसद् सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति बनायी। समिति की पहली बैठक 20 जुलाई 1959 को नई दिल्ली में हुई। समिति ने देश की विभिन्न योजनाओं की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हाई स्कूल और उससे ऊंचे स्तर की संस्थाओं के प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों को एक प्रश्नावलि भेजने का निर्णय किया। राज्य सरकारों से भी राज्यों में की विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत सूचना भेजने के लिए अलग से निवेदन किया गया।

(ख) खेलकूद

सन् 1959-60 में खेलकूद आदि के विकास के क्षेत्र में पिछले वर्ष स्थापित अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् का, 1959 में पुनर्गठन किया गया। परिषद् में पहले राष्ट्रीय खेलकूद संघ के प्रतिनिधि होते थे, लेकिन अब उनके स्थान पर सरकार द्वारा मनोनीत 15 सदस्य रखे गये। इन सदस्यों का चुनाव खेलकूद में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किया जाता है।

पुनर्गठित अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की बैठक 29 मार्च 1959 को हुई। परिषद की सिफ़ारिशों पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण परिषद् के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने और उन के विषय में रिपोर्ट देने के लिये एक समिति बनायी गयी। एक और समिति बनायी गयी जिसका कार्य राजकुमारी खेलकूद शिक्षण योजना (कोचिंग स्कीम) के भावी स्वरूपपर विचार करना और अखिल भारतीय स्तर पर एक समेकित शिक्षण योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। परिषद् ने अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के आधार पर राज्यों की खेलकूद परिषदों का पुनर्गठन करने से संबंधित तदर्थ समिति की सिफ़ारिश को भी मंजूर किया। तदर्थ जांच समिति ने एक केन्द्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए भी सिफ़ारिश की थी और इस पर भी 1959—60 में काम शुरू कर दिया गया।

राजकुमारी खेलकूद शिक्षण योजना का काम भी श्री एन० एन० वांचू की अध्यक्षता में बनायी गयी समिति के सुझावों के अनुसार जारी रहा। इन सुझावों को अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने भी स्वीकार कर लिया था। यह निर्णय किया गया कि इस योजना को तब तक चालू रखा जाय जब तक खेलकूद शिक्षक केन्द्रीय शिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त न कर लें। भारतीय खेलकूद शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न खेलों के विदेशी शिक्षक भी कुछ समय के लिए आमंत्रित किये गये। आलोच्य वर्ष में इस योजना पर 5 लाख रुपये खर्च किए गए।

स्टेडियम और अतिथिशालाओं के निर्माण के लिए अनुदान देने की योजना में संशोधन किया गया। संशोधित योजना के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया कि केवल छोटे और उपयोगी स्टेडियम ही बनवाए जाएं और उनके निर्माण में अधिक से अधिक 25,000 रुपये की केन्द्रीय सरकार की आर्थिक सहायता और 'श्रमदान' का उपयोग किया जाए।

आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कालेजों को व्यायामशालाएं, स्टेडियम मण्डप आदि मनोरंजन परियोजनाओं को चालू करने के लिये अनुदान दिये गये। इन परियोजनाओं के लिए छात्रों और अध्यापकों ने स्वैच्छिक और अनिवार्य रूप से कारीगरों और मजदूरों का काम किया। दूसरी योजना की अवधि में अब तक लगभग 507 परियोजनाओं के लिये मंजूरी दी जा चुकी थी। भारत सरकार इनके व्यय के लिए 91.20 लाख रुपये दे चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को 9.33 लाख रुपये की राशि और भी दी। इस राशि को शिक्षा संस्थाओं में बांटा जाएगा और वे इसकी सहायता से खेलकूद के मैदान की व्यवस्था करेंगी।

सन् 1959–60 की अवधि में राष्ट्रीय खेलकूद संघों/संस्थाओं को अनुदान देने की भारत सरकार की योजना जारी रही। इसके साथ ही राज्यों की खेलकूद परिषदों के विभिन्न कार्यक्रम भी आगे बढ़ाये गये। इनमें प्रशिक्षण शिविरों, टूर्नामेंटों और सर्वोत्तम खिलाड़ियों के चुनाव के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, विदेशी टोलियों को आमंत्रित करना और भारतीय टोलियों को अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए विदेश भेजना आदि कार्यक्रम शामिल थे। आलोच्य वर्ष में खेलकूद संघों को 5,35,463 रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी।

(ग) राष्ट्रीय अनुशासन योजना

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय अनुशासन योजना का विस्तार कुछ और संस्थाओं में भी किया गया। इस योजना को पूरा करने के लिए एक पांच-सूत्री प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया जिसमें, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, संगठन-संबंधी और प्रशासनिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी। इस योजना के लिए एक समन्वित और सुसंतुलित पाठ्य विवरण बनाया गया जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और प्रशासन एवं संगठन के तत्व आदि पर सैद्धान्तिक व्याख्यानों की व्यवस्था की गयी थी। इसके अतिरिक्त इसमें शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम भी शामिल था जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कबड्डी खो-खो, मलखम्ब, लेजिम, हाकी, फुटबाल, वालीबाल आदि सभी मनोविनोदात्मक खेलों की व्यवस्था थी। योजना में प्रशिक्षार्थियों को समाजिक और समेकित सांस्कृतिक विकास का अवसर प्रदान किया गया और भावात्मक एकता तथा समाज के विभिन्न वर्गों की मूलभूत एकता पर विशेष बल दिया गया।

उक्त योजना को अमल में लाने के लिये 15 सितम्बर 1959 को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय अनुशासन योजना निदेशालय खोला गया। आलोच्य वर्ष में यह योजना बम्बई, मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली में चालू थी। इस अवधि में 225 संस्थाओं में 1,80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, लेकिन वास्तव

में 662 संस्थाओं में 304,000 विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गए, जिन पर 14.65 लाख रुपये खर्च हुए। राजस्थान में इस योजना का विस्तार करने के लिये 150 खेल-कूद शिक्षकों को भर्ती किया गया और उन्हें अलवर में प्रशिक्षित किया गया।

7. **युवक कल्याण**

आलोच्य वर्ष में युवक कल्याण कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं में निरन्तर प्रगति होती रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवकों में चरित्र और नेतृत्व के गुणों का विकास करना था। सन 1959-60 के दौरान युवक कल्याण के क्षेत्र में जो-जो काम किये गये उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

विद्यार्थियों के पर्यटन

सुरम्य, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के पर्यटन के लिए जाने वाले नौकरी न करने वाले विद्यार्थियों को तीसरी श्रेणी का रेल और/या बस का पूरा किराया देने की योजना को जुलाई 1959 से विकेन्द्रित कर दिया गया। रेल और/या बस के किराये के व्यय के लिए प्रति विद्यार्थी 60 रुपये की अधिकतम राशि निश्चित कर दी गयी ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इन पर्यटनों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत 198 संस्थाओं को 3.14 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी और राज्य सरकारों को शिक्षा संस्थाओं में यथानुपात वितरण के लिए 80,662 रुपये की राशि दी गयी। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अनुदानों से 2,360 विद्यार्थियों और अध्यापकों ने लाभ उठाया।

युवक समारोह

प्राक्कलन समिति की इस सिफ़ारिश के अनुसार कि युवक समारोहों का आयोजन दिल्ली से बाहर भी होना चाहिये, छठे अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह का आयोजन मैसूर विश्वविद्यालय में 7 दिसम्बर से 16 दिसम्बर 1959 तक किया गया। इस समारोह के लिए विश्वविद्यालय को 3.48 लाख रुपये की राशि देना मंजूर किया गया। इस राशि में से समारोह पर 3.00 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी। समारोह में 34 विश्वविद्यालयों के लगभग 1300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त नौ विश्वविद्यालयों को 28,963 रुपये भी दिए गए ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अन्तर्विद्यालय युवक समारोहों का आयोजन करें और अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह के लिए अपनी टोलियां चुन सकें।

युवक नेतृत्व और नाट्य प्रशिक्षण शिविर

इस योजना के अन्तर्गत मई 1959 में तारादेवी में युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 11 विश्वविद्यालयों के 25 अध्यापकों ने भाग लिया और इस पर 7,674 रुपये की राशि व्यय की गयी। इस योजना का उद्देश्य कालेज अध्यापकों को शिक्षा संस्थाओं में युवक कल्याण कार्यक्रमों के आयोजन और नेतृत्व का प्रशिक्षण देना था। आलोच्य वर्ष में पंजाब और आगरा विश्वविद्यालयों को ऐसे ही शिविरों का आयोजन करने के लिये 2,630 रुपये की राशि अनुदान के तौर पर दी गयी। यह राशि कुल स्वीकार्य व्यय के 75 प्रतिशत के आधार पर दी गयी थी। एक शिविर पर अधिक से अधिक 3,000 रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गयी।

युवकावास

शिक्षा संबंधी पर्यटनों पर जाने वाले विद्यार्थियों के लिये सस्ते भोजन और आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और युवकावास संघ के सहयोग से पूरे देश में युवकावास स्थापित करने की योजना आलोच्य वर्ष में भी चालू रही। इस योजना के अन्तर्गत प्रति युवकावास के निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक से अधिक 20,000 रुपये

केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए। आलोच्य वर्ष में भारतीय युवकावास संघ को उसके प्रशासन और संघटन संबंधी व्यय का 50 प्रतिशत पूरा करने के लिये 15,000 रुपये की मंजूरी दी गयी।

विद्यार्थियों के रहन-सहन की स्थितियों का सर्वेक्षण

केरल और लखनऊ विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के रहन-सहन की स्थितियों के प्रायोगिक सर्वेक्षण का जो काम शुरू किया गया था वह आलोच्य वर्ष में पूरा हो गया। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, पाठ्यचर्या और सहवर्ती अन्य कार्यकलापों के लिये उपलब्ध सुविधाओं और उनकी सांस्कृतिक रुचियों का पता लगाना था। सर्वेक्षणों के परिणामों को रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित करने का विचार था।

युवक कल्याण परिषदें और समितियां

आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कुल मिलाकर 4,720 रुपये अनुदान के रूप में दिये। यह राशि अन्नमलई और जादवपुर विश्वविद्यालयों को युवक कल्याण समितियों की स्थापना पर किये गये व्यय के 50 प्रतिशत अंश को पूरा करने के लिये दी गयी। उड़ीसा सरकार ने भी राज्य युवक कल्याण परिषद् की स्थापना की।

राष्ट्रीय शिशु-कल्याण परियोजना—बाल भवन

देश में बाल भवन आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में दिल्ली में एक बाल भवन खोला गया। आलोच्य वर्ष में भवन की स्थायी इमारत का निर्माण हो रहा था। बाल भवन का प्रशासनिक कार्य एक प्रबन्ध मण्डल कर रहा था और इसका पूरा व्यय भारत सरकार दे रही थी। प्रबन्ध मण्डल को 3,30,000 रुपये की राशि देना मंजूर किया गया जिसमें 250,000 रुपये इमारत बनवाने और 80,000 रुपये फुटकर खर्च के लिये थे।

श्रम और समाजसेवा योजना

श्रम और समाज सेवा योजना का काम दो भागों में बांटा गया।

(1) श्रम और समाज सेवा शिबिर और

(2) प्रांगण कार्य परियोजना।

आलोच्य वर्ष में इस योजना के लिए 53 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी। इसमें से 75 प्रतिशत राशि योजना के पहले भाग के लिए थी और 25 प्रतिशत दूसरे के लिए। पहली योजना की राशि में से 27.47 लाख रुपये विभिन्न संस्थाओं को शिबिरों का आयोजन करने के लिए मंजूर किये गये। ये संस्थाएं भारत सेवक समाज, भारत स्काउट और गाइड, राष्ट्रीय केडेट कोर निदेशालय (सहायक केडेट कोर शिबिरों के लिए) राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय थीं। आलोच्य वर्ष में 1742 शिबिरों का आयोजन किया गया जिन में लगभग 1.52 लाख लोगों ने भाग लिया। इन शिबिरों में श्रमदान द्वारा छोटी-बड़ी सड़कें आदि बनायी गयीं या उनकी मरम्मत की गयी। गांवों के तालाबों, स्कूल की इमारतों और पंचायत घरों की मरम्मत की गयी या उन्हें बनाया गया, सोख गड्ढे खाद के गड्ढे और कुएं आदि खोदे गये और खेल के मैदानों में समतल किया गया। शिबिरों में भाग लेने वाली लड़कियों ने आसपास के गांवों में विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्य किये जैसे निजी स्वास्थ्य विज्ञान, गृह-परिचर्या, बच्चों की देखभाल रोगियों की सेवा-शुश्रुषा और रसोई घर की व्यवस्था आदि।

प्रांगण-कार्य-परियोजना के अन्तर्गत अध्यापकों और विद्यार्थियों ने श्रमदान किया। इस योजना से शिक्षा संस्थाओं में व्यायाम और मनोरंजन संबंधी अनेक सुविधाओं की आवश्यकता (जिनका अनुभव बहुत दिनों से हो रहा था), पूरी की गयी। इस योजना के अन्तर्गत कारीगर और मजदूर का 5 प्रतिशत काम अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा किया जाना था। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न

प्रकार की परियोजनाओं के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत कुल लागत की 75 प्रतिशत रकम अनुदान के रूप में दी। सन् 1959-60 की अवधि में 19.38 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी जिसका ब्यौरा अनुदान विवरण में दिया गया है। 176 परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य 1957-58 से चल रहा था। आलोच्य वर्ष में 36 नयी परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं। इन परियोजनाओं में मनोरंजन शाला व प्रेक्षा-गृह, 25 मीटर वाले तैरने के तालाब, व्यायाम शालाएं, छोटे स्टेडियम, खुले रंगमंच, मंडप और 400 मीटर वाले अंडाकार कंरी दौड़-पथ शामिल थे।

8. स्काउट और गाइड

आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारत स्काऊट और गाइड संस्था के लिए 3,38,215 पये मंजूर किए। यह राशि संस्था के इन कार्यकलापों के लिये दी गयी : नयी दिल्ली में 17 वें अन्तर्राष्ट्रीय स्काऊट सम्मेलन का आयोजन, स्काउट और गाइडों के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, मनीला में होने वाली 10 वीं विश्व जम्बूरी में भाग लेने के लिए स्काऊटों और स्काऊटरों को भेजना, पंचमढ़ी में राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण-कार्य और भारत स्काउट और गाइड के राष्ट्रीय मुख्यालय का प्रशासन और संगठन संबंधी व्यय आदि।

भारत स्काउट और गाइड संस्था का उद्देश्य लड़के और लड़कियों का चरित्र निर्माण करना और उनमें अच्छी नागरिकता की भावनाओं का विकास करना है। संस्था के विभिन्न कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पंचमढ़ी और विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षण केन्द्रों ने सीनियर स्काऊटों और गाइडों को प्रशिक्षित करने का काम जारी रखा ताकि वे आगे चल कर जूनियर स्काऊटों और गाइडों को सुचारु रूप से प्रशिक्षण दे सकें। स्काउट और गाइड अनुभाग के लिए बहुत से "बुड बेज" पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी। इन में अधिक उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी।

सम्मेलन

राष्ट्रीय परिषद की बैठक अक्तूबर 1959 में हुई और 22.23 अक्तूबर 1959 को अखिल भारतीय गाइड कमिशनरों के संघों का सम्मेलन आयोजित किया गया। जनवरी 1960 में गाइड खंड के उपमुख्यों और मार्च 1960 में पंचमढ़ी में अखिल भारतीय स्काऊट कमिशनरों के सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। लेकिन आलोच्य वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना नयी दिल्ली में 17 वें अन्तर्राष्ट्रीय स्काउट सम्मेलन का आयोजन थी। इस सम्मेलन में 40 राष्ट्रों के 105 प्रतिनिधियों और 26 देशों के 48 प्रेक्षकों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य विषय था "कल का निर्माण, आज"।

समुद्री स्काउट

विद्यार्थियों में समुद्री स्काउट बनने की रुचि आलोच्य वर्ष में भी बढ़ी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में समुद्री स्काउटमास्टर प्रशिक्षण क्रम शुरू करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से अनुज्ञा प्राप्त की गयी। विचार था कि इससे स्काउटों की सेवा का स्तर ऊंचा होगा।

हवाई स्काउट

आलोच्य वर्ष में पश्चिमी बंगाल के भारत स्काउट और गाइड संघ ने हवाई स्काउटों के गहन प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में प्राधिकारियों ने भी सहयोग दिया

हीनांग स्काउट और गाईड

आलोच्य वर्ष मे भारत स्काउट और गाइड की हीनांग स्काउट और गाइड शाखा मे बहुत से नये दल शामिल हुए । इनमें बम्बई, मद्रास, केरल और पश्चिमी बंगाल के दल उल्लेखनीय हैं । इस शाखा ने हीनांग स्काउटों और गाइडों को उनकी शारीरिक एवं मानसिक उन्नति करने और विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को सीखने की सुविधा दी ।

विस्थापितों के लिये गाइड प्रशिक्षण

विस्थापितों के लिये गाइड प्रशिक्षण की दिशा में पंजाब और पश्चिमी बंगाल में विशेष प्रगति हुई । जालन्धर में एक शिबिर का आयोजन किया गया जिसमें चालीस शिक्ष काल अध्यापकों ने भाग लिया । शरणार्थी शिबिरों के अल्पविकसित बच्चों की दशा सुधारने के संबंध में भी गाइड प्रशिक्षण से महत्वपूर्ण सहायता मिली ।

पुराने स्काउट और गाइडों की फ़ैलोशिप

संसद् सदस्य डा० एच० एन० कुंज़रू की अध्यक्षता में जुलाई 1959 में पुराने स्काउट और गाइडों की एक फैलोशिप बनायी गयी ।

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं

मनीला (फ़िलिपाइन) में होने वाली 10 वीं विश्व जम्बूरी में और लाहोर में हुए चौथ प्रादेशिक नव युवक सम्मेलन में, (जो एशिया में अपने प्रकार का पहला सम्मेलन था) भारत का प्रतिनिधित्व किया गया । संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कैलेरेडो में जुलाई-अगस्त 1959 में आयोजित किये गए सीनियर स्काउट बालिकाओं के समापन-समारोह में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था ।

समाज सेवा

स्काउट और गाइडों ने अनेक अवसरों पर समाज-सेवा के उपयोगी कार्यक्रमों में भाग लिया और देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के अवसर पर सहायता-कार्य किये । कश्मीर के बाढ़-पीड़ितों के लिए आंध्र प्रदेश के स्काउटों और गाइडों ने काफ़ी धन और वस्त्र एकत्रित किये । बम्बई राज्य के स्काउट और गाइडों ने सूरत जिले के बाढ़पीड़ितों की बहुत सहायता की ।

प्रकाशन

भारत स्काउट और गाइड संघ की "भारत स्काउट और गाइड" नामक पत्रिका का प्रकाशन जारी रहा । विभिन्न स्कूलों में स्काउट और गाइडों ने हस्तलिखित पत्रिकाएं भी निकालीं ।

9. राष्ट्रीय और सहायक कैडेट कोर

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर के छात्रों की संख्या बढ़ी और उसका संगठन भी अधिक कार्य-कुशल हो गया । संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

संस्था

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्यों की संख्या 4,974 अधिकारियों और, 1,88,411 कैडेटों से बढ़ कर क्रमश: 5,246 और 2,35,418 हो गी । सहायक कैडेट कोर के सदस्यों की संख्या भी 15,807 अध्यापकों और 8,38,307 कैडेटों से बढ़ कर क्रमश: 16,922 और 9,81,439 हो गयी ।

सहायक कैडेट कोर की बुनियादी इकाई की संख्या 1 अध्यापक और 50 कैडेट से बढ़ा कर एक अध्यापक और 60 कैडेट कर दी गयी। इस व्यवस्था से राज्य सरकारों के थोड़े व्यय से ही अधिक विद्यार्थियों को सहायक कैडेट कोर की प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त हो सकती थीं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर का डिवीजनों के अनुसार विभाजन नीचे सारणी में दिया गया है :—

सारणी CXIV—राष्ट्रीय कैडेट कोर के आंकडे

डिवीजन	अधिकारी		कैडेट	
	1958-59	1959-60	1958-59	1959-60
सीनियर डिवीजन . .	1,761	1,908	72,710	93,738
जूनियर डिवीजन . .	2,635	2,726	89,691	1,14,140
छात्र डिवीजन . .	578	612	26,010	27,540
भारत .	4,974	5,246	1,88,411	2,35,418

राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों का प्रशिक्षण

(क) थल सेना स्कंध

आलोच्य वर्ष में रा० कै० को० के अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, काम्पटी में 458 अधिकारी कैडेटों को पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण दिया गया और 243 सेवारत रा० कै० को० अधिकारियों को पुनश्चर्या करायी गयी। रा० कै० को० के लड़कियों के डिवीजनों की महिला अधिकारियों का पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण पुनश्चर्या भी रा० कै० को० अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, काम्पटी में देना शुरू किया गया। अब तक यह प्रशिक्षण स्थल सेना के रेजीमेन्ट केन्द्रों में दिया जाता था। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत सीनियर स्कन्ध की 25 और जूनियर स्कन्ध की 55 महिला कैडेट अधिकारियों को पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण और सीनियर स्कन्ध की 26 व जूनियर स्कंध की 41 महिला अधिकारियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) नौसेना स्कंध

रा० कै० को० के नौसेना स्कंध के सीनियर डिवीजन के पांच और जूनियर डिवीजन (अन्तिम स्कंध) के 25 अधिकारी कैडेटों ने मार्च-अप्रैल 1959 में आई० एन० एस० वेंडुरथी, कोचीन में पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी नौसेना पोत पर सीनियर डिवीजन के 5 और जूनियर डिवीजन के 17 अधिकारियों ने जून-अगस्त 1959 के दौरान पुनश्चर्या पूरी की। इसके अतिरिक्त रा० कै० को० के नौ-सैनिक यूनिटों के सीनियर डिवीजन के एक अधिकारी और 15 कैडेटों ने "आई० एन० एस० दिल्ली" पर 27 मई से 24 जून 1959 तक होने वाली भारतीय बेड़े की ग्रीष्म कालीन समुद्री पर्यटन कवायत में भाग लिया।

(ग) वायुसेना स्कंध

आलोच्य वर्ष में वायुसेना स्कंध के सीनियर डिवीजन के चार और जूनियर डिवीजन के 33 अधिकारी कैडेटों ने एयर फोर्स स्टेशन, हैदराबाद में अपना पूर्व-कमीशन प्रशिक्षण पूरा किया। इसके अतिरिक्त टैक्नीकल एयर स्क्वाड्रन के सात अधिकारी कैडेटों ने हैदराबाद और एयर फोर्स

टैक्नीकल कालेज, जलहाल्ली में पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में भाग लिया। एयर फोर्स स्टेशन, हैदराबाद में वायु सेना स्कंध के सीनियर डिवीजन के 14 और जूनियर डिवीजन के 71 अधिकारियों को पुनश्चर्या करायी गयी।

ग्लाइडर प्रशिक्षण

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के लिए पूना, लखनऊ और रांची के वायु सेना स्क्वाड्रनों में ग्लाइडर प्रशिक्षण शुरू होने से इन स्क्वाड्रनों की संख्या 12 हो गयी। नागपुर, जयपुर, दिल्ली हैदराबाद मद्रास और बंगलोर में रा० कै० कोर के लड़कियों के डिवीजन के सीनियर स्कंध ट्रूपों के वायुसेना स्क्वॉड्रनों में विमान-मॉडल और ग्लाइडर प्रशिक्षण शुरू किया गया।

शिविर

(क) **समाज सेवा शिविर:**

आलोच्य वर्ष में रा० कै० को० के सीनियर डिवीजन के लिए 18 समाज सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें 488 अधिकारियों और 17,368 कैडेटों ने भाग लिया। इनके साथ ही सहायक कै० को० के 101 शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें 1,684 रा० कै० को० अध्यापकों और 41,059 कैडेटों ने भाग लिया। इन शिविरों का आयोजन सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में किया गया। सड़कों, तालाबों, बांधों, सिंचाई की नालियों आदि के निर्माण कार्य में भाग लेने के अतिरिक्त कैडेटों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सहायता प्रदान की और साक्षरता आन्दोलन चलाया। लड़कियों के डिवीजन के भी 8 समाज सेवा शिविर आयोजित किये गये जिनमें रा० कै० को० की 51 महिला अधिकारियों और 1797 छात्रा-कैडेटों ने भाग लिया। इन शिविरों में किये गये कार्य में स्वास्थ्य-विज्ञान और स्वास्थ्य-रक्षा आन्दोलन, ग्रामीण महिलाओं के लिए साक्षरता आन्दोलन और बुनाई-कक्षाओं का आयोजन करना आदि शामिल थे।

(ख) **प्रशिक्षण शिविर**

आलोच्य वर्ष में बम्बई, कोचीन और विशाखापत्तनम् मे पूरे देश के रा० कै० को० के नौसैनिक यूनिटों के तीन वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में लगभग 40 अधिकारियों और 2,420 कैडेटों ने भाग लिया।

(ग) **अखिल भारतीय वायुसेना स्कंध शिविर**

आलोच्य वर्ष में देहरादून और बंगलोर में दो अखिल भारतीय ग्रीष्म-कालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों से आने वाले रा० कै० को० कैडेटों को आपस में मिलने और परिचित होने का अवसर प्रदान था। दोनों स्थानों पर लड़कें और लड़कियों के लिये अलग-अलग शिविरें लगाये गये। देहरादून शिविर में 17 अधिकारियों और 231 छात्र-कैडेटों ने और 16 महिला अधिकारियों व 119 छात्रा-कैडेटों ने भाग लिया जब कि बंगलोर शिविर में इनकी संख्या क्रमश: 18 व 299 और 16 व 134 रही।

वायुसेना स्कंध के सीनियर डिवीजन का सातवां संयुक्त अखिल भारतीय वायुसेना स्कंध शिविर अक्तूबर 1959 में बंगलोर में लगाया गया। इसमें 17 वायुसेना स्क्वॉड्रनों के 39 अधिकारियों और 1,500 कैडेटों ने भाग लिया।

(घ) **क्षेत्रीय शिविर**

वायुसेना स्कंध के जूनियर डिवीजन ने हैदराबाद, कलकत्ता और दिल्ली में कैडेटों के लिए तीन क्षत्रीय शिविरों का आयोजन किया। तीन शिविरों में 151 अधिकारियों और 5,054 कैडेटों ने भाग लिया।

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के पाठ्यक्रम

आलोच्य वर्ष में रा० कै० को० के सीनियर डिवीज़न के 24 कैडेटों ने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। एक कैडेट ने उच्च प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

नेतृत्व के उच्च प्रशिक्षणक्रम

आलोच्य वर्ष में रा० कै० को० के कैडेटों के लिए नेतृत्व के उच्च प्रशिक्षणक्रम शुरू किये गये। इनका उद्देश्य कैडेटों में नेतृत्व के गुण, सहयोग की भावना, एक होकर काम पूरा करने की भावना, बुद्धि से काम लेने की प्रवृत्ति, अनुशासन और तुरंत निर्णय करने की योग्यता उत्पन्न करना था। इन प्रशिक्षणक्रमों में सैन्य विषयों की शिक्षा, 10 दिन की लम्बी यात्राएं (ट्रेक) और पर्वतारोहण शामिल किये गये थे। इस के बाद एक सप्ताह तक लम्बी गश्त और बाहरी कवायतें भी होती थीं। मई और जून 1959 में उटकमण्ड, दार्जिलिंग, गुलमार्ग, और मनाली (कुल्लू घाटी) में ऐसे चार प्रशिक्षणक्रम चलाए गये, जिनमें रा० कै० को० के एक अधिकारी और 14-15 कैडेटों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

गणराज्य दिवस (1960) की परेड और राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली:

1960 इ० के गणराज्य दिवस समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य-क्षेत्रों के रा० कै० को०के अधिकारियों और 405 कैडेटों ने भाग लिया। कैडेटों को एक शिबिर में रखा गया था। शिबिर में उन्होंने कवायत, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कार्यकलापों में भी भाग लिया। बाद में इन कैडेटों ने राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली में भाग लिया। इसी अवसर पर कैडेटों को विदेशों से आए हुए कैडेटों से मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ये विदेशी कैडेट यू० के०, घाना, श्रीलंका और मलाया से गणराज्य दिवस समारोह के अवसर पर आमंत्रित किये गये थे। विदेशी कैडेटों ने भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला को भी देखा।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों का सेनाओं में प्रवेश:

आलोच्य वर्ष में थल सेना स्कंध के सीनियर डिवीजन के 66 कैडेटों को 11 वें और 12 वें रा० कै० को० प्रशिक्षणक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। यह प्रशिक्षण भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में दिया जाना था। प्रशिक्षण के पूरा होने पर सफ़ल कैडेटों को स्थायी कमीशन मिलते हैं। इसी प्रकार जल सेना और वायुसेना के लिए भी तत्संबंधी स्कंधों के दो-दो कैडेटों को कमीशन का प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया।

अधिकारी प्रशिक्षण यूनिटें ; रा० कै० को०

राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारी प्रशिक्षण यूनिटों में भारतीय सेना अकादमी से भरे जाने वाले निर्धारित रिक्त स्थानों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दी गयी। इससे अधिकारी प्रशिक्षण यूनिटों की वार्षिक दाखिले की क्षमता बढ़कर 250 हो गयी और कुल संख्या 750 हो गयी। रा० कै० को० के सीनियर डिवीजन के कैडेटों की अपेक्षा अ० प्र० यू० के कैडेटों को उच्चतर और अधिक गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की समाप्ति पर इन कैडेटों को कमीशन प्रदान करके थल सेना और जल सेना एवं वायु सेना की तकनीकी शाखाओं, प्रादेशिक सेना या अधिकारियों के स्थायी रिजर्व में भेजा जाएगा।

कैडेट कोर रैली:

27 जनवरी 1960 को सैन्य छात्र दलों की एक रैली हुई जिसमें देश के विभिन्न भागों के कैडेटों ने भाग लिया। इन कैडेटों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया जिनमें समारोह परेड छात्रा कैडेटों द्वारा शारीरिक व्यायाम, लेजियम, शारीरिक प्रशिक्षण के सामूहिक प्रदर्शन, 'रा० कै० को० प्रगति के पथ पर' नामक नाट्यरूपक आदि शामिल थे।

रा० कै० को० राइफलें

आलोच्य वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना सारे देश में रा० कै० कोर राइफ़ल कम्पनियां शुरू करना थी। ये कम्पनियां इन्फ़ेन्ट्री (पैदल सेना) की राइफ़ल रेजिमेंटों के अनुरूप बनाई गयी थीं। इन कम्पनियों का उद्देश्य 16 वर्ष या इससे अधिक आयु के कालेज के विद्यार्थियों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना था।

उपर्युक्त प्रशिक्षण-प्राप्त छात्र 'बी०' और 'सी०' प्रमाण पत्र की परीक्षाओं में बैठने के उसी प्रकार अधिकारी थे जिस प्रकार कि रा० कै० को० के कैडेट और छात्रा कैडेट जी-I और जी-II प्रमाणपत्र परीक्षाओं में बैठने के अधिकारी थे।

10. स्कूलों में दोपहर का खाना :

स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना देने की व्यवस्था कुछ ही राज्यों में की गयी थी और वह भी पर्याप्त नहीं थी। अनेक आर्थिक कठिनाइयों के कारण बहुत कम बच्चे ही इस योजना से लाभ उठा पाये। लेकिन इस योजना के महत्व को लोग पहले से भी अधिक समझने लगे और साधनों के अनुसार इसके अधिकाधिक विस्तार के लिये प्रयास किये गये।

आंध्र प्रदेश के 20 समिति खंडों में दोपहर के भोजन की योजना चालू की गयी। इसका उद्देश्य 6 से 11 वर्ष की आयु के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में आने के लिये उत्साहित करना था। बिहार में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के निर्धन और जरूरतमंद विद्यार्थियों को दोपहर का खाना देने के लिए 4,00,000 रुपये की राशि मंजूर की गयी। हर ज़िले के आंचल में स्थित उन सभी स्कूलों के लगभग 50 प्रतिशत बच्चों को इस योजना से लाभान्वित करने का विचार था जहां 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हाल ही में चालू की गयी थी। इस सुविधा के लिये प्रत्येक विद्यार्थी 6 नये पैसे प्रतिदिन देता था। केरल के एलेप्पी और कोजीकोडे के राजस्व ज़िलों में भी, आलोच्य वर्ष में $4\frac{1}{2}$ महीने तक अवर प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दोपहर का खाना दिया गया। यह योजना 1-7-59 से 31-8-59 तक और फिर 1-11-59 से 15-1-60 तक चालू रही। इस योजना पर किये गये कुल व्यय का 80 प्रतिशत सरकार द्वारा दिया गया और शेष 20 प्रतिशत स्थानीय भोजन-व्यवस्था समितियों द्वारा जमा किये गये कोष से पूरा किया गया। राज्य के जिन अन्य भागों में यह योजना चालू थी, वहां बच्चों को दोपहर का भोजन पूरे वर्ष मिलता रहा। मद्रास राज्य में स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन देने से ही प्रारम्भिक और बुनियादी स्कूलों में दाखिल होने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। इस योजना के अन्तर्गत 23,136 प्रारम्भिक स्कूलों के 7,74,869 बच्चों को दोपहर का भोजन दिया गया और उस पर कुल 63 लाख रुपये व्यय हुए। इसके अतिरिक्त मद्रास नगर में 83 सहायता प्राप्त प्रारम्भिक स्कूलों में पूर्णत: दान की राशि से दोपहर का भोजन दिया गया। इस प्रकार कन्याकुमारी ज़िले के 475 प्राथमिक स्कूलों में पूर्णतः राजकीय व्यय से योजना चलाई गयी। इन संस्थाओं में कुल 16,127 छात्रों को इस योजना के अन्तर्गत भोजन दिया गया। हरिजन कल्याण विभाग के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिये भी दोपहर के भोजन की व्यवस्था जारी रही। आलोच्य वर्ष में इस प्रकार के 4,852 स्कूलों के 73,227 बच्चों को 15 नये पैसे प्रतिदिन प्रति बच्चे के हिसाब से भोजन दिया गया। मद्रास नगर निगम ने भी अपने प्रारम्भिक स्कूलों के निर्धन बच्चों को $9\frac{1}{2}$ नये पैसे प्रतिदिन प्रति बच्चे के हिसाब से दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था जारी रखी। आलोच्य वर्ष में नगर निगम के 269 स्कूलों के 28,386 बच्चों ने इस योजना से लाभ उठाया। मैसूर में प्राथमिक स्तर के बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए 3.00 लाख रुपये की राशि दी गयी। उड़ीसा के अनावृष्टि वाले और बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बच्चों को सरकारी व्यय से दोपहर का भोजन और दुग्धचूर्ण दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ माध्यमिक स्कूलों में दोपहर की छुट्टी के समय अल्पाहार

देने की व्यवस्था भी थी। इस व्यवस्था से केवल वही विद्यार्थी लाभ उठा सकते थे जो इसके लिए पैसा देते थे। कुछ बुनियादी स्कूलों में इस उद्देश्य के लिये बगीचों के फलों और सब्जियों आदि का उपयोग किया गया।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी बच्चों को यू० एन० आई० सी० एफ़० प्राप्त दूध बांटा गया और मुफ्त अल्पाहार के वितरण की व्यवस्था भी की गयी। दिल्ली में 20 प्राथमिक और 5 मिडिल स्कूलों में प्रायोगिक रूप से दूध वितरण की योजना शुरू की गयी। लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह में स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर के मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गयी। आलोच्य वर्ष में इस योजना पर 59,379 रुपये व्यय हुए। मनिपुर में शिक्षा विभाग ने 93 अवर प्राथमिक स्कूलों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम शुरू किया। इस पर होने वाला आधा व्यय मनिपुर प्रशासन द्वारा और शेष जनता द्वारा पूरा करने का विचार था। विकास खंड द्वारा 17 प्राथमिक स्कूलों में भी यह कार्यक्रम शुरू किया गया। लगभग 8,600 बच्चों ने इस योजना से लाभ उठाया। उपसी (नेफ़ा) में स्कूलों में पाली गयी गायों का कुछ दूध स्कूलों के बच्चों को बांटा गया। ये गायें ग्रामीणों द्वारा स्कूलों को दान में दी गयीं थी। पाण्डिचेरी में स्कूलों के निर्धन बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना को और बढ़ाया गया। आलोच्य वर्ष में इस योजना से 123 स्कूलों के 18,712 बच्चों ने लाभ उठाया और इस पर 3,09,451 रुपये व्यय हुए। बच्चों को दिये जाने वाले भोजन की पोषण शक्ति बढ़ाने के लिए, केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलॉजी, और अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने स्वनिर्मित बहु-उद्देशी खाद्य पदार्थ भी दिये।

11. विस्थापित छात्रों की शिक्षा :

पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तान) के विस्थापित छात्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने की योजना आलोच्य वर्ष में भी जारी रही।

(i) अनाथालयों और रूग्णालयों में रहने वाले निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता देने, (ii) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित निर्धन परिवारों के बच्चों को वृत्तिकाएं देने; और (iii) कालेज के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए पेशगी दिये गये ऋण की वसूली करने और उसमें छूट देने का काम पुनर्वास मंत्रालय से ले लिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत विस्थापित छात्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देने के लिये 15 लाख रुपये की राशि दी गयी। इसमें अनाथालयों और रूग्णालयों में रहने वाले निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी शामिल है। पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित निर्धन परिवारों के बच्चों को भी आर्थिक सहायता देने के लिये 75,000 रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी।

राजपुरा और फ़रीदाबाद के बुनियादी स्कूलों, उत्तर-बुनियादी स्कूलों और हाई स्कूलों को पंजाब सरकार के अधीन कर दिया गया। अब तक ये स्कूल पुनर्वास मंत्रालय के अधीन थे, लेकिन इन संस्थाओं का कुछ सीमित उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का भी रहा। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं पर किये गये व्यय के एक निश्चित प्रतिशत की पूर्ति केन्द्रीय सरकार करती थी। आलोच्य वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिये 3.55 लाख रुपये की राशि दी।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने की योजना भी अगस्त 1959 में पुनर्वास मंत्रालय से ले ली गयी। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों और त्रिपुरा प्रशासन को सहायता के तौर पर एकमुक्त राशि देने की प्रणाली प्रचलित थी। यह सहायता योग्य विद्यार्थियों की फ़ीस, पुस्तकों और वृत्तिकाओं आदि के रूप में दी जाती थी। अनुदान की इस राशि में हर वर्ष 20 प्रतिशत की कमी की जा रही थी, ताकि 31 मार्च

1960 तक केन्द्रीय सरकार का दायित्व समाप्त हो सके। आलोच्य वर्ष में इस कार्य के लिए 62.78 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी।

भारत-पाक करार के अनुसार दोनों सरकारों के बीच शिक्षा-प्रमाणपत्रों के विनिमय से संबंधित कठिनाइयां पूर्ववत् ही रहीं। आलोच्य वर्ष में भारतीय राष्ट्रिकों के 296 पुराने और 821 नये प्रार्थनापत्र ऐसे थे जिन पर पाकिस्तान सरकार को कार्यवाही करनी थी भारत सरकार के पास पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के ऐसे 441 प्रार्थनापत्र थे।

12. विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र :

विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्रों को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्तियों, यात्रा-खर्च आदि के रूप में सुविधाएं दी गयीं। ये सुविधाएं केन्द्रीय और राज्य सरकारों, अर्धसरकारी और स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं, विदेशी सरकारों एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानों (फाउन्डेशन) और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दी गयी। लेकिन अधिकांश विद्यार्थी अपने ही व्यय से बाहर गये।

इन सब सुविधाओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

(1) अगाथा हैरीसन अधिवृत्ति :

यह अधिवृत्ति स्वर्गीय मिस अगाथा हैरीसन की स्मृति में 1956-57 में चलाई गयी थी। यह अधिवृत्ति सेंट एन्थोनी कालेज, आक्सफोर्ड में एशियाई (विशेषतः भारतीय) समस्याओं के अध्ययन के लिये दी जाती है और इसकी अवधि पांच वर्ष है। इस अधिवृत्ति के लिए जो भारतीय राष्ट्रिक 1956-57 में चुना गया था, उसने आलोच्य वर्ष में भी अपना कार्य जारी रखा। इस अधिवृत्ति पर आलोच्य वर्ष में 10,666 रुपये खर्च किये गये।

(2) केन्द्रीय विदेश छात्र-वृत्ति योजना :

इस योजना का उद्देश्य देश में शिक्षण और अनुसंधान के स्तर को बढ़ाना है और इसका संबंध विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं के अध्यापकों से है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत कोई छात्र विदेश नहीं भेजा गया। लेकिन 1958-59 में चुने गये 8 छात्रों में से दो छात्र आलोच्य वर्ष में विदेश गये। 1959-60 के दौरान इस योजना पर 11,193 रुपये की राशि व्यय की गयी।

(3) पूरे खर्च की विदेश-छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के अन्तर्गत विदेशों में मानव-विद्याओं के अध्ययन के लिये प्रतिवर्ष चार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यह योजना 20 से 25 वर्ष तक के उन मेधावी नवयुवकों के लिये है जो कहीं नौकरी नहीं करते। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण 1959-60 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कोई नया चुनाव नहीं किया गया। सन् 1957-58 की अवधि में जो छात्रा विदेश गयी थी, उसने आलोच्य वर्ष में अपना अध्ययन जारी रखा।

(4) संघराज्य क्षेत्रों की विदेश छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष एक छात्रवृत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो जन्म या अधिवास के आधार पर किसी संघ राज्यक्षेत्र का निवासी हो। लेकिन आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत चुना हुआ उम्मीदवार विदेश नहीं जा सका। सन् 1956-57 में चुनी गयी छात्रा ने विदेश में अपना अध्ययन जारी रखा। 1959-60 के दौरान इस योजना पर 9761 रुपये खर्च किये गये।

(5) विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना :

सन् 1959–60 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 13 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं। इनमें से अरबी और फ़ारसी के लिए दो-दो, रूसी और जर्मनी के लिए तीन-तीन और जापानी स्पेनी और स्वाहिली भाषाओं के लिये एक-एक छात्रवृत्ति दी गयी। लेकिन चुने हुए उम्मीदवारों में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा जा सका। आलोच्य वर्ष में पिछली टोलियों के छात्रों पर 9,253 रुपये खर्च किये गये।

(6) भारत और चीन के बीच छात्रों के विनिमय का कार्यक्रम :

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन चार छात्रों को 1958–59 में चीन में चीनी भाषा के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी गयी थी, उन्हें 1959–60 की अवधि में विदेश भेजा गया। सन् 1955–56 के कार्यक्रम के अन्तर्गत जो तीन छात्र अध्ययन के लिए गये हुए थे वे अपना अध्ययन पूरा करके आलोच्य वर्ष में भारत लौट आए। आलोच्य वर्ष में इस योजना पर 7,032 रुपये की राशि व्यय की गयी।

(7) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विदेश-छात्रवृत्तियां :

विदेशी मुद्रा पर प्रतिबंध होने के कारण आलोच्य वर्ष में कोई नयी छात्रवृत्ति नहीं दी गई। सन् 1958-59 के दौरान चुने गये 12 छात्रों में से तीन छात्र 1959–60 में बाहर भेजे गये। पिछली टोलियों के पांच छात्र अपना अध्ययन समाप्त करके, आलोच्य वर्ष में, भारत लौट आए।

(8) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये यात्रा-अनुदान:

इस योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के चार छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए यात्रा अनुदान दिये गये। इन छात्रों को जो विदेशी छात्रवृत्तियां दी गयी थी इनमें यात्रा-व्यय शामिल नहीं था।

ऊपर दी गयी छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त विभिन्न राज्य सरकारों और औद्योगिक संस्थाओं ने विदेश में अपने कर्मचारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी छात्रवृत्तियां दी। इनके साथ ही साथ विदेशी सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी विदेश में अध्ययन के लिये भारतीय राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां/अधिवृत्तियां प्रदान की। सन् 1959–60 के दौरान दी गयी इस प्रकार की छात्रवृत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

छात्रवृत्ति/अधिवृत्ति देने वाले प्राधिकरण का नाम	छात्रवृत्तियों/अधिवृत्तियों की संख्या
1	2
(1) संयुक्त राष्ट्र (संयुक्त राष्ट्र समाज कल्याण-छात्रवृत्ति और अधिवत्ति कार्यक्रम)	समाज कल्याण और इससे संबंधित विषयों के लिए सात अधिवृत्तियां।
(2) यूनेस्को . .	प्रादेशिक, सांस्कृतिक अध्ययन के लिए दो अधिवृत्तियां।
(3) बेल्जियम सरकार .	मानव-विद्याओं के अध्ययन के लिए दो छात्रवृत्तियां।
(4) फ्रांस सरकार . .	मानव-विद्याओं के अध्ययन के लिए तीन छात्रवृत्तियां।
(5) इटली सरकार .	वाणिज्य के अध्ययन के लिए एक छात्रवृत्ति।
(6) नार्वे सरकार .	गणित के अध्ययन के लिये एक छात्रवृत्ति।

1	2
(7) तुर्की सरकार	मानव विद्याओं के अध्ययन के लिए दो छात्रवृत्तियां।
(8) जर्मन संघीय गणराज्य सरकार	अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए दो छात्रवृत्तियां।
(9) ब्रिटिश काउन्सिल, लन्दन	अंग्रेजी भाषा और साहित्य, विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी का शिक्षण और भाषा विज्ञान के उच्चतर अध्ययन के लिए 14 छात्रवृत्तियां।
(10) इम्पीरियल रिलेशन्स ट्रस्ट (लंदन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ़ एज्यूकेशन) लंदन।	देश की वर्तमान शिक्षा संबंधी समस्याओं पर संस्था में रह कर अनुसंधान करने के लिए दो अधिवृत्तियां। (इस पर होने वाले खर्च को ट्रस्ट और भारत सरकार बराबर-बराबर पूरा करेगी।)
(11) डेनमार्क सरकार	मानव-विद्याओं के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक छात्रवत्ति—इस छात्रवृत्ति से लाभ नहीं उठाया जा सका क्योंकि चुने हुए उम्मीदवार ने उसे स्वीकार नहीं किया।
(12) जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य सरकार	जर्मन भाषा के अध्ययन के लिए पांच छात्रवृत्तियां—कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं था।

जो छात्र शिक्षा की विभिन्न शाखाओं के उच्चतर अध्ययन के लिए देश से बाहर विभिन्न देशों में गये उनका प्राप्त ब्यौरा सारणी CXV में दिया गया है। इस सारणी से ज्ञात होगा कि 1959-60 में 6,466 विद्यार्थी (6,025 पुरुष और 441 महिलाएं) विदेश गये। इनमें 2,907 छात्रों को (2,723 पुरुष और 184 महिलाएं) वृत्तिकाएं भी दी गयी थीं। विदेश जाने वाले विद्यार्थियों में सबसे अधिक (39.1 प्रतिशत) विद्यार्थी अमेरिका गये। दूसरा स्थान ब्रिटेन का रहा। वहां 35.0 प्रतिशत विद्यार्थी गये।

विदेश जाने वाले कुल छात्रों में से लगभग तीन-चौथाई छात्र इंजीनियरी, औद्योगिकी, और उद्योग, आयुर्विज्ञान और पशुचिकित्सा विज्ञान, वाणिज्य, कृषि और अध्यापक प्रशिक्षण जैसे वृत्तिक और तकनीकी विषयों के अध्ययन के लिये गये थे। विभिन्न विषयों में छात्रों का प्रतिशत विभाजन इस प्रकार था : औद्योगिकी और उद्योग 25.0 प्र० श० इंजीनियरी (जिसमें वास्तुकला और डिज़ाइन भी शामिल हैं) 22.6 प्र० श० आयुर्विज्ञान और पशु-चिकित्सा विज्ञान 16.5 प्र० श०, वाणिज्य 7.4 प्र० श० कृषि 2.5 प्र० श० और अध्यापक-प्रशिक्षण 2.3 प्रतिशत।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या सारणी CXVI में दी गयी है। बम्बई से सबसे अधिक (1,024) छात्र गये। इसके बाद पश्चिमी बंगाल (1,577), दिल्ली (628), उत्तर प्रदेश (460), और पंजाब (321) आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में मनिपुर तथा पाण्डिचेरी से सबसे कम (प्रत्येक क्षेत्र से 2) छात्र विदेश गये।

सन् 1959–60 के दौरान विदेश जाने वाले छात्रों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी छात्र थे जो पहले से विदेश गये हुए थे और वहां अपना पाठ्यक्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर रहे थे। पहली जनवरी 1960 को विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 9,364 थी। इनमें से 1,413 छात्र औद्योगिकी और उद्योग की विभिन्न शाखाओं का विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। जिस विषय का और जिस देश में वे अध्ययन कर रहे थे, उसका ब्यौरा सारणी CXVII में दिया गया है। इन छात्रों में से सबसे अधिक (4,497) छात्र संयुक्त राज्य अमेरिका में थे। इसके बाद ब्रिटेन (2,577), पश्चिमी जर्मनी (1,264), कनडा (337) और फ्रांस (112) का स्थान आता है। अन्य प्रत्येक देश में ऐसे छात्रों/प्रशिक्षार्थियों की संख्या 100 से कम थी।

कुल छात्रों में से अधिकांश छात्र (30.1 प्रतिशत) इंजीनियरी और औद्योगिकी की शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। आयुर्विज्ञान और पशु-चिकित्सा विज्ञान में 13.3 प्रतिशत, प्रयुक्त विज्ञान में 11.5 प्रतिशत और कला संबंधी विषयों में 10.9 प्रतिशत छात्र थे जो इन विषयों की शिक्षा और उनका व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

सारणी CXV—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की विषयवार संख्या

विषय	लड़के	लड़कियां	जोड़
कला संबंधी विषय	269	60	329
विज्ञान संबधी विषय	482	36	518
शिक्षा	89	60	149
इंजीनियरी	1,396	5	1,401
वास्तुकला और डिजाइन	61	2	63
औद्योगिकी और उद्योग	1,611	5	1,616
आयुर्विज्ञान और पशु-चिकित्सा विज्ञान	951	133	1,084
कृषि और वनविज्ञान	161	3	164
विधि	39	4	43
वाणिज्य	467	9	476
पत्रकारिता	5	2	7
बैंकिंग और बीमा	33	..	33
ललित कलाएं	8	7	15
उपचर्या (नर्सिंग)	3	42	45
पुस्तकालय विज्ञान	13	4	17
अन्य विषय	437	69	506
जोड़	6,025	441	6,466

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या

राज्य	अफ़गानिस्तान		अर्जेन्टाइना		आस्ट्रेलिया		आस्ट्रिया		बेल्जियम		कनाडा		श्रीलंका		चीन	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश . .	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	11	..	..	..	1	1
आसाम . . .	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..
बिहार . .	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	5	..	..	..	..	..
बम्बई { महाराष्ट्र .	..	..	..	..	9	1	12	..	5	..	28	1	..	..	..	..
बम्बई { गुजरात .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जम्मू और काश्मीर .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
केरल . .	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	5	1	..	..	..	..
मध्य प्रदेश .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	..	..	..	..	..
मद्रास . .	1	..	..	..	10	1	..	..	..	..	14	1	..	..	..	..
मैसूर . .	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	12	1	..	..	..	..
उड़ीसा . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पंजाब . .	..	..	..	..	5	..	1	..	..	..	18	..	1	..	..	..
राजस्थान . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	.
उत्तर प्रदेश . .	..	..	1	..	4	..	1	1	..	24	..	1	..	..	1	.
पश्चिम बंगाल . .	..	..	..	..	24	..	6	..	4	..	15	3	8	..	..	.
दिल्ली . .	..	..	..	..	5	..	5	..	2	..	21	2	4	..	1	.
हिमाचल प्रदेश .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मनिपुर . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पाण्डिचेरी . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
भारत . .	1	..	1	..	62	3	26	1	13	..	169	10	13	..	3	1

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

राज्य	चेकोस्लोवाकिया		डेनमार्क		पू० जर्मनी		फिनलैंड		फ्रांस		हंगेरी		इन्डोनेशिया		आयरलैंड		इटली	
	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
आंध्र प्रदेश	..	..	..	..	1	..	..	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..
आसाम	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बिहार	2	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	3	..
बम्बई { महाराष्ट्र	2	..	4	1	6	..	..	..	19	1	..	..	..	..	..	..	20	1
बम्बई { गुजरात	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जम्मू और काश्मीर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
केरल	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	4	3
मध्य प्रदेश	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मद्रास	..	..	..	..	8	..	..	..	5	1	1	..	..	..	..	..	3	..
मैसूर	5	..	2	..	1	..	..	..	8	..	..	..	1	..	..	..	2	..
उड़ीसा	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश की अनुसार संख्या—(जारी)

1	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
पंजाब . . .	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	5	1
राजस्थान . .	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
उत्तर प्रदेश . .	13	..	..	..	1	..	1	..	6	..	2	..	..	..	1	..	1	..
पश्चिमी बंगाल . .	5	1	5	..	4	..	2	..	12	..	1	..	1	..	..	..	3	1
दिल्ली . . .	6	..	..	..	6	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	7	1
हिमाचल प्रदेश . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मणिपुर . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पाण्डिचेरी . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
भारत .	34	1	14	1	31	..	4	..	70	4	6	..	2	..	1	..	43	7

रणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या —(जारी)

राज्य	जापान		मलाया		नीदरलैंड		न्यूजीलैंड		नार्वे		पाकिस्तान		फिलिपाइन	
1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
आंध्र प्रदेश	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
आसाम	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बिहार	1	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..
बम्बई { महाराष्ट्र	19	..	1	..	5	..	1	..	3	..	..	..	1	..
बम्बई { गुजरात	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जम्मू और काश्मीर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
केरल	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
मध्य प्रदेश	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मद्रास	5	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..
मैसूर	4	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..
उड़ीसा	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पंजाब	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
राजस्थान	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

—5 M of Edu/65

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

1	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	47	49
उत्तर प्रदेश	2	..	..	..	6	..	2	..	..	..	..	..	..	..
ग्श्चिमी बंगाल	14	..	..	..	19	..	..	..	..	..	1	..	..	..
देल्ली	9	..	..	..	5	..	..	..	.	..	..	..	..	..
हेमाचल प्रदेश	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ग्निपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ाण्डिचेरी	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
भारत	65	..	2	..	43	..	8	..	4	..	1	..	1	..

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

राज्य	पोलैंड		रुमानिया		दक्षिण रोडेशिया		स्पेन		स्वीडन		स्विट्ज़रलैंड	
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
आंध्र प्रदेश	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..
आसाम	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बिहार	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..
बम्बई { महाराष्ट्र	..	..	1	..	..	..	..	..	8	..	40	6
बम्बई { गुजरात	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जम्मू और कश्मीर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
केरल	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..
मध्य प्रदेश	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..
मद्रास	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..
मैसूर	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..
उड़ीसा	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..
पंजाब	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..
राजस्थान	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

सारणी CXVI—सन 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
उत्तर प्रदेश . .	1	..	..	..	..	..	..	..	5	..	5	..
पश्चिमी बंगाल . .	..	..	3	1	1	..	..	..	3	1	10	1
दिल्ली . .	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	3	..
हिमाचल प्रदेश . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
मनिपुर . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पाण्डिचेरी . .	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
भारत .	1	..	6	1	1	..	1	..	22	1	71	7

ी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

राज्य	थाईलैंड		संयुक्त अरब गण राज्य		यूनाइटेड किंगडम		संयुक्त राज्य अमेरिका		सोवियत संघ	
	पुरुष	महिलाएँ	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
आंध्र प्रदेश	..	..	..	..	42	12	160	13	..	..
आसाम	..	..	..	..	4	..	19	1	..	..
बिहार	..	..	..	..	81	7	74	1	2	..
बम्बई { महाराष्ट्र	..	..	1	..	483	55	735	80	7	..
बम्बई { गुजरात	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जम्मू और कश्मीर	..	..	..	..	3	4	5	..	..	..
केरल	..	..	..	..	36	3	93	23	..	..
मध्य प्रदेश	..	..	..	..	24	1	31	5	17	..
मद्रास	..	..	..	..	85	9	152	10	10	..
मैसूर	..	..	..	..	49	[illegible]	94	14	3	..
उड़ीसा	..	..	..	..	26	1	77	..	..	..

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
पंजाब	..	..	..	..	71	4	188	9	..	..
राजस्थान	..	..	..	..	18	1	30	..	..	..
उत्तर प्रदेश	..	..	..	..	127	11	160	18	2	..
पश्चिमी बंगाल	2	..	..	..	797	48	287	12	7	..
दिल्ली	..	..	..	..	230	20	208	23	1	..
हिमाचल प्रदेश	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
मनिपुर	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..
पाण्डिचेरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
भारत	2	..	2	2	2,078	182	2,316	209	49	..

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान विदेशों में जाने वाले छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

राज्य	पश्चिमी जर्मनी		यूगोस्लाविया		अन्य देश		जोड़		कुल जोड़
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं	सब व्यक्ति
1	72	73	74	75	76	77	78	79	80
आंध्र प्रदेश	18	1	..	1	..	..	245	29	274
आसाम	12	..	..	..	..	..	29	2	31
बिहार	38	..	2	..	..	..	221	8	229
बम्बई { महाराष्ट्र	240	3	..	..	22	3	1,672	152	1,824
बम्बई { गुजरात	..	..	..	..	..	..	..	..	..
जम्मू और कश्मीर	2	..	..	..	..	..	11	4	15
केरल	9	..	..	..	..	..	160	32	192
मध्य प्रदेश	11	..	..	..	2	..	98	6	104
मद्रास	42	..	..	..	1	..	343	22	365
मैसूर	39	..	..	..	2	..	232	21	253
उड़ीसा	18	..	..	..	..	..	127	1	128
पंजाब	13	..	..	..	1	..	308	13	321

सारणी CXVI—सन् 1959-60 के दौरान [illegible] छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों की राज्य व देश के अनुसार संख्या—(जारी)

1	72	73	74	75	76	77	78	79	80
राजस्थान	3	..	..	..	..	..	57	1	58
उत्तर प्रदेश	90	..	..	..	3	..	429	31	460
पश्चिमी बंगाल	266	2	1	..	7	..	1,507	70	1,577
दिल्ली	54	1	..	1	2	1	579	49	628
हिमाचल प्रदेश	..	..	..	..	..	..	3	..	3
मनिपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
पाण्डिचेरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..
भारत . .	813	7	3	2	40	4	6,025	441	6,485

सारणी CXVII—तारीख 1-1-1960 को विदेशों में भारतीय छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों का विषय व विदेश वार विवरण

देश का नाम	छात्र										प्रशिक्षणार्थी	कुल जोड़
	कला संबंधी विषय	विज्ञान संबंधी विषय	इंजीनियरी और औद्योगिकी	आयुर्विज्ञान और पशु-चिकित्सा विज्ञान	कृषि और विज्ञान वन	वाणिज्य	शिक्षा	विधि	अन्य विषय	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अर्जेन्टाइना . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1
आस्ट्रेलिया . . .	3	8	17	5	3	..	2	1	..	39	47	86
आस्ट्रिया . . .	..	2	8	25	..	..	1	..	2	38	5	43
बेल्जियम . . .	..	1	1	4	..	..	..	..	19	25	..	25
ब्राजील . . .	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1
कनाडा . . .	18	147	20	10	2	3	3	..	4	207	130	337
चीन . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	5
चैकोस्लोवाकिया . .	..	..	4	1	..	..	..	..	4	9	23	32
डेनमार्क . . .	..	..	..	1	1	..	..	..	4	6	7	13
फ़िनलैंड . . .	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	5	6
फ्रांस . . .	15	16	8	15	..	..	..	1	11	66	46	112
हंगेरी . . .	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	8	9
ईरान . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1

सारणी CXVII—तारीख 1-1-1960 को विदेशों में भारतीय छात्रों/प्रशिक्षणार्थियों का विषय व विदेश वार विवरण—(जारी)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ईराक . . .	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1
आयरलड . . .	13	4	1	15	..	..	9	..	7	49	..	49
इटली . . .	..	..	5	..	..	..	..	..	8	13	9	22
जापान . . .	..	..	4	..	3	..	..	..	..	7	3	10
नीदरलैंड . . .	2	5	9	6	4	..	..	..	3	29	16	45
न्यूज़ीलैंड . . .	..	..	..	..	8	..	..	..	..	8	1	9
नार्वे . . .	..	1	..	2	..	..	..	..	1	4	..	4
फ़िलिपाइन . .	4	..	9	2	..	5	..	..	1	21	..	21
पोलैंड . . .	3	1	2	..	..	..	..	..	2	8	..	8
रुमानिया . . .	..	..	7	..	..	..	..	..	1	8	55	63
स्वीडन . . .	2	1	..	..	2	..	..	..	..	5	5	10
स्विट्जरलैंड . .	5	3	4	1	..	..	..	..	7	20	10	30
तुर्की . . .	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1
संयुक्त अरब गणराज्य .	18	..	..	..	..	..	..	..	2	20	2	22
ब्रिटेन . . .	328	147	1,025	845	24	103	64	9	32	2,577	..	2,577
संयुक्तराज्य अमेरिका .	574	665	1,378	227	264	281	138	..	645	4,172	325	4,497
सोवियत संघ . .	6	14	19	1	2	..	..	..	4	46	10	56
पश्चिमी जर्मनी/प० बर्लिन .	30	62	300	83	5	..	..	..	78	558	706	1,264
यूगोस्लाविया . .	..	..	1	..	1	..	..	..	2	4	..	4
जोड़ . .	1,021	1,079	2,843	1,243	320	393	217	11	844	7,951	1,413	9,364

ग्यारहवां अध्याय

सांख्यिकीय सर्वेक्षण

सन् 1959-60 में समाप्त होने वाली पंचवर्षीय अवधि के आंकड़ों से शिक्षा के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों की प्रवृत्तियों पर जो प्रकाश पड़ता है उस पर इस अध्याय में विचार किया गया है। यह विवेचन अधिकांशतः आंकड़ों की दृष्टि से ही किया गया है, अतः इसमें इस अवधि के शैक्षिक विकास के गुणात्मक पहलू का पूरा विवेचन नहीं किया गया है। इसमें अतिरिक्त इन प्रवृत्तियों का विवेचन पूरे भारत की दृष्टि से किया गया है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि इसके निष्कर्षों के आधार पर अन्तर्राज्यीय या एक ही राज्यगत शिक्षा संबंधी आकड़ों आदि के अन्तर का ज्ञान हो सके।

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में सन् 1954-55 से सन् 1959-60 तक हुई उन्नति का ब्योरा नीचे सारणी CXVIII में दिया गया है।

सारणी CXVIII—सन् 1954-60 की अवधि में पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष	पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा में विद्यार्थीयों की संख्या (लाखों में)			कुल संख्या में लड़कियों का प्रतिशत	गतवर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि		
	लड़के	लड़कियां	जोड़		लड़के	लड़कियां	जोड़
1954-55	196.10	76.63	272.73	23.1	6.2	8.8	6.9
1955-56	209.54	85.07	294.61	28.9	6.9	11.0	8.0
1956-57	220.95	93.54	314.49	29.7	5.4	10.0	6.8
1957-58	232.40	98.58	330.98	29.8	5.2	5.4	5.2
1958-59	252.14	109.83	361.97	30.3	8.5	11.4	9.4
1959-60	269.17	119.55	388.72	30.8	6.8	8.9	7.4

ऊपर की सारणी से पता चलता है कि आलोच्य अवधि में पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती ही रही। इस अवधि में, बहुत अधिक अर्थात् लगभग 116 लाख बच्चे प्रारम्भिक कक्षाओं में दाखिले के लिये आये। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग 23 लाख विद्यार्थियों की औसत वृद्धि हुई, जिनमें लगभग 14½ लाख लड़के थे और 8½ लाख लड़कियां। वार्षिक प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक थी। फिर भी लड़कियों और लड़कों की संख्या में बहुत अधिक अन्तर रहा, अर्थात् लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या की एक-तिहाई से भी कम थी।

यद्यपि इससे यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हुआ। फिर भी देशव्यापी आधार से देखने पर ज्ञात होगा कि आम प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसे सारणी CXIX में स्पष्ट किया गया है। जिसमें दाखिल होने वाले विद्यार्थियों और 6-14 वर्ष के वयोवर्ग के कुल बच्चों की तुलनात्मक संख्या दी गई है और उक्त वयोवर्ग के कुल बच्चों में से पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा में दाखिल होने वाले बच्चों की प्रतिशत संख्या भी दी गयी है।

सारणी CXIX—सन् 1954-60 की अवधि में 6-14 वर्ष के वयोवर्ग के छात्रों के लिये शैक्षिक सुविधाएं

वर्ष	6-14 वर्ष के वयोवर्ग के कुल बच्चों की संख्या की तुलना में पहली से लेकर आठवीं तक की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
1954-55	51.4	21.8	36.8
1955-56	54.1	23.1	39.1
1956-57	55.9	24.9	40.9
1957-58	60.2	26.9	43.9
1958-59	61.1	28.3	45.2
1959-60	63.3	29.9	47.1

आलोच्य अवधि में छह से लेकर चौदह वर्ष तक के वयोवर्ग के कुल बच्चों की संख्या की तुलना में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं का प्रतिशत 36.8 से बढ़कर 47.1 हो गया। इस तरह इस संख्या में प्रति वर्ष औसतन 2 प्रतिशत वृद्धि हुई। यद्यपि देश के प्रत्येक भाग में शिक्षा के प्रसार के लिये काफी प्रयास किए गए और स्कूलों में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई फिर भी बच्चों की बढ़ती हुई संख्या की तुलना में इन शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार बहुत संतोषजनक नहीं रहा। अतः यदि निकट भविष्य में आम प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले की गति को बढ़ाना होगा। लड़कियों पर तो यह बात पूरी तरह लागू होती है क्योंकि आज भी प्रत्येक तीन लड़कियां में से 2 लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूलों में नहीं जातीं।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक स्कूलों व मिडिल और हाईस्कूलों के प्राथमिक विभागों में है। सारणी CXX में सन् 1954-55 से लेकर सन् 1959-60 तक की अवधि में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में होने वाली वृद्धि दिखाई गई है। लेकिन इन आंकड़ों में मिडल और माध्यमिक स्कूलों के प्राथमिक विभागों की संख्या शामिल नहीं है।

सारणी CXX—सन् 1954-60 की अवधि में प्राथमिक स्कूलों की संख्या

वर्ष	प्राथमिक स्कूल		लड़कियों के प्राथमिक स्कूल		एक अध्यापक वाले स्कूल		प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में एक अध्यापक वाले स्कूलों का प्रतिशत
	संख्या	गतवर्ष की अपेक्षा वृद्धि	संख्या	स्कूलों की कुल संख्या का तुलना में लड़कियों के स्कूलों का प्रतिशत	संख्या	गतवर्ष की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि	
1954-55	2,63,626	24,244	14,925	5.7	1,01,342	17.8	38.4
1955-56	2,78,135	14,509	15,230	5.5	1,11,220	9.7	40.0
1956-57	2,87,298	9,163	16,065	5.6	1,16,272	4.5	40.5
1957-58	2,98,247	10,949	16,433	5.5	1,23,248	6.0	41.3
1958-59	3,01,564	3,317	17,735	5.5	1,29,193	4.8	42.8
1959-60	3,19,070	17,506	18,800	5.9	1,38,993	7.6	43.6

ऊपर की सारणी से ज्ञात होता है कि 1959-60 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2.64 लाख (सन् 1954-55) से बढ़ कर 3.19 लाख हो गयी। इस तरह इन पांच वर्षों की अवधि में 56,000 से भी अधिक स्कूल खुले या प्रतिवर्ष औसतन 11,000 नये स्कूल खुले। इन्हें देखकर प्रथम दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि देश में प्राथमिक शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली के लिये सरकारी व गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में जो कार्य किया गया वह काफ़ी उल्लेखनीय रहा।

उपरोक्त सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि प्राथमिक स्तर पर सहशिक्षा काफ़ी मात्रा में थी और मुश्किल से 6 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल ही केवल लड़कियों के लिये थे। सीमित भौतिक साधनों और देश के कुछ भागों में जनसंख्या के कम घनत्व को ध्यान में रखकर यह प्रतीत होता है कि इस स्तर पर सहशिक्षा का विकास प्रगति की सही दिशा का सूचक है।

इस सारणी से यह भी पता चलता है कि विचाराधीन पांच वर्ष की अवधि में एक अध्यापक वाले स्कूलों की संख्या में काफ़ी तेजी से (3,500 से भी ज्यादा) वृद्धि हुई। स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में इन स्कूलों का अनुपात 38.4 प्रतिशत (1954-55) से बढ़कर 1959-60 में 43.6 प्रतिशत हो गया। यद्यपि यह प्रगति बहुत सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होती तथापि यह मानना ही होगा कि सामयिक परिस्थितियों में एक अध्यापक वाले स्कूल होने अनिवार्य ही है।

प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों का विभाजन सारणी CXXI में दिखाया गया है।

सारणी CXXI—प्रबंध संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या (1954-60)

वर्ष	प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या	प्रबंध-संस्थाओं के अनुसार प्राथमिक स्कूलों की संख्या			सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों का प्रतिशत	स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों का प्रतिशत	गैर-सरकारी स्कूलों का प्रतिशत
		सरकारी स्कूल	स्थानीय परिषदों के स्कूल	गैर-सरकारी संस्थाओं के स्कूल			
1954-55	2,63 626	59,262	1,33,020	71,344	22.5	50.1	27.1
1955-56	2,78 135	64,827	1,42,223	71,085	23 3	51.1	25.6
1956-57	2,87·298	64 098	1,52,064	71,136	22.3	52.9	24.8
1957-58	2,98,247	77,724	1,48,275	72,248	26.1	49.7	24.2
1958-59	3,01,564	81,939	1,48,301	71,324	27.2	49.1	23.7
1959-60	3,19,070	70,533	1,77,855	70,682	22.1	55.7	22.2

ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट है कि आधे से भी अधिक स्कूलों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाएं कर रही थीं। शेष में आधे स्कूलों का प्रबन्ध सरकार और बाकी का गैर-सरकारी संस्थाएं कर रही थीं। यदि सरकारी और स्थानीय परिषदों के स्कूलों को मिला लिया जाए तो स्कूलों की कुल संख्या के लगभग तीन-चौथाई स्कूलों का प्रबन्ध सरकार कर रही थी।

संख्या की दृष्टि से गैर-सरकारी स्कूलों में कमी ही होती रही। प्रतिशत देखने पर तो यह कमी और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है।

आलोच्य पांच वर्षों में पहली से पांचवीं कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या सारणी CXXII में दिखाई गई है।

सारणी CXXII—6 से 11 वर्ष के वयोवर्ग के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं

वर्ष	पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में दाखिल होने वाले बच्चों की संख्या (लाखों में)			6 से 11 वर्ष के वयोवर्ग वाले कुल बच्चों की तुलना में स्कूलों में दाखिल होने वाले बच्चों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1954-55	163.49	68.75	232.24	68.1	29.9	49.4
1955-56	175.28	76.39	251.67	72.0	32.8	52.8
1956-57	184.51	82.62	267.13	73.7	34.5	54.5
1957-58	194.04	87.66	281.70	76.1	36.2	56.7
1958-59	210.14	97.42	307.57	76.0	37.5	57.3
1959-60	222.96	105.24	328.19	81.4	40.5	61.5

ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1959-60 में, पांच वर्ष पहले की अपेक्षा पहली से पांचवीं कक्षा में लगभग 96 लाख अतिरिक्त बच्चे दाखिल हुए। इनमें 59.5 लाख लड़के थे और 36.5 लाख लड़कियां। दाखिल होने वाले लड़कों की संख्या में लगभग 12 लाख और लड़कियों की संख्या में लगभग 7.3 लाख औसत वार्षिक वृद्धि हुई। इन लड़कों व लड़कियों की संख्या में अभी भी काफी अन्तर था।

इसी सारणी से यह भी पता चलता है कि 6 से 11 वर्षों के वयोवर्ग के कुल बच्चों की संख्या की तुलना में पहली से पांचवीं कक्षाओं में कितने प्रतिशत बच्चों ने दाखिल लिया । इस वयोवर्ग के प्रति 100 बच्चों में से 81 के लिये स्कूलों की व्यवस्था थी । लेकिन लड़कियों के संबंध में यह व्यवस्था केवल 40 प्रतिशत लड़कियों के लिए थी । इस तरह कुल 61.5 प्रतिशत बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त थीं । अतः कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा की समस्या वस्तुतः लड़कियों की शिक्षा की समस्या है ।

ऊपर की सारणी में दिये गये आंकड़ों का अध्ययन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 6 से 11 वर्ष के वयोवर्ग के संबंधित वे सब बच्चे जो पहली से पांचवीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे थे वस्तुतः इसी वयोवर्ग के नहीं थे । इन विद्यार्थियों में काफ़ी ऐसे भी थे जिनकी आयु 6-11 वर्ष के अन्तर्गत नहीं थी ।

सारणी CXXIII में उन बच्चों की संख्या दी गयी है जो 6-11 वर्ष के वयोवर्ग में नहीं आते ।

सारणी CXXIII— पहली से लेकर पांचवीं तक की कक्षाओं के उन विद्यार्थियों की संख्या जो 6-11 वर्ष के वयोवर्ग में नहीं आते (1954-60)

वर्ष	पहली से लेकर पांचवीं तक की कक्षा में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)		
	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4
1954–55	163.49	68.75	232.24
1955–56	175.28	76.39	251.67
1956–57	184.51	82.62	267.13
1957–58	194.04	87.66	281.70
1958–59	210.14	97.42	307.57
1959–60	222.96	105.24	328.19

वर्ष	पहली से लेकर पांचवीं तक की कक्षा में 6 वर्ष से कम और 11 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)			पहली से लेकर पांचवी तक की कक्षा में 6 वर्ष से कम और 11 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	जोड़
1	5	6	7	8	9	10
1954–55	40.81	15.86	56.67	25.0	23.1	24.4
1955–56	42.67	16.46	59.13	24.3	21.5	23.5
1956–57	44.27	17.79	62.06	24.0	21.5	23.2
1957–58	46.14	18.20	64.34	23.8	20.8	22.8
1958–59	48.68	19.47	68.14	23.2	20.0	22.2
1959–60	51.66	21.41	73.07	23.2	20.3	22.3

इस सारणी से ज्ञात होता है कि पहली से पांचवीं कक्षाओं में लगभग 22 प्रतिशत विद्यार्थी गलत आयु वाले थे। इसका कारण यह है कि सभी बच्चे 6 वर्ष की आयु में स्कूलों में भर्ती नहीं होते। इसके अतिरिक्त बार-बार फ़ेल होने के कारण या अन्य कारणों से भी वे 11 वर्ष के हो जाने पर भी पहली से पांचवीं कक्षाओं में ही रहते हैं। लेकिन यह प्रसन्नता का विषय है कि पहली से पांचवीं कक्षाओं में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या में तेज़ी से कमी हो रही है।

आधुनिक युग में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी खराबी दूसरी कक्षा में न चढ़ पाना और बीच में ही स्कूल छोड़ देना है। अर्थात् या तो बच्चे प्राथमिक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखते या पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। इन दोनों समस्याओं का सही-सही अनुमान लगाने के लिये सर्वेक्षण करना आवश्यक है। लेकिन यदि ऐसा सर्वेक्षण न किया जाये तो किसी वर्षविशेष में चौथी कक्षा के छात्रों की संख्या की तुलना तीन वर्ष पूर्व उसी टोली की पहली कक्षा की छात्र-संख्या से करके, इस संबंध में मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। सारणी CXXIV में इसी विधि का प्रयोग किया गया है और इस समस्या के महत्व का अनुमान लगाया गया है।

सारणी CXXIV—पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले और अग्रिम कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्रों की संख्या (1954-60)

वर्ष	तीन वर्ष पूर्व पहली कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)			आलोच्य वर्ष में चौथी कक्षा में विद्यार्थीयों की संख्या (लाखों में)		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1954–55	48.02	22.23	70.25	22.66	8.08	30.74
1955–56	50.23	23.72	73.95	23.45	8.71	32.16
1956–57	54.67	25.20	80.87	25.10	9.57	34.67
1957–58	61.89	29.23	91.12	26.57	10.29	36.86
1958–59	66.60	32.98	99.58	28.69	11.51	40.20
1959–60 . .	67.71	35.12	102.83	30.01	12.47	42.48

वर्ष	पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले और अगली कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्रों की संख्या (लाखों में)			छात्रों की कुल संख्या की तुलना में इन छात्रों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	8	9	10	11	12	13
1954–55 . .	25.36	14.15	39.51	52.8	63.7	56.2
1955–56 . .	26.78	15.01	41.79	53.3	63.3	56.5
1956–57 . .	29.57	16.63	46.20	54.1	63.4	57.1
1957–58 . .	35.32	18.94	54.26	57.1	64.8	59.5
1958–59 . .	37.91	21.47	59.38	56.9	65.1	59.6
1959–60 . .	37.70	22.65	60.35	55.7	64.5	58.7

इस सारणी से ज्ञात होता है कि पहली कक्षा में दाखिल होने वाले प्रत्येक 100 बच्चों में से 60 बच्चे चौथी कक्षा में पहुंचने से पहिले या तो पढ़ाई छोड देते हैं या एक (या कई-कई बार) फ़ेल होते रहते हैं। लडकों की अपेक्षा लडकियों में अधूरी पढ़ाई की प्रवृत्ति अधिक है। इस स्थिति का एक दु:खद पहलू और भी है, और वह यह है कि आलोच्य अवधि में पढ़ाई अधूरी छोडने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है।

सारणी CXXV में पहली से ले कर दूसरी, दूसरी से लेकर तीसरी, और तीसरी से लेकर चौथी तक की कक्षाओं में पढ़ाई अधूरी छोडने वाले और अगली कक्षा में न चढ़ पाने वाले छात्रों की संख्या दी गयी है। इस सारणी को तैयार करते समय पहली कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को 100 मान कर उसके आधार पर बाद के वर्षों व बाद की कक्षाओं की संख्या की गणना की गई है।

सारणी CXXV—विभिन्न कक्षाओं मे पढाई अधूरी छोडने वाले छात्रों के आंकडे

कक्षा	1952–56 की टोली			1953–57 की टोली		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
I . . .	100	100	100	100	100	100
II . . .	63	58	61	62	58	61
III . . .	53	45	50	51	45	49
IV . . .	46	37	43	43	35	40

कक्षा	1954–58 की टोली			1955–59 की टोली			1956–60 की टोली		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I .	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II .	62	58	61	61	55	58	61	56	58
III .	51	45	49	50	43	48	50	44	49
IV .	43	35	40	43	35	40	44	36	41

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि पहली और दूसरी कक्षा में सबसे अधिक छात्रों ने पढ़ाई अधूरी छोडी और अगली कक्षा में नहीं चढे।

अध्यापक शिक्षा-पद्धति की धुरी होते हैं। सारणी CXXVI में प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों की संख्या दी गयी है।

सारणी CXXVI—प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1954-60)

वर्ष	प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (हजारों में)			पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि या कमी (हजारों में)	अध्यापिकाओं का प्रतिशत	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या (हजारों में)	प्रशिक्षित अध्यायपकों का प्रतिशत
	अध्यापक	अध्यापिकाएं	जोड़				
1	2	3	4	5	6	7	8
1954–55 .	563	113	676	+53	16.8	418	61.8
1955–56 .	574	117	691	+15	16.9	423	61.2
1956–57 .	589	121	710	+19	17.1	442	63.5
1957–58 .	602	127	729	+19	17.4	463	63.5
1958–59 .	577	118	695	—34	16.9	443	63.7
1959–60 .	606	125	731	+36	17.1	467	63.8

सन् 1954–55 से 1959–60 तक की पांच वर्ष की अवधि में प्राथमिक स्कूलों में लगभग 55,000 अध्यापक बढ़े और उनकी संख्या 7.31 लाख तक पहुंच गई। इस प्रकार प्रति वर्ष औसतन 11,000 अध्यापकों की वृद्धि हुई। अध्यापिकाओं की संख्या कुल अध्यापकों का लगभग छठा भाग थी। अधिकांश लड़कियां सहशिक्षा वाले स्कूलों में ही पढ़ रही हैं अतः यह आवश्यक है कि अध्यापिकाओं की संख्या बढ़ा दी जाए। आलोच्य अवधि में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में भी सामान्यतः वृद्धि ही हुई और इनका प्रतिशत 61.8 से बढ़ कर 63.8 हो गया।

प्राथमिक स्कूलों पर होने वाले व्यय की दशाओं का विवेचन सारणी CXXVII में दिया गया है। इस संबंध में यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह आंकड़े प्रत्यक्ष व्यय के ही है। प्रत्यक्ष व्यय में अध्यापकों का वेतन, साज-सामान का व्यय व फुटकर व्यय शामिल होता है। इन आंकड़ों में अप्रत्यक्ष व्यय अर्थात् निदेशन व निरीक्षण और स्कूल के भवनों पर होने वाला व्यय आदि शामिल नहीं है। मिडिल व हाई स्कूलों के प्राथमिक अनुभागों का व्यय भी इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है।

सारणी CXXVII—आयस्त्रोतों के अनुसार प्राथमिक स्कूलों का व्यय (1954-60)

वर्ष	नीचे लिखे आयस्रोतों से पूरा दिया गया व्यय (करोड़ रुपये में)					सरकारी निधियों और स्थानीय परिषदों की निधियों से पूरे किए गए व्यय का प्रतिशत
	सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फ़ीस	अन्य स्रोत	जोड़	
1954–55 . .	36.95	10.70	1.56	1.68	50.89	93.6
1955–56 . .	39.55	10.75	1.75	1.68	53.73	93.6
1956–57 . .	43.56	11.50	1.80	1.62	58.48	94.2
1957–58 . .	52.36	10.75	1.76	1.84	66.71	94.6
1958–59 . .	51.78	8.36	1.57	1.86	63.57	94.6
1959–60 . .	56.31	9.92	1.66	1.82	69.71	95.0

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि 5 से लेकर 6 प्रतिशत व्यय को छोड़ कर शेष सारा व्यय लोकनिधियों (अर्थात् सरकारी निधियों व स्थानीय परिषदों की निधियों) से पूरा किया गया।

प्रत्यक्ष व्यय में सबसे अधिक भाग अध्यापकों के वेतन का था, जैसा कि सारणी CXXVIII स्पष्ट है।

सारणी CXXVIII—प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन (1954-60)

वर्ष	कुल प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ों में)	अध्यापकों का वेतन (करोड़ों में)	कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में अध्यापकों के वेतन का प्रतिशत	प्रति अध्यापक औसत वार्षिक वेतन	वेतन सूचकांक (आधार वर्ष-1954–55)
	रु०	रु०		रु०	
1954–55 .	50.59	42.80	84.1	633.3	100.0
1955–56 .	53.73	45.04	83.8	651.5	102.9
1956–57 .	58.48	49.28	84.3	694.0	109.6
1957–58 .	66.71	56.92	85.3	780.6	123.3
1958–59 .	63.57	54.78	86.2	788.5	124.5
1959–60 .	69.71	61.29	87.9	838.4	132.4

कुल प्रत्यक्ष व्यय में अध्यापकों के वेतन का प्रतिशत 1954–55 के 84.1 प्रतिशत से बढ़कर 1959–60 में 87.9 हो गया। इससे प्रतीत होता है कि साजसामान का व्यय व फुटकर व्यय समानुपातिक रूप से कम होता जा रहा है। यह कोई अधिक प्रसन्नता का विषय नहीं है।

सारणी से यह भी ज्ञात होता है कि आलोच्य अवधि में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों का औसत वार्षिक वेतन किस दर से लगातार बढ़ता रहा है। सन् 1954–55 में यह दर 633.3 रु० प्रति वर्ष थी जो 1959–60 में बढ़कर 838.4 रुपये हो गई। या अन्य शब्दों में यदि हमें 1954–55 की राशि को आधार अर्थात् 100 मानें तो 1959–60 में एक अध्यापक का वेतन बढ़ कर 132.4 रुपये हो गया। परन्तु यहां यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि सूचकांक अध्यापकों के वेतन में केवल निरपेक्ष वृद्धि ही सूचित करते हैं, अर्थात् इस अवधि में रहन-सहन के खर्च में जो वृद्धि होती रही है, उसका ध्यान इनमें नहीं रखा गया है।

मिडिल स्कूल की शिक्षा

मिडिल स्तर की शिक्षा मिडिल स्कूलों में और हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के मिडिल विभागों में दी जाती है। सारणी CXXIX में केवल मिडिल स्कूलों की संख्या में होनेवाली वृद्धि बताई गई है।

सारणी CXXIX—मिडिल स्कूलों का संख्या (1954–60)

वर्ष	मिडिल स्कूलों की संख्या			गतवर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	लड़कियों के मिडिल स्कूलों का प्रतिशत
	लड़कों के लिये	लड़कियों के लिये	जोड़		
1954–55 .	15,417	1,901	17,318	6.6	11.0
1955–56 .	19,393	2,337	21,720	25.5	10.8
1956–57 .	21,871	2,615	24,486	12.7	10.7
1957–58 .	24,141	2,874	27,015	10.3	10.6
1958–59 .	35,835	3,762	39,597	46.6	9.5
1959–60 .	37,865	4,056	41,921	5.9	9.7

इससे पता चलता है कि विचाराधिन पांच वर्ष की अवधि में मिडिल स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यद्यपि लड़कियों के मिडिल स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है लेकिन समानुपातिक रूप से उनकी संख्या कम ही हुई है। इससे ज्ञात होता है कि इस स्तर पर सहशिक्षा अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है।

सारणी CXXX में प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों का विभाजन दिखाया गया है।

सारणी CXXX—प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या (1954–60)

वर्ष	प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार मिडिल स्कूलों की संख्या			
	सरकार	स्थानीय परिषदें	गैर-सरकारी संस्थाएं	जोड़
1	2	3	4	5
1954–55 . .	4,632	5,382	7,304	17,318
1955–56 . .	4,961	3,988	7,781	21,730
1956–57 . .	5,164	10,830	8,492	24,486
1957–58 . .	6,807	10,924	9,280	27,015
1958–59 . .	7,314	20,991	11,292	39,597
1959–60 . .	7,307	22,756	11,858	41,921

वर्ष	सरकारी स्कूलों का प्रतिशत	स्थानीय परिषदों के स्कूलों का प्रतिशत	गैर-सरकारी स्कूलों का प्रतिशत
1	6	7	8
1954–55 . .	26.7	31.1	42.2
1955–56 . .	22.8	41.4	35.8
1956–57 . .	21.1	44.2	34.7
1957–58 . .	25.2	40.5	34.2
1958–59 . .	18.5	53.0	28.5
1959–60 . .	17.4	54.3	28.3

आलोच्य पांच वर्ष की अवधि के आरम्भ में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले मिडिल स्कलों की संख्या सबसे अधिक थी, लेकिन पांच वर्ष की अल्प अवधि में ही पासा पलट गया और अब सबसे अधिक मिडिल कूल स्थानीय परिषदों के अधीन हैं। इसका कारण मुख्यत: यह है कि मिडिल स्कूल पंचायती राज की संस्थाओं को सौंप दिए गए हैं।

सन् 1954–55 और 1959–60 के बीच की अवधि में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं दाखिले की दिशा के आंकड़े सारणी CXXXI में दिए गए हैं।

सारणी CXXXI—छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या (1954–60)

वर्ष	छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)			विद्यार्थियों की कुल संख्या की तुलना में लड़कियों का	11–14 वर्ष के वयोवर्ग के बच्चों की कुल संख्या की तुलना में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिल होने वाले बच्चों का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	प्रतिशत	लड़के	लड़कियां	जोड़
1954–55 .	32.61	7.87	40.48	19.4	24.5	6.4	15.8
1955–56 .	34.26	8.67	42.93	20.2	25.4	6.9	16.5
1956–57 .	36.44	9.92	46.36	21.4	26.4	7.7	17.3
1957–58 .	38.35	10.93	49.28	22.2	29.2	8.8	19.3
1958–59 .	42.00	12.41	54.41	22.8	30 9	9.7	20.7
1959–60 .	46.21	14.31	60.52	23.6	30.5	10.2	20.7

इस सारणी से ज्ञात होता है कि आलोच्य अवधि में छठी से आठवीं कक्षाओं में दाखिल होने वाले बच्चों की संख्या 20 लाख बढ़ गयी। इनमें से 13.6 लाख लड़के थे और 6.4 लाख लड़कियां। इन कक्षाओं में दाखिल होने वाली कुल लड़कियों की संख्या 19.4 प्रतिशत से बढ़कर 23.6 प्रतिशत हो गई।

उपर्युक्त सारणी के अन्तिम तीन खानोंसे पता चलता है कि 11–14 वर्ष के वयोवर्ग के कुल बच्चों की तुलना में छठी से आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिल होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या है। सन् 1959–60 में इन कक्षाओं में 11–14 वर्ष के वयोवर्ग के प्रत्येक 10 बच्चों में से 7 के लिये शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। लड़कियों की स्थिति और भी असन्तोष-जनक थी। 11–14 वर्ष के वयोवर्ग की प्रत्येक 10 लड़कियों में से केवल एक लड़की ही छठी से आठवीं कक्षा में दाखिल थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मिडिल शिक्षा की वर्तमान दशा क्या है और देश में आम मिडिल शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी कितना प्रयास और करना पड़ेगा।

मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के आंकड़े सारणी CXXXII में दिये गये हैं।

सारणी CXXXII—मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1954–60)

वर्ष	अध्यापकों की संख्या			अध्यापकों की कुल संख्या की तुलना में अध्यापिकाओं का प्रतिशत	प्रशिक्षित अध्यापक	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत
	पुरुष	महिलाएं	जोड़			
1954–55 .	94,671	17,078	1,11,749	15.3	59,768	53.5
1955–56 .	1,24,550	23,844	1,48,394	16.1	86,776	58.5
1956–57 .	1,35,467	31,096	1,66,563	18.7	1,00,077	60.1
1957–58 .	1,48,054	37,019	1,85,073	30.0	1,16,021	62.7
1958–59 .	2,05,774	59,907	2,65,681	22.5	1,74,857	65.8
1959–60 .	2,22,108	70,024	2,92,132	24.0	1,93,879	66.4

अध्यापक व अध्यापिकाओं, दोनों की ही संख्या बढ़ती रही। अध्यापिकाओं की वृद्धि का प्रतिशत 1954–55 के 15.3 से बढ़ कर 1959–60 में 24.0 हो गया। लेकिन लड़कों व लड़कियों की संख्या के भारी अन्तर को कम करने के लिये अध्यापिकाओं के अनुपात को और भी बढ़ाना आवश्यक होगा।

इसी सारणी से मिडिल स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या और उनके अनुपात का भी पता चलता है। यह भी परम संतोष का विषय है कि प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता रहा है।

मिडिल स्कूलों और उनमें कार्य करने वाले अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ इन स्कूलों के व्यय का भी तदनुसार बढ़ना स्वाभाविक है। सारणी CXXXIII में विभिन्न आयस्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों के प्रत्यक्ष व्यय के आंकड़े दिये गये हैं।

सारणी CXXXIII—विभिन्न आय स्रोतों के अनुसार मिडिल स्कूलों का प्रत्यक्ष व्यय (1954–60)

वर्ष	कुल प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ रुपयों में)	नीचे लिखे आय स्रोतों से पूरा किया गया प्रतिशत व्यय			
		सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फ़ीस	अन्य स्रोत
1954–55 .	11.46	57.1	12.7	21.3	8.9
1955–56 .	15.41	62.9	12.9	16.2	8.0
1956–57 .	17.15	60.5	11.6	14.6	13.3
1957–58 .	20.77	72.3	8.8	12.2	6.7
1958–59 .	31.83	73.3	12.0	8.6	6.1
1959–60 .	35.16	73.5	12.0	8.3	6.2

सन् 1954–55 से 1959–60 तक की पांच वर्ष की अवधि में मिडिल स्कूलों का प्रत्यक्ष व्यय तमाम आंकड़ों की दृष्टि से, तिगुना हो गया। जिन साधनों से यह व्यय पूरा किया गया उनके अग्रताक्रम में भी परिवर्तन हुआ। कुल व्यय की राशि में सरकारी अंश 57.1 प्रतिशत (1954–55) से बढ़कर 1959–60 में 73.5 प्रतिशत हो गया और इसी अवधि में फ़ीस से होने वाली आय 21.3 प्रतिशत से घटकर 8.3 प्रतिशत रह गई। इसका कारण यह भी हो सकता है कि मिडिल स्तर की निःशुल्क शिक्षा का विस्तार अधिकाधिक स्कूलों में कर दिया गया। परन्तु स्थानीय परिषदों और अन्य आय स्रोतों का इस व्यय का अंशदान घटता बढ़ता रहा।

मिडिल स्कूलों के कुल प्रत्यक्ष व्यय का अधिकांश भाग उनके अध्यापकों के वेतन पर व्यय होता है। इसे सारणी CXXXIV में बताया गया है।

सारणी CXXXIV—मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर होने वाला व्यय (1954–60)

वर्ष	मिडिल स्कूलों का कुल प्रत्यक्ष व्यय (करोड़ में)	मिडिल स्कूलों के अध्यापकों के वेतन पर व्यय	कुल प्रत्यक्ष व्यय की तुलना में अध्यापकों के वेतन पर किया गया प्रतिशत व्यय	प्रति अध्यापक औसत वार्षिक वेतन	वेतन सूचकांक (आधार वर्ष 1954–55)
				रुपये	
1954–55 .	11.46	8.65	75.5	774	100
1955–56 .	15.41	12.00	77.9	809	105
1956–57 .	17.15	12.06	70.3	832	107
1957–58 .	20.77	17.01	81.9	919	119
1958–59 .	31.83	26.71	83.9	1,005	130
1959–60 .	35.16	30.30	86.2	1,037	134

इससे ज्ञात होता है कि मिडिल स्कूलों के कुल व्यय का लगभग 86 प्रतिशत भाग अध्यापकों के वेतन पर ही व्यय किया गया और साज-सामान व फुटकर व्यय के लिये बहुत थोड़ा भाग ही बच सका। फिर भी अध्यापकों का औसत वेतन 1,037 रुपये प्रति वर्ष या 87 रुपये प्रति माह से आगे नहीं बढ़ सका।

सारणी के अन्तिम खाने में 1954–55 को आधार-वर्ष 100 मान कर अध्यापकों के वेतन के सूचकांक दिये गये हैं। औसत वेतन सूचकांक 1959–60 में बढ़ कर 134 रु० हो गया। लेकिन इसी अवधि में रहन-सहन के खर्च में जो वृद्धि हुई उसकी गणना इन आंकड़ों में शामिल नहीं की गयी है।

बुनियादी शिक्षा

बुनियादी शिक्षा में आठ वर्ष का समेकित पाठ्यक्रम होता है, जिसमें 5 वर्ष अवर बुनियादी शिक्षा और 3 वर्ष प्रवर बुनियादी शिक्षा होती है। लेकिन सभी राज्यों में यह पाठ्यक्रम एक-सा नहीं है। बुनियादी स्कूलों की संख्या में आलोच्य वर्ष में होने वाली वृद्धि सारणी CXXXV में दिखायी गयी है।

सारणी CXXXV—बुनियादी स्कूलों की संख्या (1954-60)

वर्ष	अवर बुनियादी स्कूल			
	संख्या	इन प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार स्कूलों का प्रतिशत		
		सरकार	स्थानीय परिषदें	गैर-सरकारी संस्थाएं
1	2	3	4	5
1954–55 . .	37,394	10.0	80.9	9.1
1955–56 . .	42,971	13.4	76.2	10.4
1956–57 . .	46,881	11.7	77.6	10.7
1957–58 . .	52,039	13.7	74.3	12.0
1958–59 . .	57,069	13.8	74.3	11.9
1959–60 . .	61,757	10.6	78.3	11.1

वर्ष	प्रवर बुनियादी स्कूल			
	संख्या	इन प्रबन्ध संस्थाओं के अनुसार स्कूलों का प्रतिशत		
		सरकार	स्थानीय परिषदें	गैर सरकारी संस्था
1	6	7	8	9
1954–55 . .	1,120	60.7	18.9	20.4
1955–56 . .	4,842	16.6	74.5	8.9
1956–57 . .	6,897	13.1	79.4	7.5
1957–58 . .	7,819	15.0	75.7	9.5
1958–59 . .	12,739	11.7	71.6	16.7
1959–60 . .	13,554	9.7	73.4	16.9

सन् 1959–60 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि में अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या में 24,000 से भी ज्यादा या 65 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी अवधि में प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या में बारह गुनी वृद्धि हुई।

अधिकांश (75 से 80 प्रतिशत) अवर बुनियादी स्कूलों का प्रबन्ध स्थानीय परिषदें कर रही थीं और शेष में से आधे-आधे स्कूलों का प्रबन्ध सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं के अन्तर्गत था। प्रवर बुनियादी स्कूलों की प्रबन्ध प्रणाली में भी आलोच्य अवधि में परिवर्तन हुआ है। इस पंचवर्षीय अवधि के प्रारम्भ में अर्थात 1954–55 में लगभग 60 प्रतिशत स्कूलों का प्रबन्ध सरकार कर रही थी। शेष स्कूलों में से आधे-आधे स्कूल स्थानीय परिषदों और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे थे। लेकिन इस अवधि के अन्त में अर्थात् 1959–60 में, लगभग तीन-चौथाई स्कूल स्थानीय परिषदों के अधीन थे। और सरकारी स्कूलों की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम रह गई।

सारणी CXXXVI में अवर और प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या की तुलना क्रमश: बुनियादी और गैर-सरकारी दोनों ही तरह के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की कुल संख्या से की गई है।

सारणी CXXXVI—अवर और प्रवर बुनियादी स्कूलों का अनुपात (1954–60)

वर्ष	अवर बुनियादी स्कूल	प्राथमिक स्कूल (बुनियादी और गैर-बुनियादी)	प्राथमिक स्कूलों की संख्या की तुलना में अवर बुनियादी स्कूलों की प्रतिशत संख्या	प्रवर बुनियादी स्कूल	मिडिल स्कूल (बुनियादी और गैर-बुनियादी)	मिडिल स्कूलों की तुलना में प्रवर बुनियादी स्कूलों की प्रतिशत संख्या
1954–55	37,394	2,63,626	14.2	1,120	17 318	6.5
1955–56	42 971	2,78,135	15.4	4,842	12,730	22.3
1956–57	46,881	2,87,298	16.3	6,897	24,486	28.1
1957–58	52,039	2,98,247	27.4	7,819	17,015	28.9
1958–59	57,069	3,01,564	18.9	12,739	39,697	32.2
1959–60	61,757	3,19.070	19.4	13,554	41,921	32.3

इस सारणी से ज्ञात होता है कि अवर और प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने के बावजूद भी उनका अनुपात प्राथमिक व मिडिल स्कूलों के क्रमश: पांचवे और तीसरे भाग से ज्यादा नहीं बढ़ सका। यह एक निर्विवाद सत्य है कि बुनियादी शिक्षा के प्रसार के मार्ग कुछ वास्तविक कठिनाइयां हैं, जैसे : भली प्रकार प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव और आवश्यक साज-सामान और सामग्री खरीदने के लिये धन की कमी आदि। लेकिन यदि बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के रूप में लागू करना है तो इसकी प्रगति को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास करने ही होंगे।

अवर और प्रवर बुनियादी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सारणी CXXXVII दी गई है।

सारणी CXXXVII—बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या
(1954–60)

वर्ष	अवर बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)			प्रवर बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)			प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में अवर बुनियादी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत	मिडिल स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में प्रवर बुनियादी स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत
	कुल संख्या	लड़कियां	लड़कियों का प्रतिशत	कुल संख्या	लड़कियां	लड़कियों का प्रतिशत		
1954–55	31.55	5.66	17.9	2.16	0.46	21.3	14.21	8.32
1955–56	37.30	7.69	20.6	13.30	3.54	26.6	16.27	34.88
1956–57	41.28	8.61	20.9	17.31	4.88	28.2	17.26	39.41
1957–58	48.13	10.33	21.5	19.17	5.86	29.6	19.42	39.07
1958–59	54.50	12.14	22.3	27.55	7.56	27.4	22.36	33.72
1959–60	60.13	13.99	23.3	29.91	8.39	28.1	23.19	33.66

उपरोक्त सारणी में ज्ञात होता है कि :—

(1) पांच वर्ष की अवधि में अवर बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई जबकि प्रवर बुनियादी स्कूलों में उनकी संख्या चौदह गुनी हो गई। अवर और प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उस को देखते हुए विद्यार्थियों की संख्या में यह वृद्धि संतोषजनक है।

(2) अवर बुनियादी स्कूलों में लड़कियों का अनुपात 1954–55 के 17.9 प्रतिशत से बढ़कर 1959–60 में 22.3 प्रतिशत हो गया। प्रवर बुनियादी स्कूलों में यह प्रतिशत 1954–55 में 21.3 से बढ़कर 1959–60 में 28.1 हो गया।

प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से केवल 23.2 प्रतिशत और मिडिल स्कूलों केवल 33.7 प्रतिशत विद्यार्थि क्रमशः अवर और प्रवर बुनियादी स्कूलों में पढ़ रहे थे।

सारणी CXXXVIII में बुनियादी स्कूलों पर होने वाला व्यय और उसके आयसाधनों का ब्यौरा दिया गया है ।

सारणी CXXXVIII—बुनियादी स्कूलों पर व्यय (1954–60)

वर्ष	कुल व्यय (करोड़ रुपयों में)	इन विभिन्न आय-स्रोतों से पूरे किये गयें व्यय का प्रतिशत				प्राथमिक मिडिल स्कूलों के व्यय की तुलना में बुनियादी स्कूलों के व्यय का प्रतिशत
		सरकारी निधियाँ	स्थानीय परिषदों की निधियां	फीस	अन्य स्रोत	
अवर बुनियादी स्कूल						
1954–55 . .	6.50	71.1	22.8	4.8	1.3	12.8
1955–56 . .	8.11	74.0	21.0	3.8	1.2	15.1
1956–57 . .	9.11	75.7	20.1	3.1	1.9	15.6
1957–58 . .	10.85	78.9	18.4	0.8	1.9	16.3
1958–59 . .	12.50	79.0	18.7	0.3	2.0	19.7
1959–60 . .	14.04	78.9	19.0	0.4	1.7	20.1
प्रवर बुनियादी स्कूल						
1954–55 . .	0.80	86.3	7.5	1.2	5.0	7.0
1955–56 . .	4.06	80.5	13.3	2.5	3.7	26.3
1956–57 . .	5.09	83.5	11.4	2.1	3.0	29.7
1957–58 . .	6.26	82.9	12.6	2.0	2.5	30.1
1958–59 . .	10.27	75.4	11.7	8.7	4.2	32.3
1959–60 . .	10.99	75.6	20.3	1.0	3.1	31.3

यद्यपि सन् 1954–55 और 1959–60 के बीच की अवधि में प्रवर बुनियादी स्कूलों का व्यय दुगुने से कुछ अधिक ही हुआ, लेकिन प्रवर बुनियादी स्कूलों का व्यय तो इस अवधि में केवल 80 लाख रुपये से असाधारण गति से बढ़ कर लगभग 11 करोड़ रुपये हो गया, वैसे तो बुनियादी स्कूल मुख्यत: स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं परन्तु इन पर होने वाले व्यय का काफी बड़ा भाग सरकारी निधियों से पूरा किया जाता है ।

बुनियादी स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ यह स्वाभाविक ही है कि इन स्कूलों के अध्यापकों की संख्या में भी तदनुसार वृद्धि की जाये। इसे सारणी CXXXIX में बताया गया है।

सारणी CXXXIX—बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1954–60)

वर्ष	अवर बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या			प्रवर बुनियादी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या		
	कुल अध्यापक	प्रशिक्षित	कुल अध्यापकों की तुलना में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत	कुल अध्यापक	प्रशिक्षित	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत
1954–55 .	93,378	74,525	79.8	8,803	7,734	87.9
1955–56 .	1,11,347	87,061	78.2	39,672	31,624	79.7
1956–57 .	1,19,366	93,400	78.2	52,552	38,684	73.6
1957–58 .	1,34,927	1,05,704	78.3	57,846	43,869	75.8
1958–59 .	1,48,361	1,15,181	77.6	87,437	66,087	75.6
1959–60 .	1,59,751	1,21,704	76.2	95,539	72,461	75.8

बुनियादी स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की गति को बढ़ाना आवश्यक है।

हाई स्कूल व उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर की शिक्षा इस स्तर की शिक्षा हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की उच्च कक्षाओं में और कुछ कालेजों से संबद्ध स्कूल-कक्षाओं में दी जाती है। जिन कालेजों के साथ स्कूल-कक्षाएं हैं, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है।

सारणी CXL में देश के हाई स्कूलो/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या दी गई है।

सारणी CXL—हाईस्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या (1954–60)

वर्ष	हाईस्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या		लड़कियों के स्कूलों का प्रतिशत	प्रबन्ध-संस्थाओं के अनुसार स्कूलों का प्रतिशत		
	कुल संख्या	लड़कियों के लिए		सरकार	स्थानीय परिषदें	गैर-सरकारी संस्थाएं
1954–55 .	10,200	1,501	14.7	14.6	12.8	72.6
1955–56 .	10,888	1,583	14.6	14.9	12.9	72.2
1956–57 .	11,805	1,758	14.9	15.3	13.0	71.7
1957–58 .	12,639	1,889	15.0	19.0	10.1	70.9
1958–59 .	14,326	2,103	14.7	19.5	10.0	70.5
1959–60 .	15,703	2,281	14.5	18.1	11.6	70.3

इस सारणी से ज्ञात होता है कि (1) सन् 1954–55 से 1959–60 तक की पांच वर्ष की अवधि में हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या में 5,500 या 50 प्रतिशत वृद्धि हुई।

(2) लड़कियों के स्कूलों की संख्या भी इसी अनुपात से बढ़ी लेकिन इनके स्कूलों की संख्या कुल स्कूलों की संख्या का केवल 15 प्रतिशत ही थी।

(3) प्रबन्ध-संस्थाओं की दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मुख्यतः गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथों में ही रही जो लगभग 70 प्रतिशत स्कूलों का प्रबन्ध कर रही थी। शेष स्कूल सरकार व स्थानीय परिषदों द्वारा चलाये जा रहे थे। इनमें भी सरकार के अधीन अधिक स्कूल थे।

सारणी CXLI—नवीं-दसवीं/ग्यारहवीं कक्षाओं में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या (1954–60)

वर्ष	नवीं-दसवीं/ग्यारहवीं कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या (लाखों में)			14-16/17 वर्ष के वयोवर्ग के बच्चों की कुल संख्या की तुलना में इन कक्षाओं की छात्र संख्या का प्रतिशत		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़
1954-55 .	14.26	2.73	16.99	11.4	2.3	7.0
1955-56 .	15.39	3.18	18.57	12.2	2.7	7.4
1956-57 .	16.63	3.44	20.07	14.6	3.0	9.1
1957-58 .	17.93	3.90	21.83	14.7	3.4	9.2
1958-59 .	19.36	4.23	23.59	15.7	3.5	9.7
1959-60 .	20.70	4.52	25.22	14.7	3.5	9.3

सारणी CXLI में नवीं-दसवीं/ग्यारहवीं कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में होने वा वृद्धि दिखायी गई है। यह वृद्धि 8 लाख से अधिक थी, जिसमें 6 लाख से अधिक ल थे और 2 लाख से कुछ कम लड़कियां।

इसी सारणी से यह भी पता चलता है कि 14-16/17 वर्ष के वयों-वर्ग के बच्चों कुल संख्या की तुलना में नवीं-दसवीं/ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत था। स्पष्ट है कि मौजूदा सुविधाएं इस वयोवर्ग के कुल बच्चों के दसवें भाग के लिये भी पर्या नहीं थीं। लड़कियों की शिक्षा की स्थिति और भी खराब थी।

हाई स्कूलों व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की संख्या सारणी CXLII दिखाई गयी है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ये आंकड़े केवल उन्हीं अध्यापकों नहीं हैं जो नवीं-दसवीं/ग्यारहवीं कक्षाओं को पढ़ाते हैं, अपितु उन सभी अध्यापकों के हैं सभी हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं—भले ही वे इन स्कूलों की मा मिक कक्षाओं में पढ़ा रहे हों या उनकी मिडिल या प्राथमिक कक्षाओं में (यदि उनमें वे क हों)। अतः इस सारणी में दिये गये आंकड़ों की तुलना पिछली सारणी (विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़ों से नहीं करनी चाहिये।

सारणी CXLII—हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की संख्या (1954-60)

वर्ष	कुल अध्यापक	अध्यापिकाएं	अध्यापिकाओं का प्रतिशत	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या	प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत
1954-55 .	1,75,986	31,400	17.8	1,02,201	58.1
1955-56 .	1,89,794	35,085	18.5	1,13,338	59.1
1956-57 .	2,05,617	39,146	19.0	1,25,845	61.2
1957-58 .	2,21,695	43,203	19.5	1,39,175	62.8
1958-59 ..	2,45,555	49,277	20.1	1,55,288	63.2
1959-60 .	2,67,637	55,312	20.7	1,70,670	63.8

आलोच्य पांच वर्ष की अवधि में कुल अध्यापकों की संख्या 90,000 या 52 प्रतिशत और अध्यापिकाओं की संख्या 24,000 या 76 प्रतिशत बढ़ी। कुल अध्यापकों की संख्या की तुलना में अध्यापिकाओं का प्रतिशत 1954-55 के 17.8 से बढ़कर 1959-60 में 20.7 हो गया। इसी अवधि में प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत भी 58.1 से बढ़ कर 63.8 हो गया।

हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को चलाने के व्यय का और उनके विभिन्न आय साधनों का ब्योरा सारणी CXLIII में दिखाया गया है। यहां भी यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस व्यय का संबंध हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और उनके प्राथमिक और मिडल विभागों से (यदि हों) भी है, न कि केवल नवीं-दसवी/ग्यारहवीं कक्षाओं से।

सारणी CXLIII— विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर व्यय (1954-60)

वर्ष	कुल व्यय (करोड रुपयों में)	इन आय-स्रोतों से पूरे किये गये व्यय का प्रतिशत			
		सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फीस	अन्यस्रोत
1954-55 .	34.07	37.4	3.8	49.2	9.6
1955-56 .	37.62	39.9	4.2	46.7	9.2
1956-57 .	41.59	42.0	4.1	44.1	9.8
1957-58 .	46.47	44.4	4.5	41.5	9.6
1958-59 .	52.51	45.9	3.8	41.1	9.2
1959-60 .	59.90	48.1	4.5	39.4	8.0

इस सारणी से ज्ञात होता है —

(1) हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का व्यय तेजी से बढ़ता रहा।

(2) आलोच्य अवधि के पूर्वार्ध में फ़ीस से प्राप्त आय सबसे अधिक थी और सरकारी अंशदान का दूसरा स्थान था, लेकिन उत्तरार्ध में स्थिति इसके विपरित थी।

(3) अन्य स्रोतों से कुल व्यय के प्रतिशत से भी कम रकम प्राप्त हुई। स्थानीय परिषदों का अंशदान बहुत ही कम था।

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की तरह ही हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रत्यक्ष व्यय का सब से अधिक भाग अध्यापकों के वेतन पर ही खर्च किया गया। इसे सारणी CXLIV में दिखाया गया है।

सारणी CXLIV—हाय स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन (1954-60)

वर्ष	हाई स्कूलों/ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों पर कुल व्यय (करोड रुपयों में)	अध्यापकों का वेतन (करोड़ रुपयों में)	अध्यापकों के वेतन पर किए गए व्यय का प्रतिशत	प्रति अध्यापक औसत वार्षिक वेतन
				रुपये
1954-55 . .	34.07	24.33	71.43	1,383
1955-56 . .	37.62	27.08	72.00	1,427
1956-57 . .	41.59	29.01	71.44	1,411
1957-58 . .	46.47	33.31	71.68	1,503
1958-59 . .	52.51	37.93	72.23	1,545
1959-60 . .	59.90	46.05	76.9	1,721

इस सारणी से पता चलता है कि इन स्कूलों के कुल व्यय का लगभग 70 से 77 प्रतिशत भाग अध्यापकों के वेतन पर खर्च किया गया। शेष धन साज-सामान और फुटकर मदों पर व्यय हुआ।

इसी सारणी से हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का औसत वार्षिक वेतन भी ज्ञात होता है। इन आंकड़ों का अध्ययन करते समय दो बातें ध्यान रखनी चाहिए— (i) हाई स्कूलों/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों में केवल नवीं-दसवीं/ग्यारहवीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक ही शामिल नहीं हैं, अपितु वे अध्यापक भी शामिल हैं जो माध्यमिक स्कूलों की निचली कक्षाओं को (यदि हों) पढ़ाते हैं।

(ii) इसी अवधि में रहन सहन के खर्च में जो वृद्धि हुई हैं उस पर औसत वेतन की गणना में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

मैट्रिक और समकक्ष परीक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सारणी CXLV में दी गयी है।

सारणी CXLV—मैट्रिक और समकक्ष परीक्षाओं के परीक्षाफल (1954-60)

वर्ष	परीक्षा देने वालों की संख्या	पास होने वालों की संख्या	पास होने वालों की संख्या का प्रतिशत	तीसरे खाने की संख्या में शामिल की गयी लड़कियों की संख्या	मैट्रिक पास करने वालों में लड़कियों का प्रतिशत
1954-55	8,30,001	4,00,014	48.2	65,481	16.4
1955-56	9,20,026	4,29,494	46.7	72,328	16.8
1956-57	10,12,309	4,66,764	46.1	83,046	17.8
1957-58	10,79,966	5,21,552	48.3	91,179	17.5
1958-59	11,75,706	5,30,136	45.1	92,818	17.5
1959-60	13,49,465	5,72,198	42.4	1,13,123	19.8

इन परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती रही। सन् 1954-55 से 1959-60 तक पांच वर्ष की अवधि में इसमें 50 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृद्धि हुई। इसी तरह परीक्षा में पास होने वालों की संख्या भी बढ़ती रही। लेकिन यह चिन्ता का विषय है कि इस परीक्षा में आधे से भी अधिक परीक्षार्थी फ़ेल हो जाते हैं और पास होने वालों की प्रतिशत संख्या दिन-प्रतिदिन गिरती जा रही है। पास होने वाले परीक्षार्थियों में 1959-60 में लड़कियों का प्रतिशत 19.8 था जबकि पांच वर्ष पूर्व उनका प्रतिशत 16.4 था।

उच्च शिक्षा

सांविधिक विश्वविद्यालयों (और संलग्न कालेजों) एवं इन विश्वविद्यालयों से असंबद्ध हैः— उच्च शिक्षा-संस्थाओं की संख्या, सारणी CXLVI में दी गई है।

सारणी CXLVI—उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या (1954-60)

वर्ष	विश्व-विद्यालय	अनु-संधान संस्थाएं	कालेज और शिक्षा-संस्थाएं: सामान्य शिक्षा के लिए	वृत्तिक शिक्षा के लिए	विशिष्ट शिक्षा के लिए
1954-55	31	33	657	291	106
1955-56	32	34	712	346	112
1956-57	33	41	773	399	128
1957-58	38	43	817	489	148
1958-59	40	42	878	542	168
1959-60	40	42	946	725	180

सन् 1954-55 से 1959-60 तक की पांच वर्ष की अवधि में विश्वविद्यालयों की संख्या में नौ की वृद्धि हुई। इसी तरह अध्ययन कार्य वाली अनुसंधान-संस्थाओं की संख्या में नौ, सामान्य शिक्षा के कालेजों में 289, वृत्तिक शिक्षा के कालेजों में 434 और विशिष्ट शिक्षा के कालेजों में 74 की वृद्धि हुई।

विश्वविद्यालय स्तर पर दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या नीचे की सारणी में दी गयी है।

सारणी CXLVII—विश्वविद्यालय स्तर पर दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या (1954-60)

(लाखों में)

वर्ष	सामान्य शिक्षा		वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा	
	कुल छात्र	लड़कियां	कुल छात्र	लड़कियां
1954-55	5.29	0.72	1.35	0.09
1955-56	5.75	0.84	1.49	0.09
1956-57	6.25	0.96	1.62	0.11
1957-58	6.62	1.07	1.82	0.14
1958-59	7.35	1.25	2.02	0.16
1959-60	7.85	1.38	2.38	0.22

(लाखों में)

वर्ष	विशिष्ट शिक्षा		उच्च शिक्षा के समस्त छात्रों का जोड़		लड़कियों का प्रतिशत
	कुल छात्र	लड़कियां	कुल छात्र	लड़कियां	
1954-55 . . .	0.11	0.03	6.75	0.84	12.4
1955-56 . . .	0.12	0.03	7.36	0.96	13.1
1956-57 . . .	0.14	0.04	8.01	1.11	13.9
1957-58 . . .	0.18	0.04	8.62	1.25	14.5
1958-59 . . .	0.21	0.06	9.58	1.47	15.3
1959-60 . . .	0.21	0.06	10.45	1.66	15.9

इस सारणी से ज्ञात हुआ कि :—

(1) विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की संख्या में 3.69 लाख की वृद्धि हुई, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि (2.56 लाख) सामान्य शिक्षा के छात्रों की संख्या में हुई। वृत्तिक शिक्षा में 1.03 लाख छात्रों की वृद्धि हुई और विशिष्ट शिक्षा में केवल 10,000 की।

(2) लड़कियों का प्रतिशत सामान्य शिक्षा में 16, वृत्तिक शिक्षा में 10 और विशिष्ट शिक्षा में लगभग 30 रहा।

सारणी CXLVIII में शिक्षा के स्तर के अनुसार सामान्य शिक्षा के विभिन्न कालेजों में दाखिल छात्रों की संख्या दी गई है।

सारणी CXLVIII—शिक्षा स्तर के अनुसार सामान्य शिक्षा के विभिन्न कालेजों में छात्रों की संख्या (1954-60)

(लाखों में)

वर्ष	कुल छात्र	इन्टरमीडिएट		डिग्री		स्नातकोत्तर और अनुसंधान	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1954-55 .	5.29	3.71	70.0	1.34	25.3	0.25	4.7
1955-56 .	5.75	3.96	68.9	1.51	26.2	0.28	4.9
1956-57 .	6.25	4.26	68.1	1.68	26.9	0.31	5.0
1957-58 .	6.62	4.39	66.3	1.89	28.6	0.34	5.1
1958-59 .	7.35	4.87	66.3	2.08	28.3	0.40	5.4
1959-60 .	7.85	4.93	62.8	2.49	31.7	0.43	5.5

कुल छात्रों में से 62.8 प्रतिशत छात्र इन्टरमीडिएट कक्षाओं में, 31.7 प्रतिशत डिग्री कक्षाओं में और शेष 5.5 प्रतिशत छात्र स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे थे या अनुसंधान कर रहे थे।

वृत्तिक शिक्षा के कालेजों में छात्रों की विषयवार संख्या सारणी CXLIX में दी गयी है। यहां यह स्पष्ट करना असंगत न होगा कि इन पाठ्यक्रमों की अवधि भिन्न-भिन्न होने के कारण विषयों की परस्पर तुलना करना युक्तिसंगत न होगा।

सारणी CXLIX—कालेज-स्तर पर वृत्तिक विषयों के छात्रों की संख्या (1954-60)

वर्ष	कृषि	वाणिज्य	शिक्षा	इंजीनियरी और औद्योगिकी
1954-55 . .	4,827	52,960	11,547	18,834
1955-56 . .	5,877	58,918	14,280	19,858
1956-57 . .	7,051	61,303	17,261	21,905
1957-58 . .	9,304	63,206	22,051	28,391
1958-59 . .	10,871	66,582	24,422	35,255
1959-60 . .	13,295	74,486	39,135	40,242

वर्ष	विधि	आयुर्विज्ञान	अन्य विषय	जोड़
1954-55 . .	19,651	23,488	3,490	1,34,797
1955-56 . .	20,268	25,072	4,721	1,48,994
1956-57 . .	20,817	27,289	5,838	1,61,464
1957-58 . .	22,598	30,317	6,286	1,82,153
1958-59 . .	24,055	32,950	7,554	2,01,689
1959-60 . .	25,925	36,615	8,385	2,38,083

इस सारणी से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है :

(1) आलोच्य अवधि में सभी विषयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई।

(2) सबसे अधिक वृद्धि अध्यापक प्रशिक्षण में हुई। इसके बाद, वाणिज्य, इंजीनियरी और औद्योगिकी एवं आयुर्विज्ञान के नाम आते हैं। कृषि और विधि के पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में अपेक्षतः कम ही वृद्धि हुई।

विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च-शिक्षा संस्थाओं का व्यय सारणी CL में दिया गया है।

सारणी CL—उच्च शिक्षा संस्थाओं पर व्यय (1954-60)

वर्ष	विश्व-विद्यालय	शिक्षा परिषदें	अनुसंधान संस्थाएं	सामान्य शिक्षा के कालेज	वृत्तिक शिक्षा के कालेज	विशिष्ट शिक्षा के कालेज	जोड़
			(करोड़ रुपयों में)				
1954-55 .	7.42	1.23	1.30	10.56	6.31	0.34	27.16
1955-56 .	7.98	1.32	1.39	11.65	7.00	0.36	29.70
1956-57 .	9.20	1.50	1.75	12.82	7.79	0.49	33.55
1957-58 .	9.80	1.76	2.94	14.12	8.84	0.62	38.08
1958-59 .	11.56	2.05	2.53	15.84	11.19	0.70	43.87
1959-60 .	12.81	2.37	2.84	18.16	13.12	0.77	50.07

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि सभी प्रकार की संस्थाओं के व्यय की प्रवृत्ति वृद्धि की ओर ही रही विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार विश्वविद्यालयों और कालेजों का व्यय नीचे सारणी CLI में दिखाया गया है।

सारणी CLI—विभिन्न आय-स्रोतों के अनुसार विश्वविद्यालयों व कालेजों का व्यय (1954-60)

वर्ष	कुल व्यय (करोड़ रुपयों में)	इन आय-स्रोतों से प्राप्त व्यय का प्रतिशत			
		सरकारी निधियां	स्थानीय परिषदों की निधियां	फ़ीस	अन्य स्रोत
1954-55 . .	25.93	49.4	0.2	38.6	11.8
1955-56 .	28.38	47.6	0.3	39.4	12.7
1956-57 .	32.05	48.7	0.3	38.4	12.6
1957-58 .	36.32	51.0	0.3	38.1	10.6
1958-59 .	41.82	51.6	0.3	35.9	12.2
1959-60 .	47.70	51.4	0.6	34.9	13.1

सरकारी अंशदान और शिक्षा शुल्क देश में उच्च शिक्षा के प्रमुख आय-स्रोत हैं। गैर-सरकारी स्रोतों से भी व्यय का कुछ भाग पूरा किया जाता है, परन्तु वह बहुत ज्यादा नहीं होता। स्थानीय परिषदों का अंशदान प्रायः नगण्य ही रहा है।

कला, विज्ञान और वृत्तिक विषयों में पास होने वाले स्नातकों की संख्या सारणी CLII में दी गयी है।

सारणी CLII—परीक्षाफल (1954-60)

वर्ष	बी० ए०/ बी०एस०सी०	वृत्तिक विषय (केवल प्रथम डिग्री)					
		कृषि	वाणिज्य	शिक्षा	इंजीनियरी और औद्योगिकी	विधि	आयुर्विज्ञान
1954-55	57,149	928	7,787	8,774	3,569	5,970	3,3,626
1955-56	53,989	882	8,504	10,364	4,316	5,584	3,3,307
1956-57	64,517	1,176	10,316	12,592	4,484	5,666	3,3,570
1957-58	73,179	1,798	11,878	14,363	4,854	5,856	4,4,014
1958-59	75,662	1,900	12,751	15,208	4,860	6,458	3,3,666
1959-60	80,849	2,172	12,923	15,758	6,345	6,602	4,4,425

स्कूलस्तर की व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा

व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों की संख्या सारणी CLIII में दी गयी है।

सारणी CLIII—व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों की संख्या (1954-60)

वर्ष	कृषि	वाणिज्य	इंजिनियरी और औद्योगिकी	आयु-विज्ञान	अध्यापक प्रशिक्षण	प्रौढ़ शिक्षा	अन्य
1954-55	44	830	144	77	860	43,223	5,5,108
1955-56	77	898	158	82	930	46,091	5,5,825
1956-57	94	829	179	109	916	44,058	5,5,908
1957-58	105	877	226	115	901	46,961	6,6,197
1958-59	102	966	951	124	974	47,586	4,4,560
1959-60	100	1,095	1,385	150	1,034	51,736	4,4,223

इस श्रेणी की संस्थाओं में अकेले प्रौढ़ शिक्षा के स्कूलों की संख्या ही सबसे अधिक थी। इसके बाद जिन स्कूलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई वे इंजीनियरी व तकनीकी स्कूल, वाणिज्य स्कूल और अध्यापन प्रशिक्षण स्कूल हैं। आलोच्य अवधि में केवल इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान के स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती रही। अन्य प्रकार के स्कूलों की संख्या घटती-बढ़ती रही।

सारणी CLIV—व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों में छात्रों की संख्या (1954-60)

वर्ष	कृषि	वाणिज्य	इंजीनियरी और औद्योगिकी	आयुर्विज्ञान
1954-55 . .	3,000	72,510	28,111	5,089
1955-56 . .	5,129	79,223	35,611	5,142
1956-57 . .	6,116	79,889	41,938	6,56[illegible]
1957-58 . .	8,184	84,666	51,405	7,457
1958-59 . .	7,411	98,754	*1,11,921	10,688
1959-60 . .	7,639	1,15,057	1,41,635	10,471

वर्ष	अध्यापक प्रशिक्षण	प्रौढ़ शिक्षा	अन्य
1954-55 . . .	76,706	11,11,405	2,32,311
1955-56	83,467	12,78,827	2,62,944
1956-57	83,218	12,04,985	2,77,318
1957-58	77,342	12,06,630	2,90,314
958-59	89,514	12,57,760	2,04,777
959-60	99,991	13,69,811	1,94,358

*इसमें उद्योग के छात्रों के आंकड़े भी शामिल है।

व्यावसायिक और विशिष्ट शिक्षा के स्कूलों में छात्रोंकी संख्या ऊपर सारणी CLIV में ... गयी है। प्रौढ़ स्कूलों व अन्य विषयों को छोड़कर इंजीनियरी और औद्योगिकी, वाणिज्य एवं अध्यापन प्रशिक्षण के विषयों में ही छात्रों की संख्या सबसे अधिक थी।

GIPN—S4—5 M. of Edu./65—21-11-67—700

NIEPA - DC
G1967
G 1967